

सरकार के मंत्रालय एवं विभाग (Ministries and Departments of the Government)

*** (इस खंड का संबंध सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक-6 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-5 से है।

प्रशासन के कार्यों में कल्याणकारी अवधारणा जुड़ जाने के साथ ही प्रशासन का स्वरूप व्यापक हो गया है। कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्यों को विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। शाब्दिक दृष्टि से विभाग से तात्पर्य किसी संगठन या इकाई के भाग या अंग से है। विभाग श्रम-विभाजन संकल्पना की देन है। सरकार कायम रहने के लिये स्थापित किये गये मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागों की स्थापना की जाती है।

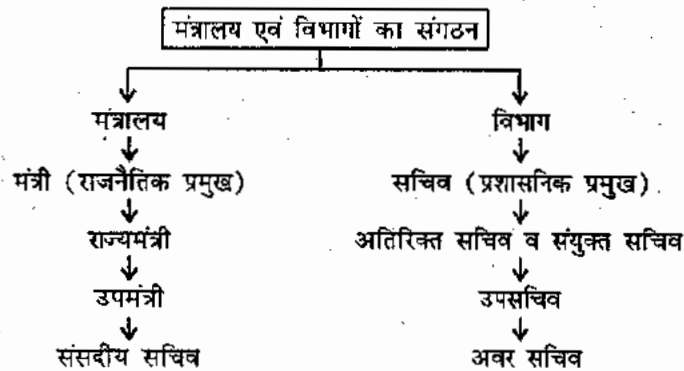
विभागों को संगठित करने का अधिकार संविधान, संसद या कार्यपालिका में निहित हो सकता है। अमेरिका में शासन व संगठन से संबंधित विस्तृत मुद्दों को कांग्रेस नियमित करती है। 1947 में पारित अधिनियम ने ब्रिटिश कार्यपालिका को यह अधिकार दिया है कि जिस प्रकार वह आवश्यक समझे विभागों का संगठन तथा पुनर्गठन कर सकती है। भारत में मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण तथा विघटन कार्यपालिका का कार्य है। प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार "प्रशासन की सुदृढ़ नीति विभागों पर ही निर्भर होती है।"

मंत्रालयों को विभागों में बाँटा गया है। मंत्रालय एवं विभागों का उल्लेख गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1961 (Government of India Allocation of Business Rules, 1961) में मंत्रालय व विभाग के नीचे विंग, डिबिजन, ब्रांच इत्यादि का प्रयोग होता है।



मंत्रालय के राजनैतिक प्रमुख मंत्री होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। मंत्री राजनैतिक प्रमुख राजनैतिक पदाधिकारी होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों से अनिवार्य वसूली इत्यादि का आधार पर चयनित किए जाते हैं।

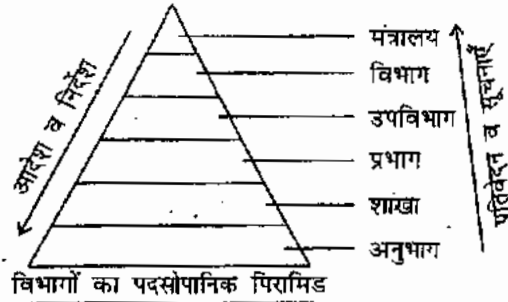
विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय करने के लिये मंत्रिमण्डल समितियाँ कायम की जाती हैं। इन समितियों के सदस्य मंत्रीगण होते हैं। अतः ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों के मध्य एक-तरह से राजनैतिक रूप से समन्वय का कार्य करती हैं। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय प्राप्ति में मंत्रिमण्डल सचिव और सचिव स्तरीय समितियों की भूमिका होती है। इस कार्य के लिये संलग्न कार्यालय, अधिनस्थ संगठन, स्वायत्त संस्थाएँ, मण्डल, आयोग, सलाहकारी समितियाँ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।



वित्त के संबंध में वित्त मंत्रालय, कार्मिक विषयों में कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, लोक उपक्रमों के विषयों में भारी उद्योग व लोक उपक्रम मंत्रालय इत्यादि नोडल मंत्रालय और नियोजन संबंधी विषयों में बाहर से योजना आयोग की सहायता ली जाती है। लोकनीतियों के निर्माण में सचिवालय व्यवस्था और लोकनीति कार्यान्वयन में क्षेत्रीय अभिकरण की भूमिका होती है। इनके सचिव विभिन्न राज्यों

के मुख्य सचिवों के साथ सीधे संपर्क रखते हैं। विकास और कल्याण के संदर्भ में वर्तमान में स्थानीय सरकारों का भी सहयोग लिया जाता है।

विभागीय संगठन की संरचना- विभागीय संरचना पिरामिड की भांति है। इसमें पदसोपान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय इत्यादि कार्यों के सरलतापूर्वक सम्पादन हेतु पदसोपान व्यवस्था एक व्यावहारिक पद्धति है।



विभागीय संरचना के पदसोपानिक पिरामिड में सत्ता शीर्ष से प्रारंभ होकर क्रमशः नीचे की ओर चलती है। शीर्ष स्तर पर उत्तरदायित्व अधिक होता है और निम्न स्तर पर कार्य सम्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है और उत्तरदायित्व की मात्रा कम होती जाती है। आदेश व निर्देश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और प्रतिवेदन व सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है।

भारत में मोटे तौर पर त्रि-स्तरीय विभागीय संरचना है।

- राजनैतिक स्तर पर मंत्रालय
- प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय
- क्रियान्वयन स्तर पर निदेशालय/विभाग/कार्यकारी संगठन।

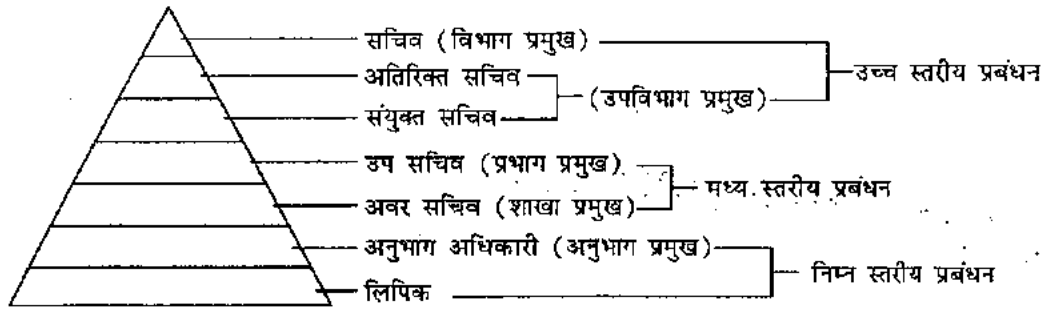
(i) **राजनैतिक स्तर पर मंत्रालय:** राजनैतिक स्तर पर राजनैतिक प्रमुख मंत्री होते हैं, इनकी सहायता पर राज्यमंत्री व उपमंत्री होते हैं। ये सभी संसद सदस्य होते हैं एवं अपने कार्यों के तैल्य संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न चुनावों के परिचा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधार पर पदाधिकारियों का भी परिवर्तन होता रहता है। स्पष्ट है उनकी नियुक्ति का आधार विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता उठाकर, दल के भीतर उनकी शक्ति स्थिति व राजनैतिक छवि होती है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य विभागों द्वारा कार्य करने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्माण करना, नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण करना, नीति क्रियान्वयन का सामान्य निरीक्षण करना, विभाग की नीति संबंधी प्रश्नों पर संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना है। मंत्री अपने विभाग से संबंधित पड़े गये प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करते हैं एवं जनता के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंत्रालयों के राजनैतिक मुख्य कार्यकारी जैसे राज्यमंत्री होते हैं परंतु प्रत्यक्ष राजनैतिक मुख्य कार्यकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद् होती है। मंत्रिमण्डलीय समितियों के सदस्य होने के साथ समन्वय करने और लोकनीति व कार्यक्रम के संदर्भ में राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने की भूमिका का निर्वहन मंत्रियों द्वारा किया जाता है। विभाग में नीतियों व कार्यक्रमों की सफलता व असफलता के संबंध में संबंधित मंत्रालय का दायित्व उभरता है। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मंत्री स्वयं को लोक नीतियों में ज्यादा केंद्रित करें और नीति क्रियान्वयन के मुद्दों की पहल के लिये सचिवों का प्रयोग करें।

कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री व उपमंत्री स्तर पर विभाजित होते हैं। वर्तमान में उपमंत्रियों के प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं है। मंत्री विभाग की नीति का व्यापक रूप से निर्धारण करता है और विभाग में उत्पन्न विशेष नीति विषयक मामलों को निश्चित करता है। राज्यमंत्री प्रायः अपने विभाग के मंत्री के सामान्य निरीक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करता है तथा उसे कुछ विशेष प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। कुछ स्थितियों में राज्यमंत्री अकेला ही पूरे मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। विभाग के कार्यसंचालन के संबंध में उपमंत्री का प्रायः कोई विशिष्ट प्रशासकीय उत्तरदायित्व नहीं होता। उपमंत्री का कर्तव्य संबंधित मंत्रियों की ओर से संसद में उत्तर देना, विधि निर्माण में उसकी सहायता करना, सामान्य जनता तथा निर्वाचन क्षेत्रों में नीतियों एवं कार्यक्रमों को स्पष्ट करना, संसद सदस्यों, राजनैतिक दलों तथा प्रेस से सम्पर्क बनाये रखना तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा सौंपी गयी विशेष समस्याओं का विशेष अध्ययन या जाँच करना होता है। संसदीय सचिव संसदीय कार्यों को सम्पन्न करने में मंत्री की सहायता करता है।

(ii) **प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय:** सचिवालय का प्रधान कार्य मंत्रियों को आवश्यक कार्यों के संपादन में सलाह व सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय मुख्य मोर्चे पर अपनी भूमिका संपादित करते नजर आते हैं, परंतु पृष्ठभूमि स्तर पर सचिवालय कार्यों का संपादन करते हैं। सचिवालय व्यवस्था में अनम्यता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। सचिवालय प्रशासकीय विभाग के मस्तिक केंद्र की भांति होते हैं। सचिवालय संगठन के शीर्ष पर सचिव होते हैं। सचिव अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा

के सदस्य होते हैं। विभाग की सचिवालयी व्यवस्था के दो वर्ग हैं अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ वर्ग। अधिकारी वर्ग में सचिव, उपसचिव, अवर सचिव होते हैं। बड़े विभागों में अतिरिक्त व संयुक्त सचिव का भी प्रावधान होता है। अतिरिक्त व संयुक्त सचिव समान श्रेणी या स्तर के होते हैं। इनका सचिवालयी कार्यों के संबंध में मंत्री से सीधा सम्पर्क होता है। सचिवालय के अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुभाग अधिकारी, सहायक तथा अवर लिपिक आते हैं।



विभागों की पदसोपानिक संरचना

सचिवालय की आधारभूत भूमिका स्टाफ या सलाहकारी रूप में होती है। सचिवालय और कर्मकारी अभिकरणों की व्यवस्था को अपना लोच नीति निर्धारण व कार्यान्वयन में अलगाव को स्वीकारने की ओर संकेत करता है। सचिवालय के शीर्ष प्रबंधन में समानता की स्थिति सशक्त होती है जब भी विशेषज्ञों की भी कुछ नियुक्तियाँ होती हैं।

प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मध्य समन्वय के सिलसिले में सचिव स्तरीय समितियों का प्रयोग किया जाता है। लोकनीति निर्माण में शीर्ष प्रबंधन की भूमिका ज्यादा होती है।

राजनीतिक प्रधान के अधीन विभागों का सचिवालय संगठन कार्य करता है। सचिवालय ही कर्मचारी प्रदान करता है जो नीतियाँ तथा कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये अपरिहार्य होते हैं। जब कोई नीति स्वीकार की जाती है तो उस नीति के निष्पादन और निरंतर ध्यान रखना सचिवालय का ही काम है।

- (iii) **क्रियान्वयन स्तर पर निदेशालय/विभाग या कार्यकारी संगठन** सचिवालय विभिन्न नीतियों के निर्माण में मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को सलाह व प्रारम्भ देते हैं। इन नीतियों का क्रियान्वयन का दायित्व जिन संगठनों पर होता है उन्हें विभाग या मंत्रालय का कार्यकारी संगठन कहा जाता है। विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष कहलाता है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे निदेशक, महानिदेशक, आयुक्त, महानिरीक्षक आदि। इस प्रकार कार्यकारी अभिकरणों के शीर्ष पदाधिकारियों के कई पदनाम हो सकते हैं। इनके प्रमुख काम नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। क्षेत्रीय स्तर पर सचिवालय को अवगत कराते हैं तथा उन्हें तकनीकी सहायता देते हैं। इनके प्रशासनिक के साथ-साथ अत्यन्त प्रमुख कार्य भी हो सकते हैं। यदि इनके समक्ष व्यापक कार्य आते हैं तो इनके निर्णयों को संबंधित विभागाधिकारियों या मंत्रालयों में चुनौती दी जाती है। विभागों के प्रकार (Kinds of Departments): संगठन की संरचना एवं आकार कार्य की प्रकृति एवं आंतरिक संबंधों के आधार पर विभागों में विभिन्नता होती है।

- एकात्मक विभाग:** एकात्मक विभाग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये संगठित होते हैं। उदाहरणार्थ प्रतिकक्षा विभाग, अंतरिक्ष विभाग इत्यादि।
- संघात्मक विभाग:** संघात्मक विभाग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। संघात्मक विभाग के अनेक उपविभाग होते हैं। संघात्मक विभाग बहुमुखी होते हैं। उदाहरणार्थ गृह विभाग; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग।
- प्रचालन विभाग:** ये विभाग सक्रियात्मक कार्य करते हैं। ये क्रियाओं के परिचालन में अपना योगदान देते हैं जैसे- डाक विभाग, रेल विभाग आदि।
- समन्वयात्मक विभाग:** ये विभाग समन्वय एवं पर्यवेक्षणत्मक कार्य करते हैं। जैसे- सामान्य प्रशासन विभाग। इसके अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका अधिकांश कार्य कार्यालय तक ही सीमित रहता है। इनके अंतर्गत कोई क्षेत्रीय इकाई भी नहीं होती है। उदाहरणार्थ वित्त विभाग।

मंत्री इच्छा, सचिव मस्तिष्क और कार्यकारिणी प्रमुख हाथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ सरकारी नीतियों के निष्पादन के लिए कार्यकारी निर्देशन के विकेंद्रीकरण तथा क्षेत्रीय अभिकरणों की स्थापना की आवश्यकता होती है वहाँ मंत्रालय के अधीन सहायक संगठन भी होते हैं जिन्हें संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय कहा जाता है। सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों के परिचालन हेतु ये संलग्न कार्यालय आवश्यक कार्यकारी निर्देश देने के लिये उत्तरदायी होते हैं। ये तकनीकी सूचना के भण्डार के रूप में कार्य करते हैं तथा मंत्रालयों को संबंधित प्रश्नों के तकनीकी मामलों में मंत्रणा देते हैं। अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय विभागों या अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी निर्णयों के विस्तृत निष्पादन के लिये उत्तरदायी होते

हैं। सामान्यतः वे किसी संलग्न कार्यालय के निर्देशन में कार्य करते हैं। जहाँ सन्निहित कार्यकारी निर्देश बहुत अधिक नहीं होता वहाँ ये सीधे मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

मंत्रालय प्रशासन के सफल संचालन में मंत्री, सचिवालय, विभाग या कार्यकारी संगठन तथा संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय संलग्न रहते हैं। अच्छे प्रशासन के लिये आवश्यक है कि इन सभी घटकों के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख और विभाजन किया जाये तथा ये सब आपस में मिलकर कार्य करें। मुख्य कार्यपालिका अधिकरणों को निम्नांकित प्रकारों में बाँटा जा सकता है-

- संलग्न कार्यालय (Attached Offices)
- अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate Offices)
- विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी (Registered Companies)
- विशेष कानून द्वारा स्थापित बोर्ड या नियम (Board and Corporations)
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी (Registered Societies)

कार्यपालिका अधिकरणों में इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार संलग्न व अधीनस्थ कार्यालय का है। कार्यालय नियम प्रक्रिया में इन कार्यालयों की व्याख्या की गयी है। जहाँ शासकीय नीतियों को लागू करने के लिये विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है वहाँ मंत्रालय के अधीन सहायक कार्यालय होते हैं जिन्हें संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। संलग्न कार्यालय मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए कार्यकारिणी निर्देशन देने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के समान कार्य करते हैं या शासकीय निर्देशों के विस्तृत रूप से लागू करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य रूप से अधीनस्थ कार्यालय संलग्न कार्यालय के निर्देशन के अधीन कार्य करते हैं।

मंत्रालय व विभाग: वर्तमान परिदृश्य (Ministries and Departments - Recent Scenario): यद्यपि 91 वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है लेकिन तब भी मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रत्यक्ष रूप में कई मंत्रियों के पास दो या अधिक मंत्रालयों की स्थितियाँ इष्टिगोचर होती हैं। अनुबंध द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्तियों के प्रयास किये गये हैं। सलाहकारी समितियों, आयोगों, मण्डलों आदि का प्रयोग बढ़ा है। 'पंचायतीराज का विमर्श' राज्यों को देखना है फिर भी इसकी लिये संघ में मंत्रालय है उदाहरणार्थ पंचायतीराज मंत्रालय मंत्रालयों के संपर्क में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुछ नोडल संस्थाओं का विकास किया जा रहा है। उदाहरणार्थ वित्त के विषय में वित्तीय प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Financial Management) फरीदाबाद को विकसित किया जा रहा है। मंत्री-सचिव संबंधों में परिवर्तन के लिए कुछ नवीन परिदृश्यों का वर्णन किया जा सकता है जैसे- आउटकम बजट के माध्यम से वैधानिक जवाबदेही उपरी है। सूचना के अधिकार अधिनियम से लोकनीतियों में प्रारंभिता बढ़ी है। नागरिक चार्टर का प्रयोग उभर रहा है। जनशिकायत निवारण में निदेशकों या न्यायाधिकरणों का प्रयोग उभर रहा है। न्यायपालिका की सक्रियता और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। लोकनीति विषयों में मंत्रियों को सचिवों के अतिरिक्त विशेषज्ञों, नागरिक समाज या अन्य सलाहकारी समितियों का सहयोग भी उपलब्ध हुई है। लोकनीति विषयों में लोकनीति इकाइयों का भी प्रयोग किया गया है। मंत्रियों के संशक्त समूहों के प्रयोग की स्थितियाँ उभरी हैं।

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

परिचय (Introduction)

भारत सरकार रक्षा और उसके हर घटक को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के साथ टिकी हुई है। यह देश की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सशस्त्र बलों के लिए नीतिगत ढाँचा और साधन प्रदान करता है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर सरकार की नीति निर्देश प्राप्त करने और सेवा मुख्यालय, इंटर सर्विसेज संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान और विकास संगठन को लागू करने के लिए उनसे बातचीत करना है। सरकार की नीति निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय के चार विभाग होते हैं-

1. रक्षा विभाग (डीओडी)
2. रक्षा उत्पादन (डीडीपी)
3. रक्षा अनुसंधान एवं विकास (डीडीआर एंड डी) और
4. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के विभाग और वित्त डिवीजन

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य (Organisational System and Function)

प्रत्येक सेवा अपने स्वयं के कमांडर जन चीफ के नीचे रखा गया। 1955 में कमांडर जन चीफ को रक्षा सेवाओं में नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के रूप में दिया गया। नवंबर 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। नवंबर 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग योजना और रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया था। कुछ दोष विभागों के बाद में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के रूप में विलय कर दिया गया। 2004 में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग का नाम रक्षा उत्पादन विभाग में बदल दिया गया था। 1980 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग बनाया गया था। 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया था।

रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय में चार विभागों की भातिविधियों के समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है।

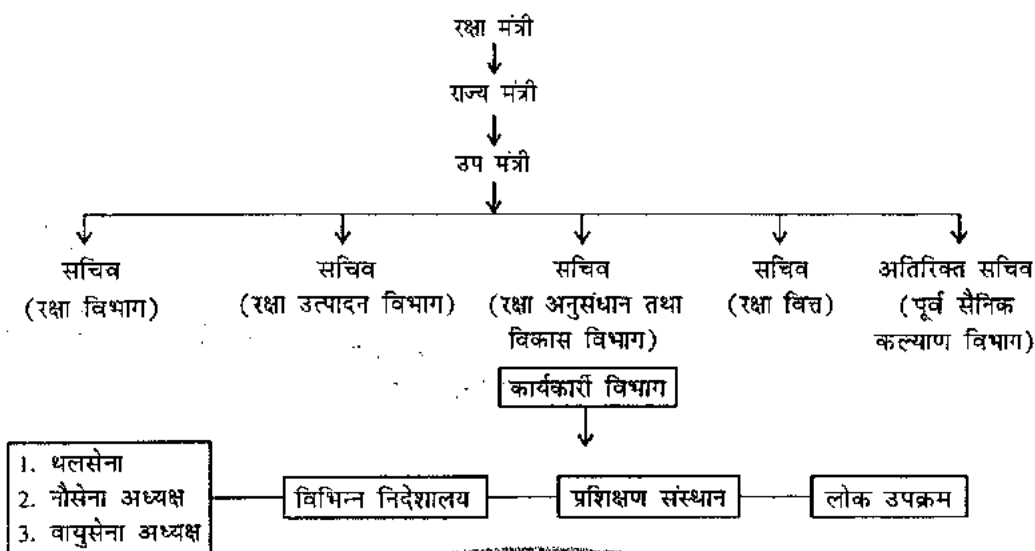
विभागों के कार्य (Functions of Departments)

मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्देश तैयार करना और सेवा मुख्यालय, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन को लागू करने के लिए उनसे बातचीत करना है। यह सरकार की नीति निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्य इस प्रकार हैं-

- (i) 'रक्षा विभाग' एकीकृत रक्षा स्टाफ (इन्टीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ) एवं तीनों रक्षा सेवाओं और विभिन्न अंतर-सेवा संगठनों से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ नियंत्रित करता है। यह 'विभाग' रक्षा बजट, अवस्थापना संबंधी विषयों, रक्षा नीति, संसदीय विषयों, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा सम्बद्ध सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए प्रधान भूमिका निभाता है।
- (ii) रक्षा उत्पादन विभाग का प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन विषयों, आयातित भंडारों का देशज रूप विकसित करने, उपकरण एवं अन्य घटकों, युद्धसामग्री फैक्ट्री बोर्ड (ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड) और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभागीय उत्पादन इकाइयों के नियोजन-नियंत्रण सम्बद्ध विषयों की निगरानी करता है।
- (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति होता है। यह रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और सामग्रियों के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को परामर्श करना तथा तीनों रक्षा सेवाओं द्वारा वांछित शोध, डिजाइन और विकास योजनाओं को सुत्रबद्ध करना है।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव होता है और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण एवं पेंशन विषयों से सम्बद्ध कार्य करता है।

रक्षा मंत्रालय : संगठनात्मक ढाँचा



रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित सभाग कार्यरत रहते हैं-

1. थलसेना सभाग
2. नौसेना सभाग
3. वायुसेना सभाग
4. अन्तःसेवा सभाग

भारतीय सशस्त्र बल (Indian Armed Force)

- भारतीय सेना
 - भारतीय नौसेना
 - तट रक्षक
 - भारतीय वायुसेना
 - भारतीय सेवा को पाँच क्षेत्रीय कमानों में संगठित किया गया है-
 - मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ
 - मुख्यालय पूर्वी कमान, कोलकाता
 - मुख्यालय उत्तरी कमान, उधमपुर
 - मुख्यालय पश्चिमी कमान, चेन्नई और
 - मुख्यालय दक्षिणी कमान, बंगलूर
- इसके अलावा, सेना के लिए प्रशिक्षण नीति के उद्देश्य के लिए शिमला में एक सत्रा प्रशिक्षण कमान है।
- भारतीय नौसेना के तीन क्षेत्रीय कमान हैं-
- मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम
 - मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई, और
 - मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि

तट-रक्षक (Coast Guard)

कोस्ट गार्ड (सीजी) को एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था। 1978 के रुस्तम जी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। भारत के ईईजेड की नियमित निगरानी, अवैध शिकार/तस्करी और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने कोस्ट गार्ड की भूमिका होती है। इसके अलावा, के चार्टर में समुद्री पर्यावरण की खोज एवं बचाव और संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल हैं।

एक नई सेवा के रूप में फरवरी 1977 में भारत में तटरक्षक बल के उद्भव राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में पानी में राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए सरकार में कुछ समय के लिए बंद रहा था कि एक जागरूकता का परिणाम था और वर्तमान स्वरूप में तटरक्षक का औपचारिक रूप से VAYAM RAKSHAMAH के रूप में अपने आदर्श वाक्य के साथ संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत 18 अगस्त को उद्घाटन किया गया था।

भारतीय तटरक्षक बल का प्राथमिक कर्तव्य है:

- तेल, मछली और खनिज सहित हमारे समुद्र और अपतटीय धन की रक्षा के लिए।
- कृत्रिम द्वीप समूह और बंद किनारे प्रतिष्ठानों, को सुरक्षित रखें।

- संकट में मल्लाह सहायता और समुद्र में जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए।
- समुद्र, शिपिंग, अवैध शिकार, तस्करी और नशीले पदार्थों के लिए सम्मान के साथ समुद्री कानूनों को लागू करने के लिए।
- समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए।
- वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए।
- युद्ध की स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना की सहायता के लिए।

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force)

भारतीय वायु सेना के सात कमान हैं:

- मुख्यालय मध्य वायु कमान, इलाहाबाद
- मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान, नई दिल्ली
- मुख्यालय दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, गांधी नगर
- मुख्यालय प्रशिक्षण कमान, बंगलुरु
- मुख्यालय पूर्वी वायु कमान, शिलांग
- मुख्यालय दक्षिणी वायु कमान, तिरुवनंतपुरम
- मुख्यालय अनुरक्षण कमान, नागपुर और

निम्नलिखित इंटर सर्विस संगठन रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (i) सैन्य अभियंता सेवा | (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएँ |
| (ii) रक्षा संपदा महानिदेशालय | (iv) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय |
| (v) जनसम्पर्क निदेशालय | (vi) सेना खरीद संगठन |
| (vii) सर्विसेज स्टाफ्स कंट्रोल बोर्ड | (viii) सशस्त्र बलों फिल्म और फोटो प्रभाग |
| (ix) विदेशी भाषा विद्यालय | (x) इतिहास विभाग |
| (xi) नेशनल डिफेंस कॉलेज | (xii) रक्षा प्रबंधन कॉलेज |
| (xiii) डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज | (xiv) रक्षा पुस्तकालय मंत्रालय |

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

(Defence Research and Development Organization - DRDO)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कार्यरत है। डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए समर्पित है और तीनों रक्षा सेवाओं की अभिव्यक्ति, गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर के हथियार प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

डीआरडीओ सैन्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, शस्त्र, वाहनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, मिसाइल, समुद्री नौसैन्य प्रणालियाँ, उन्नत कंप्यूटर, संचालन और जीवन विज्ञान शामिल हैं। डीआरडीओ अत्याधुनिक आयुध प्रौद्योगिकी की आवश्यकतापूर्ति के साथ-साथ समाज के कल्याण के लिए समन आह्वान देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है।

दृष्टि

“विश्व-स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना और अपनी रक्षा सेना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ और समाधानों से लैस कर उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना।”

ध्येय

- अपनी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियाँ, मंच और सहयोगी उपकरण अभिकल्पित करना, विकसित करना और उत्पादन के लिए तैयार करना।
- आक्रामक प्रभावकारिता अधिकतम करने के लिए और सैनिकों की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
- अवसंरचना तथा गुणवत्तापूर्ण प्रतिबद्ध श्रमशक्ति विकसित करना और मजबूत प्रौद्योगिकी आधार निर्मित करना।

कार्यकारी संगठन

रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यकारी संगठन हैं-

1. मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय (सेना मुख्यालय)।
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय।
3. सैनिक भूमि तथा छावनी महानिदेशालय।
4. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय।

5. जन सम्पर्क निदेशालय।
7. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड।
9. गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (चाहन)।
11. मानकीकरण निदेशालय।
13. रक्षा प्रदर्शनी संगठन।
15. रक्षा योजना स्टाफ महानिदेशालय।
17. रक्षा उत्पादन कारखाना महानिदेशालय।
19. आयुध कारखाना बोर्ड
21. कैण्टीन सेवा नियंत्रण बोर्ड।
23. रक्षा आसूचना अभिकरण।
25. रक्षा उत्पादन बोर्ड।
6. सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड (SSCB)।
8. पुनर्वास महानिदेशालय।
10. तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय।
12. योजना तथा सपन्वय निदेशालय।
14. सेना क्रय संगठन।
16. तटरक्षक महानिदेशालय।
18. कार्मिक सेवा निदेशालय।
20. सेवा चयन बोर्ड।
22. रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद्।
24. रक्षा अधिग्रहण परिषद्।

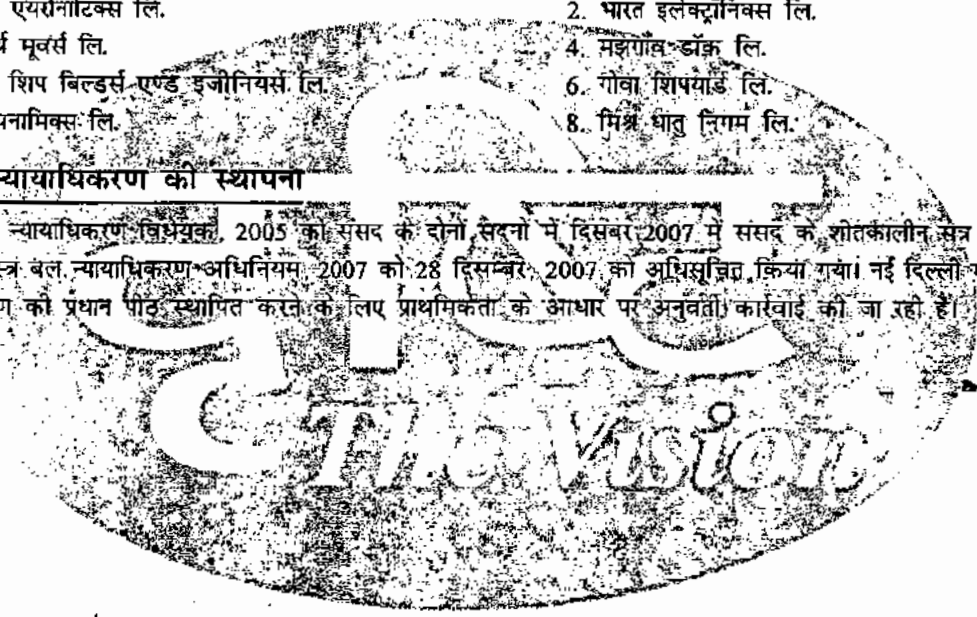
रक्षा कारखाने एवं लोक उपक्रम

आयुध कारखानों की महत्ता को बढ़ाने हेतु 18 मार्च को 'आयुध कारखाना दिवस' मनाया जाता है। इन कारखानों के अतिरिक्त 8 रक्षा लोक उपक्रम भी देश में कार्यरत हैं-

1. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
3. भारत अर्थ मूवर्स लि.
5. गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
7. भारत डायनामिक्स लि.
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
4. मझगांव डॉक लि.
6. गोवा शिपयार्ड लि.
8. मिश्र धातु निगम लि.

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विधेयक, 2005 को संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2007 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 को 28 दिसंबर 2007 को अधिसूचित किया गया। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।



वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

भारत सरकार के राजस्व संबंधी मामलों को संचालित करने के उद्देश्य से सन् 1810 में वित्त विभाग अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी वित्त विभाग का नाम बदलकर वित्त मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय भारत सरकार के आय-व्यय का ब्यौरा रखता है। भारत सरकार के वित्त-प्रशासन तथा उससे संबंधित विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों को निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय ही उत्तरदायी है।

संगठन- वित्त मंत्रालय कैबिनेट स्तर के एक वरिष्ठ मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। वित्त मंत्री मंत्रिमण्डल में गृहमंत्री के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण होता है। विभाग के नीति निर्धारण का कार्य राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव आदि की सहायता से किया जाता है। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। यह मंत्रियों को विभागीय नीतियों व प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते हैं।

वर्तमान में वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं-

1. आर्थिक कार्य विभाग
2. व्यय विभाग
3. राजस्व विभाग
4. विनिवेश विभाग (2004 में शामिल)
5. वित्तीय सेवाएँ विभाग (2006-07 में शामिल)।

आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और वैदेशिक पहलुओं से संबंध होता है, को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। इस विभाग का एक प्रमुख उत्तरदायित्व प्रति-वर्ष केन्द्रीय बजट (रेलवे बजट को छोड़कर) तैयार करना है।

संगठनात्मक इकाइयाँ-

इस समय आर्थिक कार्य विभाग का कार्य निम्नलिखित प्रभाग/इकाइयों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।

- (i) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग- यह प्रभाग बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाता एजेंसियों से ऋणों और अनुदानों के संचितरण, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाताओं की ऋणों का राधान, वैदेशिक सहायता का लेखांकन, निर्यात सवर्द्धन की लेखापरीक्षा और ऋण प्रभागों का प्रबंधन सुचारु रूप से आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है।
- (ii) प्रशासन और समन्वय प्रभाग- यह प्रभाग प्राथमिक और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन सहित सभी प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामले देखता है।
- (iii) द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग- द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग सभी जहाँ देश से द्विपक्षीय विकास सहायता का कार्य देखता है। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य अन्य विकासशील देशों की वित्तीयता, ऋण लेखला प्रदान करना है। यह सभी अल्पकालिक विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखता है।
- (iv) बजट प्रभाग- केन्द्रीय बजट को तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों जैसे बाजार उधार, लेखांकन और लेखा-परीक्षा विधियाँ तथा राज्य सरकारों के साथ वित्तीय संबंध के अलावा यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संगठन (एनएसओ) के माध्यम से लघु बचतों के संग्रहण का कार्य भी देखता है।
- (v) पूंजी बाजार प्रभाग- यह प्रभाग मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजारों (अर्थात् शेयर, ऋण और व्युत्पन्न) के विकास, वैदेशिक वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रशासनिक मामलों का कार्य भी देखता है।
- (vi) आर्थिक प्रभाग- यह प्रभाग अर्थव्यवस्था के वृहद प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर सरकार को आर्थिक सलाह देता है।
- (vii) एकीकृत वित्त प्रभाग- एकीकृत वित्त प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सरकारी व्यय संबंधी सभी मामलों में वित्तीय सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग इन विभागों के बजट तैयार करने और अनुदानों की विस्तृत मांगों को प्रशासित करने के लिए भी उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों और परिणाम बजट के समन्वय, संकलन और मुद्रण के कार्य भी इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं।

- (viii) **बहुपक्षीय संबंध प्रभाग-** बहुपक्षीय संगठनों और व्यापार से जुड़े विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और परिणामोन्मुखी रूप से कार्य करने के उद्देश्य से, विदेशी व्यापार प्रभाग और फण्ड बैंक प्रभाग से विशेषकर संबंधित मामलों का कार्य देखने वाले अनुभागों का विलय कर हाल ही में **बहुपक्षीय संबंध प्रभाग** सृजित किया गया है। संयुक्त सचिव (एमआर), एमआर प्रभाग के प्रमुख होते हैं। इस प्रभाग में पाँच अनुभाग सम्मिलित हैं। वर्तमान योजनागत फ्रेमवर्क के अंतर्गत एमआर-I अनुभाग को सलाह देने और जी-20, जी-24, जी-8, एएसईएम, ओईसीडी और ईसी से संबंधित सभी मामलों का कार्य सौंपा गया है। एमआर-II अनुभाग संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सभी मामलों का कार्य देखता है और यूएनडीपी से संबंधित सभी नीतिगत मामले इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एमआर-III अनुभाग डब्ल्यूटीओ और सार्क से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। एमआर-IV अनुभाग कोलंबो प्लान और उसके अंतर्गत निर्मित तकनीकी सहयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। एमआर-V अनुभाग विदेश व्यापार नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय को सलाह प्रदान करता है।
- (ix) **बहुपक्षीय संस्था प्रभाग-** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीएम) इस प्रभाग से जुड़े प्रमुख मामले हैं।
- (x) **भारतीय आर्थिक सेवा प्रभाग-** भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के संवर्ग प्रशासन से जुड़े सभी मामले आईईएस प्रभाग में निपटाए जाते हैं।
- (xi) **अवसंरचना और निवेश प्रभाग-** रेलवे, दूरसंचार, सड़क, पत्तन, नौवाहन, नगर विमान विद्युत, कोयला, गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन और अंतर्देशीय जल यातायात (आईडब्ल्यूटी) सहित अवसंरचना के क्षेत्र में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का संचालन इस प्रभाग में होता है।
- (xii) **मिडिल ऑफिस (ऋण प्रबंधन)-** इस कार्यालय की स्थापना 2007-08 के बजट भाषण में घोषित सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप की गई है। इसका उद्देश्य सरकार की ऋण प्रबंधन भूमिकाओं को बढ़ावा और सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम का प्रबंधन है।

व्यय विभाग (Department of Expenditure)

सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों को जोड़कर हेतु यह एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यक्षेत्रों में प्रमुख स्कॉम/परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना व्यय दोनों) की स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख-रखाव वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली/नियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना, केन्द्र सरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना, स्टालफिंग पैटर्न और ओ.एंड.एम. अध्ययनों की समीक्षा के जरिए संगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना और उत्पादन और सार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल हैं। यह विभाग मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्यों सहित वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों के समन्वय की व्यवस्था भी कर रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

व्यय विभाग को आवंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, योजना वित्त के I और II प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं।

संगठनात्मक इकाइयाँ

सम्प्रति व्यय विभाग का कार्य निम्नलिखित भिन्न-भिन्न पूरक प्रभागों/एककों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है:

- संस्थापना प्रभाग
- राज्य वित्त प्रभाग (योजना वित्त-I)
- योजना वित्त-II प्रभाग
- कर्मचारी निरीक्षण एकक

- मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय
- महालेखा नियंत्रक का कार्यालय
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.)
- केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी.पी.ए.ओ.)
- मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय

संस्थापना संभाग वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के लोक सेवकों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित कार्य नियंत्रित करता है जिसके अन्तर्गत वेतनमान संशोधन एवं नियमन, भत्ते निर्धारण तथा अन्य लाभ सम्मिलित हैं। यह संभाग वेतनमान संशोधन, वेतनवृद्धि, प्रतिनियुक्ति, भत्ता एवं कैंडर रिज्यू इत्यादि मामलों में परीक्षण कर परामर्श देता है। वेतन आयोगों की अनुशंसाएँ भी यही संभाग संचालित करता है।

योजना वित्त संभाग को पुनः दो संभागों (I एवं II) में विभक्त किया गया है। प्रथम संभाग राज्यों की वार्षिक योजनाओं तथा द्वितीय संभाग केन्द्रीय योजनाओं के कार्य देखते हैं। राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए चाहे वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित हों या विदेशी सहायता प्राप्त हों, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गैर योजना राजस्व, घाटा अनुदान, स्त्रियों में आपदा राहत कोष के लिए केन्द्र का हिस्सा तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में केन्द्रीय सहायता के निर्धारण से सम्बन्धित व्यवस्था यह संभाग करता है।

सन् 1964 में गठित कर्मचारी निरीक्षण एकक प्रशासनिक कुशलता तथा मितव्ययता की स्थापना करने का प्रयास करता है। कार्य निष्पादन मानक तथा पद्धतियाँ तैयार करना, कार्यविधियों में सुधार करना तथा कार्यप्रणाली इत्यादि का अध्ययन करना एवं प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिक्कायत विभाग को आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा करना इसके मुख्य कृत्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस एकक की अनुशंसाएँ परामर्श नहीं बल्कि आदेशात्मक होती हैं जिन पर एक अनिवार्य अवधि में पूर्णरूपेण अमल में लाना आवश्यक होता है।

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय लागत तथा लेखाशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकरण है जो भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य अभिकरणों को आद्योगिक लागत तथा मूल्य इत्यादि विषयों पर व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। मुख्यतः मितव्ययता लाना तथा कुशलता प्रदर्शित करना इस संभाग का प्रयास रहता है। वस्तुतः द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लागत लेखा शाखा की स्थापना की गई थी। सन् 1961 तथा 1978 में केन्द्रीय लागत लेखा (CCA) पूल की स्थापना हुई। अब इस पूल को भारतीय लागत लेखा सेवा में परिवर्तित कर दिया गया है।

आधुनिक 'नव लोक प्रबन्ध' के दौर में सरकारी कार्यों उत्पादक एवं सेवाओं की लागत का विश्लेषण करने वाला मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय एसी पेशेवर एजेंसी है जिसके प्रमुख कार्षिक लागत लेखा लेखकों (Cost or Chartered Accountants) होते हैं। भारतीय लागत लेखा सेवा (ICAS) के अध्यक्ष, अधिकारी तथा इसकी स्टाफ सम्पूर्ण सरकारी तंत्र, लोक उपक्रमों, कर प्रणाली, आय स्रोत पद्धतियाँ, सार्वजनिक मूल्य निर्धारण विवाद तथा लागत विश्लेषण सम्बन्धी परामर्श देने वाला प्रमुख स्रोत होता है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद की स्थापना सन् 1993 में की गई थी। स्वायत्त संस्था के रूप में यह संस्थान वित्तीय क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की स्थापना 01 जनवरी, 1990 को की गई थी। यह कार्यालय केन्द्रीय सिविल पेंशनधारकों के मुख्यतः तीन कार्य देखता है-

- देय पेंशन हेतु आवश्यक बजट तैयार करना।
- पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को अनुमति एवं पेंशन भेजना।
- सम्बन्धित बैंकों का आन्तरिक अंकेक्षण करना।

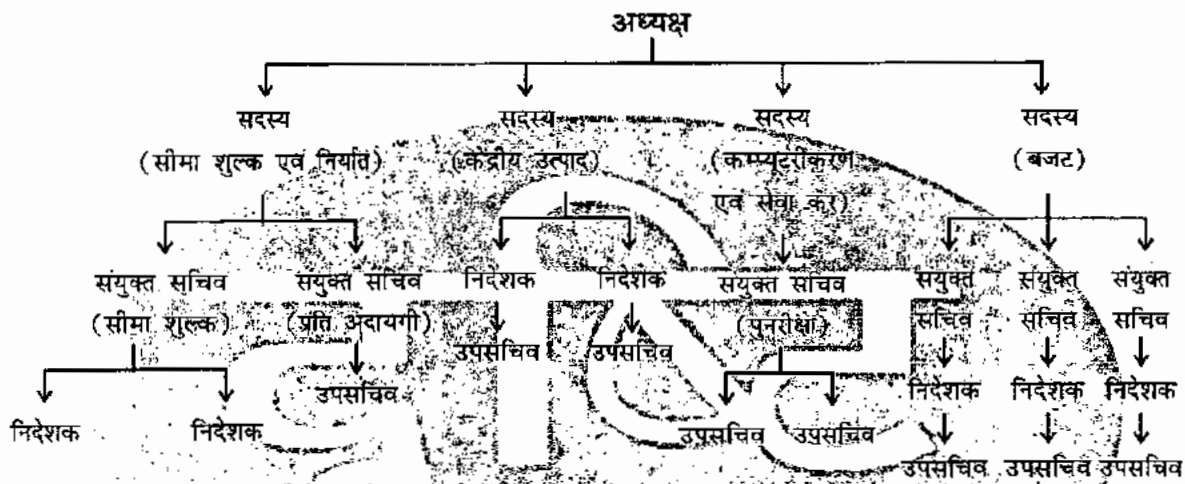
लेखा महानियंत्रक कार्यालय का मुख्य कार्य लेखांकन (Accounting) से सम्बन्धित प्रपत्र निर्माण, वित्तीय एवं लेखा नियमों का संचालन, लेखा साधारण, भारतीय लोक सेवा सर्वप्रबन्धन तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों के वित्तीय मामलों में बैंकों एवं सरकार से समन्वय करना है। लेखा महानियंत्रक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से भी समन्वय करता है तथा उसे आवश्यक सहायता एवं सामग्री उपलब्ध कराता है। एक संवैधानिक संस्था के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्यों के लेखाओं के स्वरूप निर्धारित करने और लेखा परीक्षण करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का (अनुच्छेद-150) प्रयोग करता है। वस्तुतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय ही 'भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग' होता है। सन् 1976 में स्थापित हुई लेखा महानियंत्रक (CGA) संस्था के माध्यम से लेखांकन सम्बन्धी सभी कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। यही भारत का 'लोक लेखा संगठन' है।

राजस्व विभाग (Revenue Department)

राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संधीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण के कार्य किए जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 5 सदस्य हैं।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Custom Duty)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का संगठन चार्ट



संगठन एवं कार्य

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, तस्करी निवारण तथा शुल्क अपवचन एवं सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर एवं व्यापक पदार्थों केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की परिधि के भीतर) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में जोतियों के निर्माण से संबंधित कार्य करता है। यह बोर्ड क्षेत्रीय संगठनों नामतः सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों एवं केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधीन अफॉम एवं अखरोट कारखाना निदेशालय की सहायता से इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेश एवं अंतर्देशीय यात्रा पर करों का संचालन कानून के अनुसार हो तथा संग्रहण एजेंसियों संगृहित करों को सरकारी राजकोष में तुरंत जमा करें।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Tax)

कार्य एवं संगठन

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता से प्रत्यक्ष कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मामलों को संभालते हुए मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड 1924 के परिणामस्वरूप करों के प्रशासन से भारत विभाग के शीर्ष निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। आरंभ में बोर्ड के पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रभार था। तथापि जब बोर्ड के लिए करों का प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया तो बोर्ड को 1.1.1964 से दो भागों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में विभक्त कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संगठन एवं कार्य

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं निम्नलिखित छह सदस्य होते हैं-

1. अध्यक्ष
2. सदस्य (आयकर)
3. सदस्य (विधायन एवं कम्प्यूटराइजेशन)
4. सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन)
5. सदस्य (जांच)
6. सदस्य (राजस्व एवं सतर्कता)
7. सदस्य (लेखा परीक्षा एवं न्यायिक)

संगठनात्मक व्यवस्था एवं मानवशक्ति

बोर्ड के दिल्ली में निम्नलिखित संलग्न कार्यालय हैं-

- | | |
|----------------------------------|--|
| (i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन) | (ii) आयकर निदेशालय (आरएसपी एवं पीआर) |
| (iii) आयकर निदेशालय (वसूली) | (iv) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा-परीक्षा) |
| (v) आयकर-निदेशालय (ओ एवं एम) | (vi) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली) |
| (vii) आयकर महानिदेशालय (सतर्कता) | (viii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना) |

पूरे देश में नियुक्त विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्तों द्वारा क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों का कर-निर्धारण एवं संग्रहण का प्रभार संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, आयकर महानिदेशक (जांच) क्षेत्रीय स्तर पर जांच तंत्र का समग्र प्रभार संचालित करता है जिसका उद्देश्य कर अपवचन को रोकना एवं लेखाबाह्य धन को खोजना करना है। मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों की सहायता उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील के निपटारे के कार्य का निष्पादन करने हेतु एक प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) सम्मिलित होता है।

वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services)

यह विभाग वित्त मंत्रालय के विदेश में दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं एवं वित्तीय बीमा तथा बैंकिंग सेवाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य निष्पादित करता है। इस विभाग का प्रमुख आर्थिक कार्य निम्नलिखित हैं: बैंकिंग एवं बीमा संभाग वाणिज्यिक बैंक नीति शाखा विस्तार, कृषि साख, देश-विदेश के बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से सम्बन्धित कार्य निष्पादित करता है जो मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक वित्त प्राथमिकता क्षेत्र, कार्मिक संरचना तथा सतर्कता से सम्बन्धित होते हैं। 19 जुलाई, 1969 को अध्यादेश द्वारा बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगस्त, 1991 में वित्तीय प्रणाली ढाँचे, संगठन तथा कामकाज को लेकर बनी एम.एस.सि.सि.सि. समिति की अनुशंसा के परचात यह संभाग बैंक की बैलेंस शीट पर अधिक निगरानी रखने लगा है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत, अप्रैल, 1935 को गठित तथा 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकृत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस क्षेत्र में वित्त मंत्रालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय ही जारी करता है।

यह संभाग बीमा से सम्बन्धित गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। एक सितम्बर, 1956 को गठित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा नवंबर, 1972 में गठित भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) जो नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लि., न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि., ओरियण्टल इश्योरेंस कम्पनी लि. तथा यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. के माध्यम से कार्य करती है तथा डाक बीमा योजना को यह संभाग मार्गदर्शन प्रदान करता है। बीमा नीति एवं प्रशासन संचालन में यह विभाग प्रमुख अभिकरण है। प्रमुख बीमा योजनाओं की घोषणा तथा जनकल्याण की नीति भी इसी संभाग द्वारा निर्मित होती है। बीमा क्षेत्र की निजी कम्पनियों को भी यह संभाग बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के माध्यम से नियंत्रित-निर्देशित करता है। यह संभाग 'बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002' का क्रियान्वयन भी देखता है।

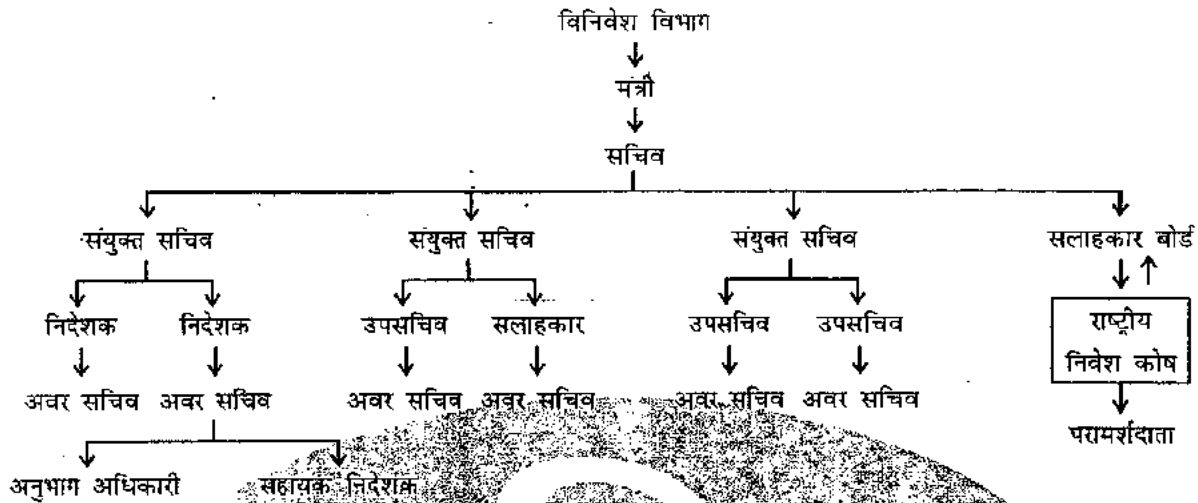
यह विभाग बीमा, बैंकिंग तथा पेंशन सुधार से सम्बन्धित समस्त नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा कार्यों का निष्पादन करता है। पूर्व में यह कार्य आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किए जाते थे।

विनिवेश विभाग (Department of Disinvestment)

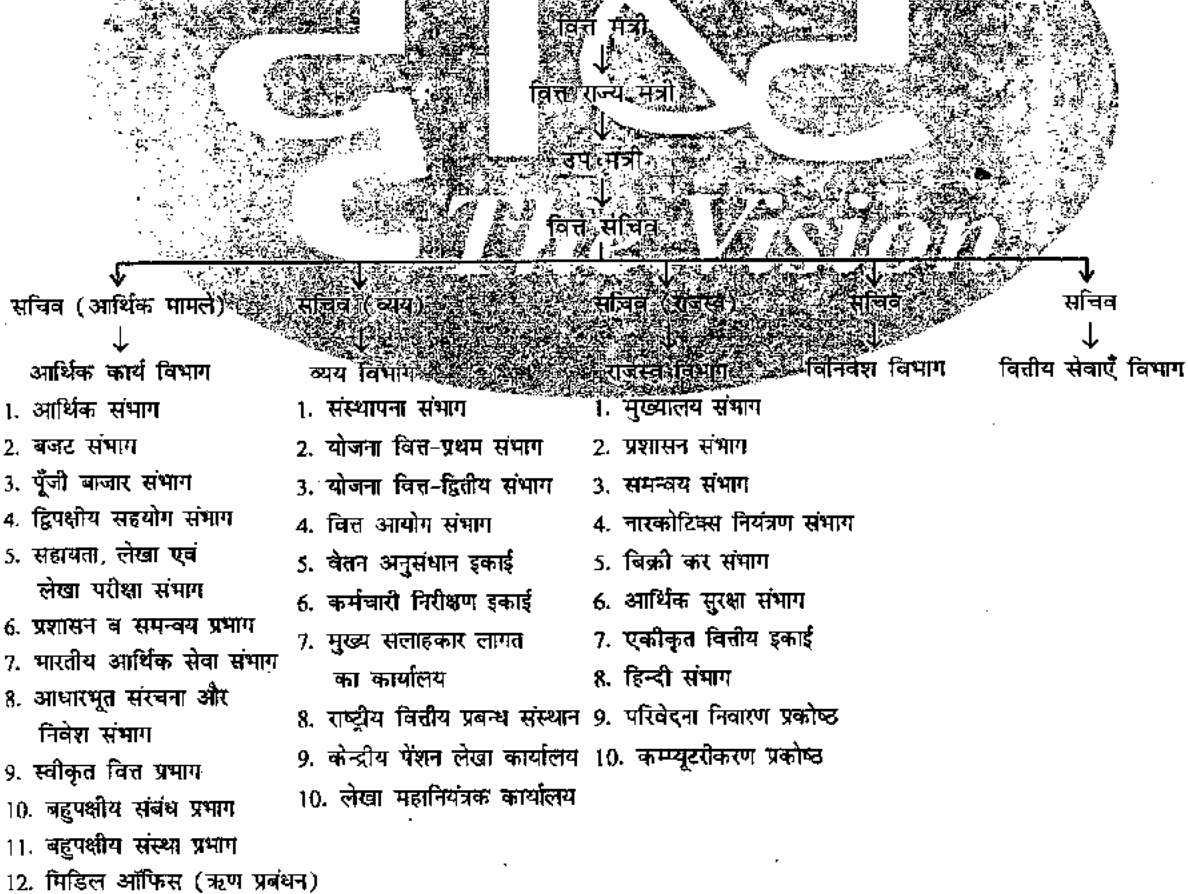
10 दिसम्बर, 1999 को विनिवेश विभाग बनाया गया था जिसे 6 नवम्बर, 2001 को मंत्रालय का स्तर प्रदान किया गया किन्तु सन् 2004 से इसे वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के परचात शुरू हुई निजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत निर्णय यही विभाग करता है। वर्तमान में इस विभाग की नीति है कि 'नवरत्न'

का स्तर प्राप्त तथा लाभार्जन कर रहे लोक उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाए बल्कि इन्हें बाहरी बाजार से पूँजी एकत्रण एवं संसाधन गतिशीलन हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। साथ ही, अत्यंत घाटे में चल रहे लोक उपक्रमों को श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए बन्द किया जाना है या निजीकरण किया जाना है। इसके अलावा सरकार निजीकरण के सामाजिक दायित्वों एवं सन्दर्भों को भी ध्यान में रखेगी।

विनिवेश विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



वित्त मंत्रालय का संगठन



गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

परिचय (Introduction)

आरंभ से ही गृह विभाग का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत, परम्परागत तथा जटिल प्रकृति का रहा है इसलिये इसे जननी मंत्रालय (Mother Ministry) भी कहा जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गडबडी से सुरक्षा प्रदान करे।

शान्ति एवं सौहार्द, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करेगा:

- आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों तथा उग्रवाद, विद्रोह एवं आतंकवाद को समाप्त करना;
- सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना;
- कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना;
- समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों को कायम रखना; और
- प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना।

गृह मंत्रालय, राज्यों के सवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय की भूमिका (Role of Home Ministry)

- सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस-राज्यों के मुख्य दायित्व (भाग XI एवं सातवीं अनुसूची)
- संघ के कर्तव्य - आंतरिक अशांति, राज्यों की सुरक्षा, राज्यों के शासन का संविधान के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना।
- नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व निर्वहन करना।
- आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले देखना।
- केन्द्र-राज्य संबंधों एवं अन्तर-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामले देखना।
- राजभाषा से संबंधित संविधानिक उपबंधों एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।
- संविधान के तहत केंद्र प्रमुख दायित्वों का निर्वहन, यथा संघर्षिता एवं उप-संघर्षिता द्वारा प्रदर्शित करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना, राज्यों के राज्यपालों एवं संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति, त्यागपत्र एवं हटाए जाने संबंधी अधिसूचना।
- नागरिकता एवं नागरिकों को अधिकार प्रदान करने, जनगणना, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि जैसे मामले।

विभाग (Departments)

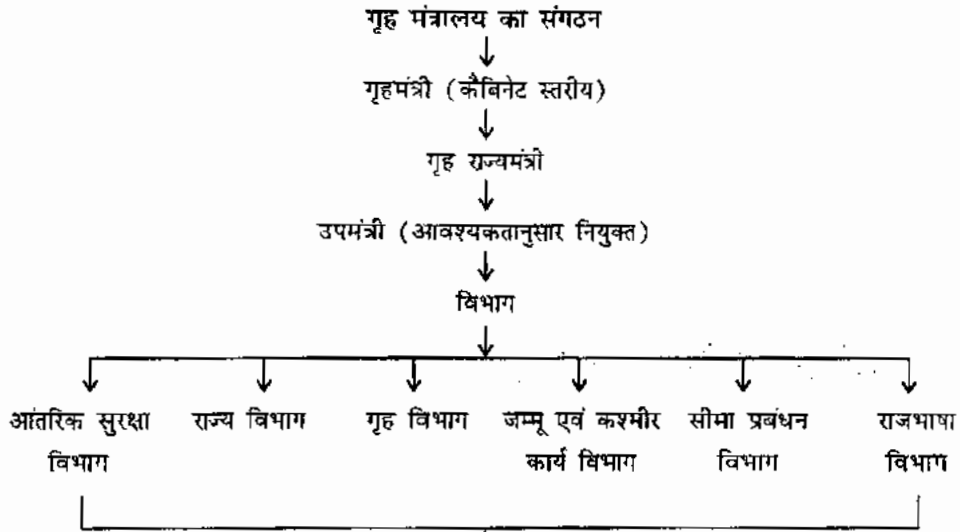
भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग हैं-

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| (i) सीमा प्रबंधन विभाग | (ii) आंतरिक सुरक्षा विभाग | (iii) राज्य विभाग |
| (iv) राजभाषा विभाग | (v) गृह विभाग | (vi) जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग |

प्रभाग (Divisions)

गृह मंत्रालय के निम्नलिखित प्रभाग हैं-

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ● प्रशासन प्रभाग | ● सीमा प्रबंधन प्रभाग | ● समन्वय प्रभाग |
| ● केंद्र-राज्य प्रभाग | ● आपदा प्रबंधन प्रभाग | ● वित्त प्रभाग |
| ● स्वतंत्रता सेनानी/पुनर्वास प्रभाग | ● मानव अधिकार प्रभाग | ● आंतरिक सुरक्षा-II प्रभाग |
| ● आंतरिक सुरक्षा-II प्रभाग | ● जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग | ● न्यायिक प्रभाग |
| ● पूर्वोत्तर प्रभाग | ● नक्सल प्रबंधन प्रभाग | ● पुलिस-II प्रभाग |
| ● पुलिस-II प्रभाग | ● पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग | ● नीति नियोजन प्रभाग |
| ● संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग | | |



प्रशासनिक प्रमुख

गृह सचिव

विशेष सचिव

निदेशक

उपसचिव

गृह मंत्रालय से सम्बद्ध अधिकरण निम्नानुसार है-

(क) सम्बद्ध अधिकरण

1. महारजिस्ट्रार, जनगणना तथा क्षेत्रीय जनगणना कार्यालय।
2. मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय।

(ख) अधीनस्थ अधिकरण

1. क्षेत्रीय पंजीकरण (विदेशी नागरिक) कार्यालय, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई।
2. आसूचना ब्यूरो।
3. समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)।
4. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो।
5. परीक्षक, संदिग्ध प्रलेख।
6. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
7. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो।
8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो।
9. विशेष सेवा ब्यूरो महानिदेशालय।
10. सचिवालय सुरक्षा संगठन।
11. राष्ट्रीय पुलिस कम्प्यूटर सेण्टर।
12. केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो।
13. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
14. न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय।
15. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स।
16. आप्रवास ब्यूरो।
17. मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, जैसलमेर।

गृह मंत्रालय : संगठनात्मक ढाँचा

गृह मंत्री

राज्य मंत्री

उप मंत्री

गृह सचिव

विशिष्ट सचिव

सचिव

सचिव

राजभाषा सचिव

गृह विभाग
(जम्मू-कश्मीर
विभाग)

राज्य विभाग

आन्तरिक सुरक्षा
विभाग

सीमा प्रबन्ध
विभाग

राजभाषा विभाग

1. महारजिस्ट्रार, जनगणना
2. क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता
3. रीपेडिएटर को-ऑपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवेलपमेण्ट बैंक लि. (रेपको) चेन्नई
4. रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन लि. पुनलुर, केरल
5. भारत शत्रु सम्मदा अभिरक्षक का कार्यालय मुम्बई कोलकाता

1. राष्ट्रीय भानवाधिकार आयोग
2. अन्तरराष्ट्रीय परिषद्
3. क्षेत्रीय परिषदें
4. केन्द्रशासित एवं तत्सम क्षेत्रों परमर्शदात्री समिति
5. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
6. राष्ट्रीय अग्नि सेवा
7. महाविद्यालय, नागपुर
8. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर

1. सीमा सुरक्षा बल
2. सशस्त्र सीमा बल

1. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
2. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
3. निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना
4. केन्द्रीय हिन्दी समिति
5. हिन्दी प्रशिक्षण परामर्शदात्री समिति
6. केन्द्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति
7. नगर (Town) राजभाषा समिति
8. हिन्दी सलाहकार समितियाँ

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
3. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस असम राइफल
4. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
5. आसचना बल
6. सैनिक निदेशालय (पुलिस ब्रांच)
8. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो
9. परीक्षक, सदिग्ध प्रलेख
10. न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय
11. लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
12. विधि विज्ञान प्रयोगशाला
13. सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
14. आन्तरिक सुरक्षा अकादमी, माउण्ट आबू

15. राष्ट्रीय एकता परिषद्
16. राष्ट्रीय सम्प्रदायिक संवाद प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता
17. केन्द्रीय गलतचक्र प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता
18. होमगार्ड तथा लैण्डगार्ड
19. सिविल सफाई बल
20. राष्ट्रीय पुलिस कमिटी सेक्टर
21. नवीन गुप्तचर ब्यूरो
22. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर (हरियाणा)
23. स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो
24. आप्रवास ब्यूरो
25. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
26. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली
27. मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, जैसलमेर
28. केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

18. भारत शत्रु सम्मदा अभिरक्षक का कार्यालय मुम्बई, कोलकाता।

19. महानिदेशालय, राष्ट्रीय आपदा दायित्व बल।

(ग) पुलिस बल

1. सीमा सुरक्षा बल।
2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
5. असम राइफल।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
7. सशस्त्र सीमा बल।
8. होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (स्वयंसेवी बल) राज्यों में।
9. राजकीय रेलवे पुलिस-राज्यों के साथ।
10. मोबाइल सिविल इमर्जेंसी फोर्स

(घ) प्रशिक्षण संस्थान

1. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
2. सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद।
3. राष्ट्रीय अग्निसेवा महाविद्यालय, नागपुर।
4. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर।
5. आन्तरिक सुरक्षा अकादमी, माउण्ट आबू।
6. लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं न्यालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
7. केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता, हैदराबाद तथा चण्डीगढ़।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर (हरियाणा)।
9. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली।
10. पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, उमसो, मेघालय।
11. केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

(ङ) परिषदें, समितियाँ तथा आयोग

1. राष्ट्रीय एकता परिषद्।
2. अन्तर्राज्यीय परिषद्।
3. क्षेत्रीय परिषद्।
4. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान।
5. केन्द्रीय हिन्दी समिति।
6. हिन्दी प्रशिक्षण परामर्शदात्री समिति।
7. केन्द्र शासित एवं नैफा क्षेत्र परामर्शदात्री समिति।
8. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र समिति।
9. केन्द्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति।
10. नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति।
11. हिन्दी सलाहकार समितियाँ।
12. केन्द्रीय आपातकालीन सहायता परामर्शदात्री समिति।
13. पुलिस आयोग।
14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (स्वतंत्र तथा वैधानिक संस्था)।
15. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।

(च) अन्य

1. रीपेटिटर को-ऑपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवेलपमेण्ट बैंक लि. (रेपको) चेन्नई।
2. रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशंस लि., पुनालुर, केरल।

उपर्युक्त वर्णित अधीनस्थ कार्यालयों, समितियों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पुलिस बलों के माध्यम से गृह मंत्रालय अपने दायित्वों को पूरा करता है। पुलिस आयोग, पुलिस प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देता है जबकि केन्द्रीय कानून द्वारा अक्टूबर, 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था के रूप में आम व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। मानवाधिकार आयोग के सम्मुख आने वाली अधिकांश शिकायतें पुलिस के अत्याचारों से सम्बन्धित होती हैं। यद्यपि पुलिस तथा आन्तरिक सुरक्षा का अधिकांश कार्य राज्य प्रशासन से सम्बन्धित है तथापि अनेक कानून ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन केन्द्रीय गृह मंत्रालय करता है।

कार्य (Functions)

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र सदैव से ही विस्तृत तथा गम्भीर प्रकृति का रहा है। गृह मंत्रालय के कार्य इसके विभागों के अनुसार यहाँ वर्णित किये जा रहे हैं-

1. सीमा प्रबंधन विभाग- यह विभाग तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है।

भारत की 15106.7 किमी. भू-सीमा और द्वीप क्षेत्रों सहित 7516.6 किमी. तटवर्ती सीमा है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी भू-सीमाओं की लंबाई निम्न प्रकार है:

देश के नाम	सीमा की लम्बाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488
पाकिस्तान	3,323
नेपाल	1,751
म्यांमार	1,643
भूटान	699
अफगानिस्तान	106
कुल	15,106.7

देश विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुलभ बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सीमाओं का प्रबंधन कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें हमारे सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा और इनके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक सुरक्षा, आसूचना, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वित और समन्वित कार्यवाही किया जाना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा रोशनी की व्यवस्था करने जैसे आधारभूत कार्य करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया है।

सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहल की है। इनमें भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के साथ-साथ बाड़ लगाना, रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का तेजी से निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच केंद्रों के विकास को कार्रवाई करना, भारत-चीन सीमाओं के साथ-साथ सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बीएडीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासत्मक कार्य शुरू किए हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- **भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन:** भारत-नेपाल सीमा पर जो जिला और समुदायों राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने और सीमा पर सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सीमा निर्गमनी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 27 बटालियन तैनात कर दी गई है।

गृह सचिव स्तर की जांच और संयुक्त सचिव के स्तर पर संयुक्त कार्य ग्रुप के रूप में दो देशों के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। इसके अतिरिक्त दो देशों के जिला प्रदाधिकारियों के बीच सीमा जिला समन्वय समिति की बैठकों का तंत्र है। ये तंत्र सीमा पार के अपराध, तस्करी आतंकवादी क्रियाकलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे परस्पर चिंता वाले मुद्दों पर क्रमशः राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं।

- **भारत-भूटान सीमा प्रबंधन:** इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए सीमा चौकसी बल (बीएसएफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 13 बटालियन तैनात की गई हैं।

सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में भारत-भूटान ग्रुप के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र नियमित रूप से कार्य करता रहा है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को होने वाले संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

- **भारत-म्यांमार सीमा का प्रबंधन:** भारत की 1643 किमी. सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है।

इस सीमा पर विद्रोह-रोधी और सीमा चौकसी कार्य के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। 46 बटालियनों में से 31 बटालियन विद्रोह-रोधी कार्रवाई के लिए तथा 15 बटालियन सीमा चौकसी संबंधी कार्य के लिए है। इस समय भारत-म्यांमार सीमा पर सभी 15 सीमा चौकसी बटालियन कम्पनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) पद्धति पर तैनात हैं न कि बीओपी प्रणाली के अनुसार। ये कम्पनियाँ अंतर्गमन/बहिर्गमन के सभी भागों पर तैनात हैं तथा घुसपैठ, शस्त्रों, गोला बारूद, मादक द्रव्यों, जाली मुद्रा नोटों की तस्करी आदि की जाँच कर रही हैं।

- मोरेह (मणिपुर) में बीपी सं. 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना: भारत सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बीपी सं. 79 से 81 के बीच बाड़ लगाने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। बाड़ निर्माण का कार्य तकनीकी समिति तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लागत अनुमानों/डीपीआर का अनुमोदन किए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BAPD): सीमा प्रबंधन विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय योजनाओं के समन्वय भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को अधिकतम रूप से जुटाने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा से लगे 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 349 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। आधारभूत संरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजना का निष्पादन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में राज्यों को निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

2. **जम्मू कश्मीर विभाग:** 1 नवम्बर, 1994 से सृजित यह विभाग जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित संवैधानिक उपबंधों तथा अन्य मामलों को देखता है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू-कश्मीर विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। भारत के सुदूर उत्तरी हिस्से में अवस्थित इस राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र हैं- कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख। इन तीनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिया गया है-

तालिका	
क्षेत्र	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ष मील)
कश्मीर घाटी	8,639
जम्मू क्षेत्र	12,378
लद्दाख क्षेत्र	33,554
कुल	54,571

पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

पाकिस्तान से कश्मीर की सीमा लगी होने के कारण एवं जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के मध्य के तनाव को देखते हुये यहाँ के लिये एक पृथक विभाग कायम है। यह विभाग जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की नीति, विषयक मामलों, केन्द्र-राज्य संबंध, उपवाद नियंत्रण एवं विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं संबंधी मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही करता है।

जम्मू कश्मीर विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियाँ-अधिनियम, 1990 का क्रियान्वयन करना।
- जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों को समन्वय करना।
- रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से समन्वय रखते हुये आतंकवाद नियंत्रण और भारत-पाक सीमा पर तैनाती के प्रकरण निपटाना।
- जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्रियान्वित करना।
- खीर भवानी और मट्टन में मकानों और पूजा स्थलों का पुनरुद्धार, बड़गांव में 200 फ्लैटों का निर्माण, कश्मीर विस्थापितों के लिए जम्मू में आवासों का निर्माण, सीमा से विस्थापितों का पुनर्वास (कारगिल संघर्ष - 1999 के दौरान) आदि जम्मू कश्मीर विभाग द्वारा संपादित प्रमुख कार्यों के उदाहरण हैं।

3. **गृह विभाग (Department of Home):** राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने, प्रधानमंत्रियों/मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आदि कार्य गृह विभाग देखता है। संसद सदस्यों का मनोनयन, विधायिका में आचार संहिता, मंत्रियों की आचार संहिता संबंधी कार्य करना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय चिह्न आदि मानकों की स्थापना और राष्ट्रीय चरित्र स्थापना में सहायता करना, प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, पदत्याग संबंधी अधिसूचनाओं का प्रकाशन करना भी इस विभाग के कार्य हैं।

जनगणना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी कार्यों का संपादन करना, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के मामले, राष्ट्रपति के नाम से कागजों के अधिप्रमाणन संबंधी कार्य देखना गृह विभाग का दायित्व है। पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक आदि सम्मान देना, भौगोलिक नामों में परिवर्तन संबंधी स्वीकृति देना भी विभाग के कार्य हैं।

4. **आंतरिक सुरक्षा विभाग (Department of Internal Security):** पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी कार्य यह विभाग देखता है। देश की सीमाओं पर तथा आंतरिक क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करना एवं आतंकवाद, अलगाववाद, अशांति, विद्रोह इत्यादि स्थितियों में समुचित कार्यवाही करने का दायित्व आंतरिक सुरक्षा विभाग का है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को समुचित मार्गदर्शन व सहायता देना, इण्टरपोल से समन्वय स्थापित करना, पुलिस पदक व अन्य प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य सम्पन्न करवाना, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, युद्धकाल व्यवस्था संबंधी कार्य करना, विधि का शासन और राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता स्थापित करने में सहायता करना, केंद्रीय बलों जैसे- असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का संपादन करवाना आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता, निर्वासन, पंजीकरण आदि कार्य संपन्न करवाना भी इसी विभाग का कार्य है।
5. **राज्य विभाग (Department of State):** यह विभाग केंद्र-राज्य संबंधों, अंतरराज्य संबंधों, संघ-राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले को देखता है। नये राज्यों का निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन, नाम में परिवर्तन इत्यादि संबंधी कार्यों को करना, अंतरराज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय एकता परिषद् इत्यादि को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करना, अनुच्छेद-371 के अंतर्गत विशेष उपबंधों के संचालन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना, अग्निशमन सेवा विकास, पुलिस व कारागार सुधार संबंधी कार्य करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।
6. **राजभाषा विभाग (Department of Official Language):** राजभाषा से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की कार्यान्विति सुनिश्चित करना, केंद्रीय हिन्दी संस्थान के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा देने वाले कार्य करना, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना का संचालित करना भी इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

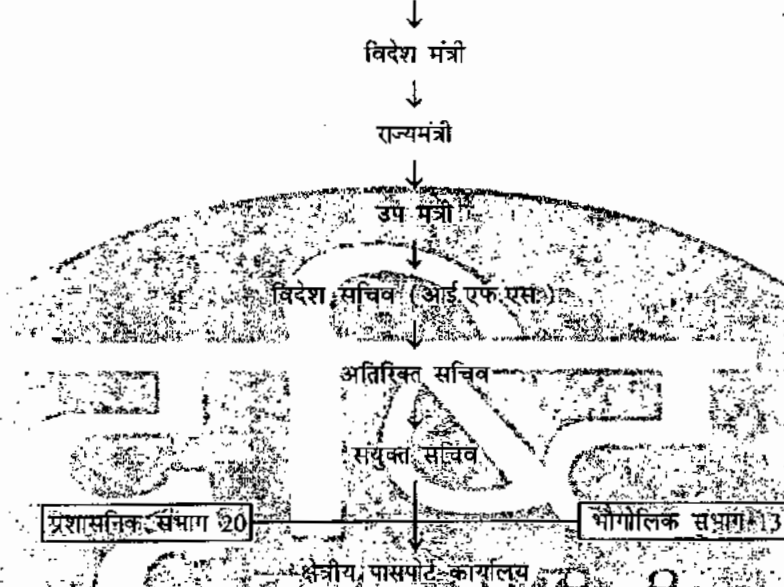


विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

संगठन (Organisation)

आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में विदेशी सम्बन्धों का विशिष्ट तथा गम्भीर महत्व होने के कारण यह विभाग प्रायः उच्च शासन सत्ता के अधीन रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल इस विभाग के कार्य स्वयं निष्पादित करते थे जबकि वर्तमान में विदेश मंत्रालय का राजनीतिक प्रभारी, प्रधानमंत्री अथवा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होता है जो भारत की संसद तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित विदेश नीति का संचालनकर्ता होता है। विदेश मंत्री की सहाय्यतार्थ दो या तीन राज्य मंत्री एवं उपमंत्री नियुक्त किये जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर विदेश मंत्रालय का प्रमुख विदेश सचिव कहलाता है जो भारतीय विदेश सेवा (I.F.S.) का वरिष्ठतम अधिकारी होता है।

विदेश मंत्रालय: संगठनात्मक ढाँचा



(विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय दूतावास तथा उच्चायुक्त कार्यालय रेजिडेंट तथा नॉन रेजिडेंट मिशन विदेश मंत्रालय के कार्य सम्पादित करते हैं तथापि इनका स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है।)

सचिवों की सहाय्यतार्थ अनेक अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव तथा अन्य कामिक मंत्रालय में कार्यरत हैं।

विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यरत पासपोर्ट ऑफिस देश के 44 शहरों में कार्यरत हैं। अमृतसर, कोयम्बटूर, जम्मू, श्रीनगर, गाजियाबाद, पोर्टब्लेयर, विशाखापट्टनम इत्यादि विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, धर्मशाला में स्थित हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रमुख सहायक अधिकरण हैं—

● भारतीय संस्कृति संबंध परिषद् (ICCR)

● भारतीय विश्व कार्य परिषद् (ICWA)

विदेश मंत्रालय को आन्तरिक सचिवालयी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कई संभागों में विभक्त किया गया है।

1. प्रशासनिक संभाग

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. प्रशासनिक संभाग | 2. समन्वय संभाग |
| 3. कॉन्सुलर, पासपोर्ट तथा वीजा संभाग | 4. आर्थिक संभाग |
| 5. संस्थापना संभाग | 6. बाह्य प्रचार संभाग |
| 7. वित्त संभाग | 8. विदेश सेवा संस्थान संभाग |
| 9. विधि एवं संधि संभाग | 10. एम.ई.आर. संभाग |
| 11. नीति, नियोजक तथा शोध संभाग | 12. विनियोजन प्रचार संभाग |
| 13. प्रोटोकॉल (कान्फ्रेंस) संभाग | 14. संयुक्त राष्ट्र संभाग |
| 15. सार्क (दक्षिण एशिया सहयोग संगठन) संभाग | 16. विशिष्ट इकाई संभाग |
| 17. विशिष्ट कुवैत संभाग | 18. सुरक्षा ब्यूरो |

19. विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (Indian Council of World Affairs) 20. प्रवासी भारतीय संभाग

21. लोक कूटनीति संभाग (Public Diplomacy Division)

2. भौगोलिक संभाग

- | | | |
|--|-----------------------|--|
| 1. अफ्रीका संभाग | 2. अमेरिका संभाग | 3. बांग्लादेश, श्रीलंका तथा म्यांमार संभाग (BSM) |
| 4. केन्द्रीय एशिया संभाग | 5. पूर्वी एशिया संभाग | 6. पूर्वी यूरोप संभाग |
| 7. पश्चिमी यूरोप संभाग | 8. खाड़ी संभाग | 9. ईरान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान संभाग (IPA) |
| 10. लैटिन अमेरिकी देश संभाग | 11. उत्तरी संभाग | 12. दक्षिणी संभाग |
| 13. बाना (पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका) संभाग। | | |

दूतावास एवं उच्चायोग कार्यालय (Embassies and High Commissioner's Office)

विदेशों में भारत सरकार के कार्यों को पूरा करने, बीजा प्रदान करने तथा समन्वयकारी कार्यों के लिए दूतावास (Embassy) तथा उच्चायोग (High Commission) कार्यालय बने हुए हैं। सामान्यतः किसी देश में दूसरे देश का राजनीतिक सम्बन्ध कार्यालय दूतावास कहलाता है किन्तु जब कार्यालय राष्ट्रमण्डलीय (जो ब्रिटिश शासन से सम्बन्धित रहे हैं) देशों में होता है तो उच्चायोग कहलाता है। तदनुसार इनके अधिकारी भी राजदूत (Ambassador) तथा उच्चायुक्त (High Commissioner) कहलाते हैं। इसी प्रकार विदेशों में वाणिज्यिक सम्बन्धों के लिए कॉन्सुलेट्स (Consulates) अर्थात् वाणिज्य दूतावास भी खोले जाते हैं।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी इन कार्यालयों अर्थात् मिशन के प्रशासनिक कार्य निष्पादित करते हैं। ये मिशन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ता प्रदान करने में नियोजित संस्था होते हैं। विश्व के लगभग 161 स्थानों पर भारतीय दूतावास या मिशन कार्यरत हैं।

विदेश मंत्रालय निम्नांकित केंद्रीय अधिनियमों तथा नियमों के क्रियान्वयन के लिये अधिकृत है-

- भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1938
- भारतीय दूरान्तरवासी अधिनियम, 1922
- परस्परता (Reciprocity) अधिनियम, 1943
- हज समिति अधिनियम, 1959
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962

कार्य (Functions)

1. विदेश नीति को सशक्त बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन करना विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्य है। देश की आर्थिक प्रगति पर साप्ताहिक आर्थिक बलेटिन जारी करना विदेश मंत्रालय का कार्य है।
2. वीरता और पासपोर्ट संबंधी प्रमुख कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा ही निष्पादित किये जाते हैं। वीरता एवं पासपोर्ट की वैधता व अवैधता के (नकली होना) संबंधों में विदेश मंत्रालय जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के कदम उठाता है। निर्गमन (Migration) तथा आप्रवासन (Immigration) संबंधी नियमों का निष्पादन व क्रियान्वयन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों का श्रेणीकरण और उनके हितों की रक्षा हेतु विदेश मंत्रालय समुचित कदम उठाता है। वर्तमान में 'आप्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय' अलग से गठित कर दिया गया है।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमण्डल, सार्क, आसियान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जी-15, जी-77 इत्यादि संगठनों में सक्रिय भागीदारी निभाना और भारत का पक्ष स्पष्टता से रखना विदेश मंत्रालय का कार्य है।
5. जल, थल, नभ इत्यादि क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करना, विभिन्न देशों के साथ इस संबंध में उपयुक्त समझौते करना विदेश मंत्रालय का ही कार्य है।
6. वे भारतीय जो मक्का मदीना की हज यात्रा हेतु जाते हैं एवं कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिये आवश्यक व्यवस्था एवं प्रबंध संबंधी कार्य करना विदेश मंत्रालय का दायित्व है।
7. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण, पदस्थापना, पदोन्नति, पेंशन, स्थानांतरण संबंधी कार्य निर्वहन करता है।
8. विदेशों में स्थित मिशनों को सहायता देना और नये मिशनों की स्थापना करना विदेशों के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करना भी इसका कार्य है।
9. युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करना, अपहृत व्यक्तियों की प्राप्ति एवं वापसी संबंधी कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं।
10. विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (FEMA) जो कि 31 मई, 2002 से लागू है, की क्रियान्विति विदेश मंत्रालय का प्रवर्तन निदेशालय करता है। इस कार्य को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर निष्पादित किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)

परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्नलिखित विभाग हैं, प्रत्येक का नेतृत्व सचिव, भारत सरकार द्वारा किया जाता है-

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Department of Health & Family Welfare)
2. आयुष विभाग (Department of Ayush)
3. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research)
4. एड्स नियंत्रण विभाग (Department of Aids Control)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग का संबद्ध कार्यालय है जिसके अधीनस्थ कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं। डीजीएचएस सभी मेडिकल और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जन स्वास्थ्य मामलों के कार्यान्वयन पर तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं।

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग- यह विभाग निम्नांकित प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन करता है-

- (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)- 12 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक व लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों के साथ-साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये एक पूर्णरूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतरक्षेत्रीय समय विकेंद्रित स्वास्थ्यप्रद प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर है।
- (ii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)- इसका लक्ष्य शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल करना है। शहरी जनसंख्या के लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा प्रदाय करने वाली प्रणाली का उन्नयन/विमाण/वर्धन करना शामिल है।
- (iii) मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम- (a) जननी सुरक्षा योजना (12 अप्रैल, 2005)
(b) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (1 जून, 2011)
- (iv) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-
- (v) रोग प्रतिरक्षण कार्य- (a) पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (b) कृष्ठ निवारण कार्यक्रम- (c) तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम
- (vi) स्वास्थ्य बीमा योजना-
- (vii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (मार्च, 2006) आदि।

2. आयुष विभाग- इसके अंतर्गत आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, सिद्धा और होम्योपैथिक प्रणाली में अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास पर ध्यान देने की दृष्टि से प्रमुख कार्य एवं इकाइयों की स्थापना की जाती है।
अधीनस्थ कार्यालय-

- (i) भारतीय दवाओं के लिये फार्माकोपिएल प्रयोगशाला (PEIM)
- (ii) होम्योपैथी फार्माकोपिएल प्रयोगशाला (HPL)
- (iii) भारतीय दवाओं का फार्माकोपिया आयोग (PCIM)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-

- (i) भारतीय दवा फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन (IMPCL)

वैधानिक नियामकीय परिषद-

- (i) भारतीय दवाओं की राष्ट्रीय परिषद (CCIM), नई दिल्ली
- (ii) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (CCAH), नई दिल्ली

3. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग- इसके अंतर्गत आने वाले 5 शीर्ष अनुसंधान परिषद हैं-

- (i) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
- (ii) राष्ट्रीय सिद्धा विज्ञान अनुसंधान परिषद
- (iii) राष्ट्रीय यूनानी दवा अनुसंधान परिषद
- (iv) राष्ट्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
- (v) राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

4. एड्स नियंत्रण विभाग- पहली बार 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका द्वितीय चरण 1999 एवं तृतीय चरण 2007 में प्रारंभ हुआ। इसके लिये जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी सहारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना इस विभाग का प्रमुख लक्ष्य है।

इसके अलावा अन्य संभाग हैं-

- मानसिक स्वास्थ्य संभाग (Mental Health Division)
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएँ (Central Health Services)

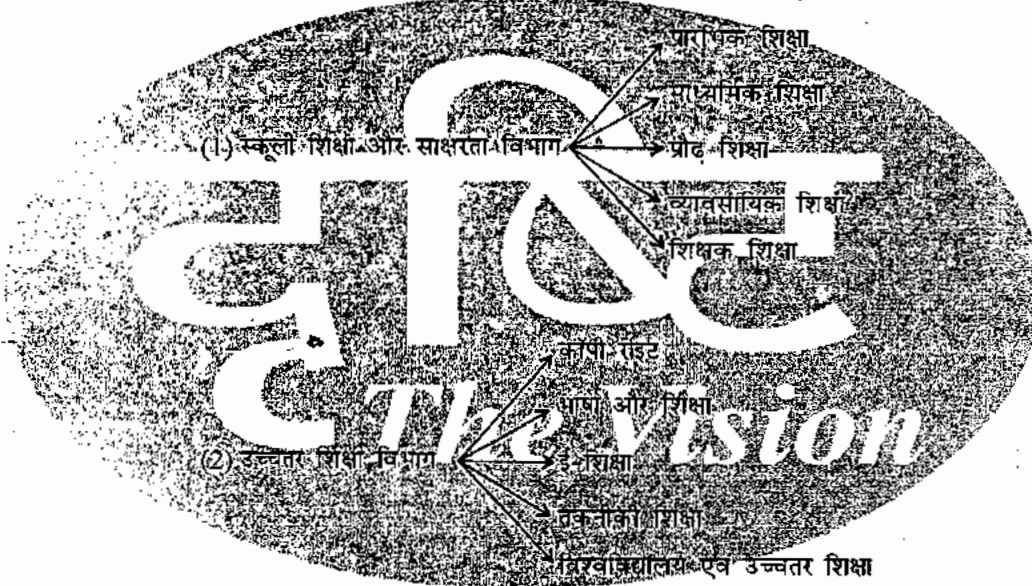
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)

परिचय (Introduction)

शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सारभूत तत्व है जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण और सुधारात्मक भूमिका का निर्वाह करती है। चूंकि भारत के नागरिक ही इसके सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन हैं, इसलिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए अरबों की जनशक्ति वाले अपने राष्ट्र को बुनियादी शिक्षा के रूप में संपोषण और देखभाल की आवश्यकता है। यह अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास की मांग करता है जो केवल शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाने से ही हो सकता है। इस मिशन के अनुपालन में भारत सरकार (कार्य का आर्बटन) नियमावली 1961 में 174वें संशोधन के जरिये 26 सितम्बर, 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन किया गया।

विभाग (Departments)

वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों के माध्यम से कार्य कर रहा है;



देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास का उत्तरदायित्व स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का है, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी संचालता है जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने "शिक्षा के सर्वसुलभीकरण" और हमारी युवा शक्ति में से बेहतर नागरिक बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विभिन्न नई योजनाएँ और कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू किए जाते हैं और अब इन योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्कूलों में नामांकन में वृद्धि के रूप में लाभ प्रदान करना भी शुरू कर दिया है।

दूसरी ओर, उच्चतर शिक्षा विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्वस्तरीय अवसर प्रदान करने के कार्य में जुटा है ताकि भारतीय छात्र अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्वयं को पिछड़ा हुआ न पाएं। इसके लिए सरकार ने संयुक्त उपक्रम शुरू किए हैं और समझौता ज्ञान संपन्न किए हैं ताकि भारतीय छात्र वैश्विक विचारधारा से लाभान्वित हो सकें।

उद्देश्य: मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे;

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
2. संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास करना
3. निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना
4. समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना

5. शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य पहलू हैं-

1. प्रारंभिक शिक्षा
 - (i) प्रारंभिक शिक्षा
 - (ii) सर्व शिक्षा अभियान
 - (iii) मध्याह्न भोजन
2. माध्यमिक शिक्षा
3. प्रौढ़ शिक्षा
4. शिक्षक शिक्षा
5. व्यावसायिक शिक्षा
6. मुख्य नियंत्रक लेखा
7. सूचना का अधिकार
8. परिपत्र/आदेश/अधिसूचना

स्कूली शिक्षा और साक्षरता (School Education and Literacy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986/92 में घोषित शिक्षा का सार और भूमिका इसके बनाए जाने के 25 वर्ष बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि:

1. हमारी राष्ट्रीय अवधारणा में शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। हमारे बहुमुखी विकास का यह मूलभूत आधार है।
2. शिक्षा की भूमिका संस्कृति संक्रमण करने की है। यह संवेदनशीलताओं और अवधारणाओं को परिष्कृत करती है जिससे राष्ट्रीय सामंजस्यता, वैज्ञानिक मन:स्थिति और बुद्धि एवं भावना को स्वतंत्रता को बली मिलता है। इस प्रकार हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के लक्ष्यों को प्रोत्साहन मिलता है।
3. शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास करती है। यह एक आधार भी है जिनसे अनुसंधान और विकास समृद्ध होते हैं जो अंततः राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हैं।
4. संक्षेप में, शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक अद्वितीय निवेश है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कृत्तुजी है। वर्ष 2010 में देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की जब 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21क और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 लागू किए गए। अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम के लागू होने से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संघर्ष में हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। आरटीई अधिनियम ने इस विश्वास को मजबूत किया है कि समानता सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र के मूल्यों और संग्रहण एवं मानवोचित समाज का सृजन केवल सभी के लिए समानावेशी प्रारंभिक शिक्षा का प्राविधान करके ही किया जा सकता है।

देश की मानव क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उचित गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के ध्येय के अनुरूप विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं-

- (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में शिक्षा के राष्ट्रीय एवं समेकित स्वरूप को सुदृढ़ करना।
- (ii) संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज का निर्माण करने की दिशा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता की गुणवत्ता एवं मानकों में सुधार करना।
- (iii) आरटीई अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
- (iv) गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों का सार्वभौमिकरण करना।
- (v) पूर्णतः साक्षर समाज की स्थापना करना।

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा का अधिकार- संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-क शामिल किया गया है ताकि छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को विधि के माध्यम से राज्य द्वारा यथा निर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि यह प्रत्येक बच्चे को

कतिपय आवश्यक मानदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद और साम्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 21-क और आर्टोई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आर्टोई अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द सम्मिलित है। 'निःशुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि किसी बालक को यथास्थिति उसके माता-पिता, समुचित सरकार द्वारा स्थापित स्कूल से अलग स्कूल में दाखिल करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' पद से समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण की छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है। इससे भारत अधिकार आधारित कार्यवाही की ओर अग्रसर होता है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें आर्टोई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में दिए गए प्रावधान के अनुसार बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में कार्यान्वित करने के लिए अभिप्रेत है।

आर्टोई अधिनियम, 2009 में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

1. आसपास के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
2. यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार के दायित्व से है। "निःशुल्क" का अभिप्राय यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार या व्यय अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा को प्रदाई करने एवं पूरा करने से रोक सकता है।
3. यह गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला के लिए प्राविधान करता है।
4. यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वितीय एवं अन्य जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी में उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।
5. यह अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षक-छात्र अनुपात (पीटीआर), भवन एवं अवसंरचना, स्कूल के कार्य-घंटों, शिक्षकों के कार्य-घंटों से संबंधित मानक एवं मानदंड विहित करता है।
6. यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक-छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल के लिए अनुरक्षित किया जाए। यह शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडल एवं संसद के चुनावों तथा आपदा रहित को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का भी निषेध करता है।
7. यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात् अपेक्षित प्रवेश एवं शैक्षिक अर्हता वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।
8. यह- 1. शारीरिक, दृष्टि एवं मानसिक उत्पीड़न, 2. बच्चे को दाखिल के लिए स्कॉलरशिप प्रक्रिया, 3. कैपिटेशन फीस, 4. शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण, 5. मान्यता के बिना स्कूलों के संचालन का निषेध करता है।
9. यह संविधान में अधिष्ठापित मूल्यों तथा अपने मूल्यों के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों के विकास का प्रावधान करता है जो बच्चों के ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण करते हुए तथा बाल अनुकूलन एवं बाल केंद्रित अध्ययन के माध्यम से डर, दौमा एवं चिंता से मुक्त करते हुए बच्चों के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करेंगे।

ये उद्देश्य विभाग के निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए आशायित हैं-

1. प्रारंभिक स्तर: सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन
2. माध्यमिक स्तर: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय।
3. व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास
4. निःशक्त की सम्मिलित शिक्षा, आईसीटी@स्कूल।
5. प्रौढ़ शिक्षा: साक्षर भारत
6. अध्यापक शिक्षा: अध्यापक शिक्षा बढ़ाने के लिए योजना
7. महिला शिक्षा: महिला समाख्या।
8. अल्पसंख्यक शिक्षा: मदरसों में उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना।
9. अल्पसंख्यक संस्थानों का आधारीक विकास।

मिशन: विभाग निम्नलिखित प्रयास करता है-

1. सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
2. शिक्षा का राष्ट्रीय और समाकलनात्मक स्वरूप लागू करने के लिए राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदार बनाना।

- उत्तम स्कूली शिक्षा और साक्षरता की सहायता से 'संवैधानिक मूल्यों को समर्पित' सोसाइटी बनाना।
- उत्तम माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना।

उद्देश्य: देश के प्रत्येक योग्य विद्यार्थी के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए विभाग के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- नेटवर्क का विस्तार करके, उत्तम स्कूली शिक्षा के प्रति पहुँच बढ़ाना।
- कमजोर वर्गों के अतिरिक्त वंचित गुणों, जिन्हें अब तक वंचित रखा गया था, को शामिल करके माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को समान बनाना।
- वर्तमान संस्थानों की सहायता करके और नए संस्थानों को स्थापित करके सुविधाजनक बनाकर शिक्षा के उत्तम और समुन्नत स्तर सुनिश्चित करना।
- संस्थागत और व्यवस्थित सुधारों के अनुसार नीति स्तरीय परिवर्तन प्रारंभ करना, जो आगे विश्व स्तर की ऐसी माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या तैयार करें जो बच्चों में प्रतिभा पैदा करने योग्य हो।

अधिनियम और नियमावली (Act and Rules)

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिनियम हैं-

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1997

उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education)

उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। एक सुनियोजित योजना के तहत विभाग विश्व श्रेणी के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं के जरिए उच्चतर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार और वहाँ तक पहुँच विस्तार का कार्य देखता है।

विभाग का ध्येय, लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

ध्येय: भारत की मानव संसाधन क्षमता को पूर्ण रूप से समानता और समावेशिता के साथ उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में लगाना।

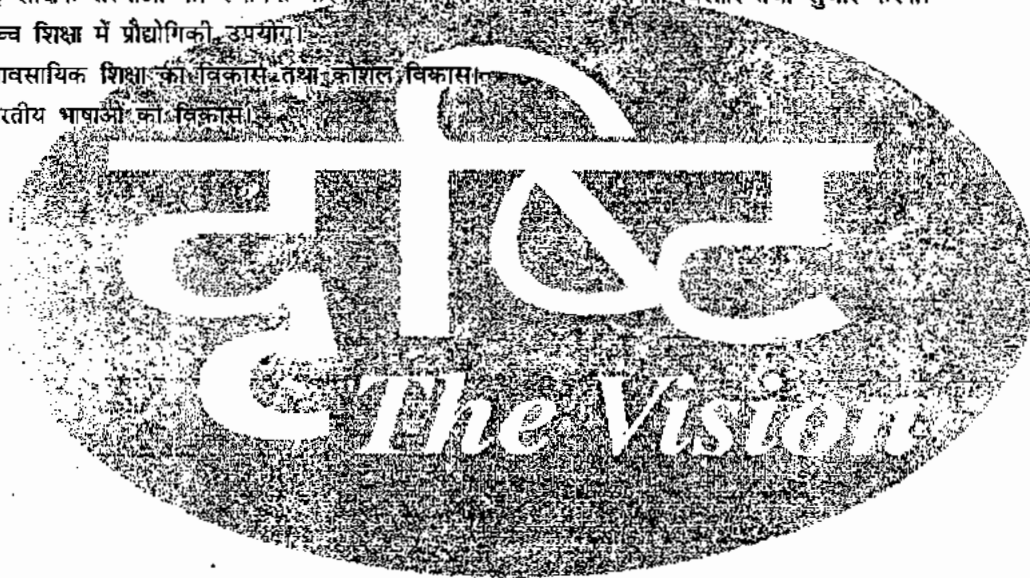
लक्ष्य:

- सभी पात्र व्यक्तियों को तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को समानता के साथ उच्चतर शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना।
- वर्तमान में मौजूद क्षेत्रीय और अन्य असंतुलता को दूर करने के उद्देश्य से किए जा रहे सार्वजनिक प्रयासों में सहायता के लिए वर्तमान संस्थाओं को सहायता देकर, नई संस्थाएँ स्थापित करके, राज्य सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी की सहायता करके पहुँच का विस्तार करना।
- अनुसंधान और नवप्रवर्तनों को सुदृढ़ करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम आरंभ करना और संस्थाओं-सरकारी अथवा प्राइवेट दोनों को ज्ञान के अग्रणी क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अवसंरचना और संकाय में निवेश करके, शिक्षा में सुधारों को बढ़ावा देकर, अभिशासन में सुधार करके तथा अब तक वंचित समुदायों में शामिल करने की दिशा में संस्थागत पुनर्संरचना करके उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना।

उद्देश्य:

- शिक्षा प्रदान करने की सभी पद्धतियों में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करके उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2011-12 तक 15 प्रतिशत, 2016-17 तक 21 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत करना।
- मौजूदा संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता के सृजन, नई संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन प्रदान करके उच्च शिक्षा (तकनीकी, व्यावसायिक तथा वोकेशनल शिक्षा सहित) के संस्थागत आधार का विस्तार करना।
- मौजूदा संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता के सृजन, नई संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन प्रदान करके उच्च शिक्षा (तकनीकी, व्यावसायिक तथा वोकेशनल शिक्षा सहित) के संस्थागत आधार का विस्तार करना।

4. सामाजिक रूप से लाभवर्चित समुदायों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करते हुए उनके संवर्धन द्वारा भेदभाव को दूर करना।
5. असेवित तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्च शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना।
6. उच्च अधिगम संस्थाओं में अवसंरचना तथा संकाय विकास हेतु योजनागत सहायता में वृद्धि करना तथा प्रतिभाओं को शिक्षण एवं शोध में कैरियर के लिए आकर्षित करना।
7. विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में बढ़ी हुई शोध सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जन हेतु स्थिति पैदा करना।
8. सर्वसुलभ ज्ञान की उन्नति तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकारों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग का संवर्धन करना।
9. भारतीय भाषाओं के विकास का संवर्धन करना।
10. उच्च अधिगम संस्थाओं में स्वायत्तता, नवाचार, शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना।
11. उच्च शिक्षा में सक्षमता, संगतता तथा सृजनात्मकता सुधार के लिए संस्थागत पुनः अवसंरचना तैयार करना।
12. सभी तरीकों के द्वारा पहुँच का विस्तार करके सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना।
13. समाज के उन वर्गों की भागीदारी का संवर्धन करना जिनका सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है।
14. गुणवत्ता में सुधार करना तथा शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना।
15. नई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा मौजूदा संस्थाओं का सक्षमता विस्तार तथा सुधार करना।
16. उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग।
17. व्यावसायिक शिक्षा का विकास तथा कौशल विकास।
18. भारतीय भाषाओं का विकास।



ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

परिचय (Introduction)

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यकलापों का नोडल मंत्रालय होने के नाते ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के समग्र विकास की रणनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। मंत्रालय का विजन तथा मिशन टिकाऊ है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आजीविका अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ बहुआयामी रणनीति के द्वारा गरीबी का उन्मूलन कर, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर, विकासात्मक विसंगतियों को सुलझाकर तथा समाज के अति दुर्बल वर्गों तक ग्रामीण क्षेत्र विकास को प्राथमिकता देकर ग्रामीण भारत का विकास सुनिश्चित किया गया।

विभाग (Department)

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग हैं-

(i) ग्रामीण विकास विभाग और

(ii) भूमि संसाधन विभाग।

मुख्यतौर पर मंत्रालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. महिलाओं तथा अन्य अति दुर्बल वर्गों के साथ-साथ जरूरतमंदों को आजीविका के लिए रोजगार अवसर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों (बीपीएल) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना।
2. प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को संवर्धित आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. सड़क मार्गों से नहीं जुड़ी ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क का प्रावधान और मौजूदा सड़कों का उन्नयन करके बाजार तक पहुँच उपलब्ध करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को मूल आवास और वासभूमि की उपलब्धता करना।
5. वृद्धजनों, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना।
6. जीवन स्तर को सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध करना।
7. ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।
8. ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों तथा वैयक्तिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. भूमि की खोई अथवा जबर-उत्पादकता को सुनिश्चित करना। इसे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों तथा भूमिहीन ग्रामीण निर्धनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी भूमि संबंधी उपायों को पहल के माध्यम से किया जाता है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक-ओर जहाँ लोगो का बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी ओर वृहद सामाजिक कार्याकल्प करना भी है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास को बेहतर संभावनाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की उत्तरोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेन्द्रीकरण करने, भूमि सुधार को बेहतर ढंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

प्रारंभ में कृषि उद्योग, संचार, शिक्षा स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के विकास पर मुख्य बल दिया गया था लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि त्वरित विकास केवल तभी संभव हो सकता है जब सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है।

तदनुसार 31 मार्च, 1952 को समुदाय परियोजना प्रशासन के स्तर पर एक संगठन की योजना आयोग के अधीन स्थापना की गई जिसका कार्य सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1952 को किया गया था और यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस कार्यक्रम में समय के साथ-साथ कई बदलाव हुए और यह विभिन्न मंत्रालयों के अधीन रहा।

अक्टूबर, 1974 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। 18 अगस्त, 1979 को ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय नामक नए मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 23 जनवरी, 1982 को उस मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। जनवरी, 1985 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुनः कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसे बाद में सितम्बर, 1985 में कृषि मंत्रालय नाम दिया गया था, के अंतर्गत विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। 5 जुलाई, 1991 को विभाग का उन्नयन कर उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय बना दिया गया। 2 जुलाई, 1992 को इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग अर्थात् बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया। मार्च 1995 में तीन विभागों अर्थात् ग्रामीण

रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास तथा बंजर भूमि विकास विभाग के साथ मंत्रालय का नाम ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय रखा गया।

पुनः वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया।

13 जुलाई, 2011 से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बनाया गया है।

योजनाएँ (Schemes)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न प्रमुख कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

- रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए)
- स्वरोजगार एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
- गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- सामाजिक पेंशन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

इसके अलावा ग्रामीण कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास, सूचना, शिक्षा, संचार की निगरानी और मूल्यांकन करना मंत्रालय के कार्यक्रम हैं।

1. ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development)

ग्रामीण विकास विभाग गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसरों, निवासियों के विकास, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रवधान आदि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं-

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)
- ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)
- डीआरडीए प्रशासन
- प्रशिक्षण रोजगार
- कपाट के जरिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए स्वाच्छक योजनाओं तथा सामाजिक कार्य कार्यक्रम, लाभार्थियों के संगठन का संवर्धन करना।
- निगरानी प्रणाली

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण सड़क गाँव में गरीबी उपशमन के लिए आर्थिक विकास और उपायों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। कार्यक्रम का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि की समाप्ति तक अच्छी बरहमाया सड़कों के जरिए 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-थलग पड़ी सभी बसावटों का संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड) तथा मरुभूमि क्षेत्रों के संबंध में 250 से अधिक व्यक्तियों वाली बसावटों को संपर्क प्रदान करना है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। 1.4.1999 से अस्तित्व में आई इस योजना में ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना तथा बैंक ऋण और विपणन सहायता आदि के जरिए उनका क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण, कार्यकलाप समूहों की योजना, आधारभूत ढाँचों का विकास, वित्तीय सहायता जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए सामूहिक कार्यक्रम के रूप में परिकल्पना की गई है।

आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए आवासों के निर्माण को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो 1980 में प्रारंभ हुआ था, के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों में से एक के रूप में शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में 1985-1986 के दौरान शुरू की गयी थी और तत्पश्चात यह जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना बनी। 1 जनवरी, 1986 से आईएवाई को जेआरवाई से पृथक करके एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया था। भारत सरकार ने 1988 में एक राष्ट्रीय आवास और पुनर्वास नीति की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराना था तथा 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों (ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 7 लाख) का निर्माण करना था जिसमें, गरीबों और उपेक्षितों को स्थायी लाभ दिलाना था। इसका उद्देश्य आवास की कमी को दूर करना तथा 11वीं योजना अवधि के अंत तक सभी कच्चे मकानों को पक्के घरों में बदलना था। इस कार्य योजना को इंदिरा आवास एवं पर्यावास मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

प्रशिक्षण ने विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित ग्रामीण विकास कार्यकलापों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। चूँकि प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं, अतः नीति निर्माताओं और कार्यक्रम कार्यान्वयन

करने वालों, दोनों के लिए यह शिक्षाप्रद बन गया है। यह सुविधा दिलाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अनेक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

डीआरडीए को सुदृढ़ बनाने और उन्हें अधिक व्यावसायिक और प्रभावी बनाने के लिए शंकर समिति नामक एक अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिशों के आधार पर। अप्रैल 1999 से डीआरडीए प्रशासन को लागू किया गया है। यह योजना प्रशासनिक लागत को कार्यक्रम निधियों का प्रतिशत आवंटन करने की पूर्व पद्धति के स्थान पर लागू की गई है। इसके अंतर्गत डीआरडीए, जिनसे योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है, के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए एक पृथक प्रावधान किया गया है।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) जागरूकता सृजन करने, लोगों को एकजुट करने तथा परामर्श तथा लोगों को ज्ञान, कौशल और तकनीक प्रदान करके विकास में भागीदारी करने में मंत्रालय अहम भूमिका निभाता है। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की सामूहिक संचार आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचार के उपलब्ध मॉडलों का अधिकतम उपयोग करने की परिकल्पना से एक एकीकृत आईईसी कार्यनीति लागू की गई है ताकि मंत्रालय के कार्यक्रमों की संचार आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

विकास कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) विभिन्न पणधारकों को इन कार्यकलापों के लिए पिछले अनुभव से सीखने, सेवा सुपुर्दगी योजना और आवंटन संसाधनों में सुधार करने तथा मुख्य पणधारकों की जवाबदेही के भाग के रूप में परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय बेहतर उपायों के रूप में कार्य करता है। पिछले वर्षों के दौरान मंत्रालय के कार्यक्रमों में निगरानी और मूल्यांकन नीति तथा पर्यावरण को लागू करने की एक व्यापक बहुस्तरीय, बहु-साधन प्रणाली विकसित की गई है। मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए कार्यक्रम की निगरानी को विभिन्न स्तरों पर संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर सभी कार्यक्रमों की समग्र निगरानी मंत्रालय के निगरानी प्रभाग द्वारा की जाती है। कार्यक्रम प्रभाग उनके द्वारा कार्यान्वित संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी करती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों की मूल रूप से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम से संबंधित सचिव/आयुक्त इसकी निगरानी करते हैं। कार्यक्रम का वार्षिक कार्यान्वयन डीआरडीए, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए जिला/गांव स्तर पर किया जाता है। जो बुनियादी स्तर पर कार्यक्रम के निष्पादन की निगरानी करती है।

चूंकि कार्यक्रम-का कार्यान्वयन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है अतः पंचायती राज संस्थानों को मंत्रालय के कार्यान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। योजना प्रक्रिया और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण के एक उपाय के रूप में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने की परिकल्पना साविधान (73वां) संशोधन, अधिनियम, 1992 के जरिए की गई है और इस अधिनियम के पारित होने से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा उपलब्ध कराया गया है। इसलिए अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पीआरआई को कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पीआरआई के जरिए महिलाओं को अधिकार देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को पीआरआई को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए कहा जा रहा है तथा इस संबंध में पर्याप्त परिवर्तन देखने में आया है। इस विभाग के अंतर्गत तीन स्वायत्त निकाय हैं। लोक-कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआरडीआई) और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए)।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) की स्थापना ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गठित करने और उन्हें उनकी ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। कपार्ट स्वैच्छिक एजेंसियों और उनकी परियोजनाओं से सीधे संपर्क में रहता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण की आयोजना और समन्वय करता है। राज्य और जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए क्रमशः राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण कंट्रोल (ईटीसी) की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को हाल में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को तकनीकी विशिष्टियाँ, परियोजना मूल्यांकन, अंशकालिक गुणवत्ता नियंत्रण निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति, निगरानी प्रणाली के प्रबंधन पर सलाह देता है तथा मंत्रालय को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

ग्रामीण विकास प्रभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों का काम संभालता है

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act)

यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। यह 200 जिलों में लागू हो गया। यह कार्यक्रम 2007-08 में 330 जिलों तक बढ़ाया गया और 2008 से इसे देश भर में आरंभ कर दिया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को, जो रोजगार का इच्छुक है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए। यद्यपि सभी परिवार इसके लिए पात्र हैं तथापि अपेक्षा यह की जाती है कि केवल अतिनिर्धन अर्थात् भूमिहीन श्रमिक और सीमांत किसान ही वास्तव में इस कार्य को करेंगे। इसका दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे निर्माण कार्य से रोजगार मिले जिनसे भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana)

ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार को यह एक मुख्य चालू स्कीम है। इसका बुनियादी उद्देश्य यह है कि सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण और सरकारी सहायता को मिलाकर आमदनी सृजित करने के साधन मुहैया करा कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। ऋण इस स्कीम का महत्वपूर्ण घटक है जबकि सरकारी सहायता सक्षम बनाने का तत्व है। इस स्कीम का लक्ष्य यह भी है कि गरीबों को स्वयं अपनी सहायता करने वाले ग्रुपों में संग्रहित किया जाए और सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण गतिविधियों के चुनाव गतिविधियों के ग्रुप की योजना बनाकर, संरचना निर्माण, तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था और विपणन आदि की सुविधा देकर उनमें क्षमता का निर्माण किया जाए। स्कीम के अधीन ग्रुप दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। तथापि निजी स्वरोजगारियों को भी सहायता दी जाती है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा लागू की जा रही है, पर इसमें पंचायती राज संस्थान, बैंक, लाइन प्रभाग तथा गैर-सरकारी संगठन भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

इस योजना के अधीन ऋण जुटाने का काम बहुत ही कम हुआ है। इस स्कीम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसको पुनः संरचना कर इसमें गरीबों में भी सबसे अधिक गरीबों को लाने पर बल दिया जा रहा है। अत्यधिक सामाजिक एकजुटता, क्षमता निर्माण और लक्षित जनसंख्या के बीच संस्थान निर्माण के लिए उपयुक्त तंत्र को शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana)

इस योजना को 1986 से एक स्वतंत्र स्कीम के रूप में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में अनु.जा., अनु.ज.जा. तथा मुक्त कराए गए बंधक मजदूरों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रिहायशी एककों के निर्माण/उन्नत करने के लिए सहायता दी जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता अधिकतम 35000 रुपये प्रति एकक तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 38500 रुपये प्रति एकक है। सभी क्षेत्रों को एकक सुधार के लिए 5000/- रुपये दिए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना का वित्त पोषण केंद्र-राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। सभी शासित प्रदेशों में यह 100% है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme)

इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवार में वृद्ध, कर्मजाल वाले की मृत्यु तथा प्रसूता को सामाजिक सहायता का लाभ देना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की पूर्ति करता है ताकि सामाजिक भलाई के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह केंद्रीय सहायता लाभ के अतिरिक्त है जो राज्य संरक्षण स्कीमों के अधीन देती है। पोषण और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रसूता लाभ घटक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 2001-02 से अंतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा स्कीमों को 2000-03 से राज्य योजना में अंतरित किया गया है। ताकि राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को चुनाव करने में लचीलापन हो और उन्हें सही ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme)

ग्यारहवीं योजना के दौरान तीन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों को मिलाकर एक ही कार्यक्रम बना दिया गया है जिसे एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम कहा जाता है। यह मिलान संसाधनों के सर्वाधिक इस्तेमाल और स्थायी परिणामों की प्राप्ति के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए साझे मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं जो 1.4.2008 से लागू हो गए। वर्ष 2008-09 से पूर्व डीएडीपी, डीडीपी, और एकीकृत वाटरशेड के अधीन चालू परियोजनाएं पुराने मार्ग निर्देशों के अनुसार चलती रहेंगी।

रूपांतरित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें सबसे ऊपरी क्षेत्र में वन और पहाड़ियाँ हैं, वहाँ वन विभाग की सहायता से काम होगा। बीच के उतराई बल्ले क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अधीन यथा संभव सबसे बढ़िया

ढंग अपनाया जाएगा जिसमें बुआई का तरीका, बागवानी और कृषि वािनकी आदि द्वारा भूमि को ठीक किया जाएगा। निचले क्षेत्रों में जो मैदानी तथा कृषि योग्य भूमि है इस कार्यक्रम को रोजगार कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि दोनों एक दूसरे से लाभ ले सकें।

नए कार्यक्रम के अधीन क्लस्टर एप्रोच को अपनाया जाएगा। इसमें मोटे तौर पर 4000 से 10000 हेक्टेयर औसतन आकार के प्राकृतिक जल-भौगोलिक लघु वाटरशेड क्लस्टर के एकक को परियोजना क्षेत्र के रूप में चुना जाएगा। केंद्र तथा राज्य स्तर पर निष्ठावान संस्थागत एजेंसियों द्वारा यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। उपयुक्त विधि आबंटन द्वारा इन संस्थाओं को व्यावसायिक समर्थन दिया जाएगा। स्थानीय परियोजना योजना के लिए नियंत्रित पहुंच/वितरण हेतु उपग्रह चित्रों से आकाशीय और गैर-आकाशीय आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए जीआईएस की कोर सुविधा होगी।

यह परियोजना काल 5 से 7 वर्ष की अवधि का होगा इसे तीन चरणों में अर्थात् तैयार, वाटरशेड निर्माण कार्य तथा समेकन/समेकनचरण में जीवन यापन गतिविधियां विपणन प्रक्रियागत तथा मूल्य संवर्द्धन गतिविधियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Record Modernisation Programme)

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की संकल्पना एक मुख्य प्रणाली और सुधार हेतु पहल के रूप में की गई है जिसका संबंध न केवल भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण अद्यतन करने और अनुरक्षण और नामों के विधि मान्यकरण से है बल्कि विशिष्ट स्थल जानकारी प्राप्त होने से विकासत्मक योजना विनियामक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे जिससे मूल्य संवर्द्धन होगा और नागरिकों को भूमि अभिलेख आंकड़ों पर आधारित सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

इस कार्यक्रम के अधीन जियोग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम प्लेटफार्म (जीआईएस) में निम्नलिखित तीन स्तरों के आंकड़े मिल सकेंगे: उपग्रह चित्रों/हवाई फोटोग्राफी से आकाशीय आंकड़े भारत का सर्वेक्षण, भारत के वर्तमान सर्वेक्षण के मानचित्र और राजस्व अभिलेख कंटास्ट्राल मानचित्र और आरओआर वितरण। सभी कंटास्ट्राल मानचित्रों को डिजिटाइज्ड किया जाएगा और भूमि की प्लॉट संख्या और प्रत्येक भूमि पार्सल को यूनीक आईडी मिलेगा। ग्राम-स्तर से ऊपर की ओर (पञ्चायत, ब्लॉक, तहसील, सर्किल, सबडिवीजन, जिला, डिवीजन, राज्य और राष्ट्रीय-सीमाएं) प्रशासनिक सीमाएं, वन, जल निकाय तथा भूमि को अन्य विशेषताएं और भूमि उपयोग वितरण तथा अन्य विकासत्मक परतों (जैसे वाटरशेड, सड़क नेटवर्क आदि) को कोर जीआईएस के साथ जोड़ा जाएगा।

कार्यक्रम के अधीन जिन गतिविधियों को समर्थन दिया जाएगा उनमें अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण/आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पुनः सर्वेक्षण जैसे हवाई फोटोग्राफी, प्लेटेशन रिकॉर्ड सहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) के कंप्यूटरीकरण को पूरा करना, रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण, मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, पूरी प्रणाली का एकीकरण तथा उसके मानचित्रों का डिजिटाइजेशन और प्रशिक्षण तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षमता का निर्माण शामिल है।

तहसील/तालुका/सर्किल/ब्लॉक स्तर पर भूमि रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन कार्यालयों और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन केंद्रों के बीच संपर्क को समर्थन दिया जाएगा। ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समिति तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को भूमि रिकॉर्ड देखने की सुविधा होगी।

कार्यक्रम में नागरिक सेवाएं जैसे मानचित्र के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर), अन्य भूमि आधारित प्रमाणपत्र जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवास प्रमाण पत्र), विकास कार्यक्रमों के लिए पात्रता संबंधी जानकारी भूमि पास बुक आदि उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा भूमि राजस्व प्रशासन में आधुनिकीकरण और कार्यकुशलता बढ़ने के साथ-साथ स्थल विशिष्ट जानकारी के कारण विभिन्न भूमि आधारित विकासत्मक योजनाओं, विनियामक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों के सरकारों के पास एक व्यापक माध्यम होगा। यहाँ तक कि गैर सरकारी क्षेत्र को भी व्यापार की योजनाओं तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए इस कार्यक्रम का व्यापक लाभ मिलेगा।

यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम को अगले 5 से 8 वर्ष के भीतर संपूर्ण देश में लागू किया जाए। स्कीम के घटकों का रणनीति/संघ शासित क्षेत्रों के राजस्व प्रशासन में पूरी तरह एकीकरण हो जाएगा और यह चालू स्कीम के रूप में कार्य करेगी।

2. भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources)

विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन की प्रक्रिया के जरिए वर्षा सिंचित/अवकमित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना।
2. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देना।
3. भूमि अर्जित अधिनियम, 1894 के प्रशासन राष्ट्रीय पुनर्वास और विस्थापित नीति 2007, पंजीकरण अधिनियम, 1908 आदि जैसे भूमि में संबंधित भू-सुधार और अन्य संबंधित मामलों।
4. बायोडीजल मिशन

भू-सुधार और संबंधित मामले भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय भू-सुधार परिषद् के विचाराधीन हैं। पुनर्वास और विस्थापित नीति, भूमि अर्जन अधिनियम के संबंध में विभाग समय-समय पर उपयुक्त नीतिगत सहायता और भारत सरकार तथा राज्यों के विभागों और सरकारी संगठनों को मार्गदर्शन देता है।

बायोडीजल मिशन के संबंध में मंत्रिमंडल ने मिशन को "सैद्धांतिक" अनुमोदन दे दिया है बशर्ते कि प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन तथा उस पर सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के इस पृष्ठभूमि में भूमि सुधार तथा संबंधित मुद्दों तथा राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन के संबंध में किसी कार्य योजना तथा इसके डिजाइन को सफल बनाना तभी संभव होगा जब इसके प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन किया जाये।

भूमि संसाधन विभाग के व्यवसाय नियमों के आबंटन के अनुसार मुख्य कार्य और उद्देश्य

1. भूमि सुधार भू-धृति, भू-अभिलेख, भूमि जोतों को समेकन तथा अन्य संबंधित मामले।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) तथा संघ के उद्देश्यों के लिए भूमि अर्जन से संबंधित मामले।
3. भूमि राजस्व के बकाया सहित कर तथा अन्य सार्वजनिक मांगों के संबंध में राज्य में दावों की वसूली तथा संबंधित राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले ऐसे बकाया के रूप में वसूल की गई राशि।
4. भूमि अर्थात् लगान एकत्र करना, भूमि का अंतरण और हस्तांतरण, भूमि सुधार तथा गैर-भूमि या भवनों के अर्जन को छोड़कर कृषि ऋण, शहरी योजना सुधार।
5. भू-राजस्व, जिसमें राजस्व का आकलन और एकत्रीकरण, राजस्व प्रयोजनों का सर्वेक्षण, राजस्व हस्तांतरण शामिल हो।
6. कृषि भूमि का उत्तराधिकारी के संबंध में कर्तव्य।
7. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड।
8. राष्ट्रीय भूमि प्रयोग और बंजरभूमि विकास परिषद्।
9. बंजरभूमि विकास के जरिए ग्रामीण राजस्व बढ़ाना।
10. गैर-वन भूमि जिसमें निजी बंजरभूमि शामिल है, पर ईंधन लकड़ी, चारा तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाना।
11. बंजरभूमि की उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए उपयुक्त कर्म लागू जाली प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास करना।
12. प्रशिक्षण सहित बंजरभूमि कार्यक्रम योजना तथा कार्यान्वयन में अंतर-विभागिक तथा अंतर-विषयिक समन्वय करना।
13. जन भागीदारी तथा जन सहयोग को बढ़ावा देना तथा बंजर भूमि विकास के लिए स्वैच्छिक और गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को समन्वय करना।
14. सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम।
15. मरुभूमि विकास कार्यक्रम।
16. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)।
17. राष्ट्रीय बायो ईंधन मिशन।
18. कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बायो-ईंधन पौधों के उत्पादन, प्रचार तथा बायो-ईंधन पौधों का वाणिज्यिक पोषण और बायो-ईंधन पौधों के उत्पादन के लिए कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से गैर-वन भूमि बंजरभूमि को पहचान करना।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (Environment and Forest Ministry)

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) योजना बनाने, पदोन्नति, समन्वय के लिए केन्द्र सरकार के प्रशासनिक ढाँचे में एक नोडल एजेंसी है और यह भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है।

मंत्रालय की प्राथमिक चिंता झीलों और नदियों, इनकी जैव विविधता, वन और वन्य जीवन, जानवरों के कल्याण सुनिश्चित करना है, और प्रदूषण की रोकथाम और कमी सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना है। इन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते समय मंत्रालय मानव कल्याण के सतत विकास और वृद्धि के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है।

मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए देश में नोडल एजेंसी, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल सेंटर के रूप में कार्य करता है।

मंत्रालय के व्यापक उद्देश्य हैं:

1. वनस्पति, जीव, वन और वन्य जीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण
2. रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण
3. अपमानित क्षेत्रों में वनीकरण और उत्थान
4. पर्यावरण का संरक्षण और
5. जानवरों का कल्याण सुनिश्चित करना

प्रभाग (Divisions)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख प्रभाग निम्नलिखित हैं-

1. वन सेवा
2. जलवायु परिवर्तन
3. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
4. प्रोजेक्ट टाइगर

हेग घोषणा (Hague Declaration)

पर्यावरण के सम्बन्ध में हेग घोषणा 31 मार्च 1989 को हेग में की गई और इस पर चौबीस देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

घोषणा में निम्नलिखित प्रहलुआ को महत्व मिला है-

जीने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिससे अन्य सभी अधिकार उत्पन्न होते हैं। इस अधिकार का आश्वासन देना विश्व में सभी देशों के प्रभारियों का सर्वोपरि दायित्व है।

प्रमाणित वैज्ञानिक अध्ययनों ने विशेष रूप से वायुमण्डल के दूषित हो जाने तथा ओजोन परत के अपकर्ष से जुड़े खतरों की मौजूदगी और संभावना व्यक्त की है।

मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार इस घटनाक्रम के परिणाम पारिस्थितिकीय प्रणाली और कुल मिलाकर मनुष्य जाति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हितों को खतरे में डाल सकते हैं। क्योंकि इस समस्या का विस्तार ग्रह व्यापी है इसलिए इसके समाधान केवल विश्व स्तर पर ही तैयार किए जा सकते हैं।

वायुमण्डल को प्रभावित करने वाले अधिकांश निःस्सरण आजकल औद्योगिक देशों में पाए जाते हैं और यही वे देश हैं जिनमें बदलाव की जरूरत सबसे अधिक है और यही वे देश हैं जिनके पास इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सबसे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से औद्योगिक देशों पर विकासशील देशों की, (जोकि वायुमण्डल में बदलाव के कारण अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे), मदद करने का विशेष दायित्व है। हालाँकि इस प्रक्रिया के लिए उनमें से अनेक का दायित्व आज की तारीख में बहुत मामूली हो सकता है। हेग घोषणा का पाठ निम्नानुसार है-

प्रत्येक देश के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हस्ताक्षरकर्ता निम्न सिद्धान्त स्वीकार करते हैं-

- (क) संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के भीतर या तो मौजूदा संस्थानों का सुदृढीकरण करके अथवा एक नया संस्थान बनाकर एक नया संस्थानात्मक प्राधिकरण स्थापित करने का सिद्धान्त लाया गया है जोकि पृथ्वी के वायुमण्डल के और आगे वैश्विक तापन से संबंध करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा उसमें निर्णय लेने की ऐसी क्रियाविधियाँ शामिल रहेंगी जोकि यदि किसी मौके पर सर्वसम्मत सहमति नहीं हुई है तो भी प्रभावी होंगी।

- (ख) इस आशय का सिद्धान्त कि यह संस्थानात्मक प्राधिकरण ऐसे जरूरी अध्ययन हाथ में लेगा या शुरू करेगा जिनमें अपेक्षित प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वायुमण्डल की सुरक्षा के संवर्धन अथवा गारंटी के लिए इन्स्ट्रुमेंट्स निर्मित करना और मानक परिभाषित करना और उनके अनुपालन की निगरानी करना।
- (ग) नए संस्थानात्मक प्राधिकरण के ऐसे निर्णयों, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के नियंत्रण के अध्याधीन होंगे के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपायों का सिद्धान्त।
- (घ) उपर्युक्त सिद्धान्तों के लिए संस्थानात्मक तथा वित्तीय रूप से एक प्रभावी और सुसंगत आधार प्रदान करने के आवश्यक कानूनी दस्तावेज सम्बन्धी बातचीत।

जिन राज्यों तथा सरकार के अध्यक्षों अथवा जिनके प्रतिनिधियों ने इस घोषणा के नीचे अपने हस्ताक्षर करके इस घोषणा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है वे इस प्रकार परिभाषित सिद्धान्तों को निम्न द्वारा बढ़ावा देने का अपना संकल्प दोहराते हैं-

- संयुक्त राष्ट्र के भीतर तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अधीन मौजूदा एजेंसियों के निकट तालमेल और सहयोग से अपनी पहल को और आगे बढ़ाना।
- विश्व के सभी देशों को तथा इस क्षेत्र में सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को आईपीसीसी द्वारा अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, संस्थानात्मक प्राधिकरण के लिए जरूरी तंत्र परिपाटियाँ तथा अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करने एवं वायुमण्डल के संरक्षण के लिए तथा जलवायु बदलाव विशेष रूप से वैश्विक तापन का प्रतिकार करने के निमित्त ऊपर बताए गए अन्य सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए आमंत्रित करना।
- विश्व के सभी देशों से तथा इस क्षेत्र में सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण से सम्बन्धित समझौतों पर हस्ताक्षर करने तथा उनकी पूर्णता करने के लिए आग्रह करना।
- विश्व के सभी देशों से मौजूदा घोषणा का समर्थन करने का आग्रह करना।



जल संसाधन मंत्रालय (Ministry of Water Resources)

सितम्बर, 1985 में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के पुनर्गठन में तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को विभाजित कर दिया गया और सिंचाई विभाग को जल संसाधन मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया। देश के जल संसाधनों के विकास के लिए आयोजना की जरूरत को एक समन्वित ढंग से स्वीकार किए जाने का परिणाम यह हुआ कि मंत्रालय की प्रकृति में बदलाव आ गया और देश के जल संसाधनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में मंत्रालय को नोडल भूमिका सौंप दी गई।

जल संसाधन मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किए जाने के साथ ही इस नए परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय की अपेक्षित भूमिका की पूर्ति की दिशा में सोद्देश्य उपाय किए गए। जल नीति तैयार करना एक अनिवार्यता थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल के विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हों। अतः इस पक्ष की ओर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। इस परिषद ने सितम्बर, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपना ली।

कार्य (Functions)

यह मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त और कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को निम्न कार्य सौंपे गए हैं-

- जल संसाधन क्षेत्र में समग्र आयोजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन।
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं (वृहद और मध्यम) की तकनीकी मार्गदर्शन, छानबीन, स्वीकृति और निगरानी।
- क्षेत्रीय विकास के लिए सामान्य आधार तंत्रों तकनीकी और अनुसंधान सहयोग।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों तथा अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर सरकारी आयोग की सिफारिशें

आमतौर पर यह देखने में आया है कि अन्तर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के लिए गठित न्यायाधिकरण निर्णय/पंचाट देने में काफी समय लगा देते हैं। सरकारी आयोग ने इस मामले पर ध्यान दिया। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों से सम्बन्धित अध्याय XVII में निम्नानुसार सिफारिश की है-

- (i) जब अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की 33वाँ के खण्ड 3 के अधीन किसी राज्य से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार के लिए विवाद उठाने वाले किसी प्राधिकृत से प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की तारीख के अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर एक न्यायाधिकरण की स्थापना करना जरूरी होगा। अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से संशोधित कर दिया जाए।
- (ii) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को संशोधित करके केन्द्रीय सरकार को जरूरी होने पर अपने आप से एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह का विवाद वस्तुतः मौजूद है।
- (iii) राष्ट्रीय स्तर पर एक डाटा बैंक और सूचना प्रणाली होनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए शीघ्रतः एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में इस आशय का एक प्रावधान भी होना चाहिए कि राज्यों को आवश्यक डाटा देना पड़ेगा जिस प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण को एक न्यायालय के अधिकार दिए जा सकते हैं।
- (iv) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जाए कि न्यायाधिकरण का पंचाट उसकी स्थापना की तारीख से पाँच वर्षों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तथापि यदि न्यायाधिकरण किन्हीं कारणों से ऐसा महसूस करता है कि पाँच वर्ष की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए तो केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण द्वारा कहे जाने पर अवधि बढ़ा सकती है।
- (v) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि न्यायाधिकरण के पंचाट में वही ताकत तथा उसके पीछे वही आदेश होना चाहिए जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा डिक्री का होता है ताकि न्यायाधिकरण के पंचाट को वस्तुतः बाध्यकारी बनाया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन संबंधी सुविधाओं की देखरेख करने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने तथा देश में पर्यटन के विकास और संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियों का समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसी है। मंत्रालय का नेतृत्व केन्द्रीय पर्यटन मंत्री करते हैं और राज्य मंत्री उनका सहयोग करते हैं।

संगठन- मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पर्यटन) हैं। सचिव (पर्यटन) महानिदेशक (पर्यटन) के रूप में भी काम करते हैं। महानिदेशक (पर्यटन) का कार्यालय (जो अब सचिव (पर्यटन) के कार्यालय में मिल दिया गया है) विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

पर्यटन महानिदेशालय के देश में 20 कार्यालय और विदेश में 14 कार्यालय हैं। विदेश स्थित कार्यालय मुख्यतः अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन संवर्द्धन और मार्केटिंग के लिए उत्तरदायी हैं और भारत में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर्यटकों को सूचना प्रदान करने और क्षेत्रीय परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत पर्यटन विकास निगम और निम्नलिखित स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं-

- भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस)।
- राष्ट्रीय होटल प्रबंध संस्थान एवं कैंटरिंग टेक्नोलॉजी (एनसीएचएमसीटी) और होटल प्रबंध संस्थान।

कार्य और भूमिका (Functions and Role)

पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में समन्वय और अनुपूरक निजी निवेश को कोटलाइज करने, संवर्धनात्मक और मार्केटिंग प्रयासों को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षित जनशक्ति संसाधनों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में मंत्रालय के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- विकास नीतियाँ
- जनशक्ति विकास
- प्रोत्साहन
- संवर्द्धन एवं मार्केटिंग
- बाह्य सहायता
- निवेश सुगमिकरण

आयोजना (Plannings)

1. अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय विनियमन।
2. अवसरचताना और उत्थार विकास करना।
3. मानव संसाधन विकास।
4. प्रचार और विपणन।
5. अनुसंधान, विवरण, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेशी सहायता।
7. अंतर्राष्ट्रीय विकास।
8. द्विपक्षीय समझौता।
9. बाह्य सहायता।
10. विदेशी तकनीकी सहयोग।
11. विधान और संसदीय कार्य।
12. स्थापना मामले।
13. सतकता मामले।
14. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन।
15. बजट समन्वय और अन्य मामले।
16. योजना समन्वय और मॉनीटरिंग।

संबद्ध कार्यालय अर्थात् पर्यटन महानिदेशालय जिसे अब सचिव (पर्यटन) के साथ मिला दिया गया है के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. क्षेत्रीय कार्यालयों से फीडबैक उपलब्ध कराके नीतियों को तैयार करने में सहायता देना।
2. योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना और प्लान परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करना।
3. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों में समन्वय करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

विनियमन (Regulation)

- होटल और रेस्तरां का वर्गीकरण और अनुमोदन
- ट्रेवल एजेंटों, इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स और पर्यटक परिवहन प्रचालकों इत्यादि का अनुमोदन

निरीक्षण और गुणवत्ता (Monitoring and Quality)

- गाइड सेवा
- शिकायतें और निवारण

अवसंरचना विकास (Infrastructural Development)

- प्रोत्साहनों को जारी करना
- पर्यटक सुविधा और जानकारी
- क्षेत्रीय प्रचार, संवर्धन और विपणन
- आतिथ्य कार्यक्रम
- समागम और सम्मेलन
- विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों से विदेशी वित्त प्राप्त करने में सहायता करना।
- लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में समग्र नीति निर्माण, आयोजना और मार्गदर्शन, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रशासन और मॉनीटरिंग तथा सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंध को बढ़ाना।
- भू-जल संसाधन के विकास के लिए समग्र आयोजना, प्रयोज्य संसाधनों की स्थापना, दोहन की नीतियों का निर्माण तथा भू-जल विकास में राज्य स्तरीय क्रियाकलापों पर निगाह रखना तथा उन्हें सहयोग देना।
- राष्ट्रीय जल विकास परिप्रेक्ष्य का निर्माण तथा अन्तः बेसिन अन्तरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए विभिन्न बेसिन/उप-बेसिन के जल सन्तुलन का निर्धारण।
- अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से सम्बन्धित मतभेदों अथवा विवादों को हल करने के सम्बन्ध में समन्वय, मध्यस्थता करना तथा इस काम को सुविधाजनक बनाना और कुछ मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगाह रखना।
- नदियों के जल, जल संसाधन विकास परियोजनाओं तथा सिंधु जल संधि के प्रचालन के सम्बन्ध में पड़ोसी देशों के साथ वार्ता और विचार-विमर्श करना।

स्कन्ध (Wing)

1. सांख्यिकीय स्कन्ध
4. प्रशासन स्कन्ध

2. पीआर स्कन्ध
5. हिन्दी स्कन्ध

3. वित्त स्कन्ध

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों, विशेषकर भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् के कामकाज के लिए केन्द्र सरकार की समन्वयकर्ता एजेंसी है। मंत्रालय का संबंध उत्तरदायी जनोन्मुख आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया से भी है। कार्य आबंटन नियमावली में मंत्रालय को आवंटित कार्य को परिभाषित किया गया है।

विजन (Vision)

कुशल, प्रभावी, दायित्वपूर्ण, संवेदनशील तथा पारदर्शी सुशासन हेतु सरकार के मानव संसाधन के विकास तथा प्रबंधन हेतु सक्षम परिवेश का विकास।

मिशन (Mission)

1. कार्मिक नीतियाँ तथा सरकारी कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए एक सक्षम ढाँचे का प्रावधान करना।
2. सरकार में सक्षमता तथा नवीनता का विकास।
3. लोक सेवाओं को भलीभाँति संपन्न करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर मानव संसाधनों का क्षमता निर्माण।
4. सार्वजनिक मामले में पारदर्शिता, दायित्व, कीर्ति, पारदर्शिता तथा प्रत्युत्तरादायिता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए परिवेश का निर्माण करना तथा उसे संयोजन देना।
5. पणधारियों के साथ सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रणाली को संस्थागत बनाना।

परिचय (Introduction)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के अंतर्गत आता है। राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन) के पास संसदीय कार्य तथा प्रधानमंत्री कार्यालय का पद भी है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों के लिए जिम्मेदार नौदल मंत्रालय है। विशेषकर भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् के कामकाज के स्तर पर केन्द्र सरकार।

इस मंत्रालय में तीन विभाग हैं—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (DARAPG)।

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training)

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव (कार्मिक) के प्रभाव में छः विंग अर्थात् स्थापना अधिकारी, सेवाएँ तथा सतर्कता, स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रशासन, प्रशिक्षण तथा सेवाएँ हैं। इनमें से प्रत्येक विंग में संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव रैंक के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भर्ती से संबंधित नीतियों को बनाने, सेवा-शर्तों के विनियमन तथा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के कामकाज के अलावा कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में केन्द्र सरकार के सभी संगठनों को सलाह-मशविस् देने का कार्य करता है।

कार्मिक नीतियाँ (Personnel Policies)

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

यह विभाग भर्ती नियमों, पदोन्नति तथा वरिष्ठता लचीली अनुपूरक योजना, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रतिनियुक्ति और बच्चों की देखभाल हेतु छुट्टियों सहित सेवा-शर्तों को अभिशासित करने वाले नियम बनाने, सेवा को अभिशासित करने तथा विनियम के लिए जिम्मेदार है। उच्च सिविल पदों पर कार्मिकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। समूह 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के उत्थान तथा कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह विभाग केन्द्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में इन समूहों के लिए आरक्षण के प्रावधान संबंधी नीतियाँ बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

संवर्ग प्रबंधन (Cadre Management)

यह विभाग अखिल भारतीय सेवा संवर्गों तथा तीनों सचिवालय सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (केन्द्रीय सचिवालय सेवा एस) और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के संबंध में प्रबंधन हेतु जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यह विभाग गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं विदेश मंत्रालय के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् आईपीएस तथा आईएसएस की शर्तों के संबंध में नियमों तथा विनियमों को बनाता है तथा उनमें संशोधन भी करता है। यह विभाग आवधिक आधार पर 58 केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग समीक्षा हेतु भी जिम्मेदार है।

भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियाँ (Appointments on Superior Posts under GoI)

विभाग वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियों तथा भारत सरकार की कार्मिक नीतियों के संबंध में कार्य करता है। भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के उन सभी प्रस्तावों पर इस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है। इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ तथा मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर केन्द्रीय स्टाफिंग पैटर्न की नियुक्तियाँ शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी नियुक्तियों के मामले, जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है, पर भी इस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रशिक्षण नीति तथा कार्यक्रम (Training Policy and Programme)

यह विभाग सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु नोडल विभाग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रशिक्षण विंग प्रशिक्षण के क्षेत्रों की पहचान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षण क्षमताओं तथा प्रशिक्षण में प्रशासनिक नीतियों का विकास कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित नीतियाँ बनाता तथा उन नीतियों को कार्यान्वित करता है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई मुख्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं—(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (ii) भारतीय प्रशासनिक सेवा का मध्य करिअर प्रशिक्षण (iii) विदेशी प्रशिक्षण का घरेलू-वित्त पोषण (iv) लोक नीति में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (v) प्रशिक्षण सहायता (vi) रहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (vii) प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में बढ़ोतरी (viii) गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण (ix) दूरस्थ तथा ई-लर्निंग पहलू तथा (x) ई-शासन पहलू।

प्रशिक्षण संस्थान (Training Institutes)

इस विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में दो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, उत्तराखण्ड एवं सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसएम) नई दिल्ली हैं। ये संस्थान केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ताकि उनके करियर में प्रगति हो सके। यह विभाग भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की प्रशासकीय तथा अनुसंधानिकताओं को लोक प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है जो कि एक स्वायत्त संगठन है।

प्रशासनिक सतर्कता (Administrative Vigilance)

यह विभाग सरकार की सतर्कता तथा नीति बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल अधिकरण के रूप में कार्य करता है। विभाग का प्रशासनिक सतर्कता विंग अनुशासन बनाए रखने तथा लोक सेवाओं से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किए जाने के सरकार के कार्यक्रमों पर निगरानी रखता है। यह विभाग संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की नीति को तैयार करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सभी तरह के सतर्कता मामलों में केन्द्र सरकार को सलाह देता है। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में वे सभी संगठन आते हैं, जिन पर भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ लागू होती हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना भारत सरकार के दिनांक 01 अप्रैल, 1963 के संकल्प द्वारा न केवल रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के मामलों की बल्कि केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों से जुड़े मुख्य घोटालों, लोक संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, पासपोर्ट घोटालों तथा संगठित गैंगों, व्यवसायिक अपराधियों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की भी जाँच करने हेतु किया गया था। भारत सरकार के आर्थिक अपराध विंग को शामिल कर 02 फरवरी 1964 के संकल्प द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को और सुदृढ़ किया गया।

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (Joint Advisory Mechanism)

केन्द्र सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, आम हितों के मामले में केन्द्र सरकार तथा कर्मचारियों के बीच अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए तीन स्तरों पर संयुक्त परामर्श के प्रयोजन से केन्द्र सरकार ने एक तंत्र का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ लोक सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना है। इस त्रिस्तरीय तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) राष्ट्रीय परिषद-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन शीर्ष स्तर पर कार्यरत।
- (ii) विभागीय परिषदें-मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालयों/संगठनों में कार्यरत।
- (iii) कार्यालय परिषदें-विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालयों/संगठनों में कार्यरत।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal)

सरकार के निर्णयों से व्यथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय मुहैया करवाने के प्रयोजन से सरकार ने 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) स्थापित किया था जो अब सेवा से संबंधित सभी मामलों पर विचार करता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की 17 खंडपीठें हैं जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों की प्रधान सीटों से संचालित होती हैं और शेष दो जयपुर तथा लखनऊ में हैं।

कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare)

यह विभाग देश के सबसे बड़े एकमात्र नियुक्ता होने के नाते केन्द्र सरकार कर्मचारियों के कल्याण के अपने दायित्व को विभिन्न कल्याणकारी उपायों के द्वारा पूरा करता है। यह विभाग विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों को भी सहायता प्रदान करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु स्थापित चार प्रयोजित समितियों के संबंध में नोडल अधिकरण (एजेसी) है। इसके अतिरिक्त यह विभाग विभागीय कैटों के लिए नीतियाँ भी निर्धारित करता है तथा आवासीय कल्याण सभों को सहायता प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार (Right of Information)

इस विभाग ने भारत के नागरिकों को शासन के सभी मामलों में केन्द्र सरकार से लेकर स्थानीय स्वशासन तक सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यापक कानून तैयार किया है। इस कानून (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005) में एक तंत्र का प्रावधान है जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्र में शासनाधिकार होने के नाते अपने नागरिकों को समयबद्ध आसान और बहनीय दर पर सूचनाएँ सुलभ करता है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग (Progressive use of Hindi)

यह विभाग राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का समुचित रूप से पालन किए जाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा मार्ग-निर्देशों की भावनाओं का अनुपालन लागू किया जाए। विभाग में एक राजभाषा प्रभाग है, जो विभाग में इस नीति की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन करता है।

(2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

(Department of Administrative Reform and Public Grievance)

यह विभाग श्रव्य-दृश्य मीडिया तथा प्रकाशन के माध्यम से सफल गवर्नेंस प्रथाओं के दस्तावेज तैयार करने और उनका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है। यह विभाग सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनियम और सहयोग के क्षेत्र में भी कार्यकलापों को चलाता है। सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण इस विभाग के प्रमुख हैं। इसमें एक अपर सचिव, एक संयुक्त सचिव, 7 निदेशक/उप सचिव तथा 14 अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इस विभाग में प्रशासनिक सुधार, संगठन तथा पद्धति, ई-गवर्नेंस, प्रलेखन एवं प्रचार-प्रसार, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशासन तथा समन्वय एवं लोक शिकायत नामक सात प्रभाग हैं। इस विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-1 पर दिया गया है।

भारत सरकार के कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं—

1. ई-गवर्नेंस तथा प्रशासनिक सुधार श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रचार-प्रसार सहित।

2. संगठन एवं पद्धति।
3. निम्नलिखित से संबंधित पहलुओं की नीति बनाना, समन्वय करना तथा निगरानी करना
 - (क) सामान्य लोक शिकायतों का निवारण करना; तथा
 - (ख) लोक प्रबंधन मामलों में राज्य सरकारों, व्यावसायिक संस्थानों आदि से संपर्क।
 - (ग) लोकप्रबंधन में अनुसंधान; तथा
4. केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका का प्रबंधन।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निम्नलिखित विजन, मिशन एवं कार्यकलाप हैं-

विजन (Vision)

सभी नागरिकों के हित के लिए गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लक्ष्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाना।

मिशन (Mission)

- ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता का संवर्धन करना और सरकारी ढाँचों और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों का अनुसरण करना।
- शिकायत निवारण पर बल सहित नागरिक-केन्द्रिक प्रशासन का संवर्धन करना।
- ई-गवर्नेंस में नवाचार।
- सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रलेखन एवं प्रचार-प्रसार।

उद्देश्य (Objectives)

- (i) सरकारी नीतियों, ढाँचों तथा प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधारों का संवर्धन करना।
- (ii) ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुधारों को बढ़ावा देना।
- (iii) नीति निर्माण तथा मामलों के निवारण संबंधी विषयों का समन्वयन।
- (iv) सरकारी ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रयोगों का विस्तार।

कार्य (Functions)

- (i) नागरिक केन्द्रित पहलुओं में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
- (ii) ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।
- (iii) प्रशासनिक सुधार से संबंधित विषय।
- (iv) सरकारी वेबसाइटों पर दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन।
- (v) प्रशासनिक सुधार पर कोर ग्रुप तथा मंत्रियों के समूह को सेवा प्रदान करना।
- (vi) त्रैमासिक पत्रिका-सरकार में प्रबंधन तथा मासिक न्यूज लेटर - नागरिक/सिविल सेवा समाचार का प्रकाशन।
- (vii) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों/सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- (viii) सिविल सेवा दिवस, मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशासनिक सुधार सचिवों के सम्मेलन का आयोजन।
- (ix) श्रेष्ठ प्रथाओं तथा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार से संबंधित मामलों का प्रलेखन और प्रचार-प्रसार।
- (x) गवर्नेंस ज्ञान केन्द्र-श्रेष्ठ प्रथाओं का एक पारस्परिक क्रिया पोर्टल।
- (xi) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका।
- (xii) सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।
- (xiii) ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुधार उपाय कराने हेतु क्षमता निर्माण, परिवर्तित प्रबंधन तथा सरकारी प्रक्रिया को पुनः अभियांत्रिकी।
- (xiv) लोक प्रशासन तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय तथा सहयोग।
- (xv) सामान्यतः लोक शिकायतों तथा विशेष रूप में केन्द्र सरकार के अधिकरणों संबंधित शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग करना तथा इसे सुविधाजनक बनाना।
- (xvi) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से लोक शिकायतों के कुशल

प्रबंधन के लिए ऑनलाइन फ्रेमवर्क का सृजन एवं उन्नयन और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में इसकी शुरुआत।

(xvii) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु सर्वोत्तम ढाँचे के कार्यान्वयन को सुविधानजनक बनाना/करना।

(xviii) संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और उनसे ऊपर के अधिकारियों की शिकायतों हेतु स्थायी समिति को सेवा प्रदान करना।

(xix) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना।

(3) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare)

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की स्थापना 1985 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के एक भाग के रूप में देश में केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं के मद्देनजर की गई थी। सरकार की पेंशन तथा सेवा से संबंधित अन्य लाभों एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों के निपटाने के संबंध में एक आम नीति बनाने हेतु नोडल अभिकरण है। इस विभाग ने बेहतर सुविधा तथा पेंशनभोगियों के कल्याण हेतु पेंशन प्रणाली को कारगर बनाने हेतु वर्षों से कई कदम उठाए हैं।



प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office – PMO)

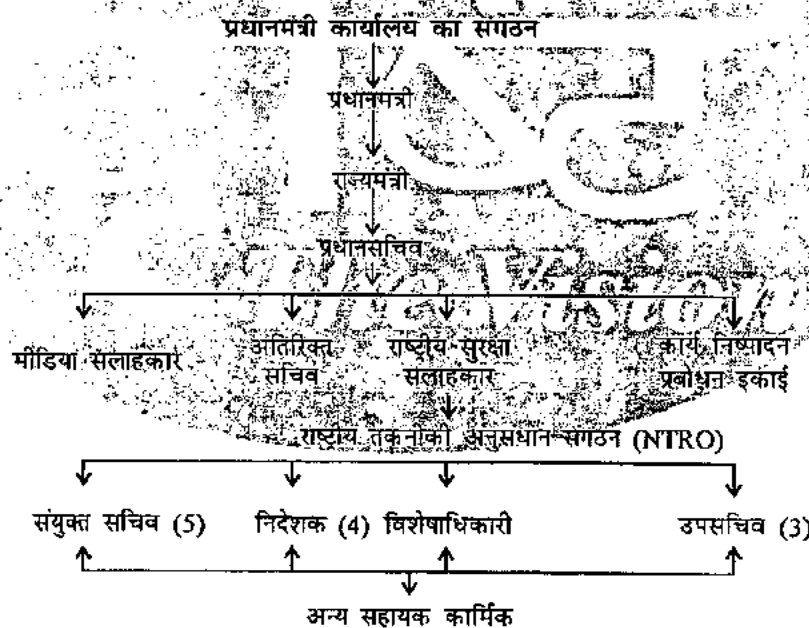
भारत के प्रधानमंत्री संघ सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो देश के प्रमुख हैं, से अलग हैं। चूँकि भारत में संवैधानिक लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है, अतः प्रधानमंत्री को भारत संघ सरकार के दैनिक कामकाज की देखरेख करनी होती है।

प्रधानमंत्री को इस कार्य में उनके मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, राज्य मंत्री शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office – PMO)

प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई थी। जून, 1977 से प्रधानमंत्री सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाने लगा। भारत सरकार के 'कार्य आर्बंटन नियम, 1961' के अंतर्गत PMO को 1967 से एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। इन नियमों में PMO का कार्य केवल प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता देना बताया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कई बार राज्य मंत्री या उप मंत्री का पद भी इस कार्यालय में निर्मित किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर PMO का एक प्रधान या प्रमुख सचिव होता है। सामान्यतः यह पद प्रधानमंत्री के अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारी को मिलता है। अतः नीति निर्माण और अन्य शासकीय कार्यों में यह अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। PMO में अन्य अधिकारी-कर्मचारी आवश्यकतानुसार नियुक्त किए जाते हैं।



भारत के राष्ट्रपति द्वारा पार्टी या गठबंधन के उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो लोक सभा (भारतीय संसद के निचले सदन) का बहुमत हासिल करता है। यदि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किन्तु उसे अंततः लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। मंत्रियों की केंद्रीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री राज्य सभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है।

मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के कार्यों की देखरेख करता है। यह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान की जाती है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव करते हैं। पीएमओ में प्रष्टाचार विरोधी इकाई और शिकायतों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्कंध शामिल हैं।

प्रधानमंत्री के पास जमा करने के लिए अपेक्षित फाइल की विषय-वस्तु इस पर निर्भर करती है कि क्या उनके पास उस मंत्रालय का प्रत्यक्ष प्रभार है या क्या उस मंत्रालय के प्रभारी एक कैबिनेट मंत्री हैं अथवा एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

दूसरे मामले में अधिकांश मुद्दों को कैबिनेट मंत्री/प्रभारी राज्य मंत्री द्वारा निपटाया जाता है। केवल महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के लिए, जिनके प्रति मंत्री संवेदनशील हैं, उन्हें आदेश या सूचना के लिए प्रधानमंत्री के पास जमा किया जाना चाहिए, जिन्हें पीएमओ में प्राप्त किया जाता है। उन मामलों में जहाँ प्रधानमंत्री ही प्रभारी मंत्री हैं तो मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता का प्रत्यायोजन राज्य/उपमंत्री को सौंपा नहीं गया है, यदि कोई हो, इन्हें आदेश को प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं।

चूँकि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष है, अतः प्रासंगिक फाइलें उनकी टिप्पणियों और निकासी के लिए पीएमओ को ही अग्रेषित की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित हैं:

- (क) रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे;
- (ख) सजावट, (नागरिक और रक्षा) जहाँ राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है;
- (ग) सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे;
- (घ) विदेशों में मिशन पर भारतीय प्रमुखों की नियुक्ति के प्रस्ताव और भारत में तैनात मिशन के विदेशी प्रमुखों के लिए करार प्रदान करने हेतु अनुरोध;
- (ङ) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय;
- (च) राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों और केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों, महा लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सांविधिक समितियों के सदस्यों की नियुक्ति विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े आयोगों में नियुक्ति;
- (छ) सिविल सेवाओं और प्रशासनिक सुधार से संबंधित सभी नीतिगत मामलों;
- (ज) प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी पैकेजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में की जाती है और इसकी आवधिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पेश की जाती है; और
- (झ) सभी न्यायिक नियुक्तियों/अन्य के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

संसदीय प्रश्न (Parliament Question)

उन मंत्रालयों और विभागों में संबंधित संसदीय प्रश्न जिनके प्रभारी मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उनके उत्तर स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा नामित राज्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें इस प्रयोजन हेतु नामित किया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य (Functions of PMO)

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की प्रदत्त कार्य इस पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री के पास कौन से मंत्रालय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

1. प्रधानमंत्री को उनके अधीन विभागों या मंत्रालयों के कार्यों को संपादित करने के लिए सहायता करना।
2. कार्यविधि नियमों के अन्तर्गत प्रधानमंत्री को प्राप्त सभी कार्यों तथा उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित विषयों को संपादित करना।
3. प्रधानमंत्री के पास आने वाली शिकायतों, गंभीर प्रकरणों तथा नीतिगत मामलों की छानबीन करना तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना।
4. प्रधानमंत्री को विभिन्न संगठनों (जैसे-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि) में उनके पदेन अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों से सम्बद्ध निर्वहन में सहायता करना।
5. सभी उच्च पदों, मिशनों, आयोगों, बोर्डों एवं समितियों इत्यादि में नियुक्ति के प्रकरण निस्तारित करना।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय की बढ़ती भूमिका को लेकर आलोचनाएँ की गई हैं। यह देखा गया है कि कई बार प्रधानमंत्री के मित्रों, रिश्तेदारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों तथा कुछ प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों से युक्त प्रधानमंत्री हाउस PMO की तरह कार्य करने लगा।

कभी-कभी तो PMO को सुपर कैबिनेट, भारत सरकार की सरकार जैसे नामों से भी संबोधित कर दिया जाता है।

प्रधानमंत्री कोष (Prime Minister Fund)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और राष्ट्रीय रक्षा निधि (एनडीएफ) सीधे पीएमओ से प्रचलित किए जाते हैं।

(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अपील के अनुसरण में जनवरी, 1948 में सार्वजनिक योगदान के साथ पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष स्थापित किया गया था। अय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग बाढ़, चक्रवात, और भूकंप आदि और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से राशि का उपयोग हृदय की सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार आदि में भी किया जाता है और चिकित्सा उपचार के लिए सहायता की यह निधि पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान की होती है और इसमें बजटीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है। कोष की राशि बैंकों के साथ फिक्स्ड डिपोजिट में निवेश की जाती है। प्रधानमंत्री के अनुमोदन के साथ इसका संचितरण किया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF)

राष्ट्रीय रक्षा निधि राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और वस्तु रूप में स्वैच्छिक आधार पर दान प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया था। इस कोष का सशस्त्र बल (अर्द्ध सैनिक बल सहित) के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कोष कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रशासित होता है। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा रक्षा, वित्त एवं गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष होता है और विषय से संबंधित संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री कार्यालय) इस कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व में रखा जाता है। यह कोष पूरी तरह से लोगों के स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है और इसे कोई सहायता समर्थन नहीं मिलती है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि के अंतर्गत आने वाली स्कीम (Schemes under National Defence Fund)

- (i) प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल और अर्द्ध सैनिक बलों के पतन व्यक्तियों की विधवाओं और आश्रितों के लिए तकनीकी और स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित की है। यह स्कीम सशस्त्र बलों के संबंध में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जहाँ तक अर्द्ध सैनिक बल और रेल संरक्षण बल के कर्मियों का संबंध है, स्कीम क्रमशः गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- (ii) सियाचीन बेस कैम्प के सियाचीन के अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन और मनोरंजन के लिए 2 बड़े होम थियेट्रो के संस्थापन की घोषणा की गई।
- (iii) प्रधानमंत्री ने कूकी इन कॉम्प्लेक्स, इम्फाल में समुदाय हॉल व संग्रहालय और पुस्तकालय के निर्माण के लिए 1.44 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है।

प्रधानमंत्री की समितियाँ एवं परिषद (Committees and Councils of Prime Minister)

- (i) आर्थिक सलाहकार परिषद- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन 29 दिसंबर, 2004 को किया गया, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट रैंक के होंगे। वर्तमान में डॉ. सी. रंगराजन इसके अध्यक्ष हैं।

परिषद के सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री का होगा।

प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर परिषद को भेजे गए नीतिगत मामलों पर सलाह देने के अलावा आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री के लिए देश एवं विदेशों में आर्थिक विकासों पर एक मासिक रिपोर्ट तैयार करती है। यह नियमित रूप से आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है एवं देश एवं विदेश में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करती है तथा उचित नीतिगत जवाब हेतु सुझाव भी देती है।

- (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर प्रधानमंत्री की परिषदें (एमएसएमई)- अगस्त 2009 में प्रधानमंत्री ने उस समय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी, जब प्रमुख एमएसएमई एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर अपने मुद्दों और चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था। तदनुसार 2 सितंबर, 2009 को श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के अधीन टास्क फोर्स का गठन किया गया ताकि एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने एवं सभी हिस्सेदारों के साथ विचार-विमर्श के बाद कार्रवाई करने के लिए एक एजेण्डा तैयार किया जा सके। इसके सदस्यों में योजना आयोग के सदस्य, संबंधित सरकारी विभागों के सचिव, आर.बी.आई. के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश, एस.आई.डी.बी.आई. तथा एमएसएमई एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं संवर्धन के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में हाल की आर्थिक मंदी के मद्देनजर एमएसएमई को राहत और प्रोत्साहन देने हेतु तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक एजेण्डा की सिफारिश भी की गई है। इसमें संस्थागत बदलावों एवं विस्तृत कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें समुचित कानूनी एवं रेगुलेटरी ढाँचे के गठन की भी सलाह दी गई है ताकि देश में उद्यमों हेतु अनुकूल वातावरण बनाया जा सके और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास हो सके। तदनुसार एमएसएमई क्षेत्र के विकास एवं व्यापक नीति हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिए एमएसएमई पर प्रधानमंत्री की परिषद का गठन 7 अप्रैल, 2010 को किया गया। परिषद की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

एक स्टीयरिंग ग्रुप का भी गठन किया गया है जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त, श्रम आदि मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं।

- (iii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद- 'कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई' तथा 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' के गठन पर 15 मई 2008 को हुई बैठक में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में 1 जुलाई 2008 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का गठन किया गया।

संघटन (Structure)

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का संघटन इस प्रकार है-

- | | |
|--|--|
| (i) प्रधानमंत्री-अध्यक्ष | (iii) वित्त मंत्री-सदस्य |
| (ii) मानव संसाधन विकास मंत्री-सदस्य | (iv) ग्रामीण विकास मंत्री-सदस्य |
| (iv) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री-सदस्य | (v) श्रम और रोजगार मंत्री-सदस्य |
| (vi) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री-सदस्य | (ix) अध्यक्ष-राष्ट्रीय विनिर्माण-सदस्य |
| (viii) उपाध्यक्ष-योजना आयोग-सदस्य | |

चार्टर (Charter)

यह परिषद निरन्तर संरचना वाली शीर्ष संस्था है और विज्ञान तय करने तथा मूल कार्यनीतियाँ तैयार करने में अपना योगदान देगी। इस परिषद के राष्ट्रीय विकास विभाग समन्वयन बोर्ड सहायता प्रदान करेगा। इसके अध्यक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष होंगे तथा यह परिषद सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कौशल विकास की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई को समन्वयन करेगी।

कौशल विकास के संबंध में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नामक गैर मुनाफा वाले निगम की कार्रवाई के क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्था की जा रही है। इस वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नामक गैर मुनाफा वाले निगम के अध्यक्ष परिषद के सदस्य भी होंगे।

- (iv) प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 जून, 2008 को इसका गठन किया गया। यह परिषद जलवायु परिवर्तन के निर्धारण, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही का समन्वय करेगी। इसके सदस्यों के तौर पर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यावरण व वन मंत्री, कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री को ही शामिल किया गया है। साथ ही किसी भी बैठक में अन्य मंत्री, अधिकारी व विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- (v) व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति- 3 मई 2005 को गठित, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्य क्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित एवं समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इस समिति को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी जो आवश्यकता पड़ने पर सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/सरकारी एजेंसी से सहयोग ले सकता है।
- (vi) प्रधानमंत्री व्यापार एवं उद्योग परिषद- इस परिषद की प्रथम बैठक 26 मई, 2010 को संपन्न हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद के सदस्यों में रतन राय, राहुल बजाज, एन. नारायणमूर्ति, किरण मजूमदार सहित 23 सदस्य हैं। यह परिषद व्यापार और उद्योग से संबंधित आर्थिक मुद्दों पर नीति संबंधी संवाद का एक मंच होगा।

अन्तरिक्ष विभाग (Department of Space)

अन्तरिक्ष विभाग का गठन अन्तरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान और प्रहीय अन्वेषण को जारी रखते हुए राष्ट्र के विकास में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुटे रहने के लिए किया गया।

लक्ष्य (Aims)

- अन्तरिक्ष पर पहुँचने की दिशा में प्रमोचन वाहनों का डिजाइन तथा विकास और संबंधित तकनीकी।
- भू-प्रेक्षण, संचार, नौसंचालन, मौसम विज्ञान और अन्तरिक्ष विज्ञान हेतु उपग्रहों का डिजाइन और विकास।
- दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और विकासीय उपयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) कार्यक्रम।
- उपग्रह आधारित प्रतिबिम्ब का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय मॉनीटरिंग के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) कार्यक्रम।
- सोसाइटी विकास हेतु अन्तरिक्ष आधारित उपयोग।
- अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रहीय अन्वेषण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य।

इन उद्देश्यों के समर्थन हेतु विधायी और विनियामक उपायों का एक सेट है, जिसके पीछे लक्ष्य पर्यावरण का संरक्षण, परिरक्षण और रक्षण करना है। विधायी उपायों के अलावा, पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और नीति कथन, 1992 राष्ट्रीय वन नीति, 1988; प्रदूषण उपशमन संबंधी नीति कथन, 1992; और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 से भी मंत्रालय के कार्य मार्गनिर्देशित होते हैं।

उद्देश्य (Objectives)

- | | |
|---|--|
| (1) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) के प्रचालनात्मक उड़ान। | (5) भू-प्रेक्षण उपग्रहों का डिजाइन, विकास तथा प्राप्ति |
| (2) भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (जी.एस.एल.वी. मार्क II) के विकासीय उड़ान | (7) अन्तरिक्ष विज्ञान और खगोलीय अन्वेषण हेतु उपग्रहों का विकास |
| (3) भार उत्थापन भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (जी.एस.एल.वी. मार्क III) के विकासीय उड़ान | (9) सामाजिक उपयोग के लिए अन्तरिक्ष आधारित प्रणाली |
| (4) संचार उपग्रहों का डिजाइन, विकास तथा प्राप्ति | (11) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा शिक्षा |
| (6) नौ वहन उपग्रह प्रणाली | (13) अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए अवसरचना तथा सुविधा विकास |
| (8) भू-प्रेक्षण उपयोग | |
| (10) उन्नत प्रौद्योगिकी तथा नये पहलू | |
| (12) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन | |
| (14) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता | |

प्रकार्य (Functions)

- (1) अन्तरिक्ष आयोग के निर्णयों और निर्देशों का अनुपालन।
- (2) उपग्रह और रॉकेट हेतु डिजाइन, विकास तथा प्रमोचन सुविधा प्रदान करना।
- (3) दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, सुरक्षा आवश्यकताएँ और सामाजिक उपयोग हेतु उपग्रह प्रेषणकर उपलब्ध कराना।
- (4) प्राकृतिक संसाधन और आपदा प्रबंधन समर्थन के प्राकृतिक संसाधन हेतु भू-प्रेक्षण क्षमताएँ उपलब्ध कराना।
- (5) नौसंचालनात्मक आवश्यकताएँ तथा मौसम विज्ञानीय सेवाओं हेतु अन्तरिक्ष आधारित प्रणाली उपलब्ध कराना।
- (6) अन्तरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान तथा विकास और खगोलीय अन्वेषण हेतु अन्तरिक्ष प्रणाली उपलब्ध कराना।
- (7) उपभोक्ता समुदाय को अन्तरिक्ष आधारित उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- (8) प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण द्वारा पर्याप्त मानव शक्ति सहित अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अधिक अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना।
- (9) बाह्य अन्तरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता।

कार्यक्रम (Programmes)

अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि) का प्राथमिक उत्तरदायित्व आत्म-निर्भरता हासिल करने और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को साध्य बनाने हेतु अन्तरिक्ष उपायों की दिशा में अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अन्तरिक्ष विभाग ने निम्नांकित कार्यक्रम तैयार किए हैं-

- दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसमविज्ञान, विकासात्मक शिक्षा, सामाजिक उपयोग जैसे कि दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा, दूरस्थ सलाहकारिता के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) कार्यक्रम राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) कार्यक्रम।
- देश भर में प्राकृतिक संसाधनों एवं विकासात्मक परियोजनाओं के प्रबंधन में अन्तरिक्ष आधारित प्रतिबिम्बिकियों का उपयोग करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) कार्यक्रम।
- अन्तरिक्षयान तथा संचार, नौवहन सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए संबंधित प्रौद्योगिकी का डिजाइन एवं विकास।

- अन्तरिक्ष में पहुँचने और इनसैट, आई.आर.एस., अन्तरिक्षयान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान मिशन को कक्षा में स्थापित करने हेतु प्रमोचक रॉकेटों का डिजाइन एवं विकास।
- अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय विकास हेतु प्रयोग कार्यक्रमों को उत्प्रेरित करना।

अन्तरिक्ष विभाग की प्रतिबद्धता (Commitments of Department of Space)

- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य से उपग्रह तथा प्रमोचक रॉकेट में अनुसंधान व विकास कार्य आयोजित करना।
 - देश की दूरसंचार और प्रसारण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अवसंरचना उपलब्ध कराना।
 - मौसम पूर्वानुमान, मानीटरन, आदि के लिए अपेक्षित उपग्रह सेवा उपलब्ध कराना।
 - देश में प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, सार्वजनिक के लिए बेहतर सेवाएँ एवं पर्यावरण का मानीटरन संबंधी जरूरतों के लिए अपेक्षित उपग्रह प्रतिबिंबको उपलब्ध कराना।
 - केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्रों के द्वारा विकासात्मक उद्देश्यों हेतु अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए।
 - अन्तरिक्ष उपयोग के प्रदर्शन की संकल्पना का प्रमाण प्राप्त करना।
 - राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, अन्तरिक्ष विज्ञान और उपयोग कार्यक्रम के विकास कार्य में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- संगठनात्मक चार्ट-



NRSE- राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, PRL- भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, NARC- राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, NE-SAC- उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, SCL- सेमी कण्डक्टर प्रयोगशाला ISRO- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, Antrix- अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, VSSC- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, LPSC- द्रव प्रकोट सिस्टम केंद्र, SDSC- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ISAC- इसरो उपग्रह केंद्र, SAC- अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, IISU- इसरो अंतरिक्ष सिस्टम इकाई, DECU- शिक्षा व विकास संचार इकाई, MCF- मास्टर नियंत्रण सुविधा, ISTRAC- इसरो दूरसंचार ट्रेकिंग व निर्देश केंद्र, LEOS- इलेक्ट्रो-ऑप्टिक तंत्र के लिये प्रयोगशाला, IIST- भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी संस्थान, IIRS- भारतीय इर संवेदन संस्थान

भारत में प्रमोचन यानों के विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1970 दशक के प्रारंभ में हुई। प्रथम प्रायोगिक प्रमोचन यान (एसएलवी-3) 1980 में विकसित किया गया। इसके एक संवर्धित संस्करण एसएलवी का प्रमोचन 1992 में सफलतापूर्वक किया गया। उपग्रह प्रमोचन यान कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान (पीएसएलवी) और भूतुल्यकारी उपग्रह प्रमोचन यान (जीएसएलवी) के प्रचालनीकरण के साथ भारत ने प्रमोचन यान प्रौद्योगिकी में जबरदस्त प्रगति की है।

इसरो वायुमंडलीय अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक खोजों के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा नीतभारों के प्रमोचन के लिए प्रयुक्त रोहिणी शृंखला के परिज्ञापी रॉकेटों का भी निर्माण करता है। ये रॉकेट उन्नत प्रमोचन यानों में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों को अर्द्ध बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)

यह विभाग सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है। विभाग नाभिकीय तकनीकी, नाभिकीय क्षमता एवं अनुसंधान संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

संगठन (Organisation)

- **नियामकीय आयोग एवं संगठन (Regulatory Board and Organization)-**
 - परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड, मुंबई, महाराष्ट्र (Atomic Energy Regulatory Board-AERB)
 - परमाणु ऊर्जा आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र (Atomic Energy Commission-AEC)
 - रेडियेशन एवं समस्थानिक तकनीकी आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र (Board of Radiation and Isotope Technology-BRIT)
- **लोक सेवक (Public Sector)-**
 - भारतीय विद्युतीय निगम, हैदराबाद (Electronics Corporation of India-ECIL)
 - इण्डियन रयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई (Indian Rare Earths Limited-IREL)
 - यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, सिंहभूम, झारखण्ड (Uranium Corporation of India-सिंहभूम)
 - नाभिकीय पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, मुंबई, महाराष्ट्र (Nuclear Power Corporation of India-NPCIL)
 - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड-BHAVINI, कलकत्ता, तमिलनाडु
- **अनुसंधान व विकास क्षेत्रक (Research & Development Sector)-**
 - भाभा एटॉमिक रिसर्च सेण्टर (BARC), मुंबई-BARC से संबद्ध प्रमुख संस्थाएं अग्रलिखित हैं-
 - खोज व अनुसंधान के लिये एटॉमिक मिनेरल निदेशालय, हैदराबाद (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research-AMDR)
 - परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी केंद्र, कलकत्ता, तमिलनाडु (Indira Gandhi Centre for Atomic Research-IGCAR)
 - उन्नत तकनीक के लिए राजा रामन्ना सेंटर, चेन्नई (Raja Ramanna Centre for Advanced Technology)
 - परिवर्त्य ऊर्जा चक्रवातीय केंद्र, कोलकाता (Variable Energy Cyclotron Centre-VECC)
- **विश्वविद्यालय (Universities)-**
 - होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई (Homi Bhabha National Institute)
 - आधारभूत अनुसंधान के लिये टाटा संस्थान, मुंबई (Tata Institute of Fundamental Research)
- **सहायक क्षेत्रक (Aided Sector)-**
 - परमाणु ऊर्जा शिक्षा बेरोजगारी, मुंबई (Atomic Energy Education Society-AEES)
 - टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई (Tata Institute of Fundamental Research)
 - टाटा स्मृति केंद्र, मुंबई (Tata Memorial Centre)
 - सेण्टर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, मुंबई (Centre for Excellence in Basic Sciences)
 - नाभिकीय भौतिकी का खाद्य संस्थान, कोलकाता (Saha Institute of Nuclear Physics-SINP)
 - भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर (Institute of Physics)
 - हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद (Harishchandra Research Institute-HRI)
 - गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई (Institute of Mathematical Sciences-IMSc)
 - प्लाज्मा अनुसंधान के लिए संस्थान, गांधीनगर (Institute for Plasma Research)
 - विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान, भुवनेश्वर (National Institute of Science Education and Research)
- **उद्योग एवं खान क्षेत्रक (Industries and Mining Sector)-**
 - नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद (Nuclear Fuel Complex-NFC)
 - भारी जल आयोग, मुंबई (Heavy Water Board-HWB)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

“Civilization can be judged by the way it treats its minorities.”

— Mahatma Gandhi

अल्पसंख्यक मंत्रालय 29 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के कार्यक्रमों के विकास और अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दों पर फोकस करने के लिए इस मंत्रालय की आवश्यकता महसूस हुई। यह मंत्रालय अल्पसंख्यक हितों के लिए संपूर्ण नीति व योजना निर्माण, समन्वय, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन हेतु फ्रेमवर्क बनाता है।

विजन (Visions)

अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण और राष्ट्र के बहु-जातीय, बहु-नस्लीय, बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-संजातीय चरित्र को सशक्त बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना।

सशक्त राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता के समान अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्यों व समावेशी विकास करने हेतु अल्पसंख्यकों समुदायों के सामाजिक-आर्थिक दशाओं को विकसित करना।

संगठनात्मक ढाँचा (Organisational Frame Work)

स्कीम्स व निष्पादन (Schemes/Performance)

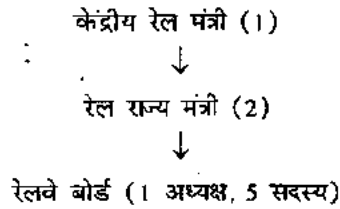
- राज्य वक्फ बोर्ड योजना के रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन
- मौलाना आजाद शिक्षा फाउण्डेशन के लिए फण्ड (MAFE)
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की समानता (NMDFC)
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के राज्य स्तर संगठनों को अनुदान
- अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए 'जिड़ रोशनी' नामक स्कीम
- बहु-क्षेत्रीय/बहु-स्तरीय विकास कार्यक्रम (MSDP)
- छात्रवृत्ति योजनाएँ
- मुफ्त कोचिंग व एंलाइड स्कीम्स
- शोध/अध्ययन विकास स्कीम की निगरानी व मूल्यांकन

The Vision

रेलवे मंत्रालय (Ministry of Railway)

देश के रेल परिवहन के लिए उत्तरदायी रेलवे मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मंत्रालय को भारतीय रेलवे का परिचालन देखने का दायित्व है। रेलवे बोर्ड जो कि रेल परिवहन के परिचालन को देखता है रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। रेलवे मंत्रालय कैबिनेट स्तर के रेल मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, जो कि प्रत्येक वर्ष में रेल बजट प्रस्तुत करते हैं।

संगठनात्मक ढाँचा (Organisational Framework)



वित्त आयुक्त (रेलवे बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि)

डायरेक्टर जनरल (2) (रेलवे स्वास्थ्य सेवा एवं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स)

रेल मंत्रालय में एक केन्द्रीय मंत्री एवं 2 रेल राज्यमंत्री होते हैं। भारतीय रेलवे की प्रमुख बोर्ड रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय को रिपोर्ट देता है। रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं एवं एक वित्त आयुक्त (जो कि रेलवे बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि) होता है। इसमें रेल स्वास्थ्य सेवा व रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक-एक डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। निदेशालय रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट देते हैं।

The Vision

पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन संकल्पना की प्रक्रिया में भारत सरकार की शाखा के रूप में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई है।

संघीय सरकार की अवधारणा में शक्तियों व कार्यों को केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य वितरित किया गया है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से शक्तियों व कार्यों का बँटवारा जिला एवं ग्राम स्तरों तक किया गया है (पंचायत ग्राम स्तर पर और नगरीय संस्थाएँ नगरीय स्तरों पर)। अब भारत सरकार दो नहीं बल्कि त्रिस्तरीय संघीय सरकार है।

पंचायती राज मंत्रालय को पंचायती राज व पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिये 27 मई 2004 को निर्मित किया गया। कैबिनेट स्तर का मंत्री मंत्रालय का प्रमुख होता है।

कार्य (Function)

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में उल्लिखित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम 1996 के क्रियान्वयन, निगरानी के कार्यों के लिए पंचायती राज मंत्रालय उत्तरदायी है।
- एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन के पश्चात् "पंचायती राज एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मुद्दे" नये गठित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देखे जायेंगे।
- राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में भी 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न रूपों में क्रियान्वित हैं। पंचायती राज मंत्रालय यह देखता है कि समय से इनके चुनाव हो रहे हैं या नहीं और राज्य वित्त आयोग गठित किये गये हैं या नहीं।
- जिला नियोजन समिति को गठन एवं उनकी सिफारिशों के संशोधन रूप में राज्य व केन्द्र स्तरीय नियोजन के साथ जोड़कर स्थानीय नियोजन को प्रभावकारी बनाने का प्रयत्न करना।
- पंचायती राज मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य यह देखना है कि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप वित्त, कार्य व कार्यकारी संस्थाएँ हैं या नहीं।
- पंचायती राज मंत्रालय इस तरह की कार्य योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि पंचायती राज संस्थाएँ "स्थानीय स्वशासन संस्थाओं" के रूप में उदयमान हो सकें जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय लाया जा सके।
- ग्राम सभा को नियमित बैठकों व सामाजिक अन्वेषण द्वारा ग्राम सभा को सशक्त बनाना ताकि ये राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज के आधार के रूप में उभर सकें।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्रों में इन संस्थाओं में वाड सभा एवं महिला सभाओं का गठन करना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं को कार्यालयी कार्यों में सक्षम बनाने एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के योग्यता निर्माण संबंधी कार्यों से पंचायती राज मंत्रालय महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है।
- अनुमानतः 3 मिलियन निर्वाचित सदस्यों एवं चुनाव कार्यों से संबंधित स्टॉफ को प्रशिक्षण द्वारा अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकने योग्य बनाना।
- पंचायत विकास संबंधी शोध अध्ययनों, वर्कशॉप/कार्यशालाओं एवं सेमिनार के लिए वित्त की व्यवस्था करना।
- "बेहतर पंचायतों के लिए राष्ट्रीय अवार्ड" संबंधी स्क्रीम क्रियान्वित करना।
- स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की अवधारणा चरितार्थ करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें योग्य बनाने संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन करना।

संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs)

संसदीय प्रणाली की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। किसी एक समय के दौरान संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले-वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय, यद्यपि एक छोटा-सा मंत्रालय है परन्तु केन्द्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। संसद में सरकार की ओर से इस विविध और विपुल संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक करने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। मई, 1949 में मुख्यतः उपरोक्त कार्य के लिए एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी परन्तु अब यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार कार्य आबंटन नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रुख की सिफारिश करती है।

मंत्रालय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संसद में लम्बित विधेयकों, पुनः स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। यह निगरानी विधेयकों के मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन की अवस्था से लेकर विधेयकों के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने तक रखी जाती है। संसद में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई के सुचारु रूप से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रयोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालयों जो कि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों से सतत सम्पर्क बनाए रखते हैं।

मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियाँ गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तःसत्रावधि दोनों ही के दौरान इनकी बैठकें आह्वानित करने के लिए व्यवस्था करता है। इस समय विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध ऐसी 29 समितियाँ हैं जिनके लिए एक वर्ष में लगभग 180 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित थी। इन समितियों के गठन और कार्यचालन संबंधी दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। परामर्शदात्री समितियों द्वारा गठित किसी उप-समिति/अध्ययनग्रुप के संबंध में अभिसूचनाएँ भी इस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं।

यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

इस मंत्रालय को आबंटित कार्य की कई अन्य मंदां भी हैं जिनमें संसद सदस्यों, संसद के दो सचिवालयों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ संपर्क शामिल हैं। सदस्यों के कल्याण और सुख-सुविधाओं की देख-रेख करना भी इस मंत्रालय को आबंटित एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसदीय कार्य मंत्री सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों में सदस्यों का नामांकन करते हैं। मंत्रालय संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954; संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953; संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 और संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधार्थ) अधिनियम, 1998 का प्रशासन भी करता है।

प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों, पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

कार्य (Functions)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार के (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:

- (1) संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियाँ, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
- (2) दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य आयोजन तथा समन्वय;
- (3) सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
- (4) संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क;
- (5) विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियाँ;
- (6) सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
- (7) विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
- (8) संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
- (9) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख;
- (10) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
- (11) प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
- (12) संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप में लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
- (13) रोचक स्थानों के सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के दौरे;
- (14) संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और अनुक्तियों संबंधी मामले;
- (15) संसदीय सचिव-कार्य;
- (16) सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
- (17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
- (18) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान;
- (19) लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;



दृष्टि
The Vision

शासन, संविधान तथा
राजव्यवस्था

Copyright- Drishui The Vision Foundation

कार्या. - कार्यान्वयन



वि. - विधायी

स.नि. - सहायक निर्देशक

प्रो. क. - प्रोफेसर और कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अलाभान्वित अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, विकलांगों, असहायों, बुजुर्गों, मद्यपान व्यसनी इत्यादि लोगों के कल्याण, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय पृथक से कार्यरत है।

मई 2012 से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत निम्नांकित 2 विभाग कार्यरत हैं-

- निःसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice & Empowerment)
- निशक्त कार्य विभाग (Department of Disability Affairs)

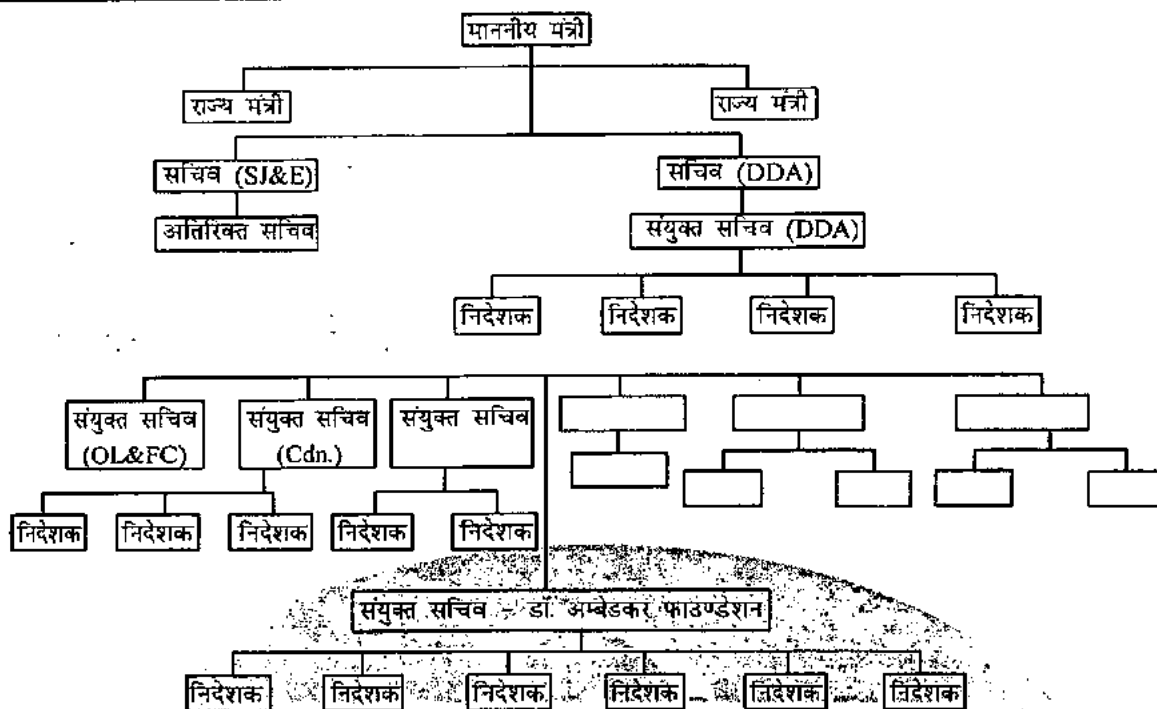
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के प्रमुख कार्य अग्रांकित हैं-

- संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची-समवर्ती सूची में शामिल खानाबदोश व घुमक्कड़ जनजाति संबंधी कार्य देखना।
- निम्नांकित समूहों से संबंधित कार्यों के लिए नोडल विभाग के तौर पर कार्य करना-अनुसूचित जाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, डिनोटिफाइड जनजातियाँ (Denotified Tribes)।
- अनुसूचित जाति, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों व डिनोटिफाइड जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, जूनों में छुट्टी एवं रोजगार के लिए सब्सिडी संबंधी योजनाएँ देखना।
- वरिष्ठ नागरिकों के समर्थन व देखभाल के लिए कार्यक्रम।
- प्रतिषेध (Prohibition)।
- कचरा बटोरने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसाय एवं पुनर्वासन।
- भिखारियों के हितार्थ कार्य।
- अंतर्राष्ट्रीय सभाओं व समझौतों संबंधी मुद्दों को देखना।
- विभाग के दिये गये विषयों के संबंध में जागरूकता, शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण को देखना।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)
- अनुसूचित जाति व जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1989 (1983 का 33)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- सामाजिक सुरक्षा का राष्ट्रीय संस्थान
- डॉक्टर अम्बेडकर फाउण्डेशन
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउण्डेशन

निःशक्त कार्य विभाग के प्रमुख कार्य अग्रांकित हैं-

- संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट III समवर्ती सूची के निम्नांकित विधायी विषय देखना-
 - सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा
- निशक्तों के कल्याणार्थ, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जैसे विषय संघ शासित क्षेत्रों के लिए देखना।
- निशक्त व विकलांगता संबंधी विषयों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। इन कार्यों, योजनाओं के निर्माण, समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन का संपूर्ण कार्य देखने के लिए उत्तरदायी है।
- निशक्तों के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिये विशेष योजनाएँ लाना। उदाहरणार्थ, सहायता अनुदान, छात्रावास, छात्रवृत्ति, दक्षता प्रशिक्षण, स्व रोजगार के लिए सब्सिडी आदि।
- पुनर्वासन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण,
- निशक्त व विकलांगों के अधिकारों के लिए होने वाले संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों को देखना,
- भारत पुनर्वासन परिषद एक्ट, 1992 (1992 का 34)
- राष्ट्रीय विकलांगता वित्त व विकास निगम
- दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली
- दृष्टि विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून
- मानसिक विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद
- अली यावर जंग श्रवण विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई
- पुनर्वासन, प्रशिक्षण व शोध का राष्ट्रीय संस्थान, कटक
- बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई।

संगठनात्मक चार्ट (Organisational Chart)



SJ&E – Social Justice & Empowerment/सामाजिक न्याय व अधिकारिता

DDA – Department of Disability Affairs/निशक्त मामलों का विभाग

Admn. – Administration/प्रशासन

BC – Backward Class/पिछड़े वर्ग

Cdn. – Co-ordination/समन्वय

CVO – Chief Vigilance Officer/मुख्य सतर्कता अधिकारी

Parl. – Parliament/संसद

St. Div. – Statistics Division/सांख्यिक विभाग

Pl. Div. – Planning Division/योजना विभाग

SD – Social Defence/सामाजिक सुरक्षा

SCD – Scheduled Castes Development/अनुसूचित जाति विकास

OL – Official Language/कार्यालयीन भाषा

FC – Facilitation Centre/सुविधा केंद्र

R&R – Rescue & Rehabilitation of Narnada Project/खानाबदोश जाति के राहत व पुनर्वास प्रोजेक्ट

SRO – Senior Research Officer/वरिष्ठ शोध अधिकारी

Ag. – Ageing/वृद्धता

ब्यूरो-मंत्रालय के अंतर्गत 5 ब्यूरो हैं, जिनके अध्यक्ष संयुक्त सचिव हैं-

- अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो
- पिछड़ा वर्ग समन्वय, मीडिया, प्रशासन ब्यूरो
- निःशक्तता ब्यूरो
- सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो
- प्रोजेक्ट, शोध, मूल्यांकन व पर्यवेक्षण ब्यूरो
- ग्लोबल कार्बन बजट और जलवायु परिवर्तन में समानता संबंधी मुद्दों पर सम्मेलन में भागीदारी संबंधी विषय।
- विभिन्न देशों के साथ जलवायु परिवर्तन समन्वय मुद्दों के समझौतों को देखना।
- हिमालयी ग्लेशियर्स पर संवाद पेपर निकालवाना।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाना।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग के रूप में महिला व बाल विकास विभाग का उद्भव 1985 में हुआ। महिला एवं बाल विकास के समुचित दृष्टिकोण को ज्यादा बल के साथ विकसित करने के उद्देश्य से 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया।

महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्यों के संपादन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को मार्गनिर्देशित करना, समन्वयित करना एवं विधायी संशोधनों को लागू व क्रियान्वित करना तथा महिला व बाल विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों को निर्मित करना मंत्रालय के प्रमुख कार्य हैं। ये योजनाएँ स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास क्षेत्र के सामान्य विकास कार्यक्रमों के परिपूरक कार्यक्रम के रूप में भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के समान सहभागी बनाने के प्रयास के प्रभाव बनाने में कार्यक्रम सहायक हैं।

संगठन-इसमें एक सचिव एवं एक अतिरिक्त सचिव कार्यरत होते हैं। मंत्रालय के क्रियाकलाप सात ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं। मंत्रालय के निम्नांकित 6 स्वायत्त संस्थान/संगठन हैं-

- जन सहयोग व बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development-NIPCCD)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW)
- बाल अधिकारों के बचाव के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR)
- केंद्रीय एडोप्शन संसाधन एजेंसी (Central Adoption Resource Agency-CARA)
- केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board-CSWB)
- राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh-RMK)

कार्य-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नांकित कार्य को देखता है-

- परिवार कल्याण
- महिला व बाल कल्याण एवं इन विषयों पर अन्य मंत्रालयों के क्रियाकलापों के साथ संबंध व समन्वय करना
- संयुक्त राष्ट्र के संगठनों के द्वारा प्रेषित महिला व बाल विकास मुद्दे देखना
- प्राथमिक विद्यालयीन छात्रों एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के छात्रों की देखभाल करना
- राष्ट्रीय पोषाहार नीति व राष्ट्रीय पोषाहार मिशन व पोषाहार के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के मुद्दे देखना
- पदोन्नति व विकास के स्वेच्छिक प्रयासों को देखना
- निम्नांकित एक्ट के क्रियान्वयन को देखना

- महिलाओं व बालिकाओं के अनैतिक व्यापार पर रोक संबंधी एक्ट 1956 (संशोधन 1986) (1986 का 60),
- महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार रोक संबंधी एक्ट, 1986,
- दहेज प्रथा रोक एक्ट 1961 (1961 का 28),
- सती निवारण एक्ट, 1987 (1988 का 3),

- सभी जगह सहायता व राहत के लिए सहकारिता क्रियाकलापों में समन्वय (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere-CARE)
- 'महिला एवं बाल विकास' जिसमें जेण्डर संवेदनशीलता विकास संबंधी कार्यों की योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, प्रोजेक्ट निर्माण, सांख्यिकी व प्रशिक्षण कार्य को देखना।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF)
- खाद्य व पोषाहार बोर्ड
- जेण्डर समानता व महिला सशक्तिकरण
- किशोर अपराध रोकथाम
- दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दे
- बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 1929 (1929 का 19)

प्रमुख नीतिगत पहलें (Major Policy Based Initiatives)

- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)
- स्वयं शिक्षा योजना
- स्वाधार योजना
- किशोरी शक्ति योजना
- घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम
- राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम
- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना
- स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना
- महिला समर्थन के रोजगार एवं प्रशिक्षण योजना (Support to Training and Employment Programme for Women-STEP).
- राष्ट्रीय बाल कोष
- विशेष उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
- बाल सेवा के लिए राजीव गाँधी मानव सेवा अवार्ड
- बालिका समृद्धि योजना
- ऊज्ज्वला योजना,
- परिवार परामर्श केंद्र योजना



विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

ब्रिटिश सरकार के चार्टर एक्ट 1833 से ही विधि व न्याय मंत्रालय सरकार के प्राचीन मंत्रालय के रूप में अस्तित्वमान है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के दो विभाग हैं-

- विधायी विभाग (The Legislative Department)
- कानून/विधि मामलों का विभाग (Department of Legal Affairs)

विधायी विभाग (The Legislative Department)

विधायी विभाग केन्द्र सरकार के लिए प्रमुख विधायी प्रारूप बनाने संबंधी कार्यों से संबद्ध है जैसे-संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा लाये जाने वाले अध्यादेश, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों में राष्ट्रपति आदेश लागू करने संबंधी मामले एवं संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमन। निर्वाचन कानूनों जैसे जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1950 एवं जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 संबंधी कार्य भी यह विभाग देखता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 से संबंधित मुद्दों जैसे-वैयक्तिक कानून, कॉन्ट्रैक्ट, सलाह इत्यादि भी यह विभाग देखता है। संसद द्वारा बनाये गये वैधानिक प्रावधानों के अद्यतन करने के लिए की यह विभाग उत्तरदायी है।

कानून/विधि मामलों का विभाग/विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs)

भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1961 के अनुसार यह विभाग निम्न कार्य करने के लिए उत्तरदायी है-

- मंत्रालयों के कानूनी मुद्दों पर सलाह देना साथ ही केन्द्र सरकार की तरफ से उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व संविधान की व्याख्या तथा प्रामाण्य संबंधी कार्य करना।
- महान्यायाधी, सॉलिसिटर जनरल व अन्य केन्द्रीय विधि अधिकारियों की सेवाओं संबंधी प्रामाण्य।
- उच्चतम व उच्च न्यायालयों (Supreme Court एवं High Courts) में केन्द्र सरकार की तरफ से केस रखवाना/संचालित करना।
- धन न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु नागरिकों व देशों को आदेशों को लागू करने के लिए व्यवस्थागत आदेशों को लागू करने के लिए और भारत में मृत्यु के प्राप्त होने वाले विदेशियों की सम्पत्तियों के प्रबंधन व व्यवस्था के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करना।
- विधि आयोग के कार्यों को देखना।
- नोटरी एक्ट, 1952 (1952 का 53)
- एडवोकेट एक्ट, 1961 (1961 का 25)
- सिविल कानून के संदर्भ में विदेशों के साथ किये जाने वाले संधि व समझौते देखना।
- भारतीय विधि सेवाएँ,
- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण,
- विदेशी विनिमय के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण,
- गरीबों के लिए कानूनी सहायता,
- कानूनी मामलों का विभाग निम्नोक्त एक्ट का क्रियान्वयन देखता है
 - एडवोकेट एक्ट, 1961
 - नोटरी एक्ट, 1952
 - कानूनी सेवाएँ अथॉरिटी एक्ट, 1987
 - एडवोकेट कल्याण कोष एक्ट, 2001

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुखतः 3 विभाग सूचना, प्रसारण व चलचित्र कार्यरत हैं। इन विभागों के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषयों का विवरण अग्रांकित है-

प्रसारण (Broadcasting)

- एफ. एम. रेडियो चरण-II
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर
- एफ. एम. रेडियो चरण-III
- इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
- विषय वस्तु नियमन
- डायरेक्ट टु होम (डी. टी. एच.)
- प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
- प्रसार भारती
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन
- टीवी चैनलों की अपलिकिंग/डाउनलिकिंग
- हेडेड इन दि स्काई (हिट्स)
- स्व-विनियमन दिशानिर्देश

सूचना (Information)

- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग
- फोटो प्रभाग
- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
- भारतीय जन संचार संस्थान
- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
- प्रकाशन विभाग
- भारत के समाचारपत्र के पंजीयक
- भारत-प्रेस परिषद
- गीत-नाटक प्रभाग
- भारतीय सूचना सेवा

चलचित्र (Film)

- फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण
- सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान
- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
- फिल्म समारोह निदेशालय
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान
- राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र
- फिल्म प्रभाग
- राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय
- केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture)

भारत में कृषि संबंधी कानून व नियमों के निर्माण, प्रशासन व अधिनियमित करने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख शाखा है। भारत जहाँ 58% से अधिक आबादी जीविका उपार्जन हेतु कृषि कार्यों में संलग्न है वहीं यह मंत्रालय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

कृषि मंत्रालय के प्रमुख विभाग अग्रांकित हैं-

- कृषि एवं सहकारिता विभाग (Department of Agriculture and Co-operation)
- कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग (Department of Agriculture Research and Education)
- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग (Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries)

कृषि मंत्रालय के प्रमुख संलग्न व अधीनस्थ कार्यालय हैं-

- केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र (Central Poultry Development Organization, Eastern Region)
- आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय (Directorate of Economics and Statistics)
- एकीकृत कीट प्रबंधन राष्ट्रीय (National Centre for Integrated Pest Management)
- कृषि एवं समन्वय विभाग निम्नांकित कार्यों एवं योजनाओं को देखता है-
 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08)
 - किसान क्रेडिट कार्ड (अगस्त 1998)
 - राष्ट्रीय बागवानी मिशन
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
 - कृषि बीमा
 - सूखा प्रबंधन
- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग निम्नांकित कार्यों व योजनाओं से देखता है-
 - पशुपालन
 - पशु स्वास्थ्य
 - दुग्ध, मांस अण्डा, ऊन उत्पादन
 - कुक्कुट व सूअर विकास
 - राष्ट्रीय डेयरी योजना
- कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग निम्नांकित कार्यों व योजनाओं को देखता है-
 - कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार
 - बागवानी, फसल विकास
 - भूमि, व जल उत्पादकता प्रबंधन
 - कृषि इंजीनियरिंग और कटाई बाद प्रौद्योगिकी
 - मछली पालन व प्रबंधन
 - राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना
 - फसल विज्ञान
 - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
 - जलवायु परिवर्तन
 - पशुधन विकास, पशु विज्ञान एवं पशुधन प्रबंधन
 - कृषि शिक्षा व कृषि विस्तार

भारत में महिलाओं की उन्नति एवं संरक्षण के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Bodies Constituted for the Protection and Betterment of Women In India)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 में उल्लिखित सामाजिक न्याय विषय के टॉपिक संख्या 10-14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

प्रमुख तथ्य (Key Facts)

2011 के अस्थायी जनसंख्या आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.2 मिलियन है जिसमें से 586.5 मिलियन महिलाएँ हैं। इसलिए एक स्वतंत्र समूह के रूप में महिलाएँ कुल जनसंख्या की 48 प्रतिशत से ज्यादा हैं। 2001-2011 के दशक में महिलाओं की वृद्धि दर 18.12 प्रतिशत तथा बाल्यानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ जबकि शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 927 से गिरकर 914 रह गया है। राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है और इनके मुकाबले महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है।

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय प्राथमिकता में महिलाओं का सशक्तीकरण मुख्यतया 'तीन कारकों' से निर्धारित होता है, इनको अधिक सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान तथा उनको 'महत्वा' के कारण एक दूसरे के साथ संजोती-संजुड़ हुए हैं। इसलिए इनमें से कोई एक कारक सशक्तीकरण सुनिश्चित नहीं कर सकता है। यह कवलतभी संभव है जब तीनों कारक एक साथ संसगत होकर इस दिशा में कार्य करें, केवल तभी सही अर्थ में महिला सशक्तीकरण किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं का इसमें सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों को प्रभावी समेकित अत्यावश्यक है।

एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में महिलाओं को महत्वा को संविधान द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथ ही संविधान द्वारा न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है बल्कि विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए उनके राजनैतिक अधिकारों एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलायें (Women as Vulnerable Groups in Indian Society)

असुरक्षित समुदायों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग जैसे पिछड़े सामाजिक समुदायों की महिलाएँ दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं, एक तो महिला होने के कारण तथा दूसरा पिछड़े समुदाय से संबंधित होने के कारण। इसी तरह एक निःशक्त पुरुष के मुकाबले एक निःशक्त महिला की कई विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। हिंसा एवं यौन दुर्व्यवहार जैसे दुर्व्यापार एवं बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को बिल्कुल भिन्न लेकिन विशिष्ट पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता होती है। किशोर लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा असुरक्षित समूह के अंतर्गत आती हैं क्योंकि वे दुर्व्यापार, बलात्कार, बाल विवाह जैसे अत्याचारों का सामना करती हैं।

नीचे कठिन परिस्थितियों में जीने वाली विभिन्न वर्ग की महिलाओं की सूची दी गई है-

हिंसा से प्रभावित महिलायें (Women Impacted by Violence)

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (i) धरेलू हिंसा से प्रभावित | (ii) बलात्कार पीड़ित | (iii) डायन कर दी गई महिलाएँ |
| (iv) तेजाब हमले की पीड़ित | (v) अवैध व्यापार की पीड़ित | |

आंतरिक विस्थापन, आपदा एवं प्रवासन से प्रभावित महिलाएँ (Women Impacted by Internal Displacement, Disaster and Migration)

- (i) या तो आर्थिक कारणों से
- (ii) विवाद से, जैसे शरणार्थी महिलाएँ
- (iii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), बाँधों के निर्माण आदि के कारण विस्थापित महिलाएँ
- (iv) प्राकृतिक या मानव जनित आपदा से प्रभावित महिलाएँ

महिलायें एवं श्रम (Women and Labour)

- (i) घरेलू श्रमिक
- (ii) बंधुआ श्रमिक
- (iii) आवास विहीन निराश्रित महिलाएँ

महिलायें एवं कृषि (Women and Agriculture)

- (i) भूमिहीन महिलाएँ
- (ii) सीमांत किसान
- (iii) कृषि श्रमिक

महिलायें और स्वास्थ्य (Women and Health)

- (i) एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाएँ
- (ii) जानलेवा बीमारियों से पीड़ित महिलाएँ
- (iii) निःशक्तता से पीड़ित महिलाएँ
- (iv) बुजुर्ग महिलाएँ

झुग्गीवासी (Slum-Dwellers)

महिला कैदी (Women Prisoners)

नृजातीय व सामाजिक रूप से असुरक्षित समुदायों की महिलाएँ (Women belonging to ethnic and socially vulnerable communities)

- (i) नृजातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएँ (विशेषकर मुसलमान)
- (ii) सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) की महिलाएँ

एकल महिला (Single Women)

- (i) किशोर लड़कियाँ
- (ii) विधवाएँ
- (iii) वैसी महिलाएँ जिनके पति संघर्ष या आर्थिक प्रवासन के कारण अनुपस्थित हैं।
- (iv) तलाकशुदा महिलाएँ

उपरोक्त श्रेणी की महिलाएँ अपनी अद्वितीय सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों या हिंसा दुर्व्यवहार की पीड़ित होने के कारण अपने को ज्यादा कमजोर स्थिति में पाती हैं। इन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए विशेष हस्तक्षेप या उपायों की आवश्यकता होती है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं (Pilot Projects) की संभावना का परीक्षण किया जा सकता है।

भारत में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान (Important Constitutional and Legal Provisions for Women in India)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता का प्रावधान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में संरक्षणात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) की नीति अपनाने के लिए राज्य को प्राधिकृत भी करता है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का विकास करना है। महिलाओं को समान अधिकार देने के उद्देश्य से भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय अभिसंधियों

(Conventions) तथा मानवाधिकार दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1993 का महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अधिसमय (Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women – CEDAW) है।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

भारत का संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता का प्रावधान करता है; बल्कि उनके समक्ष आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक अलाभकर दशाओं को प्रभावशून्य बनाने के लिए महिलाओं के पक्ष में संरक्षणात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए राज्य को प्राधिकृत भी करता है। मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, किसी भी नागरिक के विरुद्ध, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और राज्य के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 39(क), 39(क), 39(ख), 39(ग) और 42 का विशेष महत्व है।

संवैधानिक विशेषाधिकार (Constitutional Privileges)

1. महिलाओं को विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)।
2. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या उनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। (अनुच्छेद 15(1))।
3. राज्य महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। (अनुच्छेद 15(3))।
4. राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन में नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। (अनुच्छेद 16)।
5. राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों प्राप्त करने का अधिकार हो। (अनुच्छेद 39(क))।
6. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्यायसंगत हो और वह, विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न बने, जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। (अनुच्छेद 39(क))।
7. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। (अनुच्छेद 42)।
8. राज्य, जनता के दुबले वर्गों के विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अत्याय और सभी प्रकार का शोषण से उनको संरक्षा करेगा। (अनुच्छेद 46)।
9. राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को बढ़ाकरेगा। (अनुच्छेद 47)।
10. भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भावत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। (अनुच्छेद 51(क(ड)))।
11. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। (अनुच्छेद 243(3))।
12. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। (अनुच्छेद 243 D(4)) का परंतुक।
13. प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। (अनुच्छेद 243(3))।
14. नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे। (अनुच्छेद 243(4))।

संवैधानिक आदेश (Mandate) का पालन करने के लिए राज्य ने समान अधिकारों को सुनिश्चित करने, सामाजिक भेदभाव, विभिन्न प्रकार की हिंसा एवं अत्याचार और विशेषकर कामकाजी महिलाओं को सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अनेक विधायी उपाय किए हैं। यद्यपि महिलाएँ हत्या, डकैती, धोखेबाजी आदि की शिकार हो सकती हैं लेकिन वैसे अपराध जो विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं वे महिलाओं के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Women) की श्रेणी में आते हैं।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चिन्हित किए गए अपराध [The Crime Identified under the Indian Penal code (IPC)]

1. बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा - 376)
2. अपहरण एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी को बलपूर्वक उठा ले जाना (भारतीय दंड संहिता की धारा 363-373)
3. दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या का प्रयास (भारतीय दंड संहिता की धारा 302/304-B)
4. प्रताड़ता, मानसिक और शारीरिक दोनों। (भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A)
5. छेड़छाड़ (भारतीय दंड संहिता की धारा 354)
6. यौन उत्पीड़न (भारतीय दंड संहिता की धारा 509)
7. लड़कियों को लाना-ले-जाना (21 वर्ष की आयु तक)

भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून एवं विधायन (Laws and Legislation to Safeguard the Rights of Women in India)

विशाखा दिशा-निर्देश (Vishakha Guidelines)

विशाखा दिशा-निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण में काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ नियम तय किए थे। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना था। इस कारण न्यायालय ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी कार्यस्थलों के लिए कुछ आवश्यक तथा बाध्यकारी दिशा-निर्देश तय किए तथा प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अपरिहार्य बना दिया कि वह महिलाओं की सुरक्षित एवं उत्पीड़न रहित कार्य का वातावरण उपलब्ध कराए। यह बाध्यता शैक्षिक संस्थाओं के मामले में भी लागू होती है।

विशाखा दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित अशिक्षित भाषा अथवा व्यवहारों को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है-

- (a) शारीरिक सम्पर्क या इसका प्रयास करना
- (b) यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना
- (c) यौन संबंधी टिप्पणी करना
- (d) अश्लील फिल्में दिखाना
- (e) यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या अन्य प्रकार का कोई अशिक्षित कार्य करना।

यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप महिलाओं के, भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 14 और 15 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। और इसी के चलते यौन उत्पीड़न से रहित काम के वातावरण में महिलाओं के कोई आजीविका या व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है।

भारत में यौन उत्पीड़न को निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 292/294: अश्लीलता
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 354: सम्मान (Modesty) को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से अपराधिक बल प्रयोग करना या हमला करना।
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 375: बलात्कार
4. भारतीय दंड संहिता की धारा 509: शब्द, हावभाव या कार्य के माध्यम से सम्मान को चोट पहुँचाने का प्रयास करना।
5. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

कार्यस्थल और अन्य संस्थाओं में नियोक्ताओं या अन्य जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य

(Duty of the Employer or other responsible persons in work places and other institutions)

कार्यस्थल या अन्य संस्थाओं के नियोक्ताओं एवं अन्य जिम्मेदार लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों को रोकें तथा यौन उत्पीड़न के मामले में सभी आवश्यक कदम उठाते हुए इनके समाधान की कार्यप्रणाली उपलब्ध कराएँ या ऐसे कार्यों के लिए अभियोग चलाएँ।

रोकथाम के उपाय (Preventive Steps)

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ता एवं कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह रखे उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

- उपरोक्त परिभाषित कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी स्पष्ट निषेध (Prohibition) अधिसूचित, प्रकाशित तथा उपयुक्त तरीके से प्रचारित करने चाहिए।
- सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के व्यवहार एवं अनुशासन से संबंधित नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी नियमों/विनियमों को शामिल करना चाहिए तथा इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उपयुक्त दंड का प्रावधान करना चाहिए।
- निजी नियोक्ताओं के संदर्भ में ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि उपरोक्त निषेधों को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के स्थायी आदेशों में शामिल किया जाए।
- कार्य, आराम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में उपयुक्त कार्य दशाएँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा आगे यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रतिकूल कार्य वातावरण न हो तथा किसी महिला कर्मचारी को यह सोचने का तत्कालिक आधार नही होना चाहिए कि वह अपने रोजगार के संदर्भ में सुविधाहीन (Disadvantaged) स्थिति में है।

विशाखा दिशा-निर्देश की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Vishakha Guidelines)

- ऐसा कोई कार्य जो भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी विशिष्ट अपराध को प्रणीत करता हो, तो नियोक्ता सक्षम अधिकारों के पास शिकायत करके विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।
- विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का समाधान करते समय पीड़ित या गवाह शोषण या भेदभाव से परेशान न हो। यौन उत्पीड़न की पीड़ित को यह विकल्प मिलना चाहिए कि वह या तो अपराधी को या अपना स्थानांतरण करा सके।
- यदि ऐसे किसी कार्य से संगत सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवा संबंधी दुराचार साबित होता है तो नियोक्ता उन कानूनों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
- यदि ऐसा कोई कार्य विधि या सेवा शर्तों के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आता है तो पीड़ित द्वारा की गई शिकायतों के निवारण के लिए संगठन के नियोक्ता द्वारा उपयुक्त शिकायत तंत्र (Complaint Mechanism) गठित किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त संदर्भ में बनाए गए शिकायत तंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जहाँ आवश्यक हो इसे एक शिकायत समिति (A Complaint Committee), एक विशेष परामर्शदाता तथा अन्य सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।
- शिकायत समिति की प्रमुख तथा कम से कम आधी सदस्य महिला होनी चाहिए। उच्च स्तरीय प्रभावों या अनुचित दबावों की संभावना को रोकने के लिए शिकायत समिति में तीसरे पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए। यह तीसरा पक्ष गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य निकाय हो सकता है जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी रखता हो।
- शिकायत समिति को सरकारी विभागों में शिकायत तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
- कामगारों की बैठक एवं अन्य उपयुक्त मंचों पर कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए तथा नियोक्ता-कर्मचारियों की बैठक के दौरान इस पर सकारात्मक रूप से बातचीत करनी चाहिए।
- विशेष तौर पर इस विषय में दिशा-निर्देशों (इस विषय पर बनाए गए उपयुक्त कानूनों) को सही तरीके से अधिसूचित कर महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए।
- जहाँ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएँ किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के कारण होती हों तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता या जिम्मेदार व्यक्ति सभी आवश्यक कदम उठाएंगे तथा प्रभावित व्यक्ति को सहायता तथा निवारक उपाय के रूप में उचित मदद करेंगे।

- केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विधायन (Legislation) के साथ उपयुक्त उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन दिशा-निर्देशों का पालन निजी क्षेत्र के नियोक्ता भी कर सकें।
- ये दिशा-निर्देश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों से किसी प्रकार पूर्वाग्रह नहीं करेंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013)

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक, 2012 को लोकसभा द्वारा सितंबर 2012 में और राज्यसभा द्वारा 26, फरवरी 2013 को पास किया गया था।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं को मिले समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यह एक असुरक्षित एवं प्रतिकूल कार्य का वातावरण उत्पन्न करता है जो कार्य में महिलाओं की सहभागिता को हतोत्साहित करता है। इस कारण उनके आर्थिक सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास की लक्ष्य प्राप्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों एवं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अलावा कोई घरेलू कानून नहीं है। कार्य में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता ने यह अनिवार्य बना दिया है कि यौन उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक कानून बनाने के साथ-साथ इसके समाधान तंत्र (Redressal Mechanism) का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (The salient features of the Act are as follows:-)

- (i) यह विशाखा मामले में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है और महिला कर्मचारियों को दी गई धमकी या महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कार्य वातावरण पैदा करने के प्रयास को शामिल कर इसे और भी विस्तृत बना दिया गया है।
- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पाने वाली पीड़ित महिला (Aggrieved Women) की परिभाषा को अत्यधिक विस्तृत बना दिया गया है ताकि बिना उसकी उम्र या राजस्व प्रस्थिति को ध्यान में रखे, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में सभी संरक्षण पाने की हकदार होगी। इसमें ग्रामीण खेती-बाड़ी के साथ-साथ घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।
- (iii) जहाँ विशाखा दिशा-निर्देशों के कार्यस्थल पर लागू होने वाले नियमों में स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी संबंध पाए जाते हैं तक ही सीमित था, वहीं इस अधिनियम में संगठनों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र की शाखा इकाई, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्टूडियम, शोधक संस्थानों, खेल परिसरों, या किसी अन्य स्थान तथा राजस्व के दौरान कर्मचारी द्वारा किसी स्थान की यात्रा जिसमें परिवहन भी शामिल है, आदि को शामिल किया गया है।
- (iv) अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र, आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) तथा स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee – LCC) के रूप में है। सभी कार्यस्थलों पर जहाँ 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनके लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है। आंतरिक शिकायत समिति चार सदस्यी समिति होगी जिसकी अध्यक्ष वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। दो सदस्य प्रमुखतः वैसे कर्मचारियों में से शामिल किए जाएंगे जो महिला संबंधी मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हों या जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव या कानूनी जानकारी हो, और तीसरे पक्ष (Third Party) के सदस्य के रूप में किसी गैर सरकारी संगठन आदि को शामिल किया जाता है।
- (v) स्थानीय शिकायत समिति पाँच सदस्यी होगी जिसकी अध्यक्ष सामाजिक कार्य करने वाली या महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध प्रख्यात महिला होगी तथा एक सदस्य जिले की नगरपालिका (Municipality), प्रखंड (Block), तालुका, तहसील में कार्य करने वाली महिला होगी। दो सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य गैर सरकारी संगठन द्वारा नामांकित की जाएंगी जो महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हों। यह सदस्य ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों से परिचित हो। नामांकित दो सदस्यों के मामले में शर्त यह है कि कम से कम एक सदस्य की पृष्ठभूमि विधि या कानूनी जानकार की हो। सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से जुड़ा संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।
- (vi) यौन उत्पीड़न की शिकायत तीन महीने की समय सीमा में दर्ज की जा सकती है। इस समय सीमा को अगले तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि महिला यह साबित कर दे कि मुश्किल परिस्थितियों के कारण वह निश्चित समय सीमा में शिकायत नहीं कर सकी।

- (vii) समिति के लिए अनिवार्य है कि वह 90 दिनों के अंदर जाँच पूरी करे। जाँच पूरी कर लेने के बाद रिपोर्ट मामले के अनुसार नियोक्ता या जिला अधिकारी (District Officer) के पास भेजी जाती है। उन्हें 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी होती है।
- (viii) अधिनियम दुर्भावनापूर्ण या मिथ्या शिकायतों के मामले में सेवा शर्त कानूनों के अनुसार दंड का प्रावधान करता है। हालाँकि इस दुर्भावना संबंधी प्रावधान को शामिल करने से पहले जाँच करने के रूप में सुरक्षा प्रावधान भी थे। इसके अलावा केवल मामले को साबित करने में अक्षमता से इसके प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना आरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (ix) अधिनियम प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण का निर्माण करे। नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे विधेयक के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें और आंतरिक समिति के गठन, यौन उत्पीड़न आदि के दंडात्मक परिणामों के बारे में सूचना प्रदर्शित करें।
- (x) अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माने की राशि को दोगुना करने के साथ ही उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या उसके कार्य करने के लिए आवश्यक पंजीकरण को वापस लिया जा सकता है।
- (xi) निगरानी के संबंध में अधिनियम यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में क्रियान्वयन की निगरानी तथा आँकड़े सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगी। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों के मामले में यह जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई है। सभी आंतरिक समितियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे वार्षिक रिपोर्ट नियोक्ता को सौंपे जो आगे जिला अधिकारी (District Officer) को सौंपेगा। सभी स्थानीय शिकायत समितियाँ अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिला अधिकारी (District Officer) को सौंपेंगी। जिला अधिकारी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

(The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

- यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए दरिद्र कोई कानून नहीं था। लेकिन पहले का कानून विशेष रूप से परिवार या घर के अंदर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के लिए नहीं था। इस कारण यह महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने में ज्यादा प्रभावी नहीं था।
- यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ। इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरा देश में है।
- साधारण शब्दों में इसका अर्थ परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के तब तक की गई हिंसा है। यहाँ 'घरेलू' शब्द का एक विशेषण के तौर पर उपयोग किया गया है। यह घर, परिवार, गृहस्थ, निजी एवं इसी तरह की चीजों से संबंधित है। ऐसी हिंसा जो परिवार या घर के अंदर, ऐसे व्यक्ति के बीच होती है जो संबंधों के तहत की गई हो, को सामान्य रूप से 'घरेलू हिंसा' कहा जाता है।
- 'घरेलू हिंसा' शब्द को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। यह काफी व्यापक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी गलत कार्रवाइयों (Wrongs) को शामिल किया गया है। मोटे तौर पर इसमें शारीरिक चोट, मानसिक हानि, यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा लैंगिक भेदभाव, व्यवहार एवं चूक (Omission and Commission) से जुड़े बहुत सारे कार्यों, असमानता, अधीनता और अन्याय को शामिल किया गया है।
- हालाँकि अधिनियम महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सभी प्रकार की हिंसा को समाविष्ट नहीं करता है। अधिनियम के अंतर्गत हिंसा को परिभाषित करने के लिए कुछ निश्चित दशाओं को पूरा करना होता है। यानि-
 - (i) पीड़ित आवश्यक रूप से एक महिला होनी चाहिए।
 - (ii) हिंसा एक व्यक्ति पुरुष सदस्य द्वारा ही की गई हो।
 - (iii) दो व्यक्तियों यानि पीड़ित महिला तथा हिंसा करने वाले व्यक्ति के बीच घरेलू संबंध होना चाहिए।
- इस अधिनियम में हिंसा के अंतर्गत पीड़ित महिला की देखरेख एवं संरक्षण में रह रहे बच्चों के विरुद्ध हिंसा को भी शामिल किया गया है।

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध राहत (Reliefs Available Under the Act)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (i) संरक्षण आदेश (धारा 18) | (ii) निवास आदेश (धारा 19) |
| (iii) मौद्रिक राहत (धारा 20) | (iv) अभिरक्षा आदेश (धारा 21) |
| (v) क्षतिपूर्ति आदेश (धारा 22) | (vi) अंतरिम व एकपक्षीय आदेश (धारा 23) |

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधायें (The Facilities Provided Under the Act)

- चिकित्सा सुविधायें (धारा 7)
- आश्रय गृह (धारा 8)
- परामर्श या सलाह (धारा 14)
- कल्याणकारी विशेषज्ञों की सहायता (धारा 15)
- संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं द्वारा सहायता (धारा 4, 5, 8, 9 और 10)

अधिनियम के अंतर्गत राहत के लिए कार्यवाही (Proceedings Under the Act for Reliefs)

इसकी शुरुआत मजिस्ट्रेट को संबोधित एक आवेदन के माध्यम से की जा सकती है। (धारा 12)

- आवेदन पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक या एक से ज्यादा राहत के लिए किया जा सकता है।
- आवेदन प्राप्ति के 3 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को इसकी सुनवाई के लिए तिथि तय करनी चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत राहत की प्रकृति (Nature of the reliefs under the Act)

यह सिविल (Civil) प्रकृति का है आपराधिक (Criminal) प्रकृति का नहीं।

- सिविल न्याय का उद्देश्य अधिकारों का प्रवर्तन होता है जबकि आपराधिक न्याय का उद्देश्य अपराधियों को दण्डित करना होता है।
- अधिनियम घरेलू हिंसा की गलतियों को सुधारने के उपाय करता है। ये उपाय प्रक्रियाओं की सरलता तथा त्वरित सुनवाई के माध्यम से न्याय व्यवस्था तक आसान पहुंच के प्रावधान के रूप में हैं।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of the Act)

- यह एक महिला को परिवार या घर के किसी व्यक्ति पुरुष सदस्य द्वारा की गई घरेलू हिंसा या उसके प्रति घरेलू हिंसा किए जाने की संभावना से संरक्षण प्रदान करता है।
- यह पीड़ित महिला के संयुक्त घर (Shared Household) में रहने के अधिकार को मान्यता देता है।
- पीड़ित महिला संयुक्त राहत के लिए सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकती है।
- यह संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा सेवा प्रदाता के ऊपर है कि वह अधिनियम के अधीन पीड़ित या प्रभावित महिला को उपयुक्त राहत उपलब्ध कराए तथा इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ वास्तव में उसे प्राप्त हो।
- पीड़ित महिला का यह अधिकार है कि उसे उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं विशेषकर कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय तथा चिकित्सा सुविधा इत्यादि के बारे में सूचित किया जाए।
- अधिनियम, पीड़ित महिला के लिए आवश्यक कई उपायों जैसे संरक्षण, आश्रय, बच्चों की अभिरक्षा (Custody of Children), चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता, क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति की वापसी एवं मौद्रिक राहत का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति है जिसे संसद द्वारा इस अधिनियम के द्वारा अपनाया गया है। गैर सरकारी संगठन अपने को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। एक बार अपने को पंजीकृत करा लेने के बाद उन्हें कुछ निश्चित अधिकार मिलते हैं तथा उन्हें कुछ हद तक उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि धारा 10(2) में उल्लिखित है।
- अधिनियम पुलिस अधिकारियों पर भी निर्भर है जो उन्हें संज्ञेय अपराधों से निपटने के उनके कर्तव्यों के अलावा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें कुछ विशिष्ट दायित्व भी सौंपता है।

महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986

(The Indecent Representation of Women [Prohibition] Act, 1986)

अधिनियम विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण या किसी अन्य माध्यम से महिलाओं के अशिष्ट निरूपण पर रोक लगता है। यह महिलाओं के अशिष्ट निरूपण इस रूप में परिभाषित करता है- महिलाओं के शरीर, उसके आकार, चित्र या उसके किसी अंग को इस रूप में प्रदर्शित करना जो अशिष्ट, अपमानजनक, उसकी गरिमा को कम करने वाला तथा सार्वजनिक नैतिकता एवं आचरण को भ्रष्ट करने वाला हो या उसे चोट पहुँचाता हो।

यह अधिनियम महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़ी प्रकाशन, डाक और पुस्तक आदि भेजने पर प्रतिबंध लगाता है और सभी लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी महिला के अशिष्ट निरूपण से संबंधित प्रकाशन या किसी विज्ञापन की प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे स्थान में प्रवेश या जाँच कर सकें, जहाँ वे समझते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना एवं कारावास की सजा दी जा सकती है।

महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012

(The Indecent Representation of Women [Prohibition] Amendment Bill, 2012)

- महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012 को राज्यसभा में 13 दिसंबर, 2012 को रखा गया था।
- यह विधेयक महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रयास है, जो कि विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण (मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया) के माध्यम से महिलाओं का अशिष्ट निरूपण रोकना चाहता है।
- यह विधेयक अधिनियम के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है जिससे संचार के नए रूपों जैसे कि इंटरनेट, उपग्रह आधारित संचार एवं केबल टेलीविजन आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके।
- विधेयक ऐसी किसी सामग्री, प्रकाशन एवं वितरण पर रोक लगाता है जो महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़ी हो। इसके प्रावधान ऐसी सामग्रियों पर लागू नहीं होते जिनका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला, धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने, प्राचीन स्मारकों या मन्दिरों की कलाकृतियों के संदर्भ में किया गया हो।
- इस विधेयक में महिलाओं का अशिष्ट निरूपण, इलेक्ट्रॉनिक रूप तथा प्रकाशन के नए तरीके से परिभाषित किया गया है। महिलाओं के अशिष्ट निरूपण का तात्पर्य महिला के चित्र या उसके रूप को इस रूप में प्रदर्शित करना, जिससे कि वह अशिष्ट या अभद्र लगे या सार्वजनिक नीतिवृत्त को प्रभावित या प्रेरित करता हो। इलेक्ट्रॉनिक रूप (Electronic Form) का तात्पर्य ऐसी किसी सूचना से है जिसे ऑप्टिकल (Optical) मीडिया (Media) या चुंबकीय (Magnetic) रूप में उत्पन्न किया गया हो, भजा गया हो, अथवा संग्रहित किया गया हो। प्रकाशन में श्रव्य एवं दृश्य संचार माध्यम (Audio-Visual Media) द्वारा प्रेषण वितरण या प्रसारण शामिल है।
- यह विज्ञापन एवं वितरण की परिभाषा में संशोधन करता है और इसमें सभी प्रकार के संचार माध्यम (मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक) को शामिल किया जाता है।
- यह विधेयक, इस्पेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को इस कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों की जाँच के लिए अधिकृत करता है।

भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु अन्य महत्वपूर्ण कानून एवं विधायन

(Other Important Law and Legislation for Welfare of Women in India)

बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1976

(The Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1976)

यह अधिनियम बालिकाओं की विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध को संज्ञेय (Cognizable) बनाया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952 तथा बागान-श्रम अधिनियम, 1951

(The Factories Act, 1948, Mines Act 1952 and Plantation Labour Act, 1951)

ये अधिनियम महिलाओं के कारखानों, खदानों एवं बगानों में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करने पर रोक लगाते हैं तथा उनकी सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान करते हैं। सरकार को यह अधिकार है कि वह एक महिला द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम भार को निश्चित करे तथा बच्चों के लिए शिशु सदन (Creches) खोले।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1976 (The Factories (Amendment) Act, 1976)

यह अधिनियम 30 से ज्यादा रोजगार करने वाली महिलाओं के कार्य स्थलों पर शिशु सदन का प्रावधान करता है। रोजगार करने वाली महिलाएँ ठेके पर या अनौपचारिक रूप से कार्य करने वाली हो सकती हैं। इससे पहले 50 बच्चों पर एक शिशु सदन का प्रावधान था।

समान पारिश्रमिक अधिनियम (The Equal Remuneration Act, 1976)

यह अधिनियम (a) महिला एवं पुरुष कामगारों को समान पारिश्रमिक (b) रोजगार के मामलों में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर या इससे संबंधित मामलों या उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम में संशोधन के लिए श्रम मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव है ताकि इसके प्रावधानों को महिलाओं के हक में और अधिक उदार बनाया जा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1978

(The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1978)

यह अधिनियम संविदा श्रमिकों (जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं) की कार्य परिस्थितियों एवं मजदूरी के भुगतान का विनियमन करता है तथा निर्माण कार्य में लगी कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन (Creches) एवं कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।

दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act, 1961)

दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम पहली बार 1961 में बनाया गया था। 1984 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से इसे सख्त बनाया गया। दहेज में वृद्धि की गई तथा इसमें जमाना एवं कारावास दोनों को शामिल किया गया। इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया था। इस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को ज्यादा प्रभावी एवं कठोर बनाने के लिए 1986 में भी संशोधन किया गया था।

महिलाओं एवं लड़कियों का अनेतिक व्यापार (दमन) अधिनियम 1956

(The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956)

महिलाओं एवं लड़कियों का अनेतिक व्यापार (दमन) अधिनियम आजादिकाल के समाजिक साधनों के रूप में वर्णवृत्ति कराने के उद्देश्य से महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम में 1978 तथा 1986 में संशोधन किया गया था। अनेतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986 के दंडात्मक प्रावधानों को ज्यादा कठोर बना दिया गया था तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत इसके क्षेत्र का विस्तार कर इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को शामिल कर दिया गया चाहे वे पुरुष हों या महिला और जिनका वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यौन शोषण किया गया हो।

परिवार न्यायालय (Family Courts)

शादी, विवाह एवं संबंधित मामलों से जुड़े विवादों में सामन्जस्य को बढ़ावा देने तथा विवादों के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से देश में परिवार न्यायालयों के गठन हेतु 1984 में एक अधिनियम पास किया गया था।

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987)

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 संसद द्वारा वर्ष 1987 में पास किया गया ताकि सती प्रथा एवं इसके महिमामान या इससे संबंधित मामलों या घटनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से रोका जा सके। अधिनियम सती को व्यापक रूप से परिभाषित करता है तथा इसमें न केवल किसी विधवा को उसके पति के साथ बल्कि उसके किसी अन्य संबंधी के साथ जलाने या जिंदा दफनाने को भी शामिल करता है।

वित्तीय सुरक्षा एवं संपत्ति पर अधिकार (Financial Security and Rights over Property)

इस संबंध में महिलाओं को जो सबसे ज्यादा सशक्त बनाता है वह है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956। इस अधिनियम ने संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को क्रांतिकारी बना दिया या इस संबंध में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। एक महिला को संपत्ति पर पुरुष की तरह उत्तराधिकार प्राप्त है। संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होने के कारण महिला वसीयत स्थिति पर पूर्ण अधिकार रखती है।

समाधान के एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए
जेंडर संवेदनशील कानूनी और न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सुझाव
(*Suggestions for Promoting Gender-sensitive Legal and Judicial System for
the Welfare of Women in India as an Alternative Systems of Redressal*)

एक निश्चित सीमा तक संवैधानिक प्रावधान एवं विभिन्न कानून महिलाओं को पूर्णतया समानता एवं न्याय उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए विधि प्रारूप तकनीक, प्रवर्तन तंत्र जिसमें पुलिस, न्यायपालिका तथा अन्य घटक की समीक्षा करने तथा इन्हें संवेदनशील एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

1. राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के जन शिकायत विभाग (Department of Public Grievances) द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं उनका संरक्षण सुनिश्चित करने वाले कानूनों के प्रवर्तन के लिए विशेष सेल (Special Cells) का गठन करना चाहिए। इस तरह के विशेष सेलों के साथ इन नोडल विभागों का संबंध स्थापित करने के लिए महिला अधिकार आयुक्त के अधीन एक विशेष प्रभाग (Special Division) का गठन किया जा सकता है।
2. न्यायपालिका एवं परिवार अदालतों में बड़ी संख्या में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए।
3. बड़ी संख्या में महिला थानों की स्थापना की जानी चाहिए तथा महिला पुलिस अधिकारियों एवं महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जानी चाहिए।
4. सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना चाहिए।
5. विवाहित जीवन के दौरान पति या पत्नी द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर पति-पत्नी को समुक्त स्वामित्व होना चाहिए और उन्हें ऐसी संपत्ति पर समान भागीदारी के आधार पर रहना चाहिए। लेकिन यदि पति-पत्नी में सर्किसी को उपहार, वसीयत या राज्य उत्तराधिकार (State Succession) के रूप में संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे इस सिद्धांत से अलग रखा जाना चाहिए।
6. महिलाओं की वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना कानून के द्वारा उनके मातृत्व एवं गर्भावस्था या प्रसव संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
7. प्रत्येक तालुका में राज्य खजाने पर एक जिला अधिवक्ता (District Advocate) की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे कि वह अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं को कानूनी सलाह दे तथा न्यायालय में उनके मामलों को उठाए।
8. स्थायी रूप से एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह प्रासंगिक कानूनों एवं उनके क्रियान्वयन की निगरानी कर सकें तथा उनका किस सीमा तक प्रवर्तन हो रहा है, इसकी मूल्यांकन कर सकें।
9. महिलाओं को भूमि एवं संपत्ति का अधिकार देना चाहिए।
10. कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने में मददगार एवं भ्रमपूर्ण निर्धारण परीक्षण (Rie Sex Determination Tests) को केंद्रीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
11. महिलाओं के लिए सामाजिक बीमा सुरक्षा (Social Insurance Security) सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह महिलाओं को राज्य से जीवन का अधिकार तथा अंगीकरण का अधिकार (Right to adoption) सुनिश्चित कराने में सक्षम बनाएगा।
12. कौशल सुधार एवं विकास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए तथा विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में छूट दिए जाने के साथ रोजगार अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, (आईटीपीए) 1956
(*Immoral Traffic (Prevention) Act, (ITPA) 1956*)

महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, 1956 में मूलभूत परिवर्तन कर इसका पुनः नामकरण किया गया है। यह मुख्यतया आजीविका के संगठित साधन के रूप में वेश्यावृत्ति करने के उद्देश्य से महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाता है या समाप्त करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध (*Offence Under This Act*)

- वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति की खरीद करना।
- किसी व्यक्ति को ऐसी जगह या भवन में रोकना जहाँ वेश्यावृत्ति होती है।
- सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली वेश्यावृत्ति।

- वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना या आग्रह करना।
- वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन-यापन करना।
- हिरासत में व्यक्ति को फुसलाना या पथभ्रष्ट करना।
- वेश्यालय चलाना या घर या भवन को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना।
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध।
- कुछ निश्चित प्रकार के कार्यों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया जाना।

अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006

(The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006)

अनैतिक अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अवैध व्यापार एवं यौन शोषण को दंडात्मक अपराध बनाता है।

प्रमुख विशेषताएँ (Key Features)

इस विधेयक की पाँच प्रमुख विशेषताएँ हैं; पहली, यह वेश्याओं द्वारा ग्राहकों को लुभाने के मामलों में मुकद्मा चलाए जाने के प्रावधान को समाप्त करता है। दूसरी, यह ग्राहकों पर मुकद्मा चलाने का प्रावधान करता है। तीसरी, यह व्यक्ति के अवैध व्यापार को परिभाषित करता है और उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। चौथी, यह कुछ अपराधों के लिए दंड में बढोत्तरी करता है। पाँचवीं, यह केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए प्राधिकरण का गठन करता है। (यह विधेयक संसद में व्यपगत हो गया है।)

गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

Pre Conception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 में संसद द्वारा प्रसव-पूर्व निदान तकनीक के विनियमन के लिए बनाया गया था। इस निदान तकनीक का उद्देश्य लिंग संबंधी (Generic) या चयापचयी (Metabolic) गड़बड़ियों या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं (Chromosomal Abnormalities) या कुछ निश्चित प्रकार की जन्मजात विकृतियों या सेक्स संबंधी विकारों को दूर करना था। लेकिन इस तकनीक का उपयोग प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिए किया जाने लगा जिससे भ्रूण हत्या या संबंधित मामलों में बढोत्तरी देखी गई।

प्रस्तावना (Introduction)

लिंग चयन केवल तकनीक का ही दुरुपयोग नहीं है। इससे पूरे मामले के केंद्र में महिलाओं एवं लड़कियों की निम्न प्रस्थिति तथा आजीवन उनके द्वारा सामना किए जाने वाले पूर्वाग्रह हैं। इस मुद्दे को पुरुष प्रधान सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना और पुत्र प्राथमिकता वाली मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में गर्भपात कानूनी है। उदाहरण के लिए- माँ के जीवन को खतरा, भ्रूणीय असामान्यता, बलात्कार या गर्भनिरोधक असफलता (Contraceptive Failure)। हालाँकि कानून लिंग चयन के लिए गर्भपात की अनुमति नहीं देता है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए और यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत में गर्भपात स्वतः या अपने आप में गैर कानूनी है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (एमटीपी एक्ट) के अनुसार एक महिला सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात का अधिकार रखती है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient features of the PCPNDT Act)

- प्रसवपूर्व निदान तकनीक का प्रयोग असामान्यता (abnormalities) और विसंगतियों (Anomalies) के चिकित्सीय आधार पर करने की अनुमति है न कि लिंग निर्धारण के लिए।
- प्रसवपूर्व नैदानिक प्रक्रिया को संपन्न करने वाला कोई भी व्यक्ति भ्रूण की लिंग संबंधी जानकारी गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्द, चिह्न या किसी अन्य रूप में नहीं देगा।
- अल्ट्रासाउंड करने वाली क्लिनिकों को आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए तथा मशीनों की संख्या, सोनोग्राफी करने वाले व्यक्तियों की योग्यता तथा पंजीकरण की समयावधि संबंधी प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना चाहिए।

- सभी क्लीनिक जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्हें अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में 'कानून द्वारा लिंग प्रकट करना प्रतिबंधित है' का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।
- सभी क्लीनिकों के पास अधिनियम की कॉपी उपलब्ध होनी चाहिए।
- डॉक्टरों या क्लीनिकों द्वारा किसी भी रूप में लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण का विज्ञापन कानूनी रूप से दंडनीय है।
- प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने में उनकी भूमिका को देखते हुए महिलाओं को दंड से छूट प्रदान की गई है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है।
- इस अधिनियम को लागू करने के लिए उचित प्राधिकरण कार्य करेगा।
- अधिनियम प्रत्येक जांच (Scan) का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य करता है।

सम्मान एवं परंपरा के नाम पर किए गए अपराधों की (रोकथाम) विधेयक, 2010 [राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार प्रारूप] (*The Prevention of Crimes in the Name of 'Honour' & Tradition, Bill 2010 [Drafted by National Commission for Women]*)

प्रस्तावना (Introduction)

पिछले कुछ दिनों में एक परिवार या जाति या समुदाय में सम्मान के नाम पर कई हत्याएँ एवं असम्मानजनक अपराध किए गए हैं और अभी भी इस तरह की खबरें आती हैं। हालाँकि, इस तरह के अधिकारों अपराधों की घटनाएँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों से सुनने में आती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएँ इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं और देश के लगभग सभी भागों में इस तरह की घटनाएँ देखने का मिलता है। सम्मान के नाम पर अपराध एक हिंसात्मक एवं अपमानजनक कार्य है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient features of this Act)

- युवाओं एवं महिलाओं के साथ सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता तथा साठेन बनाने का अधिकार तथा शारीरिक शुद्धता (Bodily Integrity) बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें विवाह या अन्य तरीके से अपना साथी चुनने का अधिकार है और इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत उनके इन अधिकारों का प्रयोग करने हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई को एक अपराध माना जाएगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न कार्य एवं निवारण में निम्नलिखित शामिल होंगे (*The Acts of Harassment and Prevention in this Act Shall Include*)

- विवाह करने वाले दम्पति को भ्रष्ट और बहन बाँधित करना।
- दम्पति या उनके परिवार एवं संबंधियों को उत्सर्गाव या दलाके से बाहर करना जहाँ वे रहते हैं।
- दम्पति या उनसे जुड़े या उन्हें आश्रय देने वाले व्यक्ति को जुमाना देने के लिए कहना।
- दम्पति या उनके परिवार या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना या उनका बहिष्कार करना।
- दम्पति या उनके परिवार या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति पर सामाजिक प्रतिबंध लगाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना।
- दम्पति को लगातार तंग करना तथा दम्पति को एक-दूसरे से मिलने जुलने या एक साथ रहने से सशरीर उपस्थित होकर या संचार साधनों द्वारा मना करना।
- लड़की या दम्पति या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति को हानि या चोट पहुँचाना।

घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010 (राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार प्रारूप) (*Domestic Workers Welfare and Social Security Act 2010 [Drafted by National Commission for Women]*)

प्रस्तावना (Introduction)

घरेलू कामगारों के शोषण को नियमित खबरें मिलती हैं। उनके अधिकारों एवं कानूनों का सम्मान न किए जाने से घरेलू नौकर समकालीन दास बन गए हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि कई महिलाओं का अनैतिक व्यापार एवं शोषण नियोजन एजेंसियों (Placement Agencies) द्वारा किया जाता है। जो बिना किसी प्रतिबंध या नियमन के खुले में कार्य करते हैं।

पिछले कुछ दशकों में घरेलू कामगारों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे लाखों महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार एवं अन्य तरीके से शोषण किया जा रहा है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कामगारों को उपलब्ध कराने वाली हजारों नियोजन एजेंसियाँ (Placement Agencies) अनेक राज्यों के मेट्रो शहरों में खुल चुकी हैं, जहाँ इन कामगारों का अनेक रूपों में शोषण होने के साथ-साथ अवैध व्यापार भी होता है और उसके बावजूद ये किसी तरह के विधायी नियंत्रण से बाहर हैं।

किसी तरह के कानूनी संरक्षण के अभाव में महिलाओं एवं बच्चों का अत्यंत शोषण होता है तथा दिन में 16 से 18 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें पजदूरी से वंचित रखा जाता है। पारगमन (Transit) के दौरान एजेंटों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। एजेंसी के कार्यालयों तथा नियोक्ताओं के घर स्थित कार्यस्थलों पर यह शोषण जारी रहता है। शोषण की सूची अनंत (Endless) है तथा मोडिया द्वारा अक्सर इसके संबंध में रिपोर्ट दी जाती है।

घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 की प्रमुख विशेषताएँ (Salient features of Domestic Workers Welfare and Social Security Act 2010)

- घरेलू कामगार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी घर या इसी तरह के प्रतिष्ठान में किसी एजेंसी या प्रत्यक्ष रूप से अस्थायी या संविदा आधार पर अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से रोजगार करता है और जो अपना पारिश्रमिक नकद या सामग्री के रूप में प्राप्त करता है। इसमें प्रतिस्थापन कामगार (Replacement Worker) को भी शामिल किया गया है। यह कार्य मुख्य कामगार (Main Worker) के प्रतिस्थापन के तौर पर अल्प एवं विशिष्ट समय-सीमा के लिए किया जाता है जो कि मुख्य कामगार के साथ सहमति के आधार पर तय होती है।
- नियोक्ता का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति, प्राधिकार और प्रबंधन से है जो प्रत्यक्ष या किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से घरेलू कार्य करने के लिए घरेलू कामगारों को नियुक्त करता है।
- सेवा प्रदाता का तात्पर्य किसी स्वैच्छिक सभा (Voluntary Association) से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार केन्द्रीय सलाहकार समिति (Central Advisory Committee) का गठन करेगी। केन्द्रीय समिति का एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तथा उतने सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार उपयुक्त समझे। इसमें ऐसे सभा, सभ एवं व्यक्ति शामिल होंगे जो घरेलू कामगारों के मामलों में रुचि लेते हैं तथा ऐसे व्यक्ति श्रम मामलों तथा महिला एवं बाल मुद्दों के विशेषज्ञ होने चाहिये।
- केन्द्रीय समिति इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करेगी तथा इस अधिनियम या कानून में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को सूचित करेगी।
- यह समिति राज्यों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करेगी।
- राज्य सरकारें जिलों में घरेलू कामगारों के कल्याण की समीक्षा की जायगी एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जिला घरेलू श्रम कल्याण बोर्ड (District Domestic Labour Welfare Board) को स्थापना कर सकेंगी।
- समिति राज्य सरकारों को घरेलू कामगारों के लाभ एवं कल्याण जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य लाभदायक स्कीमों के बारे में सलाह देती है।
- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों तथा घरेलू कामगारों पर लागू होने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों और नियोक्ताओं या विभिन्न बोर्डों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने या जैसा कि राज्य सरकार इसे सलाह देने के लिए कहे, के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन कर सकेंगी।
- लाभार्थी बच्चों की शिक्षा, लाभार्थी या उसके आश्रित की बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय, महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ, लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में उसके अंतिम संस्कार के खर्च के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जिला बोर्डों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।

घरेलू कामगारों की कार्य परिस्थितियों का विनियमन

(Regulation of the Working Conditions of Domestic Workers)

- प्रत्येक नियोक्ता या सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष या एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए घरेलू कामगारों से संबंधित जानकारी एक फार्म एवं निर्धारित शुल्क अदा कर जिला बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को देगा।
- कार्य घंटे-किसी भी कर्मचारी को किसी घर में एक दिन में 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी।
- सप्ताहिक अवकाश-प्रत्येक कामगार चाहे वह पूर्णकालिक हो, अंशकालिक हो, रात्रि में कार्य करने वाला कामगार हो, ये सभी सप्ताहिक अवकाश के हकदार हैं।

- न्यूनतम मजदूरी-संबंधित सरकार अधिसूचना के माध्यम से घरेलू कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दर तय करेगी।
- यदि कोई सेवा प्रदाता इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह तक के कारावास की सजा तथा दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

घरेलू कामगार कल्याण कोष (Domestic Workers Welfare Fund)

एक घरेलू कामगार कल्याण कोष नामक कोष का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा।

- केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान।
- इस कोष का प्रशासन एवं देखरेख जिला बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले आवश्यक एवं व्यवहारिक उपायों एवं सुविधाओं के संबंध में व्यय किया जाएगा।
- घरेलू कामगारों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के लिए किसी व्यय की अनुमति देना। इन कल्याणकारी स्कीमों में पारिवारिक कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बीमा तथा अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हो सकते हैं।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक घरेलू कामगार जो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा कोष से उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों का हकदार होगा।
- प्रत्येक घरेलू कामगार जिसने 18 वर्ष की उम्र तो पूरी कर ली है लेकिन 65 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों से किसी घरेलू कार्य में व्यस्त है तो वह इस अधिनियम के अधीन लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होने के योग्य होगा।

भारत में महिला अधिकारों की निगरानी के लिए एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ (Agencies and Institutions to Monitor Women Rights in India)

A. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)

देश में महिला हितों की रक्षा एवं संरक्षण की सर्वोच्च संस्था के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया था। इसे महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों का परीक्षण एवं उनका जाँच करने तथा बदलते परिवेश में उनकी समीक्षा करने तथा नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। इस महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सन्तुष्टि करने शिकायतों को जाँच करने तथा इन मुद्दों से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है।

आयोग निरंतर अपने आदेशों जैसे बलात्कार पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास स्कीम की प्राप्ति, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, कार्यकारी अधिकारों (Tenancy Rights), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में संशोधनों के लिए प्रयासरत है। यह महिला अधिकारों का उल्लंघन करने तथा उनके साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय किए जाने संबंधी शिकायतों को देखता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, सम्मान के नाम पर की गई हत्या, हत्या, यौन हमला (Sexual Assault) कार्यस्थलों पर उत्पीड़न संबंधी मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान लेता है। आयोग महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Service Authority) तथा राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर पारिवारिक महिला लोक अदालत (Parivarik Mahila Lok Adalat) आयोजित करता है।

B. राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh-RMK)

राष्ट्रीय महिला कोष (राष्ट्रीय महिला साख कोष) का गठन मार्च 1993, में विशेषकर ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं द्वारा औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से माइक्रो क्रेडिट (Micro Credit) की प्राप्ति में सामने आ रही सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की पृष्ठभूमि में किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष के गठन का प्रमुख उद्देश्य गरीब महिलाओं को बिना किसी गारंटी के विभिन्न आजीविका एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर सूक्ष्म साख उपलब्ध कराना था जिससे कि वे अपना सामाजिक-आर्थिक विकास कर सकें।

माइक्रो क्रेडिट शहरी एवं ग्रामीण गरीब महिलाओं को मध्यस्तरीय लघु वित्त संगठनों (Micro-Financing Organization) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष माइक्रो क्रेडिट के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों की क्षमता निर्माण तथा मध्यस्तरीय लघुवित्त संगठनों को प्रबंधन एवं आय सृजन गतिविधियों में सहभागी बनता है ताकि वे साथी सदस्यों एवं जमीनी स्तर

के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में सक्षम बन सकें। राष्ट्रीय महिला कोष की महिला लाभार्थी उद्यमी कौशल का विकास करने के प्रति प्रोत्साहित हुई हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के शासकीय बोर्ड ने इसे पुनर्गठित एवं मजबूत बनाकर सरकार की स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Finance Company – NBFC) बनाने की अनुमति दे दी है।

C. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board-CSWB)

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अगस्त, 1953 को किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना था। यह सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच इंटरफेस यानि अंतराफलक के रूप में कार्य करता है। बोर्ड पारिवारिक परामर्श केंद्रों, अल्पकालिक आवास (Short Stay Homes), जागरूकता सृजन परियोजनाओं, शिक्षा कार्यक्रम तथा सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

बोर्ड को 1969 में धर्मार्थ कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। केंद्रीय बोर्ड विकास संबंधी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बोर्ड ने एक वेब आधारित ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था ई-आवेदन (महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकास कार्य) (E-awedan-Electronic Application For Women Empowerment and Development Action by NGOs) की विकास बोर्ड के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता एवं बेहतर निगरानी के उद्देश्य से शुरूआत की थी।

D. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resources Authority-CARA)

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है तथा इसे देश में दत्तक ग्रहण की निगरानी एवं विनियमन का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में अनुसमर्थित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय 1993 के प्रावधानों के अनुरूप अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामलों को देखने के लिए प्राधिकृत है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: (i) देश में गैर-संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करना। (ii) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु हेग अभिसमय के तहत यथाकल्पित केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। (iii) अनाथ, परित्यक्त एवं अध्यापित (Surrendered) बच्चों के दत्तक ग्रहण में सहायता करना एवं बढ़ावा देना। (iv) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया एवं प्रदायगी या सुपुर्दी प्रणाली को व्यवस्थित करना।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण पहलें

(Major Initiatives of Central Adoption Resource Authority)

केयरिंग (चाइल्ड एडोपशन रिसोर्स इन्फार्मेशन एण्ड ग्राहंडस सिस्टम) एक सूचना तकनीक आधारित प्रणाली है जो बाल दत्तक प्रणाली में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यह एक ऑन-लाइन मंच है जो एक बेहतर वेब आधारित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संपर्क सृजन का कार्य करती है। यह (i) शीघ्र दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करता है, (ii) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, (iii) कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच उत्तरदायित्व बढ़ाता है, (iv) उन्नत कार्य के लिए पक्षकारों का नेटवर्क विकसित करना है। (v) प्रभावी नीति निर्माण एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आँकड़ा संचय (National Database) का कार्य करता है।

जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting)

जब तक लैंगिक चिंताओं को सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों एवं योजना प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाया जाता और उसके बाद कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के चरण में भी जारी नहीं रखा जाता तब तक राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सहभागिता सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा तथा तब तक सही मायने में उन्हें सशक्त नहीं समझा जा सकता है।

जेंडर बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बजट प्रक्रिया के सभी स्तरों एवं चरणों यथा योजना, नीति, कार्यक्रम तैयारी, लक्षित समूहों आदि की आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा संसाधनों की प्राथमिकता आदि सभी चरणों में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सम्मिलित किया जाता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत वित्त मंत्रालय के अधीन जेंडर बजट को संस्थागत रूप देने वाला पहला देश माना जाता है। भारत सरकार बजट संबंधी लेखा प्रणाली का पालन करते हुए बजट संबंधी वर्गीकरण में बदलाव लाने की संपादना पर विचार कर रही है ताकि मुख्य बजट में जेंडर बजट को शामिल किया जा सके।

जेंडर बजट की तार्किकता इस तथ्य के संदर्भ में है कि राष्ट्रीय बजट संसाधनों के आवंटन प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की प्राथमिकता अनुसार महिलाओं एवं पुरुषों को भिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं। इसे एक ऐसे यंत्र के रूप में समझा जाता है जो महिलाओं के प्रति मनोवृत्तियों एवं परंपरागत मान्यताओं से आगे जाता है और उसमें बदलाव ला सकता है और एक लैंगिक संवेदनशील जागरूकता को जन्म देता है जो न केवल महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल होने में सक्षम बनाता है बल्कि उन्हें देश के समान नागरिक के रूप में उनके अधिकार को भी मान्यता देता है।

बजट के लैंगिक विश्लेषण के पाँच चरण-

1. महिलाओं, पुरुषों, लड़कों एवं लड़कियों की स्थिति का वर्णन करें।
2. जाँच करें कि क्या नीति लैंगिक रूप से संवेदनशील है?
3. जाँच करें कि क्या लैंगिक संवेदनशील नीति कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया गया है?
4. जाँच करें कि क्या किया गया व्यय योजनागत है?
5. नीति एवं व्यय के प्रभाव का मूल्यांकन करें।



भारत में बच्चों के संरक्षण एवं बेहतरी हेतु तंत्र, कानून व संस्थायें (Mechanism, Laws and Bodies Constituted for the Protection and Betterment of Children in India)

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में बच्चों की संख्या 440 मिलियन से अधिक है, और यह संख्या विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। जबकि भारत में शिशु मृत्यु दर (IMR) तथा मातृत्व मृत्यु दर (MMR) अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। जीवित बने रहने तथा विकास करने के बच्चों के ये दोनों अधिकार उनकी प्रगति को सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में उभरकर आए हैं। बच्चे के जीवित बने रहने का अधिकार संभवतः सभी अधिकारों में से सर्वाधिक मौलिक है, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखरेख अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि माँ की स्थिति, नवजात शिशु की देखरेख तथा स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक परिवार की पहुँच इत्यादि।

विश्व में सर्वाधिक बच्चे भारत में ही हैं। विश्व में लगभग हर पाँचवाँ बच्चा भारत में रहता है। इसमें 43 करोड़ बच्चे 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जबकि 16 करोड़ बच्चे 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के, और इनमें से 8.5 करोड़ बालक तथा 7.8 करोड़ बालिकाएँ हैं। साथ ही 6-18 वर्ष के आयु वर्ग में से लगभग 27 करोड़ बच्चे हैं। देश की विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाओं के कारण बच्चों की आवश्यकताओं में भी विविधता देखने को मिलती है। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों के विकास एवं संरक्षण के लिए विभिन्न प्रणियाँ विशेषकर सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास एवं सामाजिक देखरेख पर बल देते हुए उनके जीवित बने रहने एवं सुरक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना। इसके अलावा बच्चों की देखरेख शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तथा स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण, आवास तथा न्याय कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर असमानता को समाप्त करने के लिए ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यही वे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को बहिष्कार एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इसीलिए भारत में लोक नीति का मुख्य उद्देश्य बाल-अभिमर्श एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके बाल अधिकारों को प्रोत्साहित देना है। यह बात 12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है, जिसमें कहा गया है कि "12वीं योजना में बच्चों की संवर्धन प्रारम्भिक तबदी जलाना चाहिए। विकास (Development) योजना और रणनीति के साधन और साध्य के साथ-साथ प्रारम्भिक संकेतक के रूप में उभरकर आया है।"

भारत में बच्चों की स्थिति एक नजर में

शिशु लिंगानुपात (जनगणना 2011)	914
शिशु मृत्यु दर	50*
रक्ताल्पता*	69.5% बच्चे (6-59 माह) 55.8% लड़कियाँ (15-19 वर्ष) 55.3 महिलाएँ (15-49 वर्ष)
सामान्य से कम वजन*	42.5% बच्चे सामान्य से कम आयु 14-59 वर्ष के आयु वर्ग की 35.6% महिलाएँ स्थायी रूप से ऊँचाई की कमी से पीड़ित
शिशु प्रतिरक्षा*	57% बच्चों को पूर्णतः प्रतिरक्षा प्राप्त 63% बच्चों को DPT की तीन खुराकें प्राप्त होती हैं। 65.6% बच्चों को ही पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 69.1% बच्चों को ही खसरे का टीका लगाया जाता है।

*1 : जनगणना 2011

*2 : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)

*3 : जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (DLHS)

भारत में बच्चों की असुरक्षा (Vulnerability of Children in India)

विश्व के 19 प्रतिशत बच्चे भारत में हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में 172 मिलियन अथवा कुल बच्चों में से 40% असुरक्षित हैं अथवा कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीवित बने रहने और संवृद्धि, विकास एवं संरक्षण के लिए अत्यधिक ध्यान की आवश्यकता है। गली में घूमने वाले, बेगार में संलिप्त, मादक द्रव्य दुरुपयोग के चंगुल में फँसे एवं सशस्त्र संघर्ष, नागरिक असंतोष, प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित बच्चे तथा ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश कोई अपराध कर दिया है और कानूनी रूप से उसके दोषी हैं, ऐसे बच्चों के जीवनयापन, विकास एवं सुरक्षा पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाना चाहिए।

बाल न्याय अधिनियम, 2000 जैसी एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) ने असुरक्षा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है-

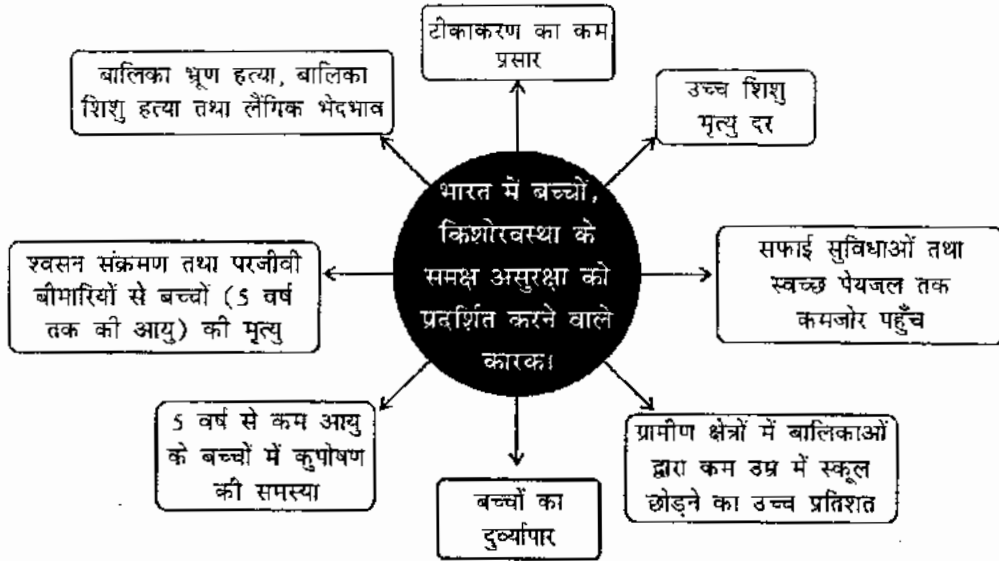
- जिन बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है।
- ऐसे बच्चे जिन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

जिन बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, वे ऐसे बच्चे हैं-

- जिनके पास रहने के लिए घर या आश्रय नहीं है, और आवास प्राप्त करने का कोई साधन भी नहीं है।
- जो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ रहते हैं, जिसने उन्हें नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है और उसके द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना भी है क्योंकि उसके द्वारा अन्य बच्चों को नुकसान पहुँचाया जा चुका है, और इसी वजह से बच्चों को जान से मारने या उनका दुरुपयोग करने की संभावना है।
- जो शारीरिक या मानसिक निशक्तता से ग्रस्त है, और किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो लाइलाज है, तथा कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है।
- जिसके माता-पिता या अभिभावक उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।
- जो लाचार है, उसकी देखभाल करने के लिए परिवार नहीं है, अथवा वह एक गमशुदा बच्चा है और एक गहन खोजबीन के बाद भी उसके माता-पिता का पता नहीं लगाया जा सका हो।
- जो यौन-मानसिक-भावनात्मक अथवा शारीरिक-दरजदार अत्याचार अथवा शोषण से पीड़ित है, जिसका दुर्व्यापार किया जा रहा हो अथवा जो मादक द्रव्य व्यसन में व्यस्त हो।
- जिसका अकल्पनीय लाभ अर्जन अथवा गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा हो।
- जो सशस्त्र संघर्ष, नागरिक असंतोष और प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित हो।
- जिस बच्चे पर कानूनी कार्यवाही चल रही हो तथा उसने भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कोई भी कथित अपराध किया हो, वह बाल अपराधी कहलायेगा। भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता (CrP) ने बच्चों की एक तीसरी श्रेणी की पहचान की है, ऐसे बच्चे शामिल हैं जो कानून के संपर्क में हैं। ये बच्चे या तो अपराध से पीड़ित होते हैं अथवा किसी अपराध के गवाह होते हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता इसमें असुरक्षित बच्चों को भी शामिल करती है, लेकिन यह सूची केवल निम्नलिखित श्रेणियों तक ही सीमित नहीं है, जैसे- संभावित असुरक्षित परिवारों अथवा जोखिम का सामना कर रहे परिवारों के बच्चे, प्रवासी परिवारों जैसे बहिष्कृत समूहों के बच्चे, गोर गरीबी में रह रहे परिवार, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग, भेदभाव से पीड़ित परिवार, अल्पसंख्यक, एचआईवी एड्स से पीड़ित अथवा प्रभावित बच्चे, कैदियों के बच्चे तथा बाल श्रमिक।

यूनीसेफ ऐसे बच्चों को असुरक्षित मानता है जो शोषित और उपेक्षित हैं तथा दुरुपयोग के शिकार हैं। असुरक्षित बच्चों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रियास्वरूप बाल संरक्षण की शुरुआत हुई। यूनीसेफ ने निम्नलिखित समूहों को असुरक्षित समूह के रूप में रेखांकित किया है:

हिंसा से पीड़ित बच्चे, सशस्त्र संघर्ष में फँसे बच्चे, सशस्त्र संगठनों/समूहों से जुड़े बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे, बिना जन्म पंजीकरण के बच्चे, श्रम कार्य में संलग्न बच्चे/बाल श्रमिक, विवाहित बच्चे, जिन बच्चों पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, बिना माता-पिता की निगरानी वाले बच्चे, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए प्रयुक्त बच्चे, ऐसी बच्चियाँ जो जननांग विच्छेदन से पीड़ित हैं।



भारत में बच्चों एवं बाल अधिकारों के कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for the Welfare of Children and Child Rights in India)

भारत में बाल अधिकारों के कल्याण एवं संरक्षण के संबंध में विभिन्न संवैधानिक विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन अधिकारों को संविधान में मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के ही अंतर्गत शामिल किया गया है। ये अधिकार इस प्रकार हैं:

1. अनुच्छेद 14: राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
2. अनुच्छेद 15(3): इस अनुच्छेद की कोटि-बाद राज्य को भविष्य और बालकों के लिए कोई विशेष उपाय करने से निवारित नहीं करेगा।
3. अनुच्छेद 21: किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
4. अनुच्छेद 21क: राज्य, छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।
5. अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।
6. अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
7. अनुच्छेद 39(ड): राज्य अपनी नीति का विशिष्टता, इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
8. अनुच्छेद 39(च): बालकों को स्वतंत्र और गरिमायुक्त वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
9. अनुच्छेद 45: राज्य प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे छः वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।
10. अनुच्छेद 47: राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।
11. अनुच्छेद 51क(ट): जो माता-पिता या संरक्षक हों वह, छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

12. अनुच्छेद 243(छ): इसे अनुसूची 11 के साथ पढ़ा जाए; जिसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों/विषयों को पंचायत (11वीं अनुसूची का विषय संख्या 25) को सौंपकर बच्चों की देखभाल के संस्थाकरण की व्यवस्था की गई है। शिक्षा (विषय 17), परिवार कल्याण (विषय 25), स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (विषय 23) के अतिरिक्त अन्य विषय भी बाल कल्याण के अंतर्गत ही आते हैं।

भारत में बाल कल्याण एवं बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बेहतरी के लिए विधियाँ एवं विधायन (*Laws and Legislations for the Protection and Betterment of Child Welfare and Child Rights in India*)

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (*The right of children to free and compulsory education Act, 2009*)

संविधान 86वाँ (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में एक नए अनुच्छेद 21क को शामिल किया गया। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21क के अंतर्गत बनाए जाने वाले कानून को दर्शाता है, और यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बच्चे को किसी भी औपचारिक विद्यालय, जो कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करता हो, से संतोषजनक एवं न्यायसंगत पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 21क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से प्रभावित है। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' शीर्षक के अंतर्गत 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा' अंतर्निहित है। 'निःशुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि कोई भी बच्चा, यहाँ तक कि ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता ने उसे ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया है, जो किसी सरकार से सहायता प्राप्त नहीं है, उस विद्यालय में ऐसी किसी भी शुल्क, व्यय इत्यादि के लिए बाध्य नहीं है जो उसकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो। 'अनिवार्य शिक्षा' उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय निकाय के लिए यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के संबंध में प्रवेश एवं उपस्थिति जैसी औपचारिकताएँ पूरी हों।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करता है कि (*The RTE Act provides for the*)

- किसी पड़ोस के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- अनिवार्य शिक्षा के तहत प्रत्येक संबंधित सरकार का यह दायित्व होगा कि वह 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में प्रवेश तथा प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करे।
- जहाँ एक तरफ यह बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में संबंधित सरकार, स्थानीय निकाय एवं माता-पिताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर वितीय उत्तरदायित्व के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य सहभागिता को निर्धारित भी करता है।
- यह राज्य या जिले अथवा प्रखण्ड स्तर पर शिक्षकों की औसत संख्या के बजाय तार्किक ढंग से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात व्यवस्थित रहे। साथ ही इससे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति में असंतुलन भी उत्पन्न नहीं होता है।
- यह निम्नलिखित गतिविधियों का निषेध करता है—
 - (a) शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न
 - (b) बच्चों के दाखिले/प्रवेश से संबंधित अनुवीक्षण/जाँच प्रक्रियाएँ।
 - (c) प्रतिव्यक्ति शुल्क
 - (d) शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत द्युशन, और
 - (e) बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना।
- यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम को विकसित करने में मदद करता है, जिससे बच्चे का बहुमुखी विकास सुनिश्चित होता है, बच्चों में ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण होता है और इससे बच्चों के अनुकूल तथा उनके अध्ययन के प्रति केन्द्रित व्यवस्था के विकास से वे भय, मानसिक सदमे एवं चिंता से मुक्त हो जाते हैं।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

(*The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010*)

- इस विधेयक के माध्यम से बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में संशोधन किया गया। इसमें 'उपेक्षित समूहों के बच्चों' की परिभाषा को विस्तृत करते हुए इसमें निःशक्त बच्चों को भी शामिल किया गया। निःशक्त

बच्चों को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्गत दृष्टिहीन, कुष्ठरोगी, बधिर, चलने में अक्षम तथा मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑटिज्म से पीड़ित, प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित, अपूर्ण मानसिक विकास वाले और बहुल निःशक्तता से पीड़ित बच्चों को भी शामिल किया गया है।

- ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित, अपूर्ण मानसिक विकास वाले और बहुल विकलांगता से पीड़ित बच्चों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त बच्चों को प्राप्त है।
- अधिनियम में विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की विद्यालय प्रबंधन समिति केवल परामर्शदात्री भूमिका में रहेगी।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 को परंपरागत बाल विवाह को निषिद्ध करने के लिए बनाया गया। अधिनियम को पुरुष एवं महिला की विवाह की आयु सीमा बढ़ाने के लिए क्रमशः 1949 एवं 1978 में संशोधित भी किया गया। यद्यपि यह अधिनियम परंपरागत बाल विवाह पर रोक लगाता है, लेकिन ऐसे किसी भी विवाह को अवैध या अमान्य घोषित नहीं करता। इस कानून के तहत बाल विवाह को दण्डनीय माना गया है।

एक लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दण्ड के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाए ताकि बाल विवाह को परंपरागत बुराई का प्रभाव तुरंत से उन्मूलन किया जा सके।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of the Act)

- इस अधिनियम के अनुसार ऐसे महिला एवं पुरुष, जिन्होंने क्रमशः 18 एवं 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बालकों की श्रेणी में आएंगे।
- न्यायालय यह आदेश जारी कर सकता है कि यदि कोई पति (बाल विवाह की स्थिति में) विवाह को अमान्य घोषित करता है तो पति अथवा उसका परिवार तब तक उस लड़की के भरण-पोषण का व्यय वहत करेगा जब तक कि उस लड़की का पुनः विवाह नहीं हो जाता है।
- यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पुरुष बाल विवाह के लिए अनुबंध करता है तो इसके लिए उसे 2 वर्ष तक का कारावास अथवा लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
- यही दण्ड उस व्यक्ति के लिए भी सुनिश्चित होगा जो न्यायालय द्वारा बाल विवाह करता या कराता है, या फिर बाल विवाह करने के संबंध में निर्देश देता है।
- यदि किसी बच्चे को उसके माता-पिता अथवा अभिभावक से अलग रखा जाता है, किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, विवाह के लिए बेच दिया जाता है, या फिर विवाह करके अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग अथवा दुर्व्यापार किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य समझा जाएगा।
- न्यायालय को पास यह शक्ति है कि किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर किसी संदिग्ध बाल विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति किसी संगठन या संघ का सदस्य या कोई भी हो सकता है। साथ ही न्यायालय स्वतः संज्ञान के आधार पर किसी संदिग्ध बाल विवाह के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और उक्त बाल विवाह के संबंध में जारी निषेधाज्ञा का जवाब देने के लिए आदेश जारी कर सकता है।
- इस अधिनियम के तहत एक बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो न्यायालय की निषेधाज्ञा द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर, बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में लोगों को जागरूक करके तथा बाल विवाह के संबंध में आँकड़े जुटाकर अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस अधिनियम में बाल विवाह निषेध अधिकारी को एक जन सेवक माना गया है।

बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012

(Protection of Children from Sexual Offences Act 2012)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को 10 मई, 2012 को राज्य सभा द्वारा, जबकि 22 मई, 2012 को लोक सभा द्वारा पास किया गया। लैंगिक दुरुपयोग एवं शोषण से बालकों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस तरह पहली बार बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में पृथक कानून का निर्माण किया गया।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है और 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह पहली बार ही इन अपराधों को भी कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया। अधिनियम में इन अपराधों के संबंध में कठोर दण्ड का प्रावधान भी किया गया है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा। दण्ड की प्रकृति साधारण से लेकर विभिन्न समयावधि के सश्रम कारावास तक की हो सकती है। इसके अलावा अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध इस प्रकार हैं (Punishments for Offences covered in the Act are)

- गम्भीर यौन उत्पीड़न
- यौन उत्पीड़न
- बालकों का यौन उत्पीड़न
- अतिनिकृष्ट गंभीर यौन उत्पीड़न
- अतिनिकृष्ट यौन उत्पीड़न
- पोर्नोग्राफी के लिए बालकों का उपयोग करना

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of the Act)

न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालकों के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए अधिनियम के तहत चलने वाले आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में साक्ष्यों को जुटाने एवं अपराधों की जाँच-पड़ताल तथा सुनवाई की प्रक्रिया को बालकों के अनुकूल बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए-

1. अधिनियम में अपराध के आशय के लिए फिर चाहे अपराध हुआ हो या नहीं और उसका कारण कुछ भी हो, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपराध के प्रयास के लिए, अपराध होने के लिए तिथिमित दण्ड का आधार तब निर्धारित किया गया है, और इसे भी अपराध करने के अंतर्गत शामिल किया गया है। यौन कार्यों के लिए बच्चों की तस्वीरों को भी इसके अंतर्गत ही शामिल किया गया है।
2. जघन्य अपराधों जैसे कि गंभीर यौन उत्पीड़न, निकृष्ट गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न आदि में दोषमुक्त साबित करने का भार दोषी पर होगा।
3. इस प्रावधान को बच्चों की असुरक्षा एवं अबाधन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गलत आशय से की गई झूठी शिकायत और गलत सूचनाओं के लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया है। सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के दण्ड को सापेक्ष रूप से कम कर दिया (6 महीने तक) रखा गया है। यदि झूठी शिकायत किसी बच्चे के खिलाफ की गई है तो दण्ड अधिक (1 वर्ष) होगा।
4. विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना बालक के सुविधानों को सर्वजनिक क्षेत्रों के संबंध में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दण्ड को अवधि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है।
5. विशेष बाल अपराध इकाई (SJPU) अथवा स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने के बाद जितनी जल्दी हो सके बालक को राहत एवं पुनर्वास के लिए 24 घण्टे के अंदर उसे सौघातिशाल आश्रय स्थल अथवा आसपास के अस्पताल में भर्ती कराने जैसे देखभाल एवं संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। विशेष बाल अपराध इकाई (SJPU) अथवा स्थानीय पुलिस द्वारा भी शिकायत दर्ज होने के 24 घण्टे के अंदर संबंधित बालक के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को सौंपी जानी चाहिए, ताकि बालक का दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।
6. कानून के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वे टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया जैसे मीडिया माध्यमों से आम जनता, बालकों तथा उनके माता-पिताओं में इस अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता फैलाएँ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) इस अधिनियम की निगरानी के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण हैं।

बाल अपराध न्याय अधिनियम, 1986 (बाल अपराध न्याय अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित) (Juvenile Justice Act, 1986 [Replaced by Juvenile Justice Act 2000])

भारत सरकार ने वर्ष 1986 में बाल अपराध न्याय अधिनियम को अधिनियमित किया था। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) को अपनाया। भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय को स्वीकार कर लिया। यह अभिसमय, बिना न्यायिक कार्यवाही के उल्लंघन के समाज में बालकों के एकीकरण के अधिकार को रेखांकित करता है। अतः इस अभिसमय में निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कानून को दोबारा लिखने की जरूरत महसूस की गई। और इसीलिए वर्ष 2000 में बाल अपराध न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम द्वारा पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया गया।

इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति को बालक माना गया है। इसमें दो लक्षित समूहों को चिह्नित किया गया है: ऐसे बालक जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, तथा ऐसे बाल अपराधी जिनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। यह कानून न केवल बालकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के उन अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करता है, जिस समय वे बालक थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी अपराध के होने के समय कोई व्यक्ति बालक था, तो जब तक उस मामले की सुनवाई चलेगी, तब तक उस व्यक्ति को 18 वर्ष से कम का ही माना जाएगा।

नया कानून बालकों के लिए और भी अनुकूल है और यह बालकों को सर्वोत्कृष्ट देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए उचित देखभाल एवं संरक्षण उपायों की व्यवस्था करता है। नये कानून के अंतर्गत एक बाल अपराधी और एक उपेक्षित बालक में स्पष्ट अंतर किया गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of the Act)

- अधिनियम यह निर्धारित करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं लड़की को बालक माना जाएगा।
- अधिनियम स्पष्ट करता है कि बाल अपराध से संबंधित मामलों को 4 महीने की समयवधि के अंतर्गत निपटाया जाएगा।
- किसी एक जिले अथवा जिलों के एक समूह के लिए एक बाल अपराध न्याय बोर्ड (पूर्व में जिसे बाल अपराध न्यायालय के रूप में जाना जाता था) तथा बाल कल्याण समिति (पूर्व में जिसे बाल अपराध कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाता था) का अनिवार्य रूप से गठन किया जाए।
- बालकों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर विशेष बल देते हुए दत्तक ग्रहण त्वरित देखभाल, आर्थिक संरक्षण एवं अनुरक्षण जैसे विकल्पों का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम में विधि के अधीन किसी भी समुदाय द्वारा बालकों के दत्तक ग्रहण की अनुमति दी गई है। बाल अपराध न्याय बोर्ड को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह एकल माता-पिताओं तथा ऐसे माता-पिताओं जिनके पहले से संतान है उन्हें समान लिंग के और बच्चे गोद लेने की अनुमति दे सकता है।
- बाल अपराध न्याय कार्यक्रम के माध्यम से बाल न्याय अधिनियम में उल्लिखित सभी तरह की सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बालक किसी भी परिस्थिति में केंद्र में न रहे, तथा बाल अपराधी के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं में गणनात्मक सुधार लाया जा सके और बाल अपराधियों के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय को रोकने तथा जिनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है उनके पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- बाल अपराध न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अन्वेषण गृह, बाल अपराधी गृह और विशेष गृहों की स्थापना और रख-रखाव तथा जिन बालकों पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है तथा जिन बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए अनुरक्षण गृह के निर्माण में सहायता उपलब्ध कराती है।

बाल अपराध न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010)

- इस विधेयक द्वारा अधिनियम से उस प्रावधान को हटा दिया है, जिसके अनुसार ऐसे बाल अपराधियों अथवा बालकों के लिए अधिनियम में विशेष उपचार का प्रावधान किया गया था जो कुष्ठ रोग, यौन संक्रमित रोग, हेपीटाइटिस-बी और टीबी से पीड़ित हों अथवा जिनका पूरी तरह से मानसिक विकास नहीं हुआ हो।
- विधेयक में एक अन्य प्रावधान को भी प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी सक्षम प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कुष्ठ रोग, अपूर्ण मानसिक विकास तथा मादक द्रव्य व्यसन से पीड़ित बालकों को विशेष गृह से ऐसे बालकों के लिए सुनिश्चित सुविधाओं के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है।
- इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि मानसिक रूप से पीड़ित अथवा मद्यमन या मादक द्रव्य व्यसनी बालक के व्यवहार में किसी कारणवश परिवर्तन होता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे बालक को मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर सकता है।
- ऐसी स्थिति में जब किसी बालक को मनोचिकित्सक के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उस बालक को एकीकृत पुनर्वास केंद्र भेज सकता है, यदि मनोचिकित्सक ने उस बालक को वहाँ से ले जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र दे दिया हो।

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 शिशु दुग्ध अनुकल्प संशोधन (Infant Milk substitutes, feeding Bottles and Infant foods Act, 1992 and 2003 [Amendment])

भारत में 55% शिशु मृत्यु केवल कुपोषण के कारण होती हैं। किसी भी शिशु के जीवन के प्रथम 6 महीने केवल स्तनपान और दो वर्ष की आयु तक पूरक आहार कुपोषण से बचने के लिए आवश्यक हैं। इस अधिनियम तथा 2003 में हुए संशोधन का उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान को प्रोत्साहित करना है। अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि शिशु का भोजन विनियमित होना चाहिए तथा उसका उपयोग भी उपयुक्त तरीके से सुनिश्चित हो।

शिशु भोजन से तात्पर्य उस भोजन से है जो बाजार में उपलब्ध है और 6 महीने से 2 वर्ष तक के बालक को पोषण आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु माँ के दूध के पूरक के रूप में उपलब्ध है। दुग्ध शिशु अनुकल्प कोई भी ऐसा भोजन है जो बाजार में उपलब्ध है यानी जो दो वर्ष तक के शिशु के लिए अंशतः या पूरी तरह से माँ के दूध का विकल्प है।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं (Salient features of the Act are as follows)

- अधिनियम के अनुसार किसी को भी इस बात को प्रचारित, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अथवा लोगों को इस बारे में भ्रमित नहीं करना चाहिए कि शिशु खाद्य, पोषण बोतल और शिशु दुग्ध अनुकल्प माँ के दूध के उचित अनुपूरक हैं।
- कोई भी व्यक्ति बिक्री अथवा विक्री को प्रोत्साहित करने के लिए न तो शिशु खाद्य, पोषण बोतलों और शिशु खाद्य अनुकल्पों को वितरित कर सकता है, और न ही इस कार्य के लिए अन्य किसी भी तरह का प्रचारित कर सकता है।
- अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के अतिरिक्त कोई व्यक्ति शिशु खाद्य, पोषण बोतलों और शिशु खाद्य अनुकल्प अथवा किसी भी सामग्री को वितरित नहीं कर सकता है।
- कानून में इस बात की आवश्यकता व्यक्त की गई है कि शिशु खाद्य और शिशु खाद्य अनुकल्प को किसी भी आपूर्तिकर्ता अथवा वितरक को उपभोक्ताओं को समझाने के संबंध में खाद्य पैकेटों पर इस प्रकार के ज्ञातवनीय लेबल लगाने की आवश्यकता है कि माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, और इस तरह के उत्पादों का उपयोग किसी स्वास्थ्य देखरेख कर्मी की सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए।
- कानून में इस बात की भी उल्लेख किया गया है कि इन उत्पादों पर उनके उपयोग, पोषक तत्वों की जानकारी, समष्टिक सामग्री और उनके विनिर्माण एवं समाप्ति के संबंध में उद्देश्य होने चाहिए शिशु खाद्य और शिशु दुग्ध अनुकल्प संबंधी उत्पादों पर बच्चे या उनकी माँ की तस्वीरों को किसी तस्वीर अथवा डिजाइन जिससे इन उत्पादों की बिक्री में बाधा हो आदि को इस कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।
- केवल कुछ ही संस्थाओं को इन उत्पादों के वितरण के प्रारंभ में छूट दी गई है, बसने की अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी, स्तनपान कराने में असमर्थ माताओं के देखरेख में स्तनपान संपन्न आदि।
- बिक्री अथवा वितरित किए गए ऐसे सभी उत्पादों या अतिमिश्रणों का अधिनियम, 1954 अथवा भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों के अनुरूप होने चाहिए अथवा मापदण्ड निर्धारित न होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित मापदण्डों अथवा शर्तों से संगत होने चाहिए। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम के तहत नियुक्त कार्यालय किसी भी स्थान की इस संदेह के आधार पर जाँच-पड़ताल कर सकते हैं कि उसके द्वारा इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इस कानून के साथ असंगत होने के संदेह के आधार पर कार्यालय किसी भी वस्तु को जब्त भी कर सकते हैं।
- इस कानून के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में स्थानीय मुख्य दीवानी न्यायालय जिम्मेदार व्यक्ति पर उसके कब्जे में शिशु खाद्य अनुकल्पों, पोषण बोतलों अथवा शिशु खाद्य की कीमत तक का जुर्माना लगा सकता है।
- इस कानून के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने की स्थिति में अधिकतम तीन वर्ष की कैद या अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
- इस अधिनियम के अधीन कंपनियों को भी दोषी ठहराया जा सकता है और उल्लंघन से भिन्न तथा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दोषी माना जा सकता है। इस कानून के तहत किए गए अपराध जमानती एवं संज्ञेय प्रकृति के होते हैं।

भारत में बच्चों की बेहतरी और संरक्षण हेतु अन्य महत्वपूर्ण कानून और विधायन (Other Important Laws and Legislation for the Betterment and Protection of Child Rights in India)

1. बंधुआ मजदूर व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976): वर्ष 2002 में यूनेस्को ने काम करने वाले बालकों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विश्व श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट में बताया

गया है कि प्रत्येक 6 बच्चों में से एक काम करता है, जबकि लाखों बंधुआ मजदूर अथवा बलात् श्रम में संलग्न हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) भिखारी तथा बंधुआ मजदूरों के अन्य रूपों पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरों की व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 वयस्क और बालक दोनों के ही संबंध में दास अथवा बंधुआ मजदूरों के अवैध होने की बात करता है।

2. प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 [Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994]:

- इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से संपझने के क्रम में अधिनियम में दी गई दोनों परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है। भ्रूण (Embryo) का तात्पर्य निषेचन के बाद 56 दिनों की अवधि तक मानव शरीर का विकास होने से है। गर्भस्थ शिशु (Foetus) से तात्पर्य निषेचन के 57 दिनों के बाद से बच्चे के जन्म के समय तक के गर्भस्थ शिशु से है।
- अधिनियम में सबसे पहले आनुवंशिक परामर्श क्लिनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगशालाओं के विनियमन के संबंध में प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। इस तरह की सभी क्लिनिकें इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए, तथा प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक का प्रयोग करने वाले चिकित्सा व्यावसायी के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।
- किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं दी जाती है कि वह बच्चे के लिंग के संबंध में किसी को कोई भी जानकारी दे।
- अधिनियम किसी भी चिकित्सा कर्मों को लिंग-चयन करने अथवा उसमें मदद करने से प्रतिबंधित करता है। गर्भावस्था से संबंधित सभी चिकित्सा उपकरण केवल पंजीकृत क्लिनिक को ही बेचे जा सकते हैं। केवल गुणसूत्र संबंधी अनियमितताओं, आनुवंशिक रोगों और हीमोग्लोबिनोपैथीस को छोड़कर सभी प्रसवपूर्ण नैदानिक तकनीकों को अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

3. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (Persons with Disabilities Act, 1995):

- 1992 में भारत ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी एवं समानता पर उद्घोषणा को अपनाया। इस उद्घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत के विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय ने निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम प्रस्तावित किया। 1 जनवरी, 1996 को भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया। निम्नलिखित प्रावधान इस अधिनियम को रूपरेखा स्पष्ट करते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित हैं।
- इस अधिनियम में अधापन, दृष्टि दोष, कुश्रोग, बोध, चलने-फिरने में अक्षम तथा कम मानसिक विकास और मानसिक बीमारी को निःशक्तता के रूप में परिभाषित किया गया है।
- अधिनियम में निःशक्तता के निवारण हेतु सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस एजेंडे को ध्यान में रखते हुए सरकार को वर्ष में कम से कम एक बार निःशक्तता के लिए उत्तरदायी कारकों की जांच के लिए सभी बच्चों का परीक्षण करना चाहिए ताकि बालकों को ऐसे खतरों से बचाया जा सके।
- निःशक्तता से पीड़ित बच्चों को संबंधित सरकार द्वारा उचित सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को निःशक्त बालकों के लिए नियमित विद्यालय की व्यवस्था भी करनी चाहिए लेकिन ऐसे बालकों के नए विशेष विद्यालयों पर अलग से ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे विद्यालय इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं।

4. अभिभावक एवं वार्ड अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890): इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बालक है। न्यायालय अथवा इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को बालक के अभिभावक के रूप में नियुक्त करके या अभिभावक की जिम्मेदारी से हटाकर उसके अभिभावक का निर्धारण कर सकता है। इस संबंध में बिना प्रार्थना-पत्र दिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

5. भारतीय दंड संहिता और बालकों से संबंधित अपराध (India Penal Code and Child related offences):

- भारतीय दण्ड संहिता में बालकों के साथ होने वाले अपराधों की एक सूची दी गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 एवं 83 के अनुसार यदि सात वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई अपराध किया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सात से बारह वर्ष की आयु का कोई भी बालक, जिसे अपने द्वारा किए गए कार्यों को समझ नहीं है, उसे भी अपराध करने में अक्षम माना गया है।
- धारा 315 एवं 316 में भ्रूण हत्या और शिशु हत्या का उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे जीवित बच्चे का जन्म बाधित होता है या फिर उस कृत्य की वजह से जन्म के पश्चात बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कृत्य को भ्रूण हत्या अथवा शिशु हत्या ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कृत्य माँ के स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए हितकर नहीं है।
- धारा 305 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो इसे अपराध माना जाएगा, चाहे उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम हो।

- धारा 361 के अनुसार यदि 18 वर्ष से कम आयु का बालक एवं 16 वर्ष से कम आयु की किशोरी को उनके विधिक अभिभावक की सहमति के बिना कहीं ले जाया जाता है तो इसे अपहरण माना जाएगा।
- धारा 366A में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु की किशोरी के साथ होने वाले किसी अपराध के संबंध में प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।
- बालकों के साथ होने वाले यौन अपराधों को भी आई.पी.सी. के अंतर्गत शामिल किया गया है। धारा 372 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु के बालक/किशोरी को वैश्यावृत्ति अथवा अवैध यौनकर्म के लिए बेचा जाता है अथवा यह जानते हुए कि बालक/किशोरी को ऐसे ही उद्देश्यों के लिए बेचा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 372 में किसी बालक/किशोरी को वैश्यावृत्ति अथवा अवैध यौन कर्म के उद्देश्य से बेचने को अपराध माना गया है।

8. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948):

- यह अधिनियम 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बालक को अल्पवयस्क मानता है। इसके अनुसार किशोर/किशोरी वह है, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन अभी वह 18 वर्ष का नहीं हुआ/हुई है। इसमें बालक अथवा किशोर/किशोरी को अल्पवयस्क माना गया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी कारखाने में कार्यरत युवाओं की चिकित्सकीय स्थिति की जाँच कर सत्यापित करने का उत्तरदायित्व किसी चिकित्सा कर्मी अथवा सर्जन का है।
- इस अधिनियम के अनुसार कोई भी अल्पवयस्क किशोर किसी ऐसी मशीन पर सफाई आदि कार्य नहीं कर सकता है, जिससे उसे चोट पहुँचे।
- अधिनियम ऐसे किशोर के कार्य के समय पर प्रतिबंध लगाता है जिसने वयस्क होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हुआ है। जब तक कि राज्य सरकार निर्धारित न करे कारखाने में कोई भी किशोर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कार्य कर सकता है। ऐसे बच्चे अथवा किशोर जिन्हें वयस्क नहीं माना गया है उन्हें कारखाने में साढ़े चार घण्टे से अधिक तथा रात के समय कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- जिन बच्चों ने पहले कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया है, उन्हें हर 15 दिनों कार्य करने के लिए एक दिन की अवकाश दिया जाएगा।

भारत में बाल कल्याण तथा बाल अधिकारों की निगरानी करने वाली एजेंसियाँ तथा संस्थाएँ (Agencies & Institutions to Monitor the Child Welfare and child Rights in India)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए की गई थी। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जो सभी बाल कल्याण के विषय में दक्षता प्राप्त होते हैं।

आयोग का कार्य यह है कि वह (The function of the commission is to)

- किसी भी कानून अथवा संवैधानिक प्रावधान का इस आशय का परीक्षण करना कि उससे बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होता है अथवा नहीं।
- बाल अधिकारों से संबंधित रक्षोपायों में सुधार के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में पूछताछ करना।
- आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना व शोषण, पोर्नोग्राफी और वैश्यावृत्ति के शिकार बालकों/किशोरियों के संबंध में प्रतिकूल कारकों की जाँच करना तथा उचित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- दुख-परेशानी, हाशिए के एवं उपेक्षित पृष्ठभूमि के बालकों की विशेष देखरेख एवं संरक्षण करना।
- बाल अधिकारों से संबंधित समझौतों/अनुबंधों का अध्ययन करना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- बाल अधिकारों के विषय में आचरण का मार्गदर्शन करना।
- विभिन्न तरीकों से जागरूकता उत्पन्न करना।
- ऐसे बाल गृहों एवं अन्वेषण गृहों की छानबीन करना जहाँ बालकों को हिरासत में रखा गया है।
- मानवाधिकारों के हनन अथवा मानवाधिकारों के हनन को रोक पाने में राज्य तथा अन्य संगठनों की असफलता की जाँच-पड़ताल करना।

चाइल्ड बजटिंग (Child Budgeting)

18 वर्ष की आयु तक के बालक भारत की कुल जनसंख्या के 40% हैं। वे न केवल भारत का भविष्य हैं बल्कि इसके वर्तमान के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि विकास संकेतक उनके कल्याण तथा भूलभूत अधिकारों की प्राप्ति में धीमी प्रगति दर्शाते हैं। देश में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले दस लाख से अधिक नवजात शिशुओं का प्रारंभिक स्तर पर जीवित रहना अब भी खतरे में है। विशेषकर बालिका शिशुओं के संबंध में तो यह स्थिति और भी बदतर है, और इसका सबूत निरंतर गिरता लिंगानुपात है।

चाइल्ड बजटिंग एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से किसी वित्त वर्ष में बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी देश की विकास रणनीति तथा उसकी पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों के मध्य विद्यमान अंतर को भी स्पष्टतः देखा जा सकता है।

किशोर न्याय न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice court and Juvenile Justice Board)

किसी अपराध के दोषी अथवा अपराध के लिए हिरासत में बंद बाल अपराधी वे होते हैं, जिन्हें बाल अपराध न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (संशोधित 2006) के तहत बाल अपराध न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया है। इस अधिनियम तथा अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत बालकों को किसी नियमित न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। अतः बालकों के लिए पृथक न्यायालय बनवाने का उद्देश्य उनका सामाजिक-विधिक पुनर्वास एवं उद्धार करना है, न कि उन्हें दण्डित करना। इसका उद्देश्य आपराधिक कार्यों के दोषी बालकों को दण्डित करना नहीं है, बल्कि बालक को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में समझाना है और भविष्य में उसके द्वारा कोई अन्य अपराध न करने के लिए उसे सहमत करना है।

बाल अपराध न्याय बोर्ड में एक मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश अथवा प्रथम श्रेणी की एक न्यायाधीश तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। एक पीठ के इन तीनों सदस्यों को एक इकाई के रूप में कार्य करना होता है। यद्यपि उनकी भूमिकाएं भिन्न-भिन्न होती हैं लेकिन बालकों के हितों में उन्हें परस्पर सामंजस्य बनाकर कार्य करना होता है। जब कोई बालक किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो बालक के साथ बेहतर बर्ताव व उसके पुनर्वास में सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल अपराध न्याय को ऐसे मामले चार महीने की समयबद्धि में समाप्त करने होते हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development)

इसे NIPCCD के नाम से जाना जाता है। यह महिला एवं बाल विकास संस्थानों के संरक्षण में एक स्वायत्त संगठन है। यह महिला एवं बाल विकास के सम्पूर्ण विषय के संबंध में स्वैच्छिक क्रियाओं तथा शोध, प्रशिक्षण तथा प्रलेखन कार्य के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के सामाजिक विकास में सरकारी एवं स्वैच्छिक विकासपरक उपायों में सामंजस्य स्थापित करना; बाल विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना तथा राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में प्रासंगिक एवं आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना; सामाजिक विकास में स्वैच्छिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बाल कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए रूपरेखा एवं नजरिया विकसित करना; तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय एजेंसियों, शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी निकायों से संपर्क स्थापित करना।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के क्षेत्र में NIPCCD वर्ष 1975 से एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्यरत है। इसका मुख्य बल गुणवत्ता सुधार पर रहता है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण पहलों के अंतर्गत 'सबला' तथा 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' तथा माँ एवं शिशु संरक्षण कार्ड के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल हैं।

भारत में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं (Other Important Institutions to Monitor the Child Rights in India are)

- चाइल्ड लाइन फाउण्डेशन
- भारतीय बाल कल्याण परिषद
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
- खाद्य एवं पोषण बोर्ड

**जनसंख्या के असुरक्षित समूहों के लिए केन्द्र एवं
राज्य की कल्याणकारी योजनायें**
(Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the
Population by the Centre and State)

महिला एवं बाल विकास

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति
(National Policy For The Empowerment of Women)

लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goal and Objectives)

- इस नीति का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में विकास और सशक्तीकरण करना है। नीति को व्यापक रूप से विस्तार दिया जायेगा ताकि इसके उद्देश्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- महिलाओं के पूर्ण विकास एवं भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समकालिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विधिक रूप से वस्तुतः पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निर्णायक प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य, सुविधाओं, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसाय और व्यावसायिक निर्देशन, रोजगार, समान वृत्तन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनैतिक कार्यालयों तक महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी/विधायी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- महिलाओं व पुरुषों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार एवं सामुदायिक क्रियाओं में परिवर्तन लाना।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक असमता को मुख्य धारा में शामिल करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के अवरुद्ध हो रहे वाले सभी प्रकार के हिंसा और भेदभाव का अन्त।
- नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित करना।

किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना – SABLA

[Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls – (RGSEAG)- SABLA]

- केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है जिसे 2010 में प्रायोगिक तौर पर देश के 200 जिलों में शुरू किया गया। यह योजना ICGS प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिह्नित उन सभी 200 जिलों में 11 से 18 वर्ष तक की उन सभी किशोर बालिकाओं पर केंद्रित है जो विद्यालय नहीं जा पातीं।
- योजना के मुख्यतः दो घटक हैं- पोषण और गैर-पोषण। पोषण घटक के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली लड़कियों को घर ले जा सकने वाले रेशन या गर्म पके भोजन के रूप में पोषण दिया जाता है और 14-18 आयु वर्ग की सभी लड़कियों (विद्यालय न जाने वाली एवं विद्यालय जाने वाली) को भी इसी रूप में दिया जाता है। गैर-पोषण घटक के अंतर्गत 11-18 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को आयरन फॉलिक एसिड का पूरक देना, स्वास्थ्य जाँच सुविधा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श/दिशा-निर्देश, किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य (ARSH), बाल देखभाल क्रियायें, जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।
- योजना के तहत 16-18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की ओर मोड़ना है। सबला (SABLA) योजना को लागू करने के लिए गाँव के आँगनवाड़ी केंद्र को केंद्र बिंदु बनाया गया है।

- पोषण प्रावधान के अतिरिक्त, योजना के सभी प्रावधान केंद्र की 100% वित्तीय मदद के द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू किये जाते हैं, जबकि पोषण प्रावधान के लिए 50% केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है। योजना के तहत लगभग 100 लाख किशोरियों को प्रतिवर्ष लाभ मिलने की संभावना है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) सशर्त मातृत्व लाभ (CMB) योजना

(Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) –

Conditional Maternity Benefit (CMB) Scheme)

2010-11 में भारत सरकार द्वारा एक नई योजना गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 52 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है, जिसमें 19 वर्ष या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को विशिष्ट मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य दशाओं की पूर्ति हेतु, उनके द्वारा प्रथम दो जीवित बच्चों को जन्म देने के लिए गर्भवस्था की दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के 6 महीने का हो जाने की अवधि के दौरान 3 किस्तों में 4000 रुपये की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। गर्भवस्था के अंतिम दिनों में तथा प्रसव के तुरंत बाद तक की अवधि में आर्थिक बाध्यताओं के चलते महिलाओं को कार्य न करना पड़े, इसलिए इस दौरान काम न करने के कारण होने वाली वेतन क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए योजना में मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है।

योजना के उद्देश्य हैं (The objectives of the scheme are)

- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हेतु-
- गर्भवस्था, सुरक्षित प्रसव व स्तनपान कराने के दौरान उचित क्रिया-कलापों, देखभाल व सेवा उपयोगिता को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को सर्वोत्कृष्ट क्रियाय-अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जिसमें 6 माह तक केवल स्तनपान करना शामिल है।
- गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व पोषण हेतु नकद प्रोत्साहन राशि देकर सुविधाजनक वातावरण बनाना।
- योजना के तहत 19 वर्ष या उससे अधिक की ऐसी महिलाएं जो पहले जीवित बच्चे को जन्म दे चुकी हों, इसका लाभ उठा सकती हैं। लेकिन केंद्र व राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें इसके लिए सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जाता है।
- आंगनवाड़ी कर्मचारियों (AVW) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः ₹200 और ₹100 दिये जाते हैं।

योजना के लाभ (Benefits of this Scheme)

- गर्भवस्था और प्रसव के दौरान देखभाल
- प्रसवपूर्व देखभाल
- शिशु देखभाल (टीकाकरण, विकास निगरानी)
- गर्भवस्था की रीति-रिवाजों और पंजीकरण
- संस्थागत प्रसव
- शिशु और छोटे बच्चों को स्तनपान (IYCF)

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम हेतु सहयोग

[Support to Training and Employment Programme for Women (STEP)]

स्टेप योजना, 1986-87 में केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। योजना मुख्य रूप से, महिलाओं को स्वयंसमर्थ (Viable) समूहों में संगठित करके संपोषणीय आधार पर उनके कौशल विकास, बाजार संपर्क तथा उनके द्वारा सहायक सेवाओं एवं बैंक द्वारा ऋण प्राप्ति (Credit) पर केंद्रित है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- महिलाओं को छोटे स्वयंसमर्थ समूहों में संगठित करना तथा प्रशिक्षण, बैंक ऋण एवं अन्य आगम (Input) संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना।
- महिला समूहों को सक्षम बनना ताकि वे अपने आप रोजगार-सह-आय उत्पादक कार्यक्रमों या फिर वैतनिक रोजगार तक अपनी पहुँच बना सकें।
- महिलाओं की रोजगार दशाओं में सुधार करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना।

योजना के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इस योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार और शेष 10% क्रियान्वयन करने वाली संस्था के द्वारा उठाया जाना है।

धनलक्ष्मी - बालिकाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण (Dhanlakshmi - Conditional Cash Transfer for Girl Child)

ये 3 मार्च, 2008 को प्रारंभ की गई योजना है जिसमें बालिका के परिवार (मुख्यतः माँ को) कुछ शर्तें पूरी करने पर नकद राशि हस्तांतरित की जाती है।

- जन्म और जन्म के पंजीकरण के समय
- टीकाकरण की प्रगति के समय (छमाही हस्तांतरण)
- टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर।
- विद्यालय में नामांकन और विद्यालय आना जारी रखने पर (महिला तथा बाल विकास मंत्रालय, 8वीं तक और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय 9वीं से 12वीं तक नकद राशि देंगे)।
- योजना का स्पष्ट और प्रत्यक्ष उद्देश्य यह है कि बालिका की देखरेख एवं उसकी शिक्षा हेतु परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- बालिका के प्रति परिवार के नजरिए में परिवर्तन लाना। इसके कारण परिवार बालिका को भार (Liability) समझने की जगह परिसम्पत्ति (Assets) समझेगा, क्योंकि उसके बने रहने से परिवार को नकद धनराशि मिलेगी।
- योजना को 7 राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 11 प्रखण्डों में लागू किया गया है।
- योजना के तहत बालिका को जन्म के पंजीकरण के समय ₹ 5000, विद्यालय में नामांकन के समय ₹ 1000 तथा उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए ₹ 6,250 वित्तीय निधि में प्रदान किया जाता है। ओ.डि.स. तरह लाभार्थी को कुल ₹ 13,500 की धनराशि और साथ में एक बीमा भी प्रदान किया जाता है।

उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme)

हाल के वर्ष में नेपालादेश और नेपाल को सीमा से महिलाओं और छोटे बच्चों को अवैध तस्करी बढ़ी है। तस्करी का मुद्दा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उठाया गया था और दिसंबर, 2007 को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) "उज्ज्वला" प्रारंभ की गई थी। योजना के 5 ध्येय हैं:

- रोकथाम: सामुदायिक जागरूकता समूहों, आधुनिकीय समूहों, निरीक्षण पुलिस और सामुदायिक नेताओं में सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री और कार्यशालाओं द्वारा जागरूकता और सचेतता बढ़ाना।
- बचाव: शोषण स्थलों से पीड़ितों को सुरक्षित निकालना।
- पुनर्वास: पीड़ितों के लिए सुरक्षित निवास, जहाँ आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सकीय देखभाल, विधिक सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और साथ-साथ उद्भावक मातृविधियों की आपूर्ति की जाती है।
- पुनः एकीकरण: पीड़ित का परिवार/समुदाय (केवल तभी जब वो चाहे) में पुनः एकीकरण करना और इसमें आने वाली लागत का भुगतान करना।
- स्वदेश भेजना: सीमा-पारीय पीड़ित को सुरक्षित स्वदेश लौटने में मदद करना।

स्वाधार स्कीम (Swadhar Scheme)

स्वाधार योजना को 2001-02 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया था ताकि विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं जैसे- परित्यक्त विधवायें, काशी और वृंदावन में रहने वाली परिवार से त्याग दी गयी स्त्रियाँ, जेल से छोड़ी गई महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित बची महिलायें जिनके पास न तो रहने के लिए घर है, और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, तस्करी द्वारा लाई गई या वेश्यालयों से भागी महिलायें, आतंकवादी हिंसा की पीड़ित स्त्रियाँ जिनके पास पारिवारिक मदद और आर्थिक साधन नहीं हैं, मानसिक रोगी स्त्रियाँ जिनके परिवार/रिश्तेदार नहीं हैं और HIV/AIDS पीड़ित महिलायें जिनके पास सामाजिक/आर्थिक सहयोग न हो इत्यादि को संपूर्ण व एकीकृत मदद उपलब्ध करायी जा सके।

योजना को सामाजिक कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला विकास निगम, शहरी स्थानीय निकायों, मान्यता प्राप्त निजी/सरकारी न्यासों या स्वैच्छिक संगठनों आदि के द्वारा लागू किया जाता है, ऐसा तभी हो सकता है जब उपरोक्त संस्थाओं को ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक अनुभव हो।

मध्य गंगा मैदानों में महिला सशक्तीकरण और आजीविका कार्यक्रम (प्रियदर्शनी योजना) [Women Empowerment and Livelihood Programme in Mid-Gangetic Plains (Priyadarshni Scheme)]

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और बेहतर आजीविका अवसरों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों के संकटग्रस्त समूहों का किसी परियोजना क्षेत्र में समग्र सशक्तीकरण (आर्थिक व सामाजिक) सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 1,00,000 से अधिक परिवार आयेंगे और 2016-17 यानी योजना के अंत तक 7200 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। हालाँकि प्रोजेक्ट का मुख्य बल आजीविका में सुधार पर है लेकिन साथ ही साथ लाभार्थियों का उनके राजनीतिक, कानूनी व स्वास्थ्य मामलों में क्षमता निर्माण द्वारा सशक्तीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को इसे लागू करने के क्रम में शीर्ष संस्था बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर में और बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी के कुल 13 प्रखण्डों में पायलट प्राजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की गई है।

स्वयंसिद्धा योजना (Swayamsiddha Scheme)

स्वयंसिद्धा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक मलैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं का संपूर्ण सशक्तीकरण करना है। यह योजना पूर्व की इंदिरा महिला योजना (IMY) से उद्भूत हुई है।

स्वयंसिद्धा भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को एक ऐसी योजना है जिससे महिलायें आत्म-निर्भरता एवं आत्मसम्मान के साथ रहने में सक्षम होंगी। इसके अलावा योजना बिना किसी प्रादेशिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के सूक्ष्मवित्त पहुँच बढ़ाने और महिलाओं को प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर भागीदारों बढ़ाने पर जोर देता है।

यहाँ 'स्वयं सहायता' एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह कार्यक्रम महिलाओं को उनके स्वयं की मदद करने की प्रेरणा करता है। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी सामाजिक स्तरों पर आवश्यक क्षेत्रों व स्थानों की महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सुनिश्चित तंत्र की मदद से अभिक्रिया के लक्ष्यों को वितरित करता है। कार्यक्रम को महिलाओं के "आर्थिक सशक्तीकरण" के माह के रूप में देखा गया। ऐसा तब हुआ जब "एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम" या "स्वयंसिद्धा" की भी शुरुआत हुई और इसी दौरान महिलाओं को संगठित कर अधिकार गैरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं आयोजित की गई थी।

स्वयंसिद्धा जिसका नाम है इसका उद्देश्य महिलाओं को स्व-निर्भर बनाना है और सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें प्रयाप्त आत्मविश्वास प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूहों पर आधारित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के बेहतर स्वरूप के साथ स्वयंसिद्धा नामक योजना फरवरी 2001 में 650 प्रखण्डों में प्रारम्भ की गई। जिसमें 55 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के 238 इंदिरा आवास योजना ब्लॉक भी शामिल थे। अधिकांश राज्यों में यह योजना ODS के तहत अन्य योजनाओं को जाता है। जबकि अधिकांश राज्यों में अतिरिक्त मानवशक्ति व निगरानी की भी व्यवस्था नहीं है। राज्य मशीनरी को उनके द्वारा किया जाने वाला अतिरिक्त कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त वेतन/धनराशि नहीं मिलती है।

कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल (Working Womens's Hostel)

महिलाओं को रोजगार बाजार में आवागमन की अच्छी सुविधा देने और अपने गृहनगरों से दूर रहने वाली कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास देने के लिए भारत सरकार, केंद्रीय योजना के रूप में 1972-73 से कार्यरत महिला हॉस्टल (Working Women Hostel) योजना चला रही है। योजना के अधीन वित्तीय घटक इस प्रकार हैं-

- सार्वजनिक भूमि पर बने हॉस्टल भवन के निर्माण की कीमत का 75% वहन करना।
- किसी किराये की जगह पर चल रहे हॉस्टल को वित्तीय सहायता देना।
- किसी सार्वजनिक भूमि पर किसी कॉरपोरेट हाउस द्वारा बनाये जा रहे हॉस्टल पर 50% अनुदान देना।

अल्प निवास गृह (Short Stay Homes)

1969 में प्रारंभ, अल्प निवास गृह योजना का उद्देश्य उन महिलाओं व लड़कियों को स्वीच्छक संगठनों की मदद से निवास, रखरखाव और पुनर्वास सुविधायें उपलब्ध कराना है जो किसी अपराध के कारण हुए पारिवारिक मतभेद के परिणामस्वरूप गृह विहीन या घर से त्याग दी जाती हैं। योजना के अधीन यह प्रावधान है कि जिन बालिकाओं का जन्म इन गृहों में हुआ है वे सात वर्ष तक

यहाँ रह सकती हैं, इसके बाद उन्हें बाल गृहों/संस्थाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है (जैसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड)। 12वीं योजना में स्वाधार और अल्प निवास गृहों का आपस में विलय करके "स्वाधार गृह" निर्मित किये गये हैं।

स्वाधार गृह - विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं हेतु योजना (Swadhar Greh - A Scheme for Women in Difficult Circumstances)

परिचय (Introduction)

महिलाओं को शोषण से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए और उनके अस्तित्व एवं पुनर्वास में सहयोग देने के लिए, 1969 में समाज कल्याण मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्प निवास गृह योजना प्रारंभ की। ऐसे ही उद्देश्यों से परंतु पृथक नाम, "स्वाधार" के साथ 2001-02 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की। योजना निवास, भोजन, प्रशिक्षण, चिकित्सकीय और कानूनी मदद आदि प्रावधानों के द्वारा विषम स्थिति में महिलाओं का पुनर्वास कार्य करती है।

बाजार अनुसंधान और सामाजिक विकास केंद्र, नई दिल्ली ने 2007 में एक मूल्यांकन किया और यह सुझाव दिया कि बेहतर परिणामों और कार्यों के लिए इन दोनों योजनाओं का विलय किया जाना चाहिए।

उद्देश्य (Objective)

विषम परिस्थितियों की पीड़ित महिलाओं के लिए एक सहयोग आधारित संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना योजना का उद्देश्य है ताकि महिला अपना जीवन आत्मसम्मान एवं दृढ़ विश्वास के साथ जी सके। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसी महिलाओं के लिए आवास, भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा आदि सुनिश्चित किया जा सके। इस बात पर भी बल दिया गया है कि इन महिलाओं की विशेष जरूरतों की पूर्ति की जाये और किसी भी दशा में इनका परित्याग न किया जाये ताकि इन्हें शोषण से बचाया जा सके।

योजना के तहत प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित होंगे जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- आर्थिक व सामाजिक रूप से पीड़ित महिलाओं को सबसे पहले आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे निवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएँ और देखभाल आदि प्रदान करना।
- विषम/दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण महिलाओं की दमित भावनात्मक शक्ति को वापस लाना।
- परिवार/समाज में इनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश व कानूनी सहायता प्रदान करना।
- आर्थिक व भावनात्मक रूप से पुनर्वास करना।
- एक ऐसे सहयोगी तंत्र के रूप में काम करना जो पीड़ित महिलाओं को जीवन में बदलाव को समझता हो।

लाभार्थी (Beneficiaries)

निम्नलिखित वर्गों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएँ इसके अंतर्गत शामिल हैं-

- जो महिलाएँ बिना परिवारिक सहयोग के हैं और परित्यक्त हैं।
- किसी प्राकृतिक आपदा की जीवित विधवाएँ जो बिना आवास एवं बिना सामाजिक आर्थिक सहयोग के हैं।
- HIV/AIDS पीड़ित महिलाएँ
- जेल से छूटी महिला 'कैदी', जिनके पास आर्थिक एवं पारिवारिक सहयोग नहीं है।
- घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह आदि की शिकार महिलाओं को उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे में इनके पास कोई सहारा नहीं होता और शोषण अथवा वैवाहिक मतभेदों से निपटने का कोई जरिया भी नहीं होता।
- तस्करी द्वारा लायी गई/ वैश्यालयों से भागी महिलाएँ या ऐसा स्थान जहाँ महिलाओं का शोषण होता हो। बहरहाल ऐसी महिलाओं/लड़कियों को उज्ज्वला योजना (जहाँ कार्यरत हैं) के तहत मदद मिलनी चाहिए।

55 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 5 वर्ष के लिए आवास मिल सकता है, इसके पश्चात इन्हें वृद्धाश्रमों में या ऐसी अन्य संस्था में भेज दिया जाता है।

इस योजना को लागू करने वाली संस्था (Implementing Agencies of this Scheme)

योजना के तहत निम्न में से किसी संगठन को भी सहायता मिल सकती है-

- राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य सरकारी संस्थान जिनमें महिला विकास निगम भी शामिल हैं

- शहरी नगरपालिका निकाय
- छावनी बोर्ड
- पंचायती राज्य और सहकारी संस्थाएँ

12वीं पंचवर्षीय योजना से स्वाधार गृह चलाने की 25% कीमत (उत्तर पूर्व में 10%) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जायेगी। प्रत्येक जिले में स्वाधार गृहों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए जिला महिला कल्याण समिति गठित की जायेगी।

लिंग आधारित बजट पहलें (Gender Budgeting Initiatives)

विकास के लाभ पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं तक पहुँचाने के लिए लिंग आधारित बजट एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। यह कोई लेखा कार्य/हिसाब नहीं है अपितु नीति निर्माण, क्रियान्वयन व पुनर्बलोकन करने में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने वाली सतत प्रक्रिया है। भारत में लिंग आधारित बजट को संस्थागत बनाने के लिए 2005 में वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों/मंत्रालयों में लैंगिक बजट सेल बनाने का आदेश दिया। मंत्रालयों की संख्या, जो लैंगिक बजट को अपनी योजनाओं का आधार बना रहे थे; 2005-06 में 9 से बढ़कर 2012-13 में 29 हो गई। इसी अवधि के दौरान लैंगिक बजट वक्तव्य में प्रक्षेपित कुल लैंगिक बजट परिणाम भी 2.79% से बढ़कर 5.91% हो गया।

महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Empowerment of Women)

8 मार्च, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषित राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के उद्देश्य को और बढ़ने के लिए निम्नलिखित रणनीति के तहत उठाये गये कदमों का परिणाम है।

NMEW विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में व्याप्त संस्थागत व संरचनात्मक विभेद को समाप्त करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण पर बल देता है। मिशन महत्वपूर्ण मुद्दों जो भारतीय महिलाओं को प्रभावित करते हैं, पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे शिक्षा, गरीबी-निवारण, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण आदि और नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थाओं में लैंगिक आधार को मुख्यधारा से जोड़ता है। मिशन निदेशालय और महिलाओं हेतु राष्ट्रीय संसाधन केंद्र खोलें गए हैं जिनका उद्देश्य महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के तरीकों पर काम करना है।

The Vision

केंद्र व राज्य द्वारा समाज के असुरक्षित तबकों के लिए कल्याण योजनाएँ (Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the Population by the Centre and State)

बालक

राष्ट्रीय बाल नीति (National Policy for Children)

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 में बालकों को राष्ट्र की "सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति" घोषित करते हुए भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता संबंधी अंतराष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन करके बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अपनी वचनबद्धता को एकबार फिर दोहराया। राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मानव संसाधनों के विकास के लिए बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नीतियों में उचित स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर मजबूत नागरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से दृढ़, नैतिक, कुशल और समाज में सम्मानित बनें। इस नीति ने इस बात पर भी बल दिया कि सभी बच्चों की विकास की समानता अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।

9 फरवरी, 2004 को अपनाया गया बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर, 2003 ने रेखांकित किया कि प्रत्येक बच्चे को एक स्वस्थ और खुशलहाल बचपन पाने का अधिकार है। साथ ही इस नीति ने बच्चों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को अवरोध करने वाले ऋणात्मक कारकों को भी संबोधित किया।

भारत सरकार ने अपने अधिकार आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखे हुए बच्चों की वर्तमान समस्याओं और नीतियों के अनुरूप राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के प्रस्ताव को अपनाया।

इस नीति के निर्देशक सिद्धांत (Guiding Principles of this Policy)

- प्रत्येक बच्चे को सार्वभौमिक, न छीने जा सकने वाले और अविभाज्य प्रांतव अधिकार मिले हैं।
- बच्चों के अधिकार अंतर्संबंधित और परस्परनिर्भर होते हैं तथा बच्चों की गरिमा और कल्याण के लिए इनमें से प्रत्येक समान रूप से आवश्यक एवं मौलिक हैं।
- प्रत्येक बच्चे को जीवन, अस्तित्व, विकास, सुरक्षा, सुरक्षा और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
- जीवन उत्तरजीविता और विकास का अधिकार बच्चे के शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें पहचान एवं राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है।
- बच्चे का मानसिक, भावनात्मक, ज्ञान संबंधी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास समग्रता में संबोधित होना चाहिए।
- सभी बच्चों के अधिकार समान हैं और किसी बच्चे के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ग, भाषा, अक्षमता, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- बच्चों के कल्याण के लिए उनकी सुरक्षा, अनिवार्य है और बच्चों की सभी प्रकार के नुकसान, दुर्व्यवहार, हिंसा, उपेक्षा और शोषण से रक्षा होनी चाहिए, और इनमें देखभाल करने वाली संस्थाएँ, विद्यालय, अस्पताल, शिशु सदन, परिवार और समुदाय शामिल हैं।

नीति के प्रमुख बिंदु (Salient Features of this Policy)

राज्य निम्नलिखित के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करेगा-

- पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल के साथ देखरेख आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से बाल मृत्यु के मुख्य कारकों एवं निर्धारकों के संबंध में।
- नवजात शिशुओं एवं बाल्यावस्था संबंधी बीमारियों के संबंध में रोकथाम, उपचार, देखरेख एवं प्रबंधन के लिए सार्वभौमिक एवं वृहदनीय लागत पर सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना और बालकों की सभी जल जनित, वेक्टर जनित, रक्त जनित, संक्रामक एवं अन्य बाल्यावस्था संबंधी बीमारियों से रक्षा करना।

- जन्म-पूर्व, नवजात और जन्म पश्चात स्वास्थ्य की समय-समय पर जाँच द्वारा मानसिक और शारीरिक दोनों अक्षमताओं का बचाव। माता व शिशु के पोषण की देखभाल तथा अक्षमताओं की शीघ्र जाँच, उपचार व प्रबंधन हेतु सेवायें।
- जन्म के समय HIV संक्रमण से बचाव और यह सुनिश्चित करना कि संक्रमित बच्चों को चिकित्सकीय सुविधा, पर्याप्त पोषण और देखभाल मिले तथा उन्हें इनके अधिकारों तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े।
- यह सुनिश्चित करना कि 6-14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल जाएँ और संविधान में लिखित शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त करें।
- यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय न जाने वाले सभी बच्चे जैसे बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चे, तस्करी द्वारा लाये गये बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, गली के बच्चे, मद्यपान और दुर्व्यवहार के पीड़ित बच्चे, नागरिक विद्रोह वाले क्षेत्रों के बच्चे, अनाथ, अक्षम बच्चे, लंबी बीमारी से ग्रसित बच्चे और कैदियों के बच्चे इत्यादि सभी खोजे जायें, बचाये जायें और पुनर्वासित किये जायें तथा शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करें।
- नियमित विद्यालयों में ही विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सेवायें उपलब्ध कराना और ये भी सुनिश्चित करना कि ये सेवायें विशिष्ट हों और प्रशिक्षित शिक्षक और विशेष अध्यापक हों।
- माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के अधिकारों को स्थायी या अस्थायी रूप में सुनिश्चित करना। यह राज्य का दायित्व होगा कि वह पारिवारिक व सामुदायिक देखभाल की व्यवस्था करेगा जिसमें बच्चे की जिम्मेदारी लेना, अपनाना, गोद लेना और पालन-पोषण भी शामिल होगा।
- राज्य बाल सुलभ विधिशास्त्र को बढ़ावा देगा, प्रगतिशील विधायन लागू करेगा एक सुरक्षात्मक और उत्तरदायित्व पूर्ण बाल सुरक्षा तंत्र का विकास करेगा।
- इस नीति को लागू करने व इस पर निगरान रखने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय, नोडल एजेंसी/संस्था होगा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अधीन एक राष्ट्रीय सहभागिता एवं कार्य समूह बनाया जाएगा जो बच्चों के मामलों में हुई प्रगति की संबंधित मंत्रालयों व उनके सदस्यों के साथ मिलकर निगरानी करेगा।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सलाह करके बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनायेगा। राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर भी ऐसी ही योजनाएँ बनायी जायेंगी ताकि इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई जा सके।
- बाल अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकारों की सुरक्षा पर राज्य आयोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस नीति के सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों के बच्चों से संबंधित नीति-निर्माण के सभी स्तरों पर सम्मान प्राप्त हो।
- सभी भागीदारों (जिसमें बच्चे भी शामिल हैं) के साथ मिलकर इस नीति को हर 5 सालों में मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन प्रक्रिया का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा।

राष्ट्रीय प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा नीति (संशोधन)

[National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy (Draft)]

परिचय (Introduction)

प्रारंभिक शैशवावस्था से तात्पर्य जीवन के शुरुआती 6 वर्षों से है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समयावधि माना जाता है, क्योंकि विकास की दर बहुत अधिक होती है और संपूर्ण जीवन के विकास व सीखने की क्षमता हेतु आधार का निर्माण होता है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क का विकास उस पथ का निर्माण करता है जिससे संपूर्ण जीवन का मानसिक व शारीरिक विकास तथा सीखने और व्यवहार की क्षमता प्रभावित होती है।

चूँकि भारत में 0 से 6 आयु वर्ग के 158.7 मिलियन बच्चे हैं। प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा जीवन पर्यन्त सीखने तथा विकास का आधार है और शिक्षा के प्रारंभिक स्तर की सफलता पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि ECCE पर ध्यान दिया जाये और इसके अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराकर पर्याप्त निवेश किया जाये।

भारत सरकार प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) के महत्त्व को समझती है, जिसे संवैधानिक प्रावधान के तौर पर संशोधित अनुच्छेद 45, जिसे संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है; इसके अनुसार "राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे छः वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।"

प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) को बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (1974) में भी महत्त्व मिला है, फलस्वरूप 1975 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवाओं को इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया कि बच्चे के संपूर्ण व एकीकृत विकास की नींव रखी जाये और देखभाल करने वालों में क्षमता निर्माण किया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

(1986), प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) को मानव विकास के लिए आवश्यक मानती है। राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) ने भी प्रारम्भिक शैशवावस्था में बच्चे की देखरेख व पोषण की बात स्वीकारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2005) भी प्रारम्भिक शैशवावस्था में सहयोगी नीतिगत पहल के रूप में रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना ने शुरुआती बचपन में देखभाल व शिक्षा के महत्व को स्वीकारा है और माना है कि यह अवस्था बच्चे के जीवन पर्यन्त विकास का आधार है। योजना ये निर्देश भी देती है कि "3-6 वर्ष के सभी बच्चों को कम से कम एक वर्ष की विद्यालय पूर्व शिक्षा मिलनी चाहिए।" 11वीं योजना में, ICDS कार्यक्रम सार्वभौमिक रूप से 14 लाख निवास स्थानों पर लागू कर दिया गया।

प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) संबंधी सेवाएँ निजी, सार्वजनिक और गैर-सरकारी माध्यमों द्वारा प्रदान की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में ICDS विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) को लागू करती है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने वाले कार्यक्रम जैसे सर्व शिक्षा अभियान और प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) ने भी देश के कुछ जिलों में प्राथमिक विद्यालयों को इससे सम्बद्ध करके प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और शिक्षा (ECCE) केंद्र स्थापित करने में सहयोग दिया है। इसके साथ-साथ कार्यरत माताओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना, 6 वर्ष से कम के बच्चों को देखभाल व शिक्षा प्रदान करती है।

नीति के प्रमुख बिंदु (Salient Features of the Policy)

- इस नीति के प्रमुख उद्देश्य ECCE में सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता के साथ-साथ मजबूत करने की क्षमता बढ़ाना है।
- नीति का दृष्टिकोण 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का शारीरिक विकास और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए समान और प्रासंगिक अवसर प्रदान किये जायेंगे। यह व्यवस्था को सही की जाती है। देखरेख व शिक्षा से केंद्र आधारित ECCE में सफल व सरल परिवर्तन पर जोर देती है। इसके पर्याप्त देश भर में उचित तंत्र प्रक्रिया और प्रावधानों द्वारा उचित वातावरण बनाकर स्कूली शिक्षा का भावधान करती है।
- बच्चों के कल्याण व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल सहयोगी व्यवस्था, अवसरचना और सेवाओं का विकास।
- सभी बच्चों को समावेशन हेतु अनुकूल स्थिति अपनाना।
- ECCE प्रावधानों के लिए गुणात्मक मानक और पाठ्यक्रम तैयार निर्धारित करना।
- ECCE के महत्व के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना और परिवार एवं समुदाय में मजबूत सहयोग बनाना ताकि संस्थागत एवं कार्यक्रम के स्तर पर जोर तकनीक के द्वारा छोटे बच्चों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ायी जायें।
- ICDS आगंतुवादी केंद्र (AWC) को "जोशपूर्ण बाल सुलभ ECD केंद्र" के रूप में पुनः स्थापित किया गया है जिसमें पर्याप्त संसाधन और अवसरवादी होगी ताकि बच्चों से संबंधित परिणामों में ECCE सातत्य बनाया जा सकें।
- ECCE कार्यक्रमों में बच्चों की मातृभाषा या प्रथम भाषा समकालीन मातृभाषा भाषा होगी।
- NIPCD क्षेत्रीय केंद्रों में कल्याण चलायन के आदेश के साथ बाल विकास संसाधन गृह स्थापित किये जायेंगे।
- ECCE कार्यक्रमों और सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए विद्यालय बाल विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय होगा, जिसमें इसके राज्य स्तरीय संबंधित विभाग भी शामिल होंगे।
- बहु-क्षेत्रीय और अंतर-एजेंसी सहयोग को बनाये रखने के लिए, सलाहकारों एवं न्यायविदों को सदस्य के रूप में लेकर, ICDS मिशन के अधीन पहले एक समिति बनायी जायेगी, बाद में एक राष्ट्रीय ECCE परिषद का गठन किया जायेगा।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन और ECCE कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ और पंचायतों को शक्ति प्रदान की जायेगी। समुदाय आधारित संगठन जैसे ग्राम शिक्षा समितियाँ, मातायें (अभिभावक) समितियाँ, ग्राम संसाधन समूह और पंचायती राज संस्थाओं आदि को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जायेगा।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर (National Charter for Children)

भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को 9 फरवरी, 2004 को राजपत्र में अधिसूचित घोषणा के अनुसार अपनाया था। राष्ट्रीय चार्टर सरकार का बच्चों के लिए एजेंडे का दस्तावेज है। यह दस्तावेज भारत सरकार की बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देता है जिसमें बच्चों को अस्तित्व का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीवन स्तर, खेलने एवं आराम करने, प्रारम्भिक शैशवावस्था में देखरेख, शिक्षा, बालिका शिशु की सुरक्षा, किशोर सशक्तीकरण, जीवन व स्वतंत्रता में समानता, नाम व राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने व शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, परिवार का अधिकार तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार व शोषण से बचने का अधिकार शामिल होगा। साथ ही यह विषय परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, अक्षमताओं से ग्रसित बच्चों, वंचित व अलाभकारी समूहों के बच्चों और पीड़ित बच्चों को भी संरक्षण प्रदान करता है।

कार्यरत माताओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन योजना

(Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers)

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना 0-6 वर्ष के उन कामकाजी माताओं को बच्चों को दैनिक देखरेख सुविधा प्रदान करती है जिनकी मासिक आय ₹ 12,000 से कम है। यह योजना बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान के साथ-साथ, शिशु सदन पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा और आपात स्वास्थ्य सेवाओं आदि का भी प्रावधान करती है। यह योजना वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) द्वारा लागू की जा रही है।

वर्तमान में एक शिशु सदन का एक वर्ष का व्यय ₹ 42,384 है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ₹ 20 प्रतिमाह गैर-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ₹ 60 प्रतिमाह है। 11वीं योजना में इस योजना के लिए ₹ 550 करोड़ के व्यय का प्रावधान था।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Plan of Action for Children, 2005)

परिचय (Introduction)

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 मुख्य रूप से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को उनके सभी अधिकार देने का प्रावधान करती है। सरकार को बच्चों के अस्तित्व, वृद्धि, विकास एवं संरक्षण के लिए सभी प्रावधान तथा सक्षम वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमता पहचानने की शक्ति हो और वह स्वस्थ और उत्पादक नागरिक के रूप में बड़ा हो। इसीलिए सभी सरकारी स्तरों पर तथा सभी क्षेत्रों के सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ परिवारों, समुदायों, स्वैच्छिक क्षेत्रक, नागरिक समाज और स्वयं बच्चों के सहयोग की भी आवश्यकता है।

पूरे देश में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 राष्ट्रीय प्रावधानों और राज्य/क्षेत्रीय कार्य योजना के अनुसार लागू की जायेगी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 निम्न 4 क्षेत्रों में बांटी गई है और अधिकारों के सभी आयु वर्गों के समूहों पर लागू की गई है, जिनमें शामिल हैं:

- बाल अस्तित्व
- बाल संरक्षण

- बाल विकास
- बाल भागीदारी

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 के निर्देशक सिद्धांत

(The guiding principles of the National Plan of Action for Children, 2005 are)

- बच्चों को एक परिसमर्पित समान अधिकार से युक्त व्यक्ति की भांति संबोधित करना।
- समानता सुनिश्चित करने के लिए लिंग, जाति, धर्म और कानूनी स्तर पर विभेद की मुद्दों को संबोधित करना।
- सभी नीतियों और कार्यक्रमों में सर्वाधिक पीड़ित, अत्यंत निधन और बहुद कम सहायता प्राप्त बच्चों को सबसे अधिक प्राथमिकता देना।
- बचपन के विविध स्तरों को पहचानना और सभी जरूरतों को पूरा करना, जो उनके अधिकारों को सभी परिस्थितियों में पूरा करें।

योजना ने प्राथमिकताओं और चुनौतियों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए 12 प्रमुख बिंदुओं की पहचान की है, जिन पर पहुँच के मामले में तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा संसाधन आवंटन के मामले में सर्वाधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि बच्चों के लिए आवश्यक लक्ष्यों और जरूरतों को निम्नलिखित स्तरों पर पूरा किया जा सके-

- शिशु मृत्यु दर को घटाना
- मातृत्व मृत्यु दर को घटाना
- बच्चों में कुपोषण को घटाना
- जन्म का 100% पंजीकरण प्राप्त करना
- प्रारंभिक बचपन में देखरेख और विकास का सार्वभौमीकरण तथा सभी बच्चों की गुणात्मक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना (जिसमें विद्यालयों तक 100% पहुँच भी शामिल है)।
- बाल विवाह, बालिका शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की पूर्ण समाप्ति तथा बालिका के अस्तित्व, विकास और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल व स्वच्छता की उपलब्धता को बेहतर बनाना।
- विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के अधिकारों को संबोधित करना।

- सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से पीड़ित बच्चों के कानूनी व सामाजिक अधिकार सुनिश्चित करना।
- बाल श्रम की पूर्ण समाप्ति जिसमें बच्चों के सभी प्रकार के शोषण का समापन शामिल है।
- बच्चों के हित और अधिकारों से जुड़े कानूनों और कार्यक्रमों की निगरानी, पुनर्विलोकन और उनमें सुधार करना।
- बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों और निर्णयों में बच्चों की भागीदारी और चुनाव को महत्त्व देना

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS)

(Integrated Child Development Service (ICDS) Scheme)

2 अक्टूबर, 1975 को प्रारंभ हुई यह योजना, आज प्रारंभिक शैशवावस्था में विकास से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी और विशिष्ट योजना है। ICDS, बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सर्वप्रमुख सूचक है, साथ ही एक तरफ यह योजना विद्यालय पूर्व शिक्षा तक बच्चों की पहुँच की भारत की चुनौती का जवाब है तो दूसरी तरफ कुपोषण, अस्वस्थता, घटती सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के प्रति भारत का जवाब है।

ICDS योजना के उद्देश्य (Objective of the ICDS Scheme)

ICDS, योजना 1975 में निम्न उद्देश्यों के साथ लागू की गई थी-

- 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषणीय और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना
- बच्चे के बेहतर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार सुनिश्चित करना
- मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने की संख्या में गिरावट लाना
- बाल विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में प्रभावी सहयोग प्राप्त करना
- माता को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि माता की क्षमता में वृद्धि हो और वह बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की जरूरतें पूरी कर सके।

ICDS योजना के अधीन दी जाने वाले सेवाएँ (Services Provided Under ICDS Scheme)

उपरोक्त उद्देश्यों की निम्न सेवाओं की मदद से प्राप्त किया जा सकता है-

- पूरक पोषण
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जाँच
- संदर्भित सेवाएँ
- विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

सेवाएँ	लक्षित समूह	सेवा प्रदाता
पूरक पोषण	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता और ऑगनवाड़ी सहायक
टीकाकरण*	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ	ANM/MO
स्वास्थ्य जाँच*	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ	ANM/MO/AWW*
संदर्भित सेवाएँ	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ	AWW/ANM/MO
विद्यालय पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष के बच्चे	AWW
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएँ (15-45 वर्ष)	AWW/ANM/MO

*AWW, ANM के लक्षित समूहों की पहचान करने में मदद करता है

#ANM (Auxiliary Nurse Midwife), MO (मेडिकल ऑफिसर/चिकित्सा अधिकारी), AWW (ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता)

छः में से तीन सेवाएँ- टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और संदर्भित सेवाएँ लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

पोषण जिसमें पूरक पोषण भी शामिल है (Nutrition Including Supplementary Nutrition)

इसमें पूरक स्तनपान, वृद्धि की निगरानी, विटामिन A की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से सुरक्षा और पोषणीय रक्ताल्पता का नियंत्रण शामिल है। समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पता चल सके और उनको साल के 300 दिन पूरक पोषक तत्व मिल सकें।

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन माह में एक बार और 3-6 वर्ष के बच्चों का वजन तिमाही में नियमित रूप से मापा जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के 'आयु के लिए वजन' कार्ड बनाये जाते हैं। इसमें वृद्धि में आ रहे अवरोधों की पहचान होती है और पोषण स्तर जानने में मदद मिलती है।

टीकाकरण (Immunization)

गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का टीकाकरण बाद में वैक्सीन के द्वारा ठीक होने वाली 6 बीमारियों- पोलियो, डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, क्षयरोग और खसरे से बच्चों की रक्षा करता है। ये सभी शिशुओं की मृत्युदर, अक्षमता, अस्वस्थता और संबंधित कुपोषण के प्रमुख कारण हैं अतः इन्हें रोका जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में टिटनेस का टीकाकरण मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी लाता है।

स्वास्थ्य जाँच (Health Check-ups)

इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य देखरेख, गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखरेख एवं प्रसवोपरांत माताओं की नर्सिंग होम संबंधी देखरेख शामिल है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ हैं- नियमित स्वास्थ्य जाँच, वजन की जाँच, टीकाकरण, कुपोषण का प्रबंधन, अतिरिक्त उपचार, सामान्य दवाओं का वितरण आदि।

संदर्भित सेवाएँ (Referral Services)

स्वास्थ्य जाँच और वृद्धि की निगरानी के दौरान गंभीर या कुपोषित बच्चे जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या इसके उपकेंद्र भेज दिया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता छोटे बच्चों में अक्षमता का जाँच करने में भी सक्षम होती है। वे ऐसे सभी मामलों का विशेष रजिस्टर में लिखती हैं और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र के चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) को भेज देती हैं।

विद्यालय पूर्व अनीपचारिक शिक्षा (PSE) (Non-formal Pre-School Education (PSE))

ICDS योजना के घटक के रूप में विद्यालय पूर्व अनीपचारिक शिक्षा (PSE) को इसकी (ICDS योजना की) रीढ़ माना जाता है, क्योंकि इसकी सभी सेवाएँ आँगनवाड़ी केंद्र (सामान्यतः गाँव के किसी विशिष्ट स्थान) से वितरित की जाती हैं। आँगनवाड़ी केंद्र - (गाँव में आँगनवाड़ी केंद्र के रूप में सुनिश्चित कोई स्थान) इन सेवाओं को प्रदान करने वाला प्रमुख मंच है। देश के हर गाँव में ये आँगनवाड़ी केंद्र खोले गये हैं। जैसा कि ICDS में उल्लिखित है PSE का मुख्य बल मुख्य रूप से वंचित तबकों के 6 वर्ष तक के बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने पर है। आँगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राकृतिक, उत्साहपूर्ण और बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक सभी आगमों पर बल दिया गया है।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition and Health Education)

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NMED) आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का मुख्य घटक है। यह व्यवहार परिवर्तन संचार (Behaviour Change Communication - BCC) रणनीति का एक हिस्सा है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य विशेष रूप से 15-45 आयु वर्ग की महिलाओं का क्षमता निर्माण करना है ताकि वे अपने साथ-साथ अपने परिवार एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास का ध्यान रख सकें।

1. वित्त पोषण प्रतिरूप: ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। 2005-06 से पहले पूरक पोषण, जिसे राज्य अपने संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराते थे, के अतिरिक्त अन्य आगमों के लिए 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देती थी। लेकिन संसाधनों की कमी के चलते अनेक राज्य पर्याप्त रूप से पूरक पोषण उपलब्ध नहीं करा रहे थे, अतः 2005-06 में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय आवश्यकताओं का 50% या पूरक पोषण पर राज्य द्वारा किये गये व्यय का 50%, इनमें से जो भी कम हो; केंद्र द्वारा दिया जायेगा।

2. वर्ष 2009-10 से, भारत सरकार ने ICDS योजना के धनराशि आवंटन प्रतिरूप में बदलाव किया है। उत्तरपूर्वी राज्यों के मामले में केंद्र व राज्य के बीच धनराशि बँटवारे का अनुपात 50 : 50 से बदलकर 90 : 10 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों और संघ राज्यों में वर्तमान 50 : 50 प्रतिरूप ही लागू है। बहरहाल, ICDS के अन्य सभी घटकों के लिए यह अनुपात 90 : 10 कर दिया गया है (पहले यह 100% केंद्रीय सहायता के रूप में था)

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS)

[Integrated Child Protection Scheme (ICPS)]

बच्चों के अधिकारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सम्मान देने और बाल हिंसा के प्रति बढ़ती दंड की कमी को देखते हुए, 11वीं योजना ने सुझाव दिया कि बच्चों के संरक्षण के लिए विविध योजनाओं को एक व्यापक बाल संरक्षण कार्यक्रम के अधीन लाया जाना चाहिए। इसलिए 2009 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना लागू की गई, जिसके लिए 11वीं योजना में 1,073 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इस योजना में तीन अन्य योजनाएँ शामिल हैं- बाल न्याय हेतु कार्यक्रम, सड़क बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और बच्चों के लिए सहायता गृह (शिशु गृह) आदि।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना को 2009-10 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा एक पूर्व परिभाषित लागत बँटवारे (Cost Sharing) वित्तीय प्रतिरूप के माध्यम से क्रियान्वित करवा रहा है। योजना के उद्देश्य विषय परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की दशा में सुधार करना, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परिव्यक्त तथा माता-पिता से अलग होने जैसी स्थितियों व ऐसे कारकों में कमी लाने का प्रयास करना आदि है।

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को ICPS संरक्षक, सांविधिक रखरखाव और पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराता है तथा साथ ही कानून प्रक्रिया से जुड़ा रहने वाले बच्चों को बाल न्याय (बच्चों के दुर्व्यवहार और संरक्षण) कानून, 2000 और इसके संशोधन, 2006 द्वारा राहत पहुँचाने का कार्य करता है।

योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है ताकि बाल न्याय कानून के अधीन बाल कल्याण समितियाँ (CWCs) और बाल न्याय बोर्ड (JJBs) जैसे सांविधिक निकाय गठित किए जाएँ।

जम्मू, केरल और अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को लागू करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। योजना, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण संबंधी मुद्दों पर समुदाय जनित भावबोध फैल रहा है। सभी भागीदारों द्वारा इस मुद्दे की उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि सभी बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो सके।

राष्ट्रीय बाल कोष (Rashtriya Bal Kosh) & VISION

राष्ट्रीय बाल कोष का उद्देश्य 9 फरवरी, 2004 को महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय बाल चार्टर के अनुसरण में स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न संवर्धित क्षेत्रों (जिनमें जनजातीय एवं सुदूर क्षेत्र शामिल हैं) में प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों, परेशानियों से पीड़ित बच्चों तथा कैदियों के बच्चों, दंगा पीड़ित बच्चों और तस्करी तथा वैश्यावृत्ति आदि से पीड़ित बच्चों के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं, कॉर्पोरेट तथा अन्य द्वारा धन जुटाना है।

बालिका समृद्धि योजना [Balika Samridhi Yojana (BSY)]

परिचय (Introduction)

बालिका समृद्धि योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार के नियमों, निर्देशों और शर्तों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के उद्देश्य (Objectives of this Yojana are:)

- बालिका व उसकी माता के प्रति नकारात्मक पारिवारिक व सामुदायिक नजरिए में परिवर्तन लाना।
- विद्यालय में बालिकाओं के पंजीकरण और विद्यालय में बालिकाओं को बनाये रखने में सुधार करना।
- आय उत्पादक गतिविधियों में बालिकाओं को सहयोग देना।
- बालिकाओं की विवाह की आयु को बढ़ाना।
- बालिका समृद्धि योजना संपूर्ण भारत के गाँवों और शहरों के सभी जिलों में लागू होगी।

- बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की ऐसी लड़कियाँ शामिल होंगी, जो 15 अगस्त, 1947 या उसके बाद पैदा हुई हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज्जगर योजना, जिसे 1.4.1999 से पूर्व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, द्वारा परिभाषित मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार लक्षित समूह के अंतर्गत आएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में लक्षित समूह वे परिवार होंगे जो शहरी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जो कूड़ा बीनने, सब्जी/मछली बेचने, फूल बेचने आदि का कार्य करते हैं तथा सड़क किनारे निवास करते हैं।

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of this Yojana)

बालिका समृद्धि योजना के तहत पात्र बालिका को निम्न लाभ मिलेंगे-

- जन्मोपरांत ₹ 500 का सहायता अनुदान
- 15-8-1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका जो BSY के अधीन आती है और यदि विद्यालय जाने लगती है तो उसे वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
- जन्मोपरांत दी जाने वाली अनुदान राशि के एक हिस्से अथवा वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि को बालिका के नाम से भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा योजना के प्रीमियम के रूप में दिया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जन्मोपरांत दी जाने वाली अनुदान राशि और वार्षिक छात्रवृत्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी जायेगी।
- ग्राम पंचायत/नगरपालिका (जहाँ चुना गया निकाय उपस्थित है) अपने क्षेत्र में BSY के अधीन लाभार्थियों की पहचान करेंगी।
- ग्राम स्तरीय स्टाफ जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Auxiliary Nurse Midwives: ANM), ग्रामीण कर लेखाधिकारी, विद्यालय के अध्यापक, पंचायत/नगरपालिका स्टाफ का प्रयोग पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें BSY के विषय में बताने, आवेदन फार्म देने, फार्म भरने में मदद करने और भरे फार्म एकत्र करने में किया जाता है।
- पात्र लाभार्थियों की सूची मासिक आधार पर कार्यकारी संस्थाओं को सौंपी जायेगी। निकट की किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में बालिका के नाम की खाता कार्यकारी संस्था द्वारा खोला जायेगा।
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने तथा ग्राम सभा/नगरपालिका द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह अविवाहित है, कार्यकारी संस्था बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस को इस बात के लिए ग्राहकत्व करेगी कि वे बालिका को उसके खाते में जमा राशि की परिपक्व राशि की ब्याज, सहित प्रदान करे।

किशोरी शक्ति योजना (KSY) [Kishori Shakti Yojana (KSY)]

किशोरी शक्ति योजना किशोर बालिकाओं को सुक्ष्म बनाती है ताकि वे अपने जीवन को संभाल सकें। यह किशोर बालिकाओं के संपूर्ण विकास हेतु एक पहल है। यह उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने का अनुमति देती है।

यह योजना, किशोरी बालिका योजना का पुनर्निर्माण है, जिसे कक्षा प्रौद्योगिक एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के घटक के रूप में लागू किया गया था।

योजना का व्यापक उद्देश्य किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास स्तर को सुधारना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण व पारिवारिक देखभाल के प्रति जागरूक बनाना; जीवन कौशल सीखने में, स्कूल जाने में मदद करना, उन्हें एक बेहतर वातावरण देने में सहयोग देना और समाज का उत्पादक सदस्य बनाने में मदद करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of this Yojana)

- इस योजना का लक्षित समूह 11-18 वर्ष की किशोरियाँ हैं।
- 11-18 वर्ष की बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार।
- शिक्षा के अनौपचारिक माध्यम से वांछित साक्षरता और अंकीय कौशल को प्राप्त करना, सामाजिक दायरे को बढ़ाना और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करना।
- किशोरियों को व्यावसायिक और गृह-आधारित कौशल को सुधारने के लिए प्रशिक्षित करना।
- स्वास्थ्य, सफाई, पोषण व परिवार कल्याण, गृह नियोजन और बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक बनाना और इसकी पूरी कोशिश करना कि वे 18 वर्ष या इसके बाद विवाह करें।
- अपने वातावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दों और उनके जीवन पर उसके प्रभाव के संबंध में एक बेहतर समझ बनाना।
- किशोरियों को समाज का उपयोगी व उत्पादक नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

किशोरी बालिकाओं हेतु पोषण कार्यक्रम (NPAG) [Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)]

देश में किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं की कुपोषण संबंधी समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2002-03 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 51 जिलों में किशोरी बालिकाओं हेतु पोषण कार्यक्रम (NPAG) लागू किया गया।

इस योजना के तहत किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 किग्रा अनाज दिया जाता था। अर्हता उनके वजन के आधार पर तय की जाती थी। 2003-04 में भी यह पायलट प्रोजेक्ट चलता रहा। परंतु 2004-05 में इसे जारी नहीं रखा जा सका। सरकार ने NPAG को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने को मान्यता दी और 2005-06 में योजना आयोग द्वारा चिह्नित 51 पिछड़े जिलों में केवल कुपोषित किशोरियों को 6 किग्रा मुफ्त अनाज देने का प्रावधान किया (गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलायें इसमें शामिल नहीं क्योंकि इन्हें ICDS में शामिल किया गया है)। 100% धनराशि केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ राज्यों को दी जाती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चिह्नित कुपोषित व्यक्तियों को अनाज दिया जा सके।

इस कार्यक्रम के प्रावधान (Salient Features of this Programme)

- प्रति लाभार्थी को प्रति माह 6 किग्रा मुफ्त अनाज (राज्य के खपत प्रतिरूप के आधार पर गेहूँ/चावल/मक्का आदि)।
- लाभार्थियों और उनके परिवारों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
- इस योजना का लक्षित समूह किशोरियाँ (11-19 वर्ष) हैं जिनका वजन 35 किग्रा से कम है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs) की समुदाय में किशोरियों का वजन वजन में 4 बार मापना चाहिए 35 किग्रा से कम की किशोरियों को पहचानने के लिए। इससे इन्हें अधिक वे किस परिवार या वित्तीय स्तर से संबंध रखती हैं।



अनुसूचित जातियों, शोषित वर्ग, अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों की बेहतरी एवं संरक्षण हेतु तंत्र, कानून, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय (Mechanism, Law, Institutions And Constitutional Bodies For The Betterment And Protection of Scheduled Castes, Depressed Class, Minorities And Scheduled Tribes)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 में उल्लिखित सामाजिक न्याय विषय के टॉपिक संख्या 10-14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

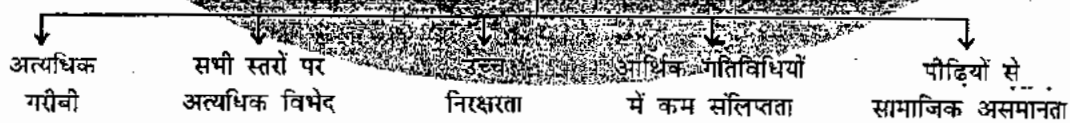
अनुसूचित जाति (Schedule Castes)

परिचय (Introduction)

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है जबकि 2001-11 के दौरान इसमें 20.8% की वृद्धि हुई है। ये वे लोग हैं जो अंतिम वर्ण जिसे 'शूद्र' अथवा 'अवर्ण' या 'अत्यन्त' कहा गया है के अंतर्गत आते हैं। 'अनुसूचित जाति' शब्द सर्वप्रथम साइमन कमिशन द्वारा प्रयुक्त हुआ और 1935 के भारत शासन अधिनियम (एक्ट) में अस्तित्व में आया। 1935 के पहले इन्हें 'अस्पृश्य' अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था।

उच्च जाति के लोगों द्वारा सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का शिकार 'अस्पृश्य' कहे जाने वाली जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों—हिंदू जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बांटने का सुझाव दिया। 1931 में अम्बेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

अज्ञादी से लेकर अब तक अनुसूचित जाति की दशा



भारत में 1208 से अधिक जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है, ये लोग प्रत्येक स्तर पर समस्याओं को झेलते हैं। इसलिए संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान अम्बेडकर ने कहा था "हम सब यही कामना करते हैं कि इस दुर्भाग्यशाली वर्ग को भी बिना किसी अवरोध के अन्य समुदाय के समान ही अधिकार मिलें।"

भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक रक्षोपाय और प्रावधान (Constitutional Safeguards and Provisions for Scheduled Castes in India)

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Relating to Scheduled castes)

(A) परिभाषा

- अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति
- अनुच्छेद 366 परिभाषाएँ

(B) सामाजिक रक्षोपाय के मानक

- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

(C) शैक्षणिक, आर्थिक व लोक नियोजन संबंधी रक्षोपाय

- अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य
- अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे

(D) राजनैतिक रक्षोपाय

- अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 243घ स्थानों का आरक्षण (पंचायतों में)
- अनुच्छेद 243ट स्थानों का आरक्षण (नगरपालिकाओं में)

(E) रक्षोपायों की निगरानी के लिए एजेंसी

- अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति

अनुसूचित जातियों की परिभाषा

"अनुसूचित जातियों" को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(24) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "अनुसूचित जातियों" से ऐसी जातियों, मूलवंश या जनजातियों अथवा ऐसी जातियों, मूलवंश या जनजातियों के भाग या उनमें के यथेष्ट अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों समझा जाता है।

किसी जाति का अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन

संविधान के अनुच्छेद 341 में एक अनुसूचित जाति के रूप में किसी जाति के विनिर्देशन का प्रावधान है तथा जिसका पाठ इस प्रकार है-

341 अनुसूचित जातियाँ

1. राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के संबंध में तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात, सार्वजनिक सूचना द्वारा जातियों, मूलवंशों अथवा जनजातियों या उनके भागों अथवा जातियों, मूलवंशों, या जनजातियों के बीच समूहों को जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा।
2. संसद खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों को सूची में विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा इसके भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर समूह शामिल कर सकती है या हटा सकती है, किंतु उल्लिखित को छोड़कर, उल्लिखित खंड के तहत जारी किसी अधिसूचना को किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति हेतु सामाजिक रक्षोपाय(Social Safeguards for Scheduled Castes by Constitution of India)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत)

Article 17 of the Constitution of India Abolition of the Practice of Untouchability

अस्पृश्यता का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक रूप में निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का मामला सामने आने पर कानून के दायरे में सजा का प्रावधान है।

अनुच्छेद 17 को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) द्वारा लागू किया गया है (इसका पूर्व नाम अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 था)। इसका मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का पूर्णतः समापन करना है। अनुसूचित जातियों की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा सुनिश्चित की गई है, इसी के साथ अन्य दुर्बल एवं वंचित तबकों को भी भारतीय संविधान सुरक्षा देता है।

- (i) अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा एवं सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा (अनुच्छेद 46)
- (ii) हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू जाति के सभी वर्गों हेतु खोलना (अनुच्छेद 25)
- (iii) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः अथवा अंशतः राज्यनिधि से पोषित स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों आदि में प्रवेश के लिए किसी शर्त के अधीन नहीं होगा (अनुच्छेद 15)
- (iv) कोई भी व्यापार करने अथवा कोई भी उद्यम करने का अधिकार (अनुच्छेद 19)
- (v) राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी को वंचित नहीं किया जायेगा (अनुच्छेद 29)
- (vi) सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान (अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 335)
- (vii) संसद एवं राज्य विधायिकाओं में 20 वर्षों हेतु विशेष प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 330, 332, 334)
- (viii) राज्य स्तर पर सलाहकारी परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना तथा केंद्र स्तर पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो इस वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करे (अनुच्छेद 164, 338, 5वीं अनुसूची)
- (ix) अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु प्रावधान (5वीं एवं 6वीं अनुसूची)

अनुसूचित जाति के कल्याण एवं संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन (Law and Legislation for the Betterment and Protection of Scheduled Castes in India)

परिचय (Introduction)

अनुसूचित जाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के कल्याण हेतु किये गए विभिन्न प्रावधानों के बावजूद यह तबका आज भी समस्याओं से ग्रसित है। उन्हें अनेक नागरिक अधिकार नहीं मिलते साथ इस वर्ग की बहुत सी कष्टों, दोषों एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। अनेक दुःखद घटनाओं में उन्हें अपना जीवन एवं सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारणों से इनके विरुद्ध गंभीर अपराध हुए हैं।

इस वर्ग में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण यह वर्ग अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है; आज जब यह वर्ग अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, अस्पृश्यता का विरोध कर रहा है अथवा वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहा है तो इन्हें अन्य वर्गों की दुतकार व भय का सामना करना पड़ रहा है। जब यह वर्ग अपनी महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश करता है, तब भी इन्हें शोषक वर्ग की उपेक्षा झेलनी पड़ती है। सरकार द्वारा प्राप्त भूमि पर खेती करने पर भी इनका शोषण होता है। भारतीय समाज के इस पीड़ित तबके के हितों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानूनों का प्रावधान किया गया है।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (The protection of Civil Rights Act, 1955)

परिचय (Introduction)

अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी मामले में सलियत पाये जाने पर सजा का प्रावधान है। चूंकि इस विषय पर कोई कानून नहीं था अतः अनुच्छेद 35 के उपबंध (क) (ii) को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ी। इसी क्रम में अस्पृश्यता (अपराध) प्रस्ताव संसद में पेश किया गया।

इसे संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति की सहमति से 8 मई, 1955 को पारित कर दिया और यह 1 जून, 1955 को अस्पृश्यता (अपराध) कानून, 1955 के रूप में अस्तित्व में आया। 19 नवंबर, 1976 से इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) के प्रावधान (Provisions Related to Protection of Civil Rights Act (PCR), 1955)

यह अधिनियम समस्त भारत में लागू है और इसमें अस्पृश्यता की प्रथा के संबंध में दंड के प्रावधान हैं। इसे संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अधिनियम के तहत अपराध

इस अधिनियम की धाराएँ 3-7क निम्नलिखित अपराधों को यदि वे "अस्पृश्यता" के आधार पर किए गए हैं, परिभाषित करती हैं तथा उनके लिए दंड निर्धारित करती हैं।

- सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश, पवित्र जल
- किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, शमशान घाट इत्यादि में प्रवेश से मना करना (धारा 4)
- किसी अस्पताल, डिसपेंसरी, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि में दाखिले से इंकार करना (धारा 5)
- वस्तुएं बेचने और सेवाएँ प्रदान करने से मना करना (धारा 6)
- उत्पीड़न, चोट पहुँचाना, अपमान इत्यादि (धारा 7)
- अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सफाई करने या झाड़ू लगाने अथवा किसी मृत जानवर इत्यादि को हटाने के लिए मजबूर करना (धारा 7क)

इस अधिनियम के तहत दंड

इस अधिनियम की धारा 8-11 में अनेक निरोधक/प्रतिरोधात्मक प्रावधान हैं, जो इस प्रकार हैं:

- दोषसिद्धि पर लाइसेंसों का रद्दीकरण अथवा निलंबन (धारा 8)
- सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों को वापस लेना या निलंबित करना (धारा 9)
- किसी जनसेवाक द्वारा जॉब-पड़ताल में जानबूझकर लापरवाही के संबंध में दंड (धारा 10)
- सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ (धारा 10क)
- उत्तरवर्ती दोषसिद्धि पर अभिवृद्ध (धारा 11)

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन

संबंधी संरचना और तंत्र निम्न प्रकार है:

इस अधिनियम में (i) विधिक सहायता (ii) विशेष अदालतें (iii) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए समितियाँ (iv) विशेष पुलिस थानों संबंधी प्रावधान हैं जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

- विधिक सहायता:** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (2) (i) में, अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता के शिकार व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान हैं ताकि वे इस प्रकार के अधिकारों का स्वयं उपयोग कर सकें।
- विशेष अदालतें:** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (2) (iii) में, इस अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष अदालतों के गठन संबंधी प्रावधान हैं।
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए समितियाँ:** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (2) (ii) में, राज्य सरकारों द्वारा "अस्पृश्यता" के फलस्वरूप उत्पन्न किसी अयोग्यता के अधीन व्यक्तियों के "अस्पृश्यता" के उन्मूलन से उत्पन्न अधिकारों को उपलब्ध कराने और उनके द्वारा उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक उपाय करने अथवा क्रियान्वयन में उनकी सहायता करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे उपयुक्त स्तरों पर समितियाँ जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं, और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की भी समीक्षा करती हैं।
- विशेष पुलिस थाने:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध उनकी अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए विशेष पुलिस थानों की स्थापना की गई है। राज्यों को प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त, उनके द्वारा पुलिस थानों पर किए गए व्यय के 50% की सीमा तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दिनांक 30.1.1990 से प्रभावी हुआ। इस विधायन का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से इतर व्यक्तियों द्वारा अपराधों के कृत्य को रोकना है। इस अधिनियम के तहत विस्तृत नियमावली "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995" नाम से वर्ष 1995 में अधिसूचित की गई थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राहत और पुनर्वास संबंधी मानकों का प्रावधान है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में प्रभावी है। यह अधिनियम संबंधित राज्यों सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

- अत्याचारों के अपराधों को परिभाषित करना तथा उनके लिए दंड निर्धारित करना (धारा 3)
- गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसेवकों द्वारा कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना के लिए दंड (धारा 4)
- इस अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित अभियोजन के लिए विशेष अदालत के रूप में प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को नामित करना (धारा 14)
- अन्य बातों के साथ-साथ विशेष अदालतों की शक्तियाँ बाहरी व्यक्तियों जो अध्याय III के तहत कोई अपराध कर सकते हैं (धारा 10)
- विशेष अदालतों में मुकदमों के संचालन के लिए जन अभियोजक/विशेष जन अभियोजकों को नियुक्त (धारा 15)
- कानून और व्यवस्था तंत्र द्वारा की जाने वाली निरोधक कार्रवाई (धारा 16)
- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं:
 - अत्याचार पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास
 - समुचित स्तरीय पर समितियों का गठन
 - अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान
 - अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता ताकि वे स्वयं न्याय पा सकें
 - इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन आरंभ करने या निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति; और
 - इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियाशीलता का आधिकारिक संबंध (धारा 21(2))

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संरचना और तंत्र इस प्रकार है:

- राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर दिया है।
- विशेष अदालतें:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार, राज्य सरकार त्वरित अभियोजन प्रदान करने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में किसी सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट करती है।
 - विशेष लोक अभियोजक:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अनुसार, विशेष अदालतों में मुकदमों के संचालन के प्रयोजनार्थ जन अभियोजक और विशेष जन अभियोजकों के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हैं। तदनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिन्होंने विशेष अदालतें गठित की हैं, ने जन अभियोजकों/विशेष जन अभियोजनकों को नियुक्त किया है।
 - राज्य मुख्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन:** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 8 में एक डीजीपी/आईजीपी के प्रभाव के तहत राज्य मुख्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ के निम्नलिखित दायित्वों के साथ राज्य सरकार को गठन करना आवश्यक है:

- चिह्नित क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण संचालित करना और विशेष पुलिस थल की तैनाती की अनुशंसा करना:
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के बीच सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए, इस अधिनियम के तहत अपराधों के कारणों का अन्वेषण करना:
 - चिह्नित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थिति के बारे में नोडल और विशेष अधिकारियों से सम्पर्क बनाना:
 - अपराधों के अन्वेषण की मॉनीटरिंग और जनसेवकों की जानबूझकर लापरवाही की जाँच करना:
 - इस अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करना; और
 - उल्लिखित के संबंध में की गई कार्रवाई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (iv) विशेष पुलिस थाने: बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए भी विशेष पुलिस थाने गठित कर दिए हैं।
- (v) नोडल अधिकारी: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 9 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।
- (vi) राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 16 और 17 में इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों के गठन संबंधी प्रावधान हैं।
- (vii) अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान तथा अनुवर्ती उपाय किया जाना
- (क) अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 3(1) (i) के अनुसार, राज्य सरकारों ने अपने-अपने संबंधित राज्यों में अत्याचार प्रवण/संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है।
- (ख) विशेष अधिकारियों की नियुक्ति: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 10 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक विशेष अधिकारी जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न हो, की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हैं।
- (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मुकदमों में पुलिस तथा अदालतों द्वारा कार्रवाई

नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समिति

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबद्ध संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट (2006-2007) में अन्य बातों के साथ-साथ, अनुशंसा की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अत्याचारों पर अंकुश लगाने के तरीके और उपाय तैयार करने और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से बैठक करनी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के तरीके और उपाय तैयार करने के लिए प्रभावी समन्वय तथा दोनों अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्च 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 (The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993)

स्वच्छता राज्य का विषय है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अनुसरण में, हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम, 1993 आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के पश्चात् अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, 26.1.1997 से सभी संघ राज्य क्षेत्रों और उक्त छह राज्यों में प्रभावी हुआ था।

अभी तक यह अधिनियम 23 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है। शेष 5 राज्यों में से 3 राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के अपने अधिनियम हैं। दो राज्य अर्थात् मणिपुर और मिजोरम ने सूचित किया है कि इनके यहाँ कोई शुष्क शौचालय नहीं है या वे स्क्वेंजर मुक्त हैं।

इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, कोई व्यक्ति-

1. मानव मल को हाथ से उठाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लगाने या नियुक्त करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए लगाने या नियुक्ति के लिए अनुमति नहीं देगा अथवा;
2. किसी शुष्क शौचालय का निर्माण या रखरखाव नहीं करेगा।

इन प्रावधानों का उल्लंघन एक अपराध है जिसकी सजा एक अर्थवा जो एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना, जो 2000/- रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं और यदि कोई चूक अथवा उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने सहित इस प्रकार की चूक अथवा उल्लंघन जारी रहने की ऐसी प्रथम चूक अथवा उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् की अवाधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए तक हो सकता है।

इस अधिनियम का आवास और शहरी गरीबों के उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012)

परिचय (Introduction)

इसे लोकसभा में 3 सितंबर, 2012 को प्रस्तावित किया गया। सामाजिक न्याय एवं संश्लेषण पर गठित समिति (अध्यक्ष-दादा सिंह चौहान) ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट 4 मार्च, 2013 को दी थी।

मैला ढोने से तात्पर्य शौचालयों को हाथ से साफ करना अथवा मानव मल की सफाई करने से है। वर्तमान में इसे मैला ढोने वालों का नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जिसे केन्द्र सरकार ने 6 राज्यों की अनुसंसा के उपरांत कानून बनाया था।

केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दो योजनाएँ बनाई हैं जोकि इस प्रकार हैं- 1981 में बनी एकीकृत निम्न मूल्य स्वच्छता स्कीम (Integrated Low Cost Sanitation Scheme, ICLS in 1981) तथा 2007 में बनी मैला ढोने वालों के पुनर्वास से संबंधित स्वरोजगार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), 2007)। ICLS योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को शुष्क शौचालयों को पानी से बहाव वाले शौचालयों में बदलने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। SRMS योजना के तहत मैला ढोने वालों को ऋण व सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनमें कौशल विकास भी किया जाता है ताकि इस कुप्रथा से पीड़ित वर्ग स्वरोजगार के साधन तलाश सकें। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित याचिका दायर करके शीर्ष न्यायालय से इस मामले को संज्ञान में लेकर आग्रह किया कि वह राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का निर्देश दे एवं इस संबंध में 1993 का कानून लागू करे।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने 2011 में मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के संबंध में अपने सुझाव दिये थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 3 सितंबर, 2012 को लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया ताकि इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने हेतु कड़े प्रावधान किये जा सकें और इस काम को करने वाले लोगों को दूसरे कामों में नियोजित किया जा सके।

विधेयक के प्रमुख बिंदु (Highlights of the Bill)

- यह विधेयक हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है और बिना किसी संरक्षणात्मक उपकरण के हाथ से सीवर एवं सैण्टिक टैंक की सफाई पर रोक लगाता है, तथा स्वच्छ शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देता है।
- यह प्रस्ताव मैला ढोने वालों के पुनर्वास एवं वैकल्पिक रोजगार को व्याख्या करता है।
- अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी मशीनरी, छावनी बोर्ड (Cantonment Board) तथा रेलवे संस्थानों करेंगी तथा यह कार्य इन्हीं के न्यायाधिकार में होगा। ये सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी करवायेगी।
- स्थानीय संस्था, प्राधिकरण व जिलाधिकारी इसके क्रियान्वन के लिए प्राधिकृत होंगे।
- विधेयक के अंतर्गत अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होंगे।

विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Other Salient Features of the Bill)

अस्वच्छ शौचालय (और मैला ढोने वालों) की पहचान करना

(Identification of insanitary latrines and manual scavengers)

- प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण (नगरपालिका, पंचायत, रेलवे छावनी, संस्था बोर्ड) को इनकी पहचान हेतु सर्वेक्षण करना है क्योंकि यह इन्हीं संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त संस्थाओं को दूषित शौचालय की सूची दो माह के अंतर देनी होगी तथा 6 माह के भीतर ऐसे शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना होगा।

दूषित/अस्वच्छ शौचालयों का निषेध एवं परिवर्तन

(Prohibition and Conversion of Insanitary Latrines)

- दूषित शौचालयों का उपयोग करने वालों और इनके मालिकों को अधिनियम लागू होने के 6 माह के भीतर इन शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय अपने खर्च पर बनवाने होंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो स्थानीय संस्था दूषित शौचालय को तोड़कर स्वच्छ शौचालय बनवायेगी व इसका खर्च उसके मालिक को देना होगा।

मैला ढोने का निषेध व इस कार्य में लगे लोगों का पुनर्वासन

(Prohibition and Rehabilitation of Manual Scavengers)

- इस सूची में शामिल व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु एकमुश्त नफ़ा, धनराशि, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तथा आवासीय भूमि (आर्थिक मदद के साथ) भी देने का प्रावधान किया गया है।

कार्यकारी प्राधिकरण (Implementing Authorities)

- प्रत्येक जिलाधिकारी एवं स्थानीय संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि (i) उसके न्याय क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कुप्रथा में न लगा हो, (ii) कोई दूषित शौचालय न बनाया जाये, और (iii) मैला ढोने वालों का पुनर्वास हो।
- राज्य सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। ये व्यक्ति, शौचालय हेतु क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा मैला ढोने वालों की दशा के संबंध में जानकारी देंगे।
- केंद्रीय व राज्य मॉनिटरिंग संस्थाओं तथा प्रत्येक जिले में निरीक्षण समितियों का निर्माण किया जायेगा ताकि योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सके। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संविधानिक निकाय), इस अधिनियम की निगरानी करेगा व शिकायतों को सुनवाई भी करेगा।

दंड (Penalty)

- दोषी पाये जाने पर यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में आयेगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रथम श्रेणी का न्यायिक अधिकारी इस मामले में सुनवाई करेगा साथ ही अपराध करने के तीन माह के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी।

भारत में अनुसूचित जाति एवं शोषित तबके के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक रक्षोपायों की मॉनिटरिंग के लिए संस्थाएँ एवं एजेंसी
(Institutions and Agencies in India for Monitoring the Constitutional Rights and Social Safeguards for Scheduled Castes and Depressed Class)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Caste)

संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत 1990 में स्थापित किए गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 2003 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक दो आयोगों में बाँट दिया गया है।

कार्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों को प्रदत्त रक्षोपायों की निगरानी रखने और साथ ही इनके कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेवार है। संविधान के अनुच्छेद 338(5) में वर्णित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य इस प्रकार हैं-

1. संविधान के अंतर्गत या किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए रक्षोपायों के संबंध में संभाव्य मामलों की जाँच करना और मॉनीटर करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
 2. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों तथा रक्षोपायों से अवगत कराने संबंधी विशेष शिकायतों की जाँच करना।
 3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा सघ या किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति की समीक्षा करना।
 4. राष्ट्रपति को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर वार्षिक रूप से या किसी ऐसे अन्य समय में जिस आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
 5. ऐसी रिपोर्टों के उद्देश्य उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो अनुसूचित जातियों के कल्याण, सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावों का निरीक्षण के लिए किसी राज्य या सघ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए।
 6. अनुसूचित जातियों के कल्याण, सुरक्षा, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को करना जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी कानून द्वारा या किसी नियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- आयोग के पास अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन करने की व्यापक शक्तियाँ हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission of Safai Karamchari)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 सितम्बर में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में शब्द 'सफाई कर्मचारी' को इस प्रकार परिभाषित किया गया था-

“सफाई कर्मचारी से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो मानव मल को उठाने या स्वच्छता कार्य में शामिल या नियोजित है”

अधिनियम के सेक्शन 3 में निम्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना का उल्लेख है-

1. समयबद्ध कार्रवाई योजना के तहत सफाई कर्मचारियों हेतु स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने की ओर विशेष कार्रवाई संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में केन्द्र सरकार को सिफारिश करना।
2. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना और ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिशें करना।
3. विशेष शिकायतों की जाँच करना और इनके मामलों के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में अपनी ओर से कार्रवाई करना।
 - (i) सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के संबंध में कार्यक्रम या योजनाएँ
 - (ii) सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को दूर करने संबंधी निर्णय, दिशा-निर्देश या अनुदेश इत्यादि;
 - (iii) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उपाय;
 - (iv) सफाई कर्मचारियों के संबंध में किसी कानून के प्रावधान की बावत तथा ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के साथ उठाना।

4. सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी मामले पर केन्द्र और राज्य सरकारों को आवधिक रिपोर्ट देना जिसमें सफाई कर्मचारियों की कोई मुश्किलें या इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई पहुँची हो;
5. केन्द्र सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (Dr. Ambedkar Foundation)

इस संस्था का उद्देश्य बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा एवं संदेश को भारत एवं विदेशों में पहुँचाना है। भारतरत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की शताब्दी वर्ष में चिन्हित योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करवाना ही इस अम्बेडकर प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री करता है। साथ ही इसमें 11 पदेन सदस्य होते हैं जो शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि क्षेत्रों से आते हैं (इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् आदि शामिल हैं)

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (Babu Jagjeevan Ram National Foundation)

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नामक एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना 14 मार्च, 2008 को बाबू जगजीवन राम की स्मृति में उनकी विचारधारा, जीवन-दर्शन और मिशन एवं अलाभान्वित वर्गों व देश के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रसार करने के लिए की गई है।

प्रतिष्ठान की मुख्य विशेषताएँ/उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- बाबू जगजीवन राम की विचारधारा, जीवन-दर्शन और मिशन का प्रचार-प्रसार करना।
- उनके जीवन और कार्य संबंधित अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- विशेष डिजाइन की गई विकास योजनाओं के माध्यम से दलित कलाकारों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु इन्हें प्रोत्साहित और संबर्द्धित करना।
- समाज में अस्पृश्यता और जाति आधारित पूर्वाग्रहों को हटाने के लिए विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करना।

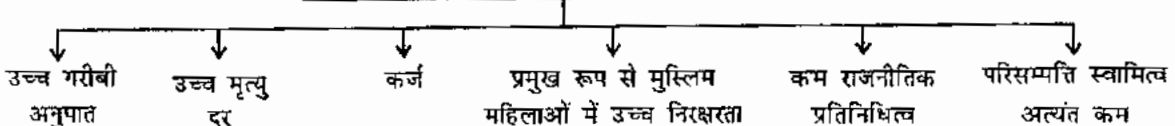
अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक (Other Backward Class and Minorities)

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Other Backward Classes)

अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में इस बात को लेकर कुठ है कि इन्हें अनुसूचित जाति व जनजाति के समान सामाजिक सुधार एवं सुरक्षा पकेज नहीं मिलते। इसी पीछे ने कई बार जातीय हिंसा को भी जन्म दिया है। संविधान ने "पिछड़ा वर्ग" को अनुच्छेद 15(4), 16(4) व 340(1) में सम्बोधित किया है। जबकि अनुच्छेद 15(4) व 16(4) सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विशेष प्रावधान बना सकें। साथ ही अनुच्छेद 340(1) इस संबंध में आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो पिछड़ों की स्थिति का निरीक्षण करेगा। पिछड़ा वर्ग शब्द औपनिवेशिक काल से ही प्रयुक्त होता आया है परंतु इसमें कौन सा समूह शामिल होगा या नहीं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

अनुच्छेद 340(1), राज्य को पिछड़ों की स्थिति का निरीक्षण व इस संबंध में एक आयोग का गठन करने की पांग करता है। अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग) ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। इसमें 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग के अंगरत माना गया था। इनमें से 237 को अति पिछड़ों की श्रेणी में रखा गया, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसलिए पिछड़े वर्ग को दो श्रेणियों में बाँटा गया- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग। अतः केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें पहचान का आधार जाति को बनाया गया था न कि आर्थिक स्थिति को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की। आयोग ने 11 संकेतक बताये- इनमें जाति एवं स्तर दोनों आधारों का मिश्रण था- ताकि सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के विषय में पता चल सके। इसने 3473 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया।

पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की समस्याएँ



पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधान

(Constitutional Provisions for backward Class)

अनुच्छेद 340 के तहत गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग के नाम से ज्ञात) ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के आलोक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 13.8.1990 को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों या ओबीसीज के रूप में भी संदर्भित) के लिए केन्द्रीय सरकार के पदों पर 27% आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की चुनौती में कई रिट याचिकाएँ उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 में इनका एक प्रमुख निर्णय जोकि इंदिरा सहनी मामला निर्णय के रूप में सामान्यतः ज्ञात है, द्वारा निपटारा किया गया था। न्यायालय ने इस निर्णय में भारत संघ के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का अनुमोदन किया (वर्तमान सम्पन्न वर्ग को छोड़ा जाए)।

जातिगत जनगणना 1931 की जनगणना के बाद बन्द कर दी गई। अतः देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या पर जनगणना आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को कुल जनसंख्या के 52% का अनुमान लगाया था जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisations – NSSO) ने 61वें दौर के सर्वेक्षण (2004-05) के आधार पर इन्हें 42% अनुमानित किया है जैसाकि इसकी रिपोर्ट "भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगार स्थिति" में वर्णित है।

संवैधानिक प्रावधान

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (4) [धर्म, मूलवर्ग, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध] राज्य को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश सहित सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 16(4) [लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता] जागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्तियों में आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राज्य को अनुमति देता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि "राष्ट्रपति आदेश द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों को जाँच करने के लिए एक आयोग" नियुक्त कर सकते हैं। चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा की गई शिकायतों को जाँच करने के लिए स्वतंत्र आयोग को स्थापित करने की परिकल्पना नहीं थी, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338(10) के तहत ऐसी शिकायतों को जाँच करने का कार्य सौंपा गया है।
4. संविधान के अनुच्छेद 38 का खंड (1) राज्य, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित कर भारतक प्रभावी रूप में स्थापना और सुरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
5. अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था है कि राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ-सुबोधिता को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।
6. अनुच्छेद 338 के खंड (10) (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) में यह उल्लेख है कि उस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों पर भी विचार करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Class)

उच्चतम न्यायालय के इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) अधिनियम, 1993 दिनांक 1.2.1993 अधिनियमित किया। अधिनियम की धारा 1 के तहत अधिनियम का कार्यक्षेत्र जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त देश में विस्तारित होता है।

अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि आयोग में 5 सदस्य अर्थात् 1 अध्यक्ष जोकि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हों, एक समाज वैज्ञानिक, पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्ति और एक सदस्य-सचिव जोकि भारत सरकार में केन्द्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी हों या रहे हों, होंगे। धारा 4 के तहत, प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पदाधारित करेगा।

अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत आयोग "अन्य पिछड़े वर्गों की ऐसी सूचियों में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के अनुरोधों या अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की जाँच करेगा और केन्द्र सरकार को जैसा यह उचित समझे सलाह देगा।" अधिनियम की धारा 9 (2) में यह उल्लेख है कि आयोग की सलाह केन्द्र सरकार पर सामान्यतः बाध्यकारी होगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)

गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ, इसे 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992' द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नाम दिया गया। पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग 17 मई, 1995 को बनाया गया था। 1995 के संशोधन के पश्चात् आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई (इसमें एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष)। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग के 5 सदस्य (अध्यक्ष के साथ) अल्पसंख्यक समूह के होंगे।

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग

(National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM))

भारत सरकार धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े तबके के विस्तृत अध्ययन हेतु सरकार ने एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है, जिसका कार्य इस वर्ग के लिए आवश्यक सार्वजनिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों को अनुशंसा करना है। इस संबंध में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया देना भी आयोग का कर्तव्य है।

भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी

(Special Officer for Linguistic Minorities)

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति (जैसे सामान्यतः भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी के नाम से जाना जाता है।) जुलाई 1957 में अनुच्छेद 350-B तहत हुई थी।

भारत के 'भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त' का मुख्यालय इलाहाबाद में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगाम व चेन्नई में हैं।

अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes)

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ जिन्हें आदिवासी (मूल निवासी) कहा जाता है, केंद्रीय, उत्तरपूर्व तथा दक्षिण भारत में फैले हुए हैं। ये आदिवासी भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व लगभग 1500 ई.पू. से रहते हैं। पहले आर्यों तथा इनके बाद मुगलों एवं ब्रिटिश आगमन के कारण ये जनजातियाँ सामाजिक व भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़ गयीं। ये विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते थे; धार्मिक रूप से भी ये पृथक् थीं। इनमें से कुछ ने जीववाद, कुछ ने हिंदू, कुछ ने इस्लाम एवं कुछ ने ईसाई धर्म अपना लिया। अधिकांश जनजातियों की सामाजिक रीतियों के कारण इन्हें हिंदू जनसंख्या की मुख्या से नहीं जोड़ा जा सका। भारतीय जनजाति समूह सामुदायिक रूप से संपत्ति के मालिक होते थे और व्यक्तिगत तौर पर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं होते थे।

औपनिवेशिक संस्थाओं ने एक भूमि प्रशासन लागू किया तथा जनजातीय भूमि को लावारिस मानकर उसमें हस्तक्षेप किया। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक विद्रोहों को जन्म दिया। जनजातीय विद्रोह भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मालपहारिया विद्रोह (1772 में), 1815 व 1832 में कच्छ विद्रोह, 1818 में भील विद्रोह, 1931 में छोटा नागपुर का 'हो' विद्रोह, 1846 में उड़ीसा का खोंड विद्रोह व 1855 में बिहार का संथाल विद्रोह, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रणेताओं में बिरसा मुंडा, कान्हू संथाल व तारक्य भील का नाम प्रमुख है। भारत की कुल विस्थापित जनसंख्या का 55% अनुसूचित जनजातियों का है। पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्राथमिक आधार निम्न हैं-

1. किसी परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र की पारंपरिक आजीविका, विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षण आदि जिनमें जनजातीय जीवन के विभिन्न रंग हों।
2. ऐसी भाषा, रीति-रिवाज, परंपरायें, धार्मिक मत, कला आदि जो प्राचीन संस्कृति की आजीविका के स्वरूप को दर्शाते हों।
3. शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास का अभाव

भारत में कुछ प्रमुख जनजातियाँ इस प्रकार हैं: अंडमानीस, बोडो, मारो, भील, चकमा, नागा, संथाल, गोंड, बैगा, लेपचा, जारवा, निकोबारीस।

अनुसूचित जनजातियों हेतु भारत में संवैधानिक संरक्षण एवं प्रावधान (Constitutional Safeguards and Provisions for Scheduled Tribes in India)

A. अनुसूचित जातियों की परिभाषा

- अनुच्छेद 345 अनुसूचित जनजाति
अनुच्छेद 366(25) परिभाषा

B. आर्थिक, सामाजिक व सार्वजनिक रोजगार/लोक नियोजन से जुड़े संरक्षण

- अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति व दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा
अनुच्छेद 35 सेवाओं व पदों पर अनुसूचित जनजाति व जाति के दावे

C. राजनैतिक रक्षोपाय

- अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण
अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण
अनुच्छेद 243घ पंचायतों में आरक्षण
अनुच्छेद 243ट नगरपालिका में आरक्षण

D. मॉनिटर करने वाली समितियाँ

- अनुच्छेद 338क राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा और विनिर्देशन

परिभाषा

अनुसूचित जनजातियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यथा "ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियाँ या जनजाति के भाग जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनार्थ अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाते हैं।"

विनिर्देशन

संविधान के अनुच्छेद 342 में एक अनुसूचित जनजाति को किसी भी किसी जनजाति के विनिर्देशन का प्रावधान है।

342 अनुसूचित जनजातियाँ

- राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के संबंध में तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात्, सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनों के लिए, उस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ माना जाएगा।
- संसद खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों को सूची में विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के समूह या भाग को शामिल कर सकती है या हटा सकती है, किंतु उल्लिखित को छोड़कर, उल्लिखित खंड के तहत जारी किसी अधिसूचना को किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

साधारण प्रावधान (General Provisions)

(i) अनुच्छेद 244 - अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन:

अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र व क्षेत्र होंगे जिन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह के साथ अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। (5वीं अनुसूची)

अनुच्छेद 244(2) के तहत वे क्षेत्र आते हैं जिन्हें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें इन क्षेत्रों हेतु जिला परिषदें या क्षेत्रीय परिषदें बनाने का उपबंध है। इन परिषदों को विस्तृत कानूनी, न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं।

- (ii) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम उपबंध के अधीन अनुदान: 275(1) के पहले उपबंध में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने हेतु विशेष आर्थिक मदद का उल्लेख है।
- (iii) अनुच्छेद 339 - अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

भारत में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और बेहतरी के लिए विधि और विधायन (Law and Legislation for the Betterment and Protection of Scheduled Tribes in India)

अनुसूचित जाति की पहचान (How Scheduled Tribes are Notified)

'अनुसूचित जाति' शब्द दरअसल एक प्रशासनिक खोज है, ताकि स्वतंत्र भारत में इस वर्ग को सवैधानिक सुरक्षा एवं लाभ मिल सकें। जब जनजातीय मंत्रालय (Tribal Ministry) को किसी समुदाय को किसी राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के सम्बंध में प्रस्ताव प्राप्त होता है तब मंत्रालय इस प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज देता है। यदि सम्बंधित राज्य सरकार/उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो यह प्रस्ताव भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) को भेज दिया जाता है। यदि RGI इस प्रस्ताव से सहमत होता है तो वह इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज देता है तत्पश्चात् केंद्र उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग को भेजता है। यदि आयोग भी इसे स्वीकृति दे देता है तो इस प्रस्ताव को सम्बंधित मंत्रालयों से चर्चा के बाद निर्णय हेतु कैबिनेट को भेज दिया जाता है।

इसके बाद इस मामले को संसद में एक विधेयक के रूप में रखा जाता है ताकि राष्ट्रपति आदेश में संशोधन किया जा सके।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006. (The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006)

पृष्ठभूमि

वननिवासी इस देश के निरन्तरतम लोगों में आते हैं। अनेक जनजातियाँ एवं अन्य वन समुदायों के लिए वन जीवन, पहचान, रिवाजों और परंपराओं के साधन हैं। वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी सदियों से वनों पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित हैं। परंतु इन वन निवासियों को अपने पूर्वजों की भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना पड़ता है।

वन निवासियों एवं वनों को पृथक् नहीं किया जा सकता। साथ ही जनजातीय जीवन वनों के पारिस्थितिकीय संसाधनों को भी सुरक्षित रखता है। अपनी भूमि, जिस पर यह समुदाय शताब्दियों से रह रहा है, से अलग होने के भय ने इस वर्ग को मानसिक व शारीरिक रूप से इन वनों से वंचित कर दिया है। अतः इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए सरकार ने 'अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे सामान्यतः वन अधिकार कानून 2006 (Forest rights Act, 2006) कहते हैं) पारित किया। यह कानून 1-1-2008 से अपने सभी प्रावधानों के साथ लागू हो गया।

यह कानून वन अधिकारों की पहचान से कुछ अधिक है। यह अधिनियम वन भूमि स्वामियों, ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वह अपने वनों को संरक्षित करें। किसी भी 'सामुदायिक वन संसाधन' के सुरक्षित अभिशासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधान (Salient Features of the forest rights act, 2006)

जिसके अंतर्गत वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को यह वन अधिकार प्राप्त है।

कानून की धारा 3 के अनुसार प्रमुख वन अधिकार निम्न हैं-

- (a) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार।

- (b) लघु वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता है स्वामित्व संग्रह के लिए पहुँच, उनका उपयोग और ध्वज का अधिकार रहा है।
- (c) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या घृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार।
- (d) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, के बसने और अन्य ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं।
- (e) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसका वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं।
- (f) जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।
- (g) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा है, वर्णित न हों, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फँसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।
- (h) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में अनुकूलित भूमि भी है जहाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है।
- (i) धारा 4(5) के तहत किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिकभागीय वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।
- (j) धारा 4(8) के तहत इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन्य भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो वह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकार के बिना उनके निवास और खेतों से विस्थापित किए गए थे और जहाँ भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से सात वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी।
- (k) इस अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम-सभा तथा स्थानीय संस्थाओं को निम्न कार्यों के लिए सशक्त करती है-
- (i) वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा।
 - (ii) क्षेत्र से लगे हुए जलग्रहण क्षेत्र, जल स्रोतों और पारिस्थितिक सवेदनशील क्षेत्र की पर्याप्त सुरक्षा।
 - (iii) वन में रहने वाली जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों के निवास स्थान में कोई चिंताशकारी कार्य नहीं हो रहा है।
- (l) वन अधिकारों को निहित करने के लिए तब स्तरीय प्राधिकारी प्रक्रिया है। ग्राम-सभा किसी व्यक्ति या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा का अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकारी होगी। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति उपखण्ड स्तर पर भेजी जाएगी। उपखण्ड स्तर की समिति उस याचिका पर विचार करेगी तथा उसके अंतिम निर्णय के लिए जिला स्तरीय समिति को अप्रेषित करेगी। वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्ध कर होगा। राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और निहित करने की प्रक्रिया को मॉनीटर करने और ऐसे विवरणों एवं रिपोर्टों को जो उस अधिकरण द्वारा मांगी जाएँ, नोडल अधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी।
- (m) इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत जनजातीय मामलों के मंत्रालय इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा।

वन अधिकार कानून, 2006 (FRA) से सम्बंधित नवीनतम वाद-विवाद

इस कानून से सुधार तो हुआ है परंतु अब भी वन निवासियों को उनके अधिकार पूर्णतः नहीं मिल पा रहे हैं तथा उन्हें कानून का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस कानून से सम्बंधित मुख्य चिंतायें इस प्रकार हैं— लघु वन उत्पादों (Minor Forest Produce) पर अधिकारों को लेकर अनिर्णय की स्थिति, विविध प्रकार की बाधाएँ जैसे लघु वन उत्पादों (MFP's) के परिवहन हेतु परमिट की समस्या, MFP's की बिक्री पर शुल्क/कर और रॉयल्टी आदि कैसे तय हों, कुछ वन्य उत्पादों का लघु वन उत्पादों (MFP's) की सूची से हटाया जाना जैसे-तेंदूपत्ता (Tendupatta), सभी वन में स्थित ग्रामों, पुराने निवास स्थानों, तथा जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है उन सभी गाँवों को वनों के अधीन कैसे लाया जाये।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों को जुलाई 2012 में निर्देश भेजे तथा 6 सितंबर, 2012 को वन अधिकार कानून नियमों में संशोधनों को सूचीबद्ध किया गया है।

अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012

- वन निवासी, लघु वन उत्पाद (Minor Forest Produce) का उचित साधनों के द्वारा परिवहन कर सकते हैं।
- ग्राम सभा द्वारा गठित समिति इन उत्पादों के परिवहन हेतु परमिट (अनुमति पत्र) देगी।
- ग्राम सभा के अधीन गठित समिति सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण की योजनाएँ बनायेगी।
- ग्राम सभा की समिति अपनी योजनाओं का वन विभाग की नीतियों से एकीकरण भी कर सकती है।
- पारगमन अनुमति (Transit Permits), वन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय का प्रयोग, प्रबंधन की योजनाओं में परिवर्तन से सम्बंधित सभी निर्णय ग्राम सभा लेगी।
- सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन सम्बंधी "भारतीय उपयोग" का अधिकार सभी वन निवासियों को प्राप्त होगा।
- वन अधिकारों पर दावे से सम्बंधित मामले को वन अधिकार समिति के अलावा पंचायत स्तर, ब्लॉक या वन विभाग स्तर का कोई अधिकारी या समिति कोई निर्णय नहीं ले सकेगा।
- कानून को सुचारु रूप से लागू करने हेतु राज्य स्तरीय निगरानी समिति रिपोर्ट देगी।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

[PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas) Act 1996]

पृष्ठभूमि (Background)

भारत की जनसंख्या में 8.7% जनजातियों का है। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग पॉचवीं एवं छठीं अनुसूची के अधीन क्षेत्रों में निवास करता है। इन संविधान में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र कहा गया है। ये लगभग सदियों से पहाड़ी व वन क्षेत्रों में रहे हैं तथा इन्होंने प्रकृति के साथ आत्मीय सम्बंध बनाये हैं। ये समुदाय प्रकृति का संरक्षक रहा है अतः इस समुदाय का इन क्षेत्रों के संरक्षण का अधिकार मिलना ही चाहिए। इन्हीं तर्कों के आधार पर इस समुदाय ने पंचायती राज व्यवस्था की माँग की है जो परंपरा और संस्कृति से भिन्न न हो। अतः इस आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने 73वें संशोधन, 1992 के अतिरिक्त संविधान में अन्य संशोधन भी किये हैं।

संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर संसद की विधि के माध्यम से भाग IX के इस क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में विस्तार करने की आवश्यकता है। दिलीप सिंह पुरिया कमिटी को अनुशासक के आधार पर पेसा कानून (PESA Act) संसद में पारित हुआ तथा 24 दिसंबर, 1996 से अस्तित्व में आया। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए)

कानून के प्रमुख प्रावधान (Salient Features of the Act)

1. यह कानून 5वीं अनुसूची के 9 राज्यों में लागू है।

● आंध्र प्रदेश	● छत्तीसगढ़	● गुजरात
● हिमाचल प्रदेश	● झारखंड	● महाराष्ट्र
● मध्य प्रदेश	● उड़ीसा	● राजस्थान
2. यह अधिनियम गाँव को आमतौर पर एक बस्ती या निवास के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें एक समुदाय शामिल हो और जो अपने प्रशासन का प्रबंधन अपनी परंपरा और रिवाज के अनुसार करता है।
3. प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जो उसकी संस्कृति, परंपरा, पहचान, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा करेगी।
4. पेसा कानून के अंतर्गत राज्य में 5वीं अनुसूची के अधीन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के निर्माण में जनजातीय समुदायों एवं इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों से सलाह ली जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन जनजातियों को एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में इनकी पृथक जातीय पहचान के अनुसार विभिन्न ग्राम सभाओं में स्थान दिया जायेगा।
5. पेसा कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण कुल सीटों में आधे से कम नहीं होगा तथा सभी स्तरों पर पंचायत अध्यक्षों की सभी सीटों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा।
6. राज्य सरकार मध्यवर्ती या जिला पंचायत स्तर पर निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 1/10 वें भाग पर उन जनजातीय समूहों के लोगों को नामित कर सकती है जिन्हें समुचित प्रतिनिधित्व न मिला हो।
7. राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को इतनी शक्ति दे कि वह स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सके—जैसे कि

- लघु वन्य उत्पाद/उपज पर अधिकार;
- ग्रामीण बाजारों/हाटों का प्रबंधन;
- कर्ज देने पर नियंत्रण;
- सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं पर नियंत्रण;
- निषेध लागू करने की शक्ति;
- भूमि से वंचित करने से रोकने की शक्ति (भूमि से विस्थापन को रोकने की शक्ति)

पेसा कानून के तहत ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को निम्न अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं
(Under PESA Gram Sabha and Panchayats are given wide functions power and responsibilities as follows)

अनिवार्य उत्तरदायित्व एवं कार्य (Mandatory Executive Functions and Responsibilities)

ग्रामीण स्तर पर सभी योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों को ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। पंचायत द्वारा वित्त के प्रयोग के सम्बंध में प्रमाणिकरण का अधिकार ग्राम सभा का अधिकार होगा। लघु जल निकायों (Minor Water Bodies) का प्रबंधन और योजना निर्माण पंचायत करेगी।

अनिवार्य सलाह (Mandatory Consultation)

अनुसूचित क्षेत्रों में विकास योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण से पहले तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत से सलाह अवश्य लिया जायेगा।

अनिवार्य अनुशंसा (Mandatory Recommendations)

खनिजों के खनन हेतु नोलामी और लाइसेंस देने के अधिकार से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत को अनुशंसाओं पर अनिवार्य रूप से विचार करना होगा।

पेसा कानून, 1996 का पुनर्विलोकन (Critical Review of PESA Act-1996)

1. विभिन्न रिपोर्टों से खुलासा हुआ है कि राज्य सरकारों ने पेसा कानून की शक्तियाँ मेंट्रील की है।
2. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ को छोड़कर अधिकतर राज्यों में ग्राम सभाओं के स्थान पर ग्राम पंचायतों को शक्ति दी है; जोकि पेसा कानून का उल्लंघन है।
3. धोखाधड़ी के द्वारा बहुत-सी जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय भूमि में बदलाव के मामले सामने आये हैं।
4. ये जानते हुए भी कि कानून के तहत वन्य जनजातियों का वनोत्पादों पर पहला अधिकार है, वन विभाग स्वयं ही उसका उल्लंघन करते हुए वन संपदा को धनी उद्योगों के हवाले कर रहा है।
5. कुछ कानूनों एवं नीतियों का पेसा एक्ट से अंतर्विरोध भी सामने आया है।

पेसा से कुछ नीतियों में मतभेद	कुछ कानूनों से पेसा के मतभेद
• परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं विस्थापन से सम्बंधित राष्ट्रीय नीति, 2003 • राष्ट्रीय जल नीति, 2003 • राष्ट्रीय खनिज नीति, 2003 • राष्ट्रीय वन नीति, 2003 • वन्य जीव संरक्षण रणनीति, 2002 • राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006	• 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून • खनिज एवं खान (विकास व विनियमन) कानून 1957 • वन संरक्षण कानून 1980

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

अधिनियम की विशेषताएँ (Highlights of the Act)

1. 'अत्याचार' शब्द की परिभाषा पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा (1) (क) 3 के अधीन दंडनीय अपराध के रूप में की गई थी। धारा 3(1) में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कारवास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी, लेकिन जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।
2. इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(2) गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के प्रति किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न श्रेणी के दंड और जुर्माने के साथ अपराध विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
3. ये अपराध जो मुख्यतः व्यवहार के तरीकों से सम्बन्धित हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान को चकनाचूर करते हैं और स्थूल रूप से आर्थिक अधिकारों और लोकतांत्रिक सम्मान को नकारने, महिलाओं पर हमला करने अथवा उनका यौन शोषण करने, सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने और/अथवा उसे नष्ट करने की कानूनी और/अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का जानबूझ कर दुरुपयोग करने के बारे में होते हैं।
4. संविधान के अनुच्छेद 244 में यथानिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों अथवा जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाने वाला संभावित अपराध भी इसमें शामिल है।
5. इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य कारावास की अवधि छः मास से कम नहीं होगी, जो जुर्माने सहित पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बार अपराध करने के दोषी व्यक्ति के लिए कारावास का न्यूनतम दंड एक वर्ष है।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में मामलों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, अदालतों में मामलों को चलाने के प्रायोजन से विशेष लोक अभियोजकों और अनुसूचित क्षेत्र अथवा जनजातीय क्षेत्रों में किसी अपराध के लिए, किसी क्षेत्र को अत्याचार-प्रवण क्षेत्र घोषित करने और इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा निवारक और दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए विशिष्ट रूप से उपबन्ध किए गए हैं।
7. अधिनियम में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार हर वर्ष उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (संशोधन), 1995 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (Amendment), 1995)

अधिनियम की विशेषताएँ (Highlights of the Act)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कर्तव्य और जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कर्तव्य समनुद्दिष्ट किए गए हैं।

राज्य सरकारों को मुख्य कार्य सौंपे गए हैं (Important work delegated to state government)

1. अत्याचार-प्रवण क्षेत्र परिलक्षित करना, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सरकार को सहायता देने के लिए उच्च स्तरीय राज्य समिति, जिला और डिवाजनल समितियाँ गठित करना, सतर्कता और निगरानी समिति स्थापित करना और जागरूकता केन्द्र स्थापित करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को उनके अधिकारों, आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित करना;
2. जिला मेजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार के सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नामांकित करना;
3. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक सतर्कता और निगरानी समिति स्थापित करना;
4. अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च से पहले एक रिपोर्ट भेजना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट को ये कार्य सौंपे गए हैं (Work delegated to the district magistrate)

1. घटना स्थल पर जाना और जीवन की क्षति और सम्पत्ति को हुए नुकसान को आकना;
2. तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना; विशेष न्यायालय को राहत और पुनर्वास के बारे में सूचना देना;
3. यदि उत्पीड़ित चाहे, तो मुकदमा लड़ने के लिए किसी प्रतिष्ठित वकील की सेवाएँ मुहैया करना; और
4. अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिले में एक सतर्कता और निगरानी समिति स्थापित करना।

इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत

जिला पुलिस अधीक्षक के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं

(Responsibility decided for district superintendent of police)

1. घटना-स्थल पर जाना;
2. क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करना और ऐसे अन्य निवारक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएँ;
3. एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करना जो पुलिस के उप-अधीक्षक से नीचे के रैंक का न हो और नियुक्ति करने से पहले उसके पूर्व-अनुभव, योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखना और
4. यह सुनिश्चित करना कि अन्वेषण 30 दिनों के अन्दर पूरा हो जाए।

भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की मॉनिटरिंग हेतु संवैधानिक निकाय (Constitutional Body for Monitoring Scheduled Tribes Rights in India)

संविधान के निर्माताओं ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि देश के कुछ समुदाय अत्यंत सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उत्पीड़ित हैं, जो अस्पृश्यता की अति-प्राचीन प्रथा से उत्पन्न हुआ है और कुछ अन्य समुदाय आदिम काल की कृषि पद्धतियों, बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं के अभाव और भौगोलिक अलगाव के कारण इन बातों में पिछड़े हुए हैं और इसलिए उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 342 के खंड 1 के उपबन्धों के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संस्थापक शासन के खिलाफ रक्षापायों की व्यवस्था करने के लिए और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में विशेष उपबन्ध किए गए थे। सरकार ने महसूस किया कि अपनी सामाजिक निःशक्तता और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, वे निर्वाचित पदों, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में अपना युक्तिसंगत हिस्सा प्राप्त करने में धीरे रूप से असमर्थ हैं और, इसलिए, शासन में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन समुदायों के पक्ष में आरक्षण की नीति का अनुसरण करना जरूरी समझा गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (सांविधिक)

(National commission for scheduled castes and scheduled tribes (Statutory))

एक सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने के लिए एक नया विधेयक, अर्थात् संविधान (पैसठवाँ संशोधन) विधेयक, 1990 संसद में पेश किया गया था। संसद द्वारा पारित विधेयक को 7 जून, 1990 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 8 जून, 1990 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम 3 नवम्बर, 1990 को अधिसूचित किए गए थे। इस अधिनियम को 12 मार्च, 1992 से लागू किया गया था।

संविधान (पैसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 338 में यह उपबन्ध किया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य होंगे और उनकी सेवा की शर्तें, उनके पद का कार्य-काल ऐसा होगा, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन और संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना
(Division of National scheduled castes and scheduled Tribes the establishment of a different National commission for scheduled tribes under Article 338A)

संविधान के निर्माताओं ने यह महसूस कर लिया था कि भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएँ और समस्याएँ अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं और, इसलिए, अनुसूचित जातियों का सर्वोन्मुखी विकास करने के लिए एक विशेष कार्य-पद्धति की आवश्यकता है।

अक्टूबर, 1999 में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की ओर सूक्ष्मता से ध्यान केन्द्रित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया था। यह जरूरी समझा गया था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित सभी क्रियाकलापों को समन्वित करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक रूप से साध्य नहीं होगा।

यह भी आवश्यक समझा गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के रक्षोपायों के कार्यान्वयन को अधिक कारगर ढंग से मॉनीटर करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करके और संविधान (नवासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338(क) शामिल करके 19 फरवरी, 2004 से की गई थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और कार्य-काल) नियम, 2004 फरवरी, 20, 2004 को अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस तारीख से, जब वे ऐसा पद ग्रहण करेंगे तब तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः संघ के मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियाँ (Functions, Responsibility and Powers of National Commission for Scheduled Tribes)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियाँ संविधान (नवासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) और (9) द्वारा निर्धारित की गई हैं।

1. संविधान के अंतर्गत अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;
2. अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वाचित करने के सम्बन्ध में निश्चित शिकायतों की जाँच करना;
3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रक्रिया से आग लेना और सलाह देना और संघ तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
4. इन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
5. ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और
6. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के बारे में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहण करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
7. किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति अधिग्रहण करना;
8. वे उपाय, जो लघु वन उत्पादों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार, वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रदान करने के लिए किए जाने आवश्यक हैं;
9. खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को विधि के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपाय;
10. जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और आजीविका की और अधिक समक्ष कार्यनीतियों के लिए कार्य करना;
11. विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास के उपायों की उपादेयता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय;
12. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

इकाई-3.2

केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के असुरक्षित वर्ग के लोगों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the Population by the Centre and State)

अनुसूचित जातियाँ एवं शोषित वर्ग

मुख्य तथ्य (Key Facts)

2011 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या लगभग 20.14 करोड़ दर्ज की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या लगभग 16.66 करोड़ थी। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 20.8% हुई जबकि इसी अवधि के दौरान देश की जनसंख्या में वृद्धि 17.7% हुई। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में 9.79 करोड़ महिलाएँ हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 946 (1000 पुरुषों पर) है। नागालैंड, लक्षद्वीप व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं।

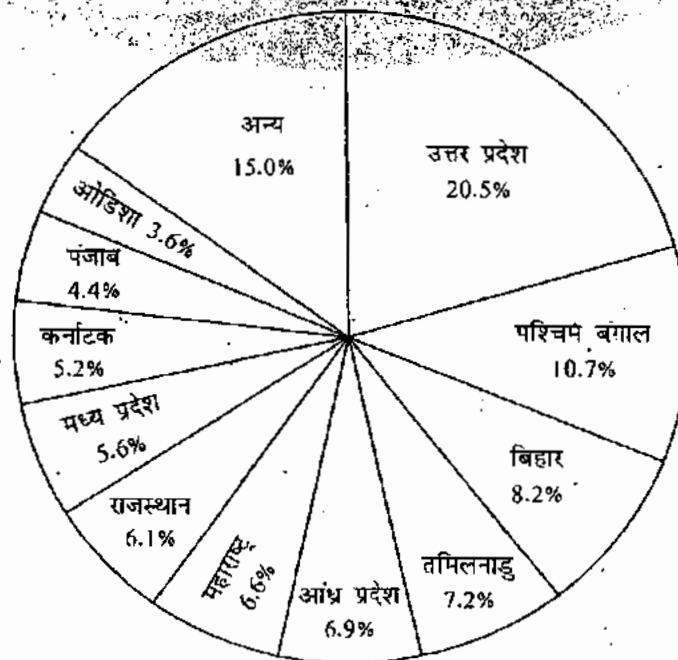
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इस प्रकार है

(मिलियन अर्थात् 10 लाख में)

	2001	2011	विचलन (%)
कुल लोग	166.6	201.4	+20.8%
पुरुष	86.1	103.5	+20.3%
महिलाएँ	80.5	97.9	+21.5%

अनुसूचित जातियों का राज्यवार वितरण (जनगणना 2011)

[Distribution of scheduled caste population by states (Census 2011)]



वर्ष 1998 में स्थापित सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देख-रेख हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के अधीन यह मंत्रालय अनुसूचित जाति उपयोजना (Scheduled castes sub-plan) का क्रियान्वयन करता है। यह योजना केंद्रीय नीतिगत योजना होती है जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित सभी योजनाएँ बनाई जाती हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना (Scheduled Caste Sub-plan-SCSP)

विभिन्न संवैधानिक रक्षोपायों और इस संबंध में सन् 1951 से ही लागू की गई विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बावजूद अनुसूचित जातियों के लोग विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में काफी पीछे रहे हैं। 'भारत में मानव निर्धनता और सामाजिक रूप से वंचित समूह' पर यूएनडीपी इंडिया रिपोर्ट (2007) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों का मानव विकास सूचकांक 0.303 अनुमानित है जो कि गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के एचडीआई (वर्ष 1980-2000 की अवधि के लिए 0.393) से कम है। भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर नेशनल सैमपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट (61वाँ चक्र, जुलाई 2004 - जून 2005) में बताया है कि इस दौरान श्रम बल में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अनुसूचित जाति तथा उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का अनुपात था। इन समूहों हेतु श्रम बल का प्रतिशत क्रमशः 51%, 44% एवं 40% था।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अनवरत और व्यापक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इन समूहों को अत्यंत प्रभावी ढंग से लाभान्वित करने हेतु नई नीतियों की जरूरत महसूस की गई। सरकार ने 1976 में एक पृथक् विकास योजना तैयार की जिसे अनुसूचित जनजाति हेतु जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub Plan for STs) के नाम से जाना गया। इसके बाद 1978 में अनुसूचित जातियों के लिए 'स्पेशल कंपोनेंट प्लान' आया जिसका नाम बाद में बदलकर अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) रख दिया गया। छठी योजना में पूर्व की योजनाओं के दौरान अनुसूचित जाति के विकास की अत्यंत धीमी गति के प्रमुख कारण के रूप में आर्थिक सहायता के अभाव को चिह्नित किया गया। अनुसूचित जातियों के मध्य निर्धनता में निर्धनतम को पहचानने के लिए जो रणनीति बनाई गई उसमें तीन उपकरणों को सम्मिलित किया गया- (i) राज्य एवं केंद्रीय मंत्रालयों की विशेष कंपोनेंट योजना (SCP), (ii) विशेष केंद्रीय सहायता (iii) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम (SCDCs)।

अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) को इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे अनुसूचित जातियों का भौतिक एवं वित्तीय अर्थों में समुचित विकास हो सके। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं का उद्देश्य समन्वित आय उत्पादक कार्यक्रमों (Composite Income Generating Programme) के जरिए गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों की मदद करना था। इन परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के सभी पेशेगत समूह जैसे कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान, साझा फसलोत्पादक (बैंटाईदार), मछुआरे, सफाईकर्मी, हाथ से मेल ढोने वाले तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले शहरी असंगठित मजदूर आते हैं। इसके अतिरिक्त पेय जल आपूर्ति, ग्रामों की सड़क से जोड़ना, आवास स्थल, आवास-मरम्मत तथा कुछ सेवाओं जैसे प्राथमिक पाठशालाएँ, स्वास्थ्य केंद्रों, पशुचिकित्सा केंद्रों, पंचायतघरों, सामुदायिक भवनों, पोषण केंद्रों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक सुविधा केंद्रों आदि प्रावधानों के माध्यम से विशेष घटक योजनाओं (Special Component-plan - SCP) का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लोगों का जीवन स्तर उठाना भी है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भी अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) का सूत्रपात करें और यह सुनिश्चित करें कि निधियों का प्रवाह देश की अनुसूचित जाति के लोगों को अनुपातिक दृष्टि से लाभ पहुँचाए।

अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) - उद्देश्य एवं रणनीति (Scheduled Caste Sub-plan (SCSP) - Objective and Strategy)

1979 से लेकर अब तक अनुसूचित जाति उपयोजना की रणनीति निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रही है:

- (क) आय बढ़ाने और परिसंपत्तियाँ सृजित करने हेतु लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक विकास।
- (ख) पेयजल आपूर्ति, लिंक सड़कों, आवास स्थलों, आवास आदि के प्रावधान के माध्यम से संरचनात्मक विकास हेतु बस्ती-उन्मुख योजनाएँ।
- (ग) शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संबंधी क्रियाकलाप जैसे प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, व्यावसायिक केंद्रों, सामुदायिक भवनों, महिला कार्यस्थल आदि की स्थापना।

विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance-SCA)

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय विशेष केंद्रीय सहायता की केंद्रीय योजना (Central Scheme) के तहत SCSP (Scheduled Castes Sub-plan) को 100% अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के SCSP के बड़े अंतर

की भरपाई करने हेतु दिया जाता है। यह अनुदान योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से सहायक संरचनात्मक विकास के साथ परिवारोन्मुखी आय सृजन योजनाओं में वित्तुप्त महत्वपूर्ण आगम की भरपाई के लिए भी दिया जाता है। विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी उत्पादकता एवं आय बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। SCA का प्रयोग उन खण्ड क्षेत्रों (Blocks) में भी संरचनागत विकास हेतु किया जा सकता है जहाँ की कुल जनसंख्या का 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

SCSP के अनुसार अनुसूचित जाति के लाभ हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएँ (Important schemes to be implemented for the benefit of SCs as per SCSP)

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वयन हेतु सुझायी गई कुछ योजनाओं का विवरण-

- सर्वप्रथम उन गाँवों को छूटना चाहिए जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 50% या इससे अधिक हो और उसके बाद इन गाँवों में भारत निर्माण योजना के तहत सभी विकासवात्मक गतिविधियाँ जैसे- विद्यालयी शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि क्रियान्वित करना।
- प्रत्येक संभागीय मुख्यालय में एक पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति हेतु नर्सिंग व पैरामेडिकल प्रशिक्षण कोर्स हेतु एक या दो प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- राज्य व राज्य के बाहर बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु रोजगार के अवसर जुटाने की दृष्टि से रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में अच्छी गुणवत्ता वाले आईआईटीआई केंद्रों की स्थापना करना।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों तथा अन्य सेवाओं में प्रवेश हेतु तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति को किसी भी प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश लेने की सुविधा दिलाना तथा उनकी पूरी फीस की व्यवस्था SCSP निधियों से सरकार द्वारा किया जाना।
- प्राइवेट महाविद्यालयों एवं संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति SCSP निधियों से समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाना।
- ऐसे गाँवों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं है, इंदिरा आवास योजना के तहत बेघरों को गृह निर्माण हेतु भूमि खरीदकर उन्हें उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सदैव खाद्यान्नों का अभाव रहता है अतः राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वह 5-10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) का चुनाव करें और इन्हें आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु राशन की दुकानों का आवंटन किया जाए। उन्हें 5 लाख रुपये तक का सब्सिडी/ऋण (वासुली योग्य) भी प्रदान किया जा सकता है।
- शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- संबंधित जिला/खंड विशेष के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की विकासवात्मक आवश्यकताओं का पता लगाने की जिम्मेदारी जिला/ब्लॉक स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों को सौंपना।

अनुसूचित जाति विकास निगम (Scheduled Castes Development Corporation-SCDC)

अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना सन् 1978-79 में केंद्र राज्य के 49:51 के अनुपात में राज्य निगमों की समान भागीदारी की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme - CSS) के रूप में की गई थी। अनुसूचित जाति विकास निगम रोजगार उन्मुख योजनाओं का वित्तपोषण करती है जिसके अंतर्गत (i) सूक्ष्म सिंचाई सहित कृषि एवं संबद्ध क्रियाएँ (ii) लघु उद्योग (iii) परिवहन एवं (iv) व्यापार एवं सेवा क्षेत्र सम्मिलित है। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation - NSFDC)/बैंकों से ऋण प्रभाग से जुड़ी परियोजनाओं का भी वित्तपोषण करती है।

जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub-plan - TSP) एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (Scheduled Caste Sub-plan - SCSP) से जुड़े मामलों को देखरेख हेतु एक केंद्रीय स्थायी त्रिपक्षीय समिति (Central Standing Tripartite Committee - CSTC) का गठन मई 1999 में किया गया था। इसमें योजना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। SCSP एवं TSP के सूत्रपात, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग (अनुवीक्षण) की समीक्षा करने तथा योजना आयोग एवं प्रधानमंत्री को उन उपायों जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक प्रभावी हो सकते थे, के लिए CSTC का पुनर्गठन 2006 के आरंभ में किया गया।

SCSP हेतु 2006 में योजना आयोग द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देश

(Main Guidelines for SCSP as issued by Planning commission in 2006)

- कुल राज्य योजना से SCSP एवं TSP हेतु निधियों का निर्धारण कम से कम उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के समानुपाती होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित व विकास से जुड़े समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण विभाग को SCSP के नीति निर्धारण व क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाना।
- SCSP एवं TSP हेतु निर्धारित निधियों को प्रत्येक विकास विभाग के लिए पृथक् बजट मद/उप-मद में बाँटना।
- संबंधित विभागों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को 100% बजट प्रावधानों, मंजूरीयों व समय पर निधियों की व्यवस्था करने के आग्रह के साथ SCSP व TSP की सहायता करना।
- SCSP एवं TSP के तहत केवल उन्हीं योजनाओं को शामिल करना जो प्रत्यक्षतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों व परिवारों के हितों को सुनिश्चित करे।
- 10 वर्षों के भीतर शेष जनसंख्या और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच की खाई पाटने के उद्देश्य से प्रत्येक योजना हेतु SCSP एवं TSP से संबंधित विस्तृत भौतिक व वित्तीय प्रलेख तैयार करना।

भारत में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ

(Important Welfare Schemes for the Development of Scheduled Caste in India)

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति

(Post Matric Scholarship for Scheduled Castes Student)

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद या माध्यमिक शिक्षा के बाद के स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक सहायता में निवाहन भत्ता, शिक्षण संस्थान द्वारा लिए गए अप्रतिदेय अनिवार्य शुल्कों का पुनर्भुगतान, पुस्तक बैंक सुविधा एवं अन्य भत्ते सम्मिलित हैं। छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए देय है तथा यह मूल रूप से प्राथी से सम्बद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय प्रतिवर्ष ₹ 200000 (दो लाख रुपये) से अधिक न हो। इस योजना का निष्पादन राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो इस योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का शत प्रतिशत (100%) केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त करती है तथा यह उसके अपने संकल्पित उत्तरदायित्वों (देयता) के अतिरिक्त है। लेकिन जीवी पंचवर्षीय योजना काल (1997-2002) से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए इस योजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यय का वहन भारत सरकार कर रही है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(Pre-Matric Scholarships for Scheduled Castes Students)

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के शिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना ताकि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के संक्रमण काल में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाई जा सके एवं मैट्रिक पूर्व कक्षा IX एवं X में अनुसूचित जाति के बच्चों की भागीदारी में वृद्धि की जा सके जिससे उनके बेहतर प्रदर्शन एवं मैट्रिक के बाद के स्तर के शिक्षा की ओर अग्रसर होने की एक बेहतर संभावना उत्पन्न हो।
- छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 200000/- (दो लाख रुपये) प्रति वर्ष से अधिक न हो।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छात्रवृत्ति में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं-
 - (i) छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान
 - (ii) निःशक्त विद्यार्थियों जो कि गैर-आर्थिक सहायता प्राप्त किन्तु पान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, को अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं।

- इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। सभी राज्य सरकारें व केन्द्र शासित प्रदेश-के प्रशासन यथा समय समुचित रूप से योजना को प्रचारित करेंगी एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों, अपनी वेबसाइटों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में स्थानीय भाषा में विज्ञापन जारी कर आवेदनों को आमंत्रित करेंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों को समय पर एवं सटीक छात्रवृत्ति का भुगतान हो, राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के द्वारा छात्रवृत्तियों का निष्पादन करेंगी जिसमें 'ई-पेमेंट' (इलेक्ट्रॉनिक-भुगतान) प्रणाली भी सम्मिलित है।
- यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है एवं राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है जो अपने संकल्पित उत्तरदायित्वों (देयता) के अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का शत प्रतिशत (100%) केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त करेंगी।
- राज्य सरकारें एवं केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन इस योजना का निष्पादन इस प्रकार से करेंगी-
 - (i) लाभार्थियों के आँकड़े (डेटाबेस) तैयार करेंगी जो विशिष्ट पहचान पत्र (UID) से इस प्रकार सम्पेक्षित हो सकती है-
 - (a) आधार संख्या (UID) को इसमें समाहित कर (b) UID सक्रिय बैंक खातों में छात्रवृत्तियों का भुगतान (c) लाभार्थियों की पहचान के लिए UID प्रमाणीकरण का उपयोग।
 - (ii) विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य एवं जिला स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों (Grievance Redressal Offices - GRO) को नियुक्ति।

मलिन पेशों में कार्यरत बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ (Pre-Matric Scholarships for Children of those engaged in Unclean Occupation)

इस योजना को वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में इस योजना में केवल छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी ही आते थे। कालान्तर में वर्ष 1991 में गैर-आवासीय विद्यार्थियों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है-

- (i) शुष्क शौचालय के सफाई कर्मी (मेहतर)
- (ii) झाड़ू लगाने वाले जो परंपरागत रूप से सफाई कार्यों से जुड़े हैं
- (iii) चर्मकार
- (iv) खाल उतारने वाले कर्मी एवं
- (v) मेनहोल (बंद नालियों) एवं खुली नालियों के सफाई कर्मी।

योजनान्तर्गत सहायता के दो अवयव हैं-

- (i) मासिक छात्रवृत्ति (10 माह के लिए)।
- (ii) वार्षिक अस्थायी अनुदान (समय-समय पर होने वाले व्यय जैसे लेखन-सामग्री एवं पोशाक इत्यादि)

पात्रता के लिए कोई आय की उच्चतम सीमा या जाति बंधन नहीं है। सबसे बड़े समूह के रूप में विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है। दिसम्बर, 2008 में योजना को संशोधित किया गया था।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (Rajeev Gandhi National Fellowship for Providing Scholarships to Scheduled Caste Students)

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जातियों के लिए एम. फिल. एवं पी. एच. डी. जैसी डिग्री वाले उच्च शिक्षा में अवसरों को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के नाम से एक केन्द्र प्रायोजित योजना को आरंभ किया। कालान्तर में इस योजना में संशोधन किया गया जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है। यह योजना अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करती है जो विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान डिग्रियों में अध्ययनरत हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी नोडल एजेंसी है। यूजीसी इस योजना की सूचना समाचार पत्रों में समुचित विज्ञापन जारी करके देती है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली फेलोशिप की कुल संख्या 2000 है। दी जाने वाली फेलोशिप की तुलना में यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो यूजीसी अभ्यर्थियों द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों का चुनाव करेगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana-PMAGY)

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2009-10 से एक नई केन्द्र प्रायोजित पायलट (प्रायोगिक) योजना जिसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कहा जाता है, को क्रियान्वयन की स्वीकृति दी। यह योजना देश के 50% से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 1000 ग्रामों के समेकित विकास के लिए है।

PMAGY वर्तमान में प्रायोगिक अवस्था में पाँच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु (प्रत्येक राज्य के 225 ग्रामों) एवं असम (100 ग्रामों) में चलायी जा रही है। राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर निश्चित संख्या में ग्रामों का चुनाव एक जिले से करेगी अन्यथा अधिकतम 2-3 पड़ोसी जिलों से करेगी।

PMAGY का लक्ष्य चुने गए ग्रामों का सर्वांगीण एवं समेकित विकास करना है-

- मुख्यतः केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रासंगिक योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा एवं
- उपरोक्त (i) के द्वारा जो आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होती, उसके लिए "रिक्तता-पूर्ति" कोष के प्रावधान द्वारा जिसके लिए 10 लाख रुपये प्रति ग्राम की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार से भी आश्रय की जाती है कि वह एक समुचित एवं सुमेलित योगदान दे।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (01.01.2008 से प्रभावी)

[Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana (Effective From 01.01.2008)]

- अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम एवं प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया है जबकि छात्रों के लिए यह कार्य वर्ष 1989-90 से प्रारंभ है। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण के पूर्व के केन्द्र प्रायोजित योजना में संशोधन किया गया है एवं इसका नाम परिवर्तित कर "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" कर दिया गया है जो 01.01.2008 से प्रभावी है। संशोधित योजना में मुख्य संशोधन है- (a) छात्राओं के हॉस्टल निर्माण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत (100%) तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों व निजी निकायों को 90% केन्द्रीय सहायता। (b) हॉस्टलों की निर्माण अवधि 5 वर्षों से कम कर 2 वर्ष कर दी गई है।
- इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन एवं केन्द्रीय तथा राजकीय विश्वविद्यालय/संस्थान नवीन छात्रावास के निर्माण एवं मरम्मत दोनों कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- छात्राओं हेतु हॉस्टल के वित्तपोषण का प्रारूप-
 - छात्राओं हेतु नये हॉस्टल के निर्माण एवं पहले से मौजूद हॉस्टलों के विस्तार हेतु 100% केन्द्रीय सहायता राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र/विश्वविद्यालयों को देय है।
 - निजी क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन (NGO) एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को छात्राओं के हॉस्टल में विस्तार हेतु 90% केन्द्रीय सहायता।

छात्रों हेतु छात्रावास के लिए केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है-

- राज्यों को 50:50 आधार पर
 - केन्द्र शासित प्रदेशों को 100%
 - केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90:10 के आधार पर
 - राजकीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 45:10 के आधार पर (राज्य 45)
 - निजी क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को केवल विस्तार हेतु (45:45:10) के आधार पर (राज्य 45)
4. प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक चारपाई, एक मेज एवं एक कुर्सी के लिए ₹ 2500 प्रति विद्यार्थी एक-कालिक अनुदान इस योजना के अन्तर्गत देय है जो अन्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति

(National Overseas Scholarship for Scheduled Casts Candidates)

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship) चुनिंदा अनुसूचित जातियों, गैर-अधिसूचितों, धूमकड़ व अर्ध-धूमकड़ जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं परंपरागत कलाकारों के विद्यार्थियों को विदेशों में अभियांत्रिकी, तकनीकी एवं विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. स्तर की उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।

योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा ली गई वास्तविक शुल्क राशि, मासिक निर्वाहन भत्ता, वार्षिक आकस्मिक भत्ते, आकस्मिक यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत माता-पिता/अभिभावकों का केवल एक ही संतान यह लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभार्थियों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की योजना

(Scheme of Free Coaching for SC and OBC Students)

योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी परीक्षाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU's) द्वारा आयोजित अधिकारी वर्ग परीक्षाओं एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन हेतु प्रति पूर्ति पाठ्यक्रमों/रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों जैसे आई.टी. बायो-टेक्नोलॉजी इत्यादि में प्रवेश परीक्षा पूर्व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना एवं आवश्यक लोकाचार कौशल (Soft Skill) को विकसित करना भी है।

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों, विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सुविख्यात कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना

(Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers)

भारत सरकार ने जनवरी 2007 से हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers - SRMS) आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए निर्धारित समय सीमा में राशि उपलब्ध करवाया जाता है। चिह्नित किये गये हाथ से मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों को ₹ 20000 तक की पूंजी एवं रियायती दरों पर ऋण उन्हें स्वरोजगार उद्यम अपनाने के लिए प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को कौशल विकास हेतु एक वर्ष की अवधि तक की प्रशिक्षण भी दिया जाता है एवं इस अवधि में ₹ 1000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

- चिह्नित किये गये सफाई कर्मियों की प्रशिक्षण ऋण एवं रियायती प्रदान की जाएगी ऋण बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी एवं उस पर ब्याज योजना में निर्धारित दरों पर लाभार्थियों से ली जाएगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai Karamchhari Finance and Development Corporation - NSKFDC) या कोई अन्य शिखर स्तर पर चिह्नित एजेंसी बैंकों को ब्याज रियायत स्टेट चैनलिंग एजेंसीज (State Channelising Agencies) या राज्य स्तर पर किसी अन्य चिह्नित एजेंसी के माध्यम से बैंकों द्वारा आरोपित ब्याज एवं लाभार्थियों से लिए जाने वाले ब्याज की अंतर राशि इस योजना के अन्तर्गत प्रदान करेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत सावधि ऋण (अधिकतम ₹ 5 लाख तक) एवं सूक्ष्म ऋण (अधिकतम ₹ 25000 तक) दोनों ही देय हैं। सूक्ष्म वित्तीयन स्वयं सहायता समूहों एवं सुविख्यात गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से भी क्रियान्वित होंगे।
- NSKFDC या योजना के अन्तर्गत चिह्नित अन्य कोई एजेंसी, योजना के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों की देख-रेख एवं सम्बन्धित एजेंसियों से समन्वय यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी की लाभार्थियों को समुचित लाभ हो।
- यह प्रस्तावित है कि योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर NSKFDC या इस उद्देश्य से चिह्नित किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी State Channelising Agencies या इस उद्देश्य के लिए चिह्नित राज्य सरकार की कोई एजेंसी एवं सुविख्यात गैर सरकारी संगठन में से होंगी।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग दिए गए संदर्भ शर्तों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सकती है। योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा और योजना के कुल लागत का 1% (अर्थात् 7.35 करोड़ ₹.) निगरानी एवं ससमय मूल्यांकन के लिए तय किया गया है।

अनुसूचित जातियों की कन्याओं हेतु शिक्षा विकास कार्यक्रम

(Educational Development Programme for Scheduled Castes Girls)

इसका उद्देश्य अत्यन्त कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की कन्याओं हेतु आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की बहुमुखी सेवाएँ प्रदान करना है जहाँ कन्याओं के शिक्षा के लिए अनुकूल परंपराएँ एवं परिवेश नहीं है। यह योजना सम्बन्धित जिले के जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित होती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(National Scheduled Castes Finance and Development Corporation)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) की स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अन्तर्गत की गई। NSFDC का वृहद उद्देश्य रियायती ऋण के रूप में सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों, जो दोहरी गरीबी रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 40,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹ 55000 प्रतिवर्ष) के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के आर्थिक विकास, उत्थान एवं आर्थिक सशक्तीकरण लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1000 करोड़ है। निगम ने 31.03.2011 तक 7.51 लाख लाभार्थियों के मध्य ₹ 21.14 करोड़ का वितरण किया है। NSFDC चैनल वित्त प्रणाली (Cannel Finance System) के माध्यम से कार्य करती है जिसमें निगम के रियायती ऋण सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के द्वारा नियुक्त State Channelising Agencies के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुँचती है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(National Safai Karmcharis Fiance and Development Corporation)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 24 जनवरी, 1997 को एक 'अलाभकारी कम्पनी' के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत किया गया था। इस शिखर संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों/हाथ से मैला देने एवं उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं लाभार्थियों को रियायती आर्थिक सहायता देकर आय सृजनकारी परियोजना की स्थापना में सहयोग करना है। निगम सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों की ऋण State Channelising Agencies के माध्यम से प्रदान करती है।

निगम लक्षित समूहों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण भी प्रदान करती है। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु 100% अनुदान प्रदान करती है।

- निगम के लक्षित समूहों में मलिनकर्मी अर्थात् जो पूर्णतः या आंशिक रूप से मानव मूल के हाथ से निस्तारण कार्यों में संलग्न हैं एवं सफाई कर्मचारी अर्थात् जो स्वच्छता (सफाई) कार्यों में संलग्न हैं तथा उनके आश्रित शामिल हैं।
- आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई उपरि आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि निगम सफाई कर्मियों, सफाई कर्मियों में जो दोहरी गरीबी रेखा से नीचे है, लक्षित समूह की महिलाएं एवं विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास एवं पुनर्वास को प्राथमिकता देती है।

केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के असुरक्षित वर्ग के
लोगों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ
(Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the
Population by the Centre and State)

अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु योजनाएँ

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ (Pre-matric Scholarships for OBCs)

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी खेतों से ₹ 44,500 प्रतिवर्ष से अधिक न हो। छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं को यह छात्रवृत्ति कक्षा-III एवं गैर-आवासीय छात्र-छात्राओं की कक्षा-I से लेकर मैट्रिक-पूर्व स्तर तक प्रदान की जाती है। कक्षा-X के पश्चात यह छात्रवृत्ति देय नहीं है। एक शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति की अवधि 10 माह होती है। यह छात्रवृत्ति सम्बन्धित राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान एवं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त मैट्रिक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ही देय है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को प्रदान की जाती है एवं केंद्र शासित प्रदेश के मामले में यह 10 प्रतिशत है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियाँ (Post-Matric Scholarships for OBCs)

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए देय है एवं यह प्रार्थी छात्र-छात्राओं को सम्बन्धित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति केवल मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन के लिए ही दी जाती है। बेरोजगार छात्र-छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय ₹ 44,500 प्रतिवर्ष से अधिक न हो उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन को प्रतिवर्ष उत्तरदायित्व के अतिरिक्त दी जाती है।

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास (Hostels for OBC Boys and Girls)

इस योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिनके केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अनुसूचित किया गया है, को छात्रों को शिक्षण के सर्वात्म्य अवसर उपलब्ध करना है। योजना के तहत छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को क्रमशः 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये छात्रावास माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं। छात्रावास के लिये भूमि अधिग्रहण का व्यय और कर्मचारियों एवं अन्य रख-रखाव कार्यों का व्यय सम्बन्धित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

**अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता
(Assistance to Voluntary Organisations for Welfare of OBCs)**

इस योजना का उद्देश्य स्वयं सेवी संगठनों को सम्मिलित करके उनकी सहायता से अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए उनका कौशल संवर्धन करना एवं उन्हें स्वयं की आय उत्पादक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना या उन्हें लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिशियन, मोटर बाइंडिंग एवं फिटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, कम्पोजिंग एवं बुक बाइंडिंग, टाइपिंग एवं शॉर्टहैंड तथा वेल्डिंग एवं फिटर प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों के लिए स्वीकृत व्यय की 90 प्रतिशत सशि सहायता स्वरूप प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)

[National backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का एक राष्ट्रीय उपक्रम है। इसका निगमन कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अन्तर्गत 13 जनवरी, 1992 को एक

गैर-लाभकारी, गैर व्यावसायी कम्पनी के रूप में किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आर्थिक एवं विकासपरक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा इस वर्ग के गरीब तबकों में कौशल विकास एवं स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। निगम सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा नामित राज्य प्रसार एजेंसियों (State Channelising Agencies – SCA) के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। निगम राज्य प्रसार एजेंसियों या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है। निगम इस वर्ग के गरीब तबकों के व्यक्तियों में कौशल विकास एवं स्वरोजगार उद्यमों जैसी आय उत्पादक गतिविधियों की एक वृहद शृंखला के लिए निम्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सहायता प्रदान करता है-

1. कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ
2. लघु व्यवसाय
3. कला एवं पारंपरिक व्यवसाय
4. तकनीकी एवं व्यवसायिक ट्रेड/पाठ्यक्रम
5. परिवहन एवं सेवा क्षेत्र इत्यादि

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कदम (Affirmative Action for SC, ST, OBC)

सरकारी सेवाओं में आरक्षण (Reservation in Services)

सरकारी नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं (नौकरियों) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। विकलांग एवं भूत-पूर्व सैनिकों को भी कुछ श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती में क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण दिया जाता है अन्यथा अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्गों को प्रोन्नति में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त स्थानों का 3% आरक्षित रखा गया है। भूत-पूर्व सैनिकों के लिए सभी अर्द्धसैनिक बलों के सहायक कमाण्डेण्ट स्तर तक समूह-C के पदों में 10 प्रतिशत तथा समूह-D के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण है।

संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 परिभाषित करते हैं कि किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संदर्भ में कौन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होंगे। सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार की है। सेवाओं (नौकरियों) में आरक्षण प्राप्त करने के लिए 'भूतपूर्व-सैनिक' की परिभाषा भूतपूर्व-सैनिक (लोक सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 में दी गई है तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की शर्तें निश्चित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत दी गई हैं।

अल्पसंख्यकों का कल्याण (Welfare of the Minorities)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी इन पाँच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ये पाँच समुदाय राष्ट्र की 18.47 प्रतिशत जनसंख्या की संरचना करते हैं। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर केन्द्रित पहल एवं उनके हित के लिए नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने, समन्वय, मूल्यांकन तथा वैधानिक एवं विकासपरक कार्यों की समीक्षा के लिए 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम (PM New 15 Points Programme for the Welfare of Minorities)

परिचय (Introduction)

स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15-सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।
- मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार के पदों पर भर्ती करना।

- आधारभूत ढाँचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की उपयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करके उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना।
- सांप्रदायिकता तथा हिंसा पर नियंत्रण एवं रोकथाम।
- नए कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों को निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ उचित रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यथानुपात विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ कहीं भी संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय राशि का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।
- 15-सूत्री कार्यक्रम में व्यक्त शब्द "महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी" उन जिलों/उप जिला इकाइयों में लागू होता है जहाँ जिस इकाई की कुल आबादी की न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध हो।
- उन राज्यों में, जहाँ कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद (-2) के अधीन अधिसूचित हो, अर्थात् बहुसंख्यक हो तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। ये राज्य हैं- जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, सिक्किम, मिज़ोरम तथा नागालैंड। लक्षद्वीप इस समूह में एकमात्र संघ शासित क्षेत्र है।
- कार्यक्रम की जटिलता तथा इसकी व्यापक पहुँच को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी संभव होगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग भौतिक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेगा। इसका विभाजन निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करते हुए देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रही कुल अल्पसंख्यक आबादी को ध्यान में रखकर राज्य/संघ शासित क्षेत्र विशेष में गरीबी को रेखा के नीचे रह रही आबादी के यथानुपात राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच किया जाएगा।
- कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय/विभाग भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इनकी देखरेख करेंगे।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इसके सदस्यों में 15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजनाएँ लागू करने वाले विभागों के सचिव और विभाग प्रमुख, पंचायती राज संस्थाओं/संवायत जिला परिषदों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि तथा ऐसे तीन अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा उपयुक्त समझा गया हो शामिल होंगे।
- इसी तरह से, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन कर सकते हैं।
- इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे छह महीने में एक बार सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षण समिति होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव इस समिति का प्रमुख होगा।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

1. एंकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता
2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन
4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति; मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसरचना को उन्नत करना
7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना
8. तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन
9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता
10. राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती
11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार
13. सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
14. सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
15. सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

(Scholarship Schemes for Students Belonging to the Minorities Communities)

अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। छात्रों को भी समुचित लाभ प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ उनके लिए आरक्षित की गई हैं।

- (i) योग्यता-सह-साधन (Merit-cum-means) छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना है। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 20000 नवीन छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत 70 संस्थान अधिसूचित हैं एवं इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में प्रति वर्ष अधिकतम ₹ 20000 प्रतिदेय हैं।
- (ii) मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजना पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को ग्यारहवीं (XI) कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक के अध्ययन के लिए दी जाती है तथा इसमें ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹ 3000 से लेकर ₹ 10000 तक पाठ्यक्रम शुल्क के लिए प्रतिदेय हैं।
- (iii) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के अनुपात में भागीदारी के तौर पर क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 (एक) से लेकर कक्षा-दस (X) तक के विद्यार्थी सम्मिलित हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को ₹ 4700 तक का शुल्क प्रतिवर्ष प्रतिदेय होगा।

निःशुल्क कोचिंग एवं सहायक योजना का प्रारंभ जुलाई 2007 में इस उद्देश्य के साथ किया गया कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों (सेवाओं) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़े साथ ही उन्हें रोजगार के क्षेत्रों में उभरते नये प्रचलनों के अनुसार ढाला जा सके।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों को चिह्नित करना (Identification of Minority Concentration Districts)

वर्ष 2001 की जनगणना के आँकड़ों एवं संबद्ध पिछड़ेपन के पैमानों के आधार पर देश में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले चिह्नित किए गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल जिलों की जनसंख्या का मान/नमूना निम्न प्रकार से है-

- (i) कुल जनसंख्या के कम से कम 25% उल्लेखनीय अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों की पहचान 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में की गई।
- (ii) 5 लाख या उससे अधिक विशुद्ध अल्पसंख्यक जनसंख्या एवं 20% से अधिक किन्तु 25% से कम अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों की पहचान 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई।
- (iii) छः राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक हैं व बहुमत में हैं। इसके अतिरिक्त उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 15% अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों की भी पहचान हुई है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए गए पिछड़ेपन के पैमाने निम्नलिखित थे:

1. जिला स्तर पर धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक सूचकांक/संकेतक:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (i) साक्षरता दर | (ii) महिला साक्षरता दर |
| (iii) रोजगार सहभागिता दर एवं | (iv) महिला रोजगार सहभागिता दर |

अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम

(Multi-Sectoral Development Programme for Minorities)

परिचय (Introduction)

वर्ष 1987 में 1971 में हुई जनगणना के आँकड़ों पर आधारित 20 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या की एक मात्र कसौटी के आधार पर देश में 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई।

बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम की संकल्पना सच्चर समिति की अनुशंसाओं के उपरान्त विशेष पहल के रूप में की गई। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में सरकार द्वारा अनुमोदित एवं 2008-09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में चलाई जाने वाली केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना एवं मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कर उन क्षेत्रों में विकास की कमी को पूर्ण करने की दिशा में एक क्षेत्र विशिष्ट विकासीय पहल है।

बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य

(Objective of Multi-Sectoral Development Programme (MsDP))

- यह कार्यक्रम आय उत्पन्न करने वाले अवसरों की योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षा हेतु बेहतर आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़क, पेयजल आदि के प्रावधानों से सम्बद्ध है।
- आमजनों के जीवन स्तर में सुधार हेतु एवं समावेशी वृद्धि व त्वरित विकास प्रक्रिया के लिए यह पहल केन्द्र एवं राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास होगा।

बहुक्षेत्रक विकास योजना (Multi-sectoral Development Plan (MsD Plan))

- राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन संबंधित विभाग को बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सुस्पष्ट जिम्मेदारी के संबंध में सूचित करेगा। राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा बहुक्षेत्रक विकास योजना एवं प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसी एक ही विभाग को सौंपी उपयुक्त होगी।
- बहुक्षेत्रक विकास योजना की तैयारी के दौरान राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण सहित कौशल विकास के कार्यों को प्राथमिकता देगा। राज्य को मिले आवंटन में से कम से कम 10% अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सुनिश्चित होना चाहिए।
- बहुक्षेत्रक विकास योजना प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक पहुंचाने एवं इन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रखण्डों में एक प्रखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रखण्ड स्तर की समितियाँ ग्राम स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यक विभिन्न परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए योजना बनाएंगी। तत्पश्चात् यह समिति इन योजनाओं को प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समिति को अनुशंसित करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न लक्षित क्षेत्रों जैसे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास एवं आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से संबंधित होनी चाहिए। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का गणितीय विकास भी इसी प्रकार से किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बच्चों को विद्यालय भेजने, महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने जैसे कार्यों के लिए सामाजिक लामबंदी एवं जागरूकता अभियान चलाने संबंधी परियोजनाएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को उन्नत करेंगी।
- योजना के सूत्रपात, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण सहित प्रत्येक स्तर पर आमजनों की सहभागिता हेतु पंचायती राज संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों का सम्मिलित होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के लिए जिला स्तरीय समिति योजनाओं की जाँच करेगी एवं राज्य स्तर की समिति को अनुशंसित करेगी।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के निष्पादन हेतु मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी राज्य स्तरीय समिति ही बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राज्य स्तरीय समिति का कार्य सम्बन्धित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लिए करेगी।
- बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए प्रखण्ड स्तरीय समिति जिम्मेदार होगी। यह समिति कम से कम प्रति तीन महीने में एक बार अवश्य सभा करेगी एवं जिला स्तरीय समिति को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट करेगी।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सुविख्यात बाह्य एजेंसी या योग्य पर्यवेक्षक द्वारा एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित करेगा।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समुदाय के लोगों को कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा में सम्मिलित करने के लिए एक समुचित सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) प्रणाली अपनाई जाएगी। राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रशासन सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) प्रणाली के सफल निष्पादन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रमों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अनुशंसाएँ

(12th Five Year Plan Recommendations for Multi-Sector Development Programme)

प्रखण्ड नियोजन की सूत्रपाती इकाई के रूप में: बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के निष्पादन के लिए वर्तमान में जिले के स्थान पर प्रखण्ड योजना की शुरुआती इकाई होगा। इससे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम की तीव्रता को बल मिलेगा, क्योंकि जिला इस कार्य के लिए एक बहुत बड़ी इकाई बन जाता है। इसके अतिरिक्त इससे योग्य अल्पसंख्यक बहुल प्रखण्डों को भी साथ लेने में सहायता मिलेगी जो कि वर्तमान में अवस्थित अल्पसंख्यक बहुल जिलों के दायरे से बाहर हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जिलों को चिह्नित करने के लिए अपनाये गए पिछड़ेपन के पैमाने के आधार पर कम से कम 25% अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या वाले प्रखण्डों को अल्पसंख्यक बहुल प्रखण्ड के रूप में चिह्नित किया गया। लक्षद्वीप, पंजाब, नागालैण्ड मेघालय, मिज़ोरम एवं जम्मू काश्मीर इन छ: राज्यों के मामले में जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय-बहुसंख्यक हैं, में इनके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक जनसंख्या (समुदाय नहीं) के 15% को पारगमन रेखा (कट-ऑफ) के न्यूनतम स्तर के रूप में अपनाया गया।

“नई-रोशनी”-अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

(Nai Roshni-The Scheme of Leadership Development of Minority Women)

परिचय (Introduction)

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की एक रिपोर्ट जिसे लोकप्रिय रूप से सच्चर समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, ने यह रेखांकित किया कि भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय-मुस्लिम विकास लक्ष्यों में पीछे रह गया है एवं इस समुदाय में मुस्लिम महिलाएँ दोहरा रूप में वंचित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2011-2012 में इस योजना का सूत्रपात किया एवं “अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास योजना” के रूप में इसका पुनः नामांकन कर वर्ष 2012-13 से इसका निष्पादन प्रारंभ किया।

प्रथम वर्ष के निष्पादन के अनुभवों के आधार पर, यह अनुभव किया गया कि लक्षित समूहों तक इसकी पहुँच एवं जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। इसलिए 6 मार्च 2013 को निवर्तमान वित्त समिति के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। उसकी अनुशंसाओं के अनुसार योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने के लिए निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

लक्षित समूह एवं लक्ष्यों का वितरण (Target Group and Distribution of Targets)

लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2(c) के अन्तर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों यथा मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय की महिलाएँ सम्मिलित हैं। यद्यपि समाज में उपस्थित विविधताओं को और भजबूती प्रदान करने एवं महिलाओं को अपने प्रयासों द्वारा अपना भाग्य बदलकर सामाजिक सुदृढ़ता एवं एकता प्रदान करने के लिए, यह योजना प्रस्तावों में गैर-अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी सम्मिलित करने की अनुमति देती है, जिनकी भागीदारी 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संगठन द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समूह के इस 25% के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग, महिलाएँ एवं अन्य समुदाय की महिलाओं के समुचित मिश्रण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

प्रयास यह होगा कि पंचायती राज संस्थान के अन्तर्गत चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षुओं के रूप में सम्मिलित होने के लिए राजी किया जाए।

नई रोशनी योजना के उद्देश्य (Objectives of Nai Roshni Scheme)

- अल्पसंख्यक महिलाओं एवं उसी ग्राम या क्षेत्र में उनके पड़ोस में रहने वाली अन्य समुदाय की महिलाओं की सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के विषय में जानकारी, साधन एवं उनसे पारस्परिक क्रियाओं की तकनीक प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें आत्मविश्वास स्थापित करना।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संगठनों के माध्यम से महिलाओं के लिए नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण योजनाएँ क्रियान्वित की जाएँगी।
- चुने गए संगठन को स्थानीय ग्राम या क्षेत्र में स्थापित अपने संगठन से परियोजना को सीधे तौर पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं के अधिकार एवं उनसे सम्बन्धित मुद्दे, उनके शिक्षण, रोजगार, जीविका इत्यादि से जुड़े मुद्दे आवश्यक रूप से समाहित होने चाहिए, जो उन्हें संविधान के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं तथा

केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध अवसर, सुविधा एवं सेवाएँ जो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, प्रतिरक्षा, परिवार नियोजन, रोग नियंत्रण, उचित मूल्य दुकान, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, स्व-रोजगार, दैनिक रोजगार, कौशल प्रशिक्षण अवसरों तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध इत्यादि क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं।

- इसमें पंचायती राज एवं नगरपालिका में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के कानूनी अधिकार, सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा), गृह सर्वेक्षण एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की सूची व औपचारिकताएँ, आधार या विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों की संरचना एवं कार्य प्रणाली, शिकायत निवारण फोरम/कार्यप्रणाली इत्यादि की जानकारी भी सम्मिलित हो सकती है।
- अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण के लिए चुने गए संगठन की जिम्मेदारी होती है कि वह एक उल्लेखनीय अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले ग्राम या क्षेत्र से योजना की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चुनाव करे।
- यद्यपि वार्षिक आय की कोई परिसीमा नहीं होगी, फिर भी चुनाव में महिला या उसके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹ 2.50 लाख से अधिक न होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग का होना चाहिए।

प्रशिक्षण के प्रकार (Types of Trainings)

- नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण दो प्रकार का होगा- गैर-आवासीय-एवं-आवासीय। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए चुनाव की शर्तें निम्नानुसार हैं:
- (a) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गैर-आवासीय नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण: ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से एक दल में 25 महिलाओं तक की नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा जो विशिष्ट रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की बेहतर एवं कल्याण व सामान्य तौर पर समाज की उन्नति करने के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध हों। 25 महिलाओं के समूह में कम से कम 10% महिलाओं को दसवीं (X) कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य होना चाहिए।
- (b) आवासीय नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण: 25 महिलाओं के समूह (एक दल) में आवासीय नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु एक ग्राम या शहरी क्षेत्र की अधिकतम पाँच महिलाएँ ही चुनी जा सकती हैं। उनके पास बारहवीं (XII) कक्षा या उसके समकक्ष का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यदि कक्षा XII उत्तीर्ण की हुई महिलाएँ सरलता से प्राप्त नहीं होती हैं तो दसवीं (X) कक्षा या उसके समकक्ष प्रमाणपत्रधारियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए विशिष्ट रूप से एवं सामान्य तौर पर समाज की उन्नति के लिए कार्य करने हेतु समर्पित, प्रेरित, प्रतिबद्ध एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य (Financial and Physical Targets)

- उल्लेखनीय अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों, प्रखण्डों एवं शहरों को विशेष ध्यान में रखते हुए यह योजना पूरे देश में क्रियान्वित की जाएगी। यह प्रस्तावित है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में दो लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रत्येक वित्त वर्ष में 40000 महिलाओं की दर से समावेशित किया जाएगा। संपूर्ण 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना के लिए वित्त की आवश्यकता ₹ 75 करोड़ है।

पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

- संगठनों द्वारा परियोजना के निष्पादन में हुई प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करेगा एवं इसके लिए सम्बन्धित राज्य के सचिव एवं सुविख्यात महिलाओं या गैर सरकारी संगठनों को समीक्षा बैठक में आमंत्रित करेगा।
- बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति, जिसमें लोक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कार्य सौंपा जा सकता है।
- 2015-16 में योजना का मध्यावधि मूल्यांकन होगा। मध्यावधि मूल्यांकन में मंत्रालय विशिष्ट रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेगा, जैसे- प्रशिक्षण मोड्यूल की आवश्यकता, इस प्रकार के प्रशिक्षण के वित्तीय औचित्य, एक संगठन द्वारा अधिकतम कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है आदि।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वित्तीय पहलू को छोड़कर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना के क्रियान्वयन में सुधार हेतु, जब जैसी आवश्यकता हो फेर-बदल एवं परिवर्धित कर सकता है।

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना-सीखो और कमाओ (Seekho Aur Kamao (Learn & Earn) The Scheme for Skill Development of Minorities)

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की 61वें दौर (2004-05) की मार्च 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में भी स्वरोजगार धार्मिक समुदायों के लिए मुख्य स्तम्भ रहा। वर्ष 2004-05 में 26% मुस्लिम व 35% ईसाई "कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार" पर निर्भर रहे, जबकि "गैर कृषि क्षेत्रों के स्वरोजगार" में 28% मुस्लिम एवं 15% ईसाई संलग्न रहे। वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी भारत के मुस्लिम घरों की "स्वरोजगार", "नियमित मजदूरी/वेतन" एवं "अंशकालिक श्रम" पर निर्भरता का अनुपात क्रमशः 49%, 30% एवं 14% था, जबकि ईसाइयों में यह क्रमशः 27%, 47% एवं 11% था। ग्रामीण भारत में ईसाइयों के मध्य बेरोजगारी दर अधिक (44%) थी, तत्पश्चात् मुस्लिम (23%) एवं हिन्दू (15%)। उसी प्रकार से शहरी भारत में बेरोजगारी ईसाइयों के मध्य सर्वाधिक (86%) तत्पश्चात् हिन्दू (44%) एवं मुस्लिम (41%) में थी।

सच्चर समिति की अनुशंसा के अनुसार, राष्ट्र एक उच्च वृद्धि/विकास के दौर से गुजर रहा है। यह वह समय है जब वंचितों की सहायता के लिए नये अवसरों का उपयोग कौशल विकास एवं शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी संख्या स्वरोजगार की गतिविधियों में संलग्न है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा अनुपात, विशेषकर महिलाएँ, वास्तव में गृह-आधारित कार्यों में संलग्न हैं। इनमें से कुछ कामगार तो उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिनमें आय वृद्धि का अनुभव हो रहा है किन्तु अधिकतर ऐसे पेशों या क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जिनमें वृद्धि एवं विकास दोनों ही रुक चुके हैं।

भारत ज्ञान आधारित अर्थतंत्र के संक्रमण काल में है तथा इसकी प्रतियोगिताएँ इसके लोगों द्वारा अधिक प्रभावी रूप से ज्ञान (जानकारी) को उत्पन्न, वितरित एवं उपयोग करने की क्षमता से निर्धारित होगी। इस परिवर्तन के लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञान कार्मिकों में विकसित करना होगा जो अधिक लचीले, विश्लेषणात्मक, अनुकूलनीय एवं बहुकौशल संपन्न होंगे।

ऊपर उल्लेखित बिन्दुओं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अल्पसंख्यकों की अधिकारिता पर कार्य दल की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा "अल्पसंख्यकों के कौशल विकास" हेतु केन्द्र द्वारा 100% प्रयोजित एक नई योजना "सीखो और कमाओ" प्रस्तावित की गई है, जिसे वित्त वर्ष 2013-14 से क्रियान्वित किया जाना है।

सीखो एवं कमाओ योजना का उद्देश्य (Objective of Learn & Earn Scheme)

- 12वीं योजना काल में अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना।
- अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल को सुरक्षित एवं अद्यतन करना एवं उन्हें बाजार से जोड़ना।
- मौजूदा श्रमिकों एवं विद्यालय छोड़ चुके व्यक्तियों इत्यादि के लिए रोजगार उन्मुखता में वृद्धि करना तथा उनके नियोजन को सुनिश्चित करना।
- सीमांत अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर जीविकोपार्जन के साधन विकसित करना एवं उन्हें मुख्यधारा में लाना।
- अल्पसंख्यकों को विकसित होते बाजार में अवसरों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना।
- राष्ट्र के लिए संभावित मानव संसाधन विकसित करना।
- यह एक शत प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन अधिसूचित योग्य संगठनों के माध्यम से सीधे तौर पर किया जाएगा।
- स्वीकृत परियोजनाओं के संपूर्ण व्यय का वहन अनुशंसित वित्तीय मानकों के अनुसार मंत्रालय करेगा।
- "सीखो और कमाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं का कुल कार्यकाल 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त हो जाएगा।
- आधुनिक कौशल के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 माह होगी तथा यह कौशल समूह पर निर्भर करेगा जिनमें तकनीकी कौशल, मृदु कौशल (सॉफ्ट स्किल) एवं जीवन कौशल सम्मिलित हैं।
- परंपरागत कौशल के प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होगी जो 'ट्रेड' पर निर्भर करती है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह/उत्पादक कम्पनी का गठन सम्मिलित है।
- मंत्रालय न केवल उपयोगिता के अन्तर्गत अधिसूचित अवयवों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को जिम्मेदार ठहराएगा बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक रूप से जो कुछ हो रहा है उसका प्रभावी एवं निरंतर पर्यवेक्षण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की एक प्रणाली भी स्थापित करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रालय कौशल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी जैसे "नॉलेज पार्टनर या तकनीकी सहायक एजेंसी" को नियुक्त करेगा।

- इस योजना की 3 वर्ष पश्चात् मध्यावधि उपयोगिता समीक्षा एवं किसी सुविख्यात स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन एवं अंकेक्षण प्राप्त होने के पश्चात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में समीक्षा की जानी है।

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप (Maulana Azad National Fellowship For Minority Students)

- इस फेलोशिप का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में समेकित पाँच वर्षीय फेलोशिप प्रदान करना है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा एम.फिल. एवं पी.एच. डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए अधिसूचित किया गया है। यह फेलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों व संस्थानों में अध्ययन के लिए देय है एवं इसका क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यू.जी.सी. के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए किया जायेगा।
- यह फेलोशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण करेगी जो एम. फिल एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम का नियमित एवं पूर्णकालिक अनुसंधान अध्ययन कर रहे हैं या उसके समतुल्य अनुसंधान डिग्री भारत के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं वैज्ञानिक संस्थानों में ले रहे हैं। यह उन्हें एम.फिल एवं पी.एच.डी. की योग्यता की मांग करने वाले पदों के योग्य बनाएगी, जिनमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रध्यापक का पद भी सम्मिलित है।
- फेलोशिप के निष्पादन के लिए यू.जी.सी. नोटल एजेंसी होगी। यू.जी.सी. समाचार पत्रों, इन्टरनेट, वेबपेज एवं अन्य माध्यमों में समुचित विज्ञापन देकर फेलोशिप की सूचना देगी।

मौलाना आजाद शिक्षण प्रतिष्ठान (Maulana Azad Education Foundation)

इस प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कालाम आजाद के जन्म शताब्दी महात्सव के अवसर पर की गई थी। प्रतिष्ठान एक स्वयंसेवी, गैर-राजनीतिक, अलाभकारी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष होते हैं। इसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 6 जुलाई, 1989 को किया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

(National Minorities Development and Finance Corporation) (NMDFC)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का निर्माण 30 सितम्बर, 1994 को अल्पसंख्यकों के मध्य पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक एवं विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए NMDFC अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य लाभार्थियों को स्वरोजगार गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है, जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से भी निम्न है जो कि वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹ 55000 एवं 40000 है। NMDFC अंतिम लाभार्थी तक स्टेट चैनलिंग एजेंसी (State Channelising Agencies-SCA) जो कि संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकार द्वारा नामांकित होती है एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पहुँचती है। SCA कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 5.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों को वित्त प्रदान की जाती है। इसके लिए SCA को कोष से 3% की ब्याज दर पर तथा लाभार्थी को 6% की दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रदान की जाती है। निगम SCA के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक ऋण की योजनाओं को क्रियान्वित करता है जिससे लक्षित समूहों में योग्यता संवर्धन होता है एवं स्वरोजगार के साथ-साथ वैतनिक रोजगार भी प्राप्त होते हैं।

केंद्र व राज्य द्वारा जनसंख्या के असुरक्षित वर्ग के
लोगों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ
(Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of
the Population by the Centre and State)

अनुसूचित जाति (Scheduled Tribe)

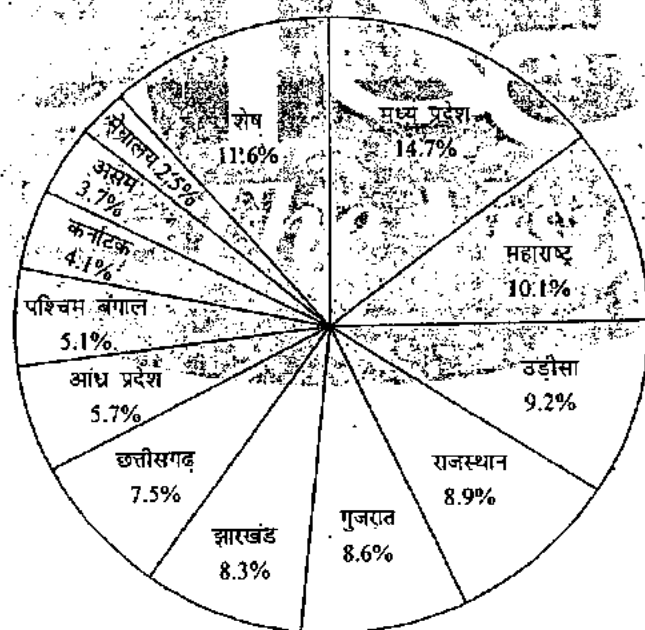
मुख्य तथ्य (Key Facts)

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ : 2011

(मिलियन अर्थात् 10 लाख में)

लिंग	2001	2011	विचलन (%)
व्यक्ति	84.3	104.3	+23.7 %
पुरुष	42.6	52.4	+22.9 %
महिलाएँ	41.7	51.9	+24.4 %

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार वितरण - 2011



अनुसूचित जनजाति के अनुपात के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति - 2011

Top 5 States/UTs		Bottom 5 States/UTs	
लक्षद्वीप	94.8%	उत्तर प्रदेश	0.6%
मिजोरम	94.4%	तमिलनाडु	1.1%
नागालैंड	86.5%	बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%	केरल	1.5%
अरुणाचल प्रदेश	68.8%	उत्तराखंड	2.9%

जनजातीय उप-योजना (TSP) [Tribal Sub Plan (TSP)]

जनजातीय उप-योजना रणनीति सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी ताकि जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के एकीकृत विकास पर केंद्रीकृत होकर जोर दिया जा सके। तेजी से विकसित हो रहे विश्व में जनजातियों को न केवल वित्तीय आवंटन चाहिए अपितु इनके तीव्र सामाजिक, आर्थिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जनजातीय उपयोजना जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं में मौजूद अंतर को कम करने पर जोर देती है। उपयोजना, जनजातियों के अभिज्ञान और कौशल को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय आधार पर, इस वर्ग की आय बढ़ाने हेतु आय उत्पादक योजनाएँ भी लागू करती है। हालाँकि जनजातीय कल्याण हेतु TSP में धन आवंटन क्रमिक रूप से बढ़ाया गया है परंतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवंटित धन अधिकांशतः काल्पनिक होता है क्योंकि मूल खर्च आवंटन का आधार भी नहीं होता।

योजना आयोग ने 2006 के अंत में केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए TSP के निर्माण, उसे लागू करने और निगरानी करने हेतु दिशा निर्देश दिये हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक TSP को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance – SCA) का उद्देश्य जनजातीय उपयोजना में परिवार आधारित आय उत्पादक गतिविधियों में व्याप्त गंभीर अंतरालों को कम करना है। TSP, विकासात्मक गतिविधियों को वैधानिक और प्रशासनिक विकास योजनाओं/एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों (Integrated Tribal Development Agencies – ITDAs), 259 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (Modified Area Development Approach – MADA) और 82 समूहों के माध्यम से बढ़ावा देता है। जनजातीय उपयोजना के लाभ अत्यंत विरल जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक भी पहुँचाये जाते हैं।

जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan)

TSP की सहयोगी के रूप में भारत सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1974 में विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance – SCA) योजना का प्रारंभ अंतरालों को भरने, विशेषकर परिवार आधारित आय उत्पादक कार्यक्रमों में विद्यमान अंतराल को भरने के लिए किया था। परिणामस्वरूप 9वां पंचवर्षीय योजना के दौरान संपोषित विकासात्मक योजनाओं में STs के लाभ का हिस्सा बढ़ने के साथ-साथ इनके लिए आवंटित होने वाले धन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

जनजातीय उपयोजना (TSP) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 21 जनजातीय उप योजना वाले राज्यों को प्रदान की जाती है जिसमें पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल हैं। 2003-04 से गृह मंत्रालय TSP की SCA योजना के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धन आवंटित कर रहा है। विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) TSP (जनजातीय उप-योजना) के साथ उपयोग में लाई जा रही है ताकि उन अंतरालों को भरा जा सके जिनका राज्य योजना में ध्यान नहीं रखा जाता है। SCA को TSP के अधीन लाने का मुख्य उद्देश्य TSP के अंतर्गत आने वाली आय उत्पादक गतिविधियों में व्याप्त अंतराल को कम करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना से TSP के अधीन SCA का उद्देश्य और विषय क्षेत्र आय उत्पादन से जुड़ी अवसरचना को अपने दायरे में लाना था।

ST विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा (Top Class Education for ST Students)

ST छात्रों हेतु वर्ष 2007-08 में प्रारंभ यह केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना है जिसका उद्देश्य लगनशील ST छात्रों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्नातक और परास्नातक स्तर की डिग्री जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चिह्नित संस्थानों से प्राप्त कर सकें।

उत्कृष्ट शिक्षा योजना के प्रमुख बिंदु (Salient Features of Top Class Education Scheme)

- यह लगनशील/सराहनीय ST विद्यार्थियों को, जिन्हें चिह्नित गुणवत्ता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिला है, का सहयोग करती है।
- एक बार दी गई छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम समाप्त होने तक मिलेगी।
- छात्रवृत्ति के तहत दिये जाने वाले द्यूशन फीस, रहने का खर्च, पुस्तकों हेतु अनुदान और अन्य सामग्री के साथ-साथ कम्प्यूटर खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा।
- नियमानुसार 100% धन जनजातीय मामलों का मंत्रालय देगा।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा धन राशि संबंधित संस्थान को प्रत्यक्ष रूप से दी जायेगी।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (Vocational Training Centres in Tribal Areas)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक/आधुनिक व्यवसायों में जनजातीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना है। इसका आधार उनकी शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रतिरूप/प्रचलन और बाजार क्षमता है, जो कि उन्हें संपोषणीय रोजगार देने में अथवा स्वरोजगार पाने में उन्हें सक्षम बनायेगा। यह योजना 1992-93 में प्रारंभ हुई थी जिसे 1.4.2009 से संशोधित कर पुनः शुरू किया गया।

विशेषताएँ (Salient Features)

- योजना को राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त संस्थाओं के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संस्थायें वा संगठन, शैक्षणिक व अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहयोगी समाज और गैर सरकारी संगठन आदि लागू करते हैं।
- योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और साथ ही आदिम जनजातीय समूह (Primitive Tribal Groups—PTGs) के लाभ के लिए है और देश में कहीं भी प्रारंभ की जा सकती है परंतु प्राथमिकता दूर के जनजातीय क्षेत्रों (जिनमें असुरक्षित/संकटग्रस्त जनजातियाँ रहती हों) और अतिवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों को दी जायेगी।
- प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता 100 या अधिक होगी, उदाहरणतः एक ट्रेड हेतु न्यूनतम 20 व्यक्ति होंगे। जहाँ तक संभव हो न्यूनतम 33% स्थान जनजातीय बालिकाओं हेतु आरक्षित होंगे।
- प्रत्येक प्रशिक्षु अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में 6 माह के लिए पारंगत शिल्पी से इसका कौशल प्रायोगिक अनुभव द्वारा सीखने के लिए सम्बद्ध होगा।

1992-93 में प्रारंभ यह योजना ST बालिकाओं हेतु कक्षा I से V तक आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ खोलने पर जोर देती है जिसमें जनजातीय स्त्रियों की साक्षरता बढ़ाने के लिए सुविधा हो।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति के लड़कियों की शिक्षा को मजबूत बनाना (Strengthening Education among Scheduled Tribes Girls in Low Literacy Districts)

2009 के वित्त वर्ष के प्रारंभ के साथ इस योजना को संशोधित कर इसका नामकरण दोबारा किया गया है— “कम साक्षर जिलों में अनुसूचित जनजाति के लड़कियों की शिक्षा को मजबूत बनाना।” संशोधित योजना 54 चिह्नित जिलों को अपने दायरे में लाती है जहाँ ST जनसंख्या 25% या अधिक है और ST स्त्री साक्षरता 35% से कम है (2001 के आँकड़ों की जनसंख्या के अनुसार)। इन 54 जिलों के अतिरिक्त उन जिलों के ब्लॉकों को भी योजना अपने दायरे में लेती है जिनमें ST जनसंख्या 25% या उससे अधिक है और ST स्त्री साक्षरता 35% से कम है और PTG क्षेत्र इसमें भी शामिल हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है और मंत्रालय बालिका छात्रावासों हेतु उन विद्यालयों को वित्तीय मदद देता है जो “सर्व शिक्षा अभियान”, “कस्तूरबा गांधी विद्यालय” या अन्य उपलब्ध शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (RGNF) [Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF)]

योजना का उद्देश्य वित्तीय मदद के रूप में अनुसूचित जनजातियों को फेलोशिप प्रदान करना है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। RGNF के अधीन प्राप्त फेलोशिप, अनुसंधान करने वाले UGC के अधीन M.Phil और Ph.D पाठ्यक्रमों में दी जाने वाली फेलोशिप के समान ही होगी।

अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (गैर-योजनागत)

[National Overseas Scholarship Scheme for Scheduled Tribes (Non-Plan)]

यह योजना सराहनीय छात्रों को परास्नातक पाठ्यक्रम, Ph.D, विदेशों में अनुसंधान, अभियांत्रिकी, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए वित्तीय मदद देती है। यह व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों, गैर-अधिसूचित, घुमक्कड़, और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए की गई है। चुने गए प्रत्याशी को विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक फीस उपलब्ध करायी जाती है।

लघु वन-उत्पादक क्रियाओं हेतु अनुदान (Grants-in-Aid for Minor Forest Produce (MFP) Operations)

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% अनुदान राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम, वन विकास निगम और लघु वन-उत्पाद (व्यापार और विकास) संघों को दिया जाता है ताकि वे लघु वनोत्पाद क्रियायें संचालित कर सकें। योजना के अर्धीन उपलब्ध धनराशि का प्रयोग:

- किसी भी प्रकार की प्रचालनात्मक क्षति को वहन करने के लिए लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce—MFP) की मात्रा को बढ़ाने में।
- लघु वन-उत्पाद सम्बद्ध कार्य संचालन के लिए निगम के अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करना ताकि वर्तमान में लघु वन-उत्पाद रखरखाव की क्षमता बढ़ायी जा सके।
- जहाँ जरूरत हो वहाँ वैज्ञानिक गोदाम (Warehouse) सुविधा स्थापित करना।
- मूल्य वर्द्धन के लिए उद्योग स्थापित करना, जिसका उद्देश्य जनजातियों को MFPs पर अत्यधिक लाभ देना होगा।

- (v) जनजातियों को उपभोग ऋण देना।
- (vi) अनुसंधान और विकास गतिविधियों संचालित करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation)

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना अप्रैल, 2001 में की गई थी।

NSTFDC द्वारा वित्तीय मदद उन अनुसूचित जनजातियों तक विस्तृत कर दी गई है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की दोगुनी है। NSTFDC लक्षित समूह को कौशल और उद्यम विकास हेतु वित्तीय मदद भी देती है। यह वित्तीय मदद उन सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित होती है, जिन्हें सम्बंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासन द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका उद्देश्य अर्हता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की आय और सामाजिक-आर्थिक स्तर में वृद्धि करना है। NSTFDC आवंटन और लघु वन उत्पाद (MFPs) के वितरण हेतु भी वित्तीय मदद देती है ताकि अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादों की बिक्री का प्रोत्साहन दिया जा सके।

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु NSTFDC निम्न कार्यक्रम चला रहा है-

- NSTFDC उन योजनाओं को सावधि ऋण देता है जिनकी लागत ₹10 लाख प्रति व्यक्ति इकाई/लाभ केंद्र है।
- योजना की 90% लागत NSTFDC द्वारा दी जाती है।
- NSTFDC ने स्वयं सहायता समूहों तक वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए विशिष्ट योजनाएं लागू की हैं और योजना के लिए प्रति SHG वित्तीय मदद ₹ 25 लाख तक बढ़ा दी गई है।
- केन्द्र/राज्य सरकारों को किसी भी एजेंसी या राष्ट्रीय स्तर की परिसंघ की वित्तीय सहायता करना ताकि यह एजेंसी या परिसंघ लघु वन उत्पाद/कृषि उत्पाद की सरकारी खरीद कर सकें।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) [Eklavya Model Residential Schools (EMRS)]

- देश के सभी क्षेत्रों और निवासों में शिक्षा के प्रचार हेतु गुणात्मक आवासीय विद्यालयों की स्थापना के क्रम में ही ST छात्रों हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों का स्थान जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में हो जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना अनुदान की मदद से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में की गई है।
- EMRS का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति छात्रों को गुणवत्ता युक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें न केवल उच्च और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण और सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरी मिले बल्कि गैर-अनुसूचित जनसंख्या से तुलना करने पर भी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अवसर मिले।
- योजना की प्रगति का अवलोकन अनुसूचित मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों/लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सामयिक रिपोर्टों की मदद से किया जाता है।
- अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान का प्रयोग कार्यक्रम के प्रशासन हेतु आवंटित कुल धनराशि के 2% के बराबर होगा।

आदिम जनजातीय समूहों के लिए विकास योजना

[Scheme of Development of Primitive Tribal Groups (PTGs)]

उद्देश्य (Objective)

ऐसे कुछ जनजातीय समुदाय हैं जिनमें निम्न साक्षरता है, घटती या अवरुद्ध जनसंख्या है, कृषि की परंपरागत तकनीक है और आर्थिक रूप से दशा दयनीय है। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और इन्हें आदिम जनजातीय समूह (PTGs) नाम दिया गया है। ये सभी समूह संख्या में कम हैं, एक दूसरे की तुलना में विभेदात्मक रूप से विकसित हैं तथा दूरस्थ निवासी हैं जिनमें प्रशासनिक और अवसरचरणात्मक खामियाँ व्याप्त हैं। अतः इन्हें संरक्षण और विकास हेतु प्राथमिकता आधारित मदद की जरूरत है।

इनकी समस्याएँ एवं जरूरतें अन्य अनुसूचित जनजातियों से अलग प्रकार की हैं। चूँकि जनजातीय समूहों में आदिम जनजातीय समूहों की दशा सर्वाधिक दयनीय है, अतः इनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय/केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की योजनाओं से धन आवंटन हेतु आग्रह किया जाता है।

हालाँकि आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन दिया जाने वाला धन केवल उन्हीं वस्तुओं/गतिविधियों हेतु मिलेगा जो आदिम समूहों (PTGs) के अस्तित्व, संरक्षण व विकास के लिए आवश्यक हों।

ऐसी वस्तुएँ/गतिविधियाँ केवल केंद्रीय स्तर पर चिह्नित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ही राज्य में एक योजना से दूसरी योजना में अलग-अलग हो सकती हैं। बहरहाल योजना के तहत धन का प्रयोग कार्यक्रम के लाभार्थियों की मदद के लिये किया जाता है ताकि वे अत्यधिक बुरे दबावों को झेल सकें जो उनके अस्तित्व को संकट में डालते हैं, और शोषण के विभिन्न रूपों से उनकी रक्षा करें और अंततः उन्हें ऐसे स्तर पर पहुँचा दें जहाँ वे विशिष्ट परिसम्पत्ति और सेवाओं को माँग सकें और इन्हें प्राप्त भी कर सकें।

योजना में जागरूकता उत्पन्न करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वयं सहायता समूहों के युवा जनजातीय संगठनों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण और उन सेवाओं/निवेश का प्रावधान जो किसी मौजूदा योजना में नहीं है आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। योजना के तहत केवल PTGs के सदस्यों को लाभार्थियों में गिना जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन एकीकृत जनजातीय विकास प्रोजेक्ट (Integrated Tribal Development Projects-ITDPs)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (Integrated Tribal Development Agencies-ITDAs), जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं (TRIs) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है जिनके पास क्षमता और इच्छा शक्ति हो। यह केंद्रीय योजना है, अतः, वित्तीय सहायता 100% आधार पर उपलब्ध होगी। क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के पास अधिकतम 3 साल का समय अनुदान के लिए होगा। योजना के अधीन आवंटित धन निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही प्रयुक्त होगा।

आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (AMSY) [(Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY))]

आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए एक विशिष्ट योजना है जिसमें ब्याज की दर बेहद कम रखी गई है। योजना के तहत, NSTFDC प्रोजेक्ट के लिए सावधि ऋण देता है जिसकी कीमत ₹50,000/प्रति व्यक्ति इकाई/लाभ केंद्र है। स्कीम/प्रोजेक्ट की 90% वित्तीय सहायता NSTFDC द्वारा प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थियों से State Channelising Agency-SCAs अधिकतम 4% की दर से ब्याज ले सकती हैं।

सूक्ष्म वित्त योजना - एक नई योजना की शुरुआत (Micro-credit scheme-launch of a new scheme)

सूक्ष्म वित्त योजना का उद्देश्य मौजूदा लाभ कमाने वाले स्वयं सहायता समूहों के द्वारा स्वरोजगार उद्यम/गतिविधियों में लगी अर्हता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय मदद प्रदान करना है। State Channelising Agencies-SCAs लिखित समूह को उसकी योजना के अनुसार सब्सिडी या मार्जिन मनी प्रदान करता है और शेष राशि NSTFDC द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council)

संविधान की पाँचवी अनुसूची के पैरा 4(1) के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में TAC होनी चाहिए और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो ऐसे राज्यों में भी जहाँ अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं परन्तु अनुसूचित जनजातियाँ हों।

TAC का गठन (Composition of TAC)

5वीं अनुसूची के अनुसार, TAC में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिसमें तीन-चौथाई सदस्य राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

TAC की भूमिका (Role of TAC)

राज्य द्वारा निर्दिष्ट मुद्दों पर राज्य में जनजातियों के कल्याण और विकास के विषय में सुझाव देना। कोई विनियमन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक राज्यपाल, परिषद से सलाह नहीं ले लेगा (जिन राज्यों में TAC है)।

राज्यों द्वारा निर्मित TAC का विवरण (Details of TAC constituted by the States)

जनजातीय सलाहकार परिषद आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 9 अनुसूचित क्षेत्रों में और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के दो अनुसूचित क्षेत्रों में बनाई गई है। उत्तराखंड के गैर-अनुसूचित क्षेत्र में TAC के गठन हेतु राष्ट्रपति के निर्देश भी दे दिये गये हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी/प्रोजेक्ट (Integrated Tribal Development Agency/Projects)

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्व संध्या पर जनजातीय लोगों की समस्याओं का विस्तृत एवं व्यापक स्तर पर पुनर्विलोकन किया गया था। ITDA का मुख्य उद्देश्य आय उत्पादक गतिविधियों (जिसमें अवसरचन्नात्मक विकास भी हो) के द्वारा जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है तथा शोषण के विरुद्ध इनकी सुरक्षा भी करनी है।

ITDA प्रोजेक्ट के क्षेत्र सामान्यतः तहसील या ब्लॉक के आकार के होते हैं जिनमें 50% या अधिक ST जनसंख्या होती है। जनजातीय लोगों के जनार्थकीय संस्तर (Profile) के कारण असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ITDPs छोटे या सन्निहित होते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत एजेंसी मॉडल को अपनाया है और यहाँ ITDPs को ITD एजेंसी कहा जाता है।

जम्मू-कश्मीर में हालाँकि अब तक कोई ITDP चिह्नित नहीं किया गया है, परंतु ST जनसंख्या वाले क्षेत्रों को राज्य में TSP रणनीति के अधीन लाया गया है। 8 राज्य जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, ITDAs/ITDPs सामान्यतः TSP क्षेत्रों के साथ ITDPs/ITDAs की अध्यक्षता प्रोजेक्ट अधिकारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें प्रोजेक्ट प्रशासक या प्रोजेक्ट निर्देशक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

एकीकृत जनजातीय विकास प्रोजेक्ट/ITDAs/ITDPs देश के 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं। जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देता है। संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय इकाइयों ITDAs/ITDPs को योजनायें लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करती हैं और इन योजनाओं के लिए आवंटित धन और लागू कराने का ब्यौरा इन राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

Modified Area Development Approach (MADA) Pockets

यह अनुसूचित जनसंख्या के संकेन्द्रण वाले संकुल होते हैं जिनमें न्यूनतम 10,000 जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या होती है। आज तक विभिन्न TSP राज्यों में कुल 259 MADA चिह्नित किये गये हैं। सामान्यतः MADA संकुलों के पास विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पृथक प्रशासनिक संरचनाएँ होती हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ

[Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED)]

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था के रूप में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के तहत की गई थी।

इसके संशोधित आदेश के अनुसार, ट्राइफेड ने जनजातियों के लिए वन उत्पाद (MFP) और अतिरिक्त कृषि उत्पाद (Surface Agricultural Product-SAP) की सरकारी खरीद बढ़ा दी है। (खरीद अब राज्य स्तरीय जनजातीय सहकारी संघों द्वारा की जाती है)। ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने वाले के रूप में और अपने सदस्यों के लिए सेवा प्रदाता की तरह काम करता है। इस प्रकार ट्राइफेड, समाज के इस असंगठित क्षेत्र के बड़े तबकों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है।

ट्राइफेड अपनी स्वयं की दुकानों (Tribes India) और माल प्राप्ति के आधार पर उत्पादों का बेचने वाली दुकानों के द्वारा जनजातीय उत्पादों के विपणन से जुड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइफेड भारत सरकार की एक मात्र संस्था है जो प्रत्यक्षतः जनजातीय उत्पादों, जिनमें जनजातीय हस्तशिल्प और कला शामिल हो, के विपणन से जुड़ी है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों का विक्रय, उसकी अपनी दुकानों 'ट्राइब्स इंडिया' द्वारा और माल प्राप्ति के आधार पर स्टेट एम्प्लॉयर्स के कंत्राट द्वारा करती है।

नई योजना के अनुसार ट्राइफेड अब 2007-12 के दौरान निम्नलिखित 4 गतिविधियों पर ध्यान देगी-

- खुदरा विपणन विकास गतिविधि।
- MFP विपणन विकास गतिविधि।
- ST हस्तशिल्पियों और MFP एकत्र करने वालों को व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण।
- अनुसंधान विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) गतिविधि।

राष्ट्रीय जनजातीय नीति (2006) [National Tribal Policy 2006 (Draft)]

हालाँकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं, और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित तबकों के लिए समान विकास का स्तर सुनिश्चित किया गया है तथा इसके साथ ही ऐसे ही उद्देश्य वाले अनेक केंद्रीय व राज्यों के अधिनियम भी अस्तित्व में हैं, परंतु ऐसी एक भी नीति नहीं है जो एकीकृत तरीके से अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं विकास के मुद्दे को समझे। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 लाया गया।

नीति को निर्देशित करने वाले सिद्धांत (Guiding principles of the Policy)

- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए सिद्धांत दिये गये हैं (अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 16(4A), 46, 243(d), 244(1), 244(2), 275(1), 330, 332, 335, 338A, 339(1), 340, 342, PESA के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार आदि।

नीति के उद्देश्य (Objectives of the Policy)

राष्ट्रीय जनजातीय नीति के निम्न उद्देश्य हैं-

- ऐसा वातावरण प्रदान करना जो पारंपरिक और रीति-रिवाजों वाले तंत्र को संरक्षित करे, अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त लाभों को बनाये रखे और इस वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करे।
- STs की भूमि का अधिग्रहण रोकना और गलत तरीके से अधिग्रहित भूमि पर न्याय करना।
- पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में स्वप्रशासन हेतु सशक्तीकरण।

सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण (Socio-Economic Empowerment)

- जनजातीय जनसंख्या और सामान्य जनसंख्या के मानव विकास सूचकांक (HDI) में व्याप्त असमानता को दूर करना और इसे 2020 तक संतुलित करना।
- 11वीं योजना के अंत तक स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित जनजाति के सभी BPL परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, प्रत्येक ST परिवार को 25 किग्रा. अनाज प्रति माह देना और PDS का प्रबंधन और स्वामित्व समुदाय को सौंपना।
- 100 दिन के गारंटीयुक्त रोजगार के साथ-साथ, आजीविका के अवसर प्रदान करना ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रति वर्ष 2% के हिसाब से घटे और 2020 तक अनुसूचित जनजातियाँ सामान्य स्तर पर आ जाये।
- 2020 तक जनजातीय क्षेत्रों की कुल सिंचाई क्षमता का सौ प्रतिशत और 11वीं योजना के अंत तक कुल सिंचाई क्षमता का 50% प्राप्त करना।

सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकार (Cultural and Traditional Rights)

- जनजातीय हस्तशिल्प और कार्बनिक एवं ज्ञातीय उत्पादों का मानकीकरण सहयोग, ब्रांड, संगठित विपणन और स्थानीय बाजारों की स्थापना द्वारा 2020 तक प्रचार एवं विकास करना।

लाभ तक पहुँच (Access to Privileges)

- कुछ STs को अनुसूची से हटाने के लिए निरीक्षण करना और मौजूदा STs के उप-वर्ग बनाना ताकि 2020 तक ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ जनजातियों में समान रूप से वितरित हो।
- आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) को विशिष्ट वंचित जनजातीय समूहों के रूप में नामित करने पर जोर देना। ऐसे समूहों की जरूरत के अनुसार, इनके सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए संरक्षण-सह-विकास सूक्ष्म योजनाएँ बनाना और इन्हें अन्य अनुसूचित जनजातियों के साथ 2020 तक सामान्य स्तर पर लाना।

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)

- STs के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक आधार पर इनका उपयुक्त/उचित प्रयोग।

भारत में श्रमिकों की बेहतरी और संरक्षण के लिए तंत्र, कानून, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Constitutional Bodies for the Betterment and Protection of Labourers in India)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 में उल्लिखित सामाजिक न्याय विषय के टॉपिक संख्या 10-14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

परिचय (Introduction)

18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था में कारखाना श्रमिकों के एक नये वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति की उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरी और श्रम उत्पादन के प्रमुख कारक थे। परिणामस्वरूप निजी अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्ताओं और कामगारों का उदय हुआ। जहाँ तक समाज के कल्याण का प्रश्न था, कामगारों के लिए श्रम के मानकों का पालन करना आवश्यक था और श्रम मानकों के अनुसार ही उनके कल्याण सुविधाओं उपलब्ध करानी थी। अतः 1919 में वर्साय की संधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना हुई।

ILO के अनुसार संपूर्ण विश्व में श्रमिकों/कामगारों हेतु बेहतर कार्य के आशय से इस प्रकार है-

1. श्रम कानून और श्रम अधिकारों के प्रति आस्था	2. सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना
3. समान कार्य हेतु समान वेतन	4. दुरुव्यवहार और शोषण के निरोध सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा करते हैं। श्रम मानकों के अंतर्गत सहयोग की स्वतंत्रता, समान कार्य हेतु समान वेतन, सुरक्षित कार्य दशायें, बलात् श्रम और अनिवार्य भेद का समाप्ति, रोजगार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, प्रवासी कामगारों का संरक्षण, महिला कामगारों के यौन शोषण का उन्मूलन आदि प्रावधान आते हैं।

भारत में श्रमिक (Labourers in India)

भारत की श्रमबल जनसंख्या 460 मिलियन है जिसमें 430 मिलियन कामगार असंगठित क्षेत्र की विषम परिस्थितियों से सम्बंधित हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 65% असंगठित क्षेत्र के कामगारों से प्राप्त होता है। आज भी कृषि, भारतीय कृषि की रीढ़ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान करती है। असंगठित क्षेत्र का 48.5% महिला कामगारों का है, इन पर उत्पादन कार्य एवं प्रजनन का दोहरा बोझ है। यह दोनों ही किसी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं; परंतु असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार सर्वाधिक उत्पीड़न एवं विभेद की शिकार हैं। भारतीय श्रमबल जनसंख्या की आजीविका का प्रधान स्रोत होने के बावजूद असंगठित क्षेत्र की दशा कुछ ऐसी है-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. खराब कार्य दशायें | 2. न्यूनतम आय |
| 3. अकुशल श्रम | 4. तकनीक का न्यूनतम प्रयोग |
| 5. बाजार का कम ज्ञान | 6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक कम पहुँच |
| 7. सामाजिक सुरक्षा मानकों का अभाव | 8. रोजगार सुनिश्चितता और सुरक्षा तंत्र की कमी |

भारत में श्रमिकों के प्रकार (Types of Labourers in India)

1. **कृषि श्रमिक**- औद्योगिक श्रम के विपरीत, कृषि श्रमिकों को परिभाषित करना कठिन है। इसका कारण यह है कि जब तक कृषि में पूँजीवाद और औद्योगीकरण की जड़ें पूर्णतः जम नहीं जातीं, तब तक पूर्णतः वेतन (मजदूरी) पर निर्भर एक पृथक वर्ग नहीं उभर सकता।

कृषि श्रमिकों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है-

- (a) भूमिहीन श्रमिक, जो भूस्वामियों से जुड़े हैं।
- (b) भूमिहीन श्रमिक जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं परंतु बड़े भूस्वामियों के लिए काम करते हैं।
- (c) छोटे कृषक जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा है और जो दूसरे भूस्वामियों के लिए कार्य करते हैं।
- (d) बहुत छोटे कृषक, जिनके पास अत्यंत छोटा व सीमांत खेत होने के कारण मुख्य आजीविका दिहाड़ी वेतन ही है।

कृषि श्रमिक अशिक्षित और अनभिज्ञ होते हैं। ये विभिन्न गाँवों में रहते हैं। अतः ये संघ नहीं बना सकते। अधिकांश कृषि श्रमिक निम्न जाति एवं वंचित वर्ग से हैं, जिससे इनकी दशा और दयनीय है।

2. **अनुबंध श्रमिक**- अनुबंध श्रमिकों से तात्पर्य उन कामगारों से है जो किसी मध्यस्थ द्वारा काम पर लगाये जाते हैं और यह प्रयोक्ता उद्यम, अनुबंधकर्ता (उप-अनुबंधकर्ता समेत) और कामगारों के बीच त्रिपक्षीय सम्बंध पर आधारित होते हैं। इनकी संख्या लाखों में है और प्रायः ये असंगठित क्षेत्र से सम्बंधित होते हैं। ये अपने अनुकूल लोच-देन की बात करने में अक्षम होते हैं और ये अधिकतर खतरनाक कार्यों में अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा में डालकर काम करते हैं। इन्हें कई बार न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और रोजगार में सुरक्षा की भी नगण्य संभावना रहती है।

3. **प्रवासी श्रमिक**- विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई नव उदारवादी नीतियों के परिणामस्वरूप आय की असमानता, कृषकों में तनाव, अपर्याप्त रोजगार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि के कारण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों, शहरी से शहरी क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से अधिक सक्षम क्षेत्रों में प्रवास की स्थिति बनती है। निम्न जातियों, देशज समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के भूमिहीन विध्वंस ही व्यापक तौर पर प्रवासी श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के पास आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधा नहीं होती है तथा ये प्रवासित क्षेत्रों के संसाधनों पर अधिक दबाव डालते हैं। चूंकि ये प्रवासी श्रमिक होते हैं अतः इनके पास सामाजिक वितरण प्रणाली (PDS) के कार्ड नहीं होते और इसलिए ये खाद्य अनाज और मिट्टी के तेल जैसे बाजार मूल्य पर खरीदने को विवश होते हैं। अधिकांश प्रवासी श्रमिक घरेलू कामगार, निर्माण या भवन निर्माण श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

4. **बंधुआ श्रमिक**- इन्हें ऋण बंधक के नाम से भी जाना जाता है। बंधुआ श्रम एक विशिष्ट प्रकार का बलात् श्रम होता है जिसमें दासता की अनिवार्यता का आधार ऋण होता है। सभी प्रकार का बंधुआ श्रम जबरन नहीं होता परंतु बलात् श्रम की अधिकांश क्रियायें, चाहे उनमें बच्चे हों या वयस्क, बंधुआ प्रकृति की होती हैं। बंधुआ श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है जहाँ कृषि उद्योग मुख्य रूप से अनुबंधित (प्रायः प्रवासी) मजदूरों पर निर्भर है। भारत में बंधुआ श्रमिक पूरी तरह आर्थिक कारकों का परिणाम नहीं हैं बल्कि इन्हें पारंपरिक रूप से या अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, रेशम, खनन, माचिस उत्पादन, पटाखा बनाने और ईंट भट्टा उद्योग आदि में जबरन बंधुआ श्रम में ढकेला जाता है।

5. **बाल श्रमिक**- बाल श्रम, बाल अधिकारों के हनन की अभिव्यक्ति है और भारत में इसे एक गंभीर व जटिल सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। बाल श्रमिक उत्तरजीविता और विकास, शिक्षा, छुट्टी, खेलने और पर्याप्त जीवन स्तर से अछूता रह जाते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में 5-14 वर्ष आयु समूह के 12.26 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। अधिकांश बाल श्रमिक खतरनाक उद्योगों, अनौपचारिक क्षेत्रों और घरेलू नौकरों के रूप में काम करते हैं।

भारत में बाल श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो पाता

शिक्षा का
अधिकार

उचित स्वास्थ्य
और पोषण

कौशल विकास

सामाजिक सुरक्षा

भारत में श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions to Safeguard the Rights of Labourers in India)

भारत के संविधान में श्रम समवर्ती सूची का विषय है जिसके अनुसार संघ व राज्य सरकारें श्रम मामलों तथा इनके प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर कानून बना सकती हैं। संसद द्वारा महत्वपूर्ण विधायी कानून लागू किए गये हैं।

संघ सूची	समवर्ती सूची
प्रविष्टि संख्या 55: खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम व सुरक्षा का विनियमन	प्रविष्टि 22: व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
प्रविष्टि 61: संघीय कामगारों से सम्बंधित औद्योगिक विवाद	प्रविष्टि 23: सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगारी
प्रविष्टि 65: "व्यावसायिक..... प्रशिक्षण" हेतु संघीय एजेंसियाँ व संस्थायें	प्रविष्टि 24: श्रमिकों का कल्याण जिसमें काम की दशायें, भविष्य निधि, नियोक्ता की जिम्मेदारी, कामगारों का मुआवजा, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ आदि शामिल हैं।

श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान ने अनेक कानून बनाये हैं। ये निम्न हैं-

1. संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) के अधीन: अनुच्छेद- 14, 21, 23 और 24
2. संविधान के भाग IV (राज्य के नीतिनिदेशक तत्व) के अधीन: अनुच्छेद- 38- 39, 39क, 41, 42, 43, 43क और 47

श्रम अधिकार कल्याण और न्यायिक दृष्टि से इन अनुच्छेदों की व्याख्या (Description of these Articles as Labour Right Welfare and Judiciary View)

अनुच्छेद-14 (Article-14)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 कानून के समक्ष समानता की संकल्पना की व्याख्या करता है। समानता की संकल्पना का अर्थ व्यक्तियों के मध्य पूर्ण समानता नहीं है, क्योंकि ऐसा भौतिक रूप से संभव नहीं है। इस संकल्पना में किसी व्यक्ति विशेष को उसके जन्म, पंथ या ऐसे किसी प्रकार के कारण विशेष महत्व दिया जाने की बात का अभाव है और साथ ही सभी व्यक्ति एवं वर्ग देश के सामान्य कानून के समक्ष समान हैं।

रणबीर सिंह बनाम भारत संघ (एआईआर 1982 एस.सी. 879) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यद्यपि हमारे संविधान में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं है, परंतु निश्चित रूप से यह अनुच्छेदों- 14, 16 और 39(1) के अधीन एक संवैधानिक तत्व है। अतः यह अधिकार असमान वेतन के मामलों में लागू किया जा सकता है।

धीरेन्द्र चमोली बनाम यू.पी. राज्य (एआईआर 1986 एस.सी. 72) मामले में यह निर्णय दिया गया कि समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन भोगी औपचारिक कामगारों पर भी लागू होता है। साथ ही यह निर्णय भी दिया गया कि देश में नेहरू युवा केंद्रों में दैनिक वेतन पर नियुक्त औपचारिक कामगार भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (जो नियमित वेतन पाते हैं) के समान ही कार्य कर रहे हैं; इसलिए इन्हें इनके समान वेतन तथा कार्य की दशायें मिलनी चाहिए।

अनुच्छेद-19(1) (ग) [Article-19(1) (c)]

इस अनुच्छेद में नागरिकों की समिति एवं संघ बनाने की बात कही गई है। हालाँकि, अनुच्छेद के उपबंध (4) के अनुसार, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर व्यक्तिगत निर्बंधन लगा सकती है।

दमयंती बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि "संघ बनाने का अधिकार", "आवश्यक रूप से अवधारित करता है कि संघ बनाने वाले व्यक्ति को केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने का अधिकार है जिन्हें वे स्वैच्छिक रूप से संघ में शामिल करते हों। कोई ऐसा कानून जिससे सदस्यों को किसी स्वैच्छिक संघ में शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें संघ से अलग होने का विकल्प प्राप्त न हो, अथवा कोई ऐसा कानून जो स्वैच्छिक रूप से संघ में शामिल लोगों की सदस्यता समाप्त करता है, तो ऐसे कानून को संघ बनाने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

अनुच्छेद-21 (Article-21)

अनुच्छेद-21 के अधीन व्याख्यायित 'जीवन के अधिकार' की परिसीमा विस्तृत है। 'जीवन' का तात्पर्य महज पार्श्विक अस्तित्व से कहीं अधिक है। 'मेनका गांधी मामले' में न्यायालय ने अनुच्छेद-21 को नया आयाम दिया। इसके अनुसार 'जीवन' का अधिकार

केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है अपितु इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। अतः 'जीने' का अधिकार "मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार" को भी सम्मिलित करता है, तथा इसके साथ अन्य बातें सम्मिलित हैं, मुख्यतः, जीवन की मुख्य जरूरतें जैसे पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आवास और स्वयं को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करने, पढ़ने-लिखने की सुविधा स्वतंत्र रूप से आवाजाही तथा साथी मनुष्यों के साथ मेलजोल।

अनुच्छेद-23 (Article-23)

संविधान का अनुच्छेद-23 मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति या इस जैसे किसी भी बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद के दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि इस प्रावधान का उल्लंघन, कानून के दायरे में दंडनीय अपराध है। हालाँकि अनुच्छेद के उपबंध (2) के अनुसार- इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इस अनुच्छेद द्वारा निषेधित किए गए दंडात्मक कृत्यों के लिए अनुच्छेद 35 के अनुसार, संसद को कानून बनाने का प्राधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने महिलाओं और लड़कियों की अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम 1956 पारित किया था। अनुच्छेद-23 व्यक्ति को न केवल सरकार से बल्कि आम नागरिकों (Private Citizens) से भी रक्षा करता है। यह सरकार पर एक सकारात्मक दायित्व आरोपित करता है कि वे "मानव तस्करी" और "भिक्षावृत्ति अर्थात् बिना वेतन के अनैच्छिक कार्य करना" को समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाएँगी। यह सुरक्षा केवल भिखारियों को नहीं अपितु "बलात् श्रम के अन्य रूपों" अर्थात् किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने को बाध्य करना के मद्देनजर भी दी गई है।

अनुच्छेद-39(क) और 41 (Article-39(a) and 41)

→ अनुच्छेद-39(क) और 41 में निहित सिद्धांत मौलिक अधिकारों को समझ और अर्थ को व्याख्या के स्तर पर भी समान रूप से मौलिक हैं। राज्य पर यह उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों को पर्याप्त आजीविका एवं कार्य का अधिकार दे। परंतु कोई व्यक्ति, जिसे कानून सम्पन्न प्रक्रिया के अलावा, उसके आजीविका के अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो वह अनुच्छेद-21 के तहत अधिकार के हनन का मामला दर्ज करा सकता है।

अनुच्छेद-39(क), "समान न्याय" और "निराश्रित विधिवि सहायता" उपलब्ध कराता है। यह कानून के अनुसार न्याय का प्रावधान करता है। विधि के शासन द्वारा किसी लोकतांत्रिक नीति में यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उचित न्यायिक तंत्र विकसित करे।

कामकाजी महिलाओं के अधिकार (Right of Working Women)

ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिकारों का समर्थन किया है तथा विभेदकारी कानून या प्रथाओं के खिलाफ कार्यवाही की है। मृणालिनी नामक वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी ने 1978 में भारतीय विदेश सेवा (नियुक्ति, कैडर, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के विरुद्ध रिट दायर की और कहा कि इसके कुछ नियम विभेदकारी हैं। इस नियम में प्रावधान था कि विवाहित महिला को इस सेवा के लिए नियुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में महिला को अपने विवाह से पूर्व सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी कि अगर सरकार को यह भरोसा हो गया कि वह अपने परिवार व घरेलू दायित्वों के कारण अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। उच्चतम न्यायालय ने इन नियमों को इस आधार पर खारिज किया कि इनसे अनुच्छेद 16 के अधीन लोक नियोजन में अवसर की समानता का महिला कर्मचारियों का अधिकार प्रभावित होता है।

विशाखा एवं ओर्स बनाम राजस्थान राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह एक रिट याचिका थी, जिसे अनेक गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण पर किसी कानून के अभाव के कारण इसमें न्यायिक हस्तक्षेप हेतु दायर किया था। न्यायालय ने महसूस किया यौन शोषण की प्रत्येक घटना, संविधान के अधीन समानता के अधिकार और जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है और साथ ही न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि यौन शोषण के तार्किक परिणाम के फलस्वरूप, महिलाओं को अनुच्छेद-19(1)(छ) के अधीन कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार का हनन होता है। आगे न्यायालय ने निर्णय दिया कि लैंगिक समानता में यौन शोषण से सुरक्षा और आत्मसम्मान से कार्य करने का अधिकार सम्मिलित है, जोकि मूलभूत मानवाधिकार है।

हड़ताल का अधिकार (Right to Strike)

संविधान के अधीन श्रमिकों को प्राप्त अधिकारों को सार रूप में देखकर एक तरफ जहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हड़ताल एक वैध और कभी-कभी श्रमिकों के हाथ में न टालने वाले हथियार के रूप में होती है, साथ ही दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है कि इस हथियार के अविवेकी और उतावलापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

सिंडिकेट बैंक बनाम के. उमेश नायक (1994) मामले में, न्यायमूर्ति सावंत ने मत दिया, "एक साधन के रूप में हड़ताल का उद्देश्य कामगारों द्वारा नियोक्ता के साथ उनकी लंबी संघर्ष प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में हुआ है। इसे श्रमिकों द्वारा उपयोग किए गए उनकी आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पूरे समाज की कुशलता के लिए अहितकर भी होता है।"

इसी कारण औद्योगिक विधायन में, (हालाँकि श्रमिकों को हड़ताल पर जाने के अधिकार की मनाही नहीं है) इस अधिकार को नियोक्ता द्वारा तालाबंदी के अधिकार के साथ विनियमित किया गया है। साथ ही शांतिपूर्ण जाँच, मध्यस्थता द्वारा समझौता और श्रमिक-नियोक्ता के बीच विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए उपयुक्त तंत्र भी स्थापित किया है।

भारत में मजदूरों की बेहतरी और संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन (Law and Legislation for Betterment and Protection of Labours in India)

श्रम कानून के विधायन के निम्न वर्ग हैं-

1. केंद्र सरकार द्वारा आरोपित श्रम कानून, जिसमें कानून लागू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र पर होता है।
2. केंद्र द्वारा आरोपित श्रम कानून और इसे केंद्र व राज्य दोनों द्वारा लागू किया जाना।
3. केंद्र द्वारा आरोपित श्रम कानून और राज्य द्वारा लागू किया जाना।
4. विभिन्न राज्यों द्वारा आरोपित श्रम कानून जो उन्हीं राज्यों में लागू होते हैं।

भारत में श्रम और रोजगार से जुड़े कानून प्रारंभिक स्तर पर "औद्योगिक कानून" की विस्तृत परिधि में आते हैं। भारत में श्रम कानूनों के विधायन की रूपरेखा बनाने में वर्तमान सामाजिक व आर्थिक दशाओं का प्रमुख योगदान है। इसमें कामकाज के घंटे, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के विनियमन की बात को गारंटी देते हैं।



श्रमिक कल्याण हेतु कुछ महत्वपूर्ण कानून एवं विधायन (Few Important Law & Legislation for The Labour Welfare)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (The Minimum Wages Act, 1948)

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 प्रारंभिक तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, जोकि अशिक्षा व मोल भाव कर सकने की क्षमता के अभाव के कारण शोषित होते हैं।
- कानून, नियोक्ता को बाध्य करता है कि वह विधि के तहत निर्धारित मजदूरी कामगारों को दे, साथ ही शोषण से उनकी रक्षा करे।
- अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र व राज्य दोनों सरकारें उनके न्यायाधिकार क्षेत्र में कामगारों हेतु न्यूनतम वेतन का निर्धारण, पुनर्विलोकन और उसे लागू कर सकेंगी।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम महिला और पुरुष कामगारों में विभेद नहीं करता अथवा दोनों के लिए अलग-अलग वेतन का प्रावधान नहीं करता। इस अधिनियम के सभी प्रावधान दोनों कामगारों पर समान रूप से लागू होते हैं।

मजदूरी की अदायगी अधिनियम, 1936 (The Payments of Wages Act, 1936)

मजदूरों का हितैशी यह अधिनियम, मजदूरों को समय से वेतन अदायगी सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी दावा करता है कि मजदूरों के वेतन से अनधिकृत कटौती नहीं की जायेगी।

बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 (The Payment of Bonus Act, 1965)

- यह अधिनियम, 20 या इससे अधिक मजदूरों वाले कारखानों और अन्य संस्थानों द्वारा श्रमिकों को बोनस देने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रत्येक उद्योग या संस्था के लिए 8.33% न्यूनतम बोनस देय है।

अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970

[Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970]

अनुबंध श्रमिकों के कामकाज एवं रहन-सहन की दशाओं को बेहतर करने के प्रति चिंता तथा मानक निर्वात शोधनशाला कंपनी (Standard Vacuum Refinery Company) बनाम उसके कामगार मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन का परिणाम, अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के लागू होने के रूप में सामने आया।

यह अधिनियम और अनुबंध श्रमिक (विनियमन और समाप्ति) केंद्रीय नियम, 1971 10 फरवरी, 1971 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अधीन, केंद्रीय व राज्य परामर्शदाता अनुबंध श्रमिक बोर्ड के गठन का प्रावधान है ताकि इस कानून के प्रशासन के सम्बंध में सम्बंधित सरकारों को सुझाव दिया जा सके। अधिनियम में अनुबंध मजदूरों को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मजदूरी और कुछ सुविधायें प्रदान करने का विशेष प्रावधान है।

केंद्र व राज्य सरकारों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे किसी संस्था की किसी गतिविधि में अनुबंध श्रमिकों को रोजगार देने का निषेध करे। साथ ही आपात स्थिति में अनुबंधकर्ताओं/संस्था को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट भी दी गई है।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

[Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21(क) के अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद-45 के अधीन यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल करे व उसे शिक्षा प्रदान करे और अंतिम रूप में अनुच्छेद-51(ट) में माता-पिता/अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रमुख बिंदु

[Key Features of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986]

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों एवं प्रक्रमों में नियोजित करने का निषेध करता है।
- अधिनियम अपेक्षाकृत कम खतरनाक कार्यों एवं प्रक्रमों में भी बच्चों के रोजगार का विनियमन करता है। वर्तमान में 16 खतरनाक व्यवसाय हैं तथा 65 प्रक्रम हैं जिनमें बच्चों को नियोजित करना निषेध है। कुछ महत्वपूर्ण निषिद्ध रोजगार एवं प्रक्रम हैं- कालीन बुनना, भवन एवं निर्माण कार्य, ईट भट्टों में कार्य, होजरी निर्माण कार्य, धरलू नौकरों के रूप में कार्य, चाय की दुकानों और सड़क के किनारे की दुकानों में काम करना।
- अधिनियम के A और B भागों में उल्लिखित रोजगारों में उस व्यक्ति के कार्य करने पर रोक है जो 14 वर्ष से कम आयु का है।
- कोई भी बच्चा 6 घंटों से अधिक काम नहीं करेगा, जिसमें आधे घंटे का विश्राम भी शामिल है।
- किसी बच्चे को शाम 7 से सुबह 8 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी बच्चे को अतिरिक्त समय (Overtime) के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
- हर बच्चे को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।
- यह प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह अधीक्षक को बच्चों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देगा। यह नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा कि वह इस मामले में एक रजिस्टर की व्यवस्था करेगा।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

[The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012]

- इस विधेयक को राज्यसभा में 4 दिसंबर, 2012 को रखा गया।
- विधेयक में बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन की बात कही गई है। इस अधिनियम में बच्चों को कुछ प्रकार के रोजगारों में नियोजित करने पर रोक है साथ ही इसमें रोजगार में कार्य की दशाओं का भी विनियमन किया गया है।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) के अनुसार, उपरोक्त विधेयक में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी कार्यों में रोजगार देने को निषेधित किया गया है सिवाय उन कार्यों के, जिनमें विद्यालय अवधि के बाद बच्चा, परिवार की मदद हेतु कोई काम करता है।
- विधेयक में एक नया वर्ग "किशोर" जोड़ा गया है। किशोर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 14 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु का है। विधेयक में किशोरों को उल्लिखित खतरनाक कार्यों (खानों, ज्वलनशील पदार्थों और खतरनाक कार्यों) में लगाए जाने पर रोक लगाई है।
- विधेयक में किसी बच्चे को किसी कार्य में लगाने पर मिलने वाले दंड को सख्त किया गया है। साथ ही इसमें किसी किशोर को खतरनाक कार्य में लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- सरकार, जिला अधिकारी को यह शक्ति दे सकती है कि वह कानून के प्रावधानों को उचित तरीके से लागू करवाये।

महिला श्रमिकों के लिए मुख्य कानून एवं विधायन (Main Law and Legislation for Women Labour)

- भारत के श्रमबल में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परंतु वे काम के स्तर एवं गुणवत्ता में पुरुषों से काफी पीछे हैं। अधिकांश महिला कामगार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ग्रामीण महिला कामगारों का 87% कृषि में श्रमिकों और खेतीहरों की भाँति कार्यरत है। शहरी महिला कामगारों में 80% असंगठित क्षेत्रों जैसे घरेलू उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्यों, छोटे स्तर के व्यापार आदि में कार्यरत हैं।
- समान वेतन अधिनियम, 1976 एक संरक्षणात्मक और गैर-शोषणकारी कानून है, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु लागू किया गया था। समान वेतन अधिनियम, 1976 में समान कार्य या एक जैसे कार्य हेतु पुरुषों व महिला कामगारों के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में 13.08.1997 के अपने उल्लेखनीय निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विशेष दिशानिर्देश दिये थे। इन दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14 के जरिए कानून की संज्ञा दी गई है।

बंधुआ श्रमिकों हेतु कानून और विधि (Law and Legislation for Bonded Labourers)

बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी भी यह दिखे कि श्रमिक को बलात् श्रम करने के लिए विवश किया गया है तो न्यायालय यह समझ सकता है कि उस श्रमिक को अनिचित अग्रिम या अन्य आर्थिक मुआवजा हो मिल सकेगा।

अतः बंधुआ श्रमिकों की पहचान की जानी चाहिए और उन मुक्त करके पुनर्वासित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को लागू करने के स्तर पर कोई असफलता, संविधान के अनुच्छेदों 21 और 23 का उल्लंघन मानी जायेगी।

यदि किसी व्यक्ति को बिना वेतन अथवा न्यून वेतन पर काम कराने के लिए बाध्य किया जायेगा, तब ऐसा माना जायेगा कि यह बंधुआ श्रम है जब तक कि राज्य सरकार या नियोक्ता इसे गलत सिद्ध न कर दे (नीरजा चौधरी बनाम म.प्र. राज्य)।

बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (महत्वपूर्ण बिंदु)

[The bonded Labour system (Abolition) Act, 1976 (Key Features)]

- बंधुआ श्रम का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर तब आया जब इसे 1975 में पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसे लागू करने के लिए बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अध्यादेश लाया गया। बाद में इसे बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसने सभी बंधुआ श्रमिकों को समान रूप से मुक्त कर दिया। साथ ही इनके ऋण भी समाप्त हो गए।
- अधिनियम में जिला और सबडिवीजन स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का प्रावधान है ताकि इस कानून के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
- जो व्यक्ति किसी को बंधुआ श्रम करने हेतु बाध्य करेगा उस पर ₹ 2000 जुर्माना और तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।
- बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अधीन यह प्रावधान है कि बंधुआ श्रमिकों की पहचान और उन्हें मुक्त करना, साथ ही उनको पुनर्वासित करने सम्बंधित दायित्व राज्य सरकार का होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधुआ श्रम के मामले में हस्तक्षेप करेगा।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (Unorganised Workers Social Security Act, 2008)

- असंगठित कामगार से तात्पर्य एक गृह आधारित कामगार, स्व-रोजगार में कार्यरत कामगार अथवा असंगठित क्षेत्र के वैतनिक मजदूर से है। असंगठित क्षेत्र का अर्थ व्यक्तियों के मालिकाना हक वाले उद्यम से अथवा स्वरोजगार में शामिल मजदूरों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन या बिक्री में लगे हों या ऐसी कोई प्रकार की सेवा दे रहे हों, तथा उद्यम के कामगारों की संख्या 10 से कम है।
- सरकार ने बीड़ी, गैर-कोयला खानों और खानों में काम करने वाले मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु "कल्याण कोष" की स्थापना की है। इस कोष का प्रयोग इन कामगारों को इनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन साधन, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं, मकान निर्माण आदि कार्यों में वित्तीय मदद देने के लिए होता है।
- अधिनियम में केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है, जिनका कार्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना निर्माण के लिए सुझाव देना होगा। राष्ट्रीय बोर्ड का कार्य जीवन और अक्षमता सहायता, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धजन संरक्षण और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य लाभ जैसे क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करना होगा। इसी प्रकार राज्य स्तरीय बोर्ड भविष्य निधि, रोजगार क्षति लाभ, आवास, बच्चों के लिए शिक्षा योजनाओं, कामगारों के कौशल उन्नयन, अंतिम संस्कार सहायता और वृद्धाश्रम जैसे क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करेगा।
- अधिनियम की धारा 5 में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री को अध्यक्षता में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसमें सदस्य सचिव और 34 मंत्रानुगत सदस्य होंगे जो संसद सदस्य, असंगठित क्षेत्र के कामगार, नागरिक समाज, केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- अधिनियम की धारा 8 के तहत, जिला प्रशासन इससे सम्बंधित सारा ब्योरा रखने का काम करेगा। इसके लिए राज्य सरकारें, (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों और (ख) शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों को निर्देशित करेगी।
- अधिनियम की धारा 9 कामगारों के लिए सुविधा केंद्रों के गठन का प्रावधान करती है ताकि (क) उन केंद्रों के पास उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बद्ध सूचनाएं प्रसारित की जायें और (ख) कामगारों को जिला प्रशासन से पंजीकरण कराए जाने की सुविधा मिले और असंगठित कामगारों के नामांकन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

- यह अधिनियम औद्योगिक विवादों को जांच और निस्तारण हेतु तंत्र और क्रियाविधि प्रदान करता है। इसमें संशोधन करके औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 पारित किया गया है।
- संशोधित अधिनियम 20 या इससे अधिक मजदूरों वाले औद्योगिक संस्थानों में वैधानिक रूप से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करता है।
- संशोधित अधिनियम में श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के 'पीठासीन अधिकारियों' के योग्यता क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उप मुख्य श्रम आयुक्त रैंक के केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारियों और भारतीय विधि सेवा (ग्रेड III) के अधिकारियों को इस 'पद' पर नियुक्त करने का प्रावधान भी है।
- संशोधित अधिनियम श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह शक्ति देता है कि वे अपने निर्णयों को दीवानी न्यायालय (Civil Court) के निर्णयों के समान ही लागू करें ताकि बेहतर और अधिक प्रभावी निर्णय दिया जा सके।

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (The Employees Compensation Act, 1923)

- इस अधिनियम का नामकरण वर्कमैन मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2009 के आधार पर किया गया है, जिसे लोकसभा में 7 अगस्त, 2009 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था।
- यह विधेयक कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में संशोधन करता है; जिसमें औद्योगिक दुर्घटनाओं में शारीरिक क्षति या मृत्यु होने पर श्रमिकों व उनके आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान है। अधिनियम विशेष समूह के लोगों जैसे कारखानों, खानों व रोपण कृषि में कार्यरत लोगों पर लागू होता है।
- विधेयक में "वर्कमैन" शब्द को "कर्मचारी" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ताकि कानून सभी कर्मचारियों पर लागू हो सके और वह लैंगिक भेदभाव न करे। कामगारों की परिभाषा में शामिल लोगों की सूची में विस्तार करने के लिए भी इस

विधेयक में संशोधन किया गया है। उदाहरण के लिए, अधिनियम में केवल वे लोग शामिल थे जो किसी स्थान पर किसी वस्तु की मरम्मत आदि का काम करते हैं तथा जिनकी संख्या 20 से अधिक हो। विधेयक में 20 कर्मचारियों वाले इस प्रावधान को हटाने तथा ऐसे कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

- विधेयक केंद्र सरकार को समय-समय पर मासिक वेतन में संशोधन की अनुमति देता है। रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने या चिकित्सा सुविधा लेने की दशा में कर्मचारी को वित्तीय मदद मिलेगी।
- राज्य सरकार कर्मचारी मुआवजा देने के लिए किसी व्यक्ति को "आयुक्त" के रूप में नियुक्त कर सकती है। विधेयक में ऐसा कहा गया है कि इस व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्षों से राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होना अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए।
- आयुक्त मुआवजे वाले मामलों को सन्दर्भित तिथि के 3 महीने के भीतर निपटायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (The Employees State Insurance Act, 1948)

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है जो ऊर्जा की खपत करते हैं और जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं तथा यह ऊर्जा का प्रयोग न करने वाले कारखानों पर भी लागू होता है जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी हैं।
- अधिनियम चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करता है तथा बीमारी, मातृत्व और कार्य करने के दौरान शारीरिक क्षति पर नकद लाभ देता है और कार्य करने के दौरान शारीरिक क्षति के कारण मृत्यु होने की दशा में आश्रितों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है।
- 1.4.2005 को लागू राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अधीन, बीमित व्यक्ति को अधिकतम 12 माह के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
- अधिनियम के अधीन दिये गए मुख्य लाभ हैं- बीमित व्यक्ति के पूरे परिवार हेतु चिकित्सकीय सुविधा, बीमारी के कारण हुए वेतन के नुकसान हेतु नकद मुआवजा, कार्य के दौरान शारीरिक क्षति के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों को समय-समय पर भुगतान, बीमित महिला को मातृत्व लाभ और अंतिम संस्कार के लिए खर्च।

पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012 [The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012]

- पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक को 6 सितंबर (2012) को लोक सभा में प्रस्तावित किया गया।
- विधेयक में प्रत्येक पथ विक्रेता को शहरी विक्रय समिति (Urban Vending Committee) में पंजीकरण कराने का प्रावधान है। विधेयक में पथ विक्रेता की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है।
- पथ विक्रेता की परिभाषा में 'वे व्यक्ति शामिल हैं जो वस्तु, सामान, सामग्री आदि बेचते हैं या आम जनता को सड़क, गली, फुटपाथ, सड़क किनारे, सार्वजनिक पाकों आदि में सेवाएँ देते हैं।'
- विधेयक में यह प्रावधान है कि विक्रय प्रमाणपत्र के बिना कोई भी सड़क पर बिक्री नहीं कर सकता।
- सम्बंधित सरकार को एक पथ विक्रय योजना बनानी चाहिए। इस योजना में ये प्रावधान भी हैं- (a) पंजीकरण के लिए आवेदन का तरीका (b) समयवधि जिसमें निर्णय लिया जायेगा और (c) विक्रय प्रमाणपत्र से सम्बद्ध कोई और दशा।
- विधेयक स्थानीय संस्था को यह शक्ति देती है कि वे पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित (Relocate) कर सकें। संस्था ऐसा कदम तब भी उठा सकती है जब उसे लगे कि पथ विक्रेता सार्वजनिक जगहों पर समस्याएँ पैदा कर रहे हैं अथवा जनता के आवागमन में बाधा डाल रहे हैं। एक पंजीकृत पथ विक्रेता को यदि पुनर्स्थापित किया गया है तो उसे विक्रय हेतु नयी जगह दी जायेगी।
- शहरी विक्रय समिति, विक्रय प्रमाणपत्र को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है। यह तभी किया जा सकता है जब विक्रेता ने विधेयक या पथ विक्रय योजना का उल्लंघन किया हो।
- पथ विक्रेता को जुर्माना देना होगा यदि (a) विक्रेता के पास विक्रय प्रमाणपत्र न हो (b) वह निर्धारित समय या स्थान के अतिरिक्त कहीं और विक्रय करता हो (c) विक्रय प्रमाणपत्र की अवहेलना करता हो। पथ विक्रेता पर अधिकतम ₹ 2000 का जुर्माना हो सकता है।

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार सम्बंधी कानून (संशोधन) विधेयक , 2013
[The Building and Other Construction Workers Related Laws
(Amendment) Bill 2013]

- (a) उपरोक्त विधेयक को राज्य सभा में 18 मार्च, 2013 को श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- (b) विधेयक दो कानूनों में संशोधन करता है- भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) RECS Act, 1996) तथा भवन एवं अन्य कामगारों हेतु कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (WC अधिनियम) [Building and Other Construction Worker's Welfare Cess Act, 1996 (WC Act)]
- RECS अधिनियम में संशोधन कुल निर्माण कार्य में प्रयुक्त 10 लाख की ऊपरी सीमा को हटाने के लिए किया गया है। विधेयक में केंद्र सरकार को निर्माण की अधिकतम लागत तय करने की बात कही गई है।
 - RECS अधिनियम के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक भवन कामगार जो कम से कम 90 दिनों से (पिछले 1 वर्ष के दौरान) किसी भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में लगा हो वह लाभकर्ता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। संशोधन में हटाये जाने वाले प्रावधान हैं- (i) पंजीकरण हेतु 90 दिन की अनिवार्यता और (ii) ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष।
 - RECS अधिनियम के अनुसार, कल्याण बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष में अपने कुल खर्च का 5% तक वेतन, भत्ता व अन्य प्रशासनिक जरूरतों पर खर्च कर सकता है। संशोधन इस सीमा को हटाता है और केंद्र को प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार देता है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) संशोधन
अधिनियम, 2011 [The Inter-State Migrant Workers (Regulation and
Employment & Condition of Service) Amendment Act, 2011]

- (a) अधिनियम उस संस्था पर लागू होगा जिसने निर्धारित न्यूनतम (उदाहरण के लिए पाँच) या अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को किसी मध्यस्थ (जिसने किसी एक राज्य के कामगारों को दूसरे राज्य की किसी संस्थापना में रोजगार दिलवाया हो) के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया हो। जिस उद्यम पर यह अधिनियम लागू होता है उसमें कार्यरत अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारों को कुछ सुविधायें जैसे राह-चिकित्सा सहायता, आवागमन खर्च, घर से उद्यम और वापसी आदि मिलनी चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन विधेयक, 2009
[The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2009]

- (a) श्रम और रोजगारी मंत्री द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन प्रस्ताव, 2009 लोकसभा में 7 अगस्त, 2009 को प्रस्तावित किया गया था।
- (b) विधेयक, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है ताकि केंद्र सरकार "अन्य लाभार्थियों" और उनके परिवारों के लिए योजनायें बना सके जिससे उन्हें पूर्व में किसी "प्रयोग में न रहे" अस्पताल (जिसे ESIC ने स्थापित किया हो) में चिकित्सा सुविधायें "प्रयोक्ता मूल्यों" पर प्रदान की जा सकें।
- (c) विभिन्न वर्गों के लिए "आश्रित" की आयु सीमा में बदलाव किया गया है। साथ ही, माता-पिता को आश्रित तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसकी आय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आय से कम न हो।
- (d) विधेयक में "कारखाने" की परिभाषा में संशोधन करते हुए, इसमें ऐसे किसी स्थान को शामिल करने की बात कही गई है, जिसमें एक निर्माण प्रक्रिया हो तथा जिसमें 10 या अधिक लोग कार्यरत हों (भले वे कितनी भी ऊर्जा खपत करें)।

श्रमिकों के कल्याण की निगरानी करने वाली एजेंसियाँ एवं संस्थायें
(Agencies and Institutions to Monitor the Welfare of Labourers)

क. प्रथम राष्ट्रीय श्रमिक आयोग (First National Labour Commission)

श्रमिकों पर पहले राष्ट्रीय आयोग का गठन 24 दिसंबर, 1966 को न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्रगडकर की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याओं के सभी पहलुओं के विस्तृत परीक्षण के

बाद अगस्त, 1969 में प्रस्तुत की। सुझावों में अनेक मुद्दे शामिल थे जैसे- भर्ती एजेंसियाँ एवं कार्य प्रणाली, रोजगार सेवा प्रशासन, प्रशिक्षण और कामगार शिक्षा, कार्यदर्शयें, श्रमिक कल्याण, आवास, सामाजिक सुरक्षा, वेतन व आय, वेतन नीति, बोनस, कामगार/कर्मचारी संगठन, औद्योगिक सम्बंध तंत्र आदि।

श्रम आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों को संशोधन के द्वारा कुछ श्रम कानूनों जैसे कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, बाल श्रम (निषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 पर लागू किया गया है। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान (National Labour Institute) की स्थापना 1972 में की गई थी।

ख. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (Second National Labour Commission)

श्रम कानूनों में आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने वर्ष 2002 में श्री रविन्द्र चर्मा की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य इन मुद्दों पर सुझाव देना था:-

- (क) श्रम कानूनों की उपयुक्त व्याख्या संबंधी मानदंड।
- (ख) संगठित क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख विधान की व्यवस्था।

द्वितीय श्रम आयोग के कुछ सुझाव-

1. आयोग ने "वर्कमैन" को अपेक्षाकृत "वर्कर" शब्द का प्रयोग किया।
2. अधिक वेतन वाली नौकरियों या जो कामगार श्रेणी से अलग है उनके लिए आयोग पृथक कानून का प्रावधान करता है।
3. सभी श्रम कानूनों को एक सुपरिभाषित सामाजिक सुरक्षा मिलने चाहिए।
4. श्रम आधिकार को कम करने के लिए नियोजन की समाप्ति।
5. एक अनुबंध श्रमिक उत्पादन/सेवा कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुबंध श्रमिक को नियमित दर पर नियमित ग्रेड का वेतन मिलना चाहिए।
6. प्रत्येक कर्मचारी को एक माह का वेतन बोनस के रूप में मिलना चाहिए।
7. प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार है।
8. बाल श्रम अपराध है।

ग. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation)

- NSDC निजी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया एक साझेदारी प्रयास है जिसका मूल उद्देश्य भारतीय श्रमिक वर्ग को कुशल बनाना तथा पहले से कुशल श्रमिकों को कुशलता को सुदृढ़ करना है। NSDC के प्रयासों का एक बड़ा भाग इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसके लिए NSDC प्रशिक्षण के लिए वित्तीय मदद देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण के अलावा उससे जुड़ी अन्य सेवाएँ भी NSDC के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। माँग तथा पूर्ति के बीच किस क्षेत्र में कितना बड़ा अंतराल है इसकी पड़ताल तथा प्रशिक्षण के लिए मानकों का निर्धारण भी NSDC के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- NSDC बिना मुनाफे के कार्य करने वाली एक ऐसी कंपनी है जो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है तथा जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित की गयी है। इसकी मूल पूंजी 10 करोड़ रुपये है तथा निजी एवं सरकारी क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 51% तथा 49% है।

कार्य निष्पादन की सरलता के लिए इसे कई स्तरों में विभाजित किया गया है जिनमें प्रमुख हैं 12 सदस्यीय निदेशक मंडल तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, जिसका 100% नियंत्रण भारत सरकार के पास है।

- NSDC निजी तथा सरकारी क्षेत्र की साझेदारी में स्थापित एक ऐसी इकाई है जिसका प्रबंधन अनुभवी तथा पेशेवर लोगों की टीम के द्वारा किया जाता है। पेशेवर लोगों के होने की वजह से इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं है।

- NSDC किन-किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान करती है?

- | | |
|---|---|
| 1. वाहन तथा उससे जुड़े पूर्णों का उद्योग | 2. इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 3. चमड़ा तथा चमड़े से बनी सामग्री का उद्योग | 4. बिल्डिंग तथा ढाँचागत निर्माण उद्योग |
| 5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 6. गृहनिर्माण तथा गृहसज्जा की वस्तुओं का उद्योग |
| 7. सूचना तकनीक तथा सॉफ्टवेयर उद्योग | 8. सुनियोजित खुदरा व्यापार |
| 9. स्वास्थ्य सेवा | 10. असंगठित क्षेत्र |

घ. वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (V.V. Giri National Labour Institute)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान एक प्रमुख संस्थान है जो अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और श्रम सम्बन्धी परामर्श एवं सम्बद्ध मुद्दों से जुड़ा है। 1974 में स्थापित यह संस्थान, भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान है। 1995 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात श्रमिक संघ नेता वी.वी. गिरि के सम्मान में संस्थान का पुनः नामकरण किया गया। यह संस्थान श्रम और श्रम प्रशासकों के प्रशिक्षण, श्रमिक संघों, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधकों और श्रम से जुड़े अन्य सरकारी संस्थानों से जुड़कर अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत है।

ड. केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (Central Board for Workers Education)

कामगार शिक्षा हेतु केंद्रीय बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा 1958 में असंगठित, संगठित और ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई/ग्रामीण स्तर पर कामगार शिक्षा योजनाएँ लागू करने के लिए की गई थी। बोर्ड के प्रशिक्षण श्रमिकों का उद्देश्य श्रमबल में जागरूकता पैदा करना तथा उनको शिक्षित करना है ताकि वे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भागीदारी कर सकें। बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है तथा इसके नेटवर्क में 50 क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय निदेशालय पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं।

च. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Safety Council)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1966 में दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु सुरक्षा-मानक अपनाने, खतरों को कम करने, मानवीय प्रताड़ना को कम करने, सुरक्षा पर कार्यक्रम, व्याख्यान, कार्यशाला आयोजित करने और कामगारों में जागरूकता बढ़ाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा शैक्षणिक और जागरूकता आँकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से कामगारों के मध्य सुरक्षा जानकारी बढ़ाने के लिए की गई थी। प्रति वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।

छ. असंगठित क्षेत्र में उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector)

असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 20 सितंबर, 2004 को एक स्पष्ट आदेश के साथ हुई थी। आयोग को सौंपी गई प्रमुख संस्तुतियाँ थीं—

- भारत के असंगठित क्षेत्र की समीक्षा करना जिसमें उद्यमों की प्रकृति, उनके आकार, विस्तार एवं विषय क्षेत्र, रोजगार का परिमाण आदि शामिल हैं।
- छोटे उद्यमों द्वारा उठाये जाने वाली वे समस्याएँ जो उद्यमों को चलाने में कठिनाई पैदा करती हैं, वित्त, कौशल, उपक्रम विकास अवसरचना, तकनीक और बाजार आदि से सम्बंधित हैं, उनको पहचान करना और उन्हें संस्थागत मदद उपलब्ध कराना और खामियों को दूर करना।
- असंगठित क्षेत्रों की वृद्धि, रोजगार, नियत और अनियत हेतु कानूनी और नीतिगत वातावरण का सुझाव देना।
- रोजगार सृजन करने वाले तथा उनकी पुनर्संरचना के सुधार हेतु मौजूदा कार्यक्रमों का निरीक्षण करना।
- असंगठित क्षेत्र की वृद्धि हेतु कानूनी और वित्तीय उपकरणों की पहचान करना।
- रोजगार एवं बेरोजगारी निर्धारण के मौजूदा तरीकों का परीक्षण करना और 1990 के दशक में रोजगार में गिरावट के कारण ढूँढना।
- असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखकर रोजगार रणनीति हेतु सुझाव देना।
- श्रम अधिकारों के साथ-साथ श्रमिक कानूनों की समीक्षा करना, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में उद्योग व सेवाओं की वृद्धि की जरूरतों को पूरा करना तथा उत्पादकता बढ़ाने व प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। इसके अतिरिक्त—

असंगठित श्रमिक (कामगार) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया था जिसका कार्य ऐसी योजनाओं हेतु सुझाव देना था जो जीवन एवं अक्षमता सुरक्षा, स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अन्य लाभों से जुड़ी हों। यह बोर्ड सामाजिक क्षेत्र की अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी समीक्षा करता है।

निःशक्तता से पीड़ित लोगों के संरक्षण एवं बेहतर हेतु निर्मित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Bodies Constituted for the Protection and Betterment of People Suffering with Disabilities)

परिचय (Introduction)

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप की निःशक्तता या शारीरिक दुर्बलता (विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य योजना 2006-2011) से प्रभावित है। निःशक्तता शब्द के कई अर्थ हैं। हालाँकि मोटे तौर पर निःशक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत करता है। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, पहचानने, सुनने एवं देखने के कार्यक्षमता की संकल्पना (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2004) के रूप में समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, बुढ़ापा बढ़ने तथा गंभीर बीमारियों के उभरने से निःशक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। निःशक्तता का गंभीरता के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका प्रभाव कुल जनसंख्या के 15 से 21.3 प्रतिशत के बीच है।

निःशक्तता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation on Disability)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (1973) ने शारीरिक दुर्बलता, निःशक्तता और असामर्थता के बीच अंतर किया है। शारीरिक दुर्बलता (Impairment) मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शरीर रचनात्मक शारीरिक कार्यशैली में कमी या दुर्बलता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपेक्षित कार्य क्षमता की तुलना में निःशक्तता (Disability) किसी तरह का कार्य करने की क्षमता में रुकावट या कमी की स्थिति है (जो कि शारीरिक दुर्बलता से उत्पन्न होता है)। असामर्थता (Handicap) एक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थिति या अलाप की स्थिति है जो कि शारीरिक दुर्बलता या निःशक्तता से उत्पन्न होती है और उस भूमिका को निभाने में बाधा डालती है जो कि सामान्य समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति की उम्र, लिंग या सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है।

2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृत्य (Functioning), निःशक्तता और स्वास्थ्य का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण जारी किया। इसने मोटे तौर पर नौ कार्यों का वर्णन किया जिसे करने में निःशक्त लोग कठिनाई का सामना करते हैं।

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. सीखना या ज्ञान का उपयोग करना | 2. सामान्य कार्य और मांगें (Demands) |
| 3. संप्रेषण (Communication) | 4. गतिशीलता (Mobility) |
| 5. अपनी देखभाल (Self Care) | 6. घरेलू जीवन (Domestic Life) |
| 7. अंतर्व्यक्तिक अंतर्क्रिया एवं संबंध (Interpersonal Interactions and Relationship) | |
| 8. जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र (Major Life Areas) | |
| 9. सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन | |

भारत में निःशक्तता का प्रसार (Prevalence of Disability in India)

भारत में निःशक्तता के विभिन्न प्रसार दर उपलब्ध हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 मिलियन से भी अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित हैं।

निःशक्त जनसंख्या की संख्या और निःशक्तता के प्रकार

	जनसंख्या	प्रतिशत %
कुल जनसंख्या	1,028,610,328	100.0
कुल निःशक्त जनसंख्या	21,906,769	2.1
निःशक्तता दर (प्रति लाख जनसंख्या)	2,130	—
निःशक्तता के प्रकार		
(a) देखने में	10,634,881	1.0
(b) बोलने में	1,640,868	0.2
(c) सुनने में	1,261,722	0.1
(d) गतिविधि करने में	1,105,477	0.6
(e) मानसिक	2,263,821	0.2

इसके विपरीत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organization) ने अनुमान लगाया है कि भारत में निःशक्तता से पीड़ित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत (49-90 मिलियन) है और निःशक्तता से पीड़ित 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। केवल 49 प्रतिशत निःशक्त लोग साक्षर हैं तथा केवल 34 प्रतिशत रोजगार करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन देखने, सुनने, बोलने, चलने तथा मानसिक निःशक्तता को भी शामिल करता है।

निःशक्तता के प्रकार (Types of Disability)

- चलने संबंधी निःशक्तता (Locomotor Disability):** चलने संबंधी निःशक्तता के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालित करने में अक्षम रहता है और तंत्रिका तंत्र में समस्या के कारण कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। कुछ सामान्य स्थितियाँ जिनसे चलने संबंधी निःशक्तता की बढ़ावा मिल सकती है वे हैं- पोलियो, प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy), अंग्तिज्म, अंगच्छेद (Amputation), रीढ़, प्रमस्तिष्क, मुलायम उत्तक में चोट, हड्डी टूट जाना, मांसपेशीय दुर्बिकास (Muscular Dystrophies) आदि।
- दृश्यता संबंधी निःशक्तता (Visual Disability):** दृश्यता संबंधी निःशक्तता या दृष्टिहीनता से तात्पर्य एक व्यक्ति की पूर्णतः या अंशतः देखने की अक्षमता से है। दृष्टिहीन निःशक्त व्यक्ति देखने संबंधी शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित होता है। निम्न दृश्यता या कमजोर दृष्टि (Low Vision or Poor Eye Sight) से पीड़ित व्यक्ति इस स्थिति का सामना तब भी करता है जब वह चिकित्सीय स्वीकृति प्राप्त उपचार करता है। फिर भी कमजोर दृश्यता से पीड़ित व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि वह उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से अपने कार्य कर सके।
- मानसिक बीमारी (Mental Illness):** मानसिक बीमारी में मानसिक बीमारी तथा मानसिक मन्दता (Retardation) दोनों शामिल होते हैं। मानसिक मन्दता को बंद बुद्धि (State of Arrested) या बुद्धि के अपूर्ण विकास के रूप में समझा जा सकता है। इसे विकास काल (जैसे- ज्ञान संबंधी भाषा, चलने-फिरने, सामाजिक योग्यता) के दौरान कौशल की कमी के रूप में समझा जा सकता है जो सामान्य रूप से बुद्धि के स्तर को दर्शाता है। मानसिक रूप से रोगग्रस्त स्वास्थ्य के अंतर्गत शिजोफ्रेनिया, व्याकुलता संबंधी बीमारी (Anxiety Disorder), अवसाद संबंधी बीमारी (Depressive Disorder) तथा अन्य किसी तरह की समस्या (जो दिमाग में निरंतर रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है) को रखा जाता है।
- बोलने या सुनने संबंधी निःशक्तता (Speech and Hearing Disability):** बोलने (वाक्) या सुनने (श्रव्य) संबंधी निःशक्तता के अंतर्गत व्यक्ति किसी ध्वनि को बोलने या सुनने में अक्षम होता है।
- सीखने संबंधी निःशक्तता (Learning Disability):** यह एक ऐसी बीमारी है जो समझ शक्ति, या लिखने-पढ़ने की भाषा के आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह बीमारी सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए आवश्यक बोलना, पढ़ना, भाषा के विकास तथा संबंधित संचार कौशल को प्रभावित करती है। मस्तिष्क पर चोट (Brain Injury), मस्तिष्क का सामान्य रूप से कार्य न करना (Minimal Brain Dysfunction), मानसिक विकार जिससे पढ़ने-लिखने में कठिनाई हो (Dyslexia), बुद्धि क्षय के कारण भाषा को समझने या प्रयोग करने में अक्षमता (Developmental Aphasia) सीखने संबंधी निःशक्तता के उदाहरण हैं।
- विविध निःशक्तता (Multiple Disabilities):** विविध निःशक्तता का तात्पर्य निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद (2) के खण्ड (i) में परिभाषित दो या दो से अधिक निःशक्तता

का योग होता है जैसे दृष्टिहीनता या कमजोर दृष्टि, बोलने और सुनने संबंधी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक मन्दता एवं मानसिक बीमारी तथा कुष्ठरोग सहित चलते-फिरने संबंधी शारीरिक दुर्बलता।

शारीरिक दुर्बलता या निःशक्तता के प्रमुख कारणों में गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदयवाहिनी संबंधी बीमारी (Cardiovascular Disease) एवं कैंसर, सड़क दुर्घटना में घायल होना, संघर्ष, मानसिक दुर्बलता, जन्म संबंधी विकृति, कुपोषण, एचआईवी/एड्स और अन्य संक्रामक रोगों को रखा जा सकता है।

निःशक्तता के कारण (Causes of Disability)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निःशक्तता संबंधी पुस्तिका (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-2005) में निःशक्तता के अप्रत्यक्ष कारणों को विस्तार से बताया गया है।

1. **कुपोषण (Malnutrition):** अपने विभिन्न रूपों में यह भारत में निःशक्तता का प्रमुख कारण है तथा अन्य बीमारियों में भी सहायक है जो निःशक्तता की संभावना उत्पन्न करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 515 मिलियन एशियाई व्यक्ति गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, ये विश्व में भुखमरी के शिकार कुल लोगों का दो-तिहाई हैं।
 - विटामिन A की कमी - अंधापन
 - विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी - बेरी-बेरी (Beri-Beri)
 - विटामिन D की कमी - सूखा रोग (Rickets)
 - आयोडीन की कमी - मंद वृद्धि, सीखने में कठिनाई, बौद्धिक निःशक्तता और घेंघा या गलगंड (Goitre)
 - लौह की कमी - एनीमिया जो कि सीखने एवं कार्य करने को प्रभावित करता है और यह मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है।
 - कैल्सियम की कमी - भंगुर हड्डियाँ (Osteoporosis)
2. **संघर्ष (Conflict):** स्थायी निःशक्तता के लिए युद्ध एक अकेला सबसे बड़ा कारण है जो न केवल युद्ध लड़ने वाले सैनिकों बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों की निःशक्तता के लिए भी उत्तरदायी है। नागरिक प्राणघातक रासायनिक एवं परमाणु अस्त्रों से होने वाले नुकसान का जोखिम उठाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। अफगानिस्तान, कंबोडिया के साथ 206 समुदायों के बीच कराए गए अध्ययन के आँकड़ों के अनुसार बाहरी युद्धों के विस्फोट के कारण निःशक्तता की दर 0.9 प्रतिशत है।
3. **व्यावसायिक जोखिम (Occupational Hazards):** भारत में लगभग 90 प्रतिशत अज्ञात, असंगठित क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को निम्न स्तर की तकनीक सुरक्षा के निम्न मानक और खतरनाक कार्य स्थिति के रूप में जाना जाता है। गृह की खेती एवं अंगच्छेदन धान की खेती एवं मासपेशीय बीमारियाँ, नारियल चुनना तथा रोटी संबंधी चोट (Spinal Cord Injury) कुछ ऐसे जोखिम हैं जो विशेष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हैं।
4. **यातायात जोखिम (Traffic Hazard):** अनुमानित है कि 2020 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सड़क दुर्घटना निःशक्तता का तीसरा सबसे बड़ा कारण होगा। सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों में चतुर्गुण पात (Quadriplegia), सदमा के कारण शरीर के निचले आधे भाग का लकवाग्रस्त होना (Paraplegia), मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना (Brain Damage) तथा व्यवहारपरक विकृति (Behavioural Disorders) जैसी कुछ सामान्य निःशक्तता पायी जाती है।

भारत में सबसे असुरक्षित निःशक्त (The Most Vulnerable Disabled in India)

1. **निःशक्त बच्चे (Children with Disability):** चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू (Child Relief and You - CRY) के अनुसार निःशक्तता संबंधी आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत के 3 प्रतिशत बच्चे मानसिक विकार से पीड़ित हैं। इनमें से 15 मिलियन बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें 10 मिलियन लड़के तथा 5 मिलियन लड़कियाँ हैं। 20 प्रतिशत निःशक्त बच्चे शहरी क्षेत्रों में हैं तथा 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 60 प्रतिशत पुरुष हैं जबकि 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह अनुमान है कि प्रत्येक 10 में से 1 बच्चा या तो जन्म के साथ या जन्म के पहले साल में ही शारीरिक, संवेदी या मानसिक दुर्बलता से पीड़ित हो जाता है इस अनुमान के मुताबिक विश्व जनसंख्या में निःशक्त बच्चों की संख्या 140 मिलियन है जिसमें से 25 मिलियन अकेले भारत में रहते हैं।
2. **निःशक्तता एवं महिलाएँ (Disabled and Women):** निःशक्त महिलाएँ भारतीय समाज में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यह असुरक्षा सभी वर्गों एवं जातियों में मौजूद है। महिलाएँ तिहरे कारणों से पीड़ित होती हैं, वे पीड़ित होती हैं क्योंकि वे महिला और निःशक्त हैं और ज्यादातर निर्धनता में ही जीवन यापन करती हैं। भारत में निःशक्त महिलाएँ कुल निःशक्त जनसंख्या की 42 प्रतिशत हैं। वे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य स्थिति के संदर्भ में सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार के अनुसंधान, राज्य नीति एवं कार्यक्रमों, जन आंदोलन एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में प्राथमिकता वाले समूह में नहीं रखा जाता है। आगे वे निःशक्तता से जुड़े भेदभाव एवं कलंक के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक सहभागिता से अलग हो जाती हैं।

3. **मानसिक स्वास्थ्य निःशक्त (Mental Health Disabled):** विश्व में निःशक्तता एवं समय-पूर्व मृत्यु के दस प्रमुख कारणों में से पाँच कारण मनोरोगों से जुड़े हैं। अवसाद, व्यग्रता (Anxiety), शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन मानसिक रूग्णता के कुछ सामान्य कारण हैं। शिजोफ्रेनिया और बाईपोलर डिसऑर्डर (Bipolar Disorder) यद्यपि कम पाए जाते हैं लेकिन ये गंभीर रूप से निःशक्तता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। मानसिक रूप से बीमार कई व्यक्ति किसी तरह का मदद नहीं चाहते हैं। न तो परिवार एवं न ही स्वास्थ्य व्यवस्था मानसिक बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखती है। जो बीमार व्यक्ति औपचारिक चिकित्सा सहायता चाहते हैं, उन्हें उपचार के नाम पर मिश्रित प्रकार की दवाएँ दी जाती हैं जैसे नोद संबंधी समस्याओं के लिए नोद की गोलीयाँ (Sleeping Pill), थकान के लिए विटामिन आदि का सेवन करना। विशिष्ट उपचार या मनोवैज्ञानिक उपचार उन्हें शायद ही उपलब्ध हो पाता है।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य है। इसमें दो मत नहीं कि आर्थिक विकास के साथ आयु प्रत्याशा में वृद्धि से हमारे देश में बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ रही है।

4. **रोगी और एचआईवी/एड्स (Patients and HIV/AIDS):** निःशक्तों का यौन एवं जनन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर प्रमुख रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। जनन और यौन स्वास्थ्य एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुँच रही है। ऐसा प्रमुखतः ऐसी सेवाओं तक भौतिक पहुँच के अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सूचना के अभाव तथा स्वास्थ्य पेशेवरों (Health Professional) को निःशक्तता के बारे में जानकारी का अभाव के कारण होता है। निःशक्त व्यक्तियों को यौन क्षमता विहीन (Non-sexual) समझा जाता है। इस कारण मुख्यधारा के यौन एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निःशक्तों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। निःशक्त व्यक्ति स्वयं भी इन कार्यक्रमों से कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। राज्य एवं समाज यह बात समझने में विफल रहता है कि निःशक्तों को यौन संबंध स्थापित करने की इच्छा होती है और स्वस्थ यौन संबंध स्थापित करना उनका अधिकार है। वास्तव में उनकी कई कमजोरियों के कारण वे स्वयं यौन हमले एवं शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। निःशक्त व्यक्तियों को गैर निःशक्त व्यक्तियों की तुलना में एचआईवी/एड्स से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उन पर यौन हमले की संभावना ज्यादा होती है।

भारत की जनगणना 2011 और निःशक्त जन (Disabled people in India and Census 2011)

भारतीय जनगणना का इतिहास 1872 से रहा है। हालाँकि स्वतंत्र भारत को किसी जनगणना में निःशक्त जनों की गिनती नहीं हुई थी (केवल सन् 1981 को छोड़कर क्योंकि यह निःशक्त जनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था)। 2001 में ही निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Promotion of Employment for Disabled People – NCPEDP) और निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार समूहों के अथक प्रयास व संघर्ष के बाद निःशक्त जनों की जनगणना में जोड़ा गया। 2001 की जनगणना में निःशक्त जनों को केवल 5 वर्ग थे—दृष्टि देखना, सुनना, चलना और मानसिक रोग। निःशक्त जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों से ग्रसित है उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि उनकी गणना कहाँ होगी। इस जनगणना में मानसिक रोगियों और मूढ़बुद्ध लोगों में कोई अंतर नहीं किया गया था।

जनगणना 2011 के अधीन निःशक्त जनों की जनसंख्या का प्रावधान (Provisions Under Census 2011 for Disabled Population Calculation)

2001 की जनगणना में निःशक्त जनों के 5 वर्गों के विपरीत जनगणना 2011 में निःशक्त जनों के 8 वर्ग बनाये गए— ये वर्ग हैं:

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1. दृष्टि विकलांगता | 2. श्रवण विकलांगता | 3. मानसिक रोग | 4. वाक् विकलांगता |
| 5. मानसिक मंदता | 6. बहु विकलांगता | 7. चलन विकलांगता | 8. कोई अन्य विकलांगता |

भारत में निःशक्त जनों द्वारा झेली जाने वाली प्रताड़ना और विभेद (Vulnerability and Discrimination Faced by Disabled in India)

भारत ने निःशक्त जनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की संधि (United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities – UNCRPD) पर हस्ताक्षर किये हैं और यह दायित्व संभाला है कि सभी निःशक्त जनों को बिना किसी भेदभाव के सभी मानवीय और मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराये जायेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि भारत में निःशक्त जन कई मौकों पर विभेद का शिकार होते हैं—

1. इन्हें कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान, परिवार में प्रत्यक्ष विभेद का सामना करना पड़ता है क्योंकि निःशक्त होने के कारण इनके साथ बुरा व्यवहार होता है।

2. निःशक्त महिलाओं और बच्चों का अक्सर यौन शोषण भी होता है।
3. सार्वजनिक यातायात, विश्वविद्यालय, कार्यस्थल (निजी और सार्वजनिक दोनों) निःशक्त लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और बुरी है क्योंकि निःशक्त महिलायें और बच्चे समाज से बहिष्कृत समझे जाते हैं।

भारत में निःशक्त लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for Safeguarding the Rights of Disabled People in India)

अपने उद्भव के समय से ही भारतीय संविधान में निःशक्त लोगों के हितों के लिए प्रावधान अन्तर्निहित रहे हैं-

A. समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 के अधीन समानता का अधिकार घोषणा करता है कि "राज्य, भारत की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।" यह निःशक्त लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे तात्पर्य है कि लोगों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और अन्य जहरतों के अनुसार अलग-अलग माँग होती है और सभी लोगों को एक जैसा कानून उपलब्ध करना संभव नहीं है। इससे तात्पर्य है कि जिन लोगों को विशेष व्यवहार की आवश्यकता है उनके लिए विशेष कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम होने चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन किसी निःशक्त व्यक्ति के साथ उसकी निःशक्तता के कारण होने वाला विभेद इस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जायेगा।

B. जीवन का अधिकार- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आने वाला जीवन का अधिकार अपने साथ अन्य अधिकारों को भी शामिल करता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो जीवन के अधिकार को हिस्सा हैं और जो निःशक्त लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं वे इस प्रकार हैं-

निवास का अधिकार

शिक्षा का अधिकार

स्वास्थ्य का अधिकार

भोजन का अधिकार

C. राज्य के नीति निर्देशक तत्व- कुछ नीति निर्देशक तत्व विशेषरूप से निःशक्त लोगों के अधिकारों को उल्लेख करते हैं। "निःशक्तता" (Disablement) के मामले में अनुच्छेद 31 विशेषरूप से निःशक्त लोगों के लिए राज्य द्वारा कार्य का अधिकार शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 (क) सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही यह प्रावधान भी करता है कि आर्थिक अथवा अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी को भी न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 46 और 47 में भी अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा, रहने-सहन के स्तर और विकास के बारे में प्रावधान हैं।

निःशक्तता को अनुसूची 11 (पंचायत-से सम्बंधित) में निःशक्तता के अधीन स्थान मिला है "सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों का कल्याण भी हो" और अनुसूची 12 (नगरपालिकाओं से सम्बंधित) में इनसे सम्बंधित शीर्षक है "समाज के दुर्बल तबके की सुरक्षा, जिसमें मंदबुद्धि व विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।"

भारत में निःशक्त लोगों की बेहतर व संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन (Laws and Legislation for Betterment and Protection of Disabled People in India)

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
Persons with Disabilities (Equal opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995

यह अधिनियम निःशक्त लोगों को सभी गरीबी निवारण कार्यक्रमों, सरकारी पदों, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य अधिकारों में 3% आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं-

- अक्षमता/निःशक्तता की शीघ्र पहचान और रोकथाम
- शिक्षा
- रोजगार
- सकारात्मक क्रिया (Affirmative Action)

- विभेद की समाप्ति
- अनुसंधान और मानवशक्ति का विकास
- निःशक्त लोगों हेतु संस्थानों की पहचान
- गंभीर रूप से निःशक्त लोगों हेतु संस्थान
- निःशक्त लोगों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त
- सामाजिक सुरक्षा

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Salient Features of This Act)

- यह अधिनियम बेहद व्यापक रूप में निःशक्त/अक्षम लोगों के शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है। अधिनियम, सरकार और स्थानीय संस्थाओं के लिए अनेक कर्तव्य निर्धारित करता है ताकि वे निःशक्त लोगों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें। अधिनियम, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में निःशक्त लोगों के लिए 3% आरक्षण की माँग करता है। सरकार अनौपचारिक शिक्षा के प्रावधानों और व्यापक शिक्षा योजनाओं से सम्बद्ध लोगों को निर्देश जारी करने की तैयारी में है।
- अधिनियम में शिक्षा के उपबंध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे प्रत्येक निःशक्त बच्चे को शिक्षा प्राप्ति की आशा करने और शिक्षा की माँग करने का अवसर मिल सकेगा।
- अधिनियम, विविध क्षेत्रों में निःशक्त लोगों के लिए रोजगार का प्रावधान करता है। यह न केवल सरकारी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण देता है अपितु निजी क्षेत्र में भी सीमित मात्रा में आरक्षण प्रदान करता है। यह दीर्घाधि में उठाये गये कदमों पर चर्चा करता है जैसे रोजगार की पहचान हेतु सरकार प्रायोजित अनुसंधान और कारखानों व कोशालियों में बदलाव।
- अधिनियम केवल उन लोगों को रोजगार प्रदान करता है जो त्रिस्तरीय निःशक्त वर्ग में आवे हैं। मानसिक रोगी और मानसिक रूप से निःशक्त लोग इन रोगों की गंभीरता के बावजूद भी इस वर्ग के बाहर रखे गये हैं।
- निःशक्तता कानून, पहुँच की विस्तृत परिभाषा देता है। यह केवल शारीरिक/भौतिक पहुँच प्रदान नहीं करता अपितु शिक्षा, मीडिया, संचार, मनोरंजन और तकनीक आदि तक भी पहुँच उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम को धाराएँ 44 से 46, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक भवन और अनुकूलित शौचालयों आदि तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं।
- कानून निःशक्त व्यक्तियों के निवास के अधिकार को पहचान करता है, चाहे वह व्यक्ति आत्मनिर्भर हो अथवा पारिवारिक। यह निवास उपलब्ध कराने की जरूरत को भी रेखांकित करता है। कानून का उद्देश्य निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करने हेतु विशेष प्रावधान करना है। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम (National Trusts Act) ₹100 करोड़ की धनराशि के साथ बनाया गया था ताकि उन लोगों की समस्याओं का हल ढूँढा जा सके जिनके परिवार नहीं हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (Mental Health Act, 1987)

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, "मानसिक रोग" निःशक्त व्यक्ति अधिनियम में उल्लिखित विकलांगताओं में से एक है। तथापि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के उपचार एवं देखरेख को एक अलग अधिनियम के द्वारा शासित किया जाता है जिसे "मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987" कहा जाता है। यह अधिनियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के निम्न मुख्य प्रावधान हैं

(Important Provisions of Mental Health Act, 1987)

- उन मानसिक रोगियों का मनोविकृति संबंधी अस्पतालों या मनोविकृति संबंधी नर्सिंग होम में प्रवेश विनियमित करना जिन्हें स्वेच्छा से उपचार कराने की समझ नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को रोकते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करना;
- बगैर पर्याप्त कारण के नागरिकों को मनोविकृति संबंधी अस्पतालों या मनोविकृति संबंधी नर्सिंग होम में रोकने से बचना;
- मनश्चिकित्सीय अस्पतालों या मनश्चिकित्सीय नर्सिंग होम में भर्ती हुए मानसिक रोगियों के भरण-पोषण के प्रभाव की जिम्मेदारी को विनियमित करना;
- उन मानसिक रोगियों को संरक्षण अथवा अभिरक्षा नियतन की सुविधाएँ प्रदान करना जो अपने कार्य प्रबंधन के लिए अयोग्य हैं;
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना;
- मानसिक रोगियों के लिए मनश्चिकित्सीय अस्पतालों और मनश्चिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना, उनकी लाइसेंसिंग और नियंत्रण के लिए सरकार की शक्तियों का निर्धारण करना;
- कुछेक मामलों में राज्य व्यव पर मानसिक रोगियों को कानूनी सहायता प्रदान करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 (*The Rehabilitation Council of India Act 1992*)

भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना भारत सरकार ने 1986 में एक सोसायटी के रूप में की जिसका उद्देश्य निःशक्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना था। लेकिन निःशक्त लोगों को शिक्षा देने, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सलाहकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश लोग पेशेवर तरीके से अयोग्य पाए गए। अतः न्यूनतम मानक निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें दो मत नहीं कि खराब अकादमिक और प्रशिक्षण मानक निःशक्त लोगों की कार्य सक्षमता को दुष्प्रभावित करते हैं। अतः 1992 में संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इस परिषद को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया-

- निःशक्त लोगों से जुड़े पेशेवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मानकीकृत किया जाना।
- निःशक्त लोगों से जुड़े पेशेवरों के लिए शिक्षा और विभिन्न वर्गों के पेशेवरों के प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
- इन मानकों को पूरे देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- विशेष शिक्षा और पुनर्वास में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- पेशेवरों के पंजीकरण हेतु केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाना।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (*The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999*)

चूँकि निःशक्त लोगों के कुछ समूह अन्य की तुलना में अधिक नाजुक स्थिति में हैं। अतः इन लोगों के संरक्षण हेतु और इनकी सम्पत्ति आदि की देखभाल हेतु एक विशेष कानून आवश्यक था। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास (जिसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहा जाता है) का उद्देश्य उन परिवारों की उभयनिष्ठ मांग को पूरा करना है जो अपने अत्यंत निःशक्त बच्चे हेतु विश्वसनीय व्यवस्था की मांग करते हैं। अधिनियम के विशेष उद्देश्य हैं-

- निःशक्त लोगों को सक्षम व शक्तिशाली बनाना ताकि वे अपने समुदाय (जिसमें वे सम्बन्धित हैं) में पूर्ण एवं आत्मनिर्भर रूप से रह सकें।
- निःशक्त लोगों को अभिभावकों और संरक्षकों की मदद को प्राप्त करने हेतु इन लोगों की देखभाल व संरक्षण करना।
- निःशक्त लोगों के परिवारों में संकट के दौरान उनकी मांग के अनुसार पंजीकृत संगठनों की मदद से सहयोग पहुँचाना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (*Salient Features of This Act*)

1. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम स्थानीय स्तर की समिति (Local Level Committee) के निर्माण को अनिवार्य बनाता है जिसमें जिलाधिकारी, किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि और एक निःशक्त व्यक्ति होगा।
2. कानूनी अभिभावक बनने के आवेदनों पर स्थानीय स्तर की समिति (LLC) को निर्णय लेने का अधिकार है। अधिनियम वह तरीका बताता है जिससे कानूनी अभिभावक नियुक्त किये जा सकें।
3. अधिनियम के तहत कानूनी अभिभावक को संरक्षित व्यक्तियों की सम्पत्ति और इसके व्यवस्थापन के मद्देनजर नियमित समयांतराल पर LLC को अदायगी करनी होती है।
4. इस अधिनियम का संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बोर्ड को सौंपा गया है, जिसका गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत माता-पिता के पंजीकृत संगठनों और निःशक्त लोगों की सेवा में समर्पित लोगों के एक वर्ग द्वारा किया जाता है।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार (मसौदा) विधेयक, 2012

[(Draft) Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Bill, 2012]

परिचय (*Introduction*)

वर्तमान में भारत में निःशक्त लोगों के वैधानिक अधिकार निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर) अधिनियम 1995 (PWD 1995) द्वारा संरक्षित रखे जाते हैं। भारत सरकार ने डॉ. सुधा कौल की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक नये कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की थी और इस समिति ने निःशक्त व्यक्तियों का मसौदा अधिकार प्रस्ताव 2011 (Draft Rights of Person with Disabilities - RPwD) सरकार को सौंपा था, जोकि इस समय सरकार के विचाराधीन है।

भारत में निःशक्तता सम्बंधी सभी कानून संशोधन की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि इनमें से प्रत्येक के संशोधन की प्रक्रिया एक दूसरे के सापेक्ष पृथक् रूप से चल रही है। इन प्रस्तावों को संशोधित करने में पृथक् मंत्रालय भी कार्यरत हैं। उदाहरणतः सामाजिक न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय निःशक्त लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने में लगे हैं। अतः इन कानूनों में विभिन्न संशोधनों के दौरान और अनियमितताओं के विषय में चिंता होनी जायज है।

RPDB निःशक्त लोगों की परिभाषा इस प्रकार देता है “विकासत्मक, तार्किक, मानसिक, शारीरिक या संवेदनात्मक कमियों या हानियों से ग्रसित लोग जिनमें अधिनियम की 12वीं अनुसूची में लिखित लोग भी शामिल हैं, जोकि अस्थायी प्रकृति के नहीं हैं और जिनके कारण समाज में समान आधार पर अन्य लोगों के साथ इन लोगों की पूर्ण भागीदारी में अवरोध उत्पन्न होता है।

भारत में निःशक्त लोगों के कुछ वर्गों हेतु सम्पत्ति को अपनाने या वारिस के सम्बंध में अधिकार तो है परंतु इस सम्पत्ति के विषय में क्या करना है; इससे सम्बंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अनेक माता-पिता समूह यह विश्वास करते हैं कि निःशक्त लोगों को शोषण दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रकार की और प्रतिस्थापनीय निर्णय लेने में सक्षम संरक्षकता (Guardianship) की आवश्यकता है। दूसरी तरफ बहुत से निःशक्त लोगों के समूह प्रतिस्थापनीय निर्णायक क्षमता का विरोध करते हैं क्योंकि इससे किसी की इच्छा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उत्तरदायित्व और वृद्धि में कमी हो सकती है और यह शोषण का कारण भी हो सकती है।

RPDB का मसौदा इस विवाद में बीच का रास्ता निकालता है। यह सभी निःशक्त लोगों की दूसरे लोगों के साथ समान आधार पर कानूनी क्षमता की पहचान करता है। RPDB अधिकारों के हनन “जो भी अधिनियम के प्रावधानों, या नियमों का पालन करने में असफल होता है या इनका उल्लंघन करता है” के मामले में कठोर सजा का प्रावधान करता है।

मसौदा विधेयक के प्रमुख प्रावधान (Salient features of the Draft Bill are as Follows)

- निःशक्तता की परिभाषा निःशक्तता के कई वर्गों को शामिल करती है।
- निःशक्तता के प्रमाणीकरण का तंत्र सुव्यवस्थित करना जिसके अंतर्गत विभिन्न प्राधिकृत एजेंसियाँ किसी विशेष निःशक्तता का मूल्यांकन कर सकती हैं और उसके लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं।
- निःशक्त लोगों के लिए सरकारी रोजगार क्षेत्र और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का कोटा 3% से बढ़ाकर 5% होगा।
- निजी क्षेत्र में जहाँ न्यूनतम 20 कर्मचारी हो वहाँ निःशक्त लोगों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान होगा।
- निःशक्तता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना जोकि केंद्रीय सहयोग समिति का स्थान ले तथा सलाह एवं निगरानी के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड व जिला स्तरीय समिति का निर्माण।
- वैधानिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों का निर्माण।
- विनियमन एवं निगरानी हेतु राष्ट्रीय निःशक्तता अधिकार संस्था और राज्य निःशक्तता अधिकार संस्था का गठन।
- राज्य सरकारों के लिए प्रावधान है कि वे मामलों के त्वरित निपटारे हेतु निःशक्तता अधिकार न्यायालयों का नाम निर्दिष्ट करें।
- निःशक्त जनों के लिए सांविधिक राष्ट्रीय फंड का गठन।
- निःशक्त लोगों के विरुद्ध अपराधों (विशेषकर महिलाओं व बच्चों के लिए) के लिए IPC में मौजूद दंड से अधिक दंड का प्रावधान।

भारत में निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु एजेंसियाँ और संस्थान (Agencies and Organizations for Disabled People Welfare in India)

भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India)

पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के पेशेवरों की प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के विनियमन हेतु यह परिषद उत्तरदायी है। इसके कार्यों में शामिल हैं (i) पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण व विनियमन (ii) निःशक्त लोगों के पुनर्वास हेतु देश एवं विदेश में संस्थानों/विश्वविद्यालयों की पहचान करना (iii) पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा (iv) पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले पेशेवरों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर तैयार करना (v) निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर मौजूदा पुनर्वास शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

निःशक्त लोगों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities)

मुख्य आयुक्त एक महत्वपूर्ण वैधानिक कार्यकर्ता है, जिसकी नियुक्ति निःशक्त व्यक्ति (समान अधसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन की जाती है। मुख्य आयुक्त के कार्यों में शामिल हैं- निःशक्त लोगों

हेतु राज्य आयुक्तों के कार्य में सहयोग, फंड के प्रयोग की निगरानी (केंद्र प्रदत्त) निःशक्त जनों को प्राप्त अधिकारों व सुविधाओं की सुरक्षा हेतु कदम उठाना, साथ ही निःशक्त जनों के अधिकारों के हनन सम्बंधी शिकायतों की जाँच करना। निःशक्त व्यक्तियों से सम्बद्ध किसी नियम, कानून आदि के सम्बंध में मुख्य आयुक्त मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है और उसके पास गवाह को समन (Summon) भेजने तथा दस्तावेज आदि प्राप्त करने के सम्बंध में एक दीवानी न्यायालय जितनी शक्ति है।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और विविध निःशक्तताओं से युक्त लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली (National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities New Delhi)

न्यास के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- निःशक्त लोगों को, आत्मनिर्भर एवं पूर्ण रूप से अपने समुदाय में रहने के लिए सक्षम व शक्तिशाली बनाना।
- निःशक्त लोगों को उनके परिवारों के साथ रहने के लिए सहयोग एवं सुविधायें देना।
- निःशक्त लोगों के परिवार में किसी समस्या के दौरान उनकी आवश्यकता के अनुरूप पंजीकृत संस्थानों को मदद देना।
- जिन निःशक्त लोगों के पास पारिवारिक मदद नहीं है उनकी समस्याएँ सुलझाना।

निःशक्त लोगों हेतु राष्ट्रीय नीति 2005 के अधीन भारत में विशिष्ट आधारिक संरचना का निर्माण हुआ है और इसमें निम्न संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है-

- पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून।
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दरबाद।
- स्वामी विवेकानंद पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान, कटक।
- विविध निःशक्तताओं से पीड़ित लोगों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई।
- राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई।

**भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम एलिव्को
(Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India - ALIMCO)**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कॉर्पोरेशन (ALIMCO) कानपुर एक निजी क्षेत्र का निकाय है जो निःशक्त लोगों के लिए उपकरणों का निर्माण करता है। कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित उत्पादों को भारतीय मानक व्यवस्था (ISI) मानक प्राप्त होते हैं। उत्पादों का विपणन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली के क्षेत्रीय विपणन केंद्रों द्वारा किया जाता है साथ ही राष्ट्रीय संस्थान और स्वैच्छिक संगठन भी विपणन करते हैं।

**संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र और क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र
(Composite Regional Centres and Regional Rehabilitation Centres)**

निःशक्त लोगों हेतु 5 संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में हुई है। ये केंद्र पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और निःशक्त लोगों को पुनर्वास सुविधायें देते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट और अन्य अस्थि जन्य अक्षमताओं हेतु 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में स्थापित किये गये हैं ताकि रीढ़ की हड्डी में चोटिल लोगों को आधारभूत प्रबंधन व सुविधा दी जा सके ताकि प्रभावित लोग आत्मनिर्भर हो सकें।

जनसंख्या के असुरक्षित समूहों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याण योजनाएँ (Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the Population by the Centre and State)

भारत में निःशक्त जन (Disabled People in India)

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 (National Policy for Persons with Disabilities, 2006)

राष्ट्रीय नीति स्पष्ट करती है कि निःशक्त व्यक्ति देश के मूल्यवान मानव संसाधन हैं। साथ ही नीति यह प्रयास भी करती है कि इन व्यक्तियों को समान अवसरों की प्राप्ति हो, इनके अधिकारों का संरक्षण हो तथा समाज में इनकी पूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और यह सब सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा के मौलिक सिद्धांतों से संगत हो, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान में की गई है और जो एक समावेशी समाज की स्थापना के लिए अपरिहार्य है जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के साथ-साथ सभी लोग शामिल हों। राष्ट्रीय नीति इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि यदि निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास उपायों की समान उपलब्धता एवं इन तक प्रभावों पहुँच सुनिश्चित की जाए तो ऐसे व्यक्ति बेहतर जीवन-यापन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of the National Policy are)

- भौतिक पुनर्वास, इसके अंतर्गत निःशक्तता की जितनी जल्दी हो सके पहचान करना, रक्षोपाय अपनाना, प्रामर्श एवं चिकित्सकीय पहल करना तथा सहायता एवं सामग्री संबंधी मदद के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इसमें पुनर्वास कर्मियों का विकास कार्य भी शामिल है।
- शैक्षिक पुनर्वास जिसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है तथा
- समाज में गरिमापूर्ण जीवन-यापन के लिए आर्थिक पुनर्वास।
- इस राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन से संबद्ध सभी विषयों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है।
- केन्द्रीय समन्वय समिति, सहभागी प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन से संबद्ध विषयों में सामंजस्य स्थापित करती है। इसी प्रकार की समिति राज्य स्तर पर भी होती है। पंचायती राज संस्थाएँ तथा नगरीय स्थानीय निकाय जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्रों की कार्यप्रणाली से संबद्ध हैं।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए केंद्र स्तर पर मुख्य आयुक्त तथा राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों के अलावा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप) (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP) Scheme)

परिचय (Introduction)

सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि निःशक्त व्यक्तियों को कम से कम लागत पर सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जाए। निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए सहायता सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता विशेष रूप से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 जो 1996 से लागू हुआ, के बाद चर्चा में आई। समय-समय पर कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से एक बात सामने आई कि भारत में निःशक्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है और उनमें से अधिकांश तो निम्न आय समूहों से संबंध रखते हैं। निःशक्तता उन्हें उत्पादक जीवन

जीने के अवसरों से वंचित करती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रचलन के साथ ही निःशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायता उपायों की शुरुआत हुई है, जिनसे निःशक्तता के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आई है और निःशक्त व्यक्तियों की आर्थिक क्षमताओं में खासी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, व्हील चेअर, कृत्रिम अंग, बैसाखी, आदि ने निःशक्त व्यक्तियों के चलने-फिरने को काफी आसान बनाया है। फिर भी अधिकांश निःशक्त लोग इन यंत्रों/उपकरणों के लिए फंड प्राप्त करने में अपनी असमर्थता के कारण इनसे प्राप्त हो सकने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं।

योजना और उसके उद्देश्य (The Scheme And Its Objectives)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद निःशक्त व्यक्तियों को स्थाई, परिष्कृत और वैज्ञानिक ढंग से विनिर्मित एवं आधुनिक स्तरीय सहायता एवं सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि निःशक्तता के प्रतिकूल प्रभावों में कमी करके और आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि द्वारा निःशक्त व्यक्तियों का भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

क्षेत्र (Scope)

इस योजना का क्रियान्वयन आगे बताए गए अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन अभिकरणों को इन सहायता सामग्रियों की खरीद, निर्माण एवं वितरण के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्रियान्वयन अभिकरण ही 'एडिप' योजना के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता सामग्री की फिटिंग एवं फिटिंग के परचात (Post Fitting) की देखरेख करेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित अभिकरण उत्तरदायी होंगे (Following agencies would be eligible to implement the Scheme on behalf of Ministry of Social Justice and Empowerment)

- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीज।
- चैरिटेबल ट्रस्ट्स
- जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला परिषद के जिला विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला-गामीण विकास एजेंसी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज तथा अन्य स्वायत्त निकाय।
- ALIMCO- जैसे शोषण-रहित संस्थान।
- राज्य विकलांग विकास निगम।
- स्थानीय निकाय- जैसे जिला परिषद, नगरपालिकाएँ, जिला स्वायत्त विकास परिषद तथा पंचायतें।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme)

केंद्र सरकार निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देती आ रही है। निःशक्त जन अधिनियम (PWD Act) की धारा 66 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 1999 में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधित चार योजनाओं को निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की योजना नामक एक योजना में समायोजित कर दिया गया। उक्त योजना को संशोधित करके 1-04-2003 से एक नई योजना "दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (DDRS)" की शुरुआत की गई।

इस योजना के उद्देश्य हैं (Objectives of the Scheme are)

निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, समता, सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1995 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक क्रियाओं को प्रोत्साहन।

दृष्टिकोण एवं रणनीति (Approach and Strategy)

निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी सेवाओं, जिनमें निःशक्तता की शोघ्रातिशीघ्र पहचान करना, दैनिक जीवन संबंधी क्षमताओं का विकास, शिक्षा, रोजगार केंद्रित क्षमताओं का विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता शामिल हैं, की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना योजना की रणनीति का भाग है। निःशक्त व्यक्तियों

का समाज की मुख्यधारा में समावेशन करने तथा उनकी क्षमताओं का वास्तविक उपयोग करने की दृष्टि से मुख्य बल शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होना चाहिए। योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति इस प्रकार होगी-

- सभी स्तरों एवं स्वरूपों में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करना तथा व्यावसायिक अवसरों, आय सृजन और लाभप्रद व्यवसाय के क्षेत्र को विस्तृत करना।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर एवं व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करना।
- विभिन्न स्तरों पर सभी सुविधाओं से युक्त संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, मूल संगठनों तथा आत्मनिर्भर जीवन-यापन को प्रोत्साहित एवं उसका समर्थन करना।
- पर्यावरण मित्र एवं पर्यावरण प्रोत्साहक परियोजनाओं में निःशक्त लोगों को समर्थन देना।
- निःशक्त व्यक्तियों मानव, नागरिक एवं उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- विधिक साक्षरता के साथ-साथ विधिक परामर्श, विधिक सहायता और विद्यमान कानूनों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन को समर्थन देना।
- ऐसे उपायों को समर्थन देना जो निःशक्त लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1995 में निहित उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत समर्थित मॉडल कार्यक्रम (Model Projects are Supported Under the Scheme)

- विद्यालय पूर्व एवं विकलांगता की शीघ्रचिन्ता पहचान एवं उपचार तथा प्रशिक्षण के लिए योजना।
- विशेष विद्यालय
- प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित बालक।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
- संरक्षित कार्यशालाएँ
- कुष्ठरोग से ठीक हुए लोगों के पुनर्वास की योजना।
- समुदाय आधारित पुनर्वास की योजनाएँ।
- कमजोर दृष्टि केंद्रों की योजनाएँ
- जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (Scheme of National Scholarships for Persons with Disabilities)

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत एक वर्ष से अधिक समयावधि के मैट्रिक पश्चात् व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे लोगों के लिए प्रतिवर्ष 500 नई छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। जबकि ऐसे विद्यार्थियों के संदर्भ में जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित, कम मानसिक विकास वाले, बहुत निःशक्तता से पीड़ित तथा सुनने की गंभीर अक्षमता से पीड़ित हैं, उन्हें 9वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ऐसे विद्यार्थी जो 40% या उससे अधिक निःशक्तता से पीड़ित हैं और जिनके परिवार की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक तथा परास्नातक स्तरीय तकनीकी अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, उनमें जो दिन के समय कॉलेज आते हैं, उन्हें प्रतिमाह 700 रुपये तथा जो युवा छात्रावासों में रहते हैं, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप दिए जाते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पेशेवर पाठ्यक्रम करने वालों में दिन के समय आने वाले छात्रों को प्रतिमाह 400 रुपये तथा छात्रावास में रहने वालों को प्रतिमाह 700 रुपये देने का प्रावधान है।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी)

अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कुछ योजनाएँ

[Schemes arising out of the Implementation of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995]

इस अधिनियम के तहत कई योजनाएँ बनाई गई हैं। इसके तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ इस प्रकार हैं-

निःशक्त व्यक्तियों को नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन (Incentives to Employers in the Private Sector for Providing Regular Employment to Persons with Disabilities)

इस संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा ₹ 1800 करोड़ की प्रस्तावित लागत से निःशक्त व्यक्तियों को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध कराने की केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना को 1.04.2008 से अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत यदि नियोक्ता द्वारा किसी निःशक्त व्यक्ति को 25000 रुपये प्रतिमाह तक का रोजगार दिया जाता है, तो इसके बदले सरकार द्वारा नियोक्ता के योगदान के प्रोत्साहन स्वरूप में शुरुआती तीन वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा का भुगतान किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र

[Composite Regional Centres for Persons with Disabilities (CRCs)]

निःशक्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त पुनर्वास सुविधाओं के अभाव के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य पुनर्वास, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, शोध तथा मानव शक्ति विकास तथा निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के संरक्षणात्मक एवं प्रोत्साहन के पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने श्रीनगर, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश), लखनऊ, भोपाल और गुवाहाटी में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पांच संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की।

जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र [District Disability Rehabilitation Centers (DDRCs)]

निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से जिला निःशक्तता केंद्रों की स्थापना कर रहा है। इन केंद्रों की स्थापना देश के सुदूर तथा सेवाओं से वंचित जिलों में चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। ये केंद्र रोकथाम और शोषण जांच, चिकित्सात्मक हस्तक्षेप तथा शल्य चिकित्सा जांच संबंधी निर्दिष्ट कृत्रिम सहायता और सामग्री का निर्धारण, शारीरिक चिकित्सा जैसे उपचारात्मक सेवाएं, व्यावसायिक और वाक संबंधी उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा दक्षता प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण प्रावधान तथा स्थानीय उद्योगों में नौकरी उत्पादन के संबंध में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

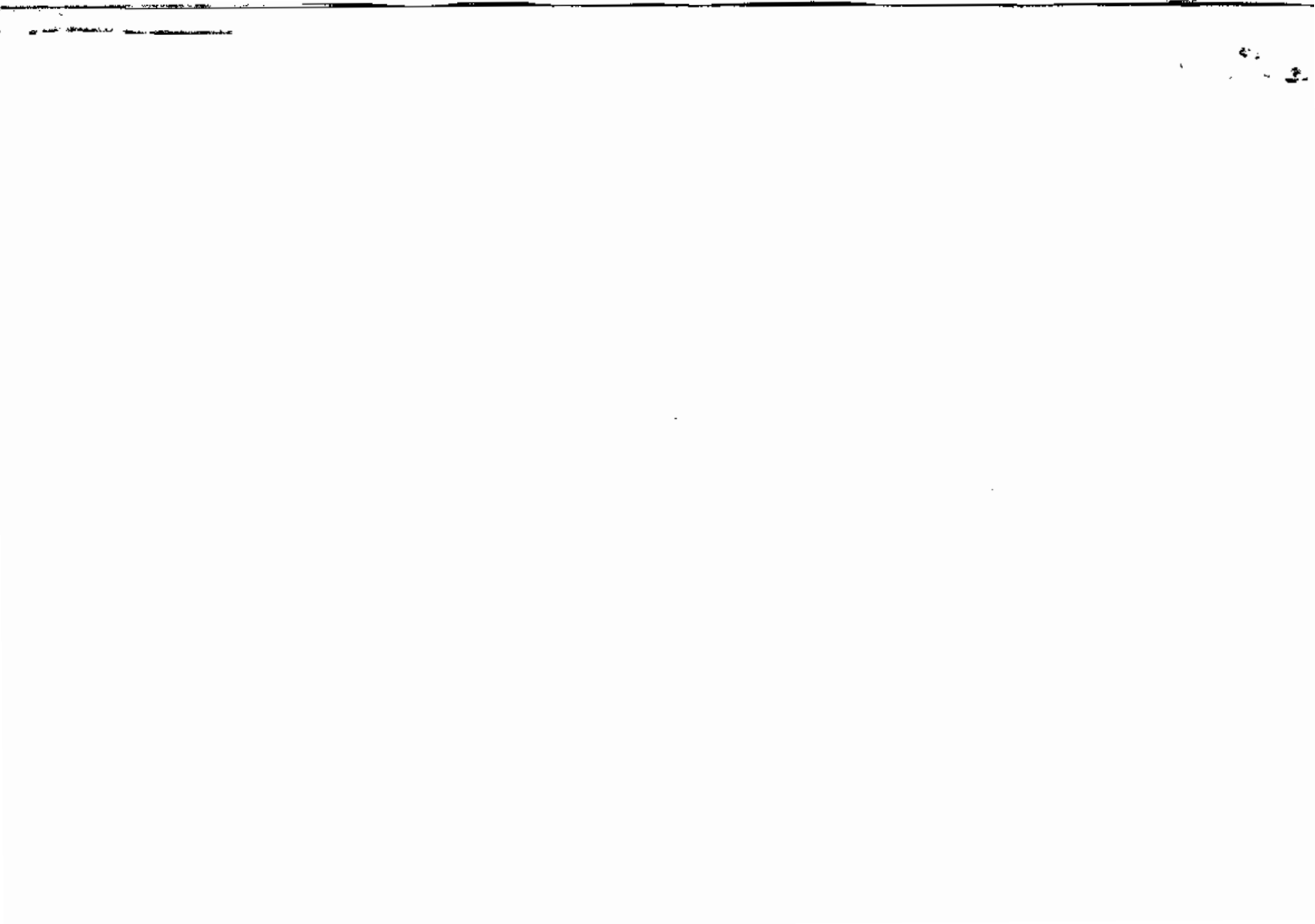
मिशन मोड में तकनीकी विकास योजनाएं (Technology Development Projects in Mission Mode)

प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उपयुक्त एवं लागत प्रभावी सहायता एवं सामग्री उपलब्ध कराने और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के समाज में एकीकरण तथा उनके रोजगार अवसरों में वृद्धि को उद्दिष्ट रखते हुए 1990-91 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत भिन्न-भिन्न सहायता एवं सामग्री के लिए उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की पहचान की गई है तथा उनका वित्तियत किया गया है। इस योजना की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), शिक्षण संस्थानों, शोध एजेंसियों और स्वतंत्रिक संगठनों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। चार तकनीकी परामशदात्री समूह इन प्रोजेक्टों के चयन की निगरानी करते हैं और विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चरणों से सम्बद्ध इन प्रोजेक्टों की प्रगति की निगरानी भी करते हैं।

राष्ट्रीय निःशक्त वित्त एवं विकास निगम

(National handicapped Finance and Development Corporation)

निःशक्त व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए साख सुविधाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय निःशक्त वित्त एवं विकास निगम एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्था है। जबकि वित्तीय सहायता का व्यय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा किया जाता है। स्नातक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह ऋण भी प्रदान करता है। इसके अलावा लाभभोगियों की उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए यह तकनीकी तथा उद्यम कौशल के सुधार में उनकी सहायता भी करता है।



**भारत में अन्य असुरक्षित समूहों की बेहतरी एवं संरक्षण हेतु
महत्त्वपूर्ण तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय
(Important Mechanism, Laws, Institutions and Bodies for
Betterment and Protection of other vulnerable groups in India)**

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 में उल्लिखित सामाजिक न्याय विषय के टॉपिक संख्या 10-14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

प्रवासी कामगार (Migrant Workers)

प्रवासी कामगारों के साथ प्रवास की प्रक्रिया के दौरान सभी स्तरों पर विविध प्रकार का शोषण होने के कारण वे असुरक्षित होते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण प्रवास का प्रभाव भी अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। लगभग 214 मिलियन लोग, विश्व की जनसंख्या का 3% अपने जन्मस्थान से बाहर के देशों में रह रहे हैं। पुरुष, महिलाएँ, बच्चे, किशोर और परिवार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लाँच रह रहे हैं ताकि उनकी जीवन की दशाएँ सुधर सकें और कभी-कभी इसलिए कि उनका अस्तित्व बचा रहे। 1975 से 2010 के बीच आर्थिक विषमताओं, जनजातिकीय बदलाव, नागरिक युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है।

हालाँकि भारत ने श्रम अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पट्टि करके एक प्रशंसनीय काम किया है और साथ ही इस संबंध में भारतीय श्रम कानून भी पुराना है, परंतु प्रमुख समस्या मौजूदा कानून और नियमों को लागू करने के स्तर पर है। भारत विशेषतः वंचित समुदाय के कामगारों के अधिकारों की निगरानी, श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर विभेद जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

विभिन्न अवसरचक्रात्मक नीतियों और कार्यक्रमों जैसे- JNNURM, MGNREGA और अन्य विकासपरक योजनाओं के उद्भव के साथ-साथ कामगारों और श्रमिकों का बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय प्रवासन भी हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 64वें राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार:

भारत में श्रमिकों के प्रवास हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक-

- (i) क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमता
- (ii) रोजगार के बहुत ही कम अवसर
- (iii) प्राकृतिक आपदाएँ
- (iv) विकास प्रेरित विस्थापन
- (v) समुदायों में संघर्ष की स्थिति
- (vi) ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में घटते निवेश के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोग औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों की ओर गमन कर रहे हैं
- (vii) शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की अधिक माँग

प्रवासी श्रमिकों के परिवारों और बच्चों हेतु कानून एवं विधान (Law and Legislation for the Migrant labourers families and their children)

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
(The inter-state migrant workmen (Regulation of employment and conditions of service) Act, 1979)

अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक साधारणतः अशिक्षित, असंगठित होते हैं और सामान्यतः बेहद कष्टप्रद दशाओं में कार्य करते हैं अतः इन कठिनाइयों को देखते हुए शोषण से इनकी सुरक्षा हेतु जिस राज्य से इनकी नियुक्ति हुई और जिस राज्य में वे कार्यरत हैं, दोनों में कुछ प्रशासकीय और विधायी व्यवस्था करना जरूरी है। जिस कॉम्पेक्ट कमिटी का गठन 1977 में हुआ था उसने अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के रोजगार के नियमन हेतु पृथक केंद्रीय विधायन लागू करने की अनुशंसा की थी।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Salient features of this Act)

- यह अधिनियम उन कामगारों के हितों और जीवन की गरिमा का संरक्षण करता है जो भारत में अपने गृह राज्य से बाहर सेवा देते हैं। जब भी कोई नियोक्ता स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कामगारों में कौशल की कमी को सामना करता है, अधिनियम राज्य के बाहर उपलब्ध कुशल कामगारों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- अंतर्राज्यीय कामगारों को नियुक्त करते समय, नियमित नियोक्ता को अंतर्राज्यीय प्रवासियों को सामान्य प्रकृति के काम के लिए स्थानीय कामगारों की भाँति ही उनके बराबर या अधिक वेतन अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन, दोनों में से जो अधिक हो देना चाहिए। इसके साथ-साथ अंतर्राज्यीय कामगारों को विस्थापन का मूल्य भी मिलना चाहिए।
- यह अधिनियम केवल अस्थायी रूप से अंतर्राज्यीय कामगारों के विस्थापन की व्यवस्था करता है ताकि कुशल कामगारों की कमी को पूरा किया जा सके।

अंतर्राज्यीय कामगारों के अधिकार (Rights of interstate workers)

- उस कार्य के लिए जिसकी प्रकृति और अवधि स्थानीय कामगारों के कार्य के समान हो इसके लिए अंतर्राज्यीय कामगारों को स्थानीय कामगारों से अधिक या बराबर वेतन अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित वेतन, जो भी अधिक हो।
- विस्थापन भत्ता।
- गृह यात्रा भत्ता जिसमें यात्रा की अवधि का वेतन भी सम्मिलित है।
- अनिवार्य आधार पर मुफ्त चिकित्सा सुविधायें और उपयुक्त आवास।
- बिना किसी जवाबदेही के अनुबंध की समाप्ति के बाद रोजगार का अंत।
- किसी घटना, दुर्घटना आदि के 3 माह के भीतर प्राधिकरणों के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार।

अनुबंधकर्ताओं की भूमिका (Role of contractors)

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप (Form) के अनुसार कामगारों के वितरण को नियमित रूप से सबांद्धित करना।
- रजिस्टर बनाये रखना जिसमें अंतर्राज्यीय कामगारों का विवरण हो और वैधानिक संस्थाओं द्वारा जांच के समय उसे उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक अंतर्राज्यीय कामगार को उसकी पासपोर्ट के आकार की फोटो वाली पास बुक जारी करना जिसमें कामगार का नाम, उसे नियुक्त करने वाली संस्था का नाम, रोजगार की अवधि, वेतन की दर आदि अंकित हों।
- घातक दुर्घटना या गंभीर चोट लगने की दशा में अनुबंधकर्ता द्वारा दोनों राज्यों की संबंधित/विनिर्दिष्ट संस्थाओं को सूचित करना और कामगार के परिजनों को भी सूचित करना।
- अधिनियम के अधीन, उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित दंड हेतु जवाबदेह होना।
- प्रत्येक नियमित नियोक्ता अपने द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि नामित करेगा जो अनुबंधकर्ता द्वारा वेतन देते समय वहाँ उपस्थित रहेगा और इस प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित तरीके से ही वेतन के रूप में प्रदत्त मूल्य को प्रमाणित करे।
- अनुबंधकर्ता द्वारा अंतर्राज्यीय कामगारों को वेतन या अन्य लाभ देने में असफल होने पर यह पूरा खर्च नियोक्ता उठायेगा।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011 में इस अधिनियम के शीर्षक में संशोधन करके तथा इसके शब्दों 'कामगार (Worker) और कामगारों (Workers)' को 'कर्मचारी (Employee) और कर्मचारियों (Employees)' द्वारा प्रतिस्थापित करके इसे लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने का प्रावधान है।

सेक्स वर्कर्स, एचआईवी रोग तथा गंभीर रोगों से ग्रसित रोगी

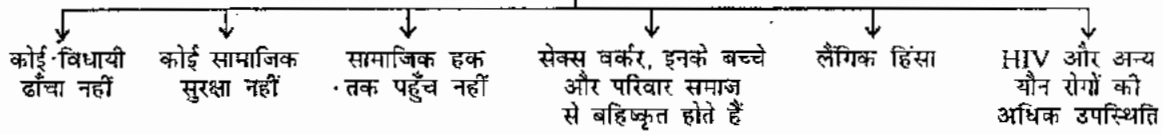
(Sex Workers, HIV Patients, Patients Suffering from Dreaded Diseases)

सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक समुदायों के साथ होने वाला भेदभाव

(Discrimination Faced By Sex Workers and Queer Communities)

सेक्स वर्कर्स के साथ पूरे विश्व में दुर्व्यवहार होता है और इनके अधिकारों का सर्वत्र हनन भी होता है। सेक्स वर्कर अक्सर बुरी दशाओं में काम करते हैं जिससे उनकी शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है और इन्हें कानून के तहत सुरक्षा भी नहीं मिल पाती। सेक्स वर्कर विशेष रूप से जबरदस्ती और बलात्कार के कारण उत्पीड़ित होते हैं। सेक्स वर्करों के प्रति सामाजिक कलंक और भेदभाव, एक हिंसा की संस्कृति को जन्म देता है। उनकी सुरक्षा और सुधार संबंधी मूलभूत अधिकार सामान्यतः भुला दिये जाते हैं, सेक्स वर्कर्स को अक्सर दंड भुगतना पड़ता है और इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होता है।

सेक्स वर्कर्स के साथ होने वाले भेदभाव



हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन जीने के अधिकार की, अनुच्छेद 14 के अधीन समानता के अधिकार की बात तो करता है परंतु इस वर्ग के लोगों के साथ गंभीर रूप से भेदभाव किया जाता है। वंचित/संकटग्रस्त समूह के रूप में सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कोई कानून और विधायन नहीं है। भारत में सैकड़ों संस्थायें और संगठन सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर समुदायों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं-

1. दरबार महिला सभन्वय समिति
2. सेक्स वर्कर्स का अखिल भारतीय संजाल (AINSW)
3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)

भारत में समलैंगिक समुदायों की असुरक्षा एवं विभेद

(Discrimination and Vulnerability of Queer Communities (LGBT) in India)

आज पूरे भारत से विभिन्न आवाजें और समूह इन समुदायों के परिशिष्ट और विभेदित एवं भय के जीवन जीने के अधिकार, और इन समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की परवाह कर रहे हैं।

भारत में LGBT समूह के साथ होने वाला विभेद (Discrimination faced by LGBT in India)

1. इन्हें सामाजिक रूप से व आचार-विचार में अनैतिक समझा जाता है।
2. सामाजिक रूप से बहिष्कृत।
3. LGBT में लिंग आधारित हिंसा।
4. हाशिये पर व समाज द्वारा उपेक्षित स्थिति।
5. अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कोई कानून या विशेष सरकारी तंत्र नहीं।
6. कार्य स्थलों, संस्थाओं और सामाजिक स्थानों आदि पर उपेक्षा का शिकार।

भारत में HIV/AIDS रोगियों के साथ विभेद एवं असुरक्षा

(Discrimination and Vulnerability of HIV/AIDS Patient in India)

परिचय (Introduction)

यह कहने की जरूरत नहीं कि HIV/AIDS एक जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय चिंता से अधिक एक सामाजिक संकल्पना है। HIV/AIDS नामक इस वैश्विक महामारी से जहाँ एक ओर लोगों द्वारा सहानुभूति, एकता, सहयोग आदि प्रतिक्रियायें देखने को मिलती हैं; वहीं दूसरी ओर यह रोग कलंक, बहिष्कार, दमन और विभेद के साथ भी जुड़ा है। चूँकि इससे प्रभावित लोग (या प्रभावित समझे जाने वाले लोग) अपने समुदाय, प्रियजनों और परिवारों द्वारा परित्यक्त होते हैं। यह परित्याग पश्चिम के अमीर देशों के साथ-साथ पूर्व के गरीब एवं विकासशील देशों में भी देखने को मिलता है।

पूरे विश्व में उपेक्षा, ज्ञान की कमी, भय और अस्वीकृति के कारण गंभीर और कभी-कभी दुःखद परिणाम देखने को मिलते हैं। HIV/AIDS से पीड़ित लोगों को उपचार, सेवायें, मदद पाने और बीमारी की रोकथाम में मुश्किलें आती हैं। इस रोग से पीड़ित लोगों को समाज में निकृष्ट माना जाता है।

भारत में HIV/AIDS रोगी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (HIV/AIDS Patients in India and National AIDS Control Organization: NACO)

भारत विश्व में AIDS रोगियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2008-09 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान समय में 23.9 लाख व्यक्ति HIV/AIDS से पीड़ित हैं।

भारत में HIV के प्रसार में विविधता देखने को मिलती है। यद्यपि भारत एचआईवी के प्रसार की दृष्टि से कम संवेदनशील देश है, लेकिन कुछ राज्यों और जिलों में एचआईवी की प्रसार का उच्च स्तर देखा जा सकता है। अधिकांश संक्रमण विषम लिंगी संचरण (Heterosexual Transmission) के द्वारा होता है। बहरहाल, कुछ क्षेत्रों में सुई से दूस् लेने वाले लोगों, पुरुषों के साथ संभोग करने वाले पुरुष, अकेला विस्थापित पुरुष आदि HIV नामक इस महामारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया और तब से आज तक HIV संक्रमण लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देखने को मिला है। भारत ने शुरू से ही करारा जवाब देते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) के अधीन AIDS टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन भी किया गया है।

1990 में चार राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर के साथ-साथ चार महानगरों- चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में एक मध्यावधि योजना (1990-92) प्रारंभ किया गया था। 1992 में भारत सरकार ने HIV/AIDS की रोकथाम व नियंत्रण हेतु पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP-I) लागू किया जिससे सरकार की इस रोग से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है।

दूसरा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP-II) नवम्बर, 1999 में विश्व बैंक की 491 मिलियन यूएस डॉलर की मदद से प्रारंभ किया गया। तमिलनाडु और अन्य राज्यों में हुए अनुभवों, साथ ही HIV/AIDS की उभरती प्रवृत्ति के कारण सरकार का फोकस जागरूकता बढ़ाने की जगह अब स्वभाव परिवर्तन पर गया। राज्य स्तर पर कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया और NGOs की भूमिका में वृद्धि की गई।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का तीसरा चरण (NACP-III), जो 2007-12 के दौरान लागू हुआ वैज्ञानिक रूप से एक बेहतरीन कार्यक्रम है जिसका आधार नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, क्रियात्मक दिशा-निर्देशों, नियमों आदि की मजबूत संरचना है। NACP-III का उद्देश्य भारत में इन पाँच वर्षों में HIV महामारी को उच्च जोखिम समूहों और सामान्य जनसंख्या में रोकथाम के प्रयासों द्वारा फैलने से रोकना तथा HIV पीड़ितों को सहयोग, देखभाल और उपचार सेनाय उपलब्ध कराता है। अतः रोकथाम और देखभाल तथा सहयोग और उपचार (Prevention and Care, Support and Treatment) ये दोनों प्रतिरूप भारत में एड्स रोकथाम के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। NACP-III के अधीन लिंक वर्कर स्कीम (Link Worker Scheme) का प्रारंभ HIV संबंधित सेवाओं को उच्च जोखिम समूहों और वंचित लोगों तक पहुँचाने के लिए किया गया है।

योजना के अधीन जनसंख्या (Population covered under the scheme)

- उच्च जोखिम समूह (High Risk groups)
 - महिला सेक्स वर्कर्स
 - पुरुषों के साथ संभोग करने वाले पुरुष (Men having sex with Men)
 - सुई के जरिये नशीली दवा इस्तेमाल करने वाले (Injecting Drug Users)
- असुरक्षित समूह
 - अनौपचारिक साथी वाली महिलाएँ
 - उच्च जोखिम समूहों और असुरक्षित समूहों के सहयोगी/पति-पत्नी
 - महिला मुखिया वाले परिवार की महिलाएँ
 - युवा
- अस्थायी जनसंख्या (Bridge Population)
 - विस्थापित (महिला और पुरुष)
 - ट्रक चालक
- HIV से पीड़ित लोग (People Living with HIV - PLHIV)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organization: NACO)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की स्थापना 1992 में की गई थी। यह भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक विभाग है।

NACO भारत को एक ऐसे स्थान के रूप में देखता है जहाँ HIV पीड़ितों को गुणात्मक देखभाल और आत्मसम्मान/गरिमा के साथ रहने का मौका मिलता है। HIV/AIDS के लिए प्रभावी रोकथाम, देखभाल और सहयोग उस वातावरण में संभव है जहाँ मानवाधिकारों का आदर होता हो और HIV/AIDS से प्रभावित व्यक्ति निष्कलंक और बिना विभेद का जीवन जीते हों।

NACO की कल्पना/स्वप्न (NACO envisions)

- विविध जनसंख्या तक पहुँच कर एकीकृत प्रतिक्रिया का विकास करना।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसका आधार तथ्यों पर आधारित योजना हो।
- विकास लक्ष्य की उपलब्धि।
- HIV/AIDS के प्रसार और उपस्थिति का नियमित और पारदर्शी आकलन।
- ऐसे भारत का निर्माण जहाँ हर व्यक्ति HIV/AIDS से सुरक्षित हो।
- सहयोग निर्माण।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को HIV की जानकारी हो और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े कलंक और विभेद को मिटाना चाहता हो।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक HIV पीड़ित माता के पास एक HIV मुक्त बच्चे को जन्म देने का विकल्प हो।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की एकीकृत परामर्श और जाँच केंद्रों (Integrated Counselling and Testing Centres – ICTCs) तक पहुँच हो।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होता हो और जहाँ प्रत्येक को गुणात्मक देखभाल मिलती हो।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके, जिसमें तकनीक का सहयोग हो।
- ऐसा भारत जहाँ प्रत्येक HIV पीड़ित की सुनवाई होती हो।

भारतीय समाज में अन्य असुरक्षित समूह (Others Vulnerable Groups in Indian Society)

भारत में वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens in India)

विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों के परिणामस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों का जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या में इनका अनुपात बढ़ा है। 80 वर्ष व इससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है। परिणामस्वरूप पिछले तीन दशकों से वरिष्ठ नागरिक निर्भरता अनुपात लगातार बढ़ रहा है (1981 में 12.0, 1991 में 12.2 और 2001 में 13.10)। वृद्धजन (80+) की जरूरतें 60 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के इस वर्ग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को दिसंबर 2007 में लागू किया गया था ताकि अधिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता आधारित रखरखाव एवं कल्याण प्रदान किया जा सके। 25 राज्यों एवं सभी 7 संघ राज्य क्षेत्रों ने इस कानून को अधिसूचित कर लिया है। बाकी राज्यों भी अधिनियम के तहत जरूरी कदम उठा रहे हैं जैसे नियमों की अधिसूचना, रखरखाव अधिकारी, रखरखाव प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण आदि।

इस अधिनियम की विशेषताएँ (Salient Features of this Act)

- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, संतान और उत्तराधिकारियों पर वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव का दायित्व सौंपता है। यह राज्य को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम (Old age homes) स्थापित करने की अनुमति भी देता है।
- वरिष्ठ नागरिक, जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें अपनी संतान या उत्तराधिकारी से भत्ता पाने हेतु रखरखाव प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा।
- राज्य सरकारें रखरखाव के स्तर के निर्धारण हेतु प्रत्येक सब-डिवीजन में रखरखाव प्राधिकरण बना सकती हैं। जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किये जा सकते हैं।
- राज्य सरकारों को अधिकतम मासिक भत्ता निर्धारित करना होगा। विधेयक में ₹ 10000 प्रति माह भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है।
- निर्धारित मासिक भत्ता न देने की स्थिति में रुपये-₹ 5000 जुर्माना या 3 माह कारावास अथवा दोनों हो सकता है।
- राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करना होगा जिसमें एक गृह में न्यूनतम 150 लोगों की क्षमता हो।
- राज्य सरकार ऐसे गृहों के प्रबंधन हेतु एक योजना तैयार कर सकती है। योजना में प्रदान की जाने वाली सेवाओं और मानकों का विवरण होगा जिसमें वृद्धाश्रमों के निवासियों की चिकित्सकीय देखभाल और मनोरंजन भी शामिल होगा।

- इस अधिनियम का उद्देश्य उन अभिभावकों को वित्तीय सुरक्षा देना है जो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य को, (निजी नागरिकों को नहीं), ये निर्देश दिये हैं कि वह वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु उचित प्रावधान करे। वर्तमान में दो अधिनियम अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और हिन्दू दत्तकग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) माता-पिता की संतानों द्वारा देखभाल सुनिश्चित करते हैं यदि वे अपना ध्यान रखने में समर्थ न हों। इस अधिनियम में भी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का दायित्व संतान व रिश्तेदारों को दिया गया है।

भारत में वृद्धजन और पेंशन (Pensioners and Old People in India)

देश भर में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की स्थापना की गई।

यह भारत सरकार की सामान्य नीति निर्माण और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों हेतु नोडल विभाग है। इसके अतिरिक्त यह विभाग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति संबंधी शिकायतों का निवारण भी करता है। साथ ही पेंशनभोगियों की अधिक सुविधा और कल्याण को भी सुनिश्चित करता है।

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

(The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011)

- पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011, 2003 में स्थापित अंतरिम प्राधिकरण को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करता है। यह नई पेंशन नीति का नाम बदलकर राष्ट्रीय पेंशन नीति करता है।
- राष्ट्रीय पेंशन नीति (NPS) उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु एक 'परिभाषित योगदान' स्कीम है जिन्होंने 2004 के बाद रोजगार पाया है। इसे खुदरा विक्रेता, पेंशन फंड प्रबंधकों और लेखा जोखा रखने वालों के सहयोग से लागू किया जाता है। यह योजना पहले की 'परिभाषित लाभ' योजना से अलग है।
- NPS के अधीन प्रत्येक उपभोक्ता का एक निजी पेंशन खाता होगा जो नौकरी से परिवर्तन के दौरान परिवर्तनीय होगा। उपभोक्ता अपनी पेंशन सम्पत्ति के प्रबंधन हेतु फंड प्रबंधनकर्ता और योजनाओं का प्रयोग करेगा। उनके पास योजनाएं और फंड प्रबंधनकर्ता बदलने का भी विकल्प होगा।
- NPS को मई 2009 में सभी सामान्य नागरिकों तक केंद्र सरकार की एक अधिसूचना द्वारा विस्तृत कर दिया गया था।

स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number : PRAN)

प्रत्येक उपभोक्ता NPS के साथ पंजीकरण कराने पर एक विशिष्ट PRAN प्राप्त करता है।

- PFRDA, पेंशन तंत्र से संबंधित पदोन्नति, विकास एवं विनियमन संबंधी कार्य करेगा। यह विनियमों के इनन संबंधी मामलों में जुमाना भी लेगा।
- PFRDA को 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अल्पकालिक सदस्य होंगे। साथ ही इन्हें अपने पद से कुछ विशिष्ट दशाओं में ही हटाया जा सकेगा।
- PFRDA, NPS को विनियमित करेगा।
- PFRDA एक पेंशन सलाहकारी समिति का निर्माण करेगा जिसमें अधिकतम 25 सदस्य होंगे।

वृद्ध जनों हेतु राष्ट्रीय नीति (National Policy for Older Persons)

वृद्ध जनों हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा 1999 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं एवं उसके जीवन साथी की वृद्धावस्था के लिए प्रावधान करने के लिए उत्साहित करना, परिवारों को उसके वृद्धजनों की देखभाल हेतु उत्साहित करना, स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को परिवारों द्वारा प्रदत्त मदद में सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना, दयनीय वृद्ध जनों की सुरक्षा एवं देखभाल करना तथा वृद्धों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय परिषद (National Council for Older Persons : NCOP)

सरकार को वृद्धजनों हेतु नीति और योजना निर्माण के लिए सुझाव एवं मदद देने के लिए सरकार ने वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया है। वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति को लागू करने और वृद्धजनों हेतु विशिष्ट पहल करने के लिए यह सरकार को सुझाव देती है। NCOP वृद्धों की नीतियों के निर्माण एवं इनके कल्याण को सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संस्था है जो इस संबंध में सरकार को सुझाव और सहयोग देती है।

घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियाँ (Nomadic, Semi-Nomadic and Denotified Tribes :DNTs)

घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों के अधीन 200 समुदाय आते हैं जिन्हें औपनिवेशिक सरकार द्वारा 'अपराधी जनजाति अधिनियम, 1871' के तहत 'अपराधी जनजातियों' के रूप में चिह्नित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और उपरोक्त कानून के अधीन चिह्नित जनजातियों को विमुक्त, अर्द्धघुमक्कड़ और घुमक्कड़ (DNTs, SNTs और NTs) नाम दिया गया। DNTs के विषय में कोई सटीक आँकड़ा प्राप्त नहीं है तथा इनकी जनगणना भी नहीं हुई है, यद्यपि ये लगभग सभी राज्यों में मिलते हैं और कुछ बड़े राज्यों में OBC वर्ग के अधीन आते हैं।

अन्य राज्यों में ये SC और ST वर्ग के अधीन भी आते हैं। कुछ समुदायों को इन तीनों यथा SC, ST और OBC में भी स्थान प्राप्त नहीं है। जो इन तीनों वर्गों के अधीन आते भी हैं उन्हें भी लाभ नहीं मिलता क्योंकि या तो उनके पास जाति प्रमाणपत्र नहीं होता या गैर घुमक्कड़/गैर-विमुक्त समुदाय के लोग उन्हें प्राप्त आरक्षण कोटा स्वयं हड़प लेते हैं।

अधिकांश राज्यों ने घुमक्कड़ या अर्द्ध-घुमक्कड़ समुदायों की सूची नहीं बनाई है और ऐसे लोगों की दशा अज्ञात है। DNTs के पास विविध सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण स्थायी आवास नहीं है, परिणामस्वरूप इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अतः एक प्रभावी पुनर्वास दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें DNTs के सामाजिक-आर्थिक विकास की भी प्रभावी योजना हो तथा साथ ही इनके लिए निवास/ग्राम स्थापित करने का प्रावधान हो।

वर्तमान में मौजूद कानूनों जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989, आदतन अपराधकर्ता अधिनियम 1952, भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959, जंतुओं के प्रतिक्रिया रोकथाम कानून, 1986, वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और कई कानूनों आदि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि DNTs की गरिमा व आजीविका बनाई रखी जा सके।

पदार्थ (ड्रग) कुप्रयोग और मदिरा/शराब का सेवन (Substance (Drug) Abuse and Alcoholism)

शराब पीने अथवा पदार्थ की लत की समस्या चिंताजनक स्थिति में पहुँच गई है और यह समाज के लिए खतरनाक है। शरीर और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के साथ-साथ ड्रग की लत समाज की बड़ी समस्या बनती जा रही है और ड्रग/शराब की लत लोगों में अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ड्रग की आदत इसके आदी व्यक्ति के उसके परिवार, प्रसविका और मानसिक समस्या को बढ़ा देती है जिससे ये समस्या व्यक्तिगत व्यवहार को समाज से बाहर हो जाती है और समुदाय के केंद्र में आ जाती है। चाहे वो परिवार हो या विस्तृत समाज। अतः एक प्रभावी प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है जोकि व्यापक हो और कार्यक्रमों को कोदित कर सके। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय जैसे- ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मामलों का मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि इन संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों को सुन रहे हैं। इस संबंध में अधिक बेहतर सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालयों द्वारा निर्मित सभी योजनाएँ और गैर योजनाएँ कार्यक्रमों को एक परियोजना के अधीन लाये जाने की जरूरत है।

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी (संशोधन) विधेयक 2011 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2011)

- इस विधेयक को लोकसभा में 8 सितंबर, 2011 को प्रस्तावित किया गया था।
- विधेयक, 1985 के स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम में संशोधन करता है; जिसमें नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण एवं विनियमन का प्रावधान है साथ ही इसमें नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े पदार्थों को जप्त करने का भी प्रावधान है।
- सरकार उन पौधों से (जिनसे रस प्राप्त नहीं किया जाता) उत्पादित पोस्ता (पाँपी) की बिक्री, खरीद और उपयोग को विनियमित कर सकती है या इसकी अनुमति दे सकती है।
- कानून यह प्रावधान करता है कि ड्रग लेने में संलिप्त पाये गये व्यक्ति को 6 माह तक का कड़ा कारावास या 20000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दिया जाये। जिन ड्रग्स को नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनके लिए इस विधेयक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ते हुए ड्रग का सेवन करते हुए पाया गया उसे 6 महीने तक का कारावास या 10000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड भोगना होगा।
- पूर्व में दोषसिद्ध हो जाने के बाद, विधेयक में जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है। दोषसिद्ध व्यक्ति की सजा डेढ़ गुना बढ़ाई जा सकती है। जुर्माने में भी यही प्रावधान लागू है।
- विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि स्वापक औषधि, मनः प्रभावी अथवा प्रतिबंधित पदार्थ का निस्तारण विधेयक में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा।
- अधिनियम में अध्यक्ष के अधीन अपील की प्राधिकरण की व्यवस्था है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पदार्थ (ड्रग) कुप्रयोग और शराब सेवन की रोकथाम की योजना और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक रक्षा सेवाओं से सम्बद्ध योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (IRCAs) को सहयोग दे रहा है।

शराब सेवन एवं पदार्थ (ड्रग) कुप्रयोग रोकथाम हेतु योजना

(Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse)

1. दृष्टिकोण- पदार्थ कुप्रयोग और शराब के सेवन को एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक चिकित्सकीय समस्या मानते हुए स्वैच्छिक संगठनों का दृष्टिकोण सेवाएँ प्रदान करना होना चाहिए जिसमें जागरूकता फैलाना, पहचान, पुनर्वास आदि शामिल हैं। शराब की खपत और निर्भरता बढ़ाने वाले पदार्थों की माँग घटाने के दृष्टिकोण के साथ-साथ जोर इस बात पर होगा कि रोकथाम की शिक्षा दी जाये और प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल किया जाये। भारत सरकार, संस्थागत क्रियाएँ करने वाले संगठनों को वित्तीय सुरक्षा देगी और सरकार का जोर सामुदायिक संसाधनों के संचालन और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर होगा।
2. उद्देश्य- शराब व नशीले पदार्थों का प्रयोग रोकने वाली योजना के निम्न उद्देश्य हैं-
 - व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर लोगों को शराब, व पदार्थ कुप्रयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक एवं शिक्षित करना।
 - शराब सेवन रोकने के लिए संस्कृति आधारित मॉडल अपनाना तथा व्यसनी लोगों का उपचार व पुनर्वास करना।
 - व्यसनी व्यक्तियों को समुदाय आधारित सेवाएँ प्रदान करना जैसे प्रेरणा, परामर्श, नशा मुक्ति, देखभाल और पुनर्वास।
 - लोगों और बुरी आदतों के शिकार वर्गों के बीच सामूहिक पहल और स्व-सहायता कोशिशों को प्रोत्साहित करना।
 - शराब सेवन और पदार्थ कुप्रयोग पर राज्य व स्वैच्छिक संगठनों में समन्वय स्थापित करना।

भिखारी (Beggars)

भारत में भिखारियों की संख्या के विषय में सटीक व निश्चित जानकारी नहीं है। 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 7.03 लाख भिखारी थे जिनमें से 6.31 गैर-कामगार समूह में थे। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश में उनकी कुल जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है।

आवश्यक एवं उत्तरदायी कदम उठाने के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। भिखारियों की भिक्षावृत्ति रोकने के लिए न ही कोई केंद्रीय प्रावधान है, न ही कोई स्पष्ट नीति जिससे इस समस्या को रोका जा सके। हालाँकि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सामान्य प्रावधान किये गये हैं। इसमें शामिल हैं- भारतीय दंड संहिता (IPC), बाल-न्याय कानून-2000, भारतीय रेल कानून-1989।

अन्य महत्वपूर्ण संगठन (Other Important Organizations)

सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Social Defence)

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शोध के लिए सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान एक नोडल संस्था है। हालाँकि सामाजिक सुरक्षा में समाज की सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम शामिल हैं, परंतु यह संस्थान मुख्यतः मानव संसाधन विकास, पदार्थ कुप्रयोग रोकथाम, वृद्धजनों की देखभाल और अन्य मुद्दों (जिनमें भिक्षावृत्ति रोकथाम और बाल संरक्षण शामिल है) से जुड़ा है।

संस्थान का कार्य भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा दस्तावेज देना है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियों का पुनर्विलोकन
- सामाजिक सुरक्षा समस्याओं की पहचान
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षात्मक, पुनर्वास एवं रक्षात्मक उपाय अपनाना
- सामाजिक सुरक्षा नीतियों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपायों की पहचान एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मूल्यांकन
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा।

जनसंख्या के असुरक्षित समूहों के लिए केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes for the Vulnerable Sections of the Population by the Centre and State)

वृद्धजन, मादक द्रव्य व्यसनी और सामाजिक सुरक्षा

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Older Persons)

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी, 1999 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई- अपनी और अपनी पत्नी की वृद्धावस्था की देखभाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, अपने वृद्ध सदस्यों की देखरेख करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहन देना, परिवार द्वारा वृद्ध सदस्यों की देखरेख में पूरक भूमिका निभाने के लिए स्वैच्छिक एवं गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन प्रदान करना, असुरक्षित वृद्धजनों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करना, वृद्धजनों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधा प्रदान करना, वृद्धजनों हेतु सेवा संगठनों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुसंधान-एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना तथा वृद्धजनों को पूर्णतः आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Older Persons (NCOP))

सरकार ने वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाने में सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का पुनर्गठन किया। यह परिषद राष्ट्रीय वृद्धजन नीति एवं वृद्धजनों के लिए विशेष पहलकारी उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। वृद्धजनों के कल्याण के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को सलाह देने एवं सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद एक शीर्षस्थानिका है।

राष्ट्रीय वृद्धजन की राष्ट्रीय नीति, 2011 मसौदा (National Policy on Senior Citizens, 2011 Draft)

नीति के उद्देश्य (Policy Objectives)

नई 'राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति 2011' की आधारशिला विभिन्न कारकों पर रखी गई है। इनके अंतर्गत वृद्धजनों में जनसांख्यिकी विस्फोट, बदलता हुआ सामाजिक और आर्थिक परिवेश, चिकित्सा, शोध में प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण वृद्ध निर्धनों में अत्यधिक अभावग्रस्तता (51 मिलियन वृद्धजन गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं) इत्यादि शामिल हैं। वृद्ध पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ बड़ी संख्या में अकेलापन महसूस करती हैं और अपने बच्चों पर निर्भर हैं। समाजिक अपवर्चना, अपवर्जन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं रुग्णता के बदलते स्वरूप का वृद्धजनों पर प्रभाव पड़ता है। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोग वृद्धजनों की श्रेणी में आते हैं। इस नीति का संबंध नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे वृद्धों, तथा मुख्य रूप से वृद्ध महिलाओं से संबंधित विषयों से है।

नई नीति की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of the New Policy)

- यह नीति वृद्धावस्था को सुविधाजनक बनाने एवं इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए घरों में ही 'वृद्धावस्था जीवन यापन करना', आय की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, वृद्धावस्था पेंशन तथा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं तक पहुँच एवं अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है।
- वरिष्ठ नागरिकों को देश का मूल्यवान संसाधन मानते हुए उनके लिए समान अवसरों, अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीति में यह निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को समर्थन एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, आवास एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजकीय समर्थन को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

- सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह माता-पिता का भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का क्रियान्वयन और एक न्यायाधिकरण की स्थापना करे ताकि अपना भरण-पोषण करने में अक्षम माता-पिता परित्यक्त एवं अपेक्षित न रहें।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के अंतर्गत वयोवृद्ध व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इन व्यक्तियों को निःशक्तता, युवा बच्चों की मृत्यु तथा पौत्रों एवं घर की महिलाओं की संयुक्त जिम्मेदारी की स्थिति में अतिरिक्त पेंशन प्रदान किया जाएगा। इस प्रावधान की प्रति पाँच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी वरिष्ठ नागरिकों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- कराधान नीतियों को वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा तथा चिकित्सकीय देखरेख, परिवहन तथा घर पर ही आवश्यक सहायक सेवाओं की उच्च लागत को देखते हुए इस संवेदनशीलता में और भी वृद्धि की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा श्रेष्ठ, वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं पर गरीबों को उच्च सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- रोकथाम जन्य, आरोग्य जन्य, स्वास्थ्यकर और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया जाएगा तथा द्वितीय और तृतीय स्तर पर मजबूत और वृद्धावस्था देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी।
- आशा कार्यकर्ता द्वारा वर्ष में दो बार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की विशेष जाँच-पड़ताल का आयोजन किया जाएगा तथा देश में गैर संक्रामक रोगों की पहचान वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध और उपशामक (Palliative) देखभाल के लिए लोक-निजी सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना के सार्वभौमिक क्रियान्वयन को सभी जिलों में प्रोत्साहित किया जाएगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों की आँखों की दृष्टि क्षमता को पुनः स्वस्थ करना राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का एक अत्यावश्यक घटक है।
- वर्तमान में क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम (NPHCE) का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा तथा नागरिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से इसका विस्तार देश के सभी जिलों में किया जाएगा।
- सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा अधिकार से प्राप्त राजस्व के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इससे प्राप्त राजस्व का वितरण राज्यों में उनकी वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। राज्य स्वयं भी इसी तरह का कल्याण कोष गठित कर सकते हैं।
- सभी वरिष्ठ नागरिक विशेषकर विधवाएँ, एकल जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएँ, वयोवृद्ध लोग सरकार की सभी योजनाओं के पात्र होंगे। उन्हें आधार योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के तौर पर सार्वभौमिक पहचान उपलब्ध कराई जाएगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिक विभाग की स्थापना करेगा जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 2011 के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख निकाय होगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग तथा राज्य स्तर पर ऐसे ही आयोगों की स्थापना की जाएगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की स्थापना की जाएगी। इस परिषद का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा और यह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विषयों पर मंत्रालय को परामर्श देगी।
- पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 2011 के कार्यान्वयन तथा वृद्धजनों से संबंधित स्थानीय मुद्दों एवं आवश्यकताओं के लिए निर्देश दिया जाएगा।
- ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय परिषद अथवा ग्राम सभा या फिर संबंधित पंचायती राज संस्था इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी।

वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons)

भारत में वृद्धजन जनसंख्या में नियमित वृद्धि देखी गई है। वृद्धजनों की जनसंख्या 1951 के 19.8 मिलियन से बढ़कर 2001 में 76 मिलियन हो गई और अनुमान बताते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2013 में 100 मिलियन होगी, जो 2030 में बढ़कर 198 मिलियन पहुँच जाएगी। जीवन प्रत्याशा जो 1947 में 29 वर्ष थी अब कई गुना बढ़कर 63 वर्ष के करीब है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of This Scheme)

- योजना के उद्देश्य आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तथा सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज्य संस्थाओं/स्थानीय निकाय एवं समुदायों के क्षमता निर्माण के समर्थन द्वारा उत्पादक वृद्धावस्था को बढ़ावा देकर वृद्धजनों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों तथा पात्र गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-
 - (a) वृद्धजनों की विशेषकर भोजन, आवास एवं गरीब वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की देखरेख के लिए कार्यक्रम।
 - (b) विशेषकर बच्चों/युवाओं तथा वृद्धजनों के बीच अंतरपीढ़ी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यक्रम।
 - (c) वृद्धजनों को संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम।
 - (d) वृद्धावस्था क्षेत्र में शोध, समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- इस योजना के तहत सहायता हेतु कार्यक्रम
 - (a) वृद्धाश्रमों का रखरखाव
 - (b) अल्जाइमर तथा पागलपन से पीड़ित लोगों के लिए डे-केयर सेंटर चलाना।
 - (c) वृद्धजनों की शारीरिक चिकित्सा हेतु क्लिनिक
 - (d) वृद्धजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं विशेष देखरेख
 - (e) वृद्धजनों की देखरेख करने वालों को प्रशिक्षण
 - (f) वृद्धजनों एवं उनकी देखभाल करने वालों के लिए जागरूकता प्रसार कार्यक्रम।
 - (g) वृद्धजनों और देखभाल कर्ताओं (Care Givers) के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम।
- इस नीति के अंतर्गत प्रस्तावित लागत का 90% का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा शेष का भुगतान संबंधित संगठन/संस्थान करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियों के लिए मंत्रालय की शर्तों के अधीन सहायता अनुमोदित की गई है-
 - (a) पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय
 - (b) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन
 - (c) सरकार द्वारा स्वायत्त/सहायक निकाय के रूप में स्थापित संस्थान/संगठन
 - (d) सरकार द्वारा नाम निर्देशित, शिक्षा संस्थाएं, धर्मীয় आश्रम/आश्रम, नर्सिंग होम तथा प्रसिद्ध युवा संगठन जैसे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि।
 - (e) कुछ विशेष मामलों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तृतीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन रोकथाम

(Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse)

परिचय (Introduction)

2001-02 में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 73.2 मिलियन लोग मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसनी हैं। इनमें से 8.7, 2.0 तथा 62.5 मिलियन क्रमशः भांग, अफीम और शराब का सेवन करते हैं और इनका सेवन करने वाले क्रमशः 26%, 22% और 17% इन नशीले पदार्थों पर ही निर्भर करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 47 उल्लेख करता है कि "राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार औषधियों के, औषधीय प्रायोजन से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

स्वापक औषध और मनः पदार्थ अधिनियम, 1985 अन्य विषयों के साथ-साथ मादक पदार्थ दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था। मादक पदार्थों की माँग में कमी लाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1985-86 से मद्यपान एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने की योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना 1994 एवं 1999 में दो बार संशोधित भी की गई। केंद्र सरकार ने संशोधित योजना (मद्यपान एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने की योजना) 2008 को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों पर तथा मंत्रालय के लिए वित्तीय जिम्मेदारी (निर्धारित राशि का 90%) निर्धारित की गई है।

मद्यपान एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(The Aims And Objectives of the Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance Abuse are:)

- मादक पदार्थ व्यसन को रोकने तथा व्यसनी व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना।
- व्यक्तियों, उनके परिवार और समाज पर मद्यपान एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करना।
- मादक पदार्थ व्यसन को रोकने, उपचार करने तथा व्यसनी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संस्कृति विशिष्ट तरीके अपनाना।
- व्यसनी व्यक्तियों की पहचान, उनके प्रोत्साहन, नशे को व्यसन को छुड़ाने, परामर्श देने तथा उनके पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर समुदाय आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- नशीले पदार्थों की माँग में कमी के लिए समुदाय भागीदारी और जन सहयोग बढ़ाना।
- व्यसन के खतरे से असुरक्षित व्यक्तियों और समूहों की बीच सामूहिक सहला एवं स्वयं-सहायता प्रयासों को बढ़ावा देना।
- मादक द्रव्य व्यसन के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकारी संगठनों के बीच उपयोग संबंध स्थापित करना।

दो जाने वाली सहायता अनुदान राशि के 90% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि सात पचास अन्योपक्रम तथा जम्मू-कश्मीर के विषय में सहायता राशि स्वीकृत व्यय की 95% प्रतिशत होगी। विश्वविद्यालय, सामाजिक कार्य विद्यालय तथा ऐसे ही अन्य उच्च शिक्षण संस्थान 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (Reimbursement) के पात्र होंगे।

वित्तीय समर्थन के लिए योजना के निम्नलिखित घटक हैं-

- जागरूकता और निवारण शिक्षा
- मादक पदार्थों के संबंध में जागरूकता तथा परामर्श केंद्र
- उपचार-सह-पुनर्वास केंद्र
- कार्यस्थलों पर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम
- मादक द्रव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए एनजीओ फोरम
- समुदाय आधारित पुनर्वास के सुदृढीकरण के लिए नवाचारी हस्तक्षेप
- तकनीकी हस्तांतरण तथा मानव शक्ति विकास
- सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान
- इस योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक अन्य कोई भी क्रिया-कलाप

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
(Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors and Issues Arising out of their Design and Implementation)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक संख्या 10 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण की दिशा में किए गए नीतिगत प्रयासों को समझने से पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औपनिवेशिक शासन की कार्यप्रणालियों को समझना आवश्यक है। भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य आर्थिक शोषण एवं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं, जैसे कि सामुदायिक एकता, राष्ट्रीय चेतना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक अधिकारों की मांग को कमजोर करना था। अपने औपनिवेशिक हितों (आर्थिक शोषण) को साधने के लिए ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दिया और इसीलिए विभिन्न नीतिगत प्रयासों के माध्यम से भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का प्रयास किया गया। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में सामाजिक सुधार के रूप में कुछ वैधानिक प्रयास भी किए गए-

- 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जाति एवं वर्णों के आधार पर सरकारी नियोजन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया।
- 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई।
- वर्ष 1829 के सती निषेध अधिनियम (Sati Abolition Act, 1829) के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 1830 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा उगी प्रथा का भी अंत कर दिया गया।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 ई. के 'अधिनियम' द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने खंड जनजाति में प्रचलित नखलि प्रथा का दमन करने के लिए 'कम्पबल' को नियुक्ति की।
- 1854 ई. की शिक्षा पर जॉर्ज बुड का घोषणापत्र शिक्षा में सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिये जाने पर बल दिया गया, लेकिन साथ ही देशी भाषा के विकास की भी महत्त्व दिया गया। इसी तरह हरार शिक्षा आयोग (1882-83) में भी सिफारिश की गई थी कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर ध्यान दे और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।

उपरोक्त कार्यवाहियों से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में सामाजिक सुधार का संबंध केवल कुछ कुरीतियों एवं कुरथाओं पर रोक लगाने तक ही सीमित था, जबकि सामाजिक कल्याण एवं सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास करना कभी भी ब्रिटिश शासन की प्राथमिकता नहीं रही। इसी कारण, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में लैंगिक भेदभाव, समाज के कमजोर वर्गों के साथ असमान व्यवहार, निरक्षरता जैसी सामाजिक समस्याएँ नियमित रूप से विद्यमान रहीं हैं और इन्हीं समस्याओं से देश एवं समाज को निजात दिलाने का संकल्प, स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण 'नियति से मिलन' (Tryst with Destiny) में स्पष्ट रूप से झलकता है, जिसमें तमाम सामाजिक-आर्थिक विषयों से मुक्त भावी भारत के निर्माण की कल्पना की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण से संबंधित सरकारी नीतियों को संविधान से बल मिला। इसी दिशा में पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में दो नये अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए हैं। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31-ख में स्पष्ट किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की वैधता को इस आधार पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ व कानून बनाये गये। इनमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिन्दू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियम, 1956; महिलाओं एवं बालिकाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 व दहेज निषेध अधिनियम, 1961 आदि प्रमुख थे।

भारत सरकार ने जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में असमानता समाप्त करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों को शैक्षिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'आरक्षण' की नीति अपनाई, वहीं देश के नागरिकों की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की नीति भी अपनायी जिसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई।

भारत में मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने जो शैक्षिक रणनीति तैयार की, उसके महत्वपूर्ण पहलू निम्नवत् हैं-

1. कानूनी पहल (Legal Initiative)

- (क) 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन।
- (ख) अखिल भारतीय मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए आम राय कायम करना।

2. उच्च शिक्षा (Higher Education)

- (क) यशपाल समिति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं (Recommendations) के आधार पर उच्च शिक्षा और शोध के लिए एक अधिकार संपन्न स्वायत्त प्राधिकरण (Autonomous Tribunal) का गठन।
- (ख) गैरकानूनी शिक्षण गतिविधियों पर प्रतिबंध और दंड के लिए नया कानून बनाना।
- (ग) उच्च शिक्षा में अनिवार्य मूल्यांकन और मान्यता के लिए स्वायत्त नियामक प्राधिकरण का गठन।
- (घ) विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के नियमन के लिए नया कानून लाना।
- (ङ) उच्च शिक्षा में सभी भागीदारों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और प्रबंधन के बीच विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए एक प्राधिकरण के गठन के लिए कानून बनाया गया।
- (च) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर बने राष्ट्रीय आयोग को और अधिकार संपन्न बनाने के लिए आवश्यक कानूनी सुधार।
- (छ) कॉपीराइट संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन।

3. विद्यालयी शिक्षा के लिए नीतिगत पहल (Policy Initiative for School Education)

- (क) स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल को शुरुआत के लिए नीतिगत मसौदा तैयार करना और उसकी व्यावहारिकता सुनिश्चित करना।
- (ख) माध्यमिक स्कूल और दूरस्थ स्कूली शिक्षा में ब्रॉडबैंड के जरिये सूचना और संचार तकनीक का इस्तेमाल।
- (ग) शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF) 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार और सभी पक्षों से सलाह-मशविरों के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का विकास।

4. उच्च शिक्षा (Higher Education)

- (क) देश के मौजूदा और नये शिक्षण संस्थानों की ओर विदेशों से 'प्रतिभा-लब्धि' नीति का निर्माण।
- (ख) समाज के कमजोर तबके के विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सियासती दरों पर शिक्षा ऋण देने के लिए नयी स्कीम का शुभारंभ।
- (ग) उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण योजना को मजबूत करना और उसका दायरा बढ़ाना।
- (ङ) वंचित तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में 'समान अवसर कार्यालय' की स्थापना।
- (च) समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक तबके की बहुतायत वाले देश के 100 जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना।
- (छ) उन राज्यों में जहाँ फिलहाल कोई पॉलीटेक्निक संस्थान नहीं है, वहाँ कम से कम 100 नये पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
- (ज) सूचना एवं संचार तकनीक के जरिये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत 5,000 कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विभागों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं के प्रतिभा विकास के लिए 700 कम्युनिटी पॉलीटेक्निक के उन्नयन के बाद उनकी पुनः शुरुआत।

भारत सरकार के 13 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम

(13 Important Flagship Programmes of Government of India)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वर्तमान में 5 प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं, जो निम्नवत् हैं-

(क) **अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana):** अन्नपूर्णा का आरंभ 2 अक्टूबर, 2000 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। इसके अंतर्गत वे सभी वृद्ध नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, लेकिन किसी कारणवश इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिमाह 10 किग्रा. अनाज बिना मूल्य के पाने के हकदार हैं। 2001-02 में बजट में किये गये संशोधन के अनुसार अब जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे।

(ख) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme):** राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही 1995 में शुरू की गई, जिसे 2002-03 में राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। अब यह राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा 10,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये का दिया गया है। राशि में वृद्धि के साथ आयु सीमा में भी परिवर्तन किया गया है। आयु सीमा जो इस योजना के तहत पूर्व में 18-64 वर्ष थी, उसे परिवर्तित कर 18-59 वर्ष कर दिया गया है।

(ग) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme):** 15 अगस्त, 1995 में शुरू की गयी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम को संशोधित करके वर्ष 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शुरू की गई। केंद्रीय बजट 2011-12 में इसकी अर्हता को 65 वर्ष से घटकाकर 60 वर्ष कर दिया गया तथा 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए इसकी राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी है।

(घ) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme):** यह योजना फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 वर्ष से 59 वर्ष तक की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएँ पात्र थीं और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 200 रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित की थी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना निर्धारित किया गया था।

(ङ) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme):** यह योजना भी फरवरी 2009 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत गंभीर रूप से विकलांग एवं विभिन्न अंगों से विकलांग व्यक्ति को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके तहत 18-59 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विकलांग पात्र हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत (नौति निर्देशक तत्वों के तहत) राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने नागरिकों को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता एवं अन्य कठिनाइयों की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराए। इसी अनुच्छेद के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की राशि में वृद्धि

(Increases in the Amount of National Social Assistance Programmes)

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 अक्टूबर, 2012 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रमुख घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को केंद्र की ओर से दिये जाने वाले 200 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 300 रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के तहत अब विधवाओं की आयु सीमा को 40-59 वर्ष से बढ़ाकर 40-79 वर्ष कर दिया गया है। इससे 76 लाख ऐसी विधवाएँ जो गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में जीवनयापन कर रही हैं, लाभान्वित होंगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत गंभीर रूप से विकलांग एवं विभिन्न अंगों से विकलांग व्यक्ति का मासिक पेंशन 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस निर्णय से देश में रह रहे 11 लाख विकलांग लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र विकलांगों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 18-79 वर्ष कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के साथ उपर्युक्त सभी योजनाओं में व्यय हेतु लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Service Scheme)

2 अक्टूबर, 1975 को प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना तथा आँगनवाड़ी भवनों, सीडीपीओ (Child Development Project Officer) कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। वस्तुतः एकीकृत बाल

विकास सेवा योजना विश्व के सबसे बड़े समुदाय आधारित आरंभिक शैशवावस्था विकास कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना;
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखना।
- बच्चों में मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना;
- बाल विकास के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति और क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय करना।
- समुचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की देखभाल की क्षमता का उन्नयन करना।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में शामिल सेवाओं का पैकेज

(Package of Services Included in Integrated Child Development Service Scheme)

इस योजना में एक महत्वपूर्ण धारणा निहित है कि सेवाओं का एक पैकेज संपन्चित ढंग से विकास की आवश्यक दशा के रूप में उपलब्ध कराया जाय। इस योजना में शामिल सेवाओं का पैकेज निम्नवत् है-

- 1. पूरक पोषण (Supplementary Nutrition):** इस सेवा के अंतर्गत पूरक आहार व वृद्धि पर निगरानी रखी जाएगी। विटामिन ए की कमी तथा रक्ताल्पता (एनीमिया) पर नियंत्रण रखने हेतु सेवा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण घटक है। इसमें समुदाय के सभी परिवारों के 0-6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती माताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाता है और इन्हें एक वर्ष में 300 दिन पूरक आहार (Supplementary Feeding) की सुविधा प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा इस पूरक आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करके इस योजना के अंतर्गत निम्न आयु वर्गों व वंचित समुदायों के बच्चों व महिलाओं में कैलोरी संबंधी विषमता (Caloric Gap) को भरने का प्रयास किया जाता है।
- 2. प्रतिरक्षण (Immunization):** शिशुओं व गर्भवती माताओं का प्रतिरक्षण उन्हें 6 टीकाकरण से बचाव वाली बीमारियों जैसे- पोलियो, डीप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, टुबरक्यूलोसिस और खसरा से सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार आईसीडीएस के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रतिरक्षण से शिशु मृत्यु, विकलांगता और कुपोषण जैसी समस्याओं पर नियंत्रण लगता है। गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण (टिटनेस से बचाव हेतु) मातृ मृत्यु दर व प्रसव पूर्व मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करता है।
- 3. स्वास्थ्य जाँच (Health Check-up):** आईसीडीएस की इस सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा माँ बनने वाली महिलाओं को प्रसवपूर्व और देखभाल करने वाली माताओं को प्रसव-परचात् (Postnatal Care) इस सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा बच्चों को विविध प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसमें नियमित स्वास्थ्य जाँच, वजन का मापन, प्रतिरक्षण (Immunization), कुपोषण का प्रबंधन, डायरिया का इलाज और साधारण दवाइयों का वितरण आदि शामिल हैं।
- 4. संदर्भित सेवाएँ (Referral Services):** इसके अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व इसके उप-केंद्रों में भेजा जाता है। स्वास्थ्य जाँच के दौरान और बालकों की वृद्धि की निगरानी के दौरान कई बीमार व कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है जिन पर त्वरित चिकित्सकीय ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। इस सेवा को प्रदान करने के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को खोजने की दिशा में सक्रिय रहते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसे सभी मामलों को एक विशेष रजिस्टर में लेखबद्ध करती है और इसके उपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व इसके उप-केंद्रों में चिकित्सकीय अधिकारियों को हवाले कर देती है।
- 5. स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा (Pre-School Non-formal Education):** बच्चों को स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सर्वाधिक अहम भाग माना जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ही इस प्रकार की सेवाओं को प्रत्येक गाँव में उपलब्ध कराया जाता है।
- 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition and Health Education):** इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। इससे व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का निर्माण होता है। इसके द्वारा महिलाओं, विशेषकर 15-45 आयु वर्ग की महिलाओं में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के विकास का लक्ष्य रखा जाता है ताकि वे स्वयं अपनी स्वास्थ्य पोषण और विकास आवश्यकताओं और अपने परिवार व बच्चों का ध्यान रख सकें।

आईसीडीएस का क्रियान्वयन (Implementation of ICDS)

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन पोषणीय उद्देश्यों के लिए 300 कैलोरी (8-10 ग्राम प्रोटीन) उपलब्ध कराया जाता है। वहीं किशोरियों (Adolescent Girls) के लिए प्रतिदिन 500 कैलोरी जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन भी शामिल है, उपलब्ध कराया जाता है। आँगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता इस सेवा की आपूर्ति के कुशल अभिकरण होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य अवसरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को लक्षित वर्गों तक पहुँचाया जाता है। 1975 में यूनिसेफ आईसीडीएस योजना के लिए आवश्यक आपूर्ति को सुनिश्चित करके इस योजना के क्रियान्वयन का भाग बना था। विश्व बैंक द्वारा भी इस योजना को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

आईसीडीएस की वर्तमान स्थिति (Current Scenario of ICDS)

वर्तमान में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) से 9.65 करोड़ लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। इनमें 7.82 करोड़ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 1.83 करोड़ गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं। इस योजना ने 2005-06 के बाद व्यापक रूप लिया और अंततः 2008-09 में 7.076 अनुमोदित परियोजनाओं और 14 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में इसका विस्तार हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि आईसीडीएस के चलते जन्म के समय शिशु वजन व शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की पुनर्संरचना (Restructuring of ICDS)

2005-06 में इस योजना का सर्वव्यापीकरण किए जाने के बाद यह योजना सहवर्ती मानव और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप नहीं रही जिसके फलस्वरूप कार्यक्रमजन्य प्रबंधकीय तथा संस्थागत अंतर उभरने लगे। इसे देखते हुए आईसीडीएस की पुनर्संरचना और सुदृढीकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

सितंबर 2012 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने आईसीडीएस की पुनर्संरचना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की है-

- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मिसन मोड के रूप में क्रियान्वयन जारी रखना।
- प्रथम वर्ष 2012-13 में 200 उच्च भारित जिलों से शुरुआत करते हुए तीन वर्षों में सुदृढ और पुनर्गठित आईसीडीएस शुरू की जाय। दूसरे वर्ष (2013-14) में विशेष प्रणीत राज्यों यथा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा तीसरे वर्ष (2014-15) में शेष 243 जिलों को इसमें शामिल किया जाय।

आईसीडीएस योजना के सुदृढीकरण व पुनर्संरचना के निम्नांकित संभावित परिणाम होंगे-

- (क) 0-3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर पर नियंत्रण के साथ इसमें 10 प्रतिशत तक की कमी लई जा सकेगी।
- (ख) 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के प्रारंभिक विकास को उन्नत किया जा सकेगा।
- (ग) बालिकाओं व महिलाओं की देखरेख और पोषण में सुधार होगा तथा अल्पायु बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं में रक्ताल्पता (Anaemia) की व्याप्तता में 1/5 की कमी की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ और पुनर्गठित आईसीडीएस पर 1.23.580 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार भारत में यह योजना बाल अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से काफी अहम् है। अप्रत्यक्ष रूप से यह योजना महिला सशक्तीकरण में भी योगदान देती है। सक्षमता विकास का प्रयास इसका ज्वलंत उदाहरण है।

राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अथवा मिड-डे मील कार्यक्रम (National Mid-day Meal Programme)

मिड-डे मील कार्यक्रम एक बहुआयामी उद्देश्यों वाली केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ किया गया था। स्कूलों में नामांकन (Enrolment) में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाने जैसे लक्ष्यों को पोषणीय आहार युक्त शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर मिड डे मील को सरकार के प्लैगशिप कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहन दिया गया।

मिड-डे मील कार्यक्रम को 'प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणीय समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Programme of Nutritional support to Primary education) के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2001 में मिड-डे मील योजना एक पके भोजन पर आधारित मिड-डे मील योजना बन गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबरटीज (PUCL) द्वारा दायर एक याचिका में भोजन के अधिकार (Right to Food) को मान्यता प्रदान की थी। इसी निर्णय के अनुपालन में वर्ष 2001 में इस योजना के तहत प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रत्येक बच्चे के लिए पके हुए भोजन के रूप में मध्याह्न भोजन (Midday Meal) को तैयार करने की शुरुआत हुई और यह प्रावधान किया गया कि वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों के लिए न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा युक्त आहार व 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार प्रदान किया जायेगा।

वर्ष 2002 में पुनः मिड-डे मील योजना का विस्तार किया गया। इसके दायरे को बढ़ाते हुए तय किया गया कि न केवल वे बच्चे जो सरकारी अथवा सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों व स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ते हैं बल्कि वो बच्चे भी जो एजुकेशन गारंटी स्कीम (EGS) व वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों (Alternation and Innovative Education Centres) में पढ़ते हैं, मिड-डे मील योजना के अंतर्गत आएंगे।

सितंबर, 2004 से इस स्कीम को संशोधित कर व्यापक रूप से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया। 2004 में भोजन पकाने की लागत हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ और दालों, सब्जी पकाने वाले तेलों और ईंधन आदि की लागतों को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रत्येक बच्चे पर प्रत्येक स्कूल दिन हेतु 1 रुपये की केंद्रीय सहायता देने हेतु योजना को संशोधित किया गया।

1 अक्टूबर, 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों (6वीं से 8वीं कक्षा) के संबंध में भी लागू कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है।

1 दिसंबर, 2009 से सरकार ने इनकी दरों में परिवर्तन किया है, जिसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए दालों की मात्रा 25 ग्राम से बढ़ाकर 30 ग्राम, सब्जियों की मात्रा 65 ग्राम से बढ़ाकर 75 ग्राम तथा तेल व चूरा की मात्रा 10 ग्राम से घटाकर 7.5 ग्राम कर दी गई है। खाना पकाने की लागत 2.50 रुपये से बढ़ाकर 3.75 रुपये कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि खाना पकाने की लागत, मानदेय और रसोई सहभंडार के निर्माण की लागत केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्तर-पूर्वी राज्यों में 90:10 तथा अन्य राज्यों में 75:25 के अनुपात में वहनीय होगी। अप्रैल, 2008 से इस योजना में संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों के सरकारी सहायता तथा गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 8 तक) स्तर पर अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया है।

अक्टूबर 2007 में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 प्रखण्डों (EBBs) में पढ़ने वाले बच्चों (खासकर 6 से 8 वीं कक्षा में) को इस स्कीम में शामिल किया गया और इस स्कीम का नाम 'प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणीय समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम' से बदलकर 'विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम' (National Programme of Mid day Meals in Schools) किया गया। अप्रैल 2008 में पुनः इस योजना में संशोधन करते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया ताकि यह सर्वशिक्षा अभियान के तहत समर्थित पहचान न किये गये मदरसों व मकतबों (Unrecognised Madarsas & Maqtabs) को पहचान कर सके।

इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana)

इंदिरा आवास योजना भारत सरकार का एक प्लैंगिंग कार्यक्रम है। इस योजना को देश में ग्रामीण निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1985-86 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए आवास का निर्माण करना है। इंदिरा आवास योजना ने जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना (Sub-Scheme) के रूप में कार्य करना शुरू किया था और कालांतर में यह जनवरी, 1996 से एक स्वायत्त योजना बन गयी।

यह एक केंद्र प्रयोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्यों के बीच 75:25 (केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में 100% केंद्रीय सहायता) के अनुपात में किया जाता है। इंदिरा आवास योजना का वित्त पोषण पूर्वोक्त के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है।

इंदिरा आवास योजना की सहायता राशि में वृद्धि का निर्णय

(Decision to Increase the Amount for IAY)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी, 2013 को भवन निर्माण लागत में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण इंदिरा आवास योजना की सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इंदिरा आवास योजना के तहत अभी तक मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 45,000 रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया है। पहाड़ी व दुर्गम इलाकों के लिए अभी तक दी जाने वाली 48,500 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों, जिनके पास न तो कृषि योग्य भूमि है और न ही मकान बनाने के लिए जमीन, उनके लिए ऋण सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन अध्ययन, 2013

(Evaluation Study, 2013 of IAY by Planning Commission)

भारत के योजना आयोग की 'विकास मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति' (The Development Evaluation Advisory Committee) ने वर्ष 2013 में 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) को इंदिरा आवास योजना के मूल्यांकन व उसकी वर्तमान स्थिति की जाँच का कार्यभार सौंपा। यह अध्ययन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव पर केंद्रित था। मूल्यांकन अध्ययन को यह

भी रिपोर्ट देनी थी कि इंदिरा आवास योजना किस स्तर तक अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने देश के 12 राज्यों के 34 जिलों, 68 ब्लॉकों, 204 गाँवों और 2040 लाभार्थियों पर संपल आधार पर मूल्यांकन अध्ययन किया।

मूल्यांकन अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि लगभग सभी लाभार्थियों ने इस स्कीम के तहत पक्का पकान प्राप्त करने के चलते अपने आर्थिक कल्याण (Economic Well being) में सुधार की बात को स्वीकार किया है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि इंदिरा आवास योजना के तहत आवास प्राप्ति के बाद लाभार्थियों ने कुछ नयी आर्थिक गतिविधियों जैसे आम किराना दुकान व कपड़े सिलने के कार्य करने की पहल की है।

योजना आयोग के तत्वावधान में संपन्न कराये गये इस अध्ययन में कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, जो निम्नवत् हैं-

- लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा की भूमिका को वरीयता देना।
- वित्तीय सहायता के समयानुसार संशोधन (Timely Revision) पर बल।
- राज्य से राज्य के मध्य वित्तीय आवंटन में विविधता पर ध्यान।
- क्रियान्वयन प्रतिभागों में एकरूपता लाना और विशेषीकृत निगरानी तंत्रों का विकास करना।
- इंदिरा आवास योजना के लिए अनन्य रूप से (Exclusively) रिकॉर्डों का उचित ढंग से रख-रखाव।
- आवासों के आवंटन के संदर्भ में पारदर्शिता व जागरूकता पर बल देना।
- क्षमता निर्माण (Capacity Building) के जरिये स्थानीय निर्वाचित निकायों व हितधारकों को मजबूती देने का प्रयास।

इस अध्ययन के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2002-07) को आधार बनाया गया है और इस अवधि का विस्तार कर के 2009 तक की स्थिति को अध्ययन में शामिल किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरुआत में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरगा) के रूप में सितंबर 2005 में पारित हुआ था तथा 2 फरवरी 2006 को इसकी औपचारिक शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के बन्दापाली से की गयी। 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। 2 फरवरी को सरकार ने 'रोजगार दिवस' के रूप में घोषित किया है।

प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में लागू की गयी पर 2007-08 के बजट में इसे बढ़ाकर 380 जिलों में कर दिया गया। वर्तमान समय में यह देश के सभी 619 जिलों में लागू है। इसे विश्व के सर्वाधिक बड़े लोकतंत्र द्वारा सर्वाधिक बड़े रोजगार गारंटी देने वाले कार्यक्रम के रूप में माना गया, जिसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र व यूएनडीपी ने भी की है। रोजगार सृजन करने वाली यह पहली योजना है और इस दृष्टि से यह सभी स्कीमों से भिन्न है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्राप्त करने की गारंटी के साथ कानून द्वारा अधिकार प्रदान करती है। यह कार्यक्रम गाँवों में मानव संसाधन विकास, परिसंपत्तियों के सृजन और अवसंरचनात्मक सुधार के क्रम में बेरोजगारी के निवारण का प्रत्यक्ष उपकरण भी साबित हुआ है। मनरेगा के चलते कुछ हद तक गाँवों से शहरों की तरफ प्रवास पर नियंत्रण को भी बल मिला है। कुल मिलाकर निर्धनता व बेरोजगारी उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ ही मनरेगा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत रहा है।

मनरेगा के प्रावधान (Provisions of MGNREGA)

रोजगार का वैधानिक अधिकार देने वाले मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ अथवा प्रावधान निम्नवत् हैं-

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें कम से कम एक-तिहाई स्त्रियाँ होंगी। यह प्रावधान महिला कल्याण के लक्ष्य को भी प्रतिबिंबित करता है। यह प्रावधान इस अधिनियम के लैंगिक रूप से संवेदनशील होने का सूचक है। महिलाओं को रोजगार का वैधानिक अधिकार गाँवों व परिवारों में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक है।
2. मनरेगा के अंतर्गत दिया गया रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा जिसके लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी तथा जिसका भुगतान कार्य किये जाने के 7 दिन के भीतर देय होगा।
3. रोजगार दिये जाने के संबंध में आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जायेगा तथा रोजगार श्रमिक के निवास से 5 कि.मी. दूरी के भीतर होगा। इससे बाहर काम दिये जाने पर श्रमिक को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय होगी। प्रत्येक आवेदक को एक जॉब कार्ड निर्गत किया जाता है, और जॉब कार्ड प्राप्त होने के 15 दिन तक काम प्राप्त न होने पर वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष तक वैध रहेगा।

- यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दया होगा जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के एक-तिहाई से कम नहीं होगा।
- संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना (SGRY) तथा कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना के इसमें विलय का प्रावधान।
- केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषदों की स्थापना जो इससे संबंधित कार्य संपादित कर सकें।
- जिला स्तर पर पंचायत अपने सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी बनाती है जो जिले के भीतर कार्यक्रम की देखरेख, निगरानी तथा क्रियान्वयन देखती है।
- इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer) को नियुक्ति करती है, और ग्राम पंचायत परियोजनाओं की पहचान, क्रियान्वयन तथा देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है।
- केन्द्र सरकार इसके वित्तीयन (Funding) की व्यवस्था के लिए 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' तथा राज्य सरकार 'राज्य रोजगार गारंटी कोष' की स्थापना करती है।
- पूरी स्कीम इस अर्थ में स्वचयनात्मक (Self Selecting) है कि गरीबों में जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक हैं वे स्वयं इस स्कीम में कार्य के लिए आते हैं।
- प्रावधान के तहत यह प्रस्तावित है कि परियोजना से संबंधित मजदूरी भाग का भुगतान (जो कुल लागत की लगभग 80% होगी) केन्द्र सरकार करेगी, जबकि उसमें लगने वाली सामग्री (Materials) की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का कुछ भाग केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसमें होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में वहन करती हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत इस स्कीम की क्रियान्वयक इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है।

ध्यातव्य है कि मनरेगा के अंतर्गत जल संधरण, वाटरशेड मैनेजमेंट, बाढ़ तथा सूखा प्रबंधन, वानिकी (Forestry), भूमि विकास, गाँवों को सड़क के द्वारा जोड़ना, एवं मरुस्थल विकास आदि से संबंधित परियोजनाओं में रोजगार प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार रोजगार के द्वारा अर्थव्यवस्था में संपत्ति का सृजन होगा। मनरेगा के अंतर्गत 2008-09 में 4.31 करोड़ परिवारों, 2009-10 में 5.26 करोड़ परिवारों तथा 2010-11 में 4.1 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। 2009-10 में लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति का प्रतिशत 29, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 22 तथा महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत रही।

मनरेगा से जुड़े नये मुद्दे (New Issues of MGNREGA)

हाल के समय (2011-2012) में मनरेगा को अधिक प्रभावी व परिणाममूलक बनाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। इनमें से प्रमुख निम्नवत् हैं-

- (क) मनरेगा के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी में वृद्धि का निर्णय- केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी में वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मनरेगा की दिहाड़ी को खेतिहर मजदूरों के अनुसार देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में मात्र 2 रु. तथा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में 5 रु. की वृद्धि की गई है। अब मनरेगा मजदूरों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 125 रु. तथा बिहार एवं झारखंड में 122 रु. दैनिक मजदूरी प्राप्त होगी। इस प्रकार सबसे कम मजदूरी बिहार व झारखंड में होगी।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2011 में ही मनरेगा की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उस समय स्पष्ट किया गया था कि सरकार संसद के बजट सत्र में मनरेगा कानून की धारा 6(1) में संशोधन प्रस्ताव लाएगी, जिसके माध्यम से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दरों व न्यूनतम मजदूरी अंतर को दूर किया जायेगा। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विभिन्न राज्यों व संघशासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत नई मजदूरी इस प्रकार है- हरियाणा (191 रु.), पंजाब (166 रु.), केरल (164 रु.), कर्नाटक (155 रु.), असम (136 रु.), आंध्र प्रदेश (137 रु.), अरुणाचल प्रदेश (124 रु.), गुजरात (134 रु.), अंडमान द्वीप (178 रु.), निकोबार द्वीप (189 रु.) व चंडीगढ़ (189 रु.)।

- (ख) मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित राज्यों में रोजगार संबंधी नवीन निर्णय- सूखा पर, अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (EGOM) की बैठक में 11 सितंबर, 2012 को निर्णय लिया गया है कि सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा के तहत अब 150 दिन का रोजगार मिलेगा तथा इसके साथ ही फसल ऋण पर ब्याज दर को भी घटा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। दोनों राहत केवल वर्ष भर के लिए होंगी। इसका लाभ उन 7 प्रतिशत परिवारों को मिलेगा जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। ध्यातव्य है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के 390 से अधिक प्रखण्डों में सूखा घोषित किया गया था। इसका फायदा सिर्फ इन्हीं प्रखण्डों के लोगों को होगा।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को मनरेगा के साथ मिलाने का निर्णय- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपीलैड्स को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ मिलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार ने अधिक स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से एमपीलैड्स को मनरेगा के साथ मिलाने का निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय के पश्चात् अब सांसद वर्ष के लिए जिला पंचायत द्वारा मंजूर मनरेगा परियोजना में से एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि यह जिला कार्यक्रम संयोजक द्वारा स्वीकृत हो और जिले के मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा हो।

मनरेगा में पारदर्शी रक्षोपाय (Transparent Safeguards in MGNREGA)

जॉब कार्ड्स, ग्रामाणिक दैनिक श्रमिक पंजियों के रखरखाव, राज्य सरकारों द्वारा दैनिक पंजियों के 100 प्रतिशत सत्यापन के अनवर्त अभियानों, बाहरी एजेंसियों द्वारा दैनिक पंजियों का आकस्मिक नमूना लेकर सत्यापन तथा उन्हें मनरेगा वेबसाइट पर डाले जाने से पारदर्शी रक्षोपाय की व्यवस्था करना सिद्धांत रूप से तय है। मजदूरी का पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के काम को बैंकों और डाकघरों में मजदूरों के बचत खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करके प्रोत्साहित किया जाता है एवं लघु बचतों के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

इसके लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) विकसित की गई है। www.nrega.nic.in नामक वेबसाइट नेटवर्क ऑन-लाइन निगरानी तथा प्रबंधन, ऑकड़ों में पारदर्शिता तथा सभी तरह की जानकारीयों आम लोगों को पाने में सुगमता की दृष्टि से विकसित किया गया है। इससे ऑकड़े पारदर्शी तरीके से आम लोगों को सुलभ हो जाते हैं और समान रूप से सभी लोग इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम स्तरीय परिवार संबंधी ऑकड़ों के आधार की आंतरिक जांच की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ग्रामाणिक प्रक्रिया के अनुरूप रखा जा सके।

नियमित निगरानी की प्रक्रिया के तहत बाहरी एवं आंतरिक एजेंसियों द्वारा कार्यस्थलों पर जाकर सत्यापन का काम किया जाता है। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषदों का गठन भी किया जा चुका है।

मनरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षण- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह मनरेगा की धारा 17 के तहत सख्त जन निगरानी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Auditing) को केन्द्रीय भूमिका प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य परियोजनाओं कानून एवं नीतियों पर अमल में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सामाजिक लेखा परीक्षण सरकारी मूल्यांकन के साथ-साथ समानांतर लोक जवाबदेही प्रणाली तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) की भी व्यवस्था है। सामाजिक लेखा परीक्षण योजना की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए मार्ग निर्मित करता है। यह उपलब्धि है कि सहभागिता की प्रक्रिया वाले किसी सरकारी कार्यक्रम में पहली बार पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव हो पाई है। यह सामाजिक लेखा परीक्षण का ही प्रत्यक्ष परिणाम है जिसके संचालन को सूचना प्राप्ति के अधिकार के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस तरह सामाजिक लेखा परीक्षण को फलस्वरूप ऐसे अनेक अविश्वसनीय उदाहरण कायम हुए हैं जिनसे पता चलता है कि गांव-गांव में भ्रष्ट अधिकारियों को वह राशि वापस करनी पड़ी है जिसका उन्होंने गबन कर लिया था। अधिकतर ऐसे उदाहरण आंध्र प्रदेश में देखने में आये हैं जहां सामाजिक लेखा परीक्षण की इस कार्यक्रम पर अमल का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)- गरीबी तथा शिक्षा के बीच गहरे संबंधों को उच्च सहसंबंध या गरीबी-निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्त्व मानने के कारण और साथ ही शिक्षा की प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों (Forward and Backward Linkages) को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया जिसके संबंध में प्रतिवर्ष 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 2011-12 के बजट में इसके लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 8वीं तक संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। इस योजना की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 9वीं योजना के दौरान (1997-2002) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार 85:15 के अनुपात में इसके वित्तीय बोझ को वहन करेंगी। दसवीं योजना में (2002-07) इस अनुपात को 75:25 तथा उसके पश्चात् इसे 50:50 कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 'सभी को शिक्षा' उपलब्ध कराने की दिशा में यूनेस्को ने 2015 तक की सीमा निर्धारित की थी, पर भारत में इसे 2010 ही रखा गया है। इस समय सर्व शिक्षा अभियान सभी राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में लागू है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आयी है।

केन्द्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं-

- 2005 तक सभी बच्चों का स्कूल या ऐसी समकक्ष संस्थाओं में नामांकन सुनिश्चित करना।
- 2010 तक सभी बच्चों को उच्चतर प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में बनाये रखना।
- नामांकन, स्कूल में बनाये रखने तथा शिक्षा में लैंगिक तथा सामाजिक अंतराल में कमी लाना।
- प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धि के स्तर को ऊपर उठाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की प्रमुख स्थिति के चलते ही भारत मानव विकास के संकेतकों व सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपेक्षानुरूप सफल नहीं हो पाया है। इसी बात को ध्यान में रखकर 12 अप्रैल, 2005 को यह मिशन प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतया कार्य कर रही, सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ग्रामीण प्रणाली विकसित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुँचने वाली, वहनीय (Affordable) और जवाबदेही वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने से संबंधित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी स्तरों पर चल रही लोक स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ विद्यमान सभी कार्यक्रमों जैसे आर.सी.एच.-II, प्रजनन बाल स्वास्थ्य योजना, एकीकृत रोग निगरानी तथा मलेरिया, कालाजार, तपेदिक तथा कुष्ठता उपचार के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ प्रदान कराने से संबंधित है।

बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना और सकल प्रजनन दर (TFR) को 2012 तक 2.1 तक लाना इस मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह योजना पूरे देश विशेष रूप से 18 राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य अधोसंरचना (Infrastructure) अत्यंत ही दयनीय तथा स्वास्थ्य संकेतक नीचे हैं, में लागू है। यह मिशन विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग को सस्ती, प्रभावपूर्ण तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएँ सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा (Accredited Social Health Activists) कार्यकर्ता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर 1 आशा कार्यकर्ता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य व उससे जुड़े पहलुओं के संदर्भ में कार्यनीतियों को परिभाषित करने में सहायता प्रदान करने के लिए योजना आयोग ने प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में व्यापक स्वास्थ्य केवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य, एड्स नियंत्रण, बधिरता नियंत्रण, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण, कैंसर नियंत्रण, तंबाकू-नियंत्रण, हृदय-चाहिका रोग, मुखीय स्वास्थ्य, प्लुरोसिस, मानव रेबीज नियंत्रण, लेप्टोसप्टोसिस संबंधी कार्यक्रमों के बीच समानांतरता (Homogeneity) को प्राथमिकता दी जायेगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र और प्रत्येक निवास स्थान में एक आँगनवाड़ी केन्द्र स्थापित होना चाहिए तथा उनका औपचारिक अतिरिक्त स्वास्थ्य पोषण एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा सेवाएँ प्रदान करने की व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए आवश्यक होना चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (National Agriculture Development Scheme)

यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम है और भारत में कृषि व सहकारिता की दिशा में कार्य करने हेतु निर्मित है। इस योजना को 18 सितंबर, 2007 से लागू किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू होने वाली 25 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा चलायी जा रही है। यह एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों की कृषि तथा कृषि संबद्ध क्षेत्रों में विनियोग के लिए प्रेरणा देना है जिससे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि में कम से कम 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विशेषताएँ अथवा प्रावधान- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देश में कृषि क्षेत्र के सुदृढीकरण के उद्देश्य से प्रेरित है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं-

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में कम होते हुए निवेश, जीडीपी में कृषि के कम होते हुए अंश तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।
2. यह एक केन्द्र समर्थित स्कीम है, जिसके लिए केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। यह योजना जून, 2008 से उत्तर प्रदेश में लागू हुई। यह राज्य योजना के अंतर्गत चलने वाली स्कीम है।
3. इस योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा किये गये औसत व्यय के आधार पर राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय का निर्धारण होगा।
4. कृषि संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हसबैंड्री जिसमें हॉर्टीकल्चर भी शामिल है, पशुपालन, कृषि शोध तथा शिक्षा, कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा तथा जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएँ तथा कृषि कार्यक्रम तथा सहकारिता सम्मिलित हैं।
5. इसके अंतर्गत राज्य की अर्हता तथा उसका वित्तीय आबंटन योजना आयोग द्वारा होगा।
6. इस कार्य के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस योजना के प्रचालन के लिए 18,550 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इस योजना के लिए वर्ष 2007-08 के लिए 1500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संसाधनों का आबंटन तीन कसौटियों पर निर्भर करता है-

- (क) असिंचित क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात-20%
- (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रक्षेपित वृद्धि दर-30%
- (ग) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में कुल योजनागत व्यय में वृद्धि-50%

वस्तुतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इस धारणा पर आधारित है कि कृषि विकास आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है। इसलिए संस्थागत व प्रकार्यात्मक (Structural and Functional) स्तरों पर कृषि विकास की समग्र रणनीति का विकास धारणीय अर्थव्यवस्था (Sustainable Economy) की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PGSY)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की पलैगशिप योजना है, जो देश में अवसंरचनात्मक विकास (Infrastructure Development) विशेषकर सड़कों के विकास के लक्ष्य से प्रेरित है। यह भारत निर्माण योजना के महत्वपूर्ण संघटक 'सड़क' के विकास में अपनी भूमिका निभाकर इस योजना को सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ की गयी थी। 60 हजार करोड़ रु. की इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को 2007 तक हर मौसमी सड़क से जोड़ना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में यह सुनिश्चित करता है कि पर्वतीय व आदिवासी/जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण की शर्त 500 से अधिक जनसंख्या का न होना तथा मैदानी भागों के लिए यह जनसंख्या 1,000-होनी चाहिए। इस योजना के तहत वर्ष 2009 तक इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ऐसा माना गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहला प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी क्योंकि सड़कों के चलते उत्पादन बाजारों व सेवाओं से जुड़ सकेंगे। यह एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका वित्त पोषण डीजल पर उपकर से होता है।

मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाय तो इस योजना में कई विसंगतियाँ विद्यमान हैं। निधि (Fund) के उपयोग में कमी व प्रक्रियात्मक बिलंबी व समय पर लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के उदाहरण सामने आये हैं। सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न उठाये गये हैं। आवंटित वित्त का सही प्रयोग न होने के चलते भ्रष्टाचार जैसी समस्या से भी यह योजना मुक्त नहीं रही है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission)

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पलैगशिप कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1991 में प्रारंभ किया गया था। भारत में पेयजल की उपलब्धता और सर्वाधिक जल प्रबंधन के लक्ष्य से राष्ट्रीय पेयजल मिशन (NDWM) की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। इसे ही 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत में पेयजल की आपूर्ति की प्रणाली के विकास की आवश्यकता को महसूस कर 1954 में 'राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम' की शुरुआत सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गयी थी। इस कालांतर में सर्वाधिक ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) के नाम से भी जाना गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- ग्रामीण भारत में स्थायी पेयजल सुविधा को सुनिश्चित करना।
- उपलब्ध पेयजल स्रोतों में सुधार व भूमिजल (Ground Water), सतही जल और वर्षा जल संभरण आदि के संरक्षण द्वारा पेयजल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- सभी स्कूलों व आँगनवाड़ी केंद्रों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के पेयजल स्रोतों व प्रणालियों के प्रबंधन में समर्थ बनाना।
- समुदायों को उनके पेयजल स्रोतों पर निगरानी रखने के लिए सशक्त करने के प्रयास।
- जल की गुणवत्ता व उपभोग प्रवृत्तियों को तार्किक दिशा देने का प्रयास करना।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत वर्ष 2007 तक सौ फीसदी ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच को सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यद्यपि अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले 5 वर्षों में (जनगणना को आँकड़ों के अनुसार) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का ध्यान एक समुदाय-आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण (Community based demand driven approach) को अपनाना है। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध (Institutional Arrangements) भी किये गये हैं। इसके तहत नियुक्त अधिकरणों द्वारा राज्य स्तरीय जल भूमि स्वच्छता मिशन जैसे क्षेत्रों की पहचान की गयी है।

गाँवों के लिए पेयजल की वर्तमान स्थिति- वर्तमान समय में अधिकांश ग्रामवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। पहले जहाँ यह सुविधा जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोगों को मिल रही थी, वहीं 2001 तक देश की 90 प्रतिशत आबादी को यह सुविधा मिलने लगी। भारत सरकार इसके लिए हर साल लगभग 45 अरब रुपये खर्च करती है। पेयजल आपूर्ति को भारत निर्माण के 6 में से एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार बर्बादी और अकुशलता के चलते पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं में प्रति किलोमीटर खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा मूल सुविधाओं के अनुरक्षण और रख-रखाव पर भी लोगों को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्हें अनेक स्रोतों से पानी प्राप्त करने की व्यवस्था करने को मजबूर होना पड़ता है। भारत की अधिकांश जल आपूर्ति योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission)

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन केन्द्र सरकार के 13 महत्त्वपूर्ण प्लैगशिप मिशनों व कार्यक्रमों में से एक है। शहरों में आधारभूत संरचना के विकास और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 3 दिसंबर, 2005 को इस मिशन की शुरुआत की। इस मिशन पर यह तय किया गया था कि वर्ष 2005 से 2012 तक (7 वर्षों के लिए) इसमें 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया जायेगा। भारतीय नगरीय शहरों (Indian Urban Cities) के विकास के साथ ही इस मिशन का उद्देश्य उत्पादकीय, कम व्यय साध्य (economically) व अधिक प्रभावी शहरों का गठन है। शहरों में सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के विकास व शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य भी इसमें शामिल हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप देशभर के विभिन्न शहरों में म्यूनिसिपल गवर्नमेन्स का सुदृढीकरण भी इस मिशन के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इस मिशन की कार्यविधि को 2 वर्षों के लिए (31 मार्च, 2014 तक) बढ़ा दिया गया है ताकि समय व देशकाल के अनुरूप भारतीय शहरों की पुनर्संरचना व नवीनीकरण के लक्ष्य में सीमित समय (Limited Time) बाधक न बने।

मिशन के संघटक (Components of Mission)

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

- पुराने शहरी क्षेत्रों का विकास जिसमें सड़क को चौड़ा करना, औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को इस प्रकार से प्रबंधित करना ताकि दबाव न बढ़ सके।
- जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना जिसमें स्वच्छता व गैर लवणीय समुद्र (de-salination Plants) भी शामिल हैं।
- निकासी सुविधा अथवा प्रबंधन (Drainage Management) को सुनिश्चित करना।
- शहरों के चारों ओर परिष्कृत स्वच्छता सुविधा को सुनिश्चित करना।
- सड़कों, हाइवे व एक्सप्रेस-वे का निर्माण, उनके सुधार व रख-रखाव पर ध्यान देना।
- मृदा क्षरण पर नियंत्रण
- जल निकासी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए कुल 67 शहरों की पहचान की गई है।

मिशन ने कमजोर लागत वसूली के दुष्प्रक्र, अल्प निवेश व कमजोर सेवा आपूर्ति को शहरी विकास के मार्ग में अवरोध मानते हुए इसे तोड़ने का प्रयास किया है। इस क्रम में मिशन द्वारा लोक-निजी सहभागिता मॉडल का समर्थन किया गया है। इस मिशन द्वारा अपनी रणनीति को दो भागों में बाँटा गया है-

- (क) शहरी अवसंरचना तथा शासन के लिए उपमिशन जिसमें जल आपूर्ति, सड़क रख-रखाव तथा अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- (ख) शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाओं हेतु उपमिशन जिसके तहत झुग्गी-झोपड़ी के एकीकृत प्रबंधन पर विचार किया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गयी थी। यह एक आपूर्ति केन्द्रित, सज्जिडी प्राप्त व अवसंरचना विकास उन्मुख कार्यक्रम था। कालांतर में वर्ष 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) की शुरुआत की गई थी। इसे निर्मल भारत अभियान नाम से भी जाना जाता है और इसकी एक

महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सामुदायिक नेतृत्व वाला स्वच्छता कार्यक्रम (Community led Sanitation Programme) है। यह जन केन्द्रित योजना है जो इस बात का भी ध्यान रखती है कि स्वच्छता मानव स्वास्थ्य एवं मानव विकास की एक अपरिहार्य दशा है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रमुख लक्ष्य 2017 तक खुले में शौच की प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना है। महाराष्ट्र, जहाँ यह योजना प्रारंभ की गयी वहाँ 2000 ग्राम पंचायतों से अधिक ने 'खुले में शौच मुक्त' (Open Defecation Free) स्तर को प्राप्त कर लिया है। जो गाँव इस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए 10 हजार रुपये देने की बात की है। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के संबंध में जागरूकता के प्रसार हेतु अभिनेत्री विद्या बालन को निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भी भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए 14, 377 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि 11वीं योजना में यह 6540 करोड़ था। इस प्रकार 11वीं योजना की तुलना में वित्तीय आवंटन में 425 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana – RGVY)

भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को एक महत्वपूर्ण प्लेगशिप कार्यक्रम के रूप में 18 मार्च, 2005 को मंजूरी प्रदान की थी। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रमुख अवसंरचनात्मक विकास क्षेत्र 'विद्युतीकरण' के विकास की आवश्यकता व महत्ता भारत निर्माण कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्पष्ट की जा चुकी है। इस योजना का क्रियान्वयन सरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना ने इस दिशा में जारी 'एक लाख गाँवों व एक करोड़ परिवारों के संवर्धित विद्युतीकरण (Accelerated Electrification of One Lakh Villages and one Crore Households) और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 'युनितम आवश्यकता कार्यक्रम' को विलय कर दिया है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- कुटीर ज्योति मानकों के अनुसार निर्धारित रेखा से नीचे के सभी परिवारों जो गाँवों में रहते हैं को विद्युतीकरण सुविधा में शामिल करना।
- गाँवों में कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के गठन का प्रावधान करना।
- राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण व शहरी परिवारों के मध्य विद्युत आपूर्ति के घटो के संदर्भ में विभेद न किया जाय।

इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जहाँ विद्युतीकरण की सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों में विद्युतीकरण के सुदृढीकरण के लिए 'ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना' का विकास किया जाय।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्लेगशिप कार्यक्रम है जो 1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, जिनकी अधूरी वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूरी होने के अग्रिम चरणों में थीं। उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों और ओडिशा के जिलों की सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को 1999-2000 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान का भाग भी शामिल कर लिया गया है।

दिसंबर, 2006 से प्रभावी वर्तमान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप चुनिंदा परियोजनाओं को गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों की वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और विशेष श्रेणी वाले राज्यों वृहद्, मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 7 जुलाई, 2009 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9908 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 36534 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अब तक 109 वृहद्/मध्यम और 6584 सतही लघु सिंचाई योजनाएँ पूरी कर ली गई हैं। मार्च, 2009 तक वृहद् मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 5.44 मिलियन हेक्टेयर और सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 0.45 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 2008-09 की अवधि के लिए 4300 करोड़ की राशि आवंटित की गई। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत इसे 2300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत लाभ पाने वाले एवं प्रधानमंत्री तहत पैकेज के तहत लाभ पाने-वाले कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल के जिले तथा कम सिंचाई सुविधा वाले राज्यों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

यूनिसेफ-इंडिया द्वारा वर्ष 2012 में भारत के सामाजिक कल्याणकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट (Evaluation Report of India's Social Welfare Flagship Programmes in 2012 by UNICEF-India)

यूनिसेफ इंडिया ने वर्ष 2012 में भारत के समाज कल्याण फ्लैगशिप कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया और कार्यक्रमों में व्यक्तियों व समुदायों की बहिष्करण संबंधी स्थितियों की पहचान की। इसने फ्लैगशिप कार्यक्रमों में 'समावेशिता' के संवर्धन (Inclusiveness Promotion) की आवश्यकता महसूस की।

सबसे पहले इसने भारत के 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' (Total Sanitation Campaign) का मूल्यांकन किया जिसे वर्ष 1999 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य वर्ष 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वच्छता सुविधा (शौचालय) प्रदान करना था। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों व आँगनवाड़ी केंद्रों में वृद्धि करना था। इस योजना में लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई थी।

लेकिन रिपोर्ट (2012) में कहा गया है कि इस योजना में सामाजिक बहिष्करण को दूर करने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति समुदायों के लोगों के संदर्भ में यह योजना पूर्ण रूप से संवेदनशील नहीं रही है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में कहा गया है कि इस योजना में विभिन्न संवेदनशील वर्गों (Vulnerable Groups) की पहचान की गयी है और उसके अनुरूप उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी के चलते संपर्कहीनता, लोक परिवहन का अभाव आदि के चलते कुछ व्यवधान विद्यमान हैं।

मिशन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नवाचारी तरीकों (Innovative Methods) को अपनाना होगा जैसे- निगरानी प्रणाली, व्यवहारगत परिवर्तन संचार (Behavioural Change Communication), सेवा आपूर्ति (Service Delivery), लोक-निजी भागीदारी (PPPs), मांग-पक्ष वित्तियन (Demand Side Financing) जैसे बीमा व बाउचर कार्यक्रम, कर्मचारियों का प्रशिक्षण व उन पर निगरानी, औषधि की आदिम जनजातीय प्रणालियों पर अनुसंधान कार्य व नियोजन क्षमताओं का विकास आदि।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित बजट के उपयोग में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल एवं तमिलनाडु का कार्य निष्पादन बेहतर रहा है। यूनिसेफ इंडिया की तरफ से निर्मित इस मूल्यांकन रिपोर्ट में एकीकृत बात विकास सेवा योजना (ICDS) में सामाजिक बहिष्कार के स्तर व दर्शाओं की पहचान खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के बच्चों के संदर्भ में की गयी है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि आईसीडीएस स्कीम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक आँगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) में इस संदर्भ में जनसंख्या मानक को कम (700 की जनसंख्या पर एक आँगनवाड़ी केंद्र) किया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि आईसीडीएस के सार्वभौमिकरण के प्रयासों के प्रति सरकारी तंत्र में विशेष रुचि नहीं देखी गयी है। राज्यों में आँगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के बावजूद अल्पपोषण व कुपोषण की स्थितियाँ गंभीर रूप से विद्यमान हैं। इस योजना के अंतर्गत सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात रिपोर्ट में कही गयी है। फोकस-2006 रिपोर्ट में भी समाज वैज्ञानिक जीन ड्रीज द्वारा सामाजिक असमानताओं को दूर कर आईसीडीएस के सार्वभौमिकरण की सिफारिश की गयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास (Efforts for the Development of Aayush Sector Under NRHM)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2009-13 के दौरान आयुष विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 553 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप देश में 803 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 113 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 24 जिला अस्पतालों में नयी आयुष सुविधाओं की स्थापना हुई तथा 379 विशिष्ट आयुष अस्पतालों और 415 औषधालयों का उद्घाटन किया गया।

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध के आधार पर कुल मिलाकर 11,478 आयुष चिकित्सकों और 4,894 आयुष अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।

11वीं योजना में आयुष विभाग में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों- शिक्षा, अनुसंधान, औषधि विकास और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं से होम्योपैथिक को भी बहुत लाभ हुआ है। गाँव में आशा नामक 8 लाख 60 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्त की गयी है ताकि समुदायों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संबंध सुगम बनाए जा सकें।

चिकित्सालयों में प्रसव के मामले 2005-06 में 7 लाख थे और पिछले दो वर्षों में यह आँकड़ा करीब 1 करोड़ 10 लाख तक पहुँच गया है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 11 राज्यों में 415 स्वास्थ्य केंद्रों में 25 हजार से अधिक अतिरिक्त बिस्तर मंजूर किये गये हैं। प्रसव के दौरान उचित देखभाल के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला तक पहुँचने और हर बच्चे के समुचित टीकाकरण

के लिए नाम, पते और टेलीफोन आधारित जच्चा-बच्चा निगरानी प्रणाली शुरू की गयी है। 7 जून, 2013 तक इसके तहत 4.3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों का आँकड़ा एकत्रित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पहल शुरू की गयी है जो महाराष्ट्र में ठाणे जिले के जनजातीय विकास खंड में 6 फरवरी, 2013 से प्रारंभ की गई है। इस कार्यक्रम के तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की विकृति, रोग एवं विकलांगता के लिए जाँच भी की जाती है।

ग्रामीण अवसंरचना के सुधार में प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन (Evaluation of the Role of Major Flagship Programmes in the Reform of Rural Infrastructure)

11वीं योजना में ग्रामीण अवसंरचना के सुधार, महत्वपूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, मानव पूंजी व सामाजिक पूंजी के विकास के लक्ष्यों को गति देने में भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रभावी भूमिका रही है। ग्रामीण अवसंरचना के विकास जैसे मुख्य विषय ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' व भारत निर्माण कार्यक्रम की सत्ता को स्थापित करने में बुनियादी समर्थन प्रदान किया। पिछले 5 वर्षों से इसने लगभग 9,000 मिलियन लोगों को कुल 110,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के व्यय पर काम उपलब्ध करवाया। मनरेगा ने इस मामले में बहुत योगदान दिया, जिसका प्रमाण यह तथ्य है कि लाभभोगियों के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का योगदान 51-56 प्रतिशत रहा और कर्मचारियों में 41-50 प्रतिशत महिलाएँ रहीं। इससे वित्तीय समावेश को भी बढ़ावा मिला, जिसमें मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या के निर्धन वर्गों के लिए 100 मिलियन से भी अधिक बैंक पोस्ट ऑफिस खोले-खाले गए।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) कार्यक्रम ने निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 22.5 मिलियन परिवारों को घर उपलब्ध कराया, जबकि 3.5 मिलियन स्वयं सहायता समूहों से भी अधिक को एसजीएसवाई के तहत गठित किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र में, जिसमें 65 से अधिक बीपीएल जनसंख्या के लिए पेंशन उपलब्ध कराई जाती थी, उसे 2009-10 में 21.6 मिलियन लाभभोगियों तक बढ़ाया गया। पात्रता की आयु 60 वर्ष तक की गई। 12वीं योजना में लाभधारियों की संख्या महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ जायेगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना व संपूर्ण स्वच्छता अभियान का मूल्यांकन (12th Five Year Plan and Evaluation of Total Sanitation Programme)

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है कि निरंतरता को प्रश्न संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) में प्रभावशाली सफलता को कुछ हद तक कमजोर कर देता है। शौचालय के निर्माण कार्य को जल्दी करवाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निर्मल ग्राम प्रस्कार (NGP) प्रोत्साहन प्रतियोगिता रखी गई है, परंतु इसका कोई सुनिश्चित अनवरत उपयोग दिखाई नहीं दिया।

यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि संपूर्ण स्वच्छता अभियान तीव्र गति से राज्य के नेतृत्व में आता गया है और अक्सर इसे समुदाय स्तर पर आवश्यक जागरूकता निर्मित करने के सचेत प्रयास के बिना ही क्रियान्वित किया गया। कार्यक्रम को अक्सर निधि उपयोग पूरा करने की आकांक्षा से संचालित किया गया न कि जागरूकता निर्माण तथा मांग उत्पादन प्रक्रिया के साथ संचटित रूप से जोड़ा गया।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान की एक सीमितता (Limitation) किसी देश में प्रस्तुत किये गये तकनीकी विकल्पों की सीमित श्रृंखला है, जिसमें अत्यंत विविधतापूर्ण भौगोलिक, हाइड्रोलॉजिकल, मौसम और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ (उच्च जल स्तर, प्रवण बाढ़, पथरीली भूमि, रेगिस्तान/जल दुर्लभ क्षेत्र और बहुत ही कम तापमान वाली स्थितियाँ) शामिल होती हैं। यह भी स्पष्ट है कि शौचालयों का उपयोग जल की आपूर्ति के प्रावधान। बिना अनवरत रूप से नहीं किया जा सकता और बहुत से निर्मल ग्राम कार्यक्रम गाँव इसमें असफल हुए क्योंकि कभी भी प्रस्तावित जल आपूर्ति क्रियान्वित नहीं की गई। इसके साथ ही, शुद्ध पेय जल को बिना गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता के सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पेयजल आपूर्ति योजनाओं को भी खराब व्यवस्था का सामना करना पड़ा है। जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं पर है, परंतु बहुत से राज्यों में इस जिम्मेदारी को असंतोषजनक ढंग से वर्णित किया गया है और यह पर्याप्त निधि तथा पीआरआई के लिए प्रशिक्षित मानव बल के हस्तांतरण द्वारा समर्थित नहीं है। पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता समिति (VWSC) उन पूर्ण योजनाओं को अपने कार्यक्षेत्र में नहीं लेना चाहतीं, जो योजना और कार्यान्वयन परिस्थितियों में शामिल नहीं हैं। अपर्याप्त जल संसाधन जाँच, अनुपयुक्त रूपरेखा, खराब निर्माण, घटिया माल और कार्यकुशलता तथा सुरक्षित रखरखाव की कमी भी जल आपूर्ति योजनाओं को तत्काल असफलता की ओर अग्रसर करते हैं।

सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा व संबंधित आयामों की वर्तमान स्थिति
(12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के संदर्भ में) [Current Status of Universal basic Education and Related Dimensions (As per Approach Paper of 12th Plan)]

सर्व शिक्षा अभियान 2001-02 में अपने आरंभ से ही 6-14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता आया है और इसने बुनियादी शिक्षा में काफी प्रगति की है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जरूरी है कि सूचना के अधिकार अधिदेश के तहत विजन, कार्यनीति तथा सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों का भी ध्यान रखा जाय। अलग-थलग बस्तियों, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े प्रखण्डों और जिलों पर विशेष ध्यान देना होगा। स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को इसके दायरे में लेने की आवश्यकता है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अनाथ बच्चे भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक बालिकाओं के पंजीकरण के संबंध में सामाजिक और लैंगिक अंतरालों को पाटने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार पहुँच और रिटेंशन (बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने) के बावजूद अधिकांश बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम (पढ़कर सीखना) चिंता का गंभीर विषय बना हुआ है। इस विषय में कराये गये अध्ययनों का सुझाव है कि ग्रेड-5 में लगभग आधे बच्चे ग्रेड-2 की पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं। 8 वर्षों की बुनियादी अवधि के दौरान न्यूनतम ज्ञान संबंधी दक्षताओं के सेट को सभी बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

12वीं योजना में विस्तार के उद्देश्यों को हासिल करने तथा गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिए और अधिक सार्थकता के साथ निजी क्षेत्र को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाना होगा। निजी स्कूलों को मान्यता देते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम का अधिदेश (Mandate) है कि सभी स्कूल चाहे उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है या नहीं, उन्हें अनिवार्य रूप से वंचित रहे परिवारों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।

मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील) जो कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सभी सरकारी स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त स्कूलों को समाहित करती है, ने उल्लेखनीय प्रगति की है परंतु इसके कार्यान्वयन में सामने आई कुछ कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन योजना के दायरे का विस्तार करते समय राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे कि कर छूट पर विचार करने से संभवतः इस योजना में निजी सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए पड़ोसी निजी स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से वंचित न रहें। मौजूदा माध्यमिक स्कूल स्तर (कक्षा 9-10) में सकल नामांकन अनुपात (GIR) लगभग 60 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है और माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने की आवश्यकता अब महसूस होने लगी है और इस पर जोर भी दिया जाने लगा है।

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग (Development Process and Development Industry)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक संख्या 11 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

प्रस्तावना (Introduction)

विकास परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया व अवस्था है। जब कोई भी परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप तथा अच्छाई से प्रेरित होता है तो उसे प्रगति (Progress) कहते हैं परंतु विकास परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभेदीकरण (Differentiation) की वृद्धि होती है तथा यह सदैव ऊपर की ओर होता है। विकास का संबंध सामाजिक मूल्यों से नहीं है। अतः यह अच्छाई और बुराई दोनों ओर हो सकता है। विकास एक अवस्था (Stage) से दूसरी अवस्था (Stage) में परिवर्तन की गति को प्रकट करता है।

विकास की धारणा बहुआयामी है। एक राष्ट्र में विकास के स्तर अथवा अवस्था की बात करें, तो तीन चरण (Stage) सामने आते हैं-

प्रथम, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, मंत्रिमंडल, आर्थिक मामलों की समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक व सेवा जैसी इकाइयाँ विकास की दशा व दिशा तय करती हैं। आर्थिक, सामाजिक विकास और संतत व समावेशी विकास के लिए नीति निर्माण की जिम्मेदारी इनकी होती है।

द्वितीय, राज्य स्तर पर राज्य सरकार व उसका मंत्रिमंडल, राज्यों की विधानसभाएँ, योजना आयोग आदि विकास राज्य योजनाओं को कार्यरूप प्रदान करते हैं।

तृतीय, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रमों की गति देने में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, और सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न गैर-लाभकारी एवं स्वयं सेवा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विकास के स्वरूप (Forms of Development)

विकास के प्रमुख स्वरूपों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है-

1. आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth): आर्थिक संवृद्धि से आशय किसी समयवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो इसे आर्थिक संवृद्धि माना जाता है। विकास का यह स्वरूप परिमाणात्मक (Quantitative) होता है।
2. आर्थिक विकास (Economic Development): आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से कहीं अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। इसीलिए इसमें आर्थिक संवृद्धि के पक्षों के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास के दायरे में राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि शामिल हैं।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को अधिकारिता (Entitlement) तथा क्षमताओं (Capabilities) के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका अधिकारिता का दृष्टिकोण जीवन पोषण (Life Sustenance) तथा आत्म सम्मान (Self Esteem) से संबंधित है, जबकि क्षमता स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित है। अधिकारिता कुछ कार्यों को करने की क्षमता को जन्म देती है, वहीं स्वतंत्रता से आशय आवश्यकता (Want), अनभिज्ञता (Ignorance) तथा गंदगी (Squalor) के दोषों से मुक्ति है।

मानव विकास (Human Development)

मानव विकास की अवधारणा 1990 के दशक में तब चर्चा में आयी, जब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक व भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के तत्वावधान में मानव विकास सूचकांक (Human Development Index - HDI) का निर्माण किया। मानव विकास सूचकांक की धारणा 'क्षमताओं के विस्तार' (Expansion of Capabilities) की अवधारणा पर आधारित है। इसीलिए मानव विकास के मुख्यतया तीन संकेतकों (Indicators) यथा- स्वास्थ्य (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (औसत विद्यालयी शिक्षा) तथा आय (क्रय शक्ति समता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल

राष्ट्रीय आय) के अधिक से अधिक उन्नत होने की अपेक्षा की जाती है। महबूब उल हक ने मानव विकास के लिए आर्थिक विकास को अत्यंत आवश्यक माना है। उनके मतानुसार आर्थिक विकास निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई है, चाहे वह निर्धनता किसी भी रूप में क्यों न हो। वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक में मानव विकास को लोगों के अधिमानों (चयनों) के विस्तार (Enlarging People's Choices) के रूप में परिभाषित किया गया था।

सामाजिक विकास (Social Development)

मार्च 1995 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। सामाजिक विकास से आशय समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों एवं समुदायों द्वारा समाज के हितों की सुरक्षा की दिशा में गतिशील होना है। लोगों को समाज के विकास के कार्यों में भागेदारी हेतु प्रेरित करना और सामाजिक पूंजी (Social Capital) निर्माण की प्रक्रिया को गति देना सामाजिक विकास के दायरे में आता है। इन्हीं लक्ष्यों का संदेश सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा, 1995 में दिया गया था।

सतत् विकास (Sustainable Development)

वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (जिसे ब्रंटलैण्ड आयोग के नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना की गई थी, इसकी अध्यक्षता नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रे हल्लेम ब्रंटलैण्ड द्वारा की गई। 1987 में ब्रंटलैण्ड आयोग द्वारा प्रकाशित अपनी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) में सतत् विकास को परिभाषित किया गया। रिपोर्ट में सतत् विकास को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि, "सतत् विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करता है। सतत् विकास की परिभाषा विकास प्रक्रिया को संसाधनों के कुशलतम उपयोग, संसाधन प्रबंधन और संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने (Resource Mobilization) के रूप में देखती है। यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में संतुलन पर बल देती है। ब्रंटलैण्ड आयोग की रिपोर्ट में सतत् विकास के अंतर्गत दो मुख्य अवधारणाओं पर जोर दिया गया है-

प्रथम, आवश्यकताओं (Needs) की अवधारणा विशेषकर विश्व के गरीब वर्ग की अनिवार्य आवश्यकताएँ, जिनके लिए अभिभावी प्राथमिकता (Overriding priority) दी जानी चाहिए और द्वितीय, वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण क्षमता पर प्रौद्योगिकी की अवस्था तथा सामाजिक संगठन द्वारा लगाये गये नियंत्रणों पर अवधारणा।

समावेशी विकास (Inclusive Development)

समावेशी विकास का अर्थ है, किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था के विकास के लिए आवश्यक विविध दशाओं, आवश्यकताओं को एकीकृत रूप में पूरा करना ताकि व्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण व गरिमामय जीवन जी सके।

विकास का यह स्वरूप नागरिकों की प्रत्येक उस बुनियादी आवश्यकता की पहचान करता है और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिसके बिना व्यक्ति सामाजिक बहिष्करण (हाशिये पर चला जाना), अभाव एवं वंचना (deprivation) का शिकार बन जाता है। समावेशी विकास विभिन्न वर्गों व समुदायों के लोगों के बहिष्करण को राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में एक अवरोध मानता है और राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने या दूसरे शब्दों में विकास के लाभों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय होता है।

भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में 'समावेशिता' की अवधारणा पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। इसमें कहा गया है कि समावेशिता (Inclusiveness) की दृष्टि से प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि समावेशिता एक बहुआयामी अवधारणा है। स्कूलों तक बच्चों की सर्व सुलभ पहुँच, उच्चतर शिक्षा की अधिक सुलभता और शिक्षा का सुधार हुआ।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि समावेशिता (Inclusiveness) की मात्रा की जाँच करने के लिए इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक कृषि मजदूरी की स्थिति क्या है? इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की बड़ी संख्या प्रमुख रूप से भूमिहीन श्रमिकों की है और उनमें से अधिकांश अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। यह देखना सुखद है कि 2007 से 2010 (कैलेण्डर वर्ष) के दौरान औसत वास्तविक मजदूरी दर में अखिल भारतीय स्तर पर 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गैर-सरकारी संगठन (Non-Government Organisation - NGO)

विश्व बैंक ने गैर-सरकारी संगठनों को परिभाषित करते हुए कहा है कि, "ऐसे समूह और संस्थाएँ जो व्यापक तौर पर सरकारी निर्भरता से मुक्त होती हैं तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय मानवीय अथवा सहकारी उद्देश्यों को लेकर चलना उनका गुण होता

हैं... ऐसे निजी संगठन जो निर्धनों के हितों को आगे बढ़ाने, उनकी परेशानियों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने, अथवा सामुदायिक विकास जैसे काम करने का बीड़ा उठाते हैं।"

वस्तुतः गैर-सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो प्रकृति में बंहेद विविधतापूर्ण होते हैं। इसलिए ऐसी कोई सुसंगठित परिभाषा देना लगभग असंभव है जो इस विविधता को प्रस्तुत कर सके। पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठनों की परिभाषा में कहा जा सकता है कि ये नागरिक समाज पर आधारित ऐसे गैर-लाभकारी संगठन हैं जो एक 'उत्पादक', 'सुरक्षात्मक' अथवा वैकल्पिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की उत्पत्ति (Origin of NGOs)

ऐतिहासिक दृष्टि से गैर-सरकारी संगठनों की उत्पत्ति सामान्यतया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में गठित होने वाली अनेक समितियों और आंदोलनों में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के जवाब में मध्यम वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की पहल के परिणाम थे। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के कुछ उदाहरण हैं- अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति, केयर (CARE), वर्ल्ड विजन (World Vision) और ऑक्सफैम। इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र में उनके दर्जे के कारण "गैर सरकारी संगठन" कहा जाता है। इन समितियों व आंदोलनों की स्थापना विभिन्न मूल्यों की रक्षा और प्रोत्साहन हेतु हुई थी। तीसरी दुनिया (Third World) में गैर-सरकारी संगठनों की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के उपनिवेश विरोधी, सामंतशाही-विरोधी संघर्षों से, और 20वीं शताब्दी के मध्य में नवोदित राष्ट्रों में उत्तर औपनिवेशिक काल में होने वाली राष्ट्र निर्माण की कवायद से बतायी जा सकती है।

1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन और 1992 में एजेंडा-21 के निर्माण में भी गैर-सरकारी संगठनों की निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसमें कानूनी दायित्व क्षेत्रों, आर्थिक विनियमन तथा पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक उपकरणों के रूप में देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन मंच ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा शुरू की गयी एक वैकल्पिक संधि प्रक्रिया को समन्वयन किया।

भारत में गैर-सरकारी संगठन (NGOs in India)

भारत में गैर-सरकारी संगठनों के गठन संबंधी निश्चित कानून व प्रक्रियाएँ हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। भारत में एक गैर-सरकारी संगठन के गठन हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत ट्रस्ट, सोसाइटी या पब्लिक सोमिति गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकरण करना आवश्यक होता है। ऐसा आकलन किया जाता है कि भारत में लगभग 4 मिलियन गैर-सरकारी संगठन कार्यशील हैं। भारत में गैर-सरकारी संगठनों का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार के कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 1996 में राज्य में जल-प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राजीव गांधी वाटरशेड मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया। कुल 1400 परियोजनाओं में से 101 परियोजनाएँ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की गईं। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि कुल परियोजना व्यय की 10 प्रतिशत राशि प्रशासनिक खर्चों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध व्यय हो।

तरुण भारत संघ जैसे स्वयं सेवी संगठन ने राजस्थान में 'जोहड़' जैसी जल संचय परंपरा को पुनर्जीवित किया और मरुभूमि को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 'जोहड़' को इस तरह समझा जा सकता है कि वह वर्षा जल को एकत्र करने वाला ऐसा बाँध है, जहाँ वर्षा के पश्चात् इसी भूमि पर खेती की जाती है।

गैर-सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन में अंतर

गैर-सरकारी संगठन (NGO)	स्वयंसेवी संगठन (Voluntary Organisation)
- मानदेय/पारिश्रमिक सहित कार्य करता है। - इच्छा के अनुरूप कार्यों का सुनिश्चय किंतु अविध, आरंभ-समापन संबंधी नियंत्रण वित्त प्रदाता संस्था का होता है। - निश्चित संविधान, पंजीयन, पदाधिकारी व कार्य पद्धति। - नियमित कार्यालय एवं कार्यावधि होती है। - चाहे तो स्वयंसेवी संगठन की तरह पारिश्रमिकविहीन कार्य कर सकता है। - दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखने की अनिवार्यता।	- मानदेय/पारिश्रमिक की आशा नहीं करता। - इच्छानुरूप कार्यों का चुनाव किंतु अविध, आरंभ, समापन संबंधी स्वनियंत्रण। - निश्चित संविधान, पंजीयन, पदाधिकारी व कार्य पद्धति की अनिवार्यता नहीं। - नियमित कार्यालय एवं कार्यावधि आवश्यक नहीं। - शर्तें पूरी करने पर गैर-सरकारी संगठन की तरह कार्य कर सकता है। - दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखने की अनिवार्यता नहीं।

भारत में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण व उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाला प्रभावी गैर-सरकारी संगठन गिव इंडिया (Give India) है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में वर्ष 2000 में अहमदाबाद, गुजरात में पंजीकृत किया गया था। इस संगठन के प्लेटफॉर्म से लोगों में समाज व इसके जरूरतमंद लोगों को कुछ देने की प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस संगठन का विजन है कि भारतीय लोग प्रत्येक वर्ष अपनी आय का 2 प्रतिशत निर्धनों के हित में दान करें। गिव इंडिया महत्वपूर्ण रूप में निःशक्त जनों (disabled people) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनके लिए इस संगठन का दृष्टिकोण शारीरिक व मानसिक पुनर्वास करने का है। इस संगठन का आकलन है कि यदि भारतीय लोग समाज व इसके जरूरतमंद लोगों को उतना ही दान करने लगे जितना अमेरिका करता है तो यह 60,000 करोड़ रुपये का सामाजिक निवेश होगा, जो अभी केवल 1000 से 5,000 करोड़ रुपये के बीच है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन 'सर्वप्रथम' (pratham) है। यह समाज के दुर्बलतम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (quality education) देने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 'प्रथम' की स्थापना वर्ष 1994 में मुंबई में हुई थी जहाँ इसने बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पहल की थी। मुंबई की झुग्गियों (Slums) में रहने वाले निर्धन बच्चों के जीवन के रूपांतरण का यह महत्वपूर्ण प्रयास था। उल्लेखनीय है कि यूनिसेफ ने अपनी प्रस्तावना में कहा है कि विकास रणनीतियों का केंद्र बिंदु बाल विकास व बाल अधिकारिता होनी चाहिए। 'प्रथम' के जरिये स्कूलों में निर्धन परिवार के बच्चों के नामांकन में वृद्धि तथा स्कूलों व समुदायों में सीख की प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

'प्रथम' ने अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत के 8 राज्यों की सरकारों के साथ रीड इंडिया (Read India) नामक अपने पलैगशिप कार्यक्रम के तहत ज्ञापन पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि राज्य सरकारों को भी गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रेरित किया जा सके। इस पलैगशिप-कार्यक्रम के संबंध में 'प्रथम' ने नगरपालिका निगमों के साथ गठजोड़ किया है और दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रथम के एनएल स्टेट्सऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट की प्रति केन्द्र व राज्य सरकारों के पास भेजी जाती है ताकि वे शैक्षिक नीति नियोजन को अधिक समावेशी बना सकें।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करके मानव पूंजी व मानव संसाधन विकास के अवसर निर्मित करना भी भारत के कुछ गैर-सरकारी संगठनों का उद्देश्य रहा है। इस दिशा में कुछ रोम ट्यूबरकुलोसिस (T.B.) व एच आई वी एड्स जैसे रोगों से ग्रसित समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने में 'लेप्रोसोसाइटी' नामक एन.जी.ओ. सक्रिय है।

पर्यावरण-संरक्षण व जागरूकता के प्रसार की दिशा में कार्य करने वाले प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट, जैविक कृषि व बीज संरक्षण की दिशा में सक्रिय नवधान्य, गोवा फाउन्डेशन कजर्व, फाउन्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिस्तेमेटिक्स, केयर इंडिया, तरुण भारत संघ जैसे संगठन महत्वपूर्ण हैं जो भारत में जैव विविधता, मृदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में जागरूकता का प्रसार करते हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन सक्रिय हैं। इस दिशा में सुनीता नारायण द्वारा स्थापित 'फ्रज्वला' इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न, देह व्यापार, अनैतिक खरीद-फरोखा पर नियंत्रण हेतु कार्य करता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के संरक्षण की दिशा में 'नक्चोति' व 'मैत्री' संगठनों का महत्वपूर्ण प्रयास जारी है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दिशा में स्माइल फाउन्डेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में वृद्धों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण 'हेल्प एज इंडिया' नामक गैर-सरकारी संगठन सक्रिय है जो उनके शारीरिक व मानसिक पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करता है और उनकी अवस्थागत जरूरतों की पहचान करता है तथा कुछ हद तक उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करता है।

स्वयं सहायता समूह व विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका (Self Help Groups and their Role in Development Process)

स्वयं सहायता समूह 15-20 सदस्यों का विशेषकर आर्थिक दृष्टि से एकसमान ग्रामीण निर्धनों का छोटा समूह होता है। इस समूह की जरूरतें समूह के भीतर एक जैसी होती हैं और सब मिलकर सामूहिक रूप से एक ही कार्य करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में इस समूह के सदस्य अपने विकास की साझी रणनीतियाँ तय करते हैं। स्वयं सहायता समूह स्वप्रेरणा से बचत के लिए बनाया गया समूह है जिसके सभी सदस्य एक साधारण निधि (Common Fund) में योगदान करने पर सहमत होते हैं। इस निधि से स्वयं सहायता समूह के निर्णय के अनुसार जरूरतमंद सदस्यों को उत्पादक तथा उपभोग के प्रयोजनों के लिए ऋण दिये जाने का प्रावधान होता है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य केवल वित्तीय मध्यस्थता (Financial intermediation) ही नहीं, बल्कि यह स्वप्रबंधन व विकास के जरिये कम लागत वाली वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर संचालित होता है। दूसरे

शब्दों में, इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियाँ बनाना है। इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ाना देना, बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना तथा समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था बढ़ाना भी इनके उद्देश्यों में शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूहों का गठन सामान्यतया गैर-सरकारी संगठनों अथवा सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है। ये अनौपचारिक समूह (Informal Group) होते हैं जिनके अधिकतम 20 सदस्य भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं। परिवार का कोई एक सदस्य, पुरुष या स्त्री स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। स्वयं सेवी संगठन इन समूहों को आपस में कर्ज देने, वसूली करने, बचत खाता खोलने आदि में प्रशिक्षण देते हैं और निकट के बैंक से जोड़कर समूह का खाता खुलवाते हैं। सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद बैंक इनकी कैश क्रेडिट लिमिट या ऋण साख तय कर देते हैं फिर स्वयं सहायता समूह उस धन से सदस्यों में कर्ज बाँटता है। बैंक को कर्शत अदा करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की होती है।

स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति (Origin of Self Help Groups)

स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति भारत में 1970 के दशक में हुई जब वर्ष 1972 में सेल्फ इम्प्लॉयड वीमन्स एसोसिएशन (सेवा) का गठन हुआ जिसने निर्धनता उन्मूलन, महिला रोजगार व महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी लेकिन अधिक संगठित व व्यवस्थित रूप में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनस के नेतृत्व में हुई। इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसने लोगों में बचत की आदत डालने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।

'स्वयं सहायता समूह की भारत में वर्तमान संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक स्थिति'

(Current Structural and Functional Scenario of Self-Help Groups in India)

वर्तमान समय में भारत में लगभग 30 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। मार्च 2002 के अंत तक स्वयं सहायता समूह व बैंक संबंध कार्यक्रम के अंतर्गत 461478 स्वयं सहायता समूहों में 78 मिलियन परिवार शामिल थे, जिनमें 60 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ थीं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने इस समय तक 1026.30 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये। समय पर पुनर्सुगतान 90 प्रतिशत से अधिक रहा। इस कार्यक्रम में 2155 गैर-सरकारी संस्थाएँ और अन्य संगठन शामिल थे। भारत में स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न समूहों जैसे किसान-उत्पादक, मछुआरे, विकलांग, सामाजिक रूप से पिछड़े समूह, वृद्ध, किशोर-किशोरियाँ और महिलाओं की जरूरतों के संदर्भ में विशेष कार्य किये हैं।

स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम (Self-Help Group-Bank Linkage Programme)

भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम एक पायलट कार्यक्रम के रूप में एस.के. कॉलिया समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1992 में नाबाई द्वारा शुरू किया गया। इस मॉडल के आधार पर नाबाई ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब महिलाओं को लघु-वित्त (micro finance) की सुविधा उपलब्ध करत हुए उन्हें संगठित बैंकिंग सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम 10-12 महिलाएँ अपनी छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित कर कोष बना लेती हैं। फिर इसका उपयोग सदस्यों के द्वारा अपनी उत्पादक या उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। निश्चित समयांतराल पर इन समूहों को बैंकों से संबंध करके ऋण प्रदान किया जाता है। यही नहीं, ऋण का सार्थक उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ते हुए सरकार द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 'राष्ट्रीय प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों' की स्थापना की गई है। एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम के उद्देश्यों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- ग्रामीण निर्धनों व बैंकों के मध्य पारस्परिक विश्वास व आत्मविश्वास को विकसित करना।
- अनौपचारिक साख प्रणाली (Informal Credit System) के स्थान पर संगठित, संस्थागत व औपचारिक साख प्रणाली का विकास जिससे न्यायपूर्ण रूप से वित्तीय सेवाएँ मिल सकें।
- निर्धनता का उन्मूलन एवं महिला सशक्तीकरण तथा साख प्रवाह (credit flow) का विस्तार करना। ग्रामीण निर्धनों को कम लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

स्वयं सहायता समूह-संयोजन बैंक कार्यक्रम के कई मॉडल हैं जिनमें पहले मॉडल के तहत बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया जाता है और उनका वित्तीयन (Financing) भी। इस मॉडल में बैंक खुद ही स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोलता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। मार्च 2006 तक सरकारी आँकड़ों के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत का वित्तीयन इसी मॉडल के तहत किया गया। मार्च 2005 तक स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में 61.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्वयं सहायता समूह-संयोजन बैंक कार्यक्रम के दूसरे मॉडल के तहत इन समूहों का गठन तो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा किया जाता है पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष रूप से बैंकों द्वारा दी जाती है। इस मॉडल के तहत सरकारी निकायों

(government agencies) द्वारा भी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। इन निकायों द्वारा ही इन समूहों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरान्त बैंक इन समूहों की साख अवशोषण क्षमता (Maturity to absorb credit) और उनके कार्यों को देखते हुए इन्हें ऋण प्रदान करती है।

स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति (Current Status of SHG – Bank Linkage Programmes)

1992 में प्रारंभ किये गये इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और सरकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2009-10 में 1.59 मिलियन नये स्वयं सहायता समूहों का साख-संपर्क (Credit Linkage) बैंकों के साथ हुआ और इस कालावधि में स्वयं सहायता समूहों को 14,453 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। मार्च 2010 के अंत तक, लगभग 6.95 मिलियन स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों के साथ अपना बचत खाता (Saving Account) बनाये रखा। वर्ष 2009-10 में, भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति पर नाबार्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि देश में 69,53,000 स्वयं सहायता समूह बैंकों के साथ सेविंग लिंक्ड (Saving Linked) हैं और 31 मार्च, 2010 तक 48,51,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2010 तक स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 6198.71 करोड़ थी। दिसंबर 2011 तक 4.51 लाख स्वयं सहायता समूहों का वित्तीयन इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम को विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है।

स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रिया में भूमिका (Role of SHGs in the Development Process of Rural India)

स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रिया में भूमिका का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है-

1. वित्तीय बहिष्करण के समाधान की दृष्टि से: भारत के 6 लाख गाँवों में केवल 30 हजार गाँवों में ही बैंक शाखाएँ हैं। देश के सिर्फ 40 फिसदी लोगों के ही खाते हैं और करीब तीन-चौथाई किसान परिवारों को संगठित वित्तीय सेवाओं की जरूरत है। ऐसी स्थिति में देश भर में फैले 30 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
2. सामाजिक-आर्थिक विकास व लैंगिक न्याय की दृष्टि से: केंद्र सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में एक अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह-सह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम की शुरुआत की है। उग्रवाद प्रभावित जिलों में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किये गये इस विशेष डब्ल्यूएसएचजी (WSHG) कार्यक्रम के तहत अब तक 6 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जबकि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत पहले ही 29 हजार से अधिक समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो रहा है। महिला सहायता समूह-सह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम के तहत तीन लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सहायता देकर इन समूहों को 7 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ समय पर ऋण चुकाने वाले महिला समूहों को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी दी जाती है। इस प्रकार इन समूहों को वास्तव में 4 प्रतिशत की दर पर ही ऋण उपलब्ध होता है। एक समूह में कम से कम 10 महिलाएँ सदस्य होती हैं। वैसे एक समूह में अधिक से अधिक 15 महिलाएँ ही रह सकती हैं। विशेष योजना के तहत जिले की प्रत्येक पंचायत में 25-25 समूहों का गठन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू किया है। इसके तहत देश के 6 लाख गाँवों, 2.5 लाख पंचायतों, 6000 प्रखण्डों एवं 600 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 7 करोड़ परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है।
3. ग्रामीण वित्तीय स्थिति सुधारने में: ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों की वित्तीय स्थिति सुधारने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा पंजीकृत बैंक 'चेतना महिला बचत सरकारी संस्था' की महिलाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने में प्रभावी भूमिका है। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील में बहताना गाँव की महिलाएँ लुपिन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 'तुलसी माला' निर्माण से प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपये कमा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों का जाल आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल रहा है। बिहार में हजारीबाग के गाँव 'हुहुरु' में महिलाएँ जनसेवा परिषद् नामक स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की राह पर अग्रसर हो रही हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की विकास प्रक्रिया में भूमिका

(Role of Voluntary Organizations in Development Process)

स्वैच्छिक संगठन सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पर्यावरण, मानवाधिकार, बाल अधिकार, निःशक्तता आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को उनका हक मिले। भारत सरकार ने विकास प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को स्वीकार कर लिया है। कई बार स्वैच्छिक संगठन दुर्गम क्षेत्रों और सरकारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही वर्ष 2002 में योजना आयोग को सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया गया था। स्वयंसेवी क्षेत्र की विस्तृत संभावनाओं के उपयोग के लिए यह एक अत्यावश्यक कदम था।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों का विकास (Development of Voluntary Organisations in India)

भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में निर्धनों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वयंसेवी संगठन अनेक वर्षों से सक्रिय रूप से सरकार के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। भारत में स्वयंसेवी संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास में योगदान देने वाली एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। अनुमानतः भारत में 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं और वे सहभागी लोकतंत्र (participatory democracy) के क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

एक स्वैच्छिक संगठन व स्वयं सहायता समूह के रूप में कपार्ट के उद्देश्य

(Objective of CAPART as a Voluntary Organisation and CHG)

कपार्ट (काउन्सिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी) ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समाज के दलित तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। अतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूर, निःशक्त, बच्चे तथा महिलाओं को प्रमुखता देना कपार्ट का प्रमुख उद्देश्य है। कपार्ट की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं-

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को सहयोग देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उचित अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक निर्भरता प्रदान करना।
- विकास के लिए सामुदायिक कार्यविधि उपलब्ध कराना।
- विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का निर्माण करना तथा ग्राम स्तरीय जनसमूहों तथा संगठनों का निर्माण और सशक्तीकरण करना।
- स्वयं सेवा क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण विकास के लिए डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का सामुदायिक रूप से उपलब्ध कराना।

लोकोपकारी संस्थाओं की भूमिका (Role of Charities)

लोकोपकारी संगठनों का अर्थ (Meaning of Charitable Organizations)

लोकोपकारी संस्था वह संस्था अथवा संगठन है जो लोकोपकार के उद्देश्य से कार्य करती है। लोकोपकारी संगठन गैर-लाभकारी संगठन (non-profit organization) होते हैं लेकिन सभी गैर-लाभकारी संगठन लोकोपकारी संगठन नहीं होते। लोकोपकारी संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को सहायता प्रदान करना है। विभिन्न चैरिटी शो के जरिये विख्यात लोगों का समूह किसी खास वर्ग, समुदाय के विपत्ति, आपदा में फँसे लोगों के लिए सहायता राशि एकत्र करता है। उदाहरण के लिए हाल ही में बॉलीवुड के अभिनेताओं के समूह द्वारा उत्तराखंड में आयी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए चैरिटी शो का आयोजन किया गया था।

लोकोपकारी उद्देश्य की परिभाषा (Definition of Charitable Purpose)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1) में स्पष्ट किया गया है कि लोकोपकारी उद्देश्य में निम्नांकित बातें शामिल हैं:

- निर्धनों को रहत।
- शिक्षा के प्रसार व विकास की दिशा में किये गये कार्य।

- चिकित्सकीय राहत प्रदान करना।
- किसी सामान्य लोक उपयोगिता (Public Utility) वाली किसी भी वस्तु का उन्नयन करना।

वित्त अधिनियम, 2009 (Finance Act, 2009) में किसी सामान्य लोक उपयोगिता वाली वस्तु के उन्नयन (Advancement of any Other Object of General Public Utility) के अलावा पर्यावरण संरक्षण (वाटरशेड, वन एवं वन्यजीवन का संरक्षण) और कलात्मक व ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों व स्थलों के संरक्षण को लोकोपकारी उद्देश्यों की परिधि में शामिल किया गया है। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा 9(1) में भी लोकोपकारी उद्देश्यों को लगभग उन्हीं आधारों पर परिभाषित किया गया है जैसा आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा किया गया है।

लोकोपकारी संगठन की विशेषताएँ (Features of Charitable Organisation)

लोकोपकारी संगठनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं:

1. **औपचारिक:** एक लोकोपकारी संगठन एक औपचारिक संगठन होता है जिसके पंजीकरण की एक प्रक्रिया होती है। कुछ निश्चित नियमों, कानूनों के अंदर रहते हुए उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करना होता है।
2. **निजी प्रकृति:** लोकोपकारी संस्थाएँ निजी कार्य क्षेत्र व प्रकृति वाली होती हैं और ये सरकार व सरकारी संगठनों से भिन्न होती हैं।
3. **स्वाशासी (Self Governing):** लोकोपकारी संगठन का प्रबंधन 'बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' अथवा गवर्निंग काउन्सिल द्वारा किया जाता है। इन पर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होता।
4. **गैर-लाभकारी (Not for Profit):** लोकोपकारी संगठन मौद्रिक लाभों के लिए कार्य नहीं करते क्योंकि वे समाज सेवा के कार्यों में संलग्न होते हैं, जिसे लाभ की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।
5. **स्वैच्छिक (Voluntary):** लोकोपकारी संस्थाओं की प्रकृति स्वैच्छिक होती है। इसमें स्वैच्छिक आधार पर भाग लेकर कल्याणकारी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है।
6. **गैर-राजनीतिक व गैर-धार्मिक (Non-political and Non-religious):** लोकोपकारी संस्थाओं को किसी राजनीतिक दल से सम्बद्धता नहीं होती, साथ ही ये धार्मिक पूजा-आरोधना व धार्मिक शिक्षा की गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकतीं।

भारत में लोकोपकारी संगठनों की वैधानिक रूपरेखा

(Legal Framework of Charitable Organisation in India)

लोकोपकारिता (Charity) समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारें कानून का निर्माण कर सकती हैं। भारत में लोकोपकारी संगठनों को प्रशासित करने वाली 5 प्रमुख विधियाँ निम्नवत् हैं:

1. **द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 1860:** यदि एक लोकोपकारी संगठन को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जाता है तो वह सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के द्वारा प्रशासित होता है।
2. **इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882:** पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्टों के पंजीकरण व उनके विनियमन के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। इस संदर्भ में इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 ही विभिन्न राज्यों में लागू है और यह केवल निजी ट्रस्टों पर लागू होता है। राज्यों में लोकोपकारी संगठनों के कार्यों व उद्देश्यों की निगरानी के लिए प्रावधान है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र व गुजरात के पास चैरिटीज कमिशनर के ऑफिस हैं जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 के अंतर्गत निर्मित हैं। तमिलनाडु के पास एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलिजस एण्ड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (Department of Religious and Charitable Endowments) है। यदि किसी राज्य में कोई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट विद्यमान नहीं है तो उस राज्य में लोकोपकारी संस्थाओं के संदर्भ में इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 लागू होगा।
3. **कंपनी अधिनियम, 1956:** किसी लोकोपकारी संस्था को गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत गठित किया जा सकता है।
4. **आयकर अधिनियम, 1961:** आयकर अधिनियम, 1961 भी गैर-लाभकारी क्षेत्र के लोकोपकारी संस्थाओं को विनियमित करता है। इस संबंध में आयकर से छूट संबंधी मामलों की निगरानी आयकर विभाग करता है।
5. **विदेशी सहयोग विनियमन एक्ट, 1976 (Foreign Contribution Regulation Act, 1976 – FCRA):** यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जो पूरे भारत में लागू है। बाह्य (External) कोषों को सुरक्षात्मक दृष्टि से नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था। यह लोकोपकारी संगठनों पर भी लागू होता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में लोकोपकारी संस्थाएँ गलत ढंग से तथा अनुचित मात्रा में विदेशी मौद्रिक लाभ नहीं ले सकतीं। ऐसे कोषों के देश में अंतरनिर्गमन पर नजर रखनी आवश्यक है ताकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बन जायें।

यह अधिनियम चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, लोक सेवाओं, संसद व विधान सभा के सदस्यों तथा राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी सहयोग (Foreign Contribution) को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों वाले संगठनों को अनुमति देता है कि वे विदेशी सहयोग को स्वीकार कर सकें लेकिन-

1. वह संगठन स्वयं को केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत कराये।
2. इस बात पर सहमत हो कि वह किसी एक बैंक की विशिष्ट शाखा में ही विदेशी सहयोग को ग्रहण करेगा।
3. सरकार को सहयोग राशि प्राप्ति के स्रोत और राशि की मात्रा की जानकारी देगा।

वर्ष 2006 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्यूलेशन) बिल, 2006 लाया गया जिसका उद्देश्य 1976 में अधिनियमित कानून में आवश्यकतानुसार संशोधन करना था। इस विधेयक में विनियमन, स्वीकृति व उपयोग के प्रावधानों को अधिक तार्किक बनाने पर जोर दिया गया था।

विश्व दानशीलता सूचकांक, 2011 (World Giving Index, 2011)

पूरे विश्व में लोगों में परोपकारिता या दानशीलता (charity) के लिए कराये गए सर्वेक्षण के मुताबिक लोगों में परोपकारिता की भावना बढ़ी है। इस दिशा में भारत ने भी विश्व के देशों के साथ आगे कदम बढ़ाया है पर विकसित देशों की तुलना में यह काफी पीछे है। चैरिटी एंड फाउंडेशन के 'विश्व दानशीलता सूचकांक-2011' में भारत को 91 वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है जो कि वर्ष 2010 की 134 वीं रैंकिंग से काफी ऊपर है, पर विकसित देशों के मुकाबले भारत काफी पीछे है। भारत में धन दान, समय दान एवं अपरिचितों की मदद संबंधी व्यवहार में क्रमशः 14 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि यह सूचकांक 153 देशों के लोगों के दानशीलता व्यवहार को आधार बनाकर तैयार किया गया है और इस व्यवहार के लिए तीन मानकों को अपनाया गया है।

● धन दान

● समय दान

● अपरिचितों की मदद

फोर्ब्स एशिया की 'परोपकार के हीरो' नामक सूची व भारत (Forbes Asia's List of 'Heroes of Charity and India')

फोर्ब्स एशिया ने 'परोपकार के हीरो' नामक सूची 23 जून, 2011 को जारी की, जिसमें एशिया के 48 परोपकारियों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। ये चार भारतीय हैं- HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडार, विप्रो समूह के अजीम प्रेमजी, जीएमआर समूह के गांधी मल्लिकार्जुन राव और बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय। फोर्ब्स के अनुसार भारतीय परोपकारियों के लिए गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना प्रथम प्राथमिकता है।

दानकर्ताओं की भूमिका (Role of Donors)

हाल के दशकों में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों, समाज सेवा कार्यों एवं दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए 'दान देने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। इसे व्यक्तिगत (Individual) व संस्थागत (Institutional) दोनों ही स्तरों पर देखा गया है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बिल एवं मिलिंडा गेट्स द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों में एच.आई.वी. एड्स से निपटने के लिए दान दिया गया है, वहीं संस्थागत स्तर पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय राज्यों के विकास कार्यक्रमों में सहायता हेतु राशि दी जाती है।

उल्लेखनीय है कि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (OECD) द्वारा विकासशील देशों को अनुदान व ऋण के रूप में 'आधिकारिक विकास सहायता' (Official Development Assistance) प्राप्त होती है। यह अनुदान अथवा ऋण आर्थिक विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। ओईसीडी द्वारा अपनी हालिया रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2011 में 45 देशों व 22 बहुपक्षीय संगठनों ने आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्राप्त की।

दानकर्ता संस्थाओं के समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा (International Framework for Donor Coordination)

दानकर्ता संस्थाओं द्वारा आधिकारिक विकास सहायता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास ओईसीडी की 'डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी (DAC) के गठन के साथ 1960 में देखा गया। इसके उपरान्त बहुपक्षीय सहायता के लिए वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का गठन किया गया। वर्ष 2003 में ओईसीडी की डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी ने 'सहायता प्रभावशीलता पर एक कार्य दल' (Working Party on Aid Effectiveness) का गठन किया। दानशीलता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित रूपरेखा को निम्नांकित संस्थागत प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है।

1. **डोनर हार्मोनाइजेशन पर रोम हाई लेवल फोरम:** वर्ष 2003 में आयोजित इस फोरम का प्रायोजक (Sponsor) ओईसीडी था। इस फोरम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) की दिशा में प्रगति पर जोर देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। फोरम के अनुसार आधिकारिक सहायता (Official Aid) की प्रभावशीलता व उसके समग्र प्रबंधन में सुधार करके अच्छी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। इस फोरम ने कहा है कि इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाय कि डोनर, सहायता प्राप्त करने वाले देश की प्राथमिकताओं से ही जुड़ा हुआ हो।
2. **सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस उद्घोषणा (Paris Declaration on Aid Effectiveness):** पेरिस में वर्ष 2005 में सहायता प्रभावशीलता पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ था। इसमें वैश्विक विकास एजेंडे के बारे में एक ठोस संरचना के विकास की जरूरत पर बल दिया गया। पेरिस उद्घोषणा में दान सहायता प्राप्त करने वाले देशों व दाता संस्थाओं के मध्य साझे दायित्वों को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पेरिस उद्घोषणा में एक महत्वपूर्ण बात यह भी की गयी कि इसमें सहायता प्रभावशीलता के बारे में विशेष लक्ष्य और एक निगरानी प्रणाली की बात की गयी जो इससे पूर्व रोम उद्घोषणा में नहीं कही गयी थी।
3. **अकरा एजेंडा फॉर एक्शन (Accra Agenda for Action):** सितंबर 2008 में अकरा, घाना में एक उच्च स्तरीय बैठक का पुनः आयोजन किया गया जिसने रोम व पेरिस उद्घोषणाओं के क्रियान्वयन और इस दिशा में हुई प्रगति आदि का मूल्यांकन किया। अकरा एजेंडा फॉर एक्शन में भी सहायता (Aid) को प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन अकरा में आयोजित सम्मेलन की एक विशिष्ट बात यह थी कि इसमें समानान्तर रूप में सिविल सोसाइटी का एक वर्कशॉप भी आयोजित हुआ।
4. **प्रभावी विकास सहयोग हेतु बूसान साझेदारी (Busan Partnership for Effective Development Cooperation):** अंतिम उच्च स्तरीय बैठक जो ब्रिदेशी सहायता व अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं की विकास सहायता में समन्वय पर आधारित थी, का आयोजन बूसान, कोरिया में नवंबर, 2011 में किया गया। इसने पेरिस उद्घोषणा का सर्वेक्षण किया। गैर-सरकारी संगठनों ने एक गठबंधन प्रतिनिधि (Coalition Representative) के रूप में बूसान में आयोजित वार्ता में भाग लिया जो विकास सहायता पर विकेंद्रित विमर्शों (Decentralized Dialogues) का सूचक था। इसमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दी जाने वाली सहायता को उचित ढंग से प्रयोग करने पर जोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त विकास सहायता पर वैश्विक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्रयास जारी है। मानवीय हस्तक्षेप (Humanitarian Interventions) के दौरान विकास सहायता के तर्किकीकरण (Rationalization) पर विचार चल रहा है।

सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)

एक सहकारी समिति समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों का स्वायत्त संगठन है जो पारस्परिक सहमति अथवा स्वेच्छा से अपनी समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त स्वामित्व वाले (Jointly Owned) और लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित उपक्रम (Enterprise) के रूप में इसकी स्थापना करते हैं। सहकारी समितियाँ लाभ प्राप्ति के बजाय व्यापक मूल्यों, कार्यपद्धतियों व उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

एक सहकारी उपक्रम अथवा इकाई कुछ सार्वभौमिक मूल्यों व सिद्धांतों पर आधारित होती है जिसमें स्व-सहायता, लोकतंत्र, समता (Equity), समानता व एकता प्रमुख हैं।

भारत में सहकारी समितियों का विकास (Development of Cooperative Societies in India)

भारत में सबसे पहले वर्ष 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904 नामक कानून बनाया गया था। कालांतर में वर्ष 1912 में गैर-साख समितियों (Non-Credit Societies) व संघीय सहकारी समितियों (Federal Cooperative Societies) के गठन के लिए 'सहकारी समिति अधिनियम, 1912' बनाया गया। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर में सहकारी समितियों की प्रामीण अर्थव्यवस्था के मेरुदंड के रूप में पहचान की गयी। वर्ष 1942 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने 'मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट' का निर्माण किया।

स्वतंत्र भारत में 1990 के दशक में सहकारी समितियों के विकास व भारत में सहकारिता के सुदृढीकरण पर विचार हेतु ब्रह्म प्रकाश समिति (1990), मिर्धा समिति (1996), जगदीश कपूर समिति (2000) और वी.एस. व्यास समिति (2001) का गठन किया गया।

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने सहकारी उपक्रमों पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Cooperatives) की घोषणा की।

सहकारी समितियों की वर्तमान वैधानिक/संवैधानिक प्रस्थिति

(Current Legal/Constitutional Status of Cooperative Societies)

जनवरी, 2012 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा देश में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद

19(1)(c) के अंतर्गत नागरिकों को संगम या संघ बनाने के साथ-साथ सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इस प्रकार सहकारी समितियों का गठन अब मूल अधिकार बन गया है। इस संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों (संविधान के भाग-4) के तहत भी अनुच्छेद 43(B) जोड़कर सहकारी समितियों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान में भाग- 9A के बाद 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों संबंधी अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक जोड़े गये हैं।

इस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों की स्वायत्त एवं प्रजातांत्रिक कार्यपद्धति और उनके सदस्यों एवं अन्य हितधारकों (Share Holders) के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं:

- (क) स्वैच्छिक निर्माण, सदस्यों के प्रजातांत्रिक नियंत्रण एवं उनकी आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी समितियों का गठन, विनियमन एवं समापन;
- (ख) एक सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होने संबंधी विनिर्देश।
- (ग) सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के लिए निर्वाचित होने की तिथि से 5 वर्षों का नियत कार्यकाल तथा उसके चुनावों के संचालन हेतु एक प्राधिकारी या निकाय का प्रावधान;
- (घ) किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल (Board of Directors) को अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जा सकेगा।
- (ङ) सहकारी समितियों का स्वतंत्र प्रोफेशनल ऑडिट कराया जायेगा और सहकारी समितियों के सदस्यों को सूचना का अधिकार होगा।
- (च) राज्य सरकारें सहकारी समितियों की गतिविधियों और लेखा (Accounts) की आवधिक रिपोर्टें प्राप्त कर सकेंगी।
- (छ) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हों, के बोर्ड में एक सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तथा
- (ज) सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के संदर्भ में जुमाने का प्रावधान किया गया है।

सहकारी समितियों के गठन को मूल अधिकार की मान्यता देने से पूरे देश में कार्यरत लगभग 6 लाख सहकारी समितियों को स्वतंत्रता व स्वायत्तता के साथ विकास की प्रक्रिया से जुड़ने और राष्ट्र की औद्योगिक प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। वस्तुतः सहकारी समितियों के गठन का औचित्य इनके सहकारिता के सिद्धांतों, समानता, समता व एकता तथा लोकतांत्रिक आदर्शों में निहित है। -

वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धावादी युग में सहकारी समितियाँ परस्पर सहयोग (Mutual Cooperation), सद्भाव (Harmony) और एकता (Solidarity) को प्रोत्साहन देने वाली कार्यप्रणालियाँ पुर जोर देती हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी साख समितियों को सुनिश्चित करने के लिए गठित कार्य बल (Task Force) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 106वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2006 लाया गया था। इसका उद्देश्य देश में सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढीकरण और उन्हें अधिक अधिकार संपन्न बनाता था।

भारत में सहकारिता की दिशा में संस्थागत प्रयास

(Institutional Efforts in the Direction of Co-operatives in India)

भारत में सहकारिता को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को दिशा देने के उद्देश्य से कई संस्थागत प्रयास किये गये हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वस्तुओं तथा अन्य कुछ चयनित वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, भंडारण तथा विपणन संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित तथा प्रवर्तित करना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के गठन के पूर्व भारत में 2 अक्टूबर, 1958 को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) का गठन हुआ था। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करके उनका, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। यह कृषि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निर्यात को प्रवर्तित करता है।

इसी क्रम में 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद् (ट्राइफेड) का गठन जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा उनके द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गयी।

कृषि विपणन व्यवस्था में सहकारी विपणन समितियाँ अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर अपने उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से सहकारी विपणन समितियाँ या बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं। 1954 से पहले सहकारी साख समितियाँ तथा सहकारी विपणन समितियाँ अलग-अलग बनायी जाती थीं पर 1954 के बाद बहुउद्देश्यीय समितियों का गठन हुआ। इसके अंतर्गत सभी सदस्य अपना अधिशेष उत्पाद (Surplus Product) समिति को बेचने के लिए सहमत होते हैं, जब सदस्य अपना सामान समिति को देते हैं तो उन्हें कुछ अग्रिम धनराशि (Advance Payment) प्राप्त हो जाती है। सहकारी

विपणन समितियों के कारण जहाँ एक ओर विपणन व्यवस्था में पाये जाने वाले बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है और किसानों को समय पर अपने उत्पादन के बदले अग्रिम प्राप्त हो जाता है, वहीं दूसरी ओर विपणन समितियाँ कृषकों के संघ की भी भूमिका निभाती हैं जिससे उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके।

भारत में दुग्ध सहकारिता अथवा श्वेत क्रांति (Milk Co-operatives or White Revolution in India)

भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह प्रयोग अन्य सभी से बिल्कुल भिन्न था। इसकी शुरुआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के कैरा (खेड़ा) जिले में हुई। यही आगे चलकर उस श्वेत क्रांति (White Revolution) का आरंभकर्ता साबित हुआ, जो सारे भारत में फैल गई। सहकारिता के आनंद मॉडल की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है।

कैरा जिले के किसान बंबई शहर को दूध की आपूर्ति किया करते थे लेकिन उन्हें दूध के व्यापारी इस काम में धोखा देते थे। इसलिए उन किसानों ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सरदार पटेल से इस संबंध में मदद के लिए मुलाकात की। सरदार पटेल इसी जिले के थे। उनके और मोरारजी देसाई के कहने पर किसानों ने एक यूनियन बनाई। वे एक दूध हड़ताल के जरिये बंबई सरकार पर दबाव डालने और उनकी यूनियन से सीधे दूध खरीदने पर मजबूर करने में सफल हुए। इस प्रकार कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक-संघ लिमिटेड का जन्म हुआ। इसका औपचारिक रजिस्ट्रेशन दिसंबर 1946 में हुआ और इसने आनंद नामक स्थान में एक साधारण सी शुरुआत की और इससे किसान प्रतिदिन 250 लीटर दूध की सप्लाई करने लगे। डॉ. वर्गीज कुरियन केरल के प्रतिभाशाली इंजीनियर थे जो 1950 और 1973 के बीच यूनियन (संघ) के मुख्य कार्यकारी पद पर रहे। संघ की शुरुआत मात्र दो ग्राम सहकारी संस्थाओं से हुई थी, जिनमें से प्रत्येक में सौ से भी कम सदस्य थे। 1995 तक आते-आते संस्थाओं की संख्या 954 हो गई और कुल सदस्यता 5,37,000 और दूध का कारोबार 250 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 10 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया। इस तेज विकास के दौरान यूनियन की गतिविधियों में बड़ी विविधता आई। 1955 में उसने दूध पाउंडर तथा मक्खन बनाने की फैक्ट्री लगाई। उसी वर्ष यूनियन ने अपने उत्पादों के लिए अमूल शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। वस्तुतः यह नाम ग्लैक्सो और नैस्ले जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने लगा और समूचे भारत में एक घरेलू नाम बन गया।

1960 में एक और फैक्ट्री लगाई गई यह प्रतिवर्ष 600 टन पनीर और 2500 टन बच्चों का दूध उत्पादित करने के लिए थी। यह दुनिया में पहली ऐसी फैक्ट्री थी जिसने भैंस के दूध से बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं को बनाना शुरू किया। 1964 में पशु भोजन बनाने के लिए एक आधुनिक फैक्ट्री लगाई गई। समय के साथ कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग भी होने लगा। ग्राम-संघ के जरिये क्षमतावान कृत्रिम गर्भधारण सेवा लागू की गई ताकि पशुधन की गुणवत्ता सुधारी जा सके। हरे चारे के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज विकसित किये गये। यहाँ तक कि पशुओं के लिए टीके का भी विकास किया गया। किसान परिवारों में पशुओं की देखभाल करने वाली महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। साथ ही आनंद में 'इस्टीमेटेड ऑफ सरल मैनेजमेंट' की स्थापना की गई। 1974 में आनंद में गुजरात सहकारी दुग्ध व्यापार संघ लिमिटेड की स्थापना की गई जो जिले में सहकारी उत्पाद बेचने के लिए शीर्षस्थ संस्था थी। सहकारिता के कारण कैरा जिले के ग्रामीणों का जीवन स्तर काफी सुधर गया। आनंद मॉडल की एक विशेषता इसकी जनतांत्रिक कार्यप्रणाली थी। प्रबंधकों ने साधारण सदस्यों से सीधा-संपर्क बनाये रखा और उनके हितों की उपेक्षा नहीं की, भले ही वे निम्न जाति के भूमिहीन ही क्यों न हों।

कैरा सहकारिता की सफलता से इस दुग्ध आंदोलन का पूरे भारत भर में फैलना स्वाभाविक था, क्योंकि भारत कृषि व पशुपालन प्रधान देश था। 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आनंद के नमूने पर अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए। इस दिशा में उनकी पहल पर 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) का निर्माण किया गया। वर्गीज कुरियन इस दिशा में अपनी क्षमता सिद्ध कर चुके थे और वे इसके अवैतनिक अध्यक्ष बनाये गये साथ ही बड़े गर्व से वे अपना वेतन कैरा के दुग्ध उत्पादकों के एक कर्मचारी के रूप में लेते रहे। उनके आग्रह पर 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' को दिल्ली नहीं, आनंद (गुजरात) में स्थापित किया गया।

यह एक अलग किस्म का संगठन बन गया, जिसका ढाँचा उसके उद्देश्यों के अनुरूप था। इसमें कैरा से कई लोग शामिल किये गये। एनडीडीबी ने "दुग्ध की नदी अभियान" शुरू किया जो आनंद के अनुभवों को अन्य जगहों में लागू करने की एक कोशिश थी। 1995 तक आते-आते सारे देश में 170 दुग्ध क्षेत्रों में 69,875 गाँव डेयरी सहकार (Dairy Cooperatives) बन चुके थे। उनकी कुल सदस्यता 89 लाख किसानों की थी। यह प्रसार काफी प्रभावोत्पादक था। फिर भी इससे भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का मात्र 6.3 प्रतिशत और बेचे गये दुग्ध का मात्र 22 प्रतिशत ही पूरा होता था।

"दुग्ध की नदी अभियान" के, विश्व बैंक आकलन विभाग द्वारा किये गये एक अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि आनंद नमूने को अन्य जगहों पर लागू करने से कितना फायदा हुआ है। अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि गुजरात के समान बहुमुखी नतीजे अब देश के अन्य भागों में भी सामने आ रहे हैं।

पहले अभियान के फलस्वरूप दुग्ध आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई और इस कारण दुग्ध उत्पादकों की आय में खासकर गरीबों की आय में खासी वृद्धि हुई। जहाँ राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में 1969 तक 0.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई, वहीं इस अभियान के बाद यह 4 प्रतिशत तक पहुँच गयी। 1995 में रुपये के मूल्य के हिसाब से सहकारी संस्थाओं द्वारा डेयरी किसानों को अदा की गयी रकम 1972 में 2.1 अरब रुपये से बढ़कर 1995 में 34 अरब तक पहुँच गयी। गाँव के अध्ययन से पता चलता है कि डेयरी काम किसानों का एक महत्वपूर्ण काम बनता जा रहा है। कुछ मामलों में तो वह आय का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है, खासकर गरीबों में किए गए एक आकलन के अनुसार इससे फायदा उठाने वालों में 60 प्रतिशत सीमांत या छोटे किसान और भूमिहीन हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य बिंदु है कि आनंद मॉडल का उदाहरण जाति, लिंग व धर्म से ऊपर उठकर गरीबों तक पहुँचता है। 1970 के दशक के मध्य में पहली बार ग्रामीण महाराष्ट्र में आरंभ की गयी ग्रामीण रोजगार स्कीम के भी लगभग यही नतीजे निकले हैं। इसे फिर आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों ने भी अपनाया। उसका मुख्य लाभ भूमिहीनों को मिला जो खासतौर पर पिछड़ी जातियों व जनजातियों के थे।

दुग्ध सहकारिता का प्रभाव (Impact of Milk Cooperatives)

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, दुग्ध अभियान और डेयरी प्रसार का एक नतीजा स्थानीय डेयरी सामान उत्पादन उद्योग के प्रसार के रूप में सामने आया। अब सिर्फ 7 प्रतिशत सामान आयात किया जाता है। इसमें पशुओं का भोजन, उनके स्वास्थ्य, कृत्रिम प्रजनन, प्रबंध सूचना सेवा, डेयरी इंजीनियरिंग और खाद्य तकनीक इत्यादि शामिल हैं। आधारभूत अवसंरचना और तकनीक के स्थानीय स्वरूप के कारण लागत मूल्य में भी भारी कमी आई जिससे उत्पादकों द्वारा दूध लाना-ले जाना, उसका हिसाब-किताब करना आसान हो गया है, और साथ ही लागत व्यय में अनावश्यक वृद्धि भी रोकना संभव हो पाया है।

दुग्ध अभियान के फलस्वरूप दुग्ध सहकारियों का प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर या शिक्षा पर भी बढ़ा है। इस आंदोलन के जरिये महिला शक्ति में वृद्धि की संभावना को देखते हुए 'दूध की नदी' अभियान के अंतर्गत 'सेवा' (सेल्फ एम्प्लॉयड वीमन्स एसोसिएशन) जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से लगभग 6 हजार महिला डेयरी सहकारी समितियों (WDCS) की स्थापना की गयी। इनमें सिर्फ महिलाएँ ही सदस्य होती हैं और प्रबंधन समितियों में भी सिर्फ वे ही होती हैं। ये समितियाँ आम तौर पर पुरुषों को समितियों से अधिक जवाबदेही से काम करती हैं। दूध से हो रही आय पर अधिकार के जरिये महिलाओं को अपना जीवन तय करने में अधिक आजादी मिलती है। साथ ही वे घर से बाहर निर्णायक प्रक्रिया में भाग ले पाती हैं और इस प्रकार उनकी प्रबंधन एवं नेतृत्वकारी क्षमताओं को विकसित होने का पूरा मौका मिलता है।

आनंद मॉडल का प्रसार केवल दूध के क्षेत्र में ही नहीं हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पहल पर फलों, सब्जियों, तिलहन उत्पादकों और नमक के छोटे उत्पादकों तथा पेड़ उगाने वाली सहकारी संस्थाएँ भी स्थापित की गयीं। यह कैरा युनियन ही थी जिसने इस काम में तकनीक और प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में सहायता की। इसके दौरान निहित स्वार्थ, खासकर शक्तिशाली तेल बीज व्यापारियों की तीखे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। देश के कुछ भागों में सहकारियों की स्थापना की कोशिश करने वाली एनडीडीबी टीम को शारीरिक क्षति पहुँचाने की धमकियाँ दी गयीं। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ता रहस्यमय ढंग से मृत पाये गये। फिर भी यह आंदोलन आगे बढ़ता रहा। देश के कई भागों में सहकारी फल, सब्जी केन्द्रों की दुकान उतनी ही सामान्य बात हो गयी जितना कि सहकारी दुग्ध केन्द्र। एनडीडीबी की 'थार ब्रांड' तेल दूध के क्षेत्र में 'अमूल' के समान ही प्रसिद्ध हो गया।

भारत में वित्तीय समावेशन व सहकारिता (Financial Inclusion and Cooperatives in India)

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह को जो सामान्य रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा तथा लाभ प्राप्त करने से वंचित है, वहनीय लागत (Affordable Cost) पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना है। यह वह वर्ग है जो जागरूकता के अभाव या अनभिज्ञता के चलते या बैंकिंग सेवा की अनुपलब्धता के कारण या वर्तमान बैंकिंग सेवा में प्रचलित जटिल तथा लंबी एवं समय लगने वाली औपचारिकताओं के कारण बैंकिंग सेवा से लाभान्वित नहीं हो पाता है और बाध्य होकर अपने गाँव के साहूकार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अत्यंत ही ऊँची ब्याज दर पर बिना किसी प्रत्याभूति या औपचारिकता के ऋण प्राप्त करता है।

इसलिए रिजर्व बैंक की दृष्टि में वित्तीय समावेशन का लक्षित वर्ग गरीब तथा कमजोर वर्ग है जिसमें श्रमिक, भूमिहीन, सीमांत किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या ऐसा श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, जुलाहा या अन्य असंगठित मजदूर जिन्हें शहरों में अपनी जीविका के लिए परिश्रम करना पड़ता है, आते हैं। वस्तुतः वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की एक आवश्यक कड़ी है।

हाल के समय में भारत में सूक्ष्म वित्त सेवाओं की आपूर्ति (Delivery of Micro-Finance Services) के प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता बढ़ी है। भारत में ग्रामीण निर्धनता का एक प्रमुख कारण ग्रामीणों की साख (Credit) व वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का न होना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 59वें दौर के सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया

है कि 51 प्रतिशत कृषक परिवारों (Farmer Households) की संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत दोनों ही स्रोतों के माध्यम से भी सूक्ष्म साख (Micro Credit) तक पहुँच नहीं है। 73 प्रतिशत परिवारों के पास किसी वित्तीय संस्थान से कोई साख संपर्क (Credit Link) नहीं है। उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में तो स्थितियाँ और भी गंभीर रही हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार पर सुझाव देने के लिए वर्ष 2006 में ऊषा थोराट समिति का गठन किया गया था। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नवत् हैं-

- (क) इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की नयी शाखाएँ खोलना और विद्यमान इकाइयों (Existing Units) में खातों की संख्या में वृद्धि करना।
- (ख) वाणिज्यिक बैंकों तक पहुँच में वृद्धि के लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (Business Correspondent) अथवा फेसिलिटेटर मॉडल को अपनाना।
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग और मुद्रा प्रबंधन (Currency Management) एवं विदेशी विनिमय सुविधा की उपलब्धता में सुधार करना।
- (घ) बैंकों के माध्यम से बीमा व पूंजी बाजार उत्पादों को उपलब्ध कराना।
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और रियलटाइम ग्रास सेटेलमेंट सिस्टम की शुरुआत करना।
- (च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूती देना।
- (छ) स्थापित व प्रभावी स्वयं सहायता समूहों को सहकारी समितियों के रूप में बदलना।

रंगराजन समिति (Rangrajan Committee)

वर्ष 2007 में 'भारत में वित्तीय समावेशन' पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सी. रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से अध्ययन किया। समिति ने पिछड़े व सुदूरवर्ती क्षेत्रों (Remote Areas) में बैंकिंग एवं स्वयं सहायता समूहों का सशक्तीकरण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्जीवित करने पर गहराई से विचार किया। इस समिति ने साख तक पहुँच (Credit Access) के मामले में व्यापक अंतर्देशीय व अंतराक्षेत्रीय विषयमताओं की पहचान की। रंगराजन समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता (Indebtedness) के स्तर का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि उत्तर-पूर्वी, पूर्वी व मध्य भारतीय क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक किसान परिवारों की औपचारिक स्रोतों से साख (Credit) तक पहुँच नहीं है जिसके चलते अनौपचारिक स्रोतों (महाजन, साहूकार आदि) पर निर्भरता बढ़ती है और व्यक्ति ऋणग्रस्तता को जाल में उलझते चले जाते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थिति उत्तर-पूर्वी, पूर्वी व मध्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक है। दक्षिणी क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवहारों का विस्तार हुआ है।

रंगराजन समिति ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की ही तर्ज पर 'संयुक्त दायित्व समूह' (Jointly Liability Groups) के गठन की सिफारिश की, जिसमें फसल बटायीदार (Share Croppers), कारशतकार कृषक और पट्टेदार शामिल होंगे। इसके सदस्यों की संख्या 12-15 के मध्य होगी। इसमें लघु तथा सीमांत किसान अपनी भूमि-धारिता को इसके पास जमा करके उर्वरकों का क्रय कर सकते हैं।

रंगराजन समिति ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के गठन की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्र व राज्य सरकारें इस मिशन की अंग होंगी। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिवर्ष कम से कम 250 नये कृषकों तथा गैर-कृषक परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। समिति ने 'वित्तीय समावेशन संवर्द्धन और विकास कोष' तथा 'वित्तीय समावेशन तकनीकी कोष' स्थापित करने की सिफारिश की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि नाबार्ड एक्ट में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे शहरी निर्धनों (Urban Poors) को भी सूक्ष्म वित्त सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

उल्लेखनीय है कि रंगराजन समिति ने अपने अध्ययन में यह पाया था कि देश के 17 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के 256 जिलों (कुल 617 जिलों में से) में गंभीर साख बहिष्करण (Acute Credit Exclusion) 95 प्रतिशत से अधिक क्रेडिट असंतुलनों के साथ विद्यमान है। अतः इसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। समिति ने कहा है कि देश में वित्तीय बहिष्करण (Financial Exclusion) के होने के 4 प्रमुख कारण विद्यमान रहे हैं-

1. आनुषंगिक (Collateral) सुरक्षा प्रदान करने में अक्षमता।
2. दुर्बल साख अवशोषण क्षमता (Poor Credit Absorption Capacity)।
3. संस्थाओं तक अपर्याप्त पहुँच।
4. कमजोर सामुदायिक नेटवर्क।

मानव विकास के संकेतकों की दृष्टि से और मानव विकास सूचकांक में बेहतर स्थान होने के लिए वित्तीय समावेशन की सही दशा व दिशा होनी आवश्यक है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया मानव संसाधन के विकास व स्थायी परिसंपत्तियों को बढ़ावा देती है। एक लोक कल्याणकारी व समाजवादी समाज के प्रतिरूप वाले राष्ट्र भारत में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

स्व-विनियामक प्राधिकरण (Self-Regulatory Authorities)

किसी व्यवसाय के स्व-विनियामक प्राधिकरण से आशय इसके सदस्यों के एक चयनित निकाय से है, जो समाज व राज्य के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ उस व्यवसाय की वृद्धि एवं विकास के लिए जवाबदेह होता है। ऐसे स्व-विनियामक प्राधिकरण/निकाय के प्रकार्यों में शामिल होने वाले विषय हैं: पेशेवर शिक्षा (Professional Education) के मुद्दे, पाठ्यक्रम अध्यापन मानक (Teaching Standards), संस्थागत अवसंरचना (Institutional Infrastructure), डिग्रियों की मान्यता, प्रवर्तनर्स का नैतिक आचरण आदि।

देश में चिकित्सा व्यवसायियों वकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, इंजीनियर व अन्य व्यावसायों के लोग स्व-विनियामक निकायों में कार्य करके राष्ट्र की उन्नति में योगदान करते हैं। वर्तमान में 6 प्रमुख पेशेवर निकाय इस रूप में विशेष कानूनों के तहत गठित किये गये हैं-

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित किया गया 'बार काउन्सिल ऑफ इंडिया'।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित 'मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया'।
3. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गठित 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया' (ICAI)।
4. कॉस्ट एण्ड वर्क अकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत गठित 'इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्कर्स अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (ICWI)।
5. कंपनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)।
6. आर्किटेक्ट एक्ट, 1972 के अंतर्गत गठित काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्स।

श्रमिक संघ (Trade Unions)

ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अनुसार एक ट्रेड यूनियन श्रमिकों व नियोक्ताओं के मध्य श्रमिकों के मध्य और नियोक्ता-नियोक्ता के मध्य संबंधों का विनियमन करने के उद्देश्य से गठित किया जाने वाला निकाय है, फिर चाहे वह स्थायी प्रकृति का हो अथवा अस्थायी। यह संगठन किसी व्यापार अथवा वाणिज्य के आचरण पर प्रतिबंधात्मक दशाओं को आरोपित करने के लिए गठित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मजदूर संगठन अधिनियम, 1926 मजदूर संगठनों को विधिक अस्तित्व (Legal Existence) प्रदान करता है। किसी भी मजदूर संगठन को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है।

मजदूर संगठनों के लिए बने भूल अधिनियम में प्रावधान है कि एक ट्रेड यूनियन के 7 या अधिक सदस्य मजदूर संगठन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। 2001 में पंजीकरण हेतु आवेदन की इस शर्त में संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी श्रमिक ट्रेड यूनियन तब तक पंजीकृत नहीं किया जायेगा जब तक आवेदन करने वाले कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक उस ट्रेड यूनियन के सदस्य न हों।

मजदूर संगठन अधिनियम, 1926 के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर दंडात्मक कदम उठाने और पंजीकरण का सर्टिफिकेट वापस लेने अथवा उसे निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पदधारकों (Office Bearers) और सदस्यों को आपराधिक व सिविल दायित्वों (Criminal and Civil Liabilities) से उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय

(Issues Relating to Development and Management of Social Sector/ Services Relating to Health, Education, Human Resources)

*** (इस खंड का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक 13 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

परिचय (Introduction)

विगत कुछ समय में विकास की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और सामाजिक विकास ने विकास की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस नई विचारधारा का संबंध मुख्यतः 1959 में कोपेनहेगन में संपन्न हुए 'सामाजिक विकास पर शिखर सम्मेलन' तथा इसमें स्वीकार किए गए उद्घोषणा एवं कार्यक्रमों से है।

वर्तमान समय में सामाजिक विकास की आर्थिक, सांस्कृतिक, साधन तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संपूर्ण समाज के रूपांतरण के माध्यम के रूप में जाना जाता है। वास्तव में, सामाजिक विकास की संकल्पना मानव विकास की संकल्पना की अपेक्षा अधिक व्यापक है। जहाँ मानव विकास मनुष्यता की स्थिति में व्यक्ति विशेष की भलाई पर बल देता है, वहीं सामाजिक विकास व्यक्ति विशेष का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में करता है। इसका संबंध न केवल आधारभूत मानवीय क्षमताओं के विकास से है, बल्कि सामाजिक अवसरों के स्तर, सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से भी है।

सामाजिक क्षेत्रक से तात्पर्य (What Do We Mean By Social Sector)

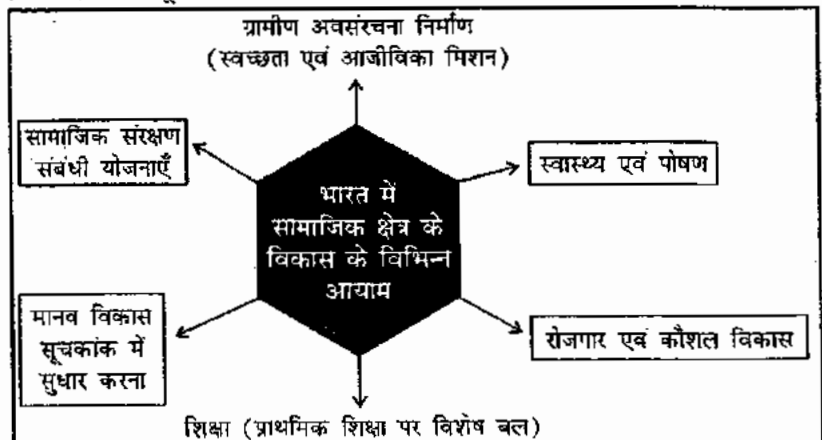
किसी क्षेत्र के सामाजिक विकास का स्तर बहुत हद तक कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिन्हें संयुक्त रूप में सामाजिक क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सामाजिक क्षेत्रक शब्द का प्रयोग सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में किया जाता है, जो लोगों के जीवन में सुधार की दृष्टि से अत्यावश्यक हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ निर्धनता उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण, निजीकरण आदि से जुड़े विषय भी सामाजिक क्षेत्रक विकास के दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सतत विकास की अपेक्षित स्तरों को प्राप्त करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा इसमें सामाजिक क्षेत्रक के महत्व पर भी बल दिया गया।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक (Social Sector In India)

सामाजिक क्षेत्रक विकास प्रक्रिया में शिक्षा और स्वास्थ्य रणनीतिक महत्व की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण विषय हैं। आमतौर से न तथा जीन टू ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पहचान दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में की है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकते हैं।

लेकिन, दसवीं पंचवर्षीय योजना से सरकारी प्रयास केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अनेकानेक प्रयासों ने हमारे समाज को और भी अधिक समावेशी बना दिया है। इस तरह, भारत में सामाजिक क्षेत्रक का दायरा दिनोंदिन विस्तृत होता जा रहा है।



भारत में सामाजिक क्षेत्रक विकास की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

(Background And Objective of Social Sector Development in India)

1990 के दशक के शुरुआती दौर में हुए आर्थिक सुधारों के चलते उदारीकरण के बाद से भारत में नियमित उच्च आर्थिक संवृद्धि दर जारी है। मजबूत आर्थिक संस्थाएँ, समृद्ध निजी क्षेत्र, तेजी से विकसित होती आधारभूत अवसंरचना तथा निवेश आर्थिक उदारीकरण के स्वाभाविक परिणाम हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद भारत कुछेक उन देशों की श्रेणी में शामिल है, जिनका मानव विकास सूचकांक में निम्न स्थान है, क्योंकि भारत में कुपोषण, निरक्षरता तथा गरीबी का स्तर अस्वीकार्य रूप से अत्यधिक है। निरंतर बढ़ती आय की असमानताएँ तथा क्षेत्रीय विषमताएँ भी चिंता का कारण बनी हुई हैं। रोजगार में वृद्धि हुई है लेकिन नौकरियाँ उच्च गुणवत्ता वाली नहीं हैं। यद्यपि स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की गुणवत्ता निम्नतम बनी हुई है तथा अधिकांश जनसंख्या मूलभूत सामाजिक संरक्षण से वंचित है।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) में इन बातों पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया और संतुलित तथा समावेशी विकास की आवश्यकता को चिह्नित किया गया। समाज के सभी तबकों के विकास के एजेंडे के साथ हमारे समाज को और भी अधिक समावेशी बनाने पर बल दिया गया। मानव विकास एवं सामाजिक विकास के मुद्दे पर दसवीं योजना अधिक सुस्पष्ट थी, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया था कि मानव विकास का मुद्दा राष्ट्रीय आय में वृद्धि अथवा गिरावट से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव विकास का संबंध जीवन की गुणवत्ता, व्यक्ति की खुशहाली के स्तर तथा मूलभूत सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने से है।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक के मुख्य उद्देश्य (Prime Objectives of the Social Sector in India)

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रक के दो ऐसे भाग हैं, जिनमें निवेश की आवश्यकता है।
- भारत में सामाजिक क्षेत्रक केन्द्रित लोक नीति का सर्व प्रमुख उद्देश्य लोगों, विशेषकर समाज के गरीब एवं असुरक्षित तबकों के जीवन स्तर में नियमित सुधार के माध्यम से लोगों का कल्याण करना है।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक सूचकांक और उससे संबंधित मुद्दे

(Social Sector Indicators in India and Issues Related to it)

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बेहतर आधारभूत अवसंरचना से उत्पादकता में वृद्धि होती है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि भारत में मानव पूंजी की अनुपस्थिति की स्थिति में सतत विकास हो पाएगा। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि सामाजिक क्षेत्रक के अंतर्गत वे क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ सरकारी निवेश का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव विकास के घटकों पर पड़ता है, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा पोषण इत्यादि।

विगत कुछ वर्षों से खासकर संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों कि सूत्रपात से विभिन्न नीति निर्माताओं तथा विकास नीति विश्लेषकों ने यह सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को सामाजिक क्षेत्रक बजटीय मद में और अधिक वृद्धि करनी चाहिए।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक सूचकांक (Social Sector Indicators in India)

- (i) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही जनसंख्या।
- (ii) 1-5 साल तक के बच्चों में कुपोषण का प्रभाव।
- (iii) 1-5 साल तक के बच्चों में नियंत्रित कुपोषण का प्रभाव।
- (B) 5 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में मृत्यु दर की स्थिति।
- (C) प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर।
- (D) (i) 6-14 वर्ष के ऐसे बालक जो स्कूल नहीं जा रहे हैं (10 लाख में)।
- (ii) पुरुष साक्षरता दर।
- (iii) महिला साक्षरता दर।
- (E) (i) अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर की स्थिति।
- (ii) अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर की स्थिति।
- (F) स्वच्छ जल तक पहुँच रखने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।
- (G) स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच रखने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।

इस श्रेणी की अधिकांश सामाजिक सेवाओं का संबंध राज्य से है और इस दिशा में केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोगी की भूमिका निभा रही है।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक के विकास से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Social Sector Development in India)

- भारत में सामाजिक क्षेत्रक पर प्रतिवर्ष होने वाला सार्वजनिक व्यय (इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का बजट व्यय संयुक्त रूप से शामिल है) जी.डी.पी. के 7 फीसदी से भी कम है जबकि अधिकांश विकसित देशों में सार्वजनिक धन के एक बड़े हिस्से का निवेश सामाजिक कल्याण में किया जा रहा है।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के देशों में सामाजिक क्षेत्रक पर होने वाला औसत बजटीय व्यय, भारत में होने वाले बजटीय व्यय के दुगने से अधिक है।
- भारत में सामाजिक क्षेत्रक (उदाहरण के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ केंटर सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र) में सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन (शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडीकल कर्मी और आंगनवाड़ी कर्मी इसमें शामिल हैं) की कमी, कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों (निगरानी तथा सर्वेक्षण, वित्त एवं लेखा संबंधी कर्मचारी) की कमी तथा इन क्षेत्रकों में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रति इकाई लागत का निम्न स्तर तथा सामाजिक क्षेत्रक में सार्वजनिक संसाधनों की कमी है।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक की नीति (Policy of Social Sector/Services in India)

देश के लोगों के जीवन स्तर एवं उत्साहक क्षमताओं में वृद्धि करना किसी भी देश की नीति एवं नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। भारत में सामाजिक क्षेत्रक विकास की आवश्यकता महसूस करते हुए केंद्र सरकार ने 2004-05 से सामाजिक क्षेत्रक बजटीय प्रावधानों में खासी वृद्धि की है।

भारत में सामाजिक क्षेत्रक विकास का दर्शन दो मापदण्डों पर आधारित है-

(A) एजेंडा 21

(B) संयुक्त राष्ट्र सहाजिक विकास लक्ष्य

एजेंडा 21: एजेंडा 21 मुख्यतः वर्तमान की प्रमुख समस्याओं तथा आने वाली सदी की चुनौतियों को लिए दुनिया को तैयार करने की बात करता है। यह विकास के उच्च स्तर तथा पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के प्रति वैश्विक सहमति एवं राजनैतिक बचनबद्धता को दर्शाता है। एजेंडा 21 सतत विकास के विषय पर संयुक्त राष्ट्र का गैर-बाध्यकारी एवं स्वैच्छिक क्रियान्वयन पर आधारित एक एक्शन प्लान है। यह वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में सम्पन्न हुए 'पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' का प्रतिफल है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व के अन्य बहुपक्षीय संगठनों एवं व्यक्तिगत सरकारों का एक्शन एजेंडा है। इसे स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कहीं भी संपादित किया जा सकता है। एजेंडा 21 में "21" 21वीं सदी को संबोधित है।

एजेंडा 21 को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है-

सेक्शन I: सामाजिक और आर्थिक आधार- यह मुख्यतः गरीबी, संपन्नता, उपभोग प्रारूप में परिवर्तन करने, स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा अधिकाधिक समावेशी जनसंख्या की प्राप्ति पर केन्द्रित है।

सेक्शन II: विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन- इसमें पर्यावरण संरक्षण, निर्वनीकरण की रोकथाम, नाजुक पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जैव प्रौद्योगिकी का प्रबंधन शामिल है।

सेक्शन III: प्रमुख समूहों की भूमिका का सुदृढीकरण, जिसमें बच्चे, युवा, पुरुष, महिलाएँ, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय प्राधिकरण, व्यवसायी तथा श्रमिकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भूमिका का सुदृढीकरण सम्मिलित है।

सेक्शन IV: कार्यान्वयन के साधन- इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीक का हस्तांतरण, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा वित्तीय व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

एजेंडा 21 में स्पष्ट किया गया है कि गरीबी उन्मूलन तथा मानव संसाधन विकास के साथ-साथ आय वितरण में वृहत्तर समता सुनिश्चित करना ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

समग्र सामाजिक क्षेत्रक विकास के संबंध में एजेंडा 21 का मूलभूत दृष्टिकोण इस प्रकार है-

- सतत आजीविका अवसर उपलब्ध कराना।
- जनसांख्यिकीय गतिशीलता एवं निरंतरता।
- शिक्षा (लोगों की क्षमता में सुधार करना)।
- स्वास्थ्य (मुख्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संबंधी आवश्यकताएँ)।
- स्थायी मानव अधिवास।
- महिला सशक्तिकरण।
- बालकों एवं युवाओं के हितों को सुनिश्चित करना।

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

(United Nations Millennium Development Goals)

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य सम्मिलित हैं, जिनकी औपचारिक उद्घोषणा वर्ष 2000 में हुए संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- (i) अत्यधिक गरीबी एवं भुखमरी का उन्मूलन।
- (ii) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति।
- (iii) लैंगिक समानता स्थापित करना।
- (iv) बाल मृत्यु दर में कमी।
- (v) मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार।
- (vi) एचआईवी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से सुरक्षा।
- (vii) पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना।
- (viii) प्रौद्योगिकी विकास में निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज की सहभागिता के साथ विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना।

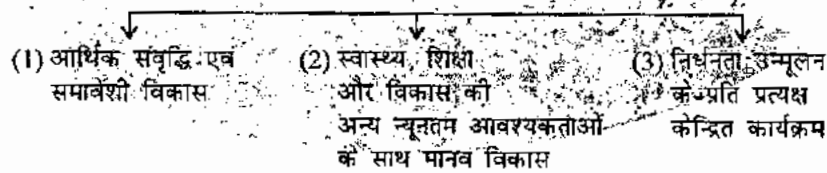
भारत में सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के प्रमुख लक्षित क्षेत्र

(Main Target Area of Social Sector/Services in India)

गरीबी निवारण एवं सामाजिक समावेशन भारत में विकासीय नियोजन के सर्वप्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इसी प्रकार यह भी विदित है कि गरीबी पर्याप्त आय के अभाव में फैलने वाली बहुआयामी प्रघटना है, जिसे वचना की स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। यह लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक फैली हुई है।

सामाजिक असमानता को समाप्त करने की स्वीकृति की परिणति शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास की दिशा में संयुक्त प्रयासों के रूप में सामने आती है, जो क्षमता निर्माण तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी राज्य पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारत में सामाजिक क्षेत्र के लिए विकसित तीन आयामी रणनीति इस प्रकार है-



भारत में सामाजिक क्षेत्रक पहलें (Social Sector Initiative in India)

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास: मुख्य नीतिगत प्रयास तथा इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे

सामाजिक विकास का एक आधारभूत पहलू लोगों की दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता है। किसी भी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के संकेतक द्वारा मापा जा सकता है। लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति सामान्यतः आवश्यकता, अनुभव, योग्यता एवं उपलब्धता; चार कारकों की परस्पर व्यापकता द्वारा निर्धारित होती है। अनेक व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता जैविकीय कारकों (जैसे कि आनुवंशिक कारक) के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक कारकों (जैसे जीवन स्तर, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा परिवारों के लिए संसाधनों का आबंटन) पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की समझ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों जैसे किसी व्यक्ति का शिक्षा का स्तर, आय का स्तर और सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादि पर निर्भर करती है। योग्यता से तात्पर्य है- स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की समझ और उनकी प्राप्ति। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता मुख्यतः भौतिक अवसंरचना (अस्पतालों, औषधालयों तथा बिस्तारों की संख्या) के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर, नर्स) की प्रति इकाई जनसंख्या पर उपलब्धता द्वारा स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे विकासशील देशों में बहुसंख्यक जनसंख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारत में सामाजिक क्षेत्र विकास का प्राथमिक उद्देश्य जनता के कमजोर तबके की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। अतः इन क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रक के योगदान का विशेष महत्व है।

भारत में स्वास्थ्य संकेतक (Indicators Relating to Health in India)

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक जनता की पहुँच अर्थात् लोगों तक इनकी उपलब्धता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के 6 घटक इस प्रकार हैं-

1. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
2. प्रति एक लाख जनसंख्या पर चिकित्सकों की संख्या।
3. प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या।
4. स्वस्थ लोगों का प्रतिशत।
5. प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या।
6. प्रति एक हजार जन्मों पर जीवित बच्चों की संख्या।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय की स्थिति

(Policy of Public Expenditure in the Health Sector in India)

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र काफी विविधतामूलक है जिसमें कई परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियाँ जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत के आस-पास रहा है। ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना में केन्द्र एवं राज्यों में एक साथ वर्ष 2006-07 में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम के व्यय को आगामी वर्षों में 2 से 3 प्रतिशत बढ़ाकर इस असंतुलन को दूर करने की योजना थी।

योजना आयोग द्वारा 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल' (Universal Health-Care) पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने 12वें पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 1.01 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 2.5 प्रतिशत करने और वर्ष 2022 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की।

रिसर्च एंजेंसी 'अन्स्ट एंड यंग' द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 90 प्रतिशत लोग अपने सालाना घरेलू खर्च का आधा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। यही नहीं, इसके चलते भारत की आबादी का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (UHC) प्रोग्राम यानि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए अपनी जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा बाँटना स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। फिलहाल सरकार जीडीपी का मात्र 1 फीसदी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रही है, जिसके कारण लगभग 4 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।

• इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं-

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022 तक जीडीपी का 3.7 से 4.5 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने की आवश्यकता है।
- अगर सकल घरेलू उत्पाद का 4 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाय, तो अगले 10 सालों में सबके लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
- लगभग 80 फीसदी शहरी परिवार और 90 फीसदी ग्रामीण परिवार वित्तीय कठिनाइयों के चलते अपने वार्षिक घरेलू खर्च का आधा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं।
- अन्स्ट एंड यंग द्वारा 2008 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खर्च के कारण भारत की आबादी का लगभग 4 फीसदी हिस्सा हर साल गरीबी रेखा के नीचे फिसल जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। इस रूपरेखा के तहत सरकार अपने सभी नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवाइयाँ और स्वास्थ्य सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में 72 प्रतिशत केवल दवाओं पर होता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्ट से लेकर चिकित्सक, उद्योग से लेकर दवा निर्माताओं और चिकित्सा बीमा से लेकर अस्पताल प्रबंधन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का बेहतर संचालन, सभी की अहम भूमिका है।
- इन लक्ष्यों में मरीज की सेवाओं के अलावा सलाह, दवाई और डायग्नोस्टिक टेस्ट आदि भी शामिल होंगे, जो फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आरोग्यश्री के तहत शामिल होते हैं।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वित ढाँचे की परिकल्पना की गयी है और केंद्र सरकार इस कार्यक्रम की प्रमुख फाइनेंसर होगी। वर्तमान में सरकार के सामने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सबसे बड़ी समस्या एक व्यापक कार्यान्वयन ढाँचे और वित्त पोषण का अभाव है।

12वीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीति के मुख्य बिंदु

12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कार्यनीतियों को परिभाषित करने में सहायता प्रदान करने के लिए योजना आयोग ने प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में व्यापक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया है।

12वीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीति के मुख्य पहलु निम्नवत् हैं-

- 12वीं योजना में सात महत्वपूर्ण लक्ष्यों- शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजननता दर, बच्चों में अल्प पोषण, महिलाओं एवं लड़कियों में रक्ताल्पता, सभी के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, 0-6 वर्ष के आयु समूह में बाल लिंगानुपात बढ़ाने) की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए पुनः कार्यनीति बनायी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बाल जन्म एवं प्रसव-पूर्व परिचर्या पर काफी जोर दिया गया है। फिर भी, 12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में इसका विस्तार करके स्वास्थ्य परिचर्या के और अधिक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किये जाने पर बल दिया गया है और निवारक एवं उपचारात्मक दोनों सेवाओं को शामिल करने की बात की गई है।
- 12वीं योजना में लिंग भेद एवं अल्प पोषण के कारण लड़कियों एवं महिलाओं को हो रहे नुकसानों के कुचक्र का प्रभाव 0-6 वर्ष के आयु समूह में लगातार गिर रहे लिंगानुपात में और इस तथ्य में देखा जा सकता है कि भारत की प्रत्येक तीसरी महिला अल्पपोषित और प्रत्येक दूसरी महिला रक्ताल्पता से ग्रसित है। लिंग आधारित असमानताओं, भेद-भाव और लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- 12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि इस योजनाकाल में बच्चों को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें स्वास्थ्य एवं बाल परिचर्या सेवाओं का अभिसरण किया जायेगा। इस समय 83 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को महिला एवं बाल विकास विभाग के लगभग 11 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग के 1.47 उपकेंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य एवं बाल परिचर्या सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- 12वीं योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्रत्येक निवास स्थान में एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना चाहिए तथा उनका औपचारिक अंतर्बन्ध स्वास्थ्य, पोषण एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा सेवाएँ प्रदान करने की व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। इस पद्धति के जरिये प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में कम से कम एक आशा और प्रत्येक पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रों के समूहों के लिए कम से कम एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) उपलब्ध होगा। दोनों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता निगरानी में लाया जा सकता है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अधिक ध्यान दिये जाने वाले 264 जिलों में मातृ स्वास्थ्य एवं बाल अल्पपोषण में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर को भी कम किया जाना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में जनसंख्या स्थिरीकरण की स्थिति का उल्लेख

दृष्टिकोण प्रपत्र में उल्लेख किया गया है कि दक्षिण भारत के सभी और 10 अन्य राज्यों ने प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तरों से नीचे के स्तरों को प्राप्त कर लिया है, परंतु चार बड़े उत्तर भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सकल प्रजनन दर अभी भी 3.3 से अधिक बनी हुई है। चूंकि जनसंख्या वृद्धि की सतत रूप से उच्च दरें सीमित संसाधनों पर भार डालती हैं और लोकतांत्रिक ढाँचे में जनसंख्या वृद्धि की व्यापक रूप से भिन्न दरें क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की तात्कालिक आवश्यकता है।

12वीं योजना में उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में परिवार नियोजन सेवाओं के लिए समर्पित वित्तपोषण के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के तहत आरसीएच सेवाएँ प्रदान करके इस मुद्दे का समाधान करने की आशा की गई है। परिवार नियोजन के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करना होगा। ऊँचे प्रजनन दर के मूल कारकों जैसे शिशु मृत्यु दर, महिलाओं को अधिकार, कम उम्र में विवाह आदि का समाधान करने वाले कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना व संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों के संबंध में रणनीति

एचआईवी/एड्स के उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में वर्ष 2008-09 में लगभग 23.95 लाख लोग एचआईवी/एड्स से ग्रस्त हैं। इनमें से 38.7 प्रतिशत महिलाएँ एवं 4.4 प्रतिशत बच्चे हैं। जो महिलाएँ अपने यौन संबंध पर नियंत्रण

नहीं रख पाती हैं उनका अनुपात एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों में अधिक है। एक सकारात्मक पहलू यह है कि संक्रमण की व्यापकता स्थिर हो गयी है और कुछ स्थानों में कुछ कमी भी आयी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं पर समान रूप से ध्यान दिये जाने और सेवा प्रदान कराने की व्यवस्था को और अधिक समुदाय-केन्द्रित बनाने के वचन को ध्यान में रखते हुए अंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम समुदाय की महिलाओं का उपयोग, प्रभावित महिलाओं, पुरुषों और कार्यकर्ताओं, पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुष और सुई से ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों को व्यापक परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उच्च व्यापकता वाले क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर की अवसंरचना जरूरतों की समीक्षा की जायेगी।

अन्य संक्रामक रोगों जैसे क्षय रोग, मलेरिया पर भी ध्यान केन्द्रित करने और इनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सतत् प्रतिबद्धता की जरूरत है। भारत के समक्ष हृदय वाहिका रोगों मधुमेह, कैंसर एवं चिरकालिक रोगों जैसे असंचारी रोगों का बढ़ता खतरा भी है। हमें तंबाकू नियंत्रण, उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह का शुरू में ही पता लगाने एवं प्रभावी नियंत्रण तथा सामान्य एवं उपचार योग्य कैंसर की जाँच सहित नीतिगत उपायों के पैकेज के जरिये इनसे निपटना है। इन कार्यनीतियों को एनआरएचएम एवं एनयूएचएम में शामिल किया जाना चाहिए। 12वीं योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम अधिनियमित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह आपातकालीन (Emergency) स्थिति होने से पहले ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए सक्रिय उपाय करने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना

भारत में आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एड्स नियंत्रण विभाग की 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना' की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना पर 2550 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी। इस परियोजना के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा बराबर की राशि दी जाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्गों में सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना है, जो एचआईवी रोग की महाप्राप्ति को 2017 तक तेजी से रोकने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

इस परियोजना से निम्नलिखित कार्यों में सहायता मिलेगी-

- एड्स रोकथाम सेवाओं को प्रोत्साहन देना और इसे मजबूत करना विशेष रूप से अत्यंत संवेदनशील वर्गों के लिए एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्गों और एड्स के प्रभाव से आसने वाली संभावित आबादी के लिए इन सेवाओं को बढ़ावा देना।
- व्यवहार परिवर्तन संवाद और रोकथाम सेवाओं की साझेदारी को बढ़ावा देना।
- संस्थागत सुदृढीकरण और वित्तीय प्रबंधन देश में एचआईवी संक्रमण बढ़ने से रोकने से संबंधित प्रयासों से प्राप्त लाभों को और सुदृढ करने के लिए इस परियोजना से आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

इस परियोजना में मुख्य जोर एड्स को दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील आबादी के समुदायों के लिए रोकथाम के उपायों को अपनाना और व्यवहार परिवर्तन संवाद से संबंधित प्रयासों को बढ़ावा देना है। इनमें महिला यौनकर्मी, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और सुई लगाकर नशीली दवाएं लेने वाले लोग शामिल हैं। इस परियोजना से अन्य संवेदनशील वर्गों जैसे- एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करने वाले कामगारों और ट्रक चालकों आदि में भी इस रोग को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। परिवर्तन संवाद नीति के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संवाद के जरिये एचआईवी के बारे में लोगों की मौजूदा धारणा भी बदलने पर जोर दिया जायेगा।

भारत में सर्वव्यापी निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में प्रयास

सर्वव्यापी स्वास्थ्य, उचित मूल्य पर आवश्यक दवाईयों व इलाज का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच संभव बनाने हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के विस्तार और सुदृढीकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और संक्रामक एवं असंक्रामक रोग नियंत्रण जैसे अभियान चलाये जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में भी सर्वव्यापी कवरेज (Universal Coverage) की कुछ विशेषताएँ हैं। स्वास्थ्य संबंधी इन कार्यों में उठाये गये निम्न कदम शामिल हैं-

- निःशुल्क मातृत्व स्वास्थ्य सेवा जिसमें जन्म पूर्व जाँच, आयरन-फॉलिक एसिड पूरक प्रदान कराना, जन्म पश्चात् देखभाल तथा सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ शामिल हैं। हाल ही में प्रारंभ किये गये 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भी निःशुल्क प्रसव, माता को हार से लाने तथा ले जाने की सुविधा, निःशुल्क आहार, दवाईयाँ, खाने की अन्य वस्तुएँ और रक्त की जाँच तथा अन्य जाँच की गारंटी दी गई है। इसी प्रकार की सुविधाएँ नवजात शिशु के लिए भी है।
- सर्वव्यापी रोग प्रतिरोधक कार्यक्रम में 7 बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण तथा गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा दी गई है।

- निःशुल्क बाल स्वास्थ्य सेवा, जिसमें घर पर जन्मे नवजात की देखभाल, चिकित्सालय में जन्मे बालक की देखभाल, पोषण संबंधी देखभाल, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) तथा ज़िंक की आपूर्ति के साथ डायरिया का इलाज तथा एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति के साथ निमोनिया का इलाज शामिल हैं। हाल ही में शुरू किये गये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में बाल स्वास्थ्य जाँच तथा आरंभिक देखभाल सेवा भी शामिल हैं।
- संक्रामक रोग नियंत्रण, जिसमें मलेरिया, कालाजार, डेंगू, जापानी इनसेफलाइटिस एवं चिकनगुनिया, टीबी तथा कुष्ठ रोग शामिल हैं। असंक्रामक रोग नियंत्रण, जिसमें दृष्टिहीनता से बचाव के लिए निःशुल्क कैटेरेक्ट शल्य क्रिया, निःशुल्क कार्निया प्रत्यारोपण, ग्लूकोमा, मधुमेह, रिटेनोपैथी तथा बच्चों को निःशुल्क एनक उपलब्ध कराना शामिल है।
- किशोरावस्था सेवा में किशोरों की सुविधाओं के लिए किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य क्लिनिक तथा डब्ल्यूआईएफएस (साप्ताहिक आयुर्वेद फालिक एसिड पूरक डीवार्मिंग दवाईयों) का प्रबंध किया गया है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों में निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराना, गर्भनिरोधक तथा परिवार नियोजन के अन्य साधनों को उपलब्ध कराना शामिल है।

शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में भारत की स्थिति

भारत में शिशु मृत्यु दर के बारे में सर्वेक्षण व अनुसंधान होते रहे हैं। इसी क्रम में सेंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2011 के अंतर्गत भारत में शिशु मृत्यु दर की राज्यवार स्थितियों का उल्लेख किया गया है। इस सर्वे के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में शिशु-माता मृत्यु दर सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश में 100 में से 32 नवजात शिशुओं की औसत मृत्यु होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में (3) स्थिति गंभीर है। सर्वे के अनुसार, केरल में शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई है। साथ ही तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र में यह दर 24 रह गई है। सर्वे में माना गया है कि भारत में पैदा होने वाले सभी बच्चे जीवित बचने की समान संभावनाएं नहीं रखते। इस दृष्टि से शिशु मृत्युदर बढ़ना एक गंभीर खतरा है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में जन्म लेने वाले शिशुओं की मौत का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। गरीब परिवारों में पैदा होने वाले शिशुओं की मृत्यु की अधिक संभावना के कारणों में दूषित वातावरण, कुपोषण, ज़रूरी दवाओं की कमी और आवश्यक सुविधाओं का अभाव आदि शामिल हैं।

शिशु मृत्यु दर में विभेद स्तर (Differentiation Level in Infant Mortality Rate)

भारत में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में कई स्तरों पर विभिन्नताएं पायी जाती हैं। इन्हें निम्नांकित पाँच स्तरों पर समझा जा सकता है।

1. अंतर्राज्यीय विषमता: नवजात शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक क्षेत्रीय असमानता बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान में पायी जाती है।
2. शहरी और ग्रामीण विषमता: नवजात शिशुओं में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुताबिक भारी विषमता विद्यमान है। शहरी क्षेत्रों में नवजात शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम है लेकिन शहरी गरीबों में हालात ग्रामीण क्षेत्रों से भी खराब है।
3. शिक्षा के स्तर पर: नवजात शिशु मृत्यु दर में माता के शिक्षक स्तर से विषमता के संकेत मिले हैं। अशिक्षित माता के गर्भ से पैदा होने वाले शिशुओं की शिक्षित माता के गर्भ से पैदा होने वाले शिशुओं की अपेक्षा मृत्यु की अधिक संभावना रहती है।
4. माता की आयु के आधार पर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, नवजात शिशुओं की मृत्यु का सीधा संबंध माता की उम्र से है। जितनी कम उम्र की माँ होगी उसके शिशु के मरने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी।
5. जातीय विषमता: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में पैदा होने वाले शिशुओं में अन्य जातियों के शिशुओं की अपेक्षा अधिक मृत्यु दर पायी जाती है।

उल्लेखनीय है कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा 7 जुलाई, 2011 को वर्ष 2007-09 के लिए मातृत्व मृत्यु दर अनुपात पर सेंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन और वर्ष 2009 के लिए एसआरएस पर वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मातृत्व मृत्यु दर 2004-06 की तुलना में 2007-09 के दौरान 254 से घटकर 212 हो गयी है। अर्थात् प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मृत माताओं की संख्या 212 हो गयी है। यह एक संतोषजनक स्तर कहा जा सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में मातृत्व मृत्यु अनुपात में वर्ष 1990 और 2015 के मध्य तीन-चौथाई कमी लाना शामिल है तथा भारत के लिए वर्ष 2015 तक इसे 109 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत के संदर्भ में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत रखे गये मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को 2007-09 की अवधि में तीन राज्यों केरल (81), तमिलनाडु (97) व महाराष्ट्र (104) ने प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि केरल ने इस लक्ष्य को 2004-06 की अवधि में ही प्राप्त कर लिया था।

संयुक्त राष्ट्र के 'बाल मृत्यु के आकलन हेतु अंतःअधिकरण समूह द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर बाल मृत्यु की नवीनतम स्थिति संबंधी रिपोर्ट, 2011

वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 1990 के स्तर से 2015 तक दो-तिहाई कम करना (प्रति 1000 जीवित जन्म पर 29 तक लाना) संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) में चौथे लक्ष्य के रूप में शामिल है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के 'बाल मृत्यु के आकलन हेतु अंतःअधिकरण समूह' (Inter-agency group for Child Mortality) द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर बाल मृत्यु की नवीनतम स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 2011 : बाल मृत्यु में स्तर एवं प्रवृत्तियाँ सितंबर 2011 में जारी की गई।

इस रिपोर्ट के अनुसार सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 4 (MDG 4) की दिशा में कुल मिलाकर अब तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के मृत्यु प्राप्त बच्चों की संख्या 1990 के 12 मिलियन से घटकर 2010 में 7.6 मिलियन पर आ गई है।

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल मृत्यु की सर्वाधिक दर उप-सहारा अफ्रीका में है जहाँ प्रत्येक 8 में से 1 बच्चा 5 वर्ष की आयु से पूर्व मौत का शिकार हो जाता है। दक्षिण एशिया में यह अनुपात 15 पर 1 है। विश्व की कुल बाल मृत्यु दर में से लगभग आधा पाँच देशों-भारत, नाइजीरिया, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान तथा चीन में घटित होता है। भारत 22 प्रतिशत व नाइजीरिया 11 प्रतिशत के साथ वैश्विक स्तर पर समस्त बाल मृत्यु के एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। इसका प्रमुख कारण इन देशों में कुपोषण का अत्यंत ऊँचा स्तर होना है जिसमें बालकों में उत्तरजीविता की क्षमता (Survival Capacity) पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती।

भारत में स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में प्रारंभ की गयी नवीनतम कार्यक्रम व योजनाएँ

स्वास्थ्य मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। भारत में स्वास्थ्य संरक्षण का प्रयास सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों के साथ ही मानव संसाधन विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान में कई अनुच्छेदों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के स्वास्थ्य, देखरेख व संरक्षण की अपेक्षा की गयी है। इन संदर्भों को ध्यान में रखकर भारत में हाल के समय में कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम व योजनाएँ शुरू की गयी हैं जो विभिन्न वर्गों व समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत् हैं-

1. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for the Health Care of the Elderly) 4 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुसंधान एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाना राज्यों का दायित्व है। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का उपचारात्मक निवारक और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अन्य उद्देश्य हैं रेफरल प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण को विकसित करना एवं पुराने उपर से संबंधित रोगों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को कई स्तरों पर अलग से और विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी हैं। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 30 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय जरा रोग केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

21 राज्यों के 100 जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में इसके उपकेन्द्र खोले जायेंगे। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और भविष्य में इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश के विभिन्न भागों में 12 अतिरिक्त जरा रोग केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है। ऐसे 5 केंद्रों ने सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। इस योजना का प्रारंभ 21 राज्यों के 30 जिलों में किया गया था। इस कार्यक्रम की मुख्य रणनीतियाँ निम्नवत् हैं-

- (क) निवारक एवं प्रोत्साहक देखभाल।
- (ख) बीमारियों का प्रबंधन।
- (ग) वृद्धावस्था सेवाओं के लिए जनशक्ति का विकास।
- (घ) चिकित्सकीय पुनर्वास एवं चिकित्सकीय साधनों की उपलब्धता।
- (ङ) सूचना, शिक्षा एवं संचार।

इस प्रकार यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक व मानसिक पुनर्वास के माध्यम से सामाजिक बहिष्करण के दंश से बचाने हेतु शुरू किया गया है।

2. **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन:** शहरी जनसंख्या एवं विशेष रूप से शहरी निर्धनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ व सेवाएँ उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन' (National Urban Health Mission) प्रारंभ करेगा। यह उप-मिशन 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के अंतर्गत होगा, जिसे 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया जाना है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की योजना का प्रस्ताव 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसके लिए 4500 करोड़ रुपये की योजना राशि निर्धारित की गयी थी। वय वित्त समिति ने 12 सितंबर, 2008 को बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी थी। लेकिन यह योजना शुरू नहीं हो पायी थी।

प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य शहरी लोगों और विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वाले तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस योजना को शहरी स्थानीय निकायों के सक्रिय सहयोग से चलाया जाना है। इस योजना को पचास हजार और इससे अधिक आबादी वाले 7 महानगरों सहित 779 शहरों और कस्बों में चलाया जायेगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में 9 अक्टूबर 2012 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में वय वित्त समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। समिति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की, जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 22 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी जायेगी जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 17 हजार करोड़ रुपये होगा।

योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, लेकिन मंत्रालय ने 12वीं योजना में इसके लिए लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' की तर्ज पर आरंभ किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में 7 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था जिसकी अवधि वर्ष 2012 में समाप्त हो रही थी, परंतु इसे 5 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार दिया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और अस्पतालों में प्रसव का चलन बढ़ा है। हालाँकि सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शहरी स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए एकीकृत नीति नियोजन समय की मांग है।

3. **किशोरों के लिए राष्ट्रीय आयरन एवं फॉलिक एसिड पूरक कार्यक्रम:** किशोरों के लिए राष्ट्रीय आयरन एवं फॉलिक एसिड पूरक कार्यक्रम 17 जुलाई, 2013 को प्रारंभ किया गया है। 10 से 19 वर्ष के किशोरों में आयरन की कमी के कारण होने वाले रक्ताल्पता (एनीमिया) को रोकने के लिए यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से देश के 13 करोड़ किशोरों को लाभ होगा। आयरन की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता की बीमारी देश में आज एक बड़ी समस्या है। लगभग 58 प्रतिशत गर्भवती महिलाएँ, जन्मीय उम्र की 50 प्रतिशत महिलाएँ, 56 प्रतिशत किशोरियाँ, 30 प्रतिशत किशोरवय लड़के और 5 वर्ष से कम उम्र के 70 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता के शिकार हैं। इसके कारण उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे में बच्चों की एकाग्रता पर भी असर पड़ता है और बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाता। योजना की विशेषताएँ: इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं:-

- 13 करोड़ किशोर लड़के एवं लड़कियाँ योजना के दायरे में शामिल होंगे।
- इसके तहत सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क आईएफए टैबलेट उपलब्ध करायी जायेगी।
- आईएफए टैबलेट के उपयोग के बारे में सप्ताह में एक दिन निरीक्षण होगा।
- किशोरों में रक्ताल्पता की जाँच की जायेगी, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफर किया जायेगा।
- वर्ष में दो बार पेट के कीड़ों की सफाई होगी।
- आयरनयुक्त भोजन एवं संतुलित आहार के बारे में सूचनाएँ एवं सलाह।
- पोषण एवं स्वास्थ्य आधारित शिक्षा।

यह योजना बाल स्वास्थ्य एवं अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

4. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम:** भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 0-18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए हाल ही में यह कार्यक्रम (फरवरी, 2013) शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' का हिस्सा है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पालघर में की गयी है। इस कार्यक्रम को 'बाल स्वास्थ्य परीक्षण एवं शीघ्र निदान सेवा' के रूप में भी जाना जाता है, जिसका लक्ष्य बच्चों की मुख्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनका निदान करना है। इन बीमारियों में जन्मजात विकृतियों, बाल रोग, कमियों के लक्षणों और विकलांगताओं सहित विकास संबंधी देरी शामिल हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए संचालित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को विस्तारित कर इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इन सुविधाओं का लक्ष्य सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली

कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक में पंजीकृत बच्चों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों के जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शामिल करना है। इस कार्यक्रम में शीघ्र परीक्षण व शीघ्र निदान के लिए 30 सामान्य बीमारियों की पहचान की गई है।

पोषण तत्वों की कमी व बीमारियाँ

भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 70 प्रतिशत बच्चों में लौह तत्व की कमी पाई जाती है। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भारत में स्कूली बच्चों में से 50 से 60 प्रतिशत बच्चे दंत रोगों से ग्रसित होते हैं। गरीबी, दुर्बल स्वास्थ्य, कुपोषण व शुरूआती देखभाल के अभाव के कारण बच्चे अपनी विकासात्मक क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाते।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्यान्वयन प्रणाली

इसके अंतर्गत 'जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों', विशेषकर नर्सों, स्वास्थ्य अधिकारी और स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा संस्थात्मक जनन केंद्रों पर जन्मजात कमियों की जाँच पड़ताल की जायेगी। जन्मजात विकारों/रोगों को दूर करने के लिए 'आशा' कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जायेगा। बीमारियों की पहचान के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण दिये जायेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्धारित सचल स्वास्थ्य दलों द्वारा 6 सप्ताह से लेकर 6 वर्ष तक के आयु-समूह के बच्चों की जाँच की जायेगी। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जाँच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में की जायेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्ष में 2 बार एवं विद्यालयों में वर्ष में एक बार जाँच की जायेगी।

इस कार्यक्रम के लिए ब्लॉक गतिविधि का केंद्र है। कम से कम 3 निर्धारित सचल स्वास्थ्य दल प्रत्येक ब्लॉक में बच्चों की जाँच करेंगे। सचल स्वास्थ्य दल में 4 सदस्य, 2 चिकित्सक (आयुष), 1 नर्स और फोफोसिस्टर सम्मिलित होते हैं। जिला चिकित्सालय में प्रारंभिक मध्यवर्ती केंद्र होता है। इस केंद्र का उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। केंद्र में श्रवण, तंत्रिका संबंधी परीक्षण और व्यवहार संबंधी जाँच के लिए जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रारंभिक मध्यवर्ती सेवा की यह नई योजना लंबे समय में स्वास्थ्य सेवा खर्चों में कटौती कर आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करेगी। 'रोकथाम' और समर्थित स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय मानव संसाधन को प्रभावित कर बीमारियों पर होने वाले खर्च और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को भी कम करेगी। पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से देश के 27 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

जापानी इनसेफलाइटिस पर नियंत्रण हेतु योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी

भारत सरकार ने 18 अक्टूबर, 2012 को जापानी इनसेफलाइटिस पर काबू पाने हेतु 418 करोड़ रुपये की योजना का मंजूरी प्रदान की है। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिमागी बुखार से बच्चों को हो रही मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त परियोजना प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश व बिहार इस बीमारी से सबसे अधिक ग्रसित हुए हैं। इस समय योजना हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय से 1131 करोड़ रुपये, शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से 418 करोड़ रुपये, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से 9 करोड़ रुपये, महिला व बाल विकास मंत्रालय से 177 करोड़ रुपये और सर्वाधिक 2300 करोड़ रुपये पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिये जाने हैं।

बच्चों की इस जानलेवा बीमारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार ने मंत्रियों का समूह (GoM) बनाया था। मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों के आधार पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों की संयुक्त परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसी के आधार पर तय मसौदे को 18 अक्टूबर, 2011 को मंजूरी प्रदान की गई। इस समग्र योजना का लाभ देश के कुल 60 जिले को मिलेगा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिले और बिहार के 15 जिले शामिल हैं। भारत में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के जापानी इनसेफलाइटिस (दिमागी बुखार) की चपेट में आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसलिए नयी योजना के माध्यम से बाल स्वास्थ्य के समक्ष उपस्थित इस गंभीर चुनौती से निपटने का निर्णय लिया गया है।

ध्यातव्य है कि रोगों से मृत्यु मानव संसाधन की क्षति का भी एक प्रमुख कारण है। अतः स्वास्थ्य और मानव संसाधन को जोड़कर देखने पर इस योजना के प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे।

भारत में राज्यों के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

जुलाई, 2012 में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) राज्यों का वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया गया। इन सशक्त कार्य समूह राज्यों (EAG States) में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान राज्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष 2005 में आयोजित बैठक के दौरान 'वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (AHS) करने का निर्णय लिया गया था। इन सर्वेक्षणों में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर की उनके

सहपरिवर्तनों के बारे में विस्तृत प्रतिनिधित्वमूलक और विश्वसनीय आँकड़े तैयार करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा लागू किया गया है। 2012 में जारी सर्वेक्षण के अनुसार 8 सशक्त कार्य समूह राज्यों व असम में देश की कुल जनसंख्या के 48 प्रतिशत लोग रहते हैं।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2010-11 की अवधि के लिए) के प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् हैं:-

- कुल प्रजनन दर (TFR) के प्रतिस्थापन दर 2.1 की प्राप्ति 284 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिलों (AHS Districts) में से केवल 20 जिलों ने प्राप्त किया है।
- पहली बार स्वास्थ्य सूचकांकों को जिला स्तर पर उत्पादकता और मृत्यु दर, प्रचलित अक्षमता, आकस्मिक चोट, गंभीर व लाइलाज बीमारी पर बैचमार्क निर्धारण के लिए एचएस प्रारूप तैयार किया गया है।
- आधे से अधिक नवविवाहित महिलाएँ (15-49 वर्ष आयु वर्ग के) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में किसी भी प्रकार के परिवार नियोजन विधियों का उपयोग नहीं करती हैं। इसके साथ ही पुरुष बध्याकरण सभी एचएस राज्यों में सबसे कम पसंदीदा आधुनिक विधि है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि कम से कम 1/5 नवविवाहित महिलाएँ सभी एचएस राज्यों में अभी तक परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकी हैं।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों ओडिशा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी जननी सुरक्षा योजना का सार्वभौमिक कवरेज चिंता का विषय बना हुआ है जबकि झारखंड और उत्तरप्रदेश की स्थिति में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
- मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में हर 10 प्रसव में 7 प्रसव सुरक्षित होते हैं जबकि यह संख्या झारखंड व छत्तीसगढ़ में 5 से भी कम है। ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में माताओं के लिए प्रसव पश्चात् देखभाल तथा नवजात बच्चे के बेहतर देखभाल की सुविधा के बावजूद हर पाँचवीं माता को प्रसव पश्चात् देखभाल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष में यह तथ्य सामने आया है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टीकाकरण में 25 से 30 प्रतिशत कमी के कारण पूर्व टीकाकरण प्राप्त नहीं किया जा सका है।
- जिला स्तर पर मातृ और शिशु देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर 63 संकेतकों के कारण शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी।
- इन आँकड़ों के अभाव में जिला योजनाओं को तैयार करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्य स्तर के अनुमानों का उपयोग कर लिया जाता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य अवसंरचना विकास की रणनीति

12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों (उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों) को कंप्यूटीकृत एवं उनको आपस में जोड़ना तथा नये इंटरफेस सृजित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी होना चाहिए। रोगों के बारे में सही सूचना के अभाव और संक्रामक रोगों के प्रकोप की जानकारी के मद्देनजर शुरुआती चेतावनी प्रणाली की विफलता को सुधारने के लिए ठोस निगरानी प्रणालियाँ सृजित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

स्वास्थ्य अवसंरचना के संदर्भ में स्थिति का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली ने पूर्णतया सेवा प्रदान नहीं की है तथा असंचारी रोगों की निगरानी अभी ही शुरू हुई है।

12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती दिये जाने की आवश्यकता है, साथ ही संक्रामक रोगों तथा असंचारी रोगों के जोखिम कारकों के लिए भरोसेमंद एवं सही रिपोर्टिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के साथ लिंक स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा नेटवर्क विकसित करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसी सूचना के बिना नीति एवं कार्यक्रम योजना कमजोर पड़ जायेगी एवं प्रभाव मूल्यांकन करना कठिन हो जायेगा। इस प्रकार निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए 'ठोस स्वास्थ्य सूचना प्रणाली' निर्मित करना आवश्यक है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदान करने की व्यवस्था के लिए आवश्यक बुनियादी अवसंरचना को पूरा करना आवश्यक है। इसके लिए मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आईपीएचएस मानकों के अनुरूप उन्नत करने, प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थियेटर बनाने, (जो कि मातृ मृत्यु को कम करने के लिए आवश्यक है) और नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित करने सहित अवसंरचना विकास के लिए राज्यों हेतु पर्याप्त योजनागत सहायता की आवश्यकता होगी। प्रखण्ड एवं जिला स्तरों पर सरकारी नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना होगा। इसके लिए न केवल अवसंरचना को उन्नत करना आवश्यक होगा बल्कि पर्याप्त मानव संसाधन सहायता एवं सुविकसित सेवा प्रदानगी प्रोटोकॉल भी आवश्यक होगा।

12वीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यों में औषध संग्रहण एवं भंडारण, चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, निगरानी एवं कोल्ड चेन प्रबंधन जैसी अनुषंगी सेवाओं के लिए अवसंरचना के अभाव की स्थिति को दूर करना है। नए मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों को वरीयता प्राप्त अल्प सेवित राज्यों एवं जिलों में जिला अस्पतालों से जोड़ा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 25 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले जिलों में ऐसे कॉलेजों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि उस समय वहाँ उनका अभाव हो। 12वीं योजना में स्वास्थ्य मुद्दों के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त निराकरण पाने के लिए अनुसंधान का वित्त पोषण करना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में इस बात की सिफारिश की गयी है कि विस्तृत उपकेंद्रों एवं पूर्णतया कार्यशील प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क को एक प्रणाली के रूप में प्रभावी बनाये जाने की जरूरत है और यह तभी होगा जब रेफर किये गये रोगियों को ले जाने-लाने के लिए त्वरित सेवाएं उपलब्ध हों। मौजूदा 1084 सचल चिकित्सा यूनिटों को बढ़ाकर इसे प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराया जायेगा। सचल चिकित्सा यूनिटों को कतिपय क्षेत्रों को भी समर्पित किया जा सकता है जहाँ घुमंतू लोगों की संख्या काफी है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रत्येक सचल चिकित्सा यूनिट में आवश्यक आभातकालीन उपकरण, औषध बुनियादी नैदानिक उपकरण एवं प्रशिक्षित पैरामेडिक हैं। सचल चिकित्सा यूनिटों में फायर-ब्रिगेड प्रभाग को हस्तांतरित करने (जैसा कि कई विकसित राष्ट्रों में चलन है) की संभावना का पता लगाया जायेगा।

भारत में परिवार नियोजन: नीति का कार्यक्रम

भारत विश्व में प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1951 से पूर्व भारत में जनसंख्या को एक समस्या के रूप में नहीं देखा गया। संभवतः इसके पूर्व यह माना गया कि जनसंख्या की वृद्धि कोई अहित नहीं करती परंतु 1951 में भारत सरकार ने जनसंख्या की वृद्धि की गंभीरता से ली। तथा पहली बार 1952 में 'राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम' शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य जनमर को उस सीमा तक कम करना था जिससे जनसंख्या को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्तर पर स्थापित किया जा सके।

1961 की जनगणना रिपोर्ट के पूर्व परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत छोटे पैमाने पर लिया गया था। इसके संबंध में क्लिनिकल दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसमें प्रजनन तथा जनानिकीय के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल दिया गया था।

इसके अंतर्गत राज्य स्तर तथा केंद्रीय स्तर पर क्लिनिकल सेवा प्रदान करने वाले संगठनों को स्थापित करने पर बल दिया गया परंतु प्रथम योजना में 'रिदेम प्रत्यागम' प्रयोग में आया। 1961 की जनगणना के बाद जिसमें जनसंख्या की वृद्धि प्रत्याशित वृद्धि से बहुत अधिक थी जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए 'क्लिनिकल प्रत्यागम' के साथ-साथ सेवा को जोड़ दिया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में यानिकी उपग्राम (Mechanical Approach) अपनाया गया। 1961-62 में परिवार नियोजन को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। इसे परिवार के संपूर्ण कल्याण के साथ जोड़ दिया गया और यह परिवार नियोजन से हटकर परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम (Family Welfare Planning Programme) बन गया। 1966 में परिवार नियोजन विभाग सृजित किया गया। इस विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय में कार्य करना शुरू किया।

चूँकि परिवार नियोजन ऐच्छिक था तथा इसमें स्वीकार गर्भनिरोधक की किसी विधि को चुना जा सकता था, इसलिए इसे कैप्टेरिया प्रत्यागम कहा गया जिसका प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। काहिरा में हुए इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन पापुलेशन डेवलपमेंट तथा बीजिंग में हुए इंटरनेशनल वीमेन्स कांफ्रेंस में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता था, इसलिए यह आवश्यक था कि भारत अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन लाये।

इसलिए 15 अक्टूबर, 1997 को भारत सरकार ने प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्य (Reproductive and Child Health Programme - RCH) शुरू किया जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्यक्रम बना। इस कार्यक्रम में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए अलग सोच विकसित की गयी जिसमें परिवार नियोजन सेवाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में अलग से देखा गया।

8वीं योजना में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में 'विकेंद्रित नियोजन तथा नियंत्रण' की नीति अपनायी गयी। इसके कारण विशिष्ट क्षेत्र की समस्याओं के अनुरूप क्षेत्रानुसार रणनीति के लाभ प्राप्त होने की आशा प्रकट की गयी।

भारत की नयी जनसंख्या नीति, 2000

भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व जनानिकीय प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करते हुए 15 फरवरी, 2000 को नयी जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ली जायेगी। उत्तर एवं मध्य भारत के बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में सकल प्रजनन दर (TFR) के लक्ष्य 2.1 प्राप्त करने की दिशा में धीमी प्रगति होने के कारण जो वर्तमान में 2.8 बनी हुई है, स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति के लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 कर दिया है।

नयी जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य निरोधोकरण, स्वास्थ्य रक्षा अवस्थापना (Health Care Infrastructure) समन्वित प्रसूति सेवा (Integrated Delivery Service), स्वास्थ्य कर्मियों आदि के संदर्भ में पिछली जनसंख्या नीति के अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। जनसंख्या नीति का मध्यकालीन उद्देश्य अन्तःक्षेत्रीय रणनीति का परिश्रम के साथ क्रियान्वयन है जिससे कुल प्रजनन दरों को 2010 तक प्रति दंपति 2 संतान के प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) को प्राप्त किया जा सके। जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप हो।

घोषित नयी जनसंख्या नीति में छोटे परिवार की संकल्पना को प्राप्त करने के लिए 16 प्रोत्साहक (Promotional) तथा उत्प्रेरक (Motivational) उपायों की चर्चा की गयी है जिसमें संपुदाय स्तर पर प्रेरणा और गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों के लिए योजना (जो दो बच्चों के बाद बंध्याकरण करा ले), परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बोमा योजना, बालिका समृद्धि योजना का चालू रहना तथा मातृ लाभ योजना सम्मिलित हैं। इन उपायों में यह भी प्रस्तावित है कि गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे दंपति जो 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें, छोटे परिवार की संकल्पना स्वीकार करें तथा दूसरी संतान के जन्म के बाद परिवार नियोजन को बंध्याकरण विधि स्वीकार करें, उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। लड़की के जन्म पर 500 रुपये नकद तथा ऐसा ही इनाम उस महिला को (जो 19 वर्ष की आयु के बाद प्रथम बच्चे को जन्म देगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) दिया जायेगा।

इस प्रकार जनसंख्या नीति, 2000 का अल्पकालिक उद्देश्य गर्भनिरोधकों की अपूरित मांग को पूरा करना, स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य समन्वयों की व्यवस्था करना है और मध्यकालिक उद्देश्य सकल प्रजनन दर को 2010 तक 201 पर ले आना और दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण करना है।

यह माना जाता है कि सकल प्रजनन दर में कमी लाए जाने से भारत की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने में सहायता मिलेगी जिसके बदले में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की गति मिलेगी। परिवार नियोजन में अधिकाधिक निवेश से महिलाओं को वांछित आकार का परिवार प्राप्त करने तथा अवांछित और असमय होने वाले गर्भधारणों से बचने में सहायता प्रदान करके उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल, उत्प्रेरित गर्भपात की रोकथाम एवं इन मौतों में अधिकतर का उन्मूलन करने में मदद मिल सकती है। यह अनुमान लगाया गया है कि परिवार नियोजन संबंधी अपूरित आवश्यकताओं की पूर्ति से भारत में 8 वर्षों के दौरान 50 लाख बच्चों की मौतों से बचा जा सकता है। विशेषकर खराब स्वास्थ्य अवसरचना वाले क्षेत्रों में परिवार नियोजन एक किफायती तथा मातृ मृत्यु में कमी लाने का व्यावहारिक तरीका है, क्योंकि यह जटिल प्रौद्योगिकियों पर निर्भर नहीं है।

भारत सरकार ने जन्म अंतराल पद्धतियाँ विशेषकर आईयूसीडी (प्रसवोत्तर और अंतराल दोनों) पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को नया रूप दिया है। पहले बच्चे के जन्म में विलंब तथा पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में स्वस्थ अंतराल को बढ़ावा देने के लिए तथा ग्राहकों को परामर्श देने के लिए भी आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा ताकि सुव्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों की स्थिति व रणनीति

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था के लिए मानव संसाधनों का अभाव उतना ही जिम्मेदार है जितना कि भौतिक संरचना का अभाव। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (RHS), 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,433 चिकित्सकों (आवश्यक संख्या का 10.27 प्रतिशत), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 11,361 विशेषज्ञों (आवश्यक संख्या का 62.6 प्रतिशत) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संयुक्त रूप से 13,683 नर्सों (आवश्यक संख्या का 24.69 प्रतिशत) की कमी है। इसके अतिरिक्त देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 7,655 फार्मासिस्ट एवं 14,225 प्रयोगशाला तकनीशियनों (आवश्यक संख्या का क्रमशः 27.13 एवं 50.42 प्रतिशत) की आवश्यकता है। ये संख्या वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है।

12वीं योजना में चिकित्सकों, नर्सों, एवं पैरामेडिक्स के लिए शिक्षण संस्थानों में विस्तार सुनिश्चित करने की बात की गई है। कुल 640 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज हैं। शेष 447 जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके साथ ही पैरामेडिकल व्यवसायी बनाने के लिए मौजूदा शिक्षण क्षमता बहुत ही अपर्याप्त है। 335 मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले 319 एएनएम प्रशिक्षण स्कूल, 49 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण स्कूल हैं। पैरामेडिकल व्यवसायियों को प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12वीं योजना में प्रत्येक जिला अस्पताल को ज्ञान केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रशिक्षण संस्थानों में विकसित करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों की स्थिति 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बेहतर हुई है। भारत में डाक्टरों का घनत्व प्रति 1000 लोगों पर 0.6 और नर्सों एवं मिडवाइफ का घनत्व प्रति 1000 लोगों पर 1.30 है, दोनों मिलाकर प्रति 1000 लोगों पर 1.9 स्वास्थ्य कार्यकर्ता का घनत्व बनता है। देश के लिए स्वास्थ्य मानव संसाधन हेतु कोई मानदंड नियत नहीं किया गया है। यदि

प्रति 1000 लोगों पर 2.5 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मिडवाइफ, नर्स एवं डॉक्टर) को हिसाब में लिया जाय तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी का पता चलता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सभी संवर्गों के असंतुलित वितरण के कारण ग्रामीण, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में असुरक्षित लोगों का अत्यधिक अल्पसेवित होना जारी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के रणनीतिक दस्तावेज में कहा गया है कि जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन प्रशिक्षण के प्रस्तावित स्तरों के बावजूद क्षेत्रीय समानता, ग्रामीण-शहरी वितरण एवं गुणवत्ता के विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में उपेक्षित समुदायों की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको स्वास्थ्य परिचर्या कार्यबल में भाग लेने के लिए किराये पर लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में इन महिलाओं की क्षमताएं बढ़ने, कार्य-कौशल विकास एवं स्थायी रोजगार की सुलभता की कार्यनीति से उनका कई प्रकार से सशक्तीकरण होगा। इसी प्रकार नर्सों एवं पैरामेडिकल् के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति एवं आउटरीच योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

आयुष को शामिल करने एवं अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों अर्थात् मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) और पारंपरिक जन्म परिचर्यों के लिए चल रही पहलों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा का विकास बहु-विषयक, स्वास्थ्य, प्रणाली केन्द्रित, समस्या निराकरण संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में किया जाना चाहिए और यह फिजिशियन एवं गैर-फिजिशियन दोनों के लिए खुला होना चाहिए। 12वीं योजना में बेहतर भर्ती, एवं कार्य निष्पादन के लिए स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जायेगी।

भारत के औषधीय उद्योग की स्थिति (Status of Pharmaceutical Industry of India)

भारत का औषधि उद्योग मात्र 6 बिलियन डॉलर का है लेकिन इसकी हिस्सेदारी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत का औषधि उद्योग वैश्विक औषधि उद्योग का 8 प्रतिशत की प्रतिनिधित्व करता है और इस मामले में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। भारत का औषधि निर्यात प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। भारत के इस संगठित औषधि उद्योग में 250 से 300 के मध्य कंपनियां शामिल हैं। भारत की दवाइयों की मांग की लगभग 70 प्रतिशत आपूर्ति स्थानीय विनिर्माण (Local Manufacturing) द्वारा की जाती है।

जर्मन केमिकल एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की 10 शीर्ष औषधि निर्माता कंपनियां रेनबोव्सी, सिलेला, डॉ रेड्डी लैबोरेटरीज, ल्यूपिन, निकोलस पोरामेल, अरविन्दो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा आदि रही।

देश में आयातित, विनिर्मित, वितरित एवं बेची जाने वाली औषधियों, प्रसाधन सामग्रियों व चिकित्सा उपकरणों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उपबन्धों एवं उसके अंतर्गत बने औषध एवं प्रसाधन नियम 1945 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। केंद्र सरकार देश में आयात की जाने वाली इन वस्तुओं को विनियामक नियंत्रण औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा करती है। औषधियों के विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण को मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मिशन औषधि प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों को सुरक्षित बनाना, उसकी प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षा करना है।

औषधों के परीक्षण के संबंध में विवाद के मामले में केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता अपीलीय प्रयोगशाला है और यह रसायन तथा जैविक जाँचों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। केन्द्रीय औषध जाँच प्रयोगशाला, मुंबई एक सांविधिक प्रयोगशाला है जो पत्तनों से लिये गये औषधों के नमूनों, नई औषधों तथा ओरल गर्भनिरोधक गोलीयों की जाँच में संलग्न है। यह कॉपर टी-इंट्रायूट्रिन गर्भनिरोधक युक्ति और ट्यूबल रिंग के लिए अपीलीय प्रयोगशाला है। देश में विपणन किये जाने के लिए नयी औषधियों को (यह सुनिश्चित किये जाने के बाद कि ये औषधियाँ, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची बाई की अपेक्षा के अनुसार सुरक्षित एवं प्रभावोत्पादक और उनके अनुरूप हैं) भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। नई औषधों के अनुमोदन तथा नये औषधीय पदार्थों के नैदानिक परीक्षणों के अनुमोदन के लिए आवेदनों की जाँच करने के लिए 12 नई औषध सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं।

भारत में 1900 करोड़ रुपये का टीका उद्योग है जिसमें से देश में विनिर्मित दो-तिहाई टीकों का निर्यात किया जा रहा है जबकि एक-तिहाई टीके देश में ही उपयोग किये जाते हैं। टीकों की खरीद करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ- डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन आदि विश्व भर में उपयोग हेतु टीकों की खरीद करती हैं। ये एजेंसियाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह सुनिश्चित करने के आधार पर ही टीके खरीदती हैं कि ये उच्च गुणवत्ता के हैं और प्रयोग के लिए प्रभावकारी हैं। भारतीय लोगों में प्रतिकूल औषध अभिक्रिया संबंधी आँकड़े क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गयी। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 60 मेडिकल कॉलेजों में प्रतिकूल औषध अभिक्रिया केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

मानव संसाधन (Human Resource)

मानव संसाधन एक वृहद् अवधारणा है। यह राष्ट्रीय अथवा अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण उपकरण है। मानव संसाधन प्रबंधन की धारणा व्यक्तियों अथवा मानव को एक संसाधन (Resource) के रूप में देखती है। यह एक व्यवसाय अथवा संगठन के कर्मचारियों, स्टाफ आदि को उनकी दक्षता/कौशल अथवा योग्यता के परिप्रेक्ष्य में एक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में देखता है। मानव संसाधन विकास की धारणा के तहत यह मान्यता है कि व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, दक्षता, नवाचारी प्रवृत्ति, जोखिम धारिता की प्रवृत्ति, अन्तर्निहित क्षमता का प्रयोग कर उन्हें एक प्रभावी उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। कुशल श्रम बल (Skilled Labour Force) और विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन के जरिये सुनिश्चित हो पाती है।

मानव संसाधन प्रबंधन व विकास की रणनीति का ध्यान इस बात पर प्रमुख रूप से होता है कि व्यक्ति प्राप्त करने के उच्च स्तरों की मानसिकता से जुड़ सके जिससे उनके कार्य निष्पादन में सुधार आये। निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं का निराकरण कर व्यक्तियों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता कराने के प्रयास को भी मानव संसाधन प्रबंधन की रणनीति के रूप में देखा जाता है।

भारत में दक्षता विकास को मानव संसाधन विकास के प्रमुख रणनीति के रूप में देखा गया है। इस संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गये राष्ट्रीय दक्षता मिशन में दक्षता विकास कार्यक्रमों के नियंत्रण हेतु प्रतिमान की तरफ रूख करना होगा एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी होगी। दक्षता विकास के लिए एक समन्वित कार्रवाई योजना के महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (N.S.D.C) ने अच्छी प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद मांग आधारित दक्षता तैयार करने के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

नवाचार (Innovation)

नवाचार मानव संसाधन अथवा मानव पूंजी के निर्माण हेतु एक आवश्यक दशा है। नवाचार किसी एक विचार को एक वस्तु अथवा सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो एक मूल्य का सृजन करता है और जिसके लिए उपभोक्ता भुगतान करते हैं। नवाचार कहलाने के लिए किसी विचार को कम लागत पर विशेष उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। नवाचार में सूचना कल्पना और पहल का तत्व शामिल होता है जो विभिन्न संसाधनों से विभिन्न मूल्यों को प्राप्त करता है और उपयोगी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है।

भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने नवाचार (Innovation) को व्यापक अर्थ में देखा व परिभाषित किया है। आयोग के अनुसार, नवाचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मापन योग्य मूल्य-संवर्धन (Measurable Value Enhancement) के विविध स्तरों को किसी वाणिज्यिक गतिविधि में नियोजित एवं प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया बिल्कुल नयी शुरुआत के रूप में अथवा क्रमिक रूप में हो सकती है। नवाचार की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप में घटित होती है और इसे निम्नांकित रूपों में प्राप्त किया जा सकता है-

- नये अथवा परिष्कृत वस्तुओं व सेवाओं की शुरुआत करके।
- नये अथवा परिष्कृत प्रचालनीय प्रक्रिया (Operational Process) को क्रियान्वित करके।
- नये अथवा परिष्कृत संगठनात्मक/प्रबंधकीय प्रक्रिया का क्रियान्वयन करके।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता के बीच एक गतिशील पारस्परिक संबंध है। नवाचार प्रतिस्पर्द्धा माहौल में ही उभरता एवं विकसित होता है। नवाचार आर्थिक मूल्य एवं अर्थव्यवस्था व उद्यमिता की संस्कृति (Cultures of Entrepreneurship) में नये रोजगारों का सृजन करता है। प्रतिस्पर्द्धात्मकता से अपने संबंध के कारण नवाचार आर्थिक संवृद्धि का महत्वपूर्ण कारक बनता है। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी व अनुसंधान एवं विकास (R & D) नवाचार के दो मुख्य स्रोत हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा वर्ष 2007 में भारत में नवाचार की स्थिति पर पहला व्यवस्थित सर्वे कराया गया था जिसमें संवृद्धि व नवाचारों में वृद्धि को तीन बिंदुओं में दर्शाया गया है जो निम्नवत् हैं-

- नवाचार सघनता (Innovation Intensity), जिसे 3 वर्ष से कम समय वाले वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है, में बड़ी फर्मों व लघु मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में वृद्धि हुई है। सर्वे में पाया गया है कि लघु मध्यम उपक्रमों ने बड़ी फर्मों की तुलना में नवाचार सघनता (Innovation Intensity) में अधिक वृद्धि दर्ज की है। सर्वे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 42 प्रतिशत बड़ी फर्म व 17 प्रतिशत लघु मध्यम उपक्रम उच्च नवाचारी फर्म (Highly

Innovative Firms) हैं। उच्च नवाचारी फर्म उन फर्मों अथवा कंपनियों को कहा गया है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में व्यवसाय के दौरान ऐसे नवाचारों की शुरुआत की है जो विश्व के लिए नये हों।

- बड़ी फर्मों व लघु मध्यम उपक्रमों का लगभग आधा नवाचारों के महत्वपूर्ण कारकों में 25 प्रतिशत तक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इन कारकों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, लाभजन्यता में वृद्धि लागत में कमी और बाजार में हिस्सेदारी में वृद्धि प्रमुख हैं। बड़ी फर्मों के लिए नवाचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ा है जबकि लघु मध्यम उपक्रमों के लिए नवाचार का सर्वाधिक प्रभाव बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि पर पड़ा है।
- 17 प्रतिशत बड़ी फर्मों ने नवाचारों को शीर्ष रणनीतिक वरीयता (Top Strategic Priority) प्रदान की है और 75 प्रतिशत ने तो इसे तीन सर्वाधिक प्रमुख वरीयताओं में शामिल किया है। ज्ञान आयोग के सर्वे का कहना है कि सभी बड़ी फर्मों ने माना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही संवृद्धि व प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में नवाचार ने अत्यधिक महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी बड़ी फर्मों का यह भी मानना है कि वे नवाचारों में निवेश के बिना न तो बने रह सकती हैं और न ही विकास कर सकती हैं। 96 प्रतिशत बड़ी फर्मों ने अगले 3 से 5 वर्षों में नवाचारों पर व्यय में वृद्धि का मन बना लिया है और इसके लिए रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं।

नवाचार व वैश्वीकरण (Innovation and Globalization)

वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की प्रवृत्तियों के विकास के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 'नवाचार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता व प्रतिस्पर्धात्मकता का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है'। उत्पादकता में वृद्धि और उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देने के साधन के रूप में यह निधनता उन्मूलन में भी मदद करता है। वैश्वीकरण के विकास के साथ ज्ञान आधारित समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये अवधारणाएं मानव पूंजी के विकास से जुड़ी हैं और नवाचार को ज्ञान प्रवाह (Knowledge Flows) के उपकरण के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट (2007) के अनुसार भारत में नवाचार सघनता (Innovation Intensity) 2001-02 में 6.49 प्रतिशत से 2005-06 में बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गयी थी।

भारत में नवाचार विश्वविद्यालयों हेतु रोडमैप के लिए विशेषज्ञ समिति (Expert Committee For Roadmap For Innovation Universities in India)

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च एण्ड इनोवेशन विधेयक 2012 के प्रावधानों में संशोधन और भारत में नवाचार विश्वविद्यालयों हेतु एक रोडमैप बनाने हेतु समीक्षा समिति का गठन करने का निर्णय किया है। यह समिति अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों और नवाचार विधेयक 2012 पर मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। यह समिति अनुसंधान व नवाचार के लिए विश्वविद्यालयों के गठन संबंधी प्रावधानों का परीक्षण करेगी। उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इसके कुछ प्रावधानों पर प्रश्नचिह्न उठाया है। 21 मई, 2012 को इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं-

- यह विधेयक अधिसूचना के जरिये अनुसंधान व नवाचारों हेतु विश्वविद्यालयों का गठन करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार को देता है। इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में देखा जायेगा।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार किसी वर्तमान लोक वित्तियन वाले विश्वविद्यालय (Existing Public Funded Universities) को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आकलन के बाद अनुसंधान एवं नवाचार के लिए विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर सकती है। ध्यातव्य है कि विशेषज्ञ समिति का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
- विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि एक नये विश्वविद्यालय का गठन एक प्रमोटर के द्वारा कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किया जा सकता है। ये शर्तें निम्नवत् हैं-

(क) यदि प्रमोटर एक संगठन हो।

(ख) इसे एक गैर लाभकारी कंपनी होना चाहिए।

(ग) इसे नवाचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सोसाइटी अथवा ट्रस्ट होना चाहिए।

(घ) यदि यह एक भारतीय विश्वविद्यालय है तो इसे कम से कम 25 वर्षों के लिए गठित किया जाना चाहिए।

(ङ) यदि यह एक विदेशी विश्वविद्यालय है तो इसे कम से कम 50 वर्षों के लिए गठित होना चाहिए।

- विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए 6 माह के भीतर मंजूरी देनी होगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय एक समिति का गठन करेगा जो विश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगा और ऐसा विश्वविद्यालय के गठन के 15 वर्षों के भीतर किया जायेगा।

इस विधेयक में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। यह विधेयक विश्वविद्यालयों की एक नयी श्रेणी बनाता है। इस विधेयक में केन्द्र सरकार को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान की गयी है। इस विधेयक में जो एक महत्वपूर्ण बात छूट गयी है जिसे शामिल किया जाना चाहिए, वह है लोक वित्त वाले विश्वविद्यालयों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिटिंग करना। केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के आकलन उपरांत विश्वविद्यालयों के गठन संबंधी प्रावधान पर भी प्रश्न चिह्न उठाया गया है।

विवादों व मुद्दों से परे यह तो स्पष्ट ही है कि भारत में नवाचार के विकास हेतु संस्थागत प्रयासों पर जोर देना आवश्यक है ताकि भारत एक वैश्विक ज्ञान केन्द्र (Global Knowledge Hub) बन सके। इसलिए एक समावेशी रणनीति का विकास भारत सरकार से अपेक्षित है।

भारत में नवाचारी विश्वविद्यालयों के गठन संबंधी धारणा भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दी गयी थी जिसके तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से 14 नवाचारी विश्वविद्यालयों के गठन का प्रस्ताव वर्ष 2008-09 में किया गया था।

11वीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से इन विश्वविद्यालयों का गठन संबंधी प्रस्ताव किया गया और इसके लिए एक केन्द्रीय विधायन पर भी जोर दिया गया था।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान व नवाचार के लिए 20 विश्वविद्यालयों का गठन किया जायेगा। ये विश्वविद्यालय सरकारी अथवा निजी विश्वविद्यालय हो सकते हैं और लोक निजी सहभागिता पद्धति (PPP Mode) में गठित किये जा सकते हैं। ये विश्वविद्यालय अनुसंधान विकास कार्यों पर बल देंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में यूजीसी ने नवाचारी विश्वविद्यालयों पर एक स्कीम आरंभ किया है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि कुछ निश्चित श्रेणीगत योग्यताओं को प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय एक निश्चित वित्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के गठन के स्तर (खासकर नवाचारी विश्वविद्यालय) पर कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य यह है कि ये ज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठता की स्थिति को प्राप्त करें। इन्हें सामाजिक समस्याओं की तरफ उन्मुख अनुसंधानों पर बल देना चाहिए। इन आधारों पर ही भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को मूर्तमान बनाया जा सकता है।

शिक्षा (Education)

उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण (2010-11) की अंतिम रिपोर्ट

21वीं सदी में ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उच्चतर शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष 2020 तक इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचाने का लक्ष्य था। इस दिशा में हुई प्रगति का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2012 में उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण (2010-11) की अंतिम रिपोर्ट जारी की गयी। यह रिपोर्ट 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित किये गये आँकड़ों पर आधारित है। भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मूल बिन्दु अथवा निष्कर्ष निम्नवत् हैं-

- 2010-11 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 18.8 प्रतिशत है, जो वर्ष 2009-10 के 15 प्रतिशत के सापेक्ष 3.8 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि दर्शाता है।
- 2010-11 में उच्चतर शिक्षा में पुरुष एवं महिला सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 20.9 प्रतिशत एवं 16.50 प्रतिशत है तथा इन दोनों में भी विगत वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि दर्ज की गयी है।
- प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत विश्वविद्यालय, 48 प्रतिशत महाविद्यालय एवं 56 प्रतिशत स्वतः संचालित संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 57 प्रतिशत के लगभग महाविद्यालय व्यक्तिगत प्रबंधन के अंतर्गत तथा 22 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वहीं स्वतः संचालित संस्थानों का लगभग 64 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रबंधन के अंतर्गत है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगभग 45 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 36 प्रतिशत महाविद्यालय एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, जबकि 1 प्रतिशत विश्वविद्यालय एवं 9 प्रतिशत महाविद्यालय बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित हैं।

- सकल नामांकन में संस्थागत मोड (Institutional Mode) के छात्रों की संख्या 82.7 प्रतिशत तथा दूरस्थ मोड (Distance Mode) के छात्रों की संख्या 17.3 प्रतिशत है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 में अनुसूचित जातियों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 10.2 प्रतिशत के स्तर पर है जिसमें 10.3 प्रतिशत पुरुषों एवं 10.1 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है।
- अनुसूचित जनजातियों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 4.4 प्रतिशत के स्तर पर है जिसमें 4.3 प्रतिशत पुरुषों एवं 4.6 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है।
- अन्य पिछड़ा वर्गों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत है जिसमें 27.3 प्रतिशत पुरुष एवं 26.8 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं।

बजट 2012-2013 व उच्चतर शिक्षा

भारत के बजट 2012-2013 में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास और संवर्द्धन के लिए 15000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को जितनी राशि मिली है उससे आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर आदि संस्थाएँ भी सांझेदार होंगी। वहीं कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनके विकास को प्राथमिकता दी गई है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत् हैं-

- केरल कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण।
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये।
- नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के लिए 15 करोड़ रुपये।

यदि विश्वविद्यालयों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जायेगा कि खास तकनीकी शिक्षा व विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने पर विशेष बल रखा है।

उच्च शिक्षा में समाधान आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दे

उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) में सार्वजनिक व निजी निवेश बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है और उसके बाद उसके सदुपयोग में भी कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। आज संपूर्ण सरकारी शिक्षा में लगभग 18 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर या जीडीपी का लगभग 1.12 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। इसे इसमें क्रमशः 25 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में माना गया है।

राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेज जो 90 प्रतिशत से भी अधिक पब्लिकेशन करते हैं वहां निधि संबंधी (Fund Related) गंभीर समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं और कमजोर अभिशासन के अनुसार गुणवत्ता बहुत अल्प रह जाती है। राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं पर आधारित रणनीतिक केन्द्रीय निधियन (Funding) की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि शैक्षणिक और अभिशासन संबंधी सुधारों से राज्य निधियन को जोड़ा जा सके जिसमें मानक आधारित निधियन राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए करना शामिल है।

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण है कि उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) में निजी क्षेत्र का विकास को स्थान दिया जाए और नव प्रवर्तनकारी सार्वजनिक निजी सहभागिता (PPP) की संभावनाओं का पता लगाते उन्हें 12वीं योजना में विकसित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक उच्च शिक्षा में निजी उच्च शिक्षा का योगदान 4/5 है। सहयोगी अनुसंधान, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों जो अधिक शोध अध्येतावृत्तियों को प्रदान करते हैं, में उद्योग विकास कारकों को गठित करना, नये एवं उभरते हुए क्षेत्रों में अंतरविषयी शोध के जरिये नवप्रवर्तन (Innovation) को प्रोत्साहित करना, अंतरविश्वविद्यालयी केन्द्रों को सुदृढ़ करने आदि पर 12वीं योजना में जोर दिये जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

2 मार्च, 2009 को प्रारंभ किया गया 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस अभियान का मूल उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का क्रमिक ढंग से सार्वभौमिकरण करना तथा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना है। 12.9 मिलियन डॉलर की लागत वाले इस अभियान के अंतर्गत 60000 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार, पुनर्निर्माण और प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्कृष्टित किया जाना है, तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में 11000 नये माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोले जाने हैं। चूंकि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नामांकन दर 50 प्रतिशत के आसपास ही है और इस स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका है अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई।

वस्तुतः वर्तमान समय में यह एक सच्चाई है कि मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार व कौशल, गहन विनिर्माण गतिविधियाँ जैसे सेवाओं में आर्थिक व रोजगार विकास हो रहा है जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री है। इसीलिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना को महत्वपूर्ण प्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना तथा नियमानुसार वर्ष 2017 तक सभी युवाओं को माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा सुगम बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक असमर्थता या अन्य किसी कारकों की वजह से गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं एवं कर्मचारी हों तथा स्थानीय शासन या निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम से कम सुझाए गये मानकों के अनुसार एवं अन्य विद्यालय के मामले में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हो।

हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में माध्यमिक स्तर पर युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर (लगभग 2540 करोड़ रुपये) का साख उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। माध्यमिक शिक्षा परियोजना में उन सभी तत्वों का समावेश होगा जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारेगी।

उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा परियोजना के लिए वित्तीय (Funding) विश्व बैंक की शाखा 'इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन' करेगी। यह 25 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्था है।

12वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण प्रपत्र में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की रणनीति

मौजूदा माध्यमिक स्कूल स्तर (कक्षा 9-10) में सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग 60 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। 12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया है कि अब जब सार्वजनिक बुनियादी शिक्षा वास्तविकता का रूप ले रही है, तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अलग कदम तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस प्रत्याशा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना तथा मॉडल स्कूल की योजना 11वीं योजनावधि में माध्यमिक शिक्षा में पंजीकरण को बढ़ाने तथा गुणवत्ता लाने के लिए शुरू की गयी थी।

माध्यमिक शिक्षा में केन्द्र द्वारा पोषित केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) और नवोदय विद्यालय (एनपी) अग्रणी सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के रूप में उभर कर सामने आये हैं और उसमें ठोस विस्तारण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा 1060 केन्द्रीय विद्यालय एवं 576 नवोदय विद्यालय अंतर-स्कूल गतिविधियों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अन्य स्कूलों में सुधार को अभिप्रेरित किया जा सके। यह विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित की शिक्षा के विकास के लिए तथा संयुक्त स्कूली सेमिनारों के आयोजन और शैक्षिक प्रदर्शनियों एवं अग्रणी में विज्ञापन कार्यक्रम चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार राज्य सरकारों और निजी स्कूलों के अंतर्गत प्रदत्त बेहतर सुविधाओं और श्रेष्ठ संचालन के लिए यह केन्द्र बिंदु बन गये हैं ताकि वहाँ अंतर-स्कूली गतिविधियों को प्रेरित किया जा सके। 12वीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र का कहना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से पूर्व कक्षा 9 और 10 में तृतीय भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था या विकल्प किया जाना चाहिए।

12वीं योजना का मानना है कि जबकि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना आवश्यक होगा, यह भी आवश्यक है कि निजी क्षेत्र क्षमताओं का पूरी तरह से सदुपयोग किया जाए और विशेष रूप से माध्यमिक स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जाए जो कि निजी प्रबंधन के अधीन हैं। इस क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को भी अपनाने की आवश्यकता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में प्रवेश की वर्तमान स्थिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने का रास्ता खोलते हुए एक रेग्युलेशन हाल ही में पारित किया है। इससे विश्व रैंकिंग में आने वाली 500 संस्थाओं को भारतीय विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी में देश में अपना कैंपस खोलने की अनुमति मिली है। उल्लेखनीय है कि विदेशी शिक्षा संस्थान विधेयक, 2010 संसद में अभी लंबित है जिसके तहत भारत सरकार यूजीसी कानून-1956 के अनु. 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी या राज्यों के निजी विश्वविद्यालय कानून के तहत विदेशी विश्वविद्यालय भारत में खोलने की अनुमति देना चाहती है जिससे भारत में संचालित संस्थानों को मौजूदा कानून के तहत लाया जा सके।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के आँकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों में 144 (वर्ष 2000) से 631 (वर्ष 2010) की वृद्धि हुई है और 60 विदेशी शिक्षा प्रदाता, जो स्थानीय संस्थानों के साथ करार के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उनमें केवल 25 स्थानीय संस्थान ही भारतीय विश्वविद्यालय या नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय शिक्षा प्रणाली की तरफ आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान आयोग का मानना है कि यदि पचास हजार विदेशी छात्रों से औसतन 10 हजार अमेरिकी डॉलर वार्षिक के हिसाब से फीस ली जाए तो इस दृष्टि से प्रतिवर्ष 2300 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वहीं वाणिज्य मंत्रालय का आकलन है कि यदि विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति देकर भारत में काम करने की अनुमति दी जाए तो इससे 4 बिलियन डॉलर की बचत होगी क्योंकि यह विदेशों में अध्ययन कर रहे छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च किये जा रहे राशि का वर्तमान निर्गम है।

उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका पर एन.आर. नारायणमूर्ति समिति

भारत में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका के संबंध में एन.आर. नारायणमूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति ने अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जैसे, 99 वर्षों के लिए मुफ्त भूमि, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने में योगदान करने वाली कंपनियों की कर योग्य आय में 300 प्रतिशत तक की कमी तथा विदेशी अनुसंधान स्कॉलर हेतु मल्टीपल प्रवेश वीजा आदि। नारायणमूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशों को निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-

- प्रमाणन (Certification) सभी विश्वविद्यालयों तथा उनके द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों हेतु आवश्यक बनाया जाना चाहिए।
- समिति के अनुसार बड़ी कंपनियों की उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की ओर से 25 भारतीय कंपनियों तथा 25 प्रतिष्ठित उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को तय शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने हेतु व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण भेजे जाने चाहिए।
- समिति ने सुविधाविहीन छात्रों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 1000 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप फंड भी प्रस्तावित किया है। इस कोष में योगदान करने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर को उनके योगदानों से 300 प्रतिशत तक की कर छूट प्रदान की जानी चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दीर्घावधि के ऋण प्रदान करने हेतु 10000 करोड़ रुपये के एक 'राष्ट्रीय शिक्षा ऋण कोष' की भी स्थापना करनी चाहिए।
- शिक्षा संस्थानों हेतु भूमि के सन्दर्भ में समिति ने कहा कि स्थान संबंधी नियमों में छूट प्रदान की जानी चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्रों में भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके।

इस प्रकार समिति द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावशीलता (Efficiency) के विस्तार में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय युवा नीति, 2012

युवा जनसंख्या अथवा युवा वर्ग को लोग मानव संसाधन अथवा मानव पूंजी का महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। इस वर्ग द्वारा उत्पादकीय कार्यों को संपन्न किया जाता है। युवाओं की दशा एवं दिशा का अस्तित्व के अन्तर्गत आकलन के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय युवा नीति 2012 में प्रथम युवा विकास सूचकांक का प्रस्ताव किया गया है। इस सन्दर्भ में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वैश्वीकरण, तकनीक के तीव्र विकास और भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के फलस्वरूप वर्तमान युवा नीति, 2003 की समीक्षा करना आवश्यक हो गया था। प्रस्तावित नीति में पहली बार युवा नीति के प्रारूप को प्रधानमंत्री के कौशल विकास मिशन के अनुरूप युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रदान करने के सिद्धांत पर निर्मित किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति, 2012 की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं-

- नीति में लक्षित आयु समूह की सीमा को वर्तमान के 13-35 वर्ष से 16-30 वर्ष करने का प्रावधान है। यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा की परिभाषा को देखते हुए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की युवा की परिभाषा में युवा वर्ग 15-24 वर्ष तथा कॉमनवेल्थ की परिभाषा में 15-29 वर्ष है।
- नयी राष्ट्रीय युवा नीति, 2012 में 16-30 वर्ष की आयु सीमा को तीन उप-वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे प्रथम उपसमूह 16-20 वर्ष होगा जिसमें वे सभी युवा आते हैं जिन्हें शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। द्वितीय उपसमूह 20-25 वर्ष का होगा जिसे रोजगार योग्य कुशलता की पहुँच चाहिए। तृतीय उपसमूह 25-30 वर्ष होगा जिसे स्वरोजगार एवं प्रबंधकीय-कुशलता तक पहुँच की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित नीति में 5 कार्यक्षेत्र निगरानी सूचक हैं यथा, युवा विकास सूचकांक के अंतर्गत युवा स्वास्थ्य सूचकांक, युवा शिक्षा सूचकांक, युवा कार्य सूचकांक, युवा सुविधा सूचकांक एवं युवा भागीदारी सूचकांक सम्मिलित होंगे।
- राष्ट्रीय युवा नीति, 2012 में 9 लक्षित समूहों की पहचान की गयी है जिसमें छात्र युवा, प्रवासी युवा, ग्रामीण युवा, जनजाति युवा, जोखिम में युवा, हिंसात्मक संघर्ष में युवा, स्कूल से बाहर युवा, सामाजिक एवं नैतिक रूप से कलंकित समूह, संस्थागत देखभाल में युवा शामिल हैं।

- महत्त्व वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय मूल्य को प्रोत्साहन, सामाजिक तालमेल, राष्ट्रीय एकता, रोजगारपरक कुशलता के माध्यम से युवाओं का सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं मनोरंजन, लैंगिक न्याय, सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी, पर्यावरण एवं स्थानीय प्रशासन सम्मिलित हैं।
- प्रस्तावित नीति में युवाओं को सशक्त करने हेतु कुशलता विकास एवं प्रबंधकीय अवसर प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रालयों तथा विभागों से मिलकर कार्य करने की बात की गयी है।

इस नीति के प्रारूप की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी युवाओं को एक समान नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक का रहन-सहन, माहौल, उनके परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अलग-अलग है। नीति में प्रस्तावित युवा विकास सूचकांक (Youth Development Index) मूल्य निर्धारकों और नीति निर्माताओं के लिए आसान गणना और आधार रेखा के रूप में कार्य करेगा। नीति में अलग-अलग खंड बनाये गये हैं जिनमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग और भौगोलिक पैरामीटर सम्मिलित हैं।

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2012

भूमंडलीकरण के दौर में नवाचार विकास के महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में उभरा है। वैश्विक स्तर पर कई राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि, तकनीकी कुशलता, सामाजिक गतिशीलता, आधुनिकीकरण का कारण नवाचार की प्रवृत्ति ही है। नवाचारों के संदर्भ में वैश्विक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु हाल ही में यूरोप के शीर्ष व्यावसायिक स्कूल इनसीड तथा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व वैज्ञानिक संपदा संगठन (WIPO) ने विश्व के 141 देशों की नवाचार क्षमता के आधार पर वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2012 जारी किया है। इसमें भारत को 3507 अंकों के साथ 64वां स्थान प्रदान किया गया है।

वर्ष 2012 के सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर स्विटजरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक में नये देशों के द्वारा नवाचारियों के रूप में उभरने को स्पष्ट किया गया है जिसे विभिन्न देशों में देखा जा सकता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक एक समयपरक चेतावनी दर्शाता है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं जिससे तेजी से सतत आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके। नवाचार में निवेश को घटाने के प्रयास को विरोध अवश्य ही किया जाना चाहिए अन्यथा यह देशों के टिकाऊ उत्पादक क्षमता को नुकसान पहुँचायेगा।

वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2012 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लगातार नवाचार का नेतृत्वकर्ता बना हुआ है लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा, मानव संसाधन तथा नवाचार उत्पादों में कमी के कारण तुलनात्मक रूप से इसकी नवाचार रैंकिंग को कम कर दिया गया है। वहीं ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) को नवाचार क्षमता के विकास के लिए निवेश बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। ब्रिक देशों में ब्राजील की रैंकिंग में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, फिर भी यह भारत से ऊपर है। भारत ब्रिक देशों की सूची में आखिरी पायदान पर है।

भारत में दक्षता अथवा कौशल विकास व नवाचार विकास पर महत्वपूर्ण योजनाएँ, कार्यक्रम एवं रिपोर्ट

भारत में दक्षता अथवा कौशल विकास व नवाचार विकास मानव संसाधन विकास की रणनीति का हिस्सा है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योजनाएँ, कार्यक्रम व रिपोर्टों का उल्लेख निम्नवत् है-

1. वैश्विक उद्यमशीलता प्रदर्शन सूचकांक (Global Entrepreneurship and Development Index): वैश्विक उद्यमी व विकास सूचकांक, 2012 में 78 देशों की सूची में भारत को 73वाँ स्थान प्रदान किया गया है जो कि उद्यमशीलता के मामले में भारत की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है। विगत वर्ष में (2011) भारत की रैंकिंग 68वीं थी। भारत के अलावा ब्रिक देशों में चीन व ब्राजील की साझा रैंकिंग 54 वीं है जबकि दक्षिण अफ्रीका 41वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार, यद्यपि भारत में स्वरोजगार गतिविधियाँ काफी हैं लेकिन गुणवत्ता निम्न है। भारत में कोई व्यक्ति उत्कृष्ट रोजगार नहीं पाने के कारण ही स्वरोजगार की ओर उन्मुख होता है जबकि सूचकांक में देशों की रैंकिंग स्वरोजगारों की संख्या पर नहीं बल्कि व्यवसाय की गुणवत्ता, उनका प्रभाव व विकास क्षमता के आधार पर की जाती है।

भारत के संदर्भ में अत्यधिक विनियमन व सीमित शैक्षिक अवसर संबंधी एक और महत्वपूर्ण बाधा का उल्लेख किया गया है। कोई क्षमतावान व्यक्ति भारत में कुछ प्रभावी कदम उठाना भी चाहता है तो उसे लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है। सूचकांक तैयार करने में उद्यमी गतिविधियाँ, आकांक्षा व नजरिया मापन हेतु वर्ष 2010 के मध्य से 14 विभिन्न आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी वयस्क द्वारा नया व्यवसाय आरंभ करने को अच्छा कैरियर विकल्प मानने से लेकर व्यवसाय आरंभ व संचालन तक को शामिल किया गया है।

2. **राष्ट्रीय नवाचार परिषद् की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट:** राष्ट्रीय नवाचार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नवंबर, 2012 में द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह रिपोर्ट देश में नवीन पारिस्थितिकी (New Ecosystem) का मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार परिषद् द्वारा की गयी पहल और गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इस संदर्भ में कहा गया है कि नवाचार वृद्धि और विकास का मुख्य चालक है। यह नवीन दृष्टिकोण स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काफी महत्त्व रखता है। रिपोर्ट को जारी करते हुए भारतीय राष्ट्रपति द्वारा स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय नवाचार परिषद् ने देश को नवीनता के रास्ते पर ले जाने के लिए अनेक पहल की है जिसमें समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय नवाचार परिषद् नवोत्पादों के लिए आर्थिक प्रबंध करने के उद्देश्य से एक व्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य कर रही है जिसने समग्र भारतीय नवोत्पाद कोष शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह कोष 500 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस कोष के लिए आरंभ में 100 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रावधान किया है। भारत में करीब 5000 लघु और मध्यम दर्जे के क्षेत्रीय उद्योग हैं जो अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर पाते और मध्यम क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय नवाचार परिषद् लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस उद्योग समूह में सृजनशीलता की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि रोजगार का सृजन हो सके और उत्पादकता बढ़ायी जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इस कार्य में राष्ट्रीय नवाचार परिषद् को सहयोग दे रहे हैं। परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी काम कर रही है ताकि इन प्रयासों को आकार प्रदान किया जा सके। मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2013 से 1000 छात्रवृत्तियाँ शुरू करने की भी योजना है।

राष्ट्रीय नवाचार परिषद् और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर मेटा विश्वविद्यालय के गठन की दिशा में मिलकर कार्य कर रहे हैं। मेटा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़ा और बहुउद्देशीय शिक्षा को बढ़ावा देगा। मंत्रालय दिल्ली में मेटा विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू कर चुका है। इस विश्वविद्यालय की विशेषता यह होगी कि इसमें पढ़ने वाले एक ही समय में दो अलग-अलग संस्थानों से दो अलग-अलग कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे।

3. **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पर रिपोर्ट:** भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दक्षता अथवा कौशल विकास पर सितंबर, 2012 के दौरान अब तक उठाये गये कदमों के तहत रोजगार कौशल के लिए 72 क्षेत्रों में 1413 मॉड्यूलों का संचालन आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए 46 आकलन निकायों का पैनल में शामिल किया गया जिनमें से 11 को प्राविधिक रूप से सम्मिलित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना की पहल के बाद से अब तक कुल 14 लाख 21 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2511 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अब तक इस योजनागत पहल के अंतर्गत 7125 व्यावसायिक शिक्षा प्रदाता पंजीकृत किये गये हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उद्योग जगत, राज्य सरकार और विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर स्कूल को पढ़ाई बीच में ही बंदी छोड़ देने वाला और पौज्जी कामगार के लिए एक नई नीति की रूपरेखा तैयार की जिसे मई, 2007 से क्रियान्वित किया गया था। इस योजना के तहत इसमें बहु-प्रवेश और योजना से बाहर आने के बहु विकल्प, लचीले कार्यक्रम और आजीवन सीखने की सुविधा है। केंद्र सरकार प्रशिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है जबकि उद्योग जगत, निजी क्षेत्र, राज्य सरकारें व्यावसायिक शिक्षा प्रदाताओं के माध्यम से सीखने वालों के साथ जुड़ी हुई हैं। यह योजना कौशल विकास पहल योजना के जरिये अमल में लाई जा रही है।

4. **नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रम:** 9 नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के 34 जिलों में मानव संसाधन विकास को महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कौशल विकास कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है। इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा तैयार किया गया है। नक्सल अथवा वाम चरमपंथ से ग्रसित राज्यों में मानव संसाधन के विकास के लिए इस योजना के तहत लगभग 233 करोड़ रुपये के सामाजिक व मानव निवेश की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक जिले में आईटीआई और दो कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित कर वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास संबंधी आधारभूत ढांचे का विकास करना है।

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य वाम चरमपंथ से ग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न लघु अवधि और दीर्घ अवधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है ताकि युवाओं को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध करायी जा सके।

उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौशल विकास कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य किया जाना निर्धारित हुआ है-

- प्रत्येक जिले में 30 युवाओं को दीर्घ अवधि प्रशिक्षण के तहत कुल 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करना।
- प्रत्येक जिले में 120 युवाओं को लघु अवधि प्रशिक्षण के तहत कुल 4000 युवाओं को प्रशिक्षित करना।

- प्रत्येक जिले में 10 युवाओं को निर्देशक प्रशिक्षण (Instructor Training) के तहत कुल 340 युवाओं को प्रशिक्षित करना।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जायेगी। योजना के तहत 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ प्रत्येक जिले में एक आईटीआई और दो कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

5. जम्मू काश्मीर के युवाओं के कौशल विकास हेतु 'उड़ान' नामक वेबसाइट की शुरुआत: जम्मू काश्मीर में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कौशल विकास हेतु 'उड़ान' नामक नये वेबसाइट की शुरुआत की। मार्च, 2012 में भारतीय गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके तहत राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। ध्यातव्य है कि 8 निगमित कंपनियों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है।

समझौते के तहत जम्मू-काश्मीर के लगभग 8000 युवाओं को 5 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। ये क्षेत्र व्यापार प्रबंधन, सॉफ्टवेयर, बीपीओ आदि हैं। इस वेबसाइट का डिजाइन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने तैयार किया है। इस साइट पर उम्मीदवार पूरी सूचना हासिल करने के साथ-साथ ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर और पेशेवर डिग्रीधारक युवा प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके उपरान्त चिह्नित कंपनियाँ राज्य से छात्रों की छंटनी करेंगी। प्रशिक्षण के बाद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

6. नशीले पदार्थों के नियमन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नीति: हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी नशीले पदार्थ से संबंधित राष्ट्रीय नीति मानव संसाधन, विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य से ही प्रेरित है। इस नीति में कहा गया है कि अफीम के व्यसनी लोगों की लत धीरे-धीरे छुड़ाई जायेगी और एक निश्चित अवधि में इसे पूरी तरह रोक दिया जायेगा। इस अवधि का निर्णय राज्य सरकार करेगी। इस नीति में नशीले पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के अलावा नशे के सेवन के आदी व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास तथा सामाजिक पुनः एकीकरण के प्रयासों का भी प्रावधान किया गया है। अफीम के अवैध खेती के संक्रमण वाले क्षेत्रों में इस खेती से जुड़े व्यक्तियों को जीवन-यापन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। नीति में कहा गया है कि ऐसे उपाय किये जायेंगे जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले का मारफीन उपलब्ध न हो पाए। इस नीति में नशीले पदार्थों के उत्पादन, व्यापार एवं उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जायेगा। इस संदर्भ में एक निश्चित अवधि की योजना तैयार की जायेगी जिसके तहत विभिन्न मंत्रालय, विभाग तथा एजेंसियाँ अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप कदम उठायेगी।

भूख, निर्धनता व विकास से संबंधित मुद्दे (Issues Relating to Hunger, Poverty and Development)

*** (इस खंड का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक 14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

कुपोषण (Malnutrition)

कुपोषण एक ऐसी अवस्था या दशा है जो एक साथ कई गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा करती है। इसे सामान्यतया बच्चे अथवा वयस्क के वजन, शारीरिक व मानसिक वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का मानना है कि एक कुपोषित व्यक्ति का शरीर सामान्य क्रियाकलाप करने (विशेषकर वृद्धि के संदर्भ में) में कठिनाई महसूस करता है और रोगों को रोक पाने में सक्षम नहीं होता। कुपोषण की स्थिति में शारीरिक कार्य करने में समस्या आती ही है साथ ही सीखने की क्षमता (Learning Abilities) घटती जाती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कुछ अथवा सभी पोषक तत्वों के अभाव की स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण मुख्यतया दो रूपों में देखा जाता है। प्रथम, प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण व द्वितीय, सूक्ष्मपोषक (Micro Nutrient) जिसमें विटामिन व खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण शामिल है।

भारत में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) कार्यक्रम के जरिये बच्चों को कुपोषण की विकराल स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास 1970 के दशक में किया गया था। आईसीडीएस कार्यक्रम की एक मुख्य सीमितता अथवा दुर्बलता यह है कि इसके तहत 3 से 6 वर्ष के लक्षित बच्चों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है और इस समय तक कुपोषण उनमें अपना स्थान बना चुका होता है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा हाल ही में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, देखभाल वाली माताओं (Nursing Mothers) और 3 वर्ष के भीतर के सभी बच्चों को पूरक आहार (Supplementary Food) उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक 106 मिलियन डॉलर की लागत वाली 'एकीकृत बाल विकास सेवा प्रणाली सुदृढीकरण और पोषण सुधार कार्यक्रम' (ISSNIP) भारत में चला रहा है। 162 उच्च कुपोषण भारित जिलों (जो 8 राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में हैं) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

विश्व बैंक की भारत में कुपोषण की स्थिति पर रिपोर्ट, 2013

(World Bank Report on Nutrition in India, 2013)

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के बच्चों में कुपोषण का स्तर चीन के बच्चों से लगभग 5 गुना व सब सहारा अफ्रीकी देशों से 2 गुना अधिक है। रिपोर्ट में कुपोषण को भारत के मौन आपात (Silent Emergency) की संज्ञा दी गयी है। यह भी कहा गया है कि कुपोषण भारत में मानव विकास की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर चुका है। रिपोर्ट का मानना है कि यद्यपि भारत ने पिछले 20 वर्षों के दौरान अच्छी आर्थिक संवृद्धि दर्ज की है परंतु पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान बना हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में माना गया है कि भारत में लगभग 60 मिलियन बच्चे अल्पवजन (Underweight) के अथवा अल्पभारित हैं, लगभग 45 प्रतिशत बच्चे बौने अथवा अपनी आयु से कम लंबाई वाले हैं, 20 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लंबाई की तुलना में काफी दुबले-पतले हैं, 75 प्रतिशत बच्चे एनीमिया जैसे रोग से पीड़ित हैं और 57 प्रतिशत बच्चे विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं।

विश्व बैंक का मानना है कि कुपोषण बच्चों के जीवित रहने अथवा उनकी उत्तरजीविता (Survival) के अवसरों को प्रभावित करता है, बीमारियों की आशंकाओं में वृद्धि करता है, सीखने की क्षमता को कम करता है, स्कूल से जल्दी अनुपस्थित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है और आगामी जीवन के लिए बच्चों को कम उत्पादकीय (Less Productive) बनाता है। विश्व बैंक का कहना है कि इनमें से अधिकांश अल्पपोषण (Undernourishment) गर्भावस्था के दौरान घटित होता है और बच्चों के जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में इस स्थिति को विशेषकर देखा जाता है। सकारात्मक हस्तक्षेप के अभाव में मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और कार्यशील क्षमता भी घटती जाती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले इस कुपोषण, अल्पपोषण आदि स्थितियों से मानव विकास के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न होता है जो भारत के जनांकिकीय लाभांश पर गहरा प्रभाव डालता है और अंततः भारत की आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करता है। राज्यों व सामाजिक-आर्थिक समूहों में कुपोषण की स्थिति के संदर्भ में अंतर विद्यमान है। लड़कियों, ग्रामीण

क्षेत्रों, निर्धन लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों, आदिवासियों आदि सामाजिक-आर्थिक समूहों में कुपोषण की दर अपेक्षाकृत अधिक है। भारत के 6 राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश देश कुपोषण के आधे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। अतिरिक्त 8 से 10 प्रतिशत मामलों हेतु आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ विशिष्ट क्षेत्र जिम्मेदार हैं।

विश्व बैंक कुपोषण के अन्तरपीढ़ीय चक्र (Intergenerational Cycle) की बात भी करता है। विश्व बैंक का मानना है कि कुपोषण के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इसमें अनुपयुक्त खान-पान (Inappropriate Feeding) व अपर्याप्त देखभाल शामिल हैं। बच्चों के जन्म के आरंभिक वर्षों खासकर 2 से 3 वर्षों के मध्य उन्हें जिस प्रकार का आहार, दुग्धपान, टीकाकरण, देखभाल की जरूरत होती है, उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक अनदेखी की जाती है। अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले इलाकों में अत्यधिक खराब स्वच्छता की दशा (Poor Hygiene Level) बच्चों में विभिन्न संक्रामक बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। गंदगी की स्थिति से जो कुछ अल्प पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होता भी है, उसका शारीरिक व मानसिक विकास में कोई खास स्थान नहीं रह जाता। दूषित जल व दूषित भोजन अनेक विकारों को उत्पन्न करने में सहायक होता है जिससे क्रमिक रूप से बच्चों में स्वास्थ्य गिरता रहता है।

विश्व बैंक का मानना है कि अधिकांश नयी माताएँ किशोरियाँ होती हैं जिनमें से 75 प्रतिशत रक्ताल्पता (खून की कमी) की समस्या से पीड़ित होती हैं।

भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति (Progress in Line of Finding Millennium Development Goals in India)

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। 8 सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की स्थिति निम्नवत् है:

- (1) अत्यधिक भुखमरी व निर्धनता का उन्मूलन- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम का मानना है कि भारत निर्धनता को हटाने में धीमी गति से ही सही परंतु सफल रहा है। यूएनडीपी का कहना है कि भारत में पोवर्टी हेडकाउंट रेशियो जिसके 2015 तक 18.6 प्रतिशत तक पहुँचने का आकलन किया गया है (भारत सरकार के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2009 के अनुसार) के लगभग 3.5 प्रतिशतांक बिन्दु के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने की संभावना है। यूएनडीपी का कहना है कि प्रगति के बावजूद भुखमरी एक गंभीर अथवा प्रमुख चुनौती है। जनसंख्या का वह अनुपात जिसका आहार उर्जा उपभोग (Dietary Energy Consumption) 2100, व 2400 कैलोरी के न्यूनतम स्वीकृत मानक से कम है, 1987-88 के 64 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 76 प्रतिशत हो गया है। दूसरे शब्दों में, यूएनडीपी का मानना है कि वर्ष 2004-05 में 76 प्रतिशत जनसंख्या को भोजन के संबंध में कैलोरी मानक को प्राप्त करने में सफलता मिली। यूएनडीपी का कहना है कि कुपोषण खाद्यान्न असुरक्षा का एक प्रमुख संकेतक है। वर्ष 1990 में जब सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की रूपरेखा तय की गयी थी, उस समय सभी भारतीय बच्चों में 53.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे। तब से अब तक प्रगति बहुत धीमी रही है।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम के अनुसार भारत में 3 वर्ष से कम के अल्पभारित बच्चों (Underweight Children) का अनुपात 1998-99 के मध्य केवल 1 प्रतिशत व 2005-06 में 46 प्रतिशत घटा। ऐसा आकलन किया गया है कि कुपोषण में 2015 तक 40 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद यह सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (कुपोषण को घटकर 28.6 प्रतिशत पर ले जाना) से काफी पीछे है।

- (2) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता के संदर्भ में भारत सही दिशा की तरफ अग्रसर है और भारत प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के कुछ मामलों में तो लक्ष्य से काफी आगे है। वर्ष 2006-07 में लड़कों व लड़कियों दोनों के ही संदर्भ में सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत को पार कर गया है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति पर जोर को सरकार की कुछ योजनाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-
 - (क) बुनियादी अथवा प्राथमिक स्तर पर (Elementary Level) बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर में 2003-04 के 52.2 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 तक 20 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना।
 - (ख) गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक उपलब्धता के न्यूनतम मानक को विकसित करना।
 - (ग) 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों के संदर्भ में साक्षरता दर को 2011-12 तक बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना।
 - (घ) 2011-2012 तक साक्षरता में लैंगिक अंतराल (Gender Gap in Literacy) को 10 प्रतिशतांक बिन्दु तक कम करना।

भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के मुद्दों पर ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र प्रयोजित योजनाएँ सक्रिय हैं जैसे- सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम आदि।

- (3) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं को सशक्त करना- भारत वर्ष 2005 की निर्धारित अवधि तक प्राथमिक व द्वितीयक शिक्षा में लैंगिक असमानता का उन्मूलन करने में सफल नहीं हो पाया है लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक/माध्यमिक

शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की दृष्टि से लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) में प्रगति हुई है। कुछ प्रगति के बावजूद लैंगिक समानता प्राप्ति के लक्ष्य की दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी है। भारत सरकार के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2009 में उल्लेख किया गया है कि, 'रोजगार व निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है और इस विषयता को वर्ष 2015 तक खत्म कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। उद्योग व सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 1990-91 व 2004-05 के मध्य 13-18 प्रतिशत ही बढ़ी है।

- (4) शिशु मृत्यु को घटाना- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम का चौथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु को दो-तिहाई तक घटाना है। भारत का पाँच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 1990 में प्रति एक हजार उम्र जीवित जन्म पर 125 थी जो 2005-06 में घटकर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 74.6 हो गयी। इसके वर्ष 2015 तक 70 होने की संभावना व्यक्त की गयी थी। भारत के लिए इस संदर्भ में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य वर्ष 2015 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशुओं/बच्चों की मृत्यु को 42 तक सीमित करना है। इस प्रकार भारत में बच्चों को विविध बीमारियों व खासकर प्रसव के दौरान सुरक्षा के संदर्भ में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जिससे बाल अधिकारिता संरक्षण एक यथार्थ बन सके।
- (5) मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार- भारत में वर्ष 1990-91 में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 437 था। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत भारत को वर्ष 2015 तक मातृत्व मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 109 करना है। वर्ष 1990 और 2006 के मध्य मातृत्व मृत्यु दर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है और यह 1990 के 327 की तुलना में 254 हुआ। उल्लेखनीय है कि सुरक्षित मातृत्व-प्रशिक्षित कर्मचारीद्वारा प्रसव व संस्थागत सुविधाओं के जरिये ही संभव हो सकता है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर के संदर्भ में प्रसव हेतु संस्थागत सुविधाओं की संख्या अत्यंत कम है। इन संस्थागत सुविधाओं में 1992-93 में 26 प्रतिशत वृद्धि की जबकि 2007-08 में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसी कालावधि में प्रशिक्षित अथवा दक्ष लोगोद्वारा प्रसव की दर में भी वृद्धि (33 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक) हुई है। ऐसी संभावना व्यक्त की गयी है कि वर्ष 2015 तक भारत में प्रशिक्षित कर्मचारी के साथ संस्थागत सुविधा के दायरे में 62 प्रतिशत जन्म होने को संभव बनाया जा सकेगा। इस दिशा में सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा।
- (6) एचआईवी/एडस, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटना- भारत में एचआईवी/एडस संक्रमण की दर व रोगियों की संख्या में कमी करने के लक्ष्य की दिशा में हाल के समय में सफलता प्राप्त की गयी है। भारत में एचआईवी/एडस की दर में 2002 में 0.45 प्रतिशत से 2007 में 0.34 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। इसी प्रकार मलेरिया के फैलाव व इससे होने वाली मृत्यु में भी कमी हुई है। मलेरिया की आशकांवाले राज्यों जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेदोसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2006 में मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आयी है। टयुबरक्यूलोसिस के नियंत्रण की दिशा में भी भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टीबी की सफलता दर पिछले 5 वर्षों में 86-87 प्रतिशत रही है।
- (7) पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना- भारत ने पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। वनाच्छादन लगभग 23 प्रतिशत तक बढ़ा है। संरक्षित क्षेत्र कवरेज में भी 4.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत सुरक्षित पेयजल तक धारणीय पहुँच की दिशा में भी संतोषजनक स्तर तक पहुँचा है। 1992-93 में जहाँ 68.2 प्रतिशत परिवारों की परिष्कृत जलीय स्रोतों तक पहुँच थी वह 2007-08 में 84.4 प्रतिशत हो गयी। स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं। 2015 की अवधि तक उन लोगों तक, जिनकी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच नहीं है की संख्या 38 प्रतिशत के स्तर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (8) विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को विकसित करना- वैश्वीकरण प्रक्रिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण के क्रम में भारत विश्व भर में वैश्विक साझेदार बना है और कई विकासशील व विकसित देशों को तकनीकी, आर्थिक व बौद्धिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक समुदाय में विकास साझेदारी व संयुक्त उपक्रमों के लिए एक विश्वसनीय स्थान प्राप्त कर चुका है।

भूख तथा कुपोषण पर केन्द्रित 100 जिलों पर सर्वेक्षण संबंधी हंगामा रिपोर्ट, 2011 (HUNGaMA Report 2011 on Survey of Hunger and Malnutrition in 100 Districts)

भारत में भूख तथा कुपोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हंगामा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कुपोषण व भुखमरी की स्थिति को 'राष्ट्रीय शर्म' (National Shame) की संज्ञा दी गयी। इस रिपोर्ट के मूल निष्कर्ष अथवा ध्यान देने योग्य बिंदु निम्नवत हैं-

- हंगामा सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में बाल कुपोषण की व्यापकता का पता लगाना था। सर्वेक्षण में पता चला कि बाल कुपोषण की व्यापकता में कमी आयी है। बच्चों के सामान्य से कम वजन की व्यापकता 53 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गयी है। इससे 7 वर्षों की अवधि के दौरान 20.3 प्रतिशत कमी प्रदर्शित होती है तथा औसत वार्षिक दर में 2.9 प्रतिशत की कमी हुई है।
- सर्वेक्षण का कहना है कि बाल कुपोषण सभी राज्यों तथा जिलों में काफी व्यापक है तथा जीवन के प्रारंभ में शुरू हो जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं तथा 58 प्रतिशत अविकसित हैं। सभी बच्चों में से लगभग आधे 2 वर्षों की आयु तक सामान्य से कम वजन के हैं अथवा अविकसित हैं।
- बच्चों की पोषण स्थिति पर घरेलू सामाजिक-आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कम आय वाले परिवारों में बच्चों में कुपोषण की व्यापकता पर्याप्त रूप से अधिक होती है। मुस्लिम अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चों में सामान्यतया कम पोषण सूचकांक प्रदर्शित होते हैं।
- हंगामा रिपोर्ट, 2011 का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि बच्चों के कुपोषण हेतु जन्म के समय वजन एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जन्म के समय 2.5 किग्रा. से कम वजन के बच्चों में से 50 प्रतिशत में सामान्य से कम वजन व्याप्त है। जबकि जन्म के समय 2.5 किग्रा. से अधिक वजन वाले बच्चों में यह 34 प्रतिशत है।
- हंगामा रिपोर्ट, 2011 में कहा गया है कि माताओं का शैक्षिक स्तर बच्चों के पोषण को निर्धारित करता है। जो माताएँ कुछ पढ़ी-लिखी अथवा साक्षर नहीं होतीं उनमें बाल-कुपोषण की व्यापकता 45 प्रतिशत तथा 10 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त माताओं में 27 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार 92 प्रतिशत माताओं ने कुपोषण शब्द कभी नहीं सुना था।
- हंगामा सर्वेक्षण के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण बात-की-गयी। उजागर सर्वेक्षण का मानना है कि भारत में आंगनवाड़ी केन्द्र बड़े पैमाने पर हैं परंतु हमेशा दक्ष नहीं हैं। 96 प्रतिशत गाँवों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। उनमें से 61 प्रतिशत पक्की इमारतों में हैं। आंगनवाड़ी में आने वाली माताओं द्वारा ली जाने वाली सेवाओं में सर्वाधिक अनुपात (86 प्रतिशत) टीकाकरण का है। केवल 19 प्रतिशत माताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र माता-पिता को पोषण संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है।
- सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि नवजात को माँ का दुध अथवा बच्चे के जन्म के पहले 6 महीनों के दौरान केवल स्तनपान सामान्यतया नहीं अपनाया जाता। हंगामा सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि 51 प्रतिशत माताओं ने अपने नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद नवदुध (Colostrum) नहीं दिया तथा 58 प्रतिशत माताओं ने अपने शिशुओं के जन्म के 6 माह बाद तक पानी पिलाया।
- हंगामा रिपोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों के पोषण का लाभ समय के साथ फीका पड़ जाता है। अपने जीवन के पहले कुछ महीनों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को प्राप्त पोषण लाभ आयु वृद्धि होने पर समय के साथ उल्टा होता प्रतीत होता है। इस प्रकार लड़के-लड़कियों में भेद किया जाता है।

भारत में बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति (Strategy towards Safeguarding Children and Women From Malnutrition in India)

भारत में शिशु सुरक्षा व मातृ सुरक्षा के संक्षेप कुपोषण एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है। मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों (गोंड आदि) में तो बच्चों में कुपोषण की दर 80 प्रतिशत तक है। भारत सरकार व अनेक राज्य सरकारों ने भारत में बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की योजनाएँ बनायी हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नवत् हैं-

वर्ष 2012 को टीकाकरण वर्ष घोषित करना- भारत ने वर्ष 2012 को सामान्य टीकाकरण को तेज करने के वर्ष के रूप में घोषित किया। वर्तमान में पूर्व टीकाकरण दायरे में 61 प्रतिशत बच्चों को शामिल किया गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पूर्व टीकाकरण दायरे में सुधार करना और सभी बच्चों, खासतौर पर सुदूर दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक पहुँच बनाना है। खसरा, हेपेटाइटिस बी और पाँच रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण की दूसरी खुराक की शुरुआत कर भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) का भी विस्तार किया है। टीकाकरण सेवाओं को हर बच्चे तक पहुँचाने के लिए वेब आधारित एक ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसमें 10 मिलियन से भी अधिक बच्चों का डाटाबेस है। अगले एक वर्ष के भीतर टीकाकरण दायरे में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है और इससे टीकाकरण दायरे में सही समय पर रिपोर्ट करने में सुविधा होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत में टीकाकरण का अभाव, कुपोषण जैसी स्थितियों के चलते भारत में शिशु मृत्यु दर की स्थितियाँ अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बच्चों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'सेव द चिल्ड्रेन' द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मूल निष्कर्ष निम्नवत् हैं-

- विश्व में नवजात शिशु की मौत के अधिकांश मामले विकासशील देशों से आते हैं। वर्ष 2009 में पूरे विश्व में आधे से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु 5 देशों भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, चीन और कांगों में हुई है।

- भारत में यह आँकड़ा सबसे ज्यादा पाया गया है जहाँ वर्ष 2009 में विश्व में होने वाली कुल नवजात शिशु मृत्यु के 28 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए हैं।
- भारत में जहाँ 1990 में 1000 नवजात शिशुओं में से 49 की मृत्यु हो गई, वहीं 2009 में यह दर गिरकर 34 पर पहुँच गयी।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि यदि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो नवजात शिशु मृत्यु दर के मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 1990 में जहाँ 13 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हुई वहीं वर्ष 2009 में 9 लाख मौत दर्ज की गयी है।
- 'सेव द चिल्ड्रेन' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 80 लाख से ज्यादा बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से ज्यादा बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से ज्यादा मौतें विकासशील देशों में होती हैं, जहाँ बीमारियों का इलाज लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता।
- नवजात शिशुओं की बात की जाय, तो उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- रिपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2000 में विश्व भर के देशों ने संकल्प लिया था कि वे वर्ष 2015 तक बाल मृत्युदर में सार्धक कमी लाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि विगत कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं।

भारत में भुखमरी की स्थिति से निपटने से संबंधित कार्यक्रम/योजनाएँ

(Programmes/Schemes Related to Dealing with Situation of Hunger in India)

1. ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना- जनजातीय गाँवों में खाद्यान्न बैंकों की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना की शुरुआत 1996-97 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 11 राज्यों में की गयी थी। हाल ही में यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय से खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय को स्थानांतरित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अकाल के दौरान भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्यान्न बैंकों की स्थापना सूखा प्रभावित क्षेत्रों, गर्म एवं शीत परस्थली क्षेत्रों जैसे खाद्यान्न संकट वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय एवं दमि पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। संशोधित स्कीम में सभी इच्छुक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करने की व्यवस्था है।
2. आपात-आहार कार्यक्रम- आपात आहार योजना निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वृद्ध, अक्षम तथा बेसहारा लोगों को विपत्ति के समय भोजन उपलब्ध करने को एक खाद्य आधारित पहल (Food Based Initiative) है। यह योजना मई, 2001 में शुरू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश पर खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा मई 2001 से प्रति लाभार्थी 6 किग्रा प्रति माह की दर से खाद्यान्न का आबंटन किया जाता है।
3. गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम- यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके तहत आवंटित खाद्यान्न का उपयोग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती/दुग्धपान कराने वाली माताओं को पोषक आहार दिलाने में किया जाता है।
4. छात्रावासों/कल्याण संस्थानों को खाद्यान्न आपूर्ति योजना- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2002-03 में की गई थी। इस योजना के तहत आश्रयहीन अथवा बेघर या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या किसी अन्य कल्याण योजना के तहत न आने वाली अन्य श्रेणियों की मदद करने वाले छात्रावासों/गैर सरकारी संगठनों या धर्मार्थ संस्थानों जैसे कल्याणकारी संस्थानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रति राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को मिलने वाले बीपीएल आबंटन से पाँच प्रतिशत अधिक खाद्यान्न बीपीएल दरों पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के औसत वृद्धि के आधार पर आबंटन की समीक्षा कर उन्हें युक्तिसंगत बनाया गया था।
5. मिड डे मील योजना- मिड डे मील योजना मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति स्कूल दिवस कम से कम 200 दिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन वाला पका/तैयार गर्म भोजन दिया जाता है। वहाँ हर बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) दिया जाता है और जहाँ खाद्यान्न वितरित किया जाता है वहाँ 3 किग्रा. प्रतिमाह प्रति छात्र के हिसाब से एक साल में 9-11 महीने अनाज दिया जाता है। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन गर्मी की छुट्टियों में भी दिया जाता है।
6. अंत्योदय अन्न योजना- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्तियों के लिए 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय परिवारों की

पहचान एवं इन परिवारों को विशिष्ट राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को दो रुपये प्रति किग्रा. गेहूँ तथा तीन रुपये प्रति किग्रा. चावल की अत्यधिक रियायती दर पर 25 किग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। 25 किग्रा. की इस मात्रा को 1 अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया है।

प्रारंभ में देश में लगभग 1 करोड़ अंत्योदय परिवारों की पहचान की गयी। वर्ष 2003-04 में सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया था। इसमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को शामिल किया। 1 अगस्त, 2004 से अंत्योदय अन्न योजना को ऐसे 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों तक बढ़ा दिया गया जो भुखमरी के कगार पर हों। विस्तृत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान के लिए राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इस स्कीम के तहत पहचान किये गये परिवारों को जारी किये गये विशिष्ट राशन कार्डों के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है।

7. **अन्नपूर्णा योजना**- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे असहाय वृद्ध नागरिक आते हैं जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र तो हैं, परंतु उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस योजना में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किग्रा. खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। वर्ष 2002-03 में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से मिलकर बने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के साथ राज्य योजना को स्थानांतरित कर दी गई है। इस स्थानांतरित योजना के लिए धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जा रही है। राज्यों को इस हेतु योजना के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों का चुनाव करने की छूट होगी। जमीनी स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों का होगा।

8. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**- कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक केन्द्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चावल, गेहूँ और दाल के उत्पादन की क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन बढ़ाना था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का परिव्यय 4882.5 करोड़ है। इस मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दो या अधिक फसलों को अपनाने वाले जिलों को और 1 करोड़ रुपये एक फसल अपनाने वाले जिलों को कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों और अवसरचर्चा का विकास, विपणन सुविधा एवं कृषकों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई है।

भारत में भोजन की उपलब्धता पर भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के मूल निष्कर्ष (Major Conclusions of India's Human Development Report, 2011 on Availability of Food)

भारत विश्व की यद्यपि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है लेकिन जहाँ तक गरीबी का प्रश्न है, इसकी हालत में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। भारत की मानव विकास रिपोर्ट, 2011 का कहना है कि आज से 30 वर्ष पहले भारत के गरीबों के लिए आज के मुकाबले भोजन की उपलब्धता ज्यादा थी। वस्तुतः भुख के मामले में भारत की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि अभी भी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन की उपलब्धता नहीं है, जबकि भारत की आर्थिक संवृद्धि में औसतन 6 प्रतिशत की कमी हुई है लेकिन जहाँ तक प्रोटीन एवं कैलोरी इनटेक का प्रश्न है, भोजन में इसकी मात्रा में कमी ही पाई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2000 से 2009 की अवधि में भारत में 5 वर्ष की उम्र के कुल बच्चों की जनसंख्या का आधा कुपोषित रहा है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से भी पता चलता है कि वजन तथा लंबाई के आधार पर भारत में बच्चों की स्थिति में पिछले 25 वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी खपत में 2004-05 की अवधि में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में भी 1983 से 2004-05 की अवधि में कैलोरी खपत में भी 3.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है, अर्थात् यह 2050 कैलोरी से घटकर 2020 कैलोरी रह गया है।

भूख सूचकांक के मामले में मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार पंजाब की स्थिति काफी गंभीर है जिसका भूख सूचकांक 13.63 है। इसी प्रकार गुजरात जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न है, उसकी स्थिति भूख सूचकांक की दृष्टि से अत्यंत खराब है। असम की स्थिति गुजरात से इस मामले में बेहतर है।

उल्लेखनीय है कि मानव विकास रिपोर्ट में भूख सूचकांक के लिए 5 वर्ष के उम्र के बच्चे में मृत्यु दर तथा औसत से कम वजन के आधार पर भूख सूचकांक तैयार किया जाता है। वर्तमान सूचकांक के अनुसार मानव विकास सूचकांक में जिन राज्यों का

स्थान बेहतर है, आमतौर पर भूख सूचकांक में उनका स्थान काफी नीचे पाया गया है। मध्य प्रदेश का स्थान इस सूचकांक में सबसे नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के 81 प्रतिशत को वर्तमान में भोजन पर्याप्त कैलोरी में नहीं मिल पाता है तथा शहरी इलाके के लिए यह 57 प्रतिशत है। 2004-05 से पहले के तीन दशकों में कुल खर्च में भोजन का प्रतिशत लगातार गिरता गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011

भारत में भुखमरी व खाद्यान्न असुरक्षा की परिभाषा में विस्तार करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर हाल के समय में बल दिया गया है। केन्द्र सरकार ने भी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 को भारत के गजट में 1 अगस्त, 2011 को अधिसूचित किया। यह अब पूरे देश में लागू हो गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम ने निम्नांकित कानूनों व आदेशों को प्रतिस्थापित किया है-

- खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 2006
- फल उत्पाद आदेश, 1955
- मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
- विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित अवचूर्ण और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के तहत जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अस्वास्थ्यकर एवं अपमिश्रित खाद्य के मामलों में 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक की जुर्माना लगायी जा सकेगी तथा अपराधी व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 के अंतर्गत निर्धन परिवार पहचान के मानक (Standards for Symbolising Poor Families Under Social-Economic and Cast Census, 2011)

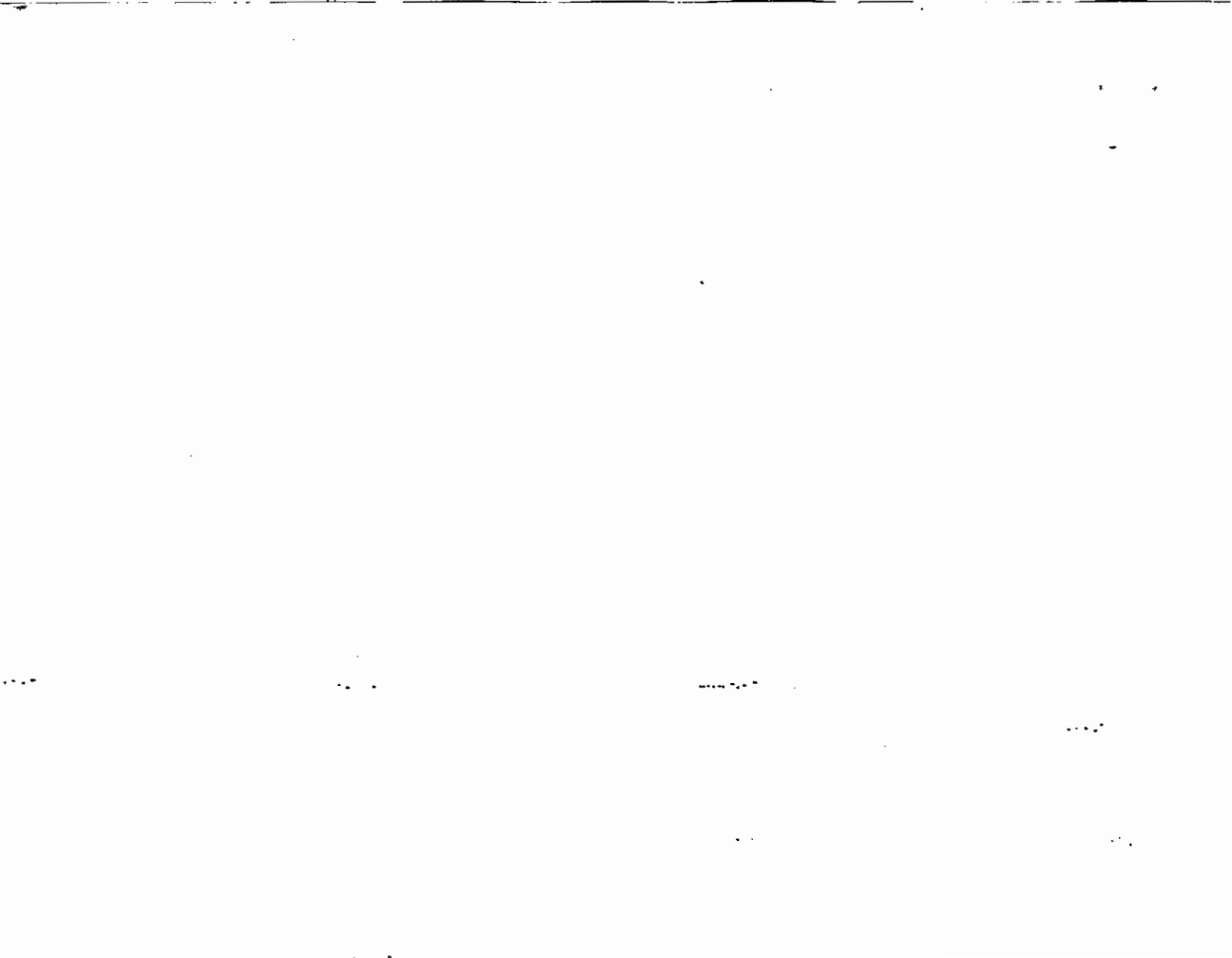
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् पहली सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का प्रारंभ 29 जून 2011 को किया गया। इस जनगणना के तहत निम्नांकित अभाव वाले परिवार को निर्धन माना जा रहा है-

- जिस परिवार के पास कच्ची दीवार और छत का एक कमरा पकाने हो।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष का कोई व्यक्ति न हो।
- परिवार की मुखिया महिला हो और कोई भी व्यक्ति पुरुष 16 से 59 वर्ष का न हो।
- परिवार में कोई भी विकलांग सदस्य हो तथा कोई भी छोटा बच्चा सदस्य न हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन परिवार
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति साक्षर न हो।
- भूमिहीन श्रमिक।

इस 7 सूत्री सूची में दिये गये अंक के आधार पर परिवारों की रैंकिंग की जायेगी जिससे गरीबी का स्तर तय किया जा सकेगा। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 के अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के निम्नांकित वर्ग के लोगों को चिह्नित किया गया है-

- दान पर निर्भर परिवार।
- हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति।
- परंपरागत आदिवासी लोग।
- कानूनी तौर पर जारी निर्धनता रेखा से नीचे वालों की सूची में शामिल बंधुआ मजदूर।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 के तहत स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के आधार पर उन्हें चिह्नित करने का प्रयत्न किया गया है।



ई-शासन-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ (E-Governance-Applications, Models, Successes, Limitations and Potential)

*** (इस खंड का संबंध सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक-15 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-5 से है।

ई-शासन

सामान्य शब्दों में कंप्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाइट तथा दूरसंचार के अन्य माध्यमों से प्रशासनिक कृत्यों का निष्पादन ही ई-शासन है। संकीर्ण अर्थ में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई-शासन है। व्यापक अर्थ में किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई-शासन है।

भारत में ई-शासन

भारत में ई-शासन का विकास लगातार प्रशासन के सुक्ष्मतर पहलुओं को लघु रूप देने के लिए किए गए उपायों, जैसे नागरिक केंद्रित, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता के लिए सरकारी विभागों के कंप्यूटीकरण से प्रारंभ हुआ है। इस विचार को पर्याप्त संज्ञान में लिया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के विभिन्न अंगों में ई-शासन के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, एक कार्यक्रम उपागम, जो एक सामान्य नजरिए और नीति से निर्देशित हो, को अपनाने की जरूरत है। इस उपागम में, मानकों के जरिये सूचना के परस्पर आदान-प्रदान के प्रयास को संभव बनाकर कठोर और समर्थक मूल संचित के समर्थन के जरिये लागत में भारी बचत और नागरिकों के समक्ष सरकार का बाधरहित नजरिया प्रस्तुत करने की संभावना बढी है।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत सरकार की निर्णायक शुरुआत 17 अक्टूबर, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू करके हुई। इस अधिनियम के अध्याम से ई-कॉमर्स एवं ई-गवर्नेंस को वैधता प्रदान की गई। द्वारा ई-गवर्नेंस कानून की स्थापना 15 अगस्त 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में की।

ई-शासन के विभिन्न चरण

स्पष्टतः ई-शासन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से संबंधित है। तलजात्मक रूप से ऐसी प्रणालियाँ विकासशील देशों में कुछ देर से उपलब्ध हुई। भारत में ई-शासन निम्न कारणों के माध्यम से अग्रसर हो रहा है।

प्रथम चरण में बढी संख्या में सरकारी कार्यालयों को कंप्यूटीकरण किया गया। द्वितीय चरण में कुछ सरकारी संगठनों को कुछ यूनिटों को सूचना की आपातारोहण विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच आँकड़ों के प्रवाह से हब के माध्यम से जोड़ा गया अर्थात् यह चरण नेटवर्किंग कहलाता है। तृतीय चरण में ऑनलाइन उपस्थिति आती है जिसका अंतर्गत वृद्धिकारी इंटरनेट संपर्क से वेब पर उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत महसूस की गई। अंत में इससे सरकारी विभागों एवं अन्य संगठनों द्वारा वेबसाइट का रख-रखाव किया गया। चतुर्थ चरण के अंतर्गत ऑनलाइन परस्पर संपर्क आता है जिसका आशय ऑनलाइन उपस्थिति का स्वाभाविक परिणाम सरकारी संगठनों एवं नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के मध्य संप्रेषण माध्यम के स्थापित होने से है। इस चरण में मुख्य लक्ष्य डाउनलोड करने योग्य प्रपत्रों, नियम, निर्देशों आदि को प्रदान करते हुए सरकारी संगठनों के साथ तथा कुछ मामलों में इससे प्रपत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति है।

ई-शासन में परस्पर क्रियाओं की विधियाँ

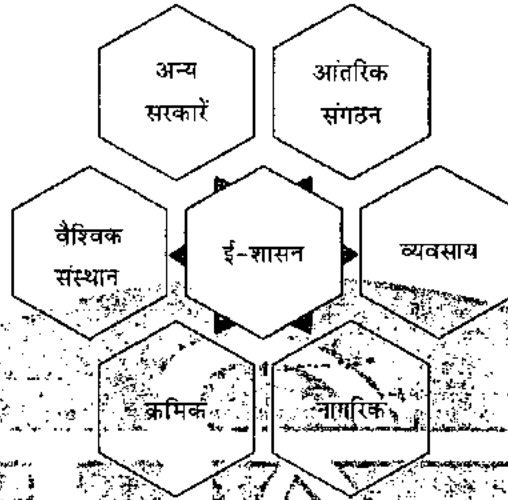
- (i) जी. टू. जी. Government to Government (सरकार से सरकार) - जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई-शासन के माध्यम से संपर्क स्थापित होता है तो यह विधि जी.टू.जी. विधि कहलाती है। उदाहरणस्वरूप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्यान्न संबंधी जरूरतों की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजे, तो यह प्रक्रिया जी.टू.जी. के अंतर्गत आएगी।
 - (i) कर्नाटक में खजाने परियोजना
 - (ii) "स्मार्ट" सरकार (आंध्र प्रदेश)
- (ii) जी. टू. सी. Government to Citizen (सरकार से नागरिक) - इसके अंतर्गत सरकार एवं नागरिकों के मध्य होने वाले पारस्परिक व्यवहार जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। उदाहरणस्वरूप जनता द्वारा रेलवे आरक्षण कराना, विद्युत एवं टेलीफोन संबंधी शिकायतें सरकार से करना आदि।
 - (i) भूमि (अभिलेखों का कंप्यूटीकरण)
 - (ii) ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश)
 - (iii) लोकवाणी (उत्तर प्रदेश)
 - (iv) क्रैंड्स (केरल)
 - (v) ई-मित्र (राजस्थान)
 - (vi) ई-सेवा (आंध्र प्रदेश)
 - (vii) राजस्व प्रशासन विलिंग परियोजना (बिहार)

(iii) जी. टू. बी. Government to Business (सरकार से व्यवसाय)- इस श्रेणी के अंतर्गत सरकार द्वारा व्यापार जगत के साथ विभिन्न व्यवसायपरक लेन-देन वाली गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। उदाहरणस्वरूप ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं सौभाग्य तथा उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण आदि।

(i) ई-अधिप्राप्ति परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)

(ii) गुजरात में ई-अधिप्राप्ति

(iv) जी. टू. ई. Government to Employees (सरकार से कर्मचारी)- यह वह श्रेणी है, जिसमें सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत भर्ती, प्रशिक्षण, पदस्थापन, वेतनमान निर्धारण, शिकायत निवारण आदि शामिल हैं।



ई-शासन का महत्त्व

ई-शासन नागरिक सेवाओं का रूपांतरण कर सकती है, नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए सूचनाएँ प्रदान कर सकती है, सरकार में उसकी सहभागिता संभव बना सकती है और आर्थिक एवं सामाजिक अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम बना सकती है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण पुराने संस्थागत ढांचे में नये आयाम जोड़ रहा है। देश में प्रभावी ई-शासन के लिए सूचनायुक्त और सहभागी समुदाय को होना बहुत जरूरी है।

ई-शासन एक व्यापक अवधारणा है। यह सूचना एवं संचार तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार तथा उसके संगठनों, संस्थानों और समाज के बीच भागीदारी बढ़ाने का काम करता है। इसके माध्यम से सरकार तथा दूसरी राजनैतिक पार्टियाँ अपने सिद्धांत, कार्य, कार्यक्रम तथा मंत्रालयों से संबंधित जनोपयोगी समाचार और सूचनाएँ मुहैया कराती हैं। यह सरकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम है।

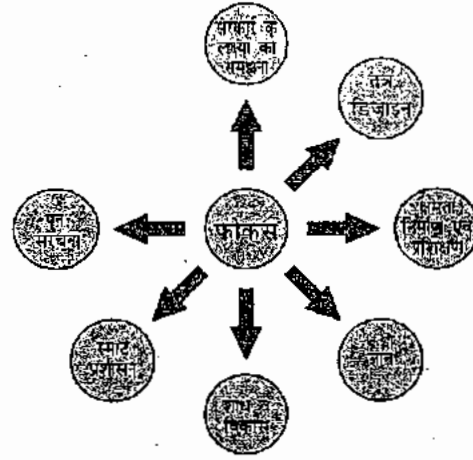
ई-शासन का प्रयोग

ई-शासन का उपयोग सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने में, सूचना के आदान-प्रदान में, संवाद प्रेषण में, सरकार तथा नागरिकों (जी.टू.सी.) तथा सरकार एवं व्यवसाय (जी.टू.बी.) के बीच विभिन्न व्यवस्था एवं सेवाओं को एकीकृत करने, एक विभाग के भीतर तथा सरकार के भीतर विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान करने में किया जायेगा।

ई-शासन के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएँ, उपयुक्त, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करायी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को तकनीक और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए।

ई-शासन का लक्ष्य

ई-शासन का लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना, उनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना, सरकारी व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से ई-शासन स्वच्छ प्रशासन, विश्वास और उत्तरदायित्व, नागरिक कल्याण, लोकतंत्र, राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाना है।



ई-शासन: केन्द्र बिन्दु

ई-शासन: केन्द्र बिन्दु सेवा वितरण तंत्र सुधार पर विशेष ध्यान देना, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना, बड़े स्तर पर सूचनाओं के प्रयोग पर जोर देना है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-शासन के सूत्र में प्रवेश के लिए बहुत से प्रयास किए जाते रहे हैं। जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करने और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरलीकरण के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए गए हैं।

ई-शासन से भ्रष्टाचार पर लगाम

भ्रष्टाचार का मुख्य कारण आम लोगों के पास सूचनाओं का अभाव है। जब सूचनाएं ऑनलाइन होने लगेंगी तो कोई भी व्यक्ति जनता से सूचनाएं छिपा नहीं सकेगा।

इसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से संबंधित अधिकारी से अपने कार्य के बारे में सूचना हासिल कर सकेंगे। सवाल पूछ सकेंगे। ऐसे में जब कोई अधिकारी लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क से दूर हो जाएगा तो भ्रष्टाचार की संभावना भी नहीं रहेगी। कार्य भी उसकी अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकेगा क्योंकि सब कुछ बरिफिकेट हो जाएगा। अभी तक भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण यह है कि अधिकारी अक्सर लोगों के कार्यों को लटकाकर धन की उगाही करते हैं। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार, सूचना, सेवा, सुविधा, व्यवसाय तक आम जनता को पहुंच सकेगा। यह हमें ऑनलाइन सूचना सेवा प्रौद्योगिकी के इंटरनेट, मोबाइल फोन जैसे साधनों को संभावित करता है।

ई-शासन के लाभ एवं सफलताएँ

- यह शासन सरकार एवं लोगों के बीच सहज संवाद का प्रतीक है। विभिन्न द्रुतगामी संचार माध्यमों जैसे इंटरनेट, ई-मेल आदि तकनीकी उपकरणों की सहायता से सरकार अपने नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने में सक्षम है।
- दूरदराज एवं पिछड़े क्षेत्रों को शहरों में स्थित सरकारी दफ्तरों से जोड़कर दूरी को कम कर पाना संभव हो पाया है जिससे आमजन का पैसा तथा समय की बचत संभव हो पाएगी।
- प्रशासनिक, जिम्मेदारी में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी संभव हो सकेगी एवं सूचना के अधिकार को कार्यरूप में परिणत कर पाना संभव हो सकेगा।
- प्रशासन के निर्णयों में गतिशीलता आएगी, नौकरशाही का बोझ कम हो जाएगा, कर्मचारियों एवं लागत में कटौती संभव होगी, बेहतर समन्वय स्थापित हो जाएगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी एवं सरकारी राजस्व वसूली पर्याप्त रूप से हो सकेगी जैसे- गुजरात सड़क परिवहन विभाग की कंप्यूटरीकृत चेक पोस्ट परियोजना के कारण गुजरात के 10 चुंगी वसूली केन्द्रों पर भ्रष्टाचार शून्य स्तर पर पहुँच गया। अंत में, ई-अधिशासन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सृजनात्मक प्रयोग द्वारा सुविधायुक्त अधिशासन में सुधार से संबंधित है।
- प्रारंभिक चरण में, प्रपत्रों, कानूनों, नियमों, कार्यविधियों जैसे अधिशासन के साधारण पहलुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो बाद में रिपोर्टें, (कार्यनिष्पादन रिपोर्टें सहित) सरकारी डाटाबेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि सहित विस्तृत सूचना तक विस्तारित होगी। सेवाओं के संबंध में समय, प्रयास और धनराशि में बचत के रूप में तत्काल प्रभाव होगा। बैंक एवं प्रक्रियाओं के स्वचालन द्वारा समर्थित सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन और एक-स्थलीय अभिगम्यता के परिणामस्वरूप

समय, प्रयास और धनराशि में बचत के रूप में तत्काल प्रभाव होगा। ई-अधिशासन का अंतिम उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर अर्थात् नागरिकों को वैसी सार्वजनिक सेवाएँ, जिनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपेक्षा होगी, प्रदान करके नागरिकों तक पहुँचाना है।

- (vi) सरकार में सरलता, क्षमता और जिम्मेदारी आ सकेगी तथा अनावश्यक प्रक्रियाओं की छँटाई, संरचनाओं में सरलीकरण और संविधियों एवं विनियमों में परिवर्तन हो सकेगा। अंतिम परिणाम सरकार के कार्यकरण का सरलीकरण, निर्णय लेने का वर्धित सामर्थ्य और संपूर्ण सरकार में वर्धित क्षमता होगी, जो एक अधिक जिम्मेवार सरकारी तंत्र के समग्र वातावरण में योगदान करेंगे। इसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में वर्धित उत्पादकता और क्षमता परिलक्षित होगी।
- (vii) दूरभाष नेटवर्क के विस्तार, मोबाइल टेलीफोन सेवाओं में तीव्र विकास, इंटरनेट के विस्तार और अन्य संचार अवसंरचना के सुदृढीकरण से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेकों सेवाओं की सुपुर्दगी सुविधाजनक होगी। सरकार की स्थानिक और जनसांख्यिकीय दोनों पहलुओं में यह वृद्धि अधिशासन की प्रक्रिया में नागरिकों की बेहतर भागीदारी भी समर्थ बनाएगी।

ई-शासन के लाभ

बाह्य रूप से	आंतरिक रूप से
• तीव्रतर सेवा सुपुर्दगी • अधिक प्रभावोत्पादकता • सेवा प्रयोग की वर्धित नमनीयता • सेवा सुपुर्दगी में अभिन्न परिवर्तन • अधिक सहभागिता • अधिक नागरिक अधिकारिता • नागरिक सहभागिता	• दोहराने से बचना • लेन-देन की लागत कम करना • अफसरशाही की कार्यविधियों का सरलीकरण • अधिक क्षमता • अधिक समन्वय और संप्रेषण • वर्धित पारदर्शिता • एजेंसियों के बीच सूचना की भागीदारी • सूचना प्रबंधन की सरलता

सूचना ग्राम अनुसंधान परियोजना का जो अनुभव रहा है, उससे पता चलता है कि ग्रामीण जन बिना ज्यादा पढ़े-लिखे आईसीटी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्थागत संर्कों के निर्माण से गरीबों को करने के प्रयासों में काफी मदद मिली है। इस क्रम में, विभिन्न स्तरों पर सरकारी संरचना निर्बाध और परस्पर सहयोगी ढंग से काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे इन परिवर्तनों का श्रेय आंशिक रूप से ई-प्रशासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को दिया जा सकता है।

ई-प्रशासन के जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं वे हैं- सरकारी सेवाओं और कामकाज की कार्यक्षमता में वृद्धि, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और संख्या में वृद्धि, लोगों की सेवाएँ जो दूर दूरस्थ विभिन्न मजालों की सरकारी सेवाओं का एकीकरण; नीतिगत लक्ष्य प्राप्ति से सहायता, सरकारी सुधारों में योगदान-विशेषकर भ्रष्टाचार और बर्बादी रोकने में संचार और फीडबैक को सरल बनाकर सरकार और नागरिकों के बीच लोकतान्त्रिक संवाद को बनाए रखना।

इसकी लागत में कमी और कार्यक्षमता में सुधार व्यापारियों और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोध, उत्तरदायित्व, सरकार की क्षमता में वृद्धि, नेटवर्क और समुदाय की रचना, निर्णय प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार; समाज के अन्य क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

ई-शासन की सीमाएँ व संभावनाएँ

कंप्यूटर पर सरकारी कामकाज यानी ई-गवर्नेंस के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में ई-सेवा परियोजनाओं के तहत लोग करोड़ों ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। न्यायपालिका में चल रहे मामलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। कर्नाटक में तो हर तालुका का भू-अभिलेख कंप्यूटरीकृत है। लेकिन क्या ये उपलब्धियाँ उस देश में काफी हैं जिसमें ई-गवर्नेंस के दो दशक हो चुके हैं? अब यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्यों ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ उस हद तक सफल नहीं हो सकीं, जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी? इन असफलताओं के मुख्य तौर पर 3 बड़े कारक हैं-

1. परियोजनाओं की ठीक तरह से तैयारी न करना।
2. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उचित नीतियों का अभाव; और
3. पोस्ट प्रोजेक्ट प्लान पर्याप्त न होना।

ज्यादातर परियोजनाएँ विभाग की वास्तविक जरूरतों या नागरिकों की आवश्यकताओं के गहन विश्लेषण व सर्वेक्षण पर कभी-कभार ही आधारित होती हैं।

दूसरा बड़ा कारक जमीनी वास्तविकताओं के आकलन का पूरी तरह से अभाव है। बिजली की उपलब्धता, स्टॉफ के सदस्यों का मानसिक नजरिया और प्रशिक्षण का स्तर, परियोजना का विरोध करने वालों का निहित हित, टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान न देने के कारण परियोजनाएँ असफल हो जाती हैं।

तीसरा बिंदु क्रियान्वयन की समुचित योजना का न होना है। जो विभाग अनुदान प्राप्त करता है, वह इसे खर्च करने की जल्दबाजी में एक अधिकारी (ज्यादातर अंशकालिक) को ही चुनता है, उसके साथ कुछ सदस्यों को लगा देता है और विभागीय स्तर पर परियोजना शुरू हो जाती है। इसकी बजाय मल्टी एजेंसी क्रियान्वयन की योजना बनानी चाहिए, जिसमें विभाग की समझ, सलाहकारों की तकनीकी ज्ञान, विक्रेता का अनुभव और जनसामान्य के हितों के अनुरूप सामाजिक संगठन या उपभोक्ता संगठन की संवेदनशीलता का मिश्रण हो। विभागीय स्तर की ज्यादातर परियोजनाएँ इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि आईटी परियोजनाओं के लिए जो रफ्तार और लचीलापन चाहिए वह सरकारी तंत्र नहीं दे पाता।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उचित नीतियों का अभाव दूसरी श्रेणी की कमी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जरूरतों का विश्लेषण सबसे कमजोर कड़ी है। जरूरतों का संकलन करते वक्त नागरिक और विशेषकर ग्रामीण जनता, स्टॉफ सदस्यों और अधिकारियों का पक्ष एवं दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा पहलू जिसका ई-गवर्नेंस में ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि उसे भविष्य के लिए ध्यान रखकर डिजाइन न किया जाना जबकि इसे यूजर्स फीडबैक के आधार पर या दूसरे सरकारी आई टी सिस्टम के साथ जोड़कर या नए तकनीकी समावेश (मोबाइल, जीआईएस आदि) के साथ बदले या जोड़े जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाते समय शांति ही इस बात का ध्यान रखा जाता है की ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में चार से बारह घंटे ही बिजली आती है। शहरी क्षेत्रों में भी यही समस्या है। अतः ग्रामीण इलाकों में ऐसा यूपीएस भी अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए जिसका बैटरी बैकअप कम से कम 8 घंटे का हो और जिसके तहत तंत्र की सहायता मिल सके। डाटा एंट्री की कमजोर योजना और समुचित प्रशिक्षण के अभाव में चलते भी परियोजनाएँ असफल हो जाती हैं। आईटी परियोजनाओं का उद्देश्य यह है कि जनता को चौबीस घंटे साता दिन (24x7) ऑनकैड उपलब्ध हो। चूंकि ज्यादातर नागरिकों को कंप्यूटरों तक पहुँच अभी नहीं है अतः ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में उन तक ऑनकैड टेलीफोन या आईवीआर या काल सेंटर आधारित या मोबाइल फोन की एसएमएस सेवा के माध्यम से भेजना अनिवार्य होना चाहिए।

अंतिम श्रेणी की गलती में क्रियान्वयन के बाद की कोई समुचित योजना का न होना भी शामिल है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्रतिस्थापित करने, लोगों को प्रशिक्षित करने और डाटा एंट्री करने के बाद यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भविष्य में परियोजना सुचारु रूप से चलती रहे। दुर्भाग्य से ज्यादातर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में ऐसी कोई दूरदर्शी योजना नहीं होती। यदि ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में इन सब श्रेणियों की गलतियाँ परंपरी तरह ध्यान दीस जायें तो परियोजना की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। लोगों को भी इससे काफी लाभ होगा वरन्ता यह महत्वकीर्षी परियोजना व्यर्थ न हो जाये।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारत में ई-गवर्नेंस यद्यपि धीरे-धीरे फैल रहा है लेकिन इसे एक उपलब्धि के रूप में अभी नहीं देखा जा सकता। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने अपने Global Information Technology Report 07 esa Network Readiness Index के आधार पर भारत को चालीसवें स्थान पर रखा है जो यह दर्शाता है कि भारत में आईटी या सूचना अभिशासन का लाभ समाज के बड़े भाग को नहीं पहुँचा है।

वित्तीय निवेश की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में सूचना अभिशासन के उन्नयन के लिए किये जाने वाले खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में ई-गवर्नेंस पर किया जाने वाला खर्च 2002-03 में केवल 280 मिलियन डॉलर था जो 2003-04 में बढ़कर 480 मिलियन डॉलर हो गया जो 60% वृद्धि को दर्शाता है। यही स्थिति 2012-2013 में भी देखी जा सकती है।

निष्कर्षतः भारी निवेश के अनुपात में वास्तविक उपलब्धि कतिपय सूक्ष्म है। आवश्यकता केवल निवेश बढ़ाने की नहीं बल्कि उन कदमों को उठाने की है जो सूचना अभिशासन को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं; विशेषकर मानव संसाधन विकास, ई-साक्षरता, संचार अवसंरचना का विकास आदि।

हालाँकि इन परियोजनाओं की सफलता यह दर्शाती है कि ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे आईसीटी (इंफॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी) ग्रामीण भारत में उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय लोगों के समाधानों का आदान-प्रदान कर, कृषि एवं बाजार आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सूचनाओं को सुलभ कराने जैसे अनेक कार्यों के जरिये आईसीटी ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा बदलने का काम कर रही है। विकास के क्रम में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर आईसीटी के अनुकरणीय प्रयास किए जा रहे हैं।

लेकिन, आईसीटी पर ज्यादा जोर देने के बजाय इन परियोजनाओं को नागरिकों की सेवा के लिए संपोषणीय प्रणालियों के विकास पर ध्यान देना होगा। इसमें लोगों को सस्ती, अधिक कार्यकुशल और त्वरित सेवा प्रदान करने की क्षमता है।

वर्तमान में आईसीटी का उपयोग स्थानीय स्तर पर, विशेषतः स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं में खुलापन, पारदर्शिता और प्रभाविता लाने वाले साधन के रूप में किया जा रहा है। अतएव यदि राज्य और केंद्रीय सरकारें प्रत्येक जिले और विकास खंडों में इसे लागू करने पर जोर दें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आईसीटी का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

आईसीटी व्यापक भागीदारी का कोई समाधान नहीं है बल्कि केवल उसका साधन भर है और कोई साधन उतना ही प्रभावी होता है जितना कि उसका उपयोग। इन साधनों का उपयोग लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

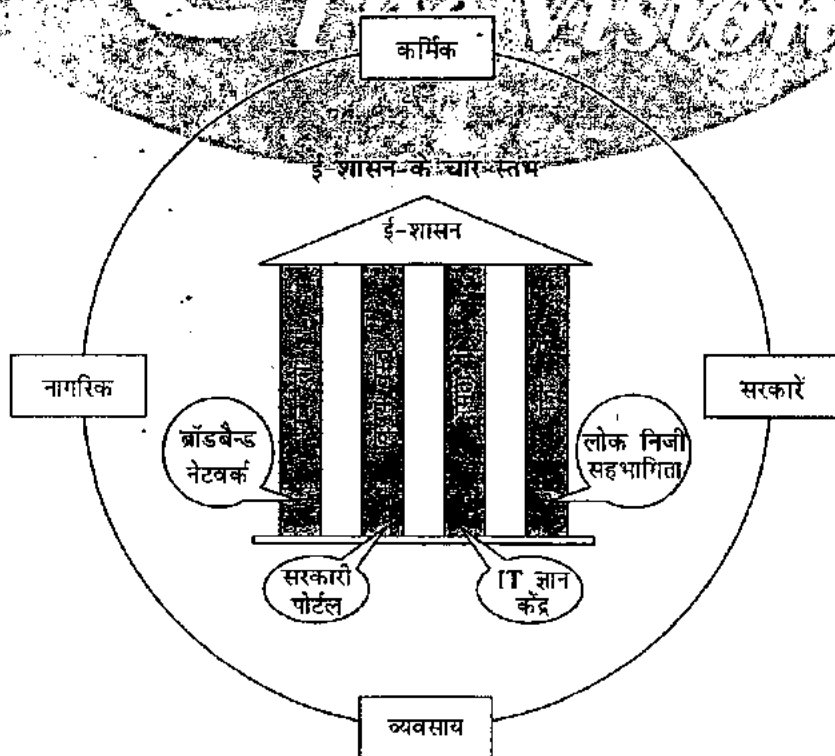
वेब विशेषज्ञता और काम करने के घंटों का अभाव ई-प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। बहुपक्षीय सहयोग तथा वेब विकास के साधन और सॉफ्टवेयर संभवतः इसका समाधान हो सकते हैं। इसके अलावा, निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं और यह सर्वत्र लागू होता है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण।

अनेक ग्रामीण सरकारें लोगों को बहुमूल्य सूचनाएँ प्रदान करने के लिए ई-प्रशासन का इस्तेमाल करती हैं परंतु सूचना और डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज जहाँ आम हो गई है वहीं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन कारोबार का क्रियान्वयन होना अभी बाकी है।

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, ई-प्रशासन सेवाओं के दायरे और गहराई में तेजी से विस्तार हो रहा है। ग्रामीण समाजों को अभी ई-प्रशासन के पूरे लाभ उठाने हैं। यदि आईसीटी के लाभ देश के कुछ भागों में उठाए जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि देश के हर कोने में इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। बस इस दृढ़ इच्छाशक्ति और सकल्प के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

सुझाव

ई-गवर्नेंस प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए इसके लिए इसे व्यापक स्तर पर लागू करना होगा। ई-गवर्नेंस व्यवस्था की सेवाओं का उपयोग करने के लिए नागरिकों को भी इसके योग्य बनाना होगा। इसके लिए शिक्षा देने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके भी नागरिकों को ई-गवर्नेंस का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि सूचना का अधिकार लोगों को सूचना की मांग करने का अधिकार देता है तो ई-गवर्नेंस सरकार को सूचना आपूर्ति करने का साधन उपलब्ध करता है। ई-शासन के चार आधार स्तंभों को मजबूत बनाया जाने की आवश्यकता है।



भारत में ई-शासन पर कार्यरत संस्थाएँ

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी डैक), सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, डाटाक्वेस्ट, द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस ऑनलाइन, ई-गवर्नेंस स्टैण्डर्ड, ई-गवर्नेंस मॉनिटर, इस्टीमेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, आई गवर्नेमेंट, इनफार्मेशन फॉर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार), एस पी पोस्ट, नेशनल इस्टीमेट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस नेटवर्क इत्यादि।

राष्ट्रीय स्तर पर ई-शासन के लिए किये जाने वाले प्रयास

(Efforts for E-Governance on National Level)

(I) राष्ट्रीय ई-शासन योजना

भारत सरकार ने देश में ई-शासन के विकास के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना की आधारशिला वर्ष 2003 में रखी और इस योजना का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत देश में नागरिक व व्यापार उन्मुखी वातावरण बनाना, सही प्रशासन और संस्थागत तंत्र उत्पन्न करना, आधारभूत संरचना और नीतियाँ बनाना तथा केन्द्र, राज्य एवं एकीकृत सेवा स्तर पर मिशन मोड प्रोजेक्ट को लागू करना शामिल है।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) एक सर्वांगीण दृश्य प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत देशभर में ई-शासन के लिए की जा रही कार्रवाई को "एक सामूहिक विचार, एक साझा विषय" के रूप में एकीकृत किया जाता है। इस विचार के ईई-गिर्द इंटरनेट पर सरल, विश्वसनीय पहुँच, संभव बनाने के लिए दर-दरज के गाँवों तक भारी-भरकम देशव्यापी मिल-संघना को तैयार किया जा रहा है और रिकॉर्डों का बड़ पैमाने पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य नागरिक सेवाओं को नागरिकों के घरों तक और अधिक समीप लाना है, जैसा कि राष्ट्रीय ई-शासन योजना के संकल्पना विवरण (Vision Statement) में कहा गया है कि-

"सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक सामान्य सेवा वितरण के माध्यम से उपलब्ध कराने और आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को किफायती ढंग से पूरा करने के लिए ऐसी सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करें।"

सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का अनुमोदन किया है जिसमें 18 मई, 2006 को स्थितिक अनुसार 27 मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) और 8 घटक शामिल हैं। सरकार ने एनईजीपी के लिए विचार, उपायों, कार्यनीति, मुख्य घटकों, कार्यान्वयन विधि और प्रबंधन संरचना का अनुमोदन किया है। तथापि एनईजीपी के अनुमोदन में सभी मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) और इसके अधीन घटकों के लिए वित्तीय अनुमोदन निहित नहीं है। एमएमपी श्रेणी में वर्तमान अथवा जारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों द्वारा किया जा रहा है और एनईजीपी के उद्देश्यों के अनुसार राज्य के विभागों में उचित संवर्धन और वृद्धि की जाएगी।

परियोजना और पहले

राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत निम्नांकित पहले शामिल हैं-

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. क्षमता निर्माण योजना | 2. जागरूकता एवं संप्रेषण | 3. मानक और नीतियाँ |
| 4. नागरिक सेवा वितरण व्यवस्था | 5. ई-शासन केन्द्र | 6. ई-शासन संपुष्टि जॉच केंद्र |
| 7. ओपन प्रौद्योगिकी केंद्र | 8. भारत विकास गेटवे | |

1. क्षमता निर्माण योजना (Capacity Building Plan): इनमें निम्नलिखित चुनौतियाँ शामिल हैं:

- एनईजीपी सेवा अभिमुखीकरण के लिए परियोजना डिजाइन में समन्वय करना।
- अभियान में मानकीकरण और संगतता लाना, साथ ही इस योजना को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों और लचीलापन का होना।
- प्रबंधन में परिवर्तन।
- लागत को न्यूनतम करना और संसाधनों का इष्टतम सदुपयोग।
- बाह्य संसाधनों से लाभ।
- अन्यत्र व्यवहार में लाई जा रही सर्वश्रेष्ठ विधियों को कार्यान्वित करना।
- परियोजना और कार्यक्रम की निगरानी।

राज्य प्रशासन को सरल बनाने और राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कौशल-स्तर और तीन स्तरीय अभिवृत्ति के साथ-साथ समर्पित, पेशेवर टीम के जरिये पर्याप्त समर्थन की जरूरत होगी:

- शीर्ष स्तर
- कार्यक्रम स्तर
- परियोजना स्तर

2. **जागरूकता एवं सम्प्रेषण (Communication and Awareness):** किसी योजना की सफलता न केवल सूचना तथा विभिन्न सेवाओं तक पहुँच व उपलब्धता पर निर्भर करती है बल्कि उस कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता पर भी निर्भर करती है। एनईजीपी तथा सम्प्रेषण रणनीतियों का प्रभावी सम्मिश्रण इन दोनों के लिए कारगर समाधान है।

एक योजना के रूप में, एनईजीपी इस प्रकार से एक अनुठी पहल है कि वह मुख्यधारा के मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों की मिशन मोड परियोजनाओं में अभिव्यक्त होती है। एनईजीपी विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देशभर में किए जा रहे ई-शासन के प्रयासों का सर्वांगीण अवलोकन करता है तथा सामूहिक परिकल्पना और साझा कारणों को एकीकृत करती है। इस प्रकार वह बहु-भागीदारों तथा विभिन्न स्तरों के कार्यान्वयन माहौल से गुजरती है तथा इसलिए योजना को अपनी परिकल्पना साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी भागीदारों को सामान्यतः ई-शासन के लाभों का तथा विशेषकर एनईजीपी का एक पूर्ण कार्यक्रम के रूप में ज्ञान हो। इसके अंतर्गत एनईजीपी के एक अम्ब्रेला/कॉरपोरेट ब्रांड बनाना, सेवा वितरण केंद्रों के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे कार्यान्वित करने वालों की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी जैसे विषय शामिल हैं।

3. **मानक और नीतियाँ:** ई-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधि है जो कि सूचना को साध्य करने तथा ई-शासन उपयोगिता के आर-पार आँकड़ों की निबार्ध अंतर्कार्यकारी को सुनिश्चित करने में मदद करती है। ई-शासन हेतु मानक बनाने/अपनाने हेतु एनईजीपी के अंतर्गत एक संस्थागत प्रणाली अपनाई गई है।

मानकीकरण हेतु मुख्य प्राथमिकता के कुछ क्षेत्र जिन्हें तत्काल ध्यान देने हेतु चिह्नित किया गया है, इस प्रकार हैं-

- खुले मानकों पर नीति
- स्थानिक व भाषा प्रौद्योगिकी मानक
- अंतर्कार्यकारी के संबंध में प्रौद्योगिकी मानक
- डिजिटल हस्ताक्षर
- मेटाडेटा व डाटा मानक
- सूचना सुरक्षा
- बायोमीट्रिक
- गुणवत्ता व प्रलेखन

4. **नागरिक सेवा वितरण व्यवस्था:** राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अधीन बनाए गए राज्य पोर्टल और राज्य सेवा वितरण गेटवे (एसएसडीजी) पर ई-फॉर्म आवेदन से नागरिक राज्य पोर्टल (एसपी) द्वारा प्रदान किए जा रहे और सामान्य राज्य सेवा वितरण गेटवे (एसएसडीजी) द्वारा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मों की सहायता से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

5. **ई-शासन केन्द्र:** नागरिक केन्द्रित सेवाओं की दक्षता बढ़ाने और उन्हें प्रभावी बनाने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के माध्यम से परियोजनाओं की व्यापक समताओं को समझते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-शासन को अनुधारणा पर विचार किया और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई अनेक ई-शासन की नई पहलों के बारे में आम आदमी तक विशेष रूप से छत्र वर्ग तक सूचना प्रसारित करने का निश्चय किया जाया। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के तत्वाधान में अनेक आयामों की विभिन्न प्रकार की ई-शासन परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय यह विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये आम आदमी तक पहुँचे और जनता के दैनिक जीवन पर इन परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन के लिए परियोजनाओं के बारे में सूचना का जमकर प्रचार-प्रसार किया जाए।

उपयुक्त विषयों पर विचार करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने "ई-शासन केन्द्र" (सीईजी) खोला है। सीईजी विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों तथा पूरे देश में इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ परीक्षण की गई तथा भावी प्रौद्योगिकी के लिए प्रदर्शन मंच के रूप में काम करेगा जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस केन्द्र में ई-शासन के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्यान्वित की जा रही उत्कृष्ट प्रक्रिया विधियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा कुछ समय बाद यह केन्द्र डिजिटल पुस्तकालय के रूप में ई-शासन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट के एक उत्कृष्ट संग्रहालय तथा ज्ञान प्रणाली के रूप में विकसित होगा। ई-शासन केन्द्र (सीईजी) में अनुप्रयोगों, प्रदर्शनों तथा प्रस्तुतीकरण को इस ढंग से दर्शाया जाता है जिसमें ई-शासन के कार्यान्वयन तथा उपयोग में हासिल की गई प्रगति परिलक्षित होती है। ई-शासन केन्द्र में आम आदमी तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा इसी प्रकार के अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत ई-शासन केन्द्र जागरूकता तथा संचार कार्यकलापों का एक हिस्सा है तथा राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत नागरिकों को एक ही स्थान पर वृहद सूचना प्रदान करना इसकी उपलब्धि है।

6. **ई-शासन संपुष्टि जाँच केंद्र (ई.जी.सी.ए.):** इस परियोजना के जरिये भारत सरकार ने जाँच, लेखा परीक्षा और प्रमाणपत्र को सेवाएँ प्रदान करने के लिए देशभर में केंद्रों (यथा: चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, पुणे/मुंबई, गोवाहाटी) में 7 ई-शासन संपुष्टि केंद्र (ई.जी.सी.ए.) स्थापित किए हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य सूचना सुरक्षा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, आई. टी. सेवा क्वालिटी, वेबसाइट आदि के कानूनी और नैतिक मुद्दों के क्षेत्रों में तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों के साथ दक्षता, ज्ञान और अनुभव के संदर्भ में मूलभूत ढाँचे का सृजन करना है। ईजीसीए केंद्र निम्नलिखित के तहत कवर होने वाले क्षेत्रों को कवर करने वाली विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं (मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं दोनों) को सेवाएँ मुहैया कर रहे हैं:

- एनआईसी के साथ स्मार्ट कार्ड प्रमाण-पत्र
- वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर का क्षमता अनुमोदन
- सूचना तकनीक सेवा प्रबंधन प्रमाण-पत्र
- वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाण-पत्र
- सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण-पत्र
- सॉफ्टवेयर जाँच और गुणवत्ता मूल्यांकन

7. ओपन टेक्नोलॉजी सेंटर (ओ.टी.सी.)

ओपन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना मार्च, 2007 में चेन्नई में राय इन्फार्मेटिक्स सेंटर के प्रभाग के रूप में की गई जिसने डीआईटी, एमआईसीटी से वित्त पोषण प्राप्त होता है।

ओटीसी का विजन ई-शासन और कूटनीतिक अनुप्रयोगों एवं सेवाओं में ओपन प्रौद्योगिकी अपनाने को आसान बनाना और साथ ही विभिन्न ज्ञान-आधारित सेवाएँ और उत्पाद प्रभावी तौर पर मुहैया कराना है। इससे ई-प्रशासन सेवाएँ नागरिकों तक वृहद् तबके को प्रभावी रूप से पहुँचती हैं, चाहे वे दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों।

8. भारत विकास गेटवे (India Development Gateway):

भारत विकास गेटवे, डीआईटी द्वारा सहायता प्राप्त और सी. डी. डी. हरबाद द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह स्थानीय भाषा में विश्वसनीय सूचना-उत्पाद और सेवाओं के प्रावधान के जरिये ग्रामीण सशक्तिकरण को सरल बनाता है जो गैर-पहुँच वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं व गरीबों की वास्तविक और नैतिक जरूरतों के प्रति एक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया में यह विकास के स्ट्रोकहोल्डरों में सहभाग और जानकारी को साझा करने के लिए आईसीटी के प्रयोग को उत्प्रेरित करती है। भारत विकास गेटवे वर्तमान में सेवा और उत्पादों से संबंधित निम्नलिखित सामग्री प्रदान कर रही है:

- 6 क्षेत्रों: यथा कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण उद्योग और ई-प्रशासन में प्रवेश विनिर्धारित सामग्री।
- मूल्यवर्धित सेवाएँ जैसे विशेषज्ञ से मुक्त पतिशील बाजार सृजना केता-सिक्केता-मंड-वास्तविक समय में जोसम पूर्वानुमान, ई-लर्निंग-पाठ्यक्रम आदि।

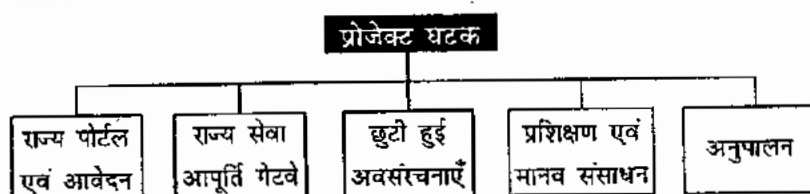
(II) राज्य सेवा आपूर्ति गेटवे (एनएसडीजी)

ई-प्रपत्र, राज्य पोर्टल और राज्य सेवा आपूर्ति गेटवे योजना का उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:

- सरकारी सेवाओं तक आसानी से कहीं भी और किसी भी समय पहुँच प्रदान करना।
- सरकार, नागरिकों और व्यापारों के लिए प्रशासनिक भाग और सेवा प्रणाली के समय लागत में कमी लाना।
- सरकार के साथ नागरिक के प्रत्यक्ष मलजाल में कमी लाना तथा पोर्टल के माध्यम से ई-मेलजाल और अधिक दक्ष संचार को प्रोत्साहन देना।
- सरकार और इसके घटक विभागों की छवि तथा अवबोधन में सुधार लाना।
- सरकार में एक समान वेब इंटरफेस को प्रोत्साहन देना तथा राष्ट्रीय सेवा आपूर्ति गेटवे का इस्तेमाल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल (एनपीआई) के साथ सहक्रिया निर्मित करना।
- एनपीआई के साथ अनिवार्य समेकन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य के विभागों की सभी जानकारीयों तथा स्थैतिक आँकड़ों का प्रकाशन।

इसके कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने और शीघ्रता लाने के लिए डीआईटी ने पाँच परामर्शी एजेंसियों और पाँच कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को नामबद्ध किया है।

परियोजना में निम्नलिखित घटक हैं-



राज्य पोर्टल के माध्यम से आवश्यक मूलभूत कार्य इस प्रकार हैं:

- (i) सूचना का प्रसार 24x7 आधार पर।
- (ii) राज्य पोर्टल में राज्य के नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र भी होंगे। एक नागरिक किसी भी समय अपने आवेदन/अनुरोध की स्थिति का पता लगाने में सक्षम होगा। पोर्टल के विकास में गंतव्य कार्यालय, मुद्रण, लेखा, स्थिति की रिपोर्टिंग, पूछताछ सेवा और भुगतान संबंधी प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्ति के लिए संपूर्ण आवेदन का विकास शामिल होगा।

(III) मिशन मोड परियोजनाएँ (Mission Mode Projects)

27 मिशन मोड परियोजनाओं (एम. एम. पी.) में 9 केन्द्रीय एम. एम. पी.; 11 राज्य एम. एम. पी. और 7 समन्वित एम. एम. पी. शामिल हैं। इनका विवरण अंग्राकित है-

केन्द्रीय एम. एम. पी. (9)	राज्य एम. एम. पी. (11)	समन्वित एम. एम. पी. (7)
• बैंकिंग • केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क • आयकर (आईटी) • बीमा • एमसीए 21 • राष्ट्रीय नागरिक डाटाबेस • पासपोर्ट • आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण और ट्रेकिंग • पेंशन	• कृषि • वाणिज्यिक कर • ई-जिला • रोजगार कार्यालय • भूमि अभिलेख • नगरपालिका • ग्राम पंचायत • पुलिस • सड़क परिवहन • कोष • ई-ऑफिस	• सीएससी • ई-विज • ई-न्यायालय • ई-अधिप्राप्ति • इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरविनियम • ई-व्यापार (ईडीआई) • इन्स्टीट्यूट डी. आई. नेशनल ई-गेटवे • शासन सेवा वितरण • भारतीय पोर्टल

(IV) ई-अधिगम (E-Learning)

- एकीकृत अधिगम को सुविधा मुहैया कराने में ई-अधिगम का महत्व है। ई-अधिगम उच्च अधिगम सेवाओं और प्रौद्योगिकी का एक मिश्रित रूप है, जो शिक्षा में भी समय, कभी भी किसी भी आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे बाजार स्थलों में प्रशिक्षण के एक आगामी चमत्कार और शिक्षा उद्योग के रूप में स्वीकार किया जा रहा है तथा यह डिजिटल क्रांति का अगला चरण साबित होगा।
- डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो रही नित नई प्रगति ने ई-अधिगम को यथा संभव सरल बनाया है क्योंकि डिजिटल डेटा को आसानी से एकत्र किया जा सकता है, तेजी से छाँटा जा सकता है, डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और भण्डारण के लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती है। इन डिजिटल टूल्स का प्रभावी ढंग से प्रयोग मल्टीमीडिया विशेषताओं से युक्त ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, 3डी कोएनिमेशन आदि सहित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को समृद्ध बनाने के लिए किया जा सकता है। परिणामस्वरूप विषय के संबंध में बेहतर ढंग से परिकल्पना की जा सकती है और अपेक्षाकृत अधिक सुगम तरीके से उसे समझा जा सकता है और इस प्रकार विषय का अधिधारण किया जा सकता है अर्थात् उसे बोधगम्य बनाया जा सकता है।
- ई-अधिगम कार्यक्रम के चार चरण अर्थात् प्रौद्योगिकी, टूल्स (सॉफ्टवेयर), मानक और विषय-वस्तु होते हैं। ई-अधिगम का प्रयोग कक्षाओं में अनुदेश देने के पारंपरिक तरीकों के पूरक के रूप में किया जा रहा है। यह आईसीटी टूल जैसे कंप्यूटर, मल्टीमीडिया और वेब का प्रयोग करते हुए विषय-वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक है। ई-अधिगम अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए अधिगम और प्रक्रिया की सुपुर्दगी की दृष्टि से सुविधाजनक है।
- ई-अधिगम की पहचान एक ऐसे महत्व के रूप में की गई है जहाँ शैक्षणिक टूल्स और संचार मीडिया का प्रयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ई-अधिगम कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से होने वाले लाभ को इष्टतम बनाने के लिए ई-अधिगम प्रौद्योगिकियों एवं पहलों को पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की इस तक पहुँच बढ़ाना और विद्यालयी परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों को अन्य विषयों के साथ जोड़ते हुए उनके अध्ययन-अधिगम का प्रचार प्रसार करना है।

(V) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network)

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के गठन हेतु सरकार के निर्णय की घोषणा बजट भाषण, 2008-09 में की गई थी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का समन्वय और निगरानी करनी थी।

मार्च, 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) की स्थापना का अनुमोदन किया।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्चतर शिक्षा अनुसंधान और विकास तथा शासन में सभी पणधारियों को एक साथ लाना है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत संकल्पित अनुप्रयोग क्षेत्र हैं:

- | | | |
|----------|------------------------|-------------------|
| ● कृषि | ● शिक्षा | ● स्वास्थ्य |
| ● ई-शासन | ● उच्च निष्पादन अभिकलन | ● अनुमानित परिणाम |

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क परियोजना के परिणामस्वरूप शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान स्तर पर उच्च क्षमता वाली देशव्यापी मूल संरचना निर्मित होगी जो इन संस्थानों द्वारा संकल्पित शिक्षा और अनुसंधान अनुप्रयोगों एवं अन्य अनुप्रयोगों को समर्थन देगी, जिन्हें अत्यंत उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता है। एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क की स्थापना की जाएगी, जो उच्चतर अधिगम के संस्थानों को आपस में जोड़ेगी।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से बड़े प्रतिभागी संस्थानों के बीच ज्ञान संसाधनों के सृजन, अधिग्रहण और आपस में बाँटने की सुविधा के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान आदि किए जाएंगे और देश को एक ज्ञान समाज के रूप में विकसित होने में सहायता मिलेगी।

(VI) ई-बुनियादी ढांचा (अनुसंधान) (E-Infrastructure)

सूचना एवं प्रबुद्ध ज्ञान व जानकारी वाले समाज के लिए ई-बुनियादी ढांचा सरलतम ढंग से उपलब्ध कराना इसकी मुख्य प्रधानता है। ई-बुनियादी ढांचे में प्रगतिशील सहयोग और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के समन्वय के लिए उपकरण, सुविधाएँ तथा संसाधन शामिल हैं। जैसे इंटरनेट ब्रॉडबैंड चैनल, कंप्यूटिंग पावर, बैंडविड्थ प्रावधान, डेटा स्टोरेज, ग्रिड आधारित संसाधनों का अदान-प्रदान आदि। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की टिकाऊ एवं कारगर वृद्धि तथा उच्च प्रतिस्पर्धी बाजार को अगुवाई में वस्तीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे में निवेश वृद्धि, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देना, संचार, इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियों में बौद्धिक संपदा के सृजन तथा संबंधित नौवृत्तियों में पर-निर्धारित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में निम्नलिखित पहले शामिल हैं:

1. बायोटेक पार्क की स्थापना
2. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र
3. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकलांग बच्चों में दक्षता निर्माण हेतु, आईसीटी जोकरनल केंद्र
4. मंदबुद्धि बच्चों के लिये दूरवर्ती प्रशिक्षण सुविधा

(VII) ऑनलाइन ई-शासन सेवाएँ

I. ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ

1. ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग
2. चालू रेल संबंधी ऑनलाइन सूचना
3. राष्ट्रीय संग्रहालय यात्रा की बुकिंग
4. ऑनलाइन एयर इंडिया टिकट बुकिंग

II. ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ

1. दैनिक बाजार भाव
2. ऑनलाइन थोक मूल्य सूचकांक
3. ऑनलाइन ग्रामीण बाजार

III. ऑनलाइन नागरिक सेवाएँ

1. ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा
2. पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
3. पैन आवेदन जमा केंद्र
4. पैन आवेदन की स्थिति जाँच
5. ऑनलाइन पैन विवरण जाँच
6. ऑनलाइन आयकर रिटर्न
7. फाइलिंग ऑनलाइन
8. जनोपयोगी फॉर्म
9. अपना नाम मतदाता सूची में खोजें

IV. ग्रामीण विकास

1. पी.एम.जी.एस. योजना स्थिति की जाँच
2. अपना ग्राम पंचायत खोजें
3. के.वी.आई.सी. कोर्स- ऑनलाइन आवेदन
4. सरकारी योजनाएँ जानें
5. जिलेवार स्वास्थ्य आँकड़े
6. रेशा उद्यमी निबंधन
7. वर्षा जल-संरक्षण हेतु लागत गणना
8. ग्रामीण अधिवास सूचना

V. ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ

1. त्वरित ई-पोस्ट सेवा
2. इंस्टैंट मनी ऑर्डर सेवा
3. स्पीड पोस्ट स्थिति की निगरानी
4. ऑनलाइन आई.एस.डी. कोड खोज
5. पिन नंबर जानें
6. डाक खर्च की ऑनलाइन
7. ई-एमओ की स्थिति जाँच
8. ऑनलाइन एस.टी.डी. कोड खोज
9. ऑनलाइन दूरभाष निर्देशिका

VI. ऑनलाइन शैक्षणिक

1. एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें डाउनलोड करें
2. परीक्षा परिणाम
3. नौकरी खोजें
4. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन
5. अध्ययन केन्द्र पता खोजें
6. भारतीय भाषा फॉन्ट प्राप्त करें
7. उच्च शिक्षा के लिए ऋण
8. भारतीय शैक्षणिक संस्थान
9. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण

VII. ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ

1. वाणिज्य कर ऑनलाइन जमा करें
2. ऑनलाइन डिजिट कैलकुलेटर जाँच
3. डोमेन नाम पंजीकरण
4. ऑनलाइन सरकारी निविदा
5. आयकर देयता की ऑनलाइन गणना
6. बैंक एवं बीमा कंपनियाँ
7. बैंक शाखा निर्देशिका
8. बैंक एटीएम निर्देशिका

VIII. अपने देश की ऑनलाइन सेवाएँ

1. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल
2. भारत का जिला
3. भारत सरकार की वेब निर्देशिका
4. भारत व राज्यों के मानचित्र
5. भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
6. लोकसभा सांसद को जानें
7. राज्यसभा सांसद को जानें
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

IX. ऑनलाइन शिकायत निपटारा

1. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायें
2. भ्रष्ट अधिकारियों की ऑनलाइन शिकायत
3. उपभोक्ता शिकायत निवारण
4. मानवाधिकार आयोग से शिकायत
5. पेंशन संबंधी शिकायत (सैन्य)
6. डीईआईटी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत
7. राज्य सरकार से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
8. आर.टी.आई. कानून के तहत शिकायत
9. एनआईजीएस: शिकायत निपटारा
10. महिला आयोग से शिकायत
11. पेंशन संबंधी शिकायत (नागरिक)
12. भविष्य निधि संबंधी शिकायत
13. बैंक संबंधी शिकायत

X. भारत में ऑनलाइन विधिक सेवाएँ

1. सर्वोच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग
2. सर्वोच्च न्यायालय की वाद सूची देखना
3. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की स्थिति देखना
4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना
5. महत्वपूर्ण लिंक्स-
 - (i) भारतीय विधि आयोग
 - (ii) इंडिया कोड
 - (iii) भारत की अदालतें
 - (iv) केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्रालय
 - (v) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग
 - (vi) ई-कोर्ट: परियोजना प्रक्रिया निगरानी प्रणाली

(VIII) मोबाइल शासन

आज मोबाइल फोन केवल टेक्स्ट और ध्वनि संदेशों के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह शहरी और ग्रामीण वर्ग के बीच व्याप्त तकनीकी खाई को पाटने के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरा है। भारत में अपने शुभारंभ के दो दशक के अन्दर मोबाइल फोन ने कनेक्टिविटी, बिजली की कमी तथा न्यून साक्षरता जैसी बाधाओं के बावजूद दूर-दराज के गाँव तक अपनी पहुँच बना ली है। वहीं दूसरी ओर, इसने लाखों बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराया है।

अपने विकास के दूसरे चरण में मोबाइल फोन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के वितरण माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। अब कोई भी व्यक्ति एक बैंक खाते से दूसरे में धन का हस्तांतरण अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकता है। सरकार और निजी एजेंसियों ने भी मोबाइल फोन के माध्यम से आम आदमी तक नागरिक और व्यवसायिक सेवाओं की आपूर्ति आरंभ कर दिया है। अभी हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 32 वाणिज्यिक बैंकों को मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने की अनुमति दे दी है, जबकि भारत सरकार ने अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा विकसित "मोबाइल फोन के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के वितरण हेतु ढाँचा" को मंजूरी दे दी है। भारत में 3जी तकनीक (यह तकनीक आम आदमी के लिए 2010 के अंत तक उपलब्ध होगी) के आरंभ हो जाने से मोबाइल प्रयोक्ता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मनोरंजन से जुड़ी सेवाएँ व सूचना अपने मोबाइल फोन के जरिए प्राप्त करने में सक्षम हो जाएँगे।

ई-शासन को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख सुझाव

- ई-शासन परियोजनाओं में कई संघटक होते हैं, जिनमें से सभी को कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है। इसके क्रियान्वयन के दौरान एक संपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है।
- ई-शासन परियोजनाओं की कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ संघटकों में विभाजित किया जाना चाहिए, संघटक जो आईसीटी से स्वयं को संबद्ध करते हैं, को पहले प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
- ई-शासन परियोजनाओं की पहुँच सरकारी-निजी भागीदारी-मॉडल के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, जो लागत प्रभावी भी होगी।
- सभी हितधारकों को विशेषकर जी2बी परियोजनाओं और ई-अधिशासन की पहलों में भाग लेने और उसका लाभ उठाने के लिए रक्षता निमित्त करना चाहिए।
- सर्वोत्तम विक्रताओं और अद्यतन प्रौद्योगिकी के बावजूद कर्मचारियों की गहन भागीदारी अनिवार्य है।
- समान परियोजनाओं में अन्य संगठनों के अनुभवों से महत्वपूर्ण सीख ली जा सकती है। प्रत्येक ई-अधिशासन परियोजना में चक्र को पुनः सुनाना आवश्यक नहीं है।
- ई-शासन परियोजना को उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, अनुवीक्षण और निरंतर प्रोत्साहन सभी जानकारी आवश्यक है।
- ई-शासन परियोजनाओं की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदायक और आंतरिक क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच घनिष्ठ सहयोग महत्वपूर्ण है।
- कर्मचारियों की पूरी मन से भागीदारी के साथ उच्चतम स्तर पर राजनीतिक समर्थन सफलता की संभावना को बढ़ा देता है।
- कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किसी भी ई-अधिशासन परियोजना की सफलता के लिए अनिवार्य है।
- उच्चतम राजनीतिक स्तर से समर्थन कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएँ दूर करने में सहायता करता है।
- विभिन्न विभागीय संगठनों के कार्यकलापों के बीच अभिमुखता और समन्वय से ई-अधिशासन के अधीन बेहतर सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- सरकारी कर्मचारियों को आईसीटी वातावरण के अनुकूल होने और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है।
- कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और क्षमता निर्माण ई-अधिशासन परियोजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है।
- परियोजनाओं के लिए योजना बनाते और समय-सीमा नियत करते समय संगठन को इलेक्ट्रॉनिकी तैयारी का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।
- क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी मुख्य प्राथमिकता है।
- हितधारकों को पूर्ण सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से त्रुटियों की पहचान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- प्रणाली में लचीलापन अनिवार्य है।
- पारगमन अवधि में पुरानी प्रणाली से कतिपय प्रक्रियाओं को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रयोक्ताओं को नई प्रणाली स्वीकार्य करने के लिए लक्षित पहलों पर अधिक ध्यान देने और संसाधनों की आवश्यकता है।
- सेवा सुपुर्दगी के लिए बेंचमार्क सृजित करने और प्रयोक्ताओं को सूचित करना अपेक्षित है।
- ई-शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए संगठन के भीतर पृथक दल सृजित किए जाने की आवश्यकता है।
- कानूनी ढाँचे में किए जाने वाले परिवर्तनों का आकलन अग्रिम रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन (Conceptual Interpretation of Social Justice)

*** (इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 में उल्लिखित सामाजिक न्याय विषय के टॉपिक संख्या 10-14 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-6 (सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण) से है।

सामाजिक न्याय का सिद्धांत (Principle of Social Justice)

'सामाजिक न्याय' शब्द का प्रयोग पहली बार 1840 में सिसली के एक पादरी लुइगी तापरेली द' एजेग्लियो (Luigi Taparelli d'Azeglio) द्वारा किया गया था, जबकि इस शब्द को पहचान 1848 में एंटोनियो रोस्मिनी सरबाली (Antonio Rosmini Serbali) ने दिलायी।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच बड़ा विवाद रहा है। 20वीं सदी में 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा के तीव्र विकास के साथ ही उपर्युक्त दोनों मूल्यों में व्याप्त मतभेद और भी गहराया गया है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इस बात को देखते हुए विभिन्न देशों ने इन मूल्यों में सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित करने के लिए भिन्न-भिन्न संवैधानिक उपकरणों का अपनाना। अतः जहाँ पारंपरिक राजवादी देशों ने अपनी संवैधानिक रणनीतियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता दी, वहीं समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को सर्वप्रमुख माना।

एक समाजवादी लोकतंत्र होने का बावजूद भारत ने उदारवादी लोकतांत्रिक मानदंडों को अपनाया है जिसमें मूलभूत मानवाधिकारों पर बल दिया गया है। परिणामस्वरूप भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है।

'सामाजिक न्याय' शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध एक मजबूत बंदूक लेनेवाली महिलाओं, बच्चा और अन्य सुविधा वंचितों को राज्य द्वारा पररक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय सुविधा वंचितों को आवश्यक आकस्मिक सहायता भी प्रदान करता है ताकि उन्हें समाज के अग्रणी तबके के समान अवसर प्राप्त हो सकें। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत समाज के सुविधा संपन्न (Privileged) एवं सुविधा वंचित (Disadvantaged) वर्गों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। सामाजिक न्याय की संकल्पना का आविर्भाव सामाजिक अन्याय की प्राथमिकता है। यह सिद्धांत समाज में जन्म से प्रदत्त अक्षमता, जो बाद में सामाजिक, आर्थिक असमानता के कारण बनती है, को हटाने का प्रयास करता है। यह सबके लिए समान विकासीय दशाओं तथा प्रतिष्ठा और अवसर को समाजवादी सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय न केवल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, बल्कि लोगों में विद्वेष और असामंजस्य को भी समाप्त करता है। अतः भारत में एकता और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय का अत्यधिक महत्त्व है। यद्यपि सामान्य हित के स्वीकृत मानक स्थापित करने के लिए न्याय का विधि सम्मत होना आवश्यक है।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव के अनुसार, सामाजिक न्याय शब्द को दो अर्थों में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को हम व्यापक और सीमित दो अर्थों में समझ सकते हैं। सीमित अर्थों में इसका तात्पर्य लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में अन्याय को समाप्त करने से है। जबकि व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य लोगों के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संतुलन कायम करना है। अतः सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में ही समझा जाना चाहिए। चूँकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ परस्पर अंतर्संबंधित हैं इसलिए जब तक समाज हर तरह से प्रगति नहीं कर लेता, तब तक सामाजिक न्याय को उसके सीमित अर्थों में भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक होता है।....."

अतः सामाजिक न्याय का उद्देश्य सुविधा संपन्न तबके को पीछे ढकेलना नहीं, बल्कि सुविधा संपन्न वर्ग के हितों को अनावश्यक एवं अतार्किक रूप से क्षति पहुँचाए बिना पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है। सामाजिक न्याय न केवल समाज के सुविधा वंचित वर्ग की कीमत पर बढ़ने वाले अन्याय को रोकता है, बल्कि निर्धन और संपन्न के बीच संतुलित विकास तथा सुविधा वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी सिद्धांत की कल्याणकारी विचारधारा को समाजवादी व्यवस्था के समतावादी लक्ष्य के साथ समायोजित करके समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल-

1. सामाजिक न्याय में किसका वितरण करना है?
2. वितरण के संभावित लाभार्थी कौन होंगे?
3. वास्तविक लाभार्थी चुनने का आधार क्या होगा?
4. इस लाभ का स्वरूप कैसा होगा?
5. यह वितरण कौन करेगा?
6. न्यायपूर्ण वितरण के लिए सफलता या असफलता का आकलन कैसे किया जाएगा?

सामाजिक न्याय की उत्पत्ति (Genesis of Social Justice)

मानव सभ्यता के इतिहास पर गौर करें तो साफ जाहिर होता है कि जैसे-जैसे समाज परिवर्तित होता गया, वैसे-वैसे समाज में न्याय की मूल अवधारणा भी परिवर्तित होती चली गई। उदाहरण के तौर पर, सदियों तक हमारा जीवन शास्त्रों द्वारा निर्देशित होता रहा, लेकिन अब संविधान से संचालित होता है। शास्त्रों में न्याय की अवधारणा संविधान में निहित न्याय की अवधारणा से मूलतः भिन्न है। ठीक इसी तरह प्राचीन काल में न्याय का निर्धारण ईश्वरीय था। ईश्वर या किसी पैगम्बर द्वारा जो कुछ कहा गया वही न्याय था। कालान्तर में न्याय सूचक मापन का आधार ईश्वरीय न होकर एक राजा के रूप में लौकिक जीवन में न्याय का प्रतिरूप बना। न्याय की धारणा ईश्वरतंत्र (धर्मतंत्र) से राजतंत्र में परिवर्तित हुई। लेकिन राजशाही में पुरोहित व सामान्य वर्गों की मुख्य भूमिका रही। न्यायिक अधिकार, नियमों के निर्माण और उनकी व्याख्या का अधिकार समाज में सीमित लोगों के पास ही था। इसके पीछे मूल धारणा यह थी कि कानून का निर्माण, उसकी व्याख्या और उसके क्रियान्वयन का कार्य सभी के वश का नहीं है। इन कार्यों को केवल विशिष्ट व्यक्ति ही सम्पन्न कर सकते हैं और विशिष्ट व्यक्ति केवल विशिष्ट व्यक्तियों के यही ही जन्म लेते हैं।

कालान्तर में कुलीनवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों के चलते पुरोहित एवं सामन्त वर्ग अक्रमण्य अनाचारों और श्रष्ट बन गए। परिणामस्वरूप जनसाधारण में उनके प्रति अनादर और असंतोष बढ़ा। विज्ञान के विकास के साथ चिंतन के क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र हुआ। फ्रांस में राज्य कानून है जिससे पूरे यूरोप सहित विश्व के अन्य देशों में राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। न्याय का ईश्वरीय आधार समाप्त हो गया। वर्ग, कुल, वर्ण एवं जाति संबंधी जन्मगत न्यायिक विशेषाधिकार समाप्त हो गए। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ न्यायिक विकास और न्यायिक अधिकार सम्पन्नता जनसामान्य के हाथ में आ गये।

डार्विनवाद के विकास और डार्विन द्वारा दिये गये 'अस्तित्व के लिये संघर्ष' के सिद्धांत के साथ मृत्यु, न्याय, शक्तिशाली द्वारा कमजोर का नियंत्रण) के सिद्धान्तों को केन्द्र बना लिया लेकिन आगे चल कर मृत्यु, न्याय एवं अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों की नैतिक खामियाँ उजागर हुईं। क्योंकि पशु समाज में मृत्यु, न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन मानव जीवन संस्कृति द्वारा संचालित और संस्कृति के अनुरूप होता है। साथ ही मानव समाज में न्याय की प्रकृति शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा है।"

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था का सृजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद 'मानव अधिकार' एवं संरक्षणात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) को मूल धारणा ने सभी राष्ट्रों का प्रभावित किया। औद्योगीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने विश्व को एक बड़े समाज में तब्दील कर दिया। आर्थिक समृद्धि के नये आयाम गढ़े गये। लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर में आर्थिक विसंगतियों, सामाजिक पिछड़ेपन और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रभाव बढ़ता चला गया। इन्हीं असमानताओं के चलते आज लोकतांत्रिक राज्य, 'कल्याणकारी राज्य' में परिवर्तित हो गये हैं। विकास एकल आयामी न हो, असुरक्षित और हाशिए पर चल रहे सामाजिक समूह समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाएँ, गरीबी जड़ से खत्म कर दी जाए तथा सामाजिक कुरीतियों अपना अस्तित्व खो दें। इन सभी चुनौतियों के लिए आज दुनिया भर के राष्ट्र एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुके हैं जिसे सामाजिक न्याय कहा जाता है और इसका मूल उद्देश्य सामाजिक विषमता को समाप्त करके शोषित समूहों का विकास करना और ऐसी नीतियों को निर्धारित करना है जो समाज को न्यायपूर्ण, समावेशी और कल्याणकारी बना सकें।

सामाजिक न्याय की व्याख्या

सामाजिक न्याय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज (Just Society) की अवधारणा है जहाँ समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव (भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय, लिंग, धर्म आदि) के समाज में आत्म सम्मान एवं सामान अधिकार प्राप्त कर सकें तथा आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से सशक्त हो सकें।

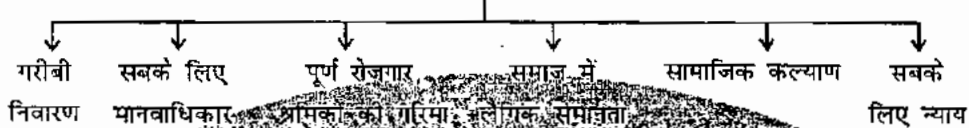
मुख्यतः सामाजिक न्याय विधिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के निम्नलिखित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करता है।

- (1) समाज में हाशिए पर चले गए समूह (Marginalized groups of the society) उदाहरण के लिए ट्रांस जेंडर, सेक्स वर्कर, चलवासी जनजातियाँ आदि।
- (2) समाज के पद दलित समूह (Downtrodden groups of the society)
- (3) समाज के असुरक्षित समूह (Vulnerable sections of the society) अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, निःशक्त व्यक्ति, एचआईवी/एड्स से पीड़ित तथा समाज के अल्पसंख्यक समूह इत्यादि।

सामाजिक न्याय के मूल तत्त्व (Elements of Social Justice)

विगत कुछ वर्षों में केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने समावेशी और संपोषणीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। समाज के प्रत्येक तबके के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनेकों सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनायें चलाई जा रही हैं। समय के साथ-साथ सामाजिक न्याय शब्द भी अब काफी प्रचलित हो गया है तथा बुद्धजीवियों, नीति निर्माताओं और गैर-सरकारी संगठनों में इसका प्रयोग एक सामान्य बात हो गई है।

सामाजिक न्याय के मूल तत्त्व



वैश्विक स्तर पर आने-वाले चुनौतियों को देखते हुए आज दुनिया के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की नीतियों को निर्माण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2007 में 20 फरवरी को वार्षिक विश्व सामाजिक न्याय दिवस (Annual world day of social justice) घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संविधान भी यह कहता है कि सार्वभौमिक तथा पूर्ण शांति केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

सामाजिक न्याय से जुड़ी मुख्य बहस (An Important debate associated with social justice)

आम चर्चा में 'सामाजिक न्याय' तथा 'सामाजिक कल्याण' जितनी सहज लगती है, बौद्धिक चर्चा में उतना ही कठिन हो जाता है।

सामाजिक न्याय समानता है या फिर स्वतंत्रता

कुछ बुद्धजीवी व नीति निर्माता सामाजिक न्याय को समानता से जोड़कर देखते हैं वही कुछ इसे स्वतंत्रता से, जबकि कुछ लोग सामाजिक न्याय में स्वतंत्रता और समानता दोनों को होना जरूरी मानते हैं। और कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़ कर सामाजिक न्याय को समाज में उत्पन्न घातक के रूप में भी देखते हैं। जो लोग न्याय को स्वतंत्रता पर निर्भर मानते हैं उनका अपना समीकरण है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने पूँजीवादी समाज का तानाबाना बुना है। जो लोग न्याय को समानता पर निर्भर मानते हैं उनका अपना समीकरण है जिसके आधार पर उन्होंने साम्यवादी समाज का ताना-बाना बुना है।

सामाजिक न्याय को किसी एक परिभाषा तक ही समिति नहीं किया जा सकता है क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर यह विधि, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र (कल्याण का अर्थशास्त्र) आदि विषयों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय समस्त सामाजिक मूल्यों का एकीकरण है। इसलिए सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता और समानता मानने से एक अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि समाज में जितनी अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, समानता उतनी ही सीमित होती जाती है। इसके विपरीत समानता के लिये दबाव जितना बढ़ता जाता है, स्वतंत्रता समाज में उतनी ही सीमित होती जाती है।

स्वतंत्रता कतिपय बुनियादी अधिकारों की कल्पना करती है, जो व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए जरूरी हैं। किन्तु तब अधिकारों का शायद ही कोई अर्थ हो यदि समाज की रचना असमानता के सिद्धान्त पर हुई हो। सामाजिक न्याय से आशय आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समानता की स्थापना है। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था केवल वह है जो समानता पर आधारित है। व्यवस्था में जितनी अधिक विषमता होती है अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। समानता को विचारों की सम्बद्धता से परिभाषित किया गया है, जो किसी हद तक सामाजिक भिन्नताओं को कम करने की प्रक्रिया को विकसित करती है। सामाजिक न्याय को जब समानता से निरूपित किया जाए तो इसका अभिप्राय यह है कि समाज अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी वर्गों के लक्ष्यों को समाहित करे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मेरी आवाज का वजन दूसरों की आवाज से कम है तो भी निर्णय लेते समय उस पर विचार अवश्य किया जाये।

समानता और स्वतंत्रता विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक विचारकों के अनुरूप (Equality and freedom according to various socio-political thinkers)

स्वेच्छातंत्रवादी एवं पूंजीवादी (Capitalist) विचारक समानता की तुलना में भिन्नता पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि समानता तथ्यगत नहीं है, वस्तुतः प्रकृति समानता के आदर्श का पालन नहीं करती। यदि समाज से वर्ग भेद पूर्णतया मिटा भी दिया जाये तो भी समाज में शक्तिशाली व कमजोर, प्रतिभावान व पिछड़े तथा भाग्यशाली एवं दुर्भाग्यशाली बने रहेंगे। पूंजीवादी विचारक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, लाभ एवं विकास पर बल देते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में समानता के लिए प्रयास बांछनीय नहीं है। उनका मत है कि विगत दशकों में जिस तेजी से आर्थिक विकास हुआ है वह बहुत कुछ असमानता का परिणाम है।

उपयोगितावादी विचारकों (Utilitarianist Thinkers) का मान्यता भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। उनका मानना है कि समाज में उपयोगिता की दृष्टि से व्यक्तियों के प्रकार्य भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः उन्हें प्राप्त होने वाली आय में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। उदारवादी विचारकों का मानना है कि आर्थिक क्रियाओं में समाज या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वे धन की स्वतंत्रता को निजी स्वामित्व पर आधारित अर्थव्यवस्था एवं राजनैतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व मानते हैं। उदारवादी विचारक जहाँ निजी स्वामित्व, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था एवं पूंजीवाद को प्रगति का मापदण्ड मानते हैं; वहीं समाजवादी विचारक इन्हें शोषण, बेकारी, निर्धनता, अमानवीय कार्य की दशाओं तथा आय, धन व सामाजिक स्थिति में घोर विषमता जैसी बुराइयों का कारण मानते हैं।

समाजवादी विचारकों (Socialist Thinkers) के अनुसार लाभ कमाने की अनियंत्रित लालसा पर प्रभावकारी नियंत्रण लगाया जाना निर्धन, गरीब व शक्तिहीन लोगों की रक्षा की दृष्टि से जरूरी है जो कि राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन उत्पादन तथा उद्योगों पर राज्य के प्रभावकारी नियंत्रण के द्वारा हो प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिये आर्थिक विकास सर्वापरि है। इनके अनुसार सामाजिक असमानता आर्थिक असमानता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। दोनों एक-दूसरे के कार्यकारण हैं। तदनुसार, अधिक आर्थिक समानता, अधिक सामाजिक समानता को विकसित करेगी।

साम्यवादी विचारकों विशेष रूप से मार्क्स व एंगेल्स ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया है जिसमें समानता और असमानता का विवाद अप्रासंगिक हो जाता है। इन विचारकों की दृष्टि से समानता एक बुजुआ विचार है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के पहले चरण में श्रम पर समान अधिकार या बुजुआ का अधिकार होगा। चूंकि एक व्यक्ति दूसरे से शारीरिक या मानसिक रूप से श्रेष्ठ होता है, इसलिए एक समय में अधिक श्रम कर सकता है या अधिक समय तक श्रम कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह समान अधिकार असमान श्रम के लिए असमान अधिकार है। इस प्रकार साम्यवाद के आरंभिक चरण में वितरण अनिवार्य रूप से असमान वितरण है। साम्यवाद के उच्च स्तर पर जबकि व्यक्ति अपने विभाजन की दशा से मुक्त हो जाता है, जब श्रम केवल जीविका का साधन मात्र नहीं अपितु जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जाता है, व्यक्ति के विकास के साथ उत्पादन की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं और सहकारी धन का प्रचुर प्रवाह हो जाता है तब समाज का नाप प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

किसी भी समाज में समानता सहज और बांछनीय तो है किन्तु पूर्ण समानता असहज और अवांछनीय भी है, क्योंकि यदि सभी व्यक्ति सभी विषयों में पारंगत हो जायेंगे तो उनमें अदान-प्रदान का दायरा बहुत सीमित हो जायेगा। समाज के अस्तित्व एवं विकास की दृष्टि से समानता व असमानता दोनों का होना जरूरी है। समानता सहयोग को विकसित करती है। विषमता भी सहयोग को विकसित करती है, किन्तु अधिक विषमता संघर्ष को जन्म देती है। शिक्षा, आय, राजनैतिक शक्ति और सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित भेद या विषमता जब समाज में बढ़ जाते हैं तो इससे न केवल सामाजिक संगठन अपितु राष्ट्रीय एकता को भी खतरा पैदा हो जाता है। समाज के अस्तित्व को बनाये रखने और उसे सतत विकास की ओर गतिमान बनाए रखने की दृष्टि से विषमता जरूरी है, किन्तु अधिक विषमता को नियंत्रित करना और समानता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना कहीं अधिक जरूरी है।

स्वतंत्रता और समानता सामाजिक न्याय के मूलभूत तत्व हैं। दोनों में किसी एक का अभाव सामाजिक न्याय का अभाव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता के अभाव में उसकी सृजनशीलता, कार्यशीलता, उद्यमिता क्षीण होती है, जिससे उसके द्वारा समाज में योगदान कम होता है। समानता के अभाव में दासत्व की स्थिति निर्मित हो जाती है, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं वहीं दूसरों के लिये जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। स्वतंत्रता एवं समानता दोनों न्याय की दृष्टि से आवश्यक हैं, समाज में जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की संपूर्ति का प्रश्न है तो समानता को निर्धारक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सामाजिक लाभ या पुरस्कार का वितरण सामाजिक हित में व्यक्ति के योगदान को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस स्तर पर स्वतंत्रता को निर्धारक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

सामाजिक कल्याण का अवधारणात्मक विवेचना (Conceptual Interpretation of Social Welfare)

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा (Definition of Welfare State)

कल्याणकारी राज्य, शासन की वह अवधारणा है जिसमें 'राज्य' नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण और संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य अवसरों की समानता, संसाधनों के समान वितरण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व (उनके लिए जो जीवन के न्यूनतम सुखों से वंचित हैं) के सिद्धांतों पर आधारित है।

कल्याणकारी राज्य में कुशल प्रशासन, त्वरित निर्णय निर्माण तथा घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अक्षमता रहित प्रशासन अंतर्निहित होता है।

कल्याणी राज्य की पृष्ठभूमि (Background of the Welfare State)

समाजवादी राज्य की तरह कल्याणकारी राज्य भी पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। काम के अधिक घंटे, पहिलाओं और बच्चों का शोषण, मलिन बस्तियों के विकास, स्वच्छ जल की अनुचित व्यवस्था, जल-निकासी का अभाव, सामाजिक संरक्षण का अभाव और पर्यावरणीय क्षरण जैसे औद्योगिकरण के दोषों तथा ऐसे ही अन्य कारकों ने राज्य को इन्हें दूर करने के लिए विधायी उपाय अपनाने हेतु मजबूर किया। साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों से उपजी विशाल सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु राज्य को मार्गदर्शन आवश्यक था।

तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा अनेकों सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं ने राज्य को व्यक्तिगत क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने पर मजबूर किया। इसलिए दो विश्व युद्धों के बाद अधिकांश यूरोपीय देशों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमारी बीमा, बेरोजगारी बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसे कल्याणकारी उपायों को गुरुआत की। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के "न्यू डील प्रोग्राम" (New Deal Programmes) ने कल्याणकारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एक कल्याणकारी राज्य विकास काया-सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक असमानता में कमी लाने के उपायों के अलावा सामान्य जनजीवन के उत्थान के भी प्रयास करता है। यह नागरिकों को अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराता है। ऐसा कहा जाता है कि "कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति को केवल जन्म लेना ही होता है, शेष कार्य राज्य करेगा।" अर्थात् व्यक्ति का कल्याण इसका लक्ष्य होता है और इसके लिए राज्य नियोजन तथा ऐसे ही अन्य उपाय करता है। रोडरिक्स के अनुसार कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "ऐसा राज्य अपने नागरिकों को उच्च पैमाने पर सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।" कल्याणकारी राज्य न केवल सभी अत्यावश्यक विषयों में नागरिकों के क्रियाकलापों को विनियमित करता है, बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में ऐसे प्रावधान करता है कि लाभ का वितरण आवश्यकतानुसार हो, जबकि कार्यभार को वृद्ध व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप हो। यह नागरिक कल्याण हेतु कार्य करता है अतः इसे सेवा राज्य (Service State) के रूप में भी जाना जाता है।

कल्याणकारी राज्य के पक्ष में तर्क (Justified Points of the Welfare State)

1. कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद (Individualism) और समाजवाद (Socialism) में संतुलन स्थापित करता है। यह राज्य को न तो आवश्यक बुराई के रूप में परिभाषित करता है, और न ही इसे सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था बताता है। इसमें राज्य को व्यक्तियों के "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" के रूप में देखा जाता है।
2. कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
3. कल्याणकारी राज्य में राज्य अर्थव्यवस्था को नियोजन (Planning) के माध्यम से नियंत्रित और विनियमित करता है। राज्य ही लोगों के भौतिक कल्याण की भी जिम्मेदारी निभाता है।
4. कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य का ही दायित्व माना जाता है।
5. कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, जबकि सामाजिक न्याय का सिद्धांत लोकतंत्र को सुदृढ़, उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण और गतिशील बनाता है तथा समाज में प्रचलित सभी असमानताओं को समाप्त करता है।
6. कल्याणकारी राज्य यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक वर्ग तथा समाज के अन्य कमजोर समूहों के साथ न तो किसी भी तरह का भेदभाव और न ही किसी भी तरह का शोषण किया जाएगा। कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना में सभी महिलाओं एवं पुरुषों के अधिकारों का समर्थन करता है।

भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा (Concept of Welfare State in India)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ विद्यमान थीं। सामाजिक और आय संबंधी असमानता सर्वव्यापी थी और आर्थिक रूप से भी भारत की स्थिति दयनीय थी। सामाजिक स्तर पर देश में अनेक समस्याएँ विद्यमान थीं। समाज के सभी कमजोर वर्गों जैसे- महिलाएँ, बच्चे एवं दलित जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। ब्रिटिश शासन के दौरान 'सामाजिक कल्याण' सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं था। उस समय सरकार का मुख्य बल कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय लोगों के आर्थिक शोषण को सुनिश्चित करने में था।

भारतीय इतिहास में अनेकों राजाओं/शासकों ने आम नागरिकों के कल्याण एवं खुशी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य और विक्रयादित्य का शासन काल बहुत हद तक कल्याणकारी राज्य के ही उदाहरण थे। प्राचीन काल में अशोक के शासन का स्वर्णिम युग और मध्यकाल में मुगल काल के दौरान अकबर का शासन दो ऐसे अभूतपूर्व शासकों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में सच्चे अर्थों में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की।

भारत ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कैसे अपनाया (How India Adopted the Concept of Welfare State)

भारत में वर्तमान कल्याणकारी शासन और सामाजिक नीतियों को 1947 के बाद से राज्य की नीति एवं सरकार की कार्यप्रणाली में हुए समग्र परिवर्तनों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

- भारत में कल्याण की अवधारणा**
- आर्थिक
उपाय

संवैधानिक
उपाय

सामाजिक
उपाय

राजनीतिक एवं
प्रशासनिक उपाय
1. **आर्थिक उपाय (Economic Measures):** 200 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित, अर्द्ध-सामंती, पिछड़ी-यातहीन होने के साथ-साथ एकीकृत भी नहीं थी। 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय \$ 230 थी, जनसंख्या का एक बड़ा भाग अत्यधिक गरीब था जिसके पास नती परोपार्जित भोजन की व्यवस्था थी और नरकी पहनने के लिए कपड़े और नरकी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। 1948 में भारत की जनसंख्या 70 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न थी और उस समय कृषि में पिछड़ाई हुई थी। उस समय देश में औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ था और सरकार उत्पादन के लिए मशीनरी तथा अन्य सामान के लिए आयात पर निर्भर थी। 1948 में देश की केवल 14 प्रतिशत जनसंख्या नगर में रहती थी, जबकि शेष 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में।
चूँकि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने समाजवादी लोकतांत्रिक मॉडल के साथ-साथ सोवियत-संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया था। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू और पी.सी. महालनोबिस ने देश की आर्थिक नीति का निर्माण किया। फलस्वरूप भारत ने अल्पविकसित, केंद्रीकृत नियोजित तथा बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों को संसाधनों के उपयोग की छूट थी। नागरिकों के कल्याण की अवधारणा का केवल एक ही अर्थ था कि राज्य ही संसाधनों का नियंत्रण तथा वितरण दोनों कार्य करेगा। राज्य के नियंत्रण के अधीन विभिन्न उद्यमों तथा केंद्र द्वारा वित्त पोषित शिक्षण-संस्थानों की स्थापना की गई। प्रथम पाँच वर्षों में आर्थिक नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र, किसानों तथा कुछ सीमित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मांग की आपूर्ति करना था। आर्थिक कल्याण की अवधारणा को अब गरीबी, निरक्षरता तथा स्वास्थ्य मुद्दों के संदर्भ में सुरक्षा संजाल के रूप में पहचान मिल चुकी थी, लेकिन 70-80 के दशक में हुई हरित क्रांति के बाद जैसे ही लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि हुई वैसे ही सरकार द्वारा भी अवसंरचना, जहाजरानी तथा रेलवे जैसे आर्थिक विकास के क्षेत्रों में अपने व्यय में वृद्धि की गई। लेकिन बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी के निरंतर उच्च स्तर ने हरित क्रांति और बंद अर्थव्यवस्था के लाभों की अनदेखी कर दी, इससे श्रम बल, गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अल्पविकसित निम्न वेतन और उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हुई। इस प्रकार 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया और तब से आर्थिक कल्याण की अवधारणा इस प्रकार है-
 1. सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि (विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में)
 2. अल्पविकसित क्षेत्रों के लिए साख आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि।
 3. मनरेगा, JNNURM, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा भारत निर्माण जैसे- विभिन्न आय सृजक, वित्तीय समावेशन और सामाजिक समावेशन के कार्यक्रमों की शुरुआत।

2. संवैधानिक उपाय (Constitutional Measures): स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माता सामाजिक समानता और लोगों के कल्याण की भावना से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान का निर्माण 20वीं सदी के मध्य में किया गया जो कि सामाजिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समय था। अतः भारत के संविधान ने भी सरकार के एक स्पष्ट दर्शन को अपनाया और यह सुनिश्चित किया कि भारत का गठन एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य के रूप में किया जायेगा।

संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि लोगों का सामान्य कल्याण भारत के संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित की गई है। हालाँकि "कल्याणकारी राज्य" शब्दावली का संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य इसकी ओर स्पष्ट संकेत करते हैं।

सामाजिक कल्याण के लिये राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान-

● अनुच्छेद 38

- (1) राज्य लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रयास करेगा
- (2) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।

● अनुच्छेद 39: राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निदेशित करेगा-

- (a) सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधना प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (b) राज्य सामूहिक हित को सुनिश्चित करेगा।
- (c) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाने के लिये उद्देश्य रखेगी कि सार्वजनिक व्यवसायों के लिये अहितकारी संकेदण न हो।
- (d) समान कार्य के लिये समान वेतन।
- (e) किसी भी आर्थिक आवश्यकता से निर्विवाद होकर प्राथमिक पुरुष, महिलाओं और बच्चों का शोषण नहीं होगा।
- (f) बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जायें और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से रक्षा की जाए।

● अनुच्छेद 39क: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य नीति से भी राज्य विधिक सहायता को व्यवस्थित करेगा।

● अनुच्छेद 41: राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास को समाज के भीतर काम करने के शिक्षा पाने के और बेकारी निवारण नीतियों और निश्चिन्ता तथा अन्य अंतर्गत प्रभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करेगा।

● अनुच्छेद 42: राज्य काम के न्यायमूलक और मानवतावादी दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

● अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

● अनुच्छेद 47: राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टता, मादय पेयों, और स्वास्थ्य के लिए हानिकार औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

● अनुच्छेद 48क: राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

लोगों की खुशहाली कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्ष्य है और यह तभी हो सकता है जब सभी के पास पर्याप्त रूप से खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर हो, कम से कम सिर ढकने के लिए एक हल्की- फुल्की छत हो और जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ काम हो। हमारे संविधान में नीति-निदेशक तत्वों के माध्यम से इन सभी उपायों की व्यवस्था की गई है। सभी सरकारें तथा राजनीतिक व्यवस्था ने सामाजिक-आर्थिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक उत्थान के द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भारतीय संविधान ने एक निर्णायक भूमिका निभायी है।

3. सामाजिक उपाय (Social Measure): संविधान की उद्देशिका में भारत को एक 'समाजवादी' राज्य घोषित किया गया है और यह शब्द अपने आप में सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का एक अर्थपूर्ण प्रमाण है। लेकिन भारत में समाजवाद को रूसी समाजवाद के संदर्भ नहीं समझा जाना चाहिये, क्योंकि वहाँ सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य ही सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में समाजवाद आय की असमानता को समाप्त करने और जीवन स्तर के मानकों को सुधारने के लक्ष्य के रूप में निहित है। डी.एस. नाकरा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया-

एक समाजवादी राज्य का प्रमुख उद्देश्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता और जीवन स्तर में विद्यमान असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का मूल ढाँचा कार्यरत लोगों को गरिमापूर्ण जीवन और विशेषकर जीवन पर्यंत सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

(समाजवाद शब्द उद्देशिका में प्रारंभ से नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया)।

भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सामाजिक उपायों के रूप



4. राजनैतिक व प्रशासनिक उपाय (Political and Social Measures): उद्देशिका के आगमन और उसके उपरांत आये भूमंडलीकरण से भारत ने नैतिक, अनुसंधान एवं विकास, सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था के समग्र कल्याण के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुआ है, लेकिन साथ ही बहुत जीवन स्तर, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

देश में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में नौकरशाही एवं प्रशासन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को बनाये रखने की दृष्टि से नौकरशाही की प्रासंगिकता में कई गुना वृद्धि हुई है। अब इसी नौकरशाही को विकास प्रशासन के नाम से जाना जाता है।

भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में नौकरशाही/प्रशासन को एक अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने वाले प्रावधान-

- स्थानीय प्रशासन द्वारा जन-समर्थक व्यवहार करना
- शक्ति का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण (73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन)
- सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) को प्रोत्साहन
- सक्रिय और कार्यन्मुखी प्रशासन
- लाइसेंस राज की समाप्ति
- कल्याणकारी योजनाओं (आर.टी.आई., सिटीजन चार्टर इत्यादि), (ई-शासन और सुशासन) में अधिकाधिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता।
- विभिन्न नीतिगत पहलों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिये जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रशासन का अधिकाधिक सामंजस्यपूर्ण होना।

भारत में असुरक्षित, वंचित एवं उपेक्षित समूह/समुदाय (Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Groups/Communities in India)

असुरक्षित समूह का अर्थ (Meaning of Vulnerable Groups)

“असुरक्षित” समूह का अर्थ अत्यंत अस्पष्ट है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो, ऐसे समूह जो शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं; उन्हें असुरक्षित समूह में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार असुरक्षित समूह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है, जो न तो आरामदायक जीवन जीने में सक्षम होते हैं और न ही इन्हें विकास के समुचित अवसर ही उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के चलते वे अपने मूलभूत मानवाधिकारों का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं होते हैं।

मानवाधिकारों की परिभाषा के अंतर्गत यह जनसंख्या का वह तबका है जिसके साथ अक्सर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और इन्हें शोषण से बचाने के लिए राज्य द्वारा विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यूरोपीय संघ के अनुसार, “वे समूह जो आम जनता की तुलना में अधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के शिकार होते हैं, वे असुरक्षित कहलाते हैं।” प्रजातीय अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, निःशक्त व्यक्तियों, बंधुओं तथा आदिवासी व्यक्तियों अकेले रह रहे वृद्ध तथा बच्चे समूह असुरक्षित समूहों के अंतर्गत ही आते हैं, और ये सभी प्रायः मुश्किलों का सामना करते हैं, जिससे इन्हें शिक्षा के निम्न स्तर तथा भरोजागरी जैसे सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है।

हाशिये पर चले गए समूह का अर्थ (Meaning of Marginalized Groups)

हाशिए पर चले गए समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं तथा जिसे समाज की मुख्यधारा से हाशिए पर धकेल दिया गया है। ऐसे समूह प्रायः अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं और सामान्यतः इनकी हितों की अनदेखी की जाती है। हाशिए पर चले गए समूहों को सामान्यतः वंचित समूहों के रूप में जाना जाता है, ये लाभ से वंचित समाज के ऐसे समूह हैं जो संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में पूर्ण सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हाशिए पर चले गए लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत भी हो सकते हैं और इसीलिए वे असुरक्षित होते हैं।

उपेक्षित-समूह का तात्पर्य (Meaning of Disadvantaged Groups)

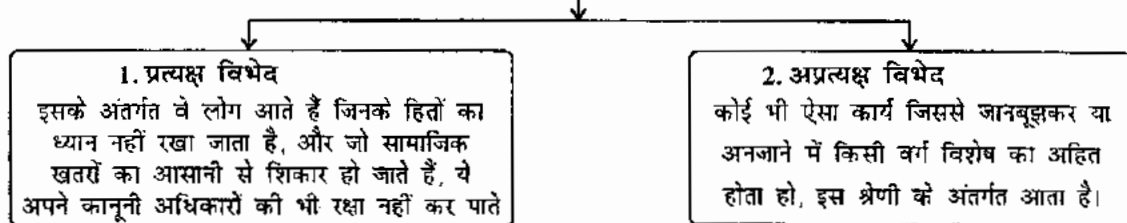
मानवाधिकारों सम्बंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उपेक्षित समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनकी प्रत्याभूत अधिकारों तक स्वतंत्र पहुँच सुनिश्चित नहीं होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों में इनकी परिभाषा बदलती रहती है। सामान्य रूप से महिलाएँ, बच्चे, सामाजिक-आर्थिक, एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, निःशक्त और अल्पसंख्यक सभी उपेक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों की ऐसी स्थिति के लिए मुख्य रूप से निर्धनता ही उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के साथ लिंग, प्रजाति तथा जन्म के आधार पर किसी भी समुदाय अथवा धर्म में विभेद किया जाता है, सामान्यतः उन्हें भी उपेक्षित लोगों में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि इन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का स्वरूप प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न हो सकता है।

विश्व में असुरक्षित, वंचित एवं हाशिए पर चले गए समूह समूह

(The vulnerable, disadvantaged and marginalized groups in the world)

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक समाज में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं, जहाँ समाज के किसी समूह के साथ विभेदात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। सामान्यतः असुरक्षित, उपेक्षित एवं हाशिए पर चले गए समूहों के साथ होने वाला विभेदात्मक व्यवहार प्रायः उनके अपमान, उत्पीड़न एवं डराने-धमकाने के रूप में देखने को मिलता है और ऐसे व्यवहार को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परंपराओं तथा सांस्कृतिक कारकों से समर्थन भी प्राप्त होता है।

इन वर्गों के साथ होने वाला भेदभाव दो प्रकार का होता है



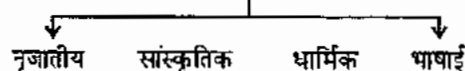
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इन वंचित और असुरक्षित वर्गों के अधिकारों को संपूर्ण विश्व में पहचान दिलवाने के उद्देश्य से कई घोषणाएँ, अभिसमय और प्रसविदाएँ अपनाई हैं। हालाँकि वंचित वर्गों की दयनीय दशा का मुख्य कारण उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति होती है परंतु इसके साथ ही लिंग, निःशक्तता, सांस्कृतिक कारण आदि भी इस विभेद के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

असुरक्षित, हाशिए पर चले गए और उपेक्षित वर्ग/समुदाय कौन-से हैं?

(Who are vulnerable, marginalized and disadvantaged?)

- महिलाएँ और बालिकाएँ (Women and Girls):** संप्रसारित महिलाएँ एवं बालिकाएँ पूरे विश्व में ही उपेक्षित हैं। जबकि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की महिलाएँ और बालिकाएँ अधिक असुरक्षित हैं। विश्व में बच्चे सर्वाधिक उपेक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं।
- बच्चे (Children):** विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बच्चे गरीबी, कुपोषण तथा अन्य तरह के सामाजिक सांस्कृतिक शोषण जैसी अनेकों समस्याओं का सामना करते हैं। सीमेंट उद्योग, निर्माण स्थलों तथा काँच उद्योगों जैसे खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिक एवं कम आय के बच्चे भी असुरक्षितों की श्रेणी में ही आते हैं।
- शरणार्थी (Refugees):** शरणार्थी से तात्पर्य उन लोगों से है जो अपने देश से किसी दूसरे देश में अस्थायी शरण हेतु पलायन कर जाते हैं। इस पलायन का कारण अकाल, गृह युद्ध, धार्मिक भेदभाव, प्रजातीय विभेद आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को उनके देश में प्रत्याभूत सभी मानवाधिकार प्राप्त नहीं होते साथ ही वे जिस विदेशी भूतों पर पलायन कर जाते हैं वहाँ भी ये मानवाधिकारों से वंचित रहते हैं।
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोग:** ये वे लोग हैं जिन देश के अंदर सरासरी संघर्ष हिंसा की स्थिति, मानवाधिकारों के उल्लंघन, मानवीय अथवा प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप स्थानांतरित परिस्थितियों को चलते देश के ही अंदर रहते हुए अपने घरों या आवास स्थलों को छोड़ना पड़ता है।
- व्यक्ति/समुदाय के लिए राज्यविहीनता की स्थिति:** किसी व्यक्ति या समूह के लिए राज्यविहीनता की स्थिति कई कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जैसे किसी राष्ट्र में अल्पसंख्यक समूह के साथ विभेदात्मक व्यवहार का होना, किसी राज्य के स्वतंत्र होने अथवा एक नया राज्य बनने पर उस भू-भाग में रह रहे सभी निवासियों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त न हो पाना। राज्यविहीनता की स्थिति का तात्पर्य है, किसी व्यक्ति या समूह के पास किसी भी राज्य की नागरिकता का न होना। चूँकि इन लोगों के पास किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती है अतः स्वतंत्रतापूर्वक अपने मानवाधिकारों के उपयोग की दृष्टि से ये अत्यधिक असुरक्षित होते हैं।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक:** ऐसे लोग जो किसी देश की बहुसंख्यक जनता के बहुसंख्यक समूह का हिस्सा नहीं हैं, उस देश के संदर्भ में अल्पसंख्यक कहलाएंगे।

अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण



किसी भी देश में बहुसंख्यकों के अत्यधिक प्रभुत्व के कारण ये अल्पसंख्यक अपने राजनैतिक, नागरिक और मानव अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते हैं फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं।

- प्रवासी श्रमिक:** विश्व के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी श्रमिक शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं। इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवासियों से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई विकासशील देशों में आर्थिक वैश्वीकरण, बेरोजगारी और निर्धनता के चलते नौकरी की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। प्रवासन की वजह से ये लोग जिस

देश में रहते हैं, वहाँ इन्हें अत्यंत कम अथवा न के बराबर सामाजिक संरक्षण प्राप्त होता है। कई बार तो महिलाओं, बच्चों तथा असुरक्षित एवं उपेक्षित समूहों के लोगों का विभिन्न गैर-कानूनी कार्यों के लिए अवैध व्यापार भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो उस देश में वैतनिक गतिविधि में संलिप्त है अथवा संलिप्त रहा है, जहाँ का वह नागरिक नहीं है।

8. निःशक्त व्यक्ति: निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के चलते पूर्णतः या आंशिक रूप से व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसे निःशक्त कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले कभी भी किसी दुर्बलता का शिकार रहा है तो उसे भी निःशक्त माना जा सकता है; और ऐसी दुर्बलता में शारीरिक, संवेदी, और संज्ञानात्मक अथवा विकास संबंधी अक्षमताओं को शामिल किया जा सकता है। ऐसे लोग जो मानसिक विकार जैसे कि मनोविकृति अथवा मानसिक दुर्बलता के शिकार हैं, उन्हें भी निःशक्त की श्रेणी में ही रखा जाता है।

निःशक्त व्यक्तियों को समाज में नकार दिया जाता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र निर्माण अथवा सृजनात्मक आर्थिक गतिविधियों में उनका योगदान बहुत ही सीमित होता है। निःशक्त व्यक्तियों के साथ घर, शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थल और यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन में भी विभेद किया जाता है। और इसीलिए उन्हें समाज में हाशिए पर चले गए लोग माना जाता है। निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विश्व की सभी सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विधियों एवं नीतियों का निर्माण किया है।

9. वृद्ध: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्यतः वृद्ध माना जाता है। प्रायः परिवारी जनों, समाज तथा अन्य स्तरों पर इन लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है। वृद्ध होने के तात्पर्य में उनका अधिकारों को संरक्षित करना चाहिए। सामाजिक नीति एवं विकास शाखा की संयुक्त राष्ट्र की इकाई के अनुसार विश्व में आज 700 मिलियन से अधिक वृद्ध लोग रहते हैं। जैसे-जैसे वृद्ध व्यक्तियों की शारीरिक सक्रियता कम होती जाती है, वैसे-वैसे उनकी असुरक्षा भी बढ़ती जाती है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न सरकारें एवं संस्थाएँ इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा चिकित्सा सहायता जैसे प्रावधान भी किए हैं।
11. एच.आई.वी. पॉजिटिव/एड्स पीड़ित लोग: इस सर्वाधिक घातक बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ संपूर्ण विश्व में आम जीवन में कई तरह से विभेद किया जाता है। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति पर विश्व में सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोग हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को समाज उनके शिक्षा के मूल अधिकार तक से वंचित कर देता है।
12. यायावर/खानाबदोश (Nomadic): यायावर अथवा खानाबदोश जीवन जीने वाले व्यक्ति किसी एक देश अथवा क्षेत्र या फिर विश्व के किसी भी भाग में निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चूंकि इन लोगों के पास अपना कोई स्थाई पेशा, या जीविकोपार्जन का उचित साधन नहीं होता अतः वे कभी भी समाज का स्थाई हिस्सा नहीं बन पाते हैं फलस्वरूप उनके द्वारा अधिकार प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है।
13. लैंगिक अल्पसंख्यक: लेस्बियन/गे और ट्रांसजेंडर्स: भिन्न लैंगिक उन्मुखता के चलते अपनी विशिष्ट यौन प्राथमिकता के कारण ये समूह प्रायः समाज द्वारा अवमानना एवं उपेक्षा के शिकार होते हैं। ट्रांसजेंडर्स समाज में कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, इनमें उनके जीवन एवं स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार भी शामिल हैं। समान लिंग के युगल को समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। इन समूहों के लोग प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार के विभेदात्मक व्यवहार का सामना करते हैं परिणामस्वरूप समाज में उनकी संरचनात्मक सहभागिता में कमी आती है।

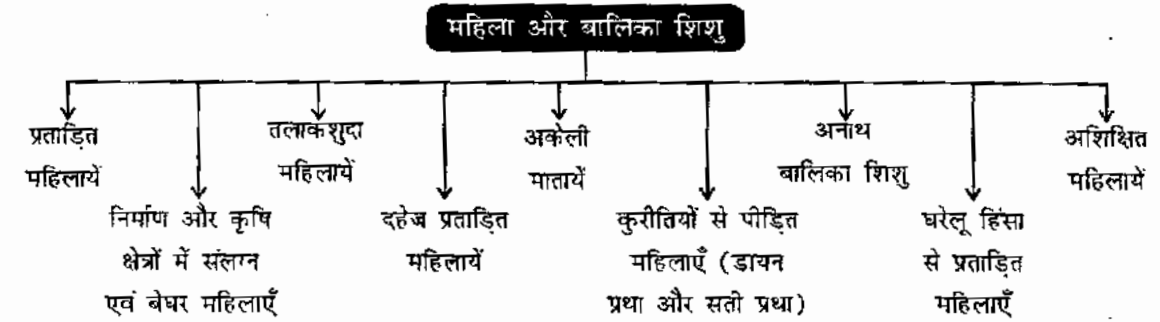
भारत में असुरक्षित, हाशिए पर चले गए तथा उपेक्षित समूह

(Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Groups in India)

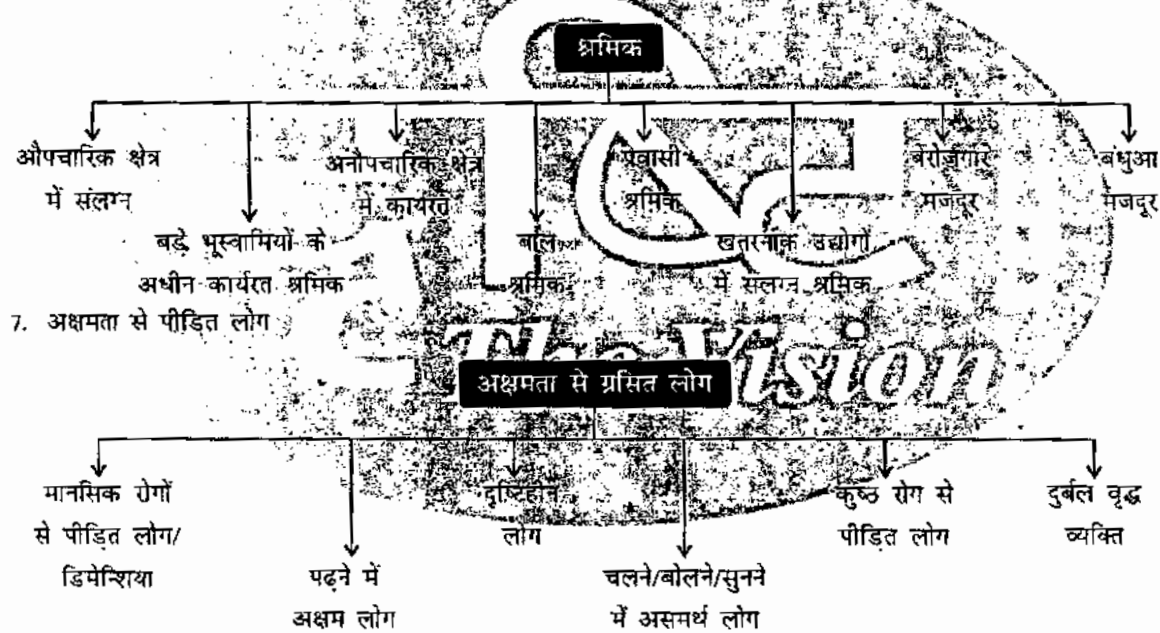
भारत में सामाजिक-आर्थिक रूप से विभिन्न प्रतिकूल परंपरागत व्यवहार और सदियों पुराना शोषण प्रचलित है, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को अवरुद्ध किया है। तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक विकास और आर्थिक प्रगति के साथ-साथ मानव जीवन में जबर्दस्त परिवर्तन परिलक्षित हुए और नागरिक सुख-सुविधाओं में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से परे भी भारतीय समाज के कुछ वर्ग अभी भी असुरक्षित, हाशिए पर, उपेक्षित, वंचित तथा अलाभकारी स्थिति में हैं और समाज की मुख्यधारा से काफी दूर हैं।

भारतीय समाज में शामिल असुरक्षित, हाशिए पर तथा उपेक्षित समूहों की वास्तविक सूची
(Precise List of Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Sections of Indian Society)

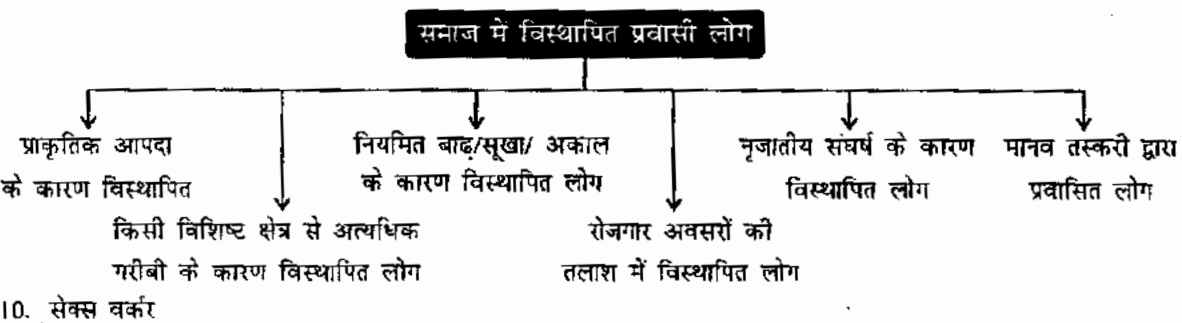
1. अनुसूचित जाति (SC)
2. अनुसूचित जनजाति (ST)
3. नृजातीय अल्पसंख्यक/धार्मिक अल्पसंख्यक
4. महिला एवं बालिका शिशु



5. भारत में बेघर लोग
6. श्रमिक



8. शराब और मादक द्रव्य के व्यसनी
9. समाज में विस्थापित प्रवासी लोग



10. सेक्स वर्कर

सेक्स वर्कर

युवा लड़कियाँ
एवं महिलायें

मजबूरन इस व्यवसाय में
संलग्न गरीब महिलाएँ

सेक्स वर्कर का
परिवार एवं बच्चे

11. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की असुरक्षा के कारण हैं-
 - नियमित आय का अभाव
 - विकास के साधनों का अभाव
 - कृषि श्रमिक
 - कुपोषित गरीब बच्चे
 - सामाजिक सुरक्षा की कमी
12. वे लोग जो स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखरेख सेवाओं के पात्र हैं लेकिन उन्हें ये सेवाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं क्योंकि-
 - इनकी पहचान नहीं हो सकी है
 - ये दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं
 - इन्हें नीतियों की जानकारी नहीं है।
 - वृद्ध लोगों की उनके बच्चों द्वारा उपेक्षा की जाती है।
13. वे लोग जो सामान्यतः भेदभाव का शिकार होते हैं, पीड़ित होते हैं-
 - एचआईवी/एड्स तथा अन्य यौन संक्रमित रोगों से
 - कैंसर रोगी
 - मस्तिष्क आघात से
14. ऐसे कैदी या व्यक्ति जो अपनी सजा काट चुके हैं और समाज में उनके भुनवांस में बाल अपराधियों की भाँति समस्याओं का सामना करना पड़ता रहता है।
15. बिन लोगों के साथ लैंगिकोन्मुखता (Sexual Orientation) के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्हें लैंगिक अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। इनके लिए सम्बन्धित रूप में एक शब्द 'क्वीर कम्युनिटी' (Queer Communities) कहा जाता है।
 - लेस्बियन
 - समलैंगिक
 - उभयलैंगी
 - ट्रांसजेंडर
16. परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के कारण समाज के कुछ समूह सदस्यों से हाशिए पर रहते हैं और विरोध का शिकार हैं तथा समाज में उनका स्थान अभी भी सुनिश्चित नहीं है।

समाज में इन्हें निम्न वर्गों में बाँटा जाता है



17. अन्य सभी असुरक्षित, उपेक्षित एवं वंचित समूहों तथा ऊपर बताए गए वर्गों के अतिरिक्त भी समाज में कुछ ऐसे समूह हैं, जिन्हें असुरक्षित अथवा वंचित समूह माना जा सकता है, जैसे मुस्लिमों, ईसाइयों, हिन्दू और बौद्धों में पिछड़े वर्ग। इसके अलावा पाकिस्तान के मजहूरारे, भारतीय जेलों में बंद श्रीलंकाई शरणार्थी, एकल अभिभावक, घरेलू कामगार तथा तेजाब हमले की पीड़ित महिलाएँ इत्यादि।

भारत में असुरक्षित, हाशिए पर चले गए तथा उपेक्षित समूहों के साथ होने वाला भेदभाव (Discrimination Faced By Vulnerable, Marginalised and Disadvantaged Groups in India)

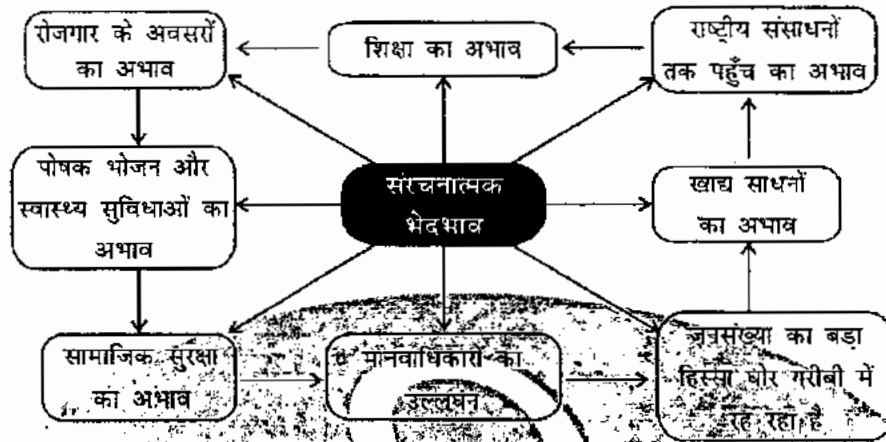
संरचनात्मक भेदभाव (Structural Discrimination)

संरचनात्मक भेदभाव क्या है? (What is Structural Discrimination?)

संरचनात्मक भेदभाव का आशय है कि जब कुछ विशेष समुदाय और समाज कुछ विशेष व्यक्तियों एवं समाज के संबंध में विभेदात्मक व्यवहार करते हैं, और यह विभेदात्मक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन समुदायों की कुछ पूर्ण मान्यताएँ भी

होती हैं और उन्हीं का ये अनुसरण भी करते हैं। जब समाज सदियों से कुछ समूहों का शोषण करता है या जब कुछ समूहों, जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में वंचित रखा जाता है और उन्हें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं होती तथा उनके अधिकारों को भी संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो ऐसे भेदभाव को ही संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है।

असुरक्षित, हाशिए पर चले गए तथा उपेक्षित समूहों के साथ होने वाला संरचनात्मक भेदभाव (Structural Discrimination Against Vulnerable, Marginalized and Disadvantaged Groups)



हाशिये पर चले गए समूहों के संरक्षित असुरक्षा (कुछ महत्वपूर्ण समुदाय) [Vulnerability Faced by Marginalized in India (Few Important Groups)]

अनुसूचित जाति और जनजाति के समझ असुरक्षा (Vulnerability of Scheduled Castes and Tribes)

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 16.6% अनुसूचित जातियाँ और 8.6% अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अर्थात् दोनों मिलकर कुल जनसंख्या का एक चौथाई है। अनुसूचित जाति एक अतिमृत जनजाति आते हैं जिन्हें 'बेदी' में 'अतिम' वर्ण अर्थात् शूद्रों (अवर्ण/अंत्यज) के अंतर्गत रखा गया है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमिशन द्वारा किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल कर लिया गया। 1935 से पहले इसे "अस्पृश्य अथवा वाह्य या दबे-कुचले वर्ग" की संज्ञा दी जाती थी। महात्मा गांधी ने इनके लिए "हरिजन" शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है "हरि" अर्थात् ईश्वर के लोग। अनुसूचित जातियाँ पीढ़ियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से वंचित रही हैं, और इसे हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में आज भी देखा जा सकता है।

अनुसूचित जातियों की समस्याएँ (Problems faced by Scheduled Castes)

- अनुसूचित जातियाँ (निम्न जातियाँ) आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, राजनैतिक रूप से शक्तिहीन तथा सांस्कृतिक रूप से उच्च जातियों के अधीन रही हैं।
- अनुसूचित जातियों के लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों को उत्पादन गतिविधियों के स्वामित्व से पूर्णतः वंचित रखा गया है। चूँकि ये लोग भूमिहीन होते हैं इसलिए अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए इन्हें बड़े भू-स्वामियों और कृषि भूमि मालिकों के अधीन कार्य करना पड़ता है। एक तो इन्हें कम पारिश्रमिक मिलता है, और उसके बाद अपने परिवार के भोजन के लिए इन्हें पैसा उधार भी लेना पड़ता है। इसके बाद अपना उधार वे लोग बंधुआ मजदूर के रूप में अदा करते हैं।
- भारत में दलित महिलाएँ और लड़कियाँ किसी अन्य समूह की अपेक्षा अधिक असुरक्षित हैं। वे जाति, वर्ग एवं लिंग से संबंधित तिहरे भेदभाव को झेलती हैं जो उन्हें हाशिए के समूहों के साथ होने वाले शोषण के डुबकर में फँसा देता है।
- दलित बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है परिणामस्वरूप उनकी सीखने की क्षमता एवं समाज के प्रति अपनत्व की भावना में कमी आती है।

- (v) अनुसूचित जातियों (अथवा दलितों) को हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) जैसे घृणित कार्य करने पड़ते हैं।
- (vi) शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण विशेषकर ग्रामीण और उप-नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जातियाँ अपने अधिकारों (नागरिक, राजनैतिक एवं संवैधानिक) के प्रति जागरूक नहीं रहती हैं।
- (vii) कभी-कभी तो सरकारी कार्यों में स्थानीय प्रशासन की रुचि एवं सहभागिता में कमी के चलते अनुसूचित जातियाँ सरकार की कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं और छात्रवृत्ति प्रावधानों के बारे में जागरूक भी नहीं रहती हैं।
- (viii) सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के नियमित प्रयासों के बावजूद विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं ने अस्पृश्यता तथा भेदभाव संबंधी व्यवहारों को सरल बनाया है। सरकारी विद्यालयों में इनका प्रचलन बहुत अधिक है, मंदिरों और राशन की दुकानों में दलितों का प्रवेश वर्जित होता है और ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को दलितों के उपचार की मनाही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों पर जाना दलितों के लिए वर्जित होता है, यहाँ तक कि मतदान केंद्रों पर उनके लिए पृथक् पंक्तियाँ निर्धारित होती हैं।
- संवैधान तथा अन्य विधिक प्रावधानों के बावजूद यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि हमारे समाज में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अन्याय एवं शोषण निरंतर जारी है। सामान्य रूप से अनुसूचित एवं विशेषकर दलित वर्ग के लोग आज भी अपमान का कष्ट झेलते हैं, और आधी से अधिक सदी के बाद, इन सबके बावजूद भारत द्वारा गणतंत्र होने का दावा करना एक अत्यंत ही लज्जा का विषय है।

न्यायपूर्ति ए.एस. आनंद

भूतपूर्व अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग

तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश

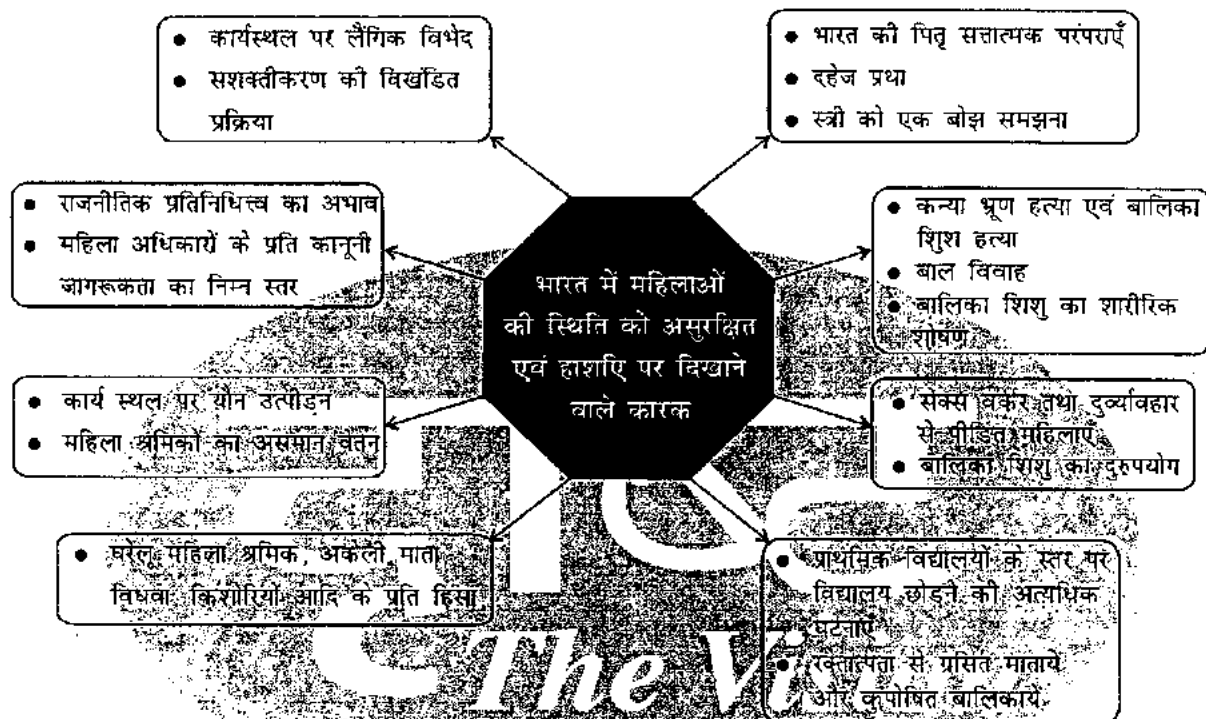
भारत में अनुसूचित जातियों की समस्याएँ और उनके साथ होने वाले भेदभाव (Problems & Discrimination Faced by Scheduled Tribes in India)

- (i) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का मानव विकास सूचकांक (HDI) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय जैसे सभी मापदण्डों के आधार पर शेष जनसंख्या से बहुत कम है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में शेष क्षेत्रों की आधारभूत अवसंरचना में विद्यमान अंतर निरंतर तेजी से बढ़ रहा है।
- (ii) सिंचाई, बांधों, जल विद्युत एवं तापीय ऊर्जा संयंत्रों, कोयला खानों तथा खनिज आधारित उद्योगों जैसे बृहद विकासोपरियोजनाओं के चलते भारत में एक बड़ी संख्या में जनजातियाँ विस्थापित होती-रही हैं।
- (iii) पेसा (PESA) एक महत्वपूर्ण कानून है जो जनजातियों की उनकी सार्वभौमिकता की प्राप्ति में नियमितता, क्रियान्वयन कर्ता, मॉनीटर तथा मूल्यांकन कर्ता के रूप में एक सक्रिय एवं प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इन लोगों की परिपक्वता और प्रथाओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विचार-समाधान के परंपरागत उपायों के संरक्षण के लिए ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई हैं, हालाँकि जमीनी हकीकत इससे एकदम भिन्न है। पेसा (PESA) अतिक्रमण एवं अधाधुनिक तरीके से जनजातीय स्थानीय पावर लॉबी को व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ देकर जनजातियों के संसाधनों को कोमल पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देता रहा है।
- (iv) हमारे देश में लगभग 461 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से 75 की अति पिछड़े आदिम जनजातीय समुदायों (PTGs) के रूप में पहचान की गई है। लेकिन सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण जनजातियों के दैनिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- (v) वनों में नियमित रूप से हो रहे अतिक्रमण के कारण खाद्य संग्रहण, शिकार, झूम कृषि और कुटीर उद्योग जैसी जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसने वन आधारित अर्थव्यवस्था पर जीवन-यापन कर रहे अनेकों जनजातियों के अस्तित्व के समक्ष प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।
- (vi) मुंडा, उराँव, हो और संधाल जैसी कृषक जनजातियाँ सिंचाई के सुनिश्चित साधनों पर निर्भर हैं, लेकिन सिंचाई की कमी के कारण कृषि से भी उन्हें वर्ष भर रोजगार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही इससे न ही उनके परिवार को भी वर्ष भर खाना ही मिल पाता है।
- (vii) चूँकि अधिकांश जनजातीय लोग श्रमिक होते हैं, और उन्हें साल भर काम भी नहीं मिलता है तथा इनका वेतन भी न तो नियमित रूप से और न ही उचित मात्रा में प्राप्त ही होता है। परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश महाजनों से ऊँची ब्याज दर पर उधार लेते हैं और इस उधार को वे बहुत ही कम वेतन पर बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करके अदा करते हैं।
- (ix) चूँकि जनजातियाँ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहती हैं। इससे उनके कल्याण एवं विकास कार्यों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने में समय भी बहुत लगता है। इस तरह जनजातियाँ अपने अधिकारों के प्रति न तो जागरूक ही हो पाती हैं, बल्कि अपने कई विकास कार्यक्रमों के प्रति वे अनभिज्ञ भी रहती हैं।

भारत में महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव और उनकी असुरक्षा (Discrimination and Vulnerability Faced By Women in India)

2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 (1000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ) है। महिलाएँ हमारे समाज का गैर-बराबरी वाला अर्द्ध-भाग हैं। देश में महिलाएँ जीवन भर सभी तरह के भेदभाव का सामना करती हैं। पितृ सत्तात्मक समाज, सांस्कृतिक व्यवहारों, सामाजिक निषेधों, अंधविश्वासों तथा हानिकारक परंपराओं की वजह से महिलाएँ (ग्रामीण महिलाएँ, बालिका शिशु, दलित महिलाएँ) हमेशा असुरक्षित रही हैं। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है, जबकि साक्षरता का औसत राष्ट्रीय प्रतिशत 74.04% है।

अब हम निम्नलिखित फ्लोचार्ट के माध्यम से भारत में महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे-



भारत में निःशक्त लोगों के साथ होने वाला भेदभाव (Discrimination Faced By Disabled People in India)

संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार वर्तमान में विश्व में 500 मिलियन निःशक्त लोग हैं। साथ ही युद्ध एवं विनाश, अस्वस्थकर जीवन दशाओं, तथा निःशक्तता के संबंध में ज्ञान के अभाव में निःशक्त लोगों की संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। आमर्त्य सेन कहते हैं कि निःशक्त लोग विकासशील देशों में न केवल सर्वाधिक वंचित हैं, बल्कि वे सर्वाधिक उपेक्षित भी हैं।" निःशक्त लोग सभी सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है। भारत में निःशक्त व्यक्तियों की समस्या से निपटने में राज्य की आधारभूत अवसंरचना पूरी तरह से अपर्याप्त है। लगभग 70 फीसदी निःशक्त लोग बेरोजगार हैं। लगभग दसियों लाख तो गंभीर निःशक्तता के चलते बर्बादी के कगार पर हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों पर कम से कम ध्यान तो दिया जाता है, जबकि मानसिक रूप से पीड़ितों की समाज द्वारा अनदेखी कर दी जाती है। शारीरिक समस्याओं के साथ ही साथ उन्हें सामाजिक कलंक एवं सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ता है।

भारत में निःशक्त व्यक्तियों के समक्ष आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएँ (Few Major Problems Face By Disabled in India)

- (1) सार्वजनिक परिवहन के वाहनों तक पहुँच में अत्यधिक समस्या तथा इनके प्रति नागरिकों में सहानुभूति का अभाव।
- (2) निःशक्त लोगों के साथ कार्यस्थल पर ही भेदभाव किया जाता है, जैसे कि उनका वेतन भी सामान्य स्तर से कम ही होता है।
- (3) निःशक्त लोगों के साथ कार्यस्थल, घर तथा सार्वजनिक स्थल पर लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है।

- (4) 2011 की जनगणना के अनुसार निःशक्त लोग कुल जनसंख्या के 2.1 प्रतिशत हैं। पुलिस स्टेशन और न्यायालयों में विशेष सहायता केंद्रों के अभाव तथा परामर्श केंद्रों की कमी के चलते निःशक्त लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और भी गंभीर हो जाता है।
- (5) एक मोटा अनुमान है कि भारत में 120 लाख बच्चे निःशक्तता से पीड़ित हैं। इनमें से केवल 1 फीसदी बच्चों की ही विद्यालयों तक पहुँच है। जो बच्चे प्रमत्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हैं उनमें अल्प-पोषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत में निःशक्तता से पीड़ित 80% बच्चों की जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से अधिक नहीं है।
- (6) निःशक्तता से पीड़ित युवा महिलाएँ अपनी उम्र के निःशक्तता से पीड़ित पुरुषों की अपेक्षा अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करती हैं। निःशक्तता से पीड़ित महिलाओं को निःशक्त पुरुषों के समान अवसर भी प्राप्त नहीं होते हैं।
- (7) चूँकि कमजोर वृद्ध लोग, मानसिक रूप से पीड़ित तथा कैंसर के रोगी समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाते हैं अतः सबसे अधिक दुःखभाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है। यहाँ तक कि इन लोगों के परिवार में भी इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

भारत में श्रमिक वर्ग और कृषकों के समक्ष असुरक्षा एवं भेदभाव

(Vulnerability and Discrimination of Labour Class Peasants in India)

भारतीय कृषक वर्ग की विशेषताओं में समय के साथ-साथ काफी परिवर्तन हुआ है। नए उद्योगों के विकास और श्रम के नियमित प्रवसन के साथ ही भारतीय श्रमिक वर्ग का स्वरूप निश्चित रूप से काफी परिवर्तित हुआ है और यह नवीन औद्योगिक प्रक्रिया के साथ-साथ अपने स्वरूप को रूपांतरित कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विस्तारवादी प्रकृति और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ने भारतीय श्रमिक वर्ग के समक्ष अनेक समस्याएँ उत्पन्न की हैं।

भारतीय श्रमिक वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

(Important Features of Indian Labour Class)

1. सामाजिक संघटन: भारत में अधिकांश उद्योगों में श्रमिकों का रूप से अनुसूचित जातियों तथा अन्य निम्न जातियों के व्यक्ति कार्य करते हैं। अधिकांश श्रमिक या तो अशिक्षित होते हैं या फिर उन्होंने छोटी उम्र में ही विद्यालय छोड़ा हुआ होता है।
2. लैंगिक संघटन: विगत समय में लैंगिक संघटन में श्रम का साष्ट विभाजन था। महिलाएँ कपड़ा बागान तथा वस्त्र उद्योग में कार्य करती थीं जबकि पुरुष उद्योगों में कार्य करते थे। आज महिलाएँ एवं पुरुष समान रूप से सभी उद्योगों में संलग्न हैं। अधिकांश उद्योगों में बाल श्रमिक भी कार्य करते हैं।
3. जनजातीय श्रमिक: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में मैनीज, कोयला और लौह अयस्क जैसे कुछ कच्चे माल ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों से ही प्राप्त किए जाते हैं। आज जनजातीय युवा इस्पात, लौह तथा अन्य खदान क्षेत्रीय उद्योगों में संलग्न हैं।

भारत में अनौपचारिक श्रमिक और उनकी समस्याएँ

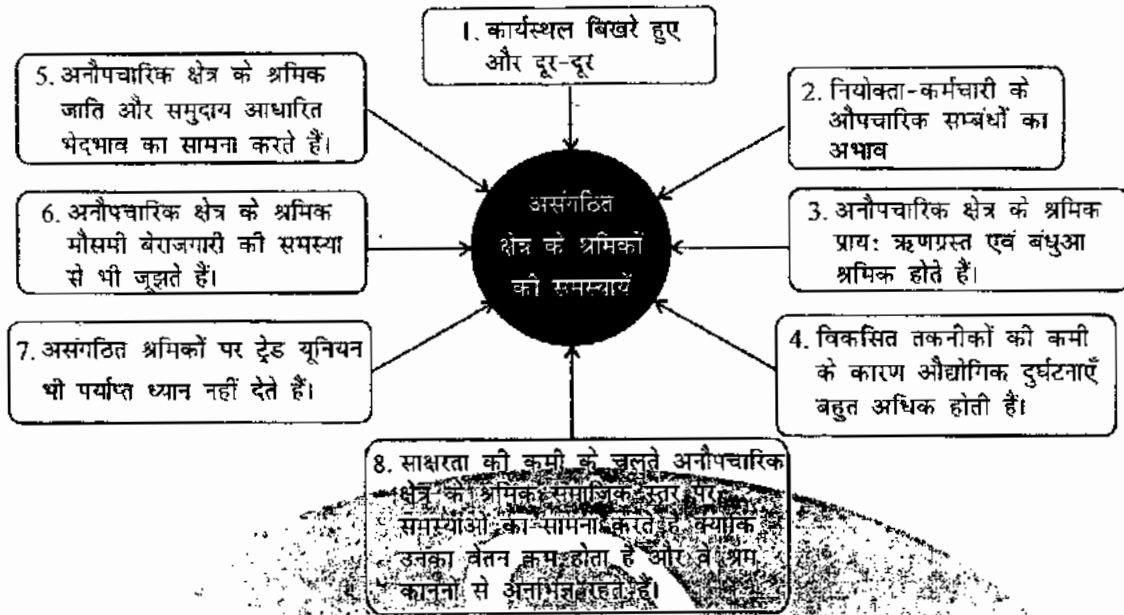
(Informal Labourers in India And Their Problems)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अनौपचारिक श्रमिक वे हैं, जो बिना वैधानिक पंजीकरण के स्वनियोजित श्रमिक हैं तथा बिना वैधानिक पंजीकरण वाले उद्यमों में संलग्न श्रमिक, अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक तथा अर्थव्यवस्था के औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों में गैर-वैधानिक तरीके से नियोजित श्रमिक हैं। भारत में श्रम कार्य में लगभग 480 मिलियन लोग संलग्न हैं, जिसमें से 94% से अधिक अनियमित और असंगठित हैं।

अनौपचारिक श्रम का उदाहरण: छोटे और हाशिए के किसान, जो पशुपालन, भवन निर्माण श्रमिक, लेदर चर्कर, जुलाहे, दस्तकार, सॉल्ट चर्कर, ईट के भट्टों, पत्थर की खदानों, लकड़ी चीरने के कार्य तथा तेल मिलों में कार्यरत हैं इसी श्रेणी में आते हैं।

असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की असुरक्षा

(Vulnerability of Labourers in Unorganized or Informal Sector)



DR

The Vision